खण्ड–518, अंक–08
मंगलवार, 10 ज्येष्ठ, शक संवत् 1944
(31 मई, 2022 ई0)

उत्तर प्रदेश विधान सभा

की

कार्यवाही

-: 0 :-

(अधिकृत विवरण)

(अट्ठारहवीं विधान सभा, प्रथम सत्र, 2022)

(खण्ड 518 में 08 अंक हैं)
उत्तर प्रदेश विधान सभा सचिवालय (कार्यवाही अनुभाग) द्वारा प्रकाशित

मुद्रक :
निदेशक, राजकीय मुद्रण एवं लेखन सामग्री, उत्तर प्रदेश, लखनऊ (भारत)
2022

मूल्य : बिना महसूल 16.75 रुपये, महसूल सहित 21.00 रुपये।
वार्षिक चन्दा : बिना महसूल 586.25 रुपये, महसूल सहित 724.25 रुपये।

विषय-सूची

विषय	पृष्ठ संख्या
उपस्थित सदस्य	1-6
भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 06 जून, 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विधान मण्डल के समवेत सदन को सम्बोधित किये जाने हेतु आमंत्रित किये जाने विषयक प्रस्ताव (स्वीकृत) ...	7
प्रश्नोत्तर	7-110
नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं	110-116
जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटका बाजार से मायंग-धनपतगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	116-117
जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय गोकुल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक सहित अन्य सुविधाएँ उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	117
जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के अन्तर्गत स्थित प्राचीन शिवालय मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	117
जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत सेतु निगम चांदपुर से गभिरार तक निर्माणाधीन सेतु में कुछ पाया और बढ़ाये जाने तथा ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	118
जनपद महोबा के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	118
जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	118-119
उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में झोजा जाति के पर्यायवाची के रूप में तुर्क अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुर कमथरी में पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	119
जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	120
जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत बेसो नदी पर पुल एवं सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना..	120
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर, शामली के अन्तर्गत शामली नवीन मण्डी से करोड़ी होते हुए दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	121
गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	121-122
जनपद कन्नौज में विगत 09-05-2022 को सईद अहमद की निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थल को अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के गांव रुस्तमपुर में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत खींची गयी 11 हजार वोल्टेज के लाइन के स्थान पर केबिल लाइन 440 वोल्टेज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	122-123
जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ की किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	123
जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय पुलों/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	123-124
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत नगर पंचायत नगरा में लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के फलस्वरूप आये दिन भयंकर जाम के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	124

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत चौगामा नहर परियोजना तथा हिण्डन कृष्णी परियोजना को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	124-125
जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सीणपुर, पो0 फतेहगंज, ब्लाक सिकरारा, तहसील सदर निवासिनी बिन्दु देवी द्वारा प्रधान पति श्री विजय यादव के विरुद्ध दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125
जनपद कुशीनगर में चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	125-126
जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ी में राजकीय विद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126
जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में स्थित राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल सिंचाई परियोजना की नहर पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	126-127
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में पूर्ण तहसील का गठन-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की समस्त डामर रोडों की कच्ची पट्टी को सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	127
जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्थित प्राकृतिक तालाब को पर्यटक स्थल एवं पक्षी बिहार के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में अहरौरा में ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128
जनपद वाराणसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा में ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम कठिरांव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	128-129
जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा के कतिपय कालोनियों को नगरीय क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	129
जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत अशोक नगर, गाजीपुर बस स्टाप पर स्व0 माँ रामा अग्रहरि जी के नाम से एक स्मृति द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	129-130
जनपद बरेली के अन्तर्गत फरीदपुर में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत विकास खण्ड आकू में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	130
जनपद बरेली के अन्तर्गत के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज नगर में नाली सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	131
जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक हसायन में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131
जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् सण्डीला के ग्राम महतवाना की राजस्व भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा प्लाटिंग कर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	131-132
घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव के ग्राम रार में स्थित माँ शीतला देवी मन्दिर व माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	132
जनपद फर्रुखाबाद से जनपद एटा के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	132
जनपद मऊ के अन्तर्गत अम्बेडकर स्टेडियम में कतिपय निर्माण कार्य, विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण एवं अग्निशमन केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	133-134
जनपद गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 हरगोविन्द सिंह द्वारा चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद शामली के अन्तर्गत कैराना में डी0के0 पब्लिक स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा अनुष्का की हत्या में संलिप्त दोषियों की सी0बी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	134-135
जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम तेजलहेड़ा में सी0सी0 रोड की पटरियों को इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में ग्राम अताउल्लाह नाऊपुर में विसुई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	135
वीर बहादुर पू0वि0वि0 जौनपुर के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	136
जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट, अयोध्या में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136
माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज में तैनात सचिव पद पर प्रदेश के सबसे कनिष्ठ संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती के सम्बन्ध में, नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	136-137
जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत हलियापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	137
जनपद बाराबंकी की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी के ग्राम धौकलपुर में अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	137
जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किसनी के अन्तर्गत तहसील भोगांव के विकास खण्ड जागीर की ग्राम पंचायत पुढरी में कार्यरत पंचायत सचिव विजेन्द्र माथुर व रोजगार सेवक परम सिंह द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	138
जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत उरूवा ब्लाक में कतिपय सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	138

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139
जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर ब्लाक में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	139-140
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत रानी की सराय में महिला डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	140
जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज के बस अड्डे का नव निर्माण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	140-141
जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के अन्तर्गत निर्मित तीनों राजकीय इण्टर कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति एवं बच्चों की पढ़ाई शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम जयरामपुरवा-कोचवा से भैरमपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	141-142
जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	142
जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पटेल नगर (जैतपुर) में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	142-143
जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत कौलकी टोल को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143
जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में कृषि मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	143
जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत अवैध कब्जे को मुक्त कराकर झीलों को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	143-144

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाड साल्हीपुर से प्राइमरी विद्यालय कोर्रा पूरे मुसई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144
जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	144-145
जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र बरहज में स्थित देवरहा बाबा मन्दिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	145
जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	145
जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा तक अधूरे तटबन्ध को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	146
जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के अन्तर्गत सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	147
जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत कृष्णा नदी पर क्षतिग्रस्त पुलों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	147
जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0 167/2021 की पुनः विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	148
जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मे0 नेशनल इंजी0 सर्विसेज का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	149

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	149-152
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत भीमपुर रजवाहा नहर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	152
जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	152-153
जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर बाजार में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	153
जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी ढंग से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	153-154
जनपद मिर्जापुर पिपरा डाण के राजकीय मेडिकल कालेज के पास जनसम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के अन्तर्गत सरयू/घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम टूटूवारी में पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	154
जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155
जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	155

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवंटन में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	155-156
जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156
जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत गोराघाट रामगंगा नदी के तट पर पक्का घाट बनवाकर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	156
जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवसादात के ग्राम कैलबकरी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	156-157
जनपद बलिया के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड बलिया में वर्ष 2020 से अब तक भुगतान की गयी देनदारी/बीजकों का एस्टीमेट वर्षवार विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	157
जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	158
जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा अमिलाई इटावा प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	158
अधीक्षण अभियन्ता प्रहरी लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना... ...	158-159
जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अजय कुमार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किये गये कार्यों की जांच तथा सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159
जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुये वाहन संख्या यू0पी0-32 जी0यू0-5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	159-160

विषय	पृष्ठ संख्या
जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	160
जनपद कुशीनगर के हाटा तहसील के जर्जर रजिस्ट्री भवन के नव निर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	160-161
जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत स्थापित पुराने हॉस्पिटल को उच्चीकृत कर सिटी हॉस्पिटल का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना...	161
जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत वार्ड नं0-1 में जलभराव की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	161-162
जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	162
जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत गुलालपुर ड्रेन की खुदाई/सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	162
उत्तर प्रदेश में पौराणिक मनवर नदी की सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	162-163
जनपद लखनऊ में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की पालिसी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	163
जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-अमानीगंज मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना ...	163-164
जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत सभी जर्जर और टूटी सड़कों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना	164
औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं	164
सदन की कार्यवाही का शासन के विभागों द्वारा संज्ञान न लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न	164-165
बजट में सदस्यों के बोलने की अनुमति के सम्बन्ध में	165-166
याचिकाओं का उपस्थापन	166
श्री सचिन यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 36 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	166-170

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री श्याम सुन्दर, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली की 09, प्रतापगढ़ से 02, कौशाम्बी से 02 तथा उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	170-171
श्री योगेश शुक्ला, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	171-172
श्री बम्बा लाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 26 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	172-174
श्री कमाल अख्तर, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	174
श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02, आजमगढ़ से 03 तथा बुलन्दशहर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	175
श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	175-177
श्री कैलाश नाथ, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	177
श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	177-178
श्री मौ0 फहीम इरफान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 08 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	178-179
श्री मनीष कुमार 'मन्टू', सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	179
श्री मनीष रावत, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 01, रायबरेली से सम्बन्धित 02 तथा जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 15 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	180-181
श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	181-182
श्री विकास गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	182

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	183-184
श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	184
श्री विनोद कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)	184
श्री जियाउर्रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	184
श्री हंसु राम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	184-185
श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	185
श्री पंकज मलिक, सदस्य, विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 34 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	185-188
श्री पंकज गुप्ता, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 14 याचिकाएं (व्यपगत)	188-190
श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	190
श्री पल्टूराम, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	190-191
श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	191
श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 19 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	191-193
श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	193-194
श्री रमेश जायसवाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	194-195
श्री रवि शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 11 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	195-196

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 07 याचिकाएं तथा मेरठ से सम्बन्धित 01 याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	196-197
श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 13 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	197-198
श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	198-199
श्री रामदुलार, सदस्य, विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	199
श्री राम अचल राजभर, सदस्य, विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	199-200
श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	200
श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	200
श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से 01 तथा जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	201
श्री संग्राम सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	201
श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202
श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	202
श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य, विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	203
श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	203
श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	204

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 07 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	204-205
श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	205
श्री तुफानी सरोज, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	205-206
श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 12 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	206-207
श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	207
श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य, विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 11 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	208-209
श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01, जनपद कानपुर से सम्बन्धित 01, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा जनपद झांसी से सम्बन्धित 10 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	209-210
श्री अमरेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	210-211
श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', सदस्य, विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (व्यपगत)	211
श्री अरविन्द गिरि, सदस्य, विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)	212
श्री अशरफ अली खान, सदस्य, विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	212
श्री अताउर रहमान, सदस्य, विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	213
श्री अतुल प्रधान, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	213

विषय	पृष्ठ संख्या
श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य, विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 09 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	214
श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य, विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (व्यपगत)	214
श्री गुलाम मोहम्मद, सदस्य, विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	215-216
श्री लक्ष्मी राज, सदस्य, विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 18 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	216-217
श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	218
श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 17 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	218-220
श्रीमती मनीषा, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	220
श्रीमती पूनम शंखवार, सदस्य, विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	220-221
श्री मुकेश वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 17 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	221-223
डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य, विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	223
डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य, विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	223-224
डॉ0 रागिनी, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 41 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	224-228
श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य, विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	228
श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	228-229

विषय	पृष्ठ संख्या
डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद रामपुर से 01, जनपद हरदोई से 01, जनपद प्रयागराज से 01 तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 18 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	229-231
श्री गणेश चन्द्र, सदस्य, विधान सभा की जनपद सन्तकबीरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)	231
श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य, विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	232
श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य, विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	232
श्री अभय सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	233
श्री राम अवतार सिंह, सदस्य, विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	233
श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य, विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)... ...	233-234
श्रीमती जय देवी, सदस्य, विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	234
श्री विनय कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)	234-235
श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य, विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका (उपस्थित की हुई मानी गयी)	235
श्री राजेश चौधरी, सदस्य, विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 08 याचिकाएं (व्यपगत)	235-236
श्री बाबूलाल, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	236
श्री बृजेश कुमार, सदस्य, विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	237
श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य, विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (उपस्थित की हुई मानी गयीं)	237-238

विषय	पृष्ठ संख्या
वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा	238-292
वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग का समेकित प्रस्ताव (पारित)	292-304
उ0प्र0 विनियोग विधेयक, 2021 (पुर्नस्थापित एवं पारित)	305-313
नियम-51 के अन्तर्गत की सूचनाएं	314-321
जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक श्री लक्ष्मीराज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य...	321
जनपद जौनपुर में कोल्ड स्टोर शुरू किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य...	322-323
जनपद खीरी में अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य	323-324
दृष्टान्त पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम खिलाड़ी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य	324-326
जनपद देवरिया में विद्युत सप्लाई न मिल पाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य	326-327
सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार	327-340
सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव (स्वीकृत)	340-341
राष्ट्रगान	341
नत्थियां	342-347

उत्तर प्रदेश विधान सभा

अट्ठारहवीं विधान सभा

मंगलवार, दिनांक 31 मई, 2022 ई0

(विधान सभा की बैठक सभा मण्डप, लखनऊ में दिन के 11:00 बजे अध्यक्ष श्री सतीश महाना की अध्यक्षता में आरम्भ हुई।)

उपस्थित सदस्य-355

1. अंकित भारती, श्री — गाजीपुर
2. अंकुर तिवारी, श्री — सन्तकबीरनगर
3. अखिलेश यादव, श्री — मैनपुरी
4. अजय, श्री — गोण्डा
5. अजय कुमार, श्री — बागपत
6. अजय सिंह, श्री — बस्ती
7. अजीत पाल त्यागी, श्री — गाजियाबाद
8. अजीत सिंह पाल, श्री — कानपुर देहात
9. अताउर रहमान, श्री — बरेली
10. अतुल प्रधान, श्री — मेरठ
11. अनिल कुमार, श्री — मुजफ्फरनगर
12. अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', श्री — चित्रकूट
13. अनिल कुमार त्रिपाठी, श्री — सन्तकबीरनगर
14. अनिल कुमार मौर्य, डॉ0 — सोनभद्र
15. अनिल कुमार वर्मा, श्री — सीतापुर
16. अनिल पाराशर, श्री — अलीगढ़
17. अनिल राजभर, श्री — वाराणसी
18. अनुपमा जायसवाल, श्रीमती — बहराइच
19. अनुराग सिंह, श्री — मिर्जापुर
20. अनूप सिंह उर्फ अनूप प्रधान वाल्मीकि, श्री — अलीगढ़
21. अन्जुला सिंह माहौर, श्रीमती — हाथरस
22. अब्बास अंसारी, श्री — मऊ
23. अभय सिंह, श्री — अयोध्या
24. अभिजीत सिंह सांगा, श्री — कानपुर नगर
25. अमरेश कुमार, श्री — लखनऊ
26. अमित अग्रवाल, श्री — मेरठ
27. अमित सिंह चौहान, श्री — अयोध्या
28. अमिताभ बाजपेई, श्री — कानपुर नगर
29. अरमान खान, श्री — लखनऊ
30. अरूण कुमार, डॉ0 — बरेली
31. अर्चना पाण्डेय, श्रीमती — कन्नौज
32. अल्का सिंह, श्रीमती — हरदोई
33. अवधेश प्रसाद, श्री — अयोध्या
34. अवधेश सिंह, डॉ0 — वाराणसी
35. अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री — चित्रकूट
36. अशरफ अली खान, श्री — शामली
37. अशोक कुमार, श्री — रायबरेली
38. अशोक कुमार राणा, श्री — बिजनौर
39. असीम अरुण, श्री — कन्नौज
40. असीम कुमार, श्री — कुशीनगर
41. आदित्यनाथ योगी, श्री — गोरखपुर
42. आनन्द कुमार यादव, श्री — बहराइच
43. आलमबदी, श्री — आजमगढ़
44. आशा मौर्य, श्रीमती — सीतापुर
45. आशीष कुमार सिंह 'आशू', श्री — हरदोई
46. आशुतोष टण्डन 'गोपाल जी', श्री — लखनऊ
47. आशुतोष शुक्ल, श्री — उन्नाव
48. आशु मलिक, श्री — सहारनपुर
49. इकबाल महमूद, श्री — सम्भल
50. इन्द्रजीत सरोज — कौशाम्बी
51. इन्द्राणी देवी, श्रीमती — श्रावस्ती

52. इरफान सोलंकी, हाजी — कानपुर नगर
53. उमर अली खान, श्री — सहारनपुर
54. उमाशंकर सिंह, श्री — बलिया
55. ऊषा मौर्या, श्रीमती — फततेहपुर
56. ऋषि त्रिपाठी, श्री — महराजगंज
57. एम0पी0 आर्य, डॉ0 — बरेली
58. ओमकुमार, श्री — बिजनौर
59. ओम प्रकाश राजभर, श्री — गाजीपुर
60. ओममणी वर्मा, श्रीमती — बांदा
61. कपिल देव अग्रवाल, श्री — मुजफ्फरनगर
62. कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री — आजमगढ़
63. कमाल अख्तर, श्री — मुरादाबाद
64. कविन्द्र चौधरी, श्री — बस्ती
65. किरत सिंह, श्री — सहारनपुर
66. कृष्णपाल मलिक, श्री — बागपत
67. केतकी सिंह, श्रीमती — बलिया
68. कैलाश, श्री — चन्दौली
69. कैलाश नाथ, श्री — बलरामपुर
70. कैलाश राजपूत, श्री — कन्नौज
71. गणेश चन्द्र, श्री — सन्तकबीरनगर
72. गिरीश चन्द्र यादव, श्री — जौनपुर
73. गीता शास्त्री (पासी), श्रीमती — प्रयागराज
74. गुड़िया कठेरिया, श्रीमती — औरैया
75. गुरु प्रसाद मौर्य, श्री — प्रयागराज
76. गुलाब देवी, श्रीमती — सम्भल
77. गुलाम मोहम्मद, श्री — मेरठ
78. गौरव कुमार, श्री — बाराबंकी
79. गौरी शंकर वर्मा (कोरी), श्री — जालौन
80. चन्दन चौहान, श्री — मुजफ्फरनगर
81. चन्द्रपाल सिंह, श्री — बुलन्दशहर
82. चन्द्र प्रकाश, श्री — फतेहपुर
83. चेतराम, श्री — शाहजहांपुर
84. छोटे लाल वर्मा, श्री — आगरा
85. जगदीश नारायण, श्री — जौनपुर
86. जय कुमार सिंह जैकी, श्री — फतेहपुर
87. जय देवी, श्रीमती — लखनऊ
88. जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द, श्री — पीलीभीत
89. जय प्रकाश अंचल, श्री — बलिया
90. जय प्रकाश निषाद, श्री — देवरिया
91. जयमंगल, श्री — महराजगंज
92. जयवीर सिंह, श्री — मैनपुरी
93. जवाहर लाल राजपूत, श्री — झांसी
94. जाहीद, श्री — भदोही
95. जियाउद्दीन रिजवी, श्री — बलिया
96. जियाउर्रहमान, श्री — मुरादाबाद
97. जीत लाल, श्री — प्रतापगढ़
98. जै किशन, श्री — गाजीपुर
99. ज्ञान तिवारी, श्री — सीतापुर
100. ज्ञानेन्द्र सिंह, श्री — महाराजगंज
101. डी0 सी0 वर्मा, डॉ0 — बरेली
102. तसलीम अहमद, श्री — बिजनौर
103. तुफानी सरोज, श्री — जौनपुर
104. तेजपाल सिंह नागर, श्री — गौतमबुद्धनगर
105. त्रिभुवन दत्त, श्री — अम्बेडकरनगर
106. त्रिभुवन राम, श्री — वाराणसी
107. दयाशंकर सिंह, श्री — बलिया
108. दारा सिंह चौहान, श्री — मऊ
109. दिनेश, श्री — मेरठ
110. दीनानाथ भाष्कर, श्री — भदोही
111. दीपक कुमार मिश्र 'शाका', श्री — देवरिया
112. दूधराम, श्री — बस्ती
113. दुर्गा प्रसाद यादव, श्री — आजमगढ़
114. देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री — रायबरेली
115. देवेन्द्र सिंह, श्री — कासगंज
116. देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री — बुलन्दशहर
117. धर्मपाल सिंह, श्री — बरेली

118. धर्मपाल सिंह, डॉ0 आगरा
119. धर्मराज सिंह यादव, श्री बाराबंकी
120. धर्मेश सिंह तोमर, श्री हापुड़
121. धीरेन्द्र सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
122. नन्दकिशोर, श्री गाजियाबाद
123. नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी', श्री प्रयागराज
124. नफीस हमद, श्री आजमगढ़
125. नवाब जान, श्री मुरादाबाद
126. नागेन्द्र सिंह राठौर, श्री फर्रुखाबाद
127. नितिन अग्रवाल, श्री हरदोई
128. निर्मल वर्मा, श्री सीतापुर
129. नीरज बोरा, डॉ0 लखनऊ
130. नीलकण्ठ तिवारी, डॉ0 वाराणसी
131. नीलिमा कटियार, श्रीमती कानपुर नगर
132. पंकज, श्री जौनपुर
133. पंकज कुमार मलिक, श्री मुजफ्फरनगर
134. पंकज सिंह, श्री गौतमबुद्धनगर
135. पंचानन्द पाठक (पी0एन0 पाठक), श्री कुशीनगर
136. पल्टूराम, श्री बलरामपुर
137. पल्लवी पटेल, डॉ0 कौशाम्बी
138. पिंकी सिंह, श्रीमती सम्भल
139. पीयूष रंजन निषाद, श्री प्रयागराज
140. पुरुषोत्तम खण्डेलवाल, श्री आगरा
141. पूजा पाल, श्रीमती कौशाम्बी
142. पूनम संखवार, श्रीमती कानपुर देहात
143. पूरन प्रकाश, श्री मथुरा
144. प्रकाश द्विवेदी, श्री बांदा
145. प्रतिभा शुक्ला, श्रीमती कानपुर देहात
146. प्रतीक भूषण सिंह, श्री गोण्डा
147. प्रदीप कुमार चौधरी, श्री बुलन्दशहर
148. प्रदीप कुमार यादव, श्री औरैया
149. प्रदीप कुमार सिंह, श्री हाथरस
150. प्रदीप शुक्ला, श्री गोरखपुर
151. प्रभात कुमार वर्मा, श्री गोण्डा
152. प्रभाष कुमार, श्री हरदोई
153. प्रभु नारायण सिंह यादव, श्री चन्दौली
154. प्रवीण पटेल, श्री प्रयागराज
155. प्रसन्न कुमार, श्री शामली
156. प्रेम नारायण पाण्डेय, श्री गोण्डा
157. प्रेम पाल सिंह धनगर, श्री फिरोजाबाद
158. प्रेमसागर पटेल, श्री महराजगंज
159. फतेह बहादुर, श्री गोरखपुर
160. फरीद महफूज किदवई, श्री बाराबंकी
161. बम्बा लाल, श्री उन्नाव
162. बल्देव सिंह औलख, श्री रामपुर
163. बाबूरम, श्री पीलीभीत
164. बाबूलाल, श्री आगरा
165. बावन सिंह, श्री गोण्डा
166. विजयलक्ष्मी गौतम, श्रीमती देवरिया
167. बीरेन्द्र सिंह राणा, श्री हाथरस
168. बृजेश कठेरिया, इंजी0 मैनपुरी
169. बृजेश कुमार, श्री उन्नाव
170. बेचई, श्री आजमगढ़
171. बेदी, श्री गाजीपुर
172. बेबीरानी मौर्य, श्रीमती आगरा
173. ब्रजभूषण राजपूत, श्री महोबा
174. ब्रजेश पाठक, श्री लखनऊ
175. ब्रजेश यादव, श्री बदायूं
176. ब्रिजेश, श्री सहारनपुर
177. भूपेश चौबे, श्री सोनभद्र
178. मंजू त्यागी, श्रीमती खीरी
179. मनीष असीजा, श्री फिरोजाबाद
180. मनीष रावत, श्री सीतापुर
181. मनीषा, श्रीमती हमीरपुर
182. मनोज कुमार पाण्डेय, श्री रायबरेली
183. मनोज कुमार पारस, श्री बिजनौर
184. मनोज कुमार प्रजापति, डॉ0 हमीरपुर

185. मनोहर लाल, श्री ललितपुर
186. मन्जू शिवाच, डॉ0 गाजियाबाद
187. मयंकेश्वर शरण सिंह, श्री रायबरेली
188. महबूब अली, श्री अमरोहा
189. महाराजी प्रजापति, श्रीमती अमेठी
190. महेन्द्र, श्री अमरोहा
191. महेन्द्र नाथ यादव, श्री बस्ती
192. महेन्द्र पाल सिंह, श्री गोरखपुर
193. महेश चन्द्र गुप्ता, श्री बदायूं
194. माता प्रसाद पाण्डेय, श्री सिद्धार्थनगर
195. माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री हरदोई
196. मानवेन्द्र सिंह, श्री शाहजहांपुर
197. मीनाक्षी सिंह, श्रीमती बुलन्दशहर
198. मुकेश चौधरी, श्री सहारनपुर
199. मुकेश वर्मा, श्री फिरोजाबाद
200. मुक्ता संजीव राजा, श्रीमती अलीगढ़
201. मूलचन्द्र सिंह, श्री जालौन
202. मेघश्याम, श्री मथुरा
203. मो0 ताहिर खान, श्री सुल्तानपुर
204. मोहन वर्मा, श्री कुशीनगर
205. मोहम्मद हसन 'रूमी', श्री कानपुर नगर
206. मौ0 नासिर, श्री मुरादाबाद
207. मौहम्मद अब्दुल्ला आजम खां, श्री रामपुर
208. मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मुरादाबाद
209. योगेन्द्र उपाध्याय, श्री आगरा
210. योगेश धामा, श्री बागपत
211. योगेश वर्मा, श्री खीरी
212. योगेश शुक्ला, श्री लखनऊ
213. रघुराज प्रताप सिंह, श्री प्रतापगढ़
214. रजनी तिवारी, श्रीमती हरदोई
215. रत्नाकर मिश्रा, श्री मिर्जापुर
216. रमाकान्त यादव, श्री आजमगढ़
217. रमापति शास्त्री, श्री गोण्डा
218. रमाशंकर सिंह, श्री मिर्जापुर
219. रमेश, श्री जौनपुर
220. रमेश चन्द्र मिश्र, श्री जौनपुर
221. रमेश जायसवाल, श्री चन्दौली
222. रविदास मेहरोत्रा, श्री लखनऊ
223. रवि शर्मा, श्री झांसी
224. रवीन्द्र जायसवाल, श्री वाराणसी
225. रवेन्द्र पाल सिंह, श्री अलीगढ़
226. राकेश कुमार गोस्वामी, श्री महोबा
227. राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा, श्री प्रतापगढ़
228. राकेश प्रताप सिंह, श्री अमेठी
229. राकेश पाण्डेय, श्री अम्बेडकरनगर
230. राकेश राठौर, श्री सीतापुर
231. राकेश सचान, श्री कानपुर देहात
232. रागिनी, डॉ0 जौनपुर
233. राघवेन्द्र शर्मा, डॉ0 बरेली
234. राघवेन्द्र कुमार सिंह, श्री इटावा
235. राजकुमार सहयोगी, श्री अलीगढ़
236. राज प्रसाद उपाध्याय, श्री सुल्तानपुर
237. राजबाला सिंह, श्रीमती रामपुर
238. राजमणि, श्री प्रयागराज
239. राजीव कुमार, श्री अमरोहा
240. राजीव गुम्बर, श्री सहारनपुर
241. राजीव कुमार सिंह उर्फ बब्बू भईया, श्री बदायूं
242. राजीव सिंह ''पारीछा'', श्री झांसी
243. राजेन्द्र कुमार, श्री प्रतापगढ़
244. राजेन्द्र कुमार, श्री मऊ
245. राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री बस्ती
246. राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री फतेहपुर
247. राजेश कुमार गौतम, श्री सुल्तानपुर
248. राजेश चौधरी, श्री मथुरा
249. राजेश त्रिपाठी, श्री गोरखपुर
250. रानी पक्षालिका सिंह, श्रीमती आगरा

251. राम अचल राजभर, श्री अम्बेडकरनगर
252. राम अवतार सिंह, श्री बिजनौर
253. रामकृष्ण भार्गव, श्री सीतापुर
254. रामकेश निषाद, श्री बांदा
255. राम खिलाड़ी सिंह, श्री सम्भल
256. राम चन्द्र यादव, श्री अयोध्या
257. रामदुलार, श्री सोनभद्र
258. राम नरेश अग्निहोत्री, श्री मैनपुरी
259. राम निवास वर्मा, श्री बहराइच
260. रामपाल वर्मा, श्री हरदोई
261. राम प्रताप उर्फ शशिकांत वर्मा, श्री बलरामपुर
262. राम फेरन, श्री श्रावस्ती
263. रामरतन कुशवाहा, श्री ललितपुर
264. राम सिंह, श्री प्रतापगढ़
265. राहुल बच्चा, श्री कानपुर नगर
266. राहुल राजूपत उर्फ राहुल लोधी, श्री रायबरेली
267. रितेश कुमार गुप्ता, श्री मुरादाबाद
268. रेखा वर्मा, श्रीमती औरैया
269. लकी यादव, श्री जौनपुर
270. लक्ष्मी राज, श्री बुलन्दशहर
271. लालजी वर्मा, श्री अम्बेडकरनगर
272. लोकेन्द्र प्रताप सिंह, श्री खीरी
273. वाचस्पति, श्री प्रयागराज
274. विक्रम सिंह, श्री मुजफ्फरनगर
275. विनय कुमार, श्री गोण्डा
276. विनय वर्मा, श्री सिद्धार्थनगर
277. विनोद कुमार, श्री प्रतापगढ़
278. विनोद चतुर्वेदी, श्री जालौन
279. विनोद शंकर अवस्थी, श्री खीरी
280. विनोद सिंह, श्री सुल्तानपुर
281. विपिन कुमार डेविड, श्री ऐटा
282. विपिन सिंह, श्री गोरखपुर
283. विपुल दुबे, श्री भदोही
284. विमलेश पासवान, डॉ0 गोरखपुर
285. विरेन्द्र कुमार यादव, श्री गाजीपुर
286. विवेकानन्द पाण्डेय, श्री कुशीनगर
287. विशम्भर सिंह यादव, श्री बांदा
288. वीर विक्रम सिंह, श्री शाहजहांपुर
289. वीरेन्द्र चौधरी, श्री महराजगंज
290. वीरेन्द्र सिंह लोधी, श्री एटा
291. वेद प्रकाश गुप्ता, श्री अयोध्या
292. शलभ मणि त्रिपाठी, श्री देवरिया
293. शशांक त्रिवेदी, श्री सीतापुर
294. शशांक वर्मा, श्री खीरी
295. शाहिद मंजूर, श्री मेरठ
296. शिव प्रताप यादव, डॉ0 बलरामपुर
297. शिवपाल सिंह यादव, श्री इटावा
298. श्याम प्रकाश, श्री हरदोई
299. श्यामधनी राही, श्री सिद्धार्थनगर
300. श्याम सुन्दर, श्री रायबरेली
301. श्रीकान्त कटियार, श्री उन्नाव
302. संग्राम यादव, डॉ0 आजमगढ़
303. संग्राम सिंह, श्री बलिया
304. संजय कुमार शर्मा, श्री बुलन्दशहर
305. संजय सिंह गंगवार, श्री पीलीभीत
306. संजीव कुमार गोंड, श्री सोनभद्र
307. संजीव कुमार दिवाकर, श्री एटा
308. सन्दीप कुमार सिंह, श्री अलीगढ़
309. सन्दीप सिंह, श्री प्रयागराज
310. सचिन यादव, श्री फिरोजाबाद
311. सतीश चन्द्र शर्मा, श्री बाराबंकी
312. सतीश महाना, श्री कानपुर नगर
313. सत्यपाल सिंह राठौर, श्री कासगंज
314. सभाकुंवर, श्री देवरिया
315. समरपाल सिंह, श्री अमरोहा
316. सरवन कुमार निषाद, इंजी0 गोरखपुर

317. सरिता भदौरिया, श्रीमती	इटावा	337. सुशान्त सिंह, कुँ0	बिजनौर
318. सरोज कुरील, श्रीमती	कानपुर नगर	338. सुशील कुमार शाक्य, श्री	फर्रुखाबाद
319. सरोज सोनकर, श्रीमती	बहराइच	339. सुहेब उर्फ मन्नु अन्सारी, श्री	गाजीपुर
320. सर्वेश सिंह, श्री	फिरोजाबाद	340. सूर्य प्रताप शाही, श्री	देवरिया
321. सलोना कुशवाहा, श्रीमती	शाहजहांपुर	341. सैय्यदा खातून, श्रीमती	सिद्धार्थनगर
322. साकेन्द्र प्रताप, श्री	बाराबंकी	342. सोमेन्द्र सिंह तोमर, डॉ0	मेरठ
323. सिद्धार्थ नाथ सिंह, श्री	प्रयागराज	343. सौरभ श्रीवास्तव, श्री	वाराणसी
324. सीताराम वर्मा, श्री	सुल्तानपुर	344. सौरभ सिंह सोनू, श्री	खीरी
325. सुचि, श्रीमती	बिजनौर	345. स्वामी ओउ्मवेश, श्री	बिजनौर
326. सुनील कुमार शर्मा, श्री	गाजियाबाद	346. हंसु राम, श्री	बलिया
327. सुनील दत्त द्विवेदी, मेजर	फर्रुखाबाद	347. हरविन्दर कुमार साहनी उर्फ	
328. सुनील पटेल, डॉ0	वाराणसी	रोमी साहनी, श्री	खीरी
329. सुभाष त्रिपाठी, श्री	बहराइच	348. हरिओम, श्री	कासगंज
330. सुरभी, डॉ0	फर्रुखाबाद	349. हरिप्रकाश वर्मा, श्री	शाहजहांपुर
331. सुरेन्द्र चैरसिया, श्री	देवरिया	350. हरीश चन्द्र, श्री	बदायूं
332. सुरेन्द्र मैथानी, श्री	कानपुर नगर	351. हरेन्द्र सिंह, श्री	हापुड़
333. सुरेश कुमार, श्री	अमेठी	352. हर्षवर्धन बाजपेयी, श्री	प्रयागराज
334. सुरेश कुमार खन्ना, श्री	शाहजहांपुर	353. हाकिम लाल बिन्द, श्री	प्रयागराज
335. सुरेश राही, श्री	सीतापुर	354. हिमान्शु यादव, श्री	बदायूं
336. सुरेश्वर सिंह, श्री	बहराइच	355. हृदय नारायण सिंह पटेल, श्री	आजमगढ़

नोट :- उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य), जल शक्ति तथा बाढ़ नियंत्रण मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह), पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी), नगर विकास, शहरी समग्र विकास मंत्री (श्री अरविन्द कुमार शर्मा), प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल), मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद), सहकारिता राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री जयेन्द्र प्रताप सिंह राठौर), कारागार एवं होमगार्ड्स राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री धर्मवीर प्रजापति), उद्यान, कृषि विपणन राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री दिनेश सिंह), पिछड़ा वर्ग कल्याण राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री नरेन्द्र कश्यप), आयुष, खाद्य सुरक्षा राज्य मंत्री (श्री दयाशंकर मिश्र 'दयालु') तथा संसदीय कार्य राज्य मंत्री (श्री जसवन्त सैनी) उपस्थित थे।

भारत के राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 06 जून, 2022 को आजादी के अमृत महोत्सव के अवसर पर विधान मण्डल के समवेत् सदन को सम्बोधित किये जाने हेतु आमंत्रित किये जाने विषयक प्रस्ताव

श्री अध्यक्ष-

मा0 संसदीय कार्य मंत्री एक प्रस्ताव प्रस्तुत करना चाहते हैं।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आज आपके माध्यम से सदन के समक्ष एक विशेष प्रस्ताव रखना चाहता हूँ, भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी के आमंत्रण का मान्यवर दिनांक 6 जून को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष पर विधान मण्डल के समवेत् उपवेशन को सम्बोधित करने के लिए महामहिम राष्ट्रपति जी को आमंत्रित करना चाहते हैं। इसलिए मान्यवर, आपकी अनुज्ञा से सदन में एक प्रस्ताव ला रहे हैं। यह सदन इस आशय का प्रस्ताव करता है कि भारत के राष्ट्रपति को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में उत्तर प्रदेश विधान मण्डल के समवेत् उपवेशन को सम्बोधित करने एवं मा0 सदस्यों का मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दिनांक 6 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे कृपापूर्वक आमंत्रित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि यह सदन इस आशय का प्रस्ताव करता है कि भारत के महामहिम राष्ट्रपति जी को आजादी के अमृत महोत्सव वर्ष के उपलक्ष्य में विधान मण्डल दल के समवेत् उपवेशन को सम्बोधित करने और माननीय सदस्यों को मार्गदर्शन प्रदान करने हेतु दिनांक 6 जून 2022 को पूर्वाह्न 11 बजे कृपापूर्वक आमंत्रित किया जाये।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[11:02] प्रश्नोत्तर

तारांकित प्रश्न

नत्थी 'क'

प्रदेश में पूर्व में संचालित पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत क्षतिग्रस्त पाइपों एवं मोटर की मरम्मत कराकर पेयजल योजना को संचालित किये जाने के सम्बन्ध में

***1-श्री मनोज कुमार पाण्डेय-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पूर्व से संचालित टंकी द्वारा पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत वर्तमान में कितने स्थानों पर पाइप टूटे होने तथा मोटर जल जाने के कारण पाइप पेयजल योजना संचालित नहीं हो पा रही है ? क्या सरकार उक्त स्थानों पर क्षतिग्रस्त पाईपों तथा मोटर्स की मरम्मत कराकर पेयजल योजना संचालित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

जल शक्ति मंत्री (श्री स्वतंत्र देव सिंह)-

प्रदेश में पूर्व से संचालित 824 पाइप पेयजल योजनाओं के अन्तर्गत वर्तमान में पाइप टूटे होने तथा मोटर जल जाने के कारण पाइप पेयजल योजनाएं संचालित नहीं हो पा रही हैं। उक्त में से 386 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा तथा 438 पाइप पेयजल योजनाओं का संचालन एवं अनुरक्षण सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किया जा रहा है। जी हां। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त ग्रामीण क्षेत्रों के प्रत्येक घर को नल से जल दिये जाने की व्यवस्था के क्रम में उपरोक्त पाइप पेयजल योजनाओं को यथास्थिति-रेट्रोफिटिंग/पुनर्गठन करते हुए उनको संचालित कराये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, आपकी आज्ञा से हम सरकार से जानना चाहते हैं कि आज एक महत्वपूर्ण विषय है सीधे गांव की जनता से जुड़ा हुआ प्रकरण है, उत्तर प्रदेश में तमाम जगह जो पाइप पेयजल योजना के अन्तर्गत डाली गयी हैं, मैं समझता हूँ कि उसमें लगभग 40 फीसदी पाइप लाइन टूटी हुई हैं और पाइप के द्वारा पेयजल लोगों के घर तक जो एक कल्पना की गयी है कि टोटी से पानी घर तक पहुंच जाये, वह नहीं हो पा रहा है। मैंने प्रश्न किया था कि क्या सरकार जांच कराकर के यह अवगत कराएगी कि उत्तर प्रदेश में वर्तमान में कितनी पाइप लाइनें टूटी हुई है और कितनी मोटरें खराब हैं जिनके कारण पाइप पेयजल योजना संचालित नहीं हो पा रही है। इसमें हमारा दूसरा प्रश्न था कि क्या सरकार इनकी जांच करा करके गर्मी को देखते हुए पीने का पानी क्योंकि जीवन के लिए बहुत आवश्यक है तो उनको एक माध्यम से समयबद्ध समय पर बनवा देगी, इसमें मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके आदेश से मा0 मंत्री जी के संज्ञान में भी डाल देना चाहता हूँ। उदाहरणतः मैं जिस विधान सभा क्षेत्र से आता हूँ मैंने जिलाधिकारी महोदय को भी पत्र दिया है। यह पत्र शासन में भी दिया है, हमारे यहां 23 पानी की टंकी खराब हैं उनमें पाइप लाइन फट गयी है। स्थिति यह है कि टंकी बन जाती है तो उसको आप सीधे ग्राम पंचायतों को हैण्डओवर कर देते हो। जिस कम्पनी ने काम किया, इतनी खराब गुणवत्ता का किया है कि टेस्टिंग में ही पाइपें फट गयीं। क्या जो पाइप लाइनें फटी हैं, उनको चिन्हित करके और उनकी जांच कराकर पाइप लाइनें डलवायी जायेंगी ? दूसरा, हमने उदाहरण दिया कि अकेले मेरी विधान सभा क्षेत्र में एक बड़ा संकट इस समय आ गया है कि 23 पानी की टंकियां जो 23 ग्राम पंचायतों में लगी हुई हैं, उनमें पाइप लाइन टूटी हुई है और पेयजल की आपूर्ति नहीं हो पा रही है। उनमें से 11 में उनकी मोटरें जली हुई हैं, तो क्या सरकार विचार करेगी कि जब ग्राम पंचायतें इसका अनुरक्षण नहीं कर पा रही हैं, केवल दो फण्ड उनके पास होता है राज्य वित्त और चौदहवां वित्त। आप कहीं भी पता कर लीजिए कोई

ग्राम पंचायत पाइप लाइन की मरम्मत नहीं करा रही है तो क्या राज्य सरकार इसको स्वयं कराने पर विचार करेगी ?

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री रामकेश निषाद)-

माननीय सदस्य का प्रश्न था कि पूर्व संचालित पेयजल योजना में जो पाइप टूटे हैं उनकी क्या व्यवस्था आगे करेंगे ? 6434 हमारी पेयजल की योजनायें संचालित हैं जिसमें 824 का उत्तर हमने दिया है। 210 रेट्रोफिटिंग में हैं जिनको हम करने जा रहे हैं। 614 जिसमें पंचायती राज का और जल निगम (ग्रामीण) का भी है। 614 में 140 में हमारे मोटर जल जाने और 474 की पाइप लाइन टूटने की हैं, जिसमें हम पंचायती राज का और जल निगम (ग्रामीण) में सर्वे करा रहे हैं। तीन महीने के अन्दर, 31 अगस्त, 2022 तक कार्य पूर्ण करा लिया जायेगा और पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त कर ली जायेगी।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, हमने आपके माध्यम से यह भी निवेदन किया था और एक उदाहरण दिया अपनी विधान सभा क्षेत्र का कि जिस संस्था ने काम किया, टेस्टिंग के समय ही पाइप लाइनें टूट गयी हैं, क्या उसकी जांच कराकर सरकार उस संस्था के खिलाफ कार्रवाई करेगी ? दूसरा, यह पूछा था कि क्या राज्य सरकार विचार करेगी कि ग्राम पंचायतें अपने संसाधनों से उसकी रिपेयरिंग यदि नहीं करा पा रही हैं तो जल शक्ति विभाग स्वयं उन पाइप लाइनों को ठीक कराने का काम करेगी ?

श्री रामकेश निषाद-

माननीय सदस्य इसमें जो भी अवशेष 614 है, चाहे वह हमारे पंचायती राज विभाग की हो या जल निगम (ग्रामीण) की हों, निश्चित रूप से इनका सर्वे कराकर इनको ठीक कराने का काम समयावधि में पूर्ण किया जायेगा।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

जांच कराकर कार्रवाई करने के बारे में उत्तर आ जाये।

श्री रामकेश निषाद-

निश्चित रूप से अगर सर्वे व जांच में दोषी पाये जायेंगे तो कार्रवाई की जायेगी।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, जो विषय माननीय पाण्डेय जी ने उठाया है यह सार्वभौमिक है और मैं समझता हूँ कि सम्पूर्ण प्रदेश में यह समस्या है। लेकिन माननीय मंत्री जी को या तो जानकारी नहीं है, न इनकी इच्छाशक्ति है और न नीयत है। मान्यवर, मेरी विधान सभा क्षेत्र हरदोईया में, कुमारगंज में, मलनाई व तमाम ऐसे क्षेत्र हैं जहां काफी धनराशि खर्च हुई लेकिन किसी के घर में पानी नहीं पहुंच रहा है। मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि क्या इतनी महत्वपूर्ण योजना है और सरकार का इरादा आगे भी सबको पानी देने का है, तो मान्यवर, जिस भी

कम्पनी ने इस काम को करके बड़ा भ्रष्टाचार किया है, बेईमानी की है, क्या इसकी जांच कराकर उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे और भविष्य में ऐसी कम्पनियों से काम कराने के लिए सरकार दूर रहेगी ? इस सम्बन्ध में मैं जानना चाहता हूँ कि न्याय पंचायतों के पास कोई धन है नहीं, तो मा0 पाण्डेय जी ने जो सवाल किया है कि पंचायतों के पास कोई धनराशि नहीं है तो इस सम्बन्ध में जनता की बड़ी महत्वपूर्ण समस्या को ध्यान में रखते हुए क्या सरकार अलग से कोई व्यवस्था करेगी और इस सम्बन्ध में कितना धन आवंटित करने पर सरकार विचार कर रही है ?

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय पाण्डेय जी ने जिस बात की चिन्ता व्यक्त की। यह सही है कि हमारी सबसे पहली आवश्यकता पानी की होती है। उसी बात को ध्यान में रखते हुए प्रधानमंत्री जी ने हर घर जल की योजना लांच की है और पहले चरण में विन्ध्य क्षेत्र और बुन्देलखण्ड क्षेत्र के 09 जिले संतृप्त किये जा रहे हैं। इसमें बजट की भी व्यवस्था की गयी है।

माननीय अध्यक्ष जी, जहां तक इसका सवाल है, जो उन्होंने पर्टिकुलर अपने क्षेत्र की बात बतायी है, निश्चित रूप से गुणवत्ता युक्त पाइप लाइन पड़नी चाहिए। जिन लोगों के बारे में यह सूचना दी गयी है, उनके खिलाफ निश्चित रूप से कार्यवाही करेंगे, जिसने इस प्रकार का कार्य किया है उस कम्पनी को ब्लैक लिस्ट भी करवायेंगे। यह मैं आपके माध्यम से पूरे सदन को आश्वस्त करता हूँ कि हर हालत में उस पर कार्यवाही की जायेगी।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री मनोज कुमार पारस, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री इन्द्रजीत सरोज द्वारा एक साथ खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य इन्द्रजीत सरोज जी, पूरा उत्तर आ गया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मा0 पाण्डेय जी ने जो प्रश्न उठया है, यह एक जगह का मामला नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

वह तो पूरे उत्तर प्रदेश के लिए मा0 मंत्री जी ने बोल दिया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, यह पूरे उत्तर प्रदेश का मामला है। हमारी विधान सभा क्षेत्र में भी यही स्थिति है।

श्री अध्यक्ष-

अलग-अलग विधान सभाओं का उत्तर तो यहां पर उपस्थित नहीं होगा। पूरे प्रदेश के लिए मा0 मंत्री जी ने बोल दिया है।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं सार्वजनिक रूप से पूछ रहा हूँ। पाइप पेयजल योजना देने की सरकार की जो योजना है और जिन कम्पनियों ने पानी देने की योजना बनायी, वह टेस्टिंग में ही फेल हो गयी।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी ने बता दिया है कि उनके खिलाफ कार्यवाही करेंगे।

श्री इन्द्रजीत सरोज-

माननीय अध्यक्ष जी, क्षेत्र के लोगों ने यह बताया है कि जिन कम्पनियों ने पानी देने की योजना बनायी, वह कम्पनियां गांवों में पानी नहीं भेज पा रही हैं, लेकिन बराबर उनका पानी का बिल जा रहा है। मैं आपके माध्यम से सरकार से यह पूछना चाहता हूँ कि जिन गांवों में पानी की सप्लाई नहीं हो पा रही है क्या उनके बिल माफ करने का काम सरकार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लीजिए। जिन गांवों में पानी की सप्लाई प्रारम्भ ही नहीं हुई है वहां पर बिल का कोई औचित्य नहीं है। अगर इस प्रकार की कोई जानकारी मिले तो वह नहीं होना चाहिए।

प्रदेश में कोरोना संक्रमण से मृत व्यक्तियों के आश्रितों को मुआवजा देने विषयक

***2-श्री रविदास मेहरोत्रा-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कोरोना संक्रमण से उत्पन्न कोरोनाकाल में जिन लोगों की मृत्यु हुई है उनके आश्रितों को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 उच्चतम न्यायालय में योजित रिट याचिका संख्या-539/2021 में पारित आदेश दिनांक 30-06-2021 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-जी0आई0-105/एक-11-2021-5(जी)/2021, दिनांक 23-10-2021 द्वारा कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को रु0 50,000/ प्रति मृतक अनुग्रह सहायता दिये जाने का प्रावधान किया गया है।

उक्त शासनादेश में की गयी व्यवस्था के क्रम में कोविड-19 के संक्रमण से मृत व्यक्तियों के निकटतम परिजनों को रु0 50,000/ प्रति मृतक अनुग्रह सहायता वितरित की जा रही है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, कोरोना संक्रमण काल में सरकार की लापरवाही, अक्षमता से लाखों लोगों की मौत हो गयी। बहुत से परिवार ऐसे थे, जिनके परिवार में कमाने वाले व्यक्ति की ही मौत हो

गयी। उन सब लोगों ने और हम लोगों ने पूरे प्रदेश में यह मांग की कि जिन लोगों की कोरोना संक्रमण काल में मृत्यु हुई है, सरकार उन लोगों को मुआवजा दे।

श्री अध्यक्ष-

आपका उत्तर परसों आ चुका है। हमारे प्रश्न अनुभाग वाले लोग यह देख लें कि एक प्रश्न रोज-रोज नहीं लग सकता है।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, जब मुआवजा नहीं दिया गया तो लोग उच्चतम न्यायालय में गये और उच्चतम न्यायालय ने 30 जून, 2021 को आदेश किया। 11 महीने बीत गये हैं, लेकिन उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी सबको मुआवजा नहीं मिला है। आज जो प्रश्न किया है, उसके उत्तर में माननीय मंत्री जी कह रहे हैं कि अनुदान व्यवस्था सहायता स्वीकृत की जा रही है। मुझे पूछना है कि कितने लोगों की कोरोना से मौतें हुई हैं और कितनी मौतों में आपने मुआवजा बांटा है ? कितनी मौतों पर मुआवजा देने का काम नहीं किया है और कब तक सब लोगों को मुआवजा मिल जायेगा ?

श्री अध्यक्ष-

आपके इस प्रश्न का उत्तर मा0 मंत्री जी इसी सदन में और इसी सत्र में पहले ही दे चुके हैं। एक प्रश्न का उत्तर उसी सत्र में दिये जाने के बाद अगली बार प्रश्न का कोई औचित्य नहीं बनता है। आप कोई नयी चीज पूछ लीजिए, जो आपने पहले न पूछी हो।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

मान्यवर, उत्तर में लिखा हुआ है कि 30 जून, 2021 को उच्चतम न्यायालय ने आदेश किया। मेरा प्रश्न यह है कि 11 महीने बीत गये हैं और उच्चतम न्यायालय के आदेश के बाद भी कोरोना से मृतक परिवारों को अब तक मुआवजा नहीं मिला है।

पर्यटन एवं संस्कृति मंत्री (श्री जयवीर सिंह)-

माननीय अध्यक्ष जी, हम लोगों ने 20 मार्च, 2022 से पूर्व में जितनी भी कोरोना संक्रमण से मृत्यु हुई है, मा0 उच्चतम न्यायालय के आदेश के परिप्रेक्ष्य में 50,000 रुपये उनके आश्रितों को देने का काम किया है।

माननीय अध्यक्ष जी, संख्या के मामले में उत्तर प्रदेश में कोरोना को नियंत्रित करने के लिए आप कह रहे थे कि उत्तर प्रदेश में अव्यवस्था फैली है और उत्तर प्रदेश ने कुछ नहीं किया।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरी बात सुन लें।

श्री जयवीर सिंह-

लेकिन उत्तर प्रदेश की पूरे विश्व में तारीफ हुई और एक रोल मॉडल बन कर हमारा उत्तर प्रदेश उभरा है कि यहां पर सबसे व्यवस्थित तरीके से कोरोना को डील किया गया है।

श्री अध्यक्ष-

श्री रविदास मेहरोत्रा जी पहले इसका उत्तर तो आ जाये। आप तो उत्तर के पहले ही प्रश्न कर रहे हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, उत्तर प्रदेश की बहुत तारीफ हुई कि यहां पर बहुत अच्छा काम हुआ है। अगर अच्छा काम हुआ है तो फिर प्रदेश सरकार के तीन मंत्री कैसे मर गये और विधान सभा के 13 एम0एल0ए0 कैसे मर गये ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, इसमें पूरा विश्व पीड़ित हुआ और वह देश जो अपने आप को बहुत विकसित कहते थे वह देश घुटनों के बल आ गये थे। हिन्दुस्तान आदरणीय योगी जी और मोदी जी के नेतृत्व में इस परिस्थिति में खड़ा रहा।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा बात तो सुन लीजिये।

श्री अध्यक्ष-

श्री रविदास मेहरोत्रा जी, आपका बात सुन लिया गया है। अब अगला प्रश्न होने दीजिए। आप सभी सुप्रीम कोर्ट के आर्डर का पालन करिएगा। आप सभी सदस्यगण अपने स्थान पर बैठ जाइए यह आपका प्रश्न नहीं है। माननीय जयप्रकाश अंचल जी का भी प्रश्न है तो आप दोनों का उत्तर एक साथ दे दीजिए।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी, मैंने प्रश्न किया था कि क्या माननीय मुख्य मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश में कोरोना संक्रमण से उत्पन्न कोरोनाकाल में जिन लोगों की मृत्यु हुई उनके आश्रितों को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह तो उत्तर आ गया है।

श्री जय प्रकाश अंचल-

माननीय अध्यक्ष जी, सरकार के तरफ से आया है कि हमने 50 हजार मुआवजा दे दिया है। लेकिन मेरा अनुपूरक प्रश्न है कि माननीय मंत्री जी के संज्ञान में है कि पूरे उत्तर प्रदेश में कोरोना के काल में कितनी मौतें हुईं, कितने लोगों का पोस्टमार्टम हुआ और क्या सारे लोगों के लिए मुआवजा का इन्तजाम कर दिया गया।

श्री अध्यक्ष-

कोरोना में लोगों का पोस्टमार्टम नहीं हुआ है। कोरोना में जिनकी भी डेथ हुई है, उनका पोस्टमार्टम नहीं हुआ है।

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, 20 मार्च, 2022 से पूर्व तक उत्तर प्रदेश में जितनी कोरोना से मौतें हुईं, उन सबका ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के आवेदन-पत्र माननीय उच्चतम न्यायालय के आदेश के अनुक्रम में मंगाये गये। उसमें हम लोगों को 25-05-2022 तक उन्तालीस हजार दो सौ सड़सठ कुल आवेदन-पत्र प्राप्त हुए। हर एक का 50 हजार रुपये प्रति लाभार्थी के हिसाब से एक सौ छियानबे प्वाइंट तीन-तीन करोड़ रुपये उत्तर प्रदेश की सरकार ने उनके परिजनों को पहुंचाने का काम किया। जहां तक माननीय रविदास मेहरोत्रा जी की मान्यवर आप भी सुन लें, मै जिले का भी ले ले रहा हूँ। लखनऊ जनपद में भी 25-05-2022 तक छियालीस सौ बारह ऐसे लोगों को जो मृतक आश्रित थे, उनके निकटतम सम्बन्धियों को 50 हजार रुपये प्रति व्यक्ति की दर से 23 करोड़ छह लाख रुपये अकेले लखनऊ जनपद में बांटने का काम किया गया है। जहां तक कि 20 मार्च के बाद में भी अगर इस प्रकार के कोई भी केस आयेंगे तो डी0एम0 की अध्यक्षता में कमेटी गठित है और वहां पर ऑफलाइन-ऑनलाइन आवेदन करेंगे तो परीक्षण करने के बाद लगातार उनको 50 हजार रुपये अनुदान की राशि मिलती रहेगी और यही नहीं, जो लोग मृतक हुए हैं और जिन बच्चों ने अपने माँ-बाप खोए हैं, उन बच्चों को भी हम 50 हजार रुपये अनुग्रह कर रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

अब अगला प्रश्न संख्या-03 मा0 उमाशंकर सिंह जी का है।

प्रदेश में बने अपूर्ण बन्धों के गैप को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

***3-श्री उमाशंकर सिंह-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे बन्धे/रिंग बन्धे हैं जिनकी पूरी लम्बाई पूर्ण न होकर उनमें कुछ स्थानों पर गैप छूटा हुआ है ? क्या सरकार को जानकारी है कि इन बन्धों में गैप होने के कारण बाढ़ में नदी का पानी उक्त क्षेत्र में स्थित गांवों में फैलकर हजारों एकड़ फसलों के साथ ही प्रभावित गांवों के अस्तित्व के लिए भी खतरा है ? यदि हां, तो क्या सरकार ऐसे बन्धों के गैप को पूर्ण कराने की किसी योजना पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में कुल 20 तट बन्ध ऐसे हैं, जिनमें गैप छूटे हुए हैं।

बाढ़ अवधि में नदी का जल स्तर अधिक होने पर बन्धों के गैप से गांवों की कृषि भूमि पर नदी का पानी फैलता है। वर्तमान में गैपों के निकट स्थित गांवों के अस्तित्व पर कोई खतरा नहीं है।

अधिकतर गैपों में कृषकों द्वारा भूमि न दिये जाने के कारण निर्माण कार्य पूर्ण नहीं हो सका है। किसानों की भूमि लेने के लिए निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं। जहां भूमि उपलब्ध हो

रही है, वहां निर्धारित प्रक्रियानुसार परियोजना बनाकर गैपों को पूर्ण करने की कार्यवाही की जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने मुझे अनुपूरक प्रश्न पूछने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूँ। मैं एक महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आया हूँ कि क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में कितने ऐसे बन्धे/रिंग बन्धे हैं जिनकी पूरी लम्बाई पूर्ण न हो करके उनमें कुछ स्थानों पर गैप छूटा है। मा0 मंत्री जी ने उसको एडमिट किया है कि हां 20 ऐसे तट बन्ध हैं जिसमें गैप छूटा है। मा0 अध्यक्ष जी, हम प्रत्येक साल एक बहुत भारी-भरकम बजट जल शक्ति विभाग को देते हैं और आये दिन हमारे जितने भी मा0 सदस्य चाहे इधर के हों, चाहे उधर के हों, जिन भी सदस्यों के क्षेत्रों में जो नदियां गयी हैं जिसकी सुरक्षा के लिये रिंग बन्धे बनाये गये हैं उसमें आज भी सरकार कह रही है कि 20 ऐसे बन्धे हैं, जिनमें गैप छूटा हुआ है तो मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि इन बन्धों का निर्माण कब-कब हुआ है जिससे यह पता चल जाये कि गैप कब से छूटा चला आ रहा है ? दूसरा, आपने हमारे प्रश्न के दूसरे पैरा का जवाब दिया है कि गैपों के निकट स्थित गांवों का अस्तित्व खतरे में नहीं है, लेकिन आपने यह एडमिट किया है कि हां इसका पानी इस गैप के छूटे होने की वजह से पूरे खेत में फैलता है। अपने प्रश्न में मैंने कहा है कि गैप के कारण बाढ़ का पानी हजारों एकड़ फसल बरबाद करता है और मुझे लगता है कि फसल के बरबाद होने से डबल नुकसान होता है, एक तो आपका बजट और फिर राजस्व विभाग इन सभी लोगों के लिए मुआवजे का प्रावधान करता है। इस गैप के छूटे होने की वजह से आप गवर्नमेन्ट का कितना ज्यादा लॉस करा रहे हैं। सरकार ने अपने उत्तर के तीसरे पैरा में लिखा है कि हम किसानों से भूमि लेने का प्रयास कर रहे हैं तो मैं आपके माध्यम से अपना तीसरा सवाल करूंगा कि मा0 मंत्री जी कृपया यह बता दें कि आपका अन्तिम प्रयास कब रहा है जिससे कि आपको वहां पर भूमि उपलब्ध नहीं हो पायी है।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, कृपया उत्तर दे दें।

जल शक्ति राज्य मंत्री (श्री दिनेश)-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य का जो प्रश्न है, मैं आपकी आज्ञा से उसके उत्तर में बताना चाहूंगा कि जी हां, प्रदेश में कुल 20 तट बन्ध ऐसे हैं जिनमें गैप छूटे हुए हैं।

श्री अध्यक्ष-

मा0 मंत्री जी, आप उत्तर मत पढ़िये। मा0 सदस्य ने जो अनुपूरक किया है, केवल उसका उत्तर दीजिये।

श्री दिनेश-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं उत्तर में ही बता रहा हूँ कि अभी मा0 सदस्य ने कहा कि आप अवधि बता दें कि कौन सा तट बन्ध कब बना है तो प्रत्येक तट बन्ध की अवधि हम आपको लिखित में दे देंगे, लेकिन जो गैप छूटे हुए हैं वहां पर जो किसान हैं उनकी भूमि लेने के लिए विभाग निरन्तर प्रयासरत है और बहुत जल्दी ही प्रयास करके जो 20 गैप्स छूटे हुए हैं वह गैप्स पूरे किये जायेंगे। हमारे प्रदेश में 523 अदद तट बन्ध हैं जिसमें से 20 तट बन्धों में गैप छूटे हुये हैं। उसकी लम्बाई भी है, अगर आप कहें तो हम वह आपको उपलब्ध करा देंगे और आपके पूरे बलिया जिले का भी हम आपको उपलब्ध करा देंगे। आप जो समय-सीमा पूछ रहे हैं तो उस सम्बन्ध में मैं बता दूं कि किसानों की भूमि लेने हेतु विभाग द्वारा निरन्तर प्रयास किये जा रहे हैं और बहुत जल्दी ही भूमि उपलब्ध हो जायेगी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, जैसाकि अभी मा0 मंत्री जी ने बताया कि हम किसानों की भूमि लेने हेतु निरन्तर प्रयास कर रहे हैं उसमें इसके पहले आपने लेटेस्ट कब किसान से भूमि लेने का प्रयास किया ?

श्री अध्यक्ष-

मा0 उमाशंकर सिंह जी, किसान से भूमि लेने हेतु विभाग लगातार प्रयास करता रहता है, उसका कोई समय थोड़े ही होता है।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, सबसे बड़ी बात है कि किसान जमीन नहीं दे रहे हैं तो क्या मा0 मंत्री जी ने इसके लिए इस बजट में किसी मुआवजे का प्रावधान किया है तभी तो किसान अपनी जमीन देगा। मा0 मंत्री जी के बजट में इसका प्रावधान नहीं था।

श्री अध्यक्ष-

बिना मुआवजे के किसी किसान से जमीन नहीं ली जाती है। बजट में व्यवस्था हो जाती है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 सदस्य बहुत पुराने हैं और वह इस बात को भी बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कभी-कभी ऐसी स्थिति आती है जब बहुत जरूरी और जनहित के कार्यों के लिये भी जमीन लेने में समय लग जाता है। यह एक दिन की बात नहीं है, चाहे कोई रिंग रोड बनती हो, चाहे कोई बाईपास बनता हो, चाहे इस प्रकार के किसी तट बन्ध की स्थिति हो और निश्चित रूप से कभी-कभी यह स्थिति पैदा होती है, यह स्वाभाविक बात है, यह कोई नयी बात नहीं है, लेकिन आपके माध्यम से हम एक बात के लिए आश्वस्त करना चाहते हैं कि सरकार के प्रयास में कमी नहीं रहेगी। अभी तक जो भी स्थिति बनी है, उसका समाधान केवल

यही है कि हम किसान से जमीन लेकर तट बन्ध बनवायें, इसके अलावा दूसरा कोई समाधान नहीं है और इसके लिए हम पूरी ताकत से प्रयास करेंगे कि जल्दी से जल्दी जमीन उपलब्ध करा करके छूटे हुए गैप्स को पूर्ण किया जाये। हम किसानों को भूमि का मुआवजा तो देंगे ही।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मा0 अध्यक्ष जी, हमारा जिला नेपाल के बार्डर पर है और आपको पता है कि नेपाल से जब पानी आता है तो मेरा पूरा जिला डूबने की स्थिति में आ जाता है। मेरे विधान सभा क्षेत्र में शाहपुर एवं भोजपुर में एक बड़ा बांध है उस पर बन्धा बनाने का प्रयास हुआ था, बड़े पैमाने पर जगह-जगह बन्धा बनवाया भी गया, लेकिन बहुत बड़ा गैप छूटने की वजह से उस बन्धे की उपयोगिता नहीं रह गयी है। इस सम्बन्ध में हमने जब इंजीनियर से बात की और उनको बताया कि पिछली बार सैंकड़ों गांव पानी में डूब गये थे, जिसकी वजह से वहां पर धान की फसल नहीं हुई, बड़े-बड़े परिवार के लोग बाजार से चावल खरीद कर ला रहे हैं तो क्या आप इसको पूरा कराने के लिए विचार करेंगे ? इंजीनियर ने जवाब दिया कि साहब यह 24 करोड़ का प्रोजेक्ट था जिसमें हमें केवल 50 लाख रुपया मिला है तो हम इसको कैसे पूरा करेंगे, इसको पूरा करने में बहुत समय लग जायेगा। इस सम्बन्ध में मैं मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जो सैंकड़ों गांव नेपाल के पानी से डूब जाते हैं तो क्या उसको रोकने के लिए कुछ बजट बढ़ाकर इस कार्य को इस साल पूर कराने का कष्ट करेंगे ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 पूर्व अध्यक्ष जी ने जिस ओर मेरा ध्यान आकृष्ट किया है, हम उसको जरूर दिखवायेंगे और कोशिश करेंगे कि उन्होंने जिस भावना से यह प्रश्न यहां पर उठाया है, उसका शीघ्र हल किया जाय जिससे आगे उनको दिक्कत न हो।

प्रदेश में आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामीणों को कच्चे मकान से शत-प्रतिशत निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में जानकारी

***4-श्री मनोज कुमार पारस-**

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामवासियों को कच्चे मकान से शत-प्रतिशत निजात दिलाने के लिए सरकार ने कोई नीति बनाई है ? यदि हां, तो क्या सरकार ने उक्त हेतु कोई लक्ष्य निर्धारित किया है ? यदि हां, तो क्या ? क्या सरकार बतायेगी कि विगत 5 वर्षों में कितने पक्के मकानों का निर्माण सरकार द्वारा कराया गया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)

आर्थिक रूप से कमजोर ग्रामवासियों को कच्चे मकान से शत-प्रतिशत निजात दिलाने एवं आवासविहीन परिवारों को पक्का, छतयुक्त मकान उपलब्ध कराने के लिए सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण एवं मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण संचालित है।

जी हां।

वर्ष 2024 तक सभी आवासहीन को पक्का आवास उपलब्ध कराया जाना है।

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 26,15,951 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 25,54,991 एवं मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण के अन्तर्गत 1,08,650 आवास निर्माण के लक्ष्य के सापेक्ष 1,03,645 आवासों का निर्माण पूर्ण कराया जा चुका है। शेष आवास निर्माणाधीन है।

जनपदवार विवरण संलग्न† है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बहुत गम्भीर विषय पर मुझे अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मान्यवर, यह प्रश्न उत्तर प्रदेश के गरीब आवाम से जुड़ा है जो देश के आजाद होने के बाद भी कच्चे मकान में रहते हैं, बरसात में उनकी छतें टपकती हैं, जाड़े के मौसम में उनको चारों तरफ से हवा झेलनी पड़ती है। मेरा प्रश्न है कि इन सबको आप कब तक पक्का मकान बनाकर देंगे ? एक तो इतनी महंगाई में सरकार मात्र 1 लाख 20 हजार रुपये दे रही है। हमारे पश्चिम में कहते हैं कि 1 लाख 20 हजार में तो भैंस की साल नहीं बनती तो मकान क्या बनेगा ? इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि आपने जनपदवार जो सूची दी है और कहा है कि इतने मकान अवशेष हैं तो क्या इतने मकान बनने के बाद समूचा उत्तर प्रदेश संतृप्त हो जायेगा, क्या इसके बाद किसी भी गरीब का कच्चा मकान नहीं रहेगा ? आपसे दूसरा प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार पात्रता सूची की जांच कराकर नये पात्र लोगों को इसमें सम्मिलित करेगी ? जैसे हमारे जनपद बिजनौर में मात्र 92 मकान अवशेष दिखाये गये हैं, जबकि मेरी अपनी विधान सभा क्षेत्र के अन्दर किसी गांव में एक पक्का मकान बना है तो किसी गांव में बना ही नहीं है, इसकी मा0 मंत्री जी आप जांच करा सकते हैं। अभी भी पात्र लोगों की इतनी लम्बी सूची होगी कि कई हजार मकान हमारी विधान सभा क्षेत्र में बन जायेंगे। इसलिए मान्यवर, मैं मा0 मंत्री जी से दो प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि जो सूची आपने उपलब्ध करायी है, इस सूची के अनुसार अगर सारे मकान बन जायेंगे तो क्या समूचा उत्तर प्रदेश संतृप्त हो जायेगा ? मात्र 1 लाख 20 हजार रुपये में मकान तो बन नहीं पायेगा, हमारी सरकार ने मा0 अखिलेश यादव जी ने इस दर्द को समझा था और उन्होंने 3 लाख 20 हजार रुपए में लोहिया आवास बनाकर दिया था जिसमें सोलर लाईट भी साथ में लगायी जाती थी। क्या सरकार इस धनराशि को बढ़ाने का भी काम करेगी ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, हम भी अनुपूरक पूछ लेते।

---

† देखिये नत्थी 'क' आगे पृष्ठ संख्या-342-347 पर।

श्री अध्यक्ष-

आप भी साथ में पूछेंगे ?

श्री राकेश प्रताप सिंह-

जैसा आप कहें।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, मा0 मंत्री जी सबका एक साथ उत्तर दे देंगे।

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मा0 अध्यक्ष जी, आपने बहुत महत्वपूर्ण विषय पर अनुपूरक पूछने का मौका दिया, इसके लिए आपका आभार व्यक्त करता हूँ। मान्यवर, भारत सरकार ने घोषणा की थी कि वर्ष 2022 तक सभी जरूरतमन्दों को हम छत दे देंगे। पिछले साल भर से इस सदन में लगातार ये बात उठ रही है और आज मनोज जी ने बहुत अच्छा प्रश्न उठाया कि जो कच्चे मकान वाले लोग हैं, वह किसी कारण से पात्रता सूची में नहीं आये हैं। मैं आपको दो-तीन उदाहरण दूंगा, कि जैसे किसी के पास 5 एकड़ जमीन है उसको आवास नहीं मिलगा, उसके पास प्वाइंट-5 एकड़ जमीन थी और गलती से प्वाइंट लगाना भूल गये और उनके आवास सैंकड़ों की संख्या में गांव से कट गये। लैण्ड लाईन गांव में नहीं है लेकिन लगभग हर ब्लॉक में 10, 05, 07 या 15 गांवों में इस तरह से हुआ कि पात्र लोगों के सामने सैंकड़ों की संख्या में लैण्ड लाईन डाल दी गयी है और उनके आवास कट गये। इस तरह की जो त्रुटि हुई है जिससे गरीब को मकान नहीं मिल पा रहा है। प्लान प्लस में उनका नाम नहीं अंकित हो पाया है। इस प्रश्न के जवाब में पहले भी सरकार ने यह आश्वासन दिया था कि भारत सरकार से अनुरोध करते हुए साइट खुलवाकर जिनका नाम प्लान प्लस में छूट गया है, उसका नाम डलवा देंगे। मैं माननीय मंत्री जी से आपके माध्यम से जाना चाहता हूँ कि भारत सरकार से अनुरोध करते हुए कब तक साइट को खुलवायेंगे ? सरकारी कर्मचारियों की गलती से जिन पात्र व्यक्तियों के नाम अपात्र दर्ज हो गये हैं, उन पात्र व्यक्तियों का नाम प्लान प्लस में कब तक चढ़वा देंगे एवं उन सरकारी कर्मचारियों के खिलाफ कार्यवाही कब तक की जायेगी ?

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह सवाल प्रदेश के गरीब लोगों से सम्बन्धित है। यूं तो गरीबी सभी वर्गों में है लेकिन अगर देखा जाये तो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा गरीबी अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े लोगों में ज्यादा है। सरकार का इरादा अच्छा दिखाई पड़ता है। लेकिन इन्होंने मौके पर शत-प्रतिशत कहा है जो कि पूरी तरह से हकीकत से परे है। मान्यवर, आपको भी अनुभव होगा, समाज में वन मानुस बिरादरी के लोग हैं जिन्हें हम लोग वन मानुस, वन राजा कहते हैं। पहले पत्तल चलता था जो कि अब खत्म कर दिया गया। पत्तल के स्थान पर प्लास्टिक का सामान आ रहा है। मेरी विधान सभा क्षेत्र में हमने स्वयं जाकर देखा था, वे हमारे बीच बैठे हैं, उनकी शादी में हम गये थे और खाना भी खाया था। बहुत कम लोग हैं जिनको

मकान दिया गया है, वे आज भी झुग्गी-झोपड़ी में रह रहे हैं। यही हाल अनुसूचित जाति के लोगों में है। मौजूदा हालात में सरकार एक लाख 20 हजार रुपये दे रही है। चूंकि महंगाई इतनी बढ़ गयी है। ईंटे के, लोहे के दाम बहुत बढ़ गये हैं। जब हमारी सरकार थी, तब माननीय अखिलेश जी ने 3 लाख 5 हजार रुपये दिये तो क्या सरकार पैसे बढ़ायेगी और अनुसूचित जाति के लोगों को, जिनकी आबादी 22 फीसदी है, उनको प्राथमिकता के आधार पर उनके मकान बनाने पर विचार करेगी ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, यह योजना सन् 2015 में आई थी और सन् 2016-17 में आपकी सरकार थी, पर आवास नहीं बने थे। शहरी क्षेत्र में 11486 लोग चयनित तो हुए लेकिन पौने दो साल 25 जून, 2015 के बाद सन् 2017 तक सरकार रही पर शहर में एक भी आवास नहीं बना। ग्रामीण क्षेत्र में हमने पूरा ब्योरा दिया है। ये आज सबसे ज्यादा चिन्ता कर रहे हैं। उस समय वह सर्वे हमारी सरकार का नहीं था। वह सामाजिक/आर्थिक सर्वे सन् 2011 का था जब केन्द्र में कांग्रेस की सरकार थी। हमने पूरी सूची दी है जिसमें बाकायदा किस जनपद में कितने आवास बने और उसमें कितने आवास बचे हैं। जो बचे हुए आवास हैं, उसके लिए भी हमने चिन्ता की है। आप तो आज चिन्ता कर रहे हैं। जब हमारी नई सरकार बनी तभी हमने केन्द्र सरकार से इसके लिए अनुरोध किया है कि बचे हुए लोगों को भी आवास देना चाहते हैं। हमारा घोषणा-पत्र जो हम कई बार यहां पर दिखा चुके हैं, जाहिर है कि आपने देखा होगा। माननीय अवधेश प्रसाद जी ने जिस कैटेगरी एस0सी0/एस0टी0 की बात कही है, उसके सम्बन्ध में हम बताना चाहते हैं कि हमने अपने संकल्प-पत्र में वादा किया है।

सरकार ने वर्ष 2024 तक सभी आवासहीन शहरी व ग्रामीण लोगों को आवास देने का लक्ष्य रखा है। जितने भी ग्रामीण क्षेत्र में आवास बने हैं, उन लोगों को शौचालय आवासीय पैसे से अतिरिक्त दिया गया है और मुख्य मंत्री आवास योजना के तहत भी मकान दिये जा रहे हैं। पूर्वांचल की वनटांगिया व मुसहर जाति के लोगों को भी कहां-कहां कितने आवास दिये, वह प्रश्न के उत्तर में समाहित है। हमारे पास रिक्त आवास की भी सूची है और हमने केन्द्र सरकार को भी इस बारे में लिखा है और मुख्य मंत्री जी पहले से इस बारे में संवेदनशील हैं कि हर व्यक्ति को आवास मिले और 2024 तक हमारा सभी को आवास देने का लक्ष्य है।

श्री मनोज कुमार पारस-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सरकार की मंशा पर शक नहीं कर रहा हूँ। जैसाकि वित्त मंत्री जी ने जवाब दिया सरकार की मंशा ठीक हो सकती है लेकिन अभी मा0 वित्त मंत्री जी ने बात कही कि ग्रामीण क्षेत्र से जुड़ा मसला था। शहरी क्षेत्र में आपने मकान बनवाये, इसके लिए धन्यवाद लेकिन वहां पर भी आवास बनने से छूटे होंगे। आपने बताया कि वर्ष 2011 में सर्वे हुआ था और उस सूची के अनुसार वर्ष 2011 से आज वर्ष 2022 चल रहा है तो इसमें बहुत सारे लोग छूटे होंगे तो उनको आप पात्रता की श्रेणी में लेंगे या नहीं लेंगे।

राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर विज्ञान मेला के माध्यम से वैज्ञानिकों के भाषण, निबन्ध, लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, सेमिनार व विज्ञान प्रदर्शनी के कार्यक्रम आयोजित करने विषयक

***5-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-**

क्या विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री बताने की कृपा करंगे कि प्रदेश में प्रतिवर्ष 28 फरवरी को आयोजित राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर तरुण विद्यार्थियों में विज्ञान के प्रति रुचि व संविधान के अनुच्छेद-51ए के अनुरूप वैज्ञानिक सोच पैदा करने के उद्देश्य से सभी शिक्षण संस्थाओं में विज्ञान मेला के माध्यम से वैज्ञानिकों के भाषण, निबन्ध, लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, सेमिनार व विज्ञान प्रदर्शनी के कार्यक्रम आयोजित करने विषयक पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उच्च शिक्षा, विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी मंत्री (श्री योगेन्द्र उपाध्याय)-

जी हां, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस (28 फरवरी) के अवसर पर विज्ञान मेला के माध्यम से वैज्ञानिकों के भाषण, निबन्ध, लेखन, विज्ञान प्रश्नोत्तरी, सेमिनार व विज्ञान प्रदर्शनी के कार्यक्रम परिषद् द्वारा क्षेत्रीय विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी केन्द्र/जिला विज्ञान क्लबों के माध्यम से चिन्हित शिक्षण संस्थानों में सीमित संसाधनों के दृष्टिगत आयोजित कराये जाते हैं। प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थान विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग/परिषद् के नियंत्रणाधीन नहीं हैं एवं परिषद् का जनपद स्तर पर कोई संगठनात्मक ढांचा भी नहीं है।

भविष्य में बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा/उच्च शिक्षा/प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा के शिक्षा निदेशकों के नियंत्रणाधीन एवं उनसे सम्बद्ध सभी शिक्षण संस्थानों में 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के अवसर पर अपने वित्तीय संसाधनों के माध्यम से तरुण विद्यार्थियों में वैज्ञानिक सोच एवं जागरूकता पैदा करने की दृष्टि से उक्त कार्यक्रम आयोजित कराने हेतु पत्र के माध्यम से अनुरोध किया जायेगा।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरे इस प्रश्न के दो खण्ड हैं। पहले खण्ड में छात्रों के अन्दर वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने से सम्बन्धित जानकारी मांगी थी और दूसरा खण्ड भारत के संविधान आर्टिकल-51(A) से सम्बन्धित है। मा0 मंत्री जी ने एक खण्ड का जवाब तो दिया है और वह जवाब भी मृत प्राय है जिस पर चर्चा करना उचित न होगा। आर्टिकल-51(A) को हम सब प्राय देखते हैं कि मौलिक अधिकार को लेकर सड़क से लेकर सदन तक चर्चा होती है लेकिन मौलिक कर्तव्य को लेकर कभी न तो सड़क पर, न ही सदन में चर्चा हुई है।

श्री अध्यक्ष-

आप प्रश्न करिये।

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

यहां पर बैठा हुआ हर व्यक्ति अच्छे से अच्छा वैज्ञानिक संसाधन चाहता है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथ में अच्छा मोबाइल फोन और सरकार भी फाइटर जैट विमान चाहती है वो भी विदेश वाला यह वैज्ञानिक दृष्टिकोण का जो अभाव होता जा रहा है मान्यवर, इससे देश के सामने एक गम्भीर संकट खड़ा हो रहा है। पूर्व के ऐतिहासिक दृष्टिकोण को देखें तो हर प्रथा और देशी चीजों पर विराम इन्हीं आर्टिकल के माध्यम से लगा है। मान्यवर, मेरे कहने का आशय यह है कि आस्था की आड़ में कुछ भी कहने व कुछ भी करने और हमें कुछ भी व्यापार करने का अधिकार है या नहीं है।

मैं माननीय मंत्री जी से तीन छोटे-छोटे अनुपूरक प्रश्न करना चाहता हूँ। पहला तो यह कि क्या सरकार शिक्षण संस्थानों में विश्वविद्यालयों से लेकर परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों तक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पैदा करने के उद्देश्य से विधिवत बजटीय व्यवस्था करके कार्यक्रम घोषित करेगी। दूसरा प्रश्न, आज जब हम सुबह उठते हैं तब से लेकर रात तक के हालत देश के यह बन गये हैं कि आने वाले समय में इस देश में वैज्ञानिक लुप्त हो जायेंगे और बाबाओं की बाढ़ आ जायेगी। मान्यवर, क्या सरकार टी0वी0 चैनल पर अंधविश्वास से ओत-प्रोत वस्तुओं को बेचने के उद्देश्य से जैसे टी0वी0 चैनल पर धनकुबेर, धनवर्षा यंत्र, सम्पूर्ण वशीकरण यंत्र, सुलेमानी लॉकेट आदि जैसे अंधविश्वास से ओत-प्रोत विज्ञापनों पर रोक लगाने का प्रयास करेगी, तीसरा, कल दिनांक 30-05-2022 को इस सदन के भीतर माननीय मंत्री जी के द्वारा दिये गये बयान कि गौमूत्र में लक्ष्मी जी निवास स्थल है, पर शोध कराने हेतु कोई रिसर्च सेण्टर बनाया गया है, यदि हां तो क्या उसके लिए धन की कोई व्यवस्था की गई है, इसका विवरण उपलब्ध कराने का कार्य करें।

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये तीनों प्रश्नों का जवाब मैं दे रहा हूँ। माननीय सदस्य ने पूछा है कि जागरूकता के लिए क्या विधिवत् बजट दिया जायेगा तो हमारे चार क्षेत्रीय विज्ञान और प्रौद्योगिकी केन्द्र और 18 जिला विज्ञान क्लब स्थापित हैं। हमारे विभाग के केन्द्र या क्लब प्रत्येक जिले में नहीं हैं। जिलाधिकारी इसमें किसी को भी समन्वयक के रूप में नामित करते हैं और ऐसे आयोजन कराते हैं जिससे कि वैज्ञानिक ज्ञान प्राप्त हो सके। जैसे वैज्ञानिकों के भाषण कराना, निबन्ध लेखन कराना, सेमिनार कराना, प्रश्नोत्तरी, प्रदर्शनी, विज्ञान मेला आयोजित कराना यह सब ऐसे कार्यक्रम हैं जिनसे विज्ञान के प्रति जागरूकता पैदा होती है और विज्ञान की जानकारी मिलती है। पिछली बार 11 लाख रुपये 22 केन्द्रों के लिये दिये गये थे और प्रत्येक जिला केन्द्र को दो लाख से छह लाख रुपये तक दिये जाते हैं। जहां तक टी0वी0 चैनल्स का सवाल है तो यह केन्द्र सरकार का प्रश्न है और आप वहां पर पूछ

लीजियेगा। जो शोध आपने बताया तो यहां पर बात शोध की नहीं विश्वास की है। कई जगह विश्वास और श्रद्धा से काम किया जाता है, शोध से नहीं।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने मेरे द्वारा पूछे गये अनुपूरक प्रश्न का उत्तर नहीं दिया है। मैं अपना प्रश्न दोहरा देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय मंत्री जी का उत्तर आ चुका है। कृपया आप बैठ जाईये। अब मैं अगला प्रश्न ले रहा हूँ।

प्रदेश में मानवाधिकार उल्लंघन और गम्भीर अपराधों के मामलों में कमी लाने हेतु विगत 3 वर्षों में किये गये प्रयासों के विवरण के सम्बन्ध में

***6-श्री मौहम्मद फहीम इरफान-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि मानवाधिकार उल्लंघन और गम्भीर अपराधों के मामलों में कमी लाने हेतु विगत 3 वर्षों में किये गये प्रयासों का विवरण सरकार सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

मानवाधिकार उल्लंघन और गम्भीर अपराधों के मामलों में कमी लाने हेतु विगत 03 वर्षों में किये गये प्रयासों का विवरण निम्नवत् है-

प्रदेश में घटित होने वाले गम्भीर अपराधों में संलिप्त अपराधियों एवं अपराधों की रोकथाम हेतु विवाद एवं रंजिश को चिन्हित कर सम्बन्धित पक्षों को पाबन्द कराये जाने की कार्यवाही की जा रही है तथा उन अभियुक्तों के विरुद्ध एन0एस0ए0, गैंगेस्टर ऐक्ट एवं गुण्डा ऐक्ट के अन्तर्गत निरोधात्मक कार्यवाही की जा रही है, जिसमें गैंगेस्टर ऐक्ट के कुल 330 मामलों में कार्यवाही करते हुए कुल अनुमानित 5,48,19,86,517/- रुपये (रुपये पांच अरब अड़तालिस करोड़ उन्नीस लाख छियासी हजार पांच सौ सत्ररह मात्र) की सम्पत्ति जब्त की गयी।

लूट, डकैती के अपराधों पर प्रभावी अंकुश लगाये जाने के उद्देश्य से बाजारों में पुलिस की चौकसी एवं संवेदनशील स्थानों पर सायंकाल प्रतिदिन 60 मिनट भीड़-भाड़ वाले क्षेत्रों में फुट पेट्रोलिंग व पिकेट व्यवस्था बढ़ायी गयी है तथा बाजारों के मुख्य स्थानों पर सी0सी0टी0वी0 कैमरे लगाये जाने के निर्देश दिये गये हैं।

कानून एवं व्यवस्था तथा अपराध नियंत्रण के अन्तर्गत 100 दिनों की कार्य योजना के अन्तर्गत टॉप-10 अपराधियों को चिन्हित कर पूरे प्रदेश में 15 हजार अपराधियों के विरुद्ध तथा प्रदेश में माफिया गिरोहों/घुमन्तू/पारदी/बावरिया आदि गिरोहों की आपराधिक गतिविधियों पर

प्रभावी अंकुश लगाये जाने हेतु दिनांक 25-03-2022 से अभियान चलाकर उनके विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करायी जा रही है।

महिलाओं के विरुद्ध घटित होने वाले अपराधों पर पूर्णतः अंकुश लगाने के उद्देश्य से प्रदेश के जनपदों में 'एण्टी रोमियो दल' गठित है। इसके अतिरिक्त वूमेन पावर लाइन-1090 भी क्रियाशील है।

उ0प्र0 के 1584 थानों (जी0आर0पी0 थानों सहित) में जनपदीय पुलिस के नियन्त्रणाधीन महिला हेल्प डेस्क की स्थापना की गयी है, जिसमें महिला पुलिस कर्मियों की नियुक्ति की गयी है।

प्रदेश के समस्त जनपदों में थाना स्तर पर महिला बीट प्रणाली सृजित करते हुए 10,417 महिला बीट गठित कर 13,244 महिला बीट पुलिस अधिकारियों की नियुक्ति की गयी है।

प्रदेश में महिलाओं, लड़कियों एवं मासूम बच्चियों के विरुद्ध कारित अपराधों को अत्यन्त गम्भीरता से लेते हुए भारत सरकार द्वारा सम्बन्धित दण्ड विधि में अपराध विधि (संशोधन) अध्यादेश, 2018 द्वारा संशोधन करते हुए सजा को 07 वर्ष से बढ़ाकर 10 वर्ष तक किया गया है, इसी प्रकार 16 वर्ष या इससे कम आयु की बालिकाओं के साथ बलात्कार किये जाने पर सजा को 10 वर्ष से बढ़ाकर 20 वर्ष तक किया गया है। 16 वर्ष या उससे कम उम्र की बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार की स्थिति में सजा आजीवन कारावास तथा 12 वर्ष से कम उम्र की बालिकाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किये जाने पर अपराधी के दोषसिद्ध होने पर उम्र कैद या मृत्यु दण्ड से दण्डित किये जाने का प्राविधान किया गया है।

अपराधियों पर अंकुश लगाये जाने हेतु यू0पी0-112 उ0प्र0 सरकार की एक अत्यन्त महत्वाकांक्षी योजना है। इसके क्रियान्वयन हेतु जनपद लखनऊ में प्रदेश स्तरीय केन्द्रीय मास्टर को-आर्डिनेशन सेण्टर के रूप में एक वृहद् ''यू0पी0-112'' कॉल सेण्टर स्थापित है जो प्रदेश के पूरे क्षेत्रफल में तत्काल पुलिस सहायता पहुंचाने के उद्देश्य को निरन्तर प्राप्त कर रही है। इस सेवा का रिस्पॉन्स टाइम निरन्तर कम किया जा रहा है, जो वर्तमान में 10 मिनट से कम हो गया है।

प्रदेश में अपराध तथा अपराधियों पर जीरो टॉलरेन्स के सिद्धान्त पर कार्यवाही किये जाने के भी निर्देश दिये गये हैं।

उपरोक्त के अतिरिक्त मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के निर्देश के अनुपालन में प्रदेश सरकार द्वारा प्रभावी कार्यवाही की जा रही है, जिसका विवरण निम्नवत् है-

मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, नई दिल्ली द्वारा विगत 03 वर्षों में प्रदेश सरकार को 5315 प्रकरणों की लम्बित सूची उपलब्ध कराते हुए कार्यवाही किये जाने की अपेक्षा की गयी थी, जिनमें प्रदेश सरकार द्वारा लगातार मा0 आयोग से वीडियो कान्फ्रेन्सिंग के माध्यम से 3342 प्रकरणों का निस्तारण कर मा0 आयोग को अवगत कराया जा चुका है।

विगत 03 वित्तीय वर्षों में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग से सम्बन्धित मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरणों में पीड़ितों को प्रदेश सरकार द्वारा रु0 4,37,12,000/- (रुपये चार करोड़ सैंतीस लाख बारह हजार मात्र) की अन्तरिम राहत प्रदान की गयी है।

विगत 03 वर्षों में मा0 राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के आदेश के अनुपालन में मानवाधिकार उल्लंघन से सम्बन्धित 143 प्रकरणों की जांच/विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 से कराये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न का उत्तर पढ़ा हुआ मान लिया जाये। माननीय सदस्य, अब आप अपना अनुपूरक प्रश्न कीजिये।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न बहुत गम्भीर है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि मेरा प्रश्न अपराधों को रोकने वाले पुलिस तंत्र को न्याय देने की बजाय अन्याय मिलने अथवा पुलिस तंत्र के निरंकुश बनकर मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के सम्बन्ध में था। पुलिस तंत्र द्वारा मानवाधिकारों का उल्लंघन करने के कारण प्रदेश में कई स्थानों पर फर्जी इन्काउण्टर और पुलिस द्वारा पीड़ितों को ही उत्पीड़ित करने की घटनायें सामने आयी हैं जिससे पुलिस की छवि रक्षक की बजाय भक्षक के रूप में बदलती दिखाई दे रही है। मैं माननीय अध्यक्ष जी, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहूंगा कि राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, दिल्ली द्वारा बीते तीन वर्षों में भेजे गये 5315 प्रकरणों के अवशेष लगभग 2000 प्रकरणों का निस्तारण कब तक करा दिया जाये।

मा0 अध्यक्ष जी, बीते तीन सालों में मानवाधिकार उल्लंघन के प्रकरणों में पीड़ितों को राज्य सरकार द्वारा दिया गया 4 करोड़ 33 लाख रुपये का अन्तरिम मुआवजा कितने और किन पीड़ितों को दिया गया है और मा0 अध्यक्ष जी मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि बीते तीन साल में जिन 143 प्रकरणों की जांच या विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 के द्वारा कराई गयी है उनमें से कितने मामलों में आरोप-पत्र दाखिल हुए हैं ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, वैसे जो हमने उत्तर दिया है वह अपने आप में सभी बिन्दुओं का जवाब है जो मा0 सदस्य ने किये हैं लेकिन आपने पूछा है कि जो 3342 प्रकरणों का निस्तारण हो चुका है और मानवाधिकार आयोग में जो प्रकरण जाते हैं उनके निस्तारण की बहुत लम्बी प्रक्रिया है लेकिन फिर भी 3342 प्रकरण निस्तारित हो चुके हैं और आपने पूछा है कि किस-किस को सहायता राशि दी गयी है तो मैं मा0 सदस्य को बता दूं कि वर्ष 2019-20 में 132 प्रकरण थे जिसमें पीड़ितों को 01 करोड़ 89 लाख 82 हजार रुपये की सहायता दी गयी, वर्ष 2020-21

में 85 प्रकरण थे जिसमें पीड़ितों को 01 करोड़ 70 लाख 90 हजार रुपये की सहायता दी गयी और वर्ष 2021-22 में 42 प्रकरण थे जिसमें पीड़ितों को 76 लाख 40 हजार रुपये की सहायता दी गयी। यह सरकार की मंशा बताती है कि अगर किसी मामले में किसी प्रकार से मानवाधिकारों का उल्लंघन हुआ हो तो पीड़ितों को बराबर सहायता दी गयी है और यह भी अपने आपमें साबित करता है कि 3342 प्रकरण निस्तारित हो गये हैं। हमारी कोशिश होगी कि जितनी जल्दी-से-जल्दी हो सके, इन 5315 प्रकरणों में से शेष बचे हुए प्रकरणों को जल्दी-से-जल्दी निस्तारित किया जाये। जैसाकि मैंने आपको बताया कि 143 प्रकरणों की विवेचना सी0बी0सी0आई0डी0 द्वारा कराये जाने का निर्णय प्रदेश सरकार द्वारा लिया गया है और यह विवेचना चल रही है और हम अग्रिम कार्यवाही की सूचना मा0 सदस्य को दे देंगे। फिलहाल अभी विवेचना लम्बित है।

प्रदेश में नहरों के टूटने से जलभराव के कारण किसानों की फसल को होने वाले नुकसान की क्षतिपूर्ति विषयक नीति के सम्बन्ध में

***7-श्री लाल जी वर्मा-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में नहरों के टूटने से जलभराव के कारण किसानों की फसल प्रभावित होने पर किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति दिये जाने की सरकार की कोई नीति है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

नहरों के टूटने से जलभराव के कारण फसल प्रभावित होने पर प्रदेश में किसानों को फसल की क्षतिपूर्ति दिये जाने की सिंचाई विभाग में कोई व्यवस्था नहीं है। सिंचाई विभाग के ''इरीगेशन मैनुअल ऑफ आर्डर्स'' एवं ''उत्तरी भारत नहर जौर जल-निकास अधिनियम, 1873'' के अनुसार नहरों के टूटने से हुए जलभराव से प्रभावित फसलों की क्षतिपूर्ति देय नहीं है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मेरा बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न था कि प्रदेश की नहरें बहुत जगहों से होकर जाती हैं और उनकी मरम्मत न होने के कारण वह बहुत जगहों पर टूट जाती हैं और उससे किसानों की फसलें डूब जाती हैं जिससे किसानों की फसल की क्षति बहुत ज्यादा हो जाती है। हमने सवाल किया था कि प्रदेश में नहरों के टूटने से जलभराव के कारण किसानों की फसल प्रभावित होने पर किसानों की फसल की क्षतिपूर्ति या मुआवजा दिये जाने पर सरकार विचार करेगी, इन्होंने कहा जी नहीं। इन्होंने उत्तर में लिखा है इरीगेशन मैनुअल ऑफ आर्डर्स एवं उत्तरी भारत नहर जौर जल-निकास अधिनियम, 1873 के अनुसार मुआवजा का प्रबन्ध नहीं है। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से मा0 मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि 1873 बहुत लम्बा समय बीत गया है और उस समय फसल बहुत ज्यादा होती भी नहीं थी लेकिन अभी

परिस्थितियों के अनुसार किसानों की लागत आती है और किसानों ने पूरी लागत लगाई और उसकी फसल जलभराव के कारण डूबकर नष्ट हो गई और हम फसल बीमा वगैरह-वगैरह की बात करते हैं और किसान को न हम फसल बीमा से आच्छादित कर रहे हैं और न हम सरकार के स्तर पर देने का विचार कर रहे हैं। मान्यवर, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूँ कि क्या वर्तमान परिस्थितियों को दृष्टिगत रखते हुए नहर से कटाव के कारण जो फसल डूबती है उन फसलों पर पुनः नये सिरे से सरकार विचार करने का प्रयास करेगी कि किसानों की जो फसल नष्ट हो गयी है, उसका मुआवजा मिल सके ?

श्री दिनेश-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य बहुत ही वरिष्ठ और ज्ञाता सदस्य हैं, जो नियम-17 व 28 के अधीन परिखण्डीय अधिकारी खेती-खेत में जो नहर टूटती थी उसमें पहले किसान पर आबपासी होती थी और आबपासी को समाप्त करने का काम किया है। अभी कोई ऐसा नियम सरकार द्वारा नहीं लाया गया है। आपने जो विषय रखा है उस पर सरकार विचार करेगी।

श्री समरपाल सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि ग्राम पूर्वी मेरी विधान सभा क्षेत्र नौगावां सादात में आता है और जो चौधरी चन्द्रपाल सिंह पहले मंत्री एवं एम0पी0 रहे, उनके गांव का भी रकबा भी उसमें आता है। इस साइड को 10 लाख 5 हजार रुपये का मुआवजा दिया और दूसरी साइड को भी उतना ही मुआवजा दिया गया। सिर्फ थोड़ा-सा जो आधा-पौन किलोमीटर का क्षेत्र है उसमें धरना-प्रदर्शन भी हुआ है केवल 50 हजार रुपये बीघे का मुआवजा सरकार दे रही है। हमारी बहन एवं श्री चेतन चौहान की मिसेज ने उस धरने को तुड़वाने का काम किया। वह वहां गयी और शरबत एवं पानी पिलाकर धरना तुड़वाया और कहा कि मैं आपकी मदद करूंगी। उन्होंने काफी मदद की और मदद के करीब भी पहुंच गयी, इधर सरकार गिर गयी। मैं आपके माध्यम से निवेदन करना चाहूंगा कि उन बेचारों का क्या कसूर है जब इस साइड में भी 10 लाख से ऊपर का मुआवजा और उस साइड में भी 10 लाख से ऊपर का मुआवजा दिया जा रहा है तो इन बेचारे किसानों का क्या कसूर है ?

श्री अध्यक्ष-

आप इसका पूरा डिटेल लिखकर दे दीजियेगा, मा0 मंत्री जी इसको दिखा लेंगे।

प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता एवं आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थित हैं तथा कितने नमूने फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व और नाइट्रेट की अधिकता से दूषित पाये जाने विषयक

***8-हाजी इरफान सोलंकी-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में पेयजल की गुणवत्ता जांच की आधुनिक सुविधा युक्त प्रयोगशालाएं कहां-कहां स्थित हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि वर्ष

2021-22 में उक्त प्रयोगशालाओं में कितने नमूनों की जांच की गई तथा कितने नमूने फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व और नाइट्रेट की अधिकता से दूषित पाये गये ? क्या सरकार उक्त विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

प्रदेश में पेयजल गुणवत्ता की जांच हेतु प्रदेश के समस्त जनपदों में प्रयोगशालाएं स्थित हैं। उक्त के अतिरिक्त पेयजल के आधुनिक जांच हेतु एक राज्य स्तरीय प्रयोगशाला लखनऊ में स्थित है। प्रदेश के समस्त प्रयोगशालाओं द्वारा वर्ष 2021-22 में कुल 1,08,744 पेयजल नमूनों का परीक्षण किया गया, जिसमें से 16,620 पेयजल नमूने फ्लोराइड, आर्सेनिक, लौह तत्व और नाइट्रेट की अधिकता से दूषित पाये गये।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अध्यक्ष-

श्री हाजी इरफान सोलंकी जी उपस्थित नहीं हैं इसलिए अगला प्रश्न लेते हैं।

श्री समरपाल सिंह-

मान्यवर, पहले मेरे प्रश्न का उत्तर आ जाये।

अब हम अगला प्रश्न लेते हैं।

प्रदेश में राजस्व विवाद/भूमि विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप का नियमों में प्राविधान विषयक

***9-श्री जगदीश नारायण-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व विवाद/भूमि विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप का नियमों में प्राविधान है ? यदि हां, तो उक्त का विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार उक्त हेतु कोई स्पष्ट दिशा-निर्देश जारी करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

दण्ड प्रक्रिया संहिता-1973 के अध्याय-10(ख) व 10 (घ) तथा अध्याय-11 में भूमि विवाद जंगम तथा स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किये जाने पर पुलिस द्वारा कार्यवाही किये जाने का प्राविधान है।

धारा-133 दण्ड प्रक्रिया संहिता में न्यूसेन्स हटाने के लिए पुलिस अधिकारी द्वारा जिला मजिस्ट्रेट या उपखण्ड मजिस्ट्रेट या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त विशेषतया सशक्त मजिस्ट्रेट को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का प्राविधान है।

धारा-145 में भूमि या जल से सम्बद्ध विवादों से परिशान्ति भंग होना सम्भाव्य होने पर पुलिस अधिकारी किसी कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित कर सकता है।

धारा-145(2) में 'भूमि या जल' पद के अन्तर्गत भवन, बाजार, मीन क्षेत्र, फसलें, भूमि की अन्य उपज और ऐसी किसी सम्पत्ति के भाटक या लाभ भी है।

धारा-147 में भूमि या जल के उपयोग के अधिकार से सम्बद्ध विवाद पर पुलिस अधिकारी द्वारा कार्यपालक मजिस्ट्रेट को कार्यवाही हेतु रिपोर्ट प्रेषित किये जाने का अधिकार है।

धारा-152 में यह उपबन्ध है कि किसी पुलिस अधिकारी की दृष्टिगोचरता में किसी भी जंगम या स्थावर लोक सम्पत्ति को हानि पहुंचाने का प्रयत्न किये जाने पर वह उसका, या किसी लोक भूमि-चिन्ह या बोया या नौपरिवहन के लिए प्रयुक्त अन्य चिन्ह के हटाये जाने या उसे हानि पहुंचाये जाने का, निवारण करने के लिए अपने ही प्राधिकार से अन्तःक्षेप कर सकता है।

उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के पत्र सं0-डीजी परिपत्र सं0-43/2019, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या वी0आई0पी0-01/एक-4-2022-11बी-4/12, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के माध्यम से थाना समाधान दिवस एवं सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कराकर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मेरा प्रश्न था कि क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राजस्व विवाद/भूमि विवाद में पुलिस के हस्तक्षेप का नियमों में प्राविधान है ? मान्यवर, जो उत्तर आया है, उसमें नियमावली का जिक्र है, नियमावली सबको क्लियर है और जो प्राविधान है वह भी सब लोग जानते हैं। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी यह जानना चाहता हूँ और यह पूरे प्रदेश की समस्या है कि गांव का कोई किसान खेत के मेड़ की कोई दरख्वास्त लेकर डी0एम0, ए0डी0एम0, एस0डी0एम0 के पास जाता है तो वे लोग सीधे थाने में भेज देते हैं और दारोगा कहता है कि मुझे राजस्व मामले में कोई अधिकार नहीं है। वह सही कहता है कि राजस्व मामले में उसे अधिकार नहीं है। आदमी इसी में पिसा रहता है और भ्रष्टाचार भी बढ़ता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि ऐसे मामले में स्पष्ट निर्देश है वह पहले से स्थापित हैं एवं कानून भी है कि ऐसे मामले में राजस्व अधिकारी को इंगित करें एवं उनको जरूरत पड़े तो वे पुलिस बल के साथ मौके पर जायें, इस पर माननीय मंत्री जी प्रकाश डाल दें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, माननीय सदस्य ने बहुत अच्छा सवाल किया है और उसका समाधान उत्तर के पृष्ठ पर डिटेल में दिया गया है और उसके अलावा जो व्यवस्था हमने की है उसकी भी

जानकारी दे देते हैं। उक्त के अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 के डीजी परिपत्र सं0-43/2019, दिनांक 26 सितम्बर, 2019 एवं अपर मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र सं0 वी0आई0पी0-01/एक-4-2022-11बी-4/12, दिनांक 29 अप्रैल, 2022 के माध्यम से थाना समाधान दिवस एवं सम्पूर्ण समाधान दिवस का आयोजन कराकर राजस्व एवं पुलिस की संयुक्त टीम गठित कर भूमि सम्बन्धी विवादों के निस्तारण के निर्देश दिये गये हैं। आप बहुत पुराने सदस्य हैं। आपको मालूम होगा कि थाने पर निश्चित रूप से समय दिया जाता है, जमीन सम्बन्धी विवाद में भी समय दिया जाता है और दिन भर थाना दिवस चलता है।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, थाना दिवस के दिन और महीना निर्धारित हैं और यहां हमें तुरन्त आवश्यकता पड़ती है। किसान जब एस0डी0एम0 साहब के पास गया तो उसका समाधान कैसे होगा ? या तो प्रकरण को थाना दिवस के दिन प्राथमिकता पर लगवा दें और तत्काल व्यवस्था करा दें तब तो कुछ काम बन जायेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, अगर तुरन्त कहीं पर आवश्यकता होती है या पब्लिक की जमीन पर किसी प्रकार का अतिक्रमण या हस्तक्षेप होता है तो धारा-133 सी0आर0पी0सी0 में प्राविजन है एवं धारा-145 में स्वामित्व एवं कब्जे के विवाद का प्राविजन है।

श्री जगदीश नारायण-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं पहले ही कह चुका हूँ कि जो प्राविधान है, वह पूरा प्रदेश जानता है, मेरा सीधा सवाल है कि अगर मेरे खेत की मेड़ टूट गयी है और हम एस0डी0एम0 साहब को दरख्वास्त देने जा रहे हैं कि मेरे जमीन की मेड़ टूट गयी है तो वे किसको लिखकर देंगे ? पुलिस वाला आकर मेड़ नापेगा या राजस्व से कोई आकर नापेगा, यही मेरा प्रश्न है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है इससे कानून व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है और आपकी सरकार की छवि भी प्रभावित हो रही है। इस पर आप विचार करें।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

ठीक है, मान्यवर। इसके समाधान के लिए ही पत्रक जारी किये गये हैं कि एस0डी0एम0 के माध्यम से, तहसीलदार के माध्यम से, कानूनगो के माध्यम से वहां पर नाप हो जाय और नाप ही उसका इलाज है। यह मौके पर भेजकर समाधान हो जाय, अगर फोर्स भी जाती है तो तुरन्त समाधान हो जाता है। इसको और अधिक प्रभावी बनाने की आपकी जो मंशा है, मान्यवर, इसको और अधिक प्रभावी बनाने के लिए निर्देश दे देंगे कि उसे और प्रभावी बनाया जाय।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद।

प्रदेश में वर्ष 2018 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति लागू किये जाने एवं स्थानान्तरण नीति द्वारा कितने जनपदों के शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ, के सम्बन्ध में

***10-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-**

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वर्ष 2018 में प्राथमिक विद्यालय के शिक्षकों की अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण नीति लागू की गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त वर्ष में कितने जनपदों के शिक्षकों का स्थानान्तरण हुआ और कितने जनपदों में उक्त स्थानान्तरण नीति द्वारा किया जाना शेष है ? क्या सरकार प्राथमिक विद्यालयों में पुनः 2018 की स्थानान्तरण नीति लागू करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

बेसिक शिक्षा राज्यमंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्री सन्दीप सिंह)

जी हां।

67 जनपदों में।

परिषदीय विद्यालयों में अध्यापकों के अन्तर्जनपदीय स्थानान्तरण से सम्बन्धित नीति शैक्षिक सत्र 2017-18 कालातीत हो चुकी है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

श्री अध्यक्ष-

देवेन्द्र प्रताप सिंह जी, आप अनुपूरक कर लीजिए।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

अध्यक्ष जी, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैं मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि वह कौन से 08 जिले हैं, जो इनकी नीति से वंचित रह गये ? नम्बर-2, आपके माध्यम से मैं यह पूछना चाहता हूँ कि क्या उस अन्तराल में इन शिक्षकों ने स्थानान्तरण का आवेदन नहीं किया था ? नम्बर-3, क्या उसमें अधिकांश महिला शिक्षक हैं, जिनके बच्चे हैं और जो अपने परिवार से दूर हैं ? नम्बर-4, मैं यह जानना चाहता हूँ कि कालातीत करने की क्या आवश्यकता थी कि एक ही साल में इन्होंने कालातीत कर दिया ? क्या मंत्री जी इसको पुनः लागू करके जो आवेदनकर्ता हैं, उनको न्याय दिलायेंगे ? यह मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूँ।

श्री सन्दीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, माननीय सदस्य ने जो प्रश्न किया है कि वह कौन से ऐसे जनपद थे, जहां पर स्थानान्तरण नहीं किये गये और स्थानान्तरण की जो नीति बनायी गयी थी, वहां पर उसको लागू नहीं किया गया। यह सारे 08 जनपद एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट हैं, जिनको नीति आयोग के द्वारा, केन्द्र सरकार के द्वारा बनाया गया है जो अर्द्ध विकसित क्षेत्र थे, वहां

पर और विभिन्न तरह के पैरामीटर्स को देखते हुए, हेल्थ को, एजूकेशन को, एग्रीकल्चर, फाइनेन्स, स्किल डेवलपमेन्ट, विभिन्न तरह के पैरामीटर्स पर जो जनपद पिछड़े हुए थे, उनको एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाते हुए सिद्धार्थनगर, श्रावस्ती, बहराइच, सोनभद्र, चन्दौली, फतेहपुर, चित्रकूट और बलरामपुर, इन जनपदों को एस्परेशनल डिस्ट्रिक्ट बनाया गया और यहां पर ट्रांसफर की जो हमने पॉलिसी बनायी थी, उससे इन जनपदों को अलग रखा गया, क्योंकि इन जनपदों में जो शिक्षकों की संख्या थी, अगर हम हर स्कूल में एक शिक्षक को भी भेजें तो वहां पर जो शिक्षकों की संख्या थी, वह पूरी नहीं थी। इसीलिए इन जनपदों को बाहर रखा गया और जहां तक माननीय सदस्य ने प्रश्न उठाया कि जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, उसको कालातीत क्यों कर दिया गया ? क्योंकि ट्रांसफर पॉलिसी जब बनायी जाती है तो ट्रांसफर पॉलिसी केवल एक साल के लिए मान्य होती है, इसीलिए उस वर्ष की जो ट्रांसफर पॉलिसी थी, उस वर्ष उसको लागू किया गया और उसके बाद उसको समाप्त कर दिया गया।

श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

मंत्री जी ने सिद्धार्थनगर का नाम लिया। सिद्धार्थनगर में नोयडा, गाजियाबाद, बुलन्दशहर, मेरठ के लड़के-लड़कियों की नियुक्ति की गयी है। मान्यवर, सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि वह बहुत दूर से यहां आते हैं। सिद्धार्थनगर पिछड़ा जिला है, वहां पर लड़कियों के आवास की कोई व्यवस्था नहीं है। इसलिए उनके सामने बड़ी परेशानी होती है और उन्हें दूर इंटीरियर गांवों में पोस्ट कर दिया गया है। वह सब क्या करती हैं, दो-चार मिल करके एक जगह रहती हैं, वहां से 30 किलोमीटर दूर वह अपने स्कूटर से पढ़ाने जाती हैं, फिर आती हैं। इसका परिणाम यह है कि आधी लड़कियां तो नोयडा से पढ़ाने आती ही नहीं हैं। उसके बदले में खण्ड शिक्षा अधिकारी इन सबों का शोषण करते हैं, 5 हजार, 8 हजार लेते हैं और महीने की तनख्वाह निकाल देते हैं, स्कूल में पढ़ाई नहीं होती है। तो क्या आप व्यवस्था करेंगे या तो उनको गाजियाबाद, नोयडा और जहां कहीं की हैं, वापस भेज दें या तो उनसे कहें कि वहां आकर पढ़ायें, जिससे स्कूल की पढ़ाई चल सके, क्या आप इस पर आप विचार करेंगे ? मेरा आपसे मानवीय स्तर पर अनुरोध है कि वह बहुत दूर से आती हैं और 700 कि0मी0 दूर आकर हमारे सिद्धार्थनगर में पढ़ाती हैं तो वहां के रहन-सहन, वहां के खान-पान में उनसे विभिन्नता पैदा होती है। बेहतर यह होता कि पुरुषों को तो नहीं, लेकिन लड़कियों को अगर आप वापस कर देते तो हमारे स्कूल आसानी से चलने लगते और अगर नहीं कर सकते हैं तो कम्पल्सरी करिये कि ये लोग आकर पढ़ायें।

श्री सन्दीप सिंह-

माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य ने कहा, क्योंकि पॉलिसी इसी तरह से बनायी गयी है, जो 2017 की पॉलिसी थी, उसके अन्तर्गत किसी को भी आकांक्षी जनपद से बाहर नहीं भेजा गया था।

मान्यवर, 399 लोग, बल्कि इस जनपद के अन्दर आये थे और वर्ष 2019 की जो हमारी पॉलिसी थी, उसके अन्तर्गत यह व्यवस्था बनाई गयी थी कि जितने शिक्षक उन जनपदों में

जायेंगे उतने ही शिक्षकों को उस जनपद से बाहर और अन्य जनपदों में भेजेंगे। 780 शिक्षक उन जनपदों में आये थे और 822 शिक्षकों को हमने उन जनपदों से बाहर किया था। इनमें 822 में से 42 शिक्षक ऐसे भी हैं जिनके परिवार आर्मी से जुड़े हुए हैं, उनको इस नियम के अन्दर लागू नहीं किया गया था तो उनको इसमें जोड़ा गया था। 822 लोगों को हमने बाहर भेजा था और इस बार की जो हमारी पॉलिसी है वह विचाराधीन है और सरकार इसमें पूरी तरह से ध्यान देगी कि जितने भी शिक्षक इन जनपदों में आकांक्षी जनपदों में नियुक्त किये गये हैं, यह सभी शिक्षक अपने-अपने विद्यालयों में जा करके पठन-पाठन का कार्य पूरी तरह से कराएं।

प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के अन्तर्गत कानपुर-कन्नौज सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया के सम्बन्ध में

***11-श्री अमिताभ बाजपेई-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के अन्तर्गत कानपुर-कन्नौज सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण हेतु भूमि अधिग्रहण प्रक्रिया में कुल कितने किसानों का अभिनिर्णय आवासीय एवं कितने अभिनिर्णय व्यवसायिक दर से हुए हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त आवासीय एवं व्यवसायिक भू-स्वामी के कितने नोटिस किन-किन विधिसंगत प्रक्रिया के अन्तर्गत तामील किये गये तथा कितने भू-स्वामियों ने नोटिस लेने से इन्कार किया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

राष्ट्रीय राजमार्ग-91 के अन्तर्गत कानपुर-कन्नौज सेक्शन के 4/6 लेन चौड़ीकरण में कुल 425 कृषकों की भूमि का अभिनिर्णय आवासीय तथा कुल 02 कृषकों की भूमि का अभिनिर्णय व्यवसायिक दर से घोषित किये गये हैं।

जी हां।

अधिनियम की धारा-3(ई) व धारा-3(एच) के अन्तर्गत आवासीय दर से प्रभावित 197 भू-स्वामियों को वैधानिक नोटिस निर्गत किये गये हैं, जिसके क्रम में 120 नोटिस तामील किये गये हैं तथा शेष 77 नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो तामीली उपरान्त वापस प्राप्त नहीं हुए हैं।

आवासीय भूमि से प्रभावित 228 कृषकों व व्यवसायिक भूमि से प्रभावित 2 कृषकों के प्रकरणों में घोषित किये गये अभिनिर्णय के विरुद्ध भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा आर्बिट्रेशन वाद योजित किये गये है, जिस कारण प्रतिकर की धनराशि विवादित हो जाने के कारण कुल 230 कृषकों के वैधानिक नोटिस निर्गत नहीं किये गये हैं। किसी भी भू-स्वामी द्वारा स्वयं नोटिस लेने से इन्कार नहीं किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मेरा यह प्रश्न कानपुर-कन्नौज का जो 4 से 6 लेन का जो चौड़ीकरण हुआ, यह उसके सम्बन्ध में है। मैंने पहले भी इस सम्बन्ध में प्रश्न पूछे हैं, क्योंकि हम लोग उस क्षेत्र के रहने वाले हैं तो हम लोगों के पास बहुत सारे लोग ऐसे आते हैं जो इससे पीड़ित हैं। मा0 मंत्री जी का जवाब आया है कि जिसमें लिखा है कि कानपुर-कन्नौज सेक्शन में 425 कृषकों की भूमि का अभिनिर्णय आवासीय एवं 2 कृषकों की भूमि का अभिनिर्णय व्यवसायिक किया गया है। कानपुर से कन्नौज तक केवल दो लोग व्यवसाय कर रहे थे, बाकी कोई व्यवसाय नहीं, सब लोग खेती कर रहे थे और आवास बनाकर रह रहे थे। यह अपने आप अभिनिर्णय की खामियों को गिनाता है। आप कोई रिकार्ड वगैरह की बात कह देंगे पर मौके पर सब दिखाई पड़ता है। कम से कम तीन गांवों की कमेटी बना करके तत्कालिक एरिये की जांच कराई। जांच संख्या-185/एस0टी0 विविध 2019, 5 सितम्बर, 2019 की जिसमें उन तीनों गांवों में मौके पर क्या उपयोग हो रहा है और यह दिखाया गया है कि फैक्ट्रियां हैं, कोल्ड स्टोरेज हैं, पेट्रोल पम्प है। केवल दो व्यवसायिक और सैंकड़ों लोग बाकी उसके लिए मैं चाहता हूँ कि जिस अधिकारी ने यह दो व्यवसाय किये हैं या तो उसने गलत किया है यह दो भी व्यवसायिक नहीं होने चाहिए थे और मौके का उपयोग देखे बगैर उसमें अभिनिर्णय कर दिये हैं, वह अधिकारी गलत था। अगर यह अभिनिर्णय गलत पाया जायेगा तो क्या ऐसे दोषी अधिकारियों की जांच कराकर कार्यवाही करेंगे। कानपुर जिले से कन्नौज दो जिलों में केवल दो भूमि ही दिख रही है कामर्शियल की, बाकी इसको दिख ही नहीं रही है। मेरे पास यह रिपोर्ट भी है। इसके आधार पर यदि अधिकारी दोषी पाये गये तो उसकी जांच करायेंगे और दूसरा उसका जो खण्ड है, दूसरा हिस्सा है उसमें नोटिस तामील की है, आपने कहा 77 नोटिस निर्गत किये गये हैं, जो वापस नहीं आये और एक भी व्यक्ति ने नोटिस लेने से इन्कार नहीं किया है। यदि मैं आपको उदाहरण दे दूं कि नोटिस लेने से इन्कार का जवाब इन्होंने लगाया है तो क्या ऐसे अधिकारियों पर कार्यवाही करेंगे उसके लिए मैं आपको शासन की रिपोर्ट संख्या-189/23-12-22 यह मैं आपको टेबिल कर रहा हूँ। इसमें बताया गया है कि नोटिस तामीला की प्रक्रिया का पालन नहीं हुआ तो यह दोनों जिन्होंने ठीक ढंग से जमीन का उल्लेख नहीं किया व्यवसायिक और आवासीय का और जिन्होंने नोटिस ढंग से तामील नहीं किया उन दोनों अधिकारियों को चिन्हित करके कार्यवाही करने का काम करेंगे ?

श्री जयवीर सिंह-

मान्यवर, सम्भवतः पिछले मंगलवार को भी यही प्रश्न सदन में प्रस्तुत हुआ था, उस समय भी मा0 विधायक सन्तुष्ट नहीं हो पाये थे, उन्होंने पुनः यह प्रश्न लगाया। मा0 विधायक जी स्वयं भी एक पक्ष हैं इसमें आपकी भी जमीन है और आप भी प्रभावित व्यक्तियों में से हैं।

मान्यवर, इसमें यह है कि 3डी के नोटिस दिये गये। आपका आवासीय दर पर भुगतान का अवार्ड हुआ। मान्यवर, कुल मिलाकर 228 लोगों को आवासीय श्रेणी में अवार्ड घोषित हुआ।

श्री अमिताभ बाजपेई-

ये मेरा प्रश्न ही नहीं है, मेरा प्रश्न यह है कि इसमें ए0डी0एम0, एल0ए0 की जो कमेटी बनी, जिसकी रिपोर्ट लगी, जिसमें प्रत्येक गाटा संख्या का उपयोग लिखा हुआ है, तो आप उस रिपोर्ट का अनुपालन न करने वाले अधिकारियों पर कार्रवाई करेंगे कि नहीं। मेरा प्रश्न तो यह है, आप बाकी लोगों का क्यों बता रहे हैं ?

श्री जयवीर सिंह-

आप मेरा उत्तर तो सुन लें। मान्यवर, इसमें जो लोग पीड़ित थे या प्रभावित लोग थे। वे लोग, जो एवार्ड घोषित हुआ था, उसके खिलाफ आर्बिट्रेशन में चले गये। जिन मामलों की आप चर्चा कर रहे हैं, आर्बिट्रेशन में उनकी मांग थी कि हमें व्यवसायिक श्रेणी का एवार्ड मिलना चाहिए। जब आर्बिट्रेशन में इन लोगों का व्यवसायिक का एवार्ड घोषित कर दिया गया तो उसके खिलाफ एन0एच0ए0आई0 अपील में चली गयी और इस समय मा0 न्यायालय में आर्बिट्रेशन वाद लम्बित है। जैसे ही वाद में मा0 न्यायालय का जो भी निर्णय आयेगा, हम उसका पालन करा देंगे और उस हिसाब से एवार्ड भी करा देंगे।

(सदस्य श्री अमिताभ बाजपेई द्वारा कुछ कागजात दिखाये जाने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 बाजपेई, आप इससे सम्बन्धित जो भी कागज दिखा रहे हैं, आप उन कागजों को मुझे यहां के पटल पर दे दीजिए। मैं इनको मा0 मंत्री जी के पास भेज दूंगा। अगर उसमें कोई एम्बिगुइटी होगी तो उसको दिखवा लेंगे। आप इनको मेरे पास भिजवा दीजिये।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, मेरा प्रश्न तो क्लियर हो जाये।

श्री अध्यक्ष-

आपका प्रश्न यही है कि आपके पास जो कागज है, उसके अनुरूप काम नहीं हुआ।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, उसमें व्यवसायिक भूमि से प्रभावित 2 ही कृषक हैं।

श्री अध्यक्ष-

हो सकता है कि दो ही हों।

श्री अमिताभ बाजपेई-

मान्यवर, ऐसा नहीं हो सकता। मेरे पास इसकी रिपोर्ट है।

श्री अध्यक्ष-

आपके पास जो भी सरकारी रिपोर्ट है, आप उसको टेबिल ऊपर रखो। उस सरकारी रिपोर्ट के आधार पर ही होगा, केवल आपके कहने के आधार पर नहीं होगा। सरकारी रिपोर्ट के आधार पर मा0 मंत्री जी इसको दिखवा लेंगे कि सरकारी रिपोर्ट में क्या एम्बिगुइटी है, उसके हिसाब से कार्यवाही हो जाएगी। बस यही हो सकता है।

***12-श्री महबूब अली-**

[बहुत ब्यौरे की जानकारी के आधार पर निरस्त]

***13-श्री तुफानी सरोज-**

[01-गुरुवार के तारांकित प्र0सं0-12 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

14-श्री माता प्रसाद पाण्डेय-

[विस्तीर्णता के आधार पर निरस्त]

प्रदेश में ग्राम सभा की जमीनों पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जों से पूर्णतया मुक्त कराने विषयक

***15-श्री जवाहर लाल राजपूत (अनुपस्थित)-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में ग्राम सभा की जमीनों पर दबंगों द्वारा किये गये अवैध कब्जों से पूर्णतया कब्जा मुक्त कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

सभी प्रकार की सार्वजनिक श्रेणी की भूमियों पर हुए अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने हेतु शासनादेश दिनांक 01-05-2017 द्वारा चार स्तरीय टास्क फोर्स-राज्य, मण्डल, जनपद व तहसील का गठन किया गया है। अवैध कब्जे से प्राप्त शिकायतों को ऑनलाइन दर्ज करने एवं उनका प्रभावी अनुश्रवण किये जाने हेतु एण्टी भू-माफिया पोर्टल का विकास किया गया है।

एण्टी भू-माफिया पोर्टल में दर्ज अद्यतन सूचना के अनुसार अवैध कब्जे से सम्बन्धित कुल 323373 शिकायतें दर्ज की गयीं, जिनमें से 320431 शिकायतों का निस्तारण किया गया और 64690.72 हेक्टेयर भूमि अवैध कब्जे से मुक्त करायी गयी।

उपरोक्तानुसार।

श्री अध्यक्ष-

इसमें मा0 सदस्य नहीं हैं। जो भी लोग प्रश्न लगाते हैं, वे उपस्थित रहा करें, क्योंकि प्रश्नों पर बहुत मेहनत लगती है, तब जाकर किसी तरह से प्रश्न लग पाते हैं।

श्री जवाहर लाल राजपूत नहीं हैं, प्रश्न लगा देते हैं, लेकिन उपस्थित नहीं रहते।

प्रदेश में आगजनी के कारण फसल अथवा घर जल जाने पर सरकार द्वारा पीड़ितों को वर्तमान में दिये जा रहे मुआवजे के सम्बन्ध में

***16-श्री गणेश चन्द्र-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आगजनी के कारण फसल अथवा घर जल जाने पर सरकार द्वारा पीड़ितों को वर्तमान में कितना मुआवजा दिया जा रहा है ? क्या सरकार उक्त मुआवजे को बढ़ाने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में आगजनी की घटनाओं में फसल एवं घर जल जाने पर होने वाले नुकसान का गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के अनुसार प्रभावितों को निम्नानुसार सहायता राशि दी जाती है :-

क्र0सं0	मद	देय सहायता धनराशि
1	2	3
1	फसल क्षति	कृषि फसल का 33 प्रतिशत या उससे अधिक नुकसान होने पर 02 हे0 की सीमा तक असिंचित क्षेत्र में और बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 6800/- प्रति हे0 एवं सिंचित क्षेत्र हेतु बोये गये क्षेत्रफल हेतु रु0 13,500/- प्रति हे0 तथा रु0 18,000/- बहुवर्षीय फसलों हेतु परन्तु न्यूनतम सहायता राशि कम से कम रु0 1000/- होगी।
2	मकान हेतु सहायता	पूर्णतः क्षतिग्रस्त/नष्ट, पक्का/कच्चा मकान हेतु रु0 95,100/- प्रति मकान मैदानी क्षेत्रों में तथा 1,01,900/- प्रति मकान पहाड़ी क्षेत्रों में सहायता धनराशि देय है।

उक्त के अतिरिक्त पक्का मकान जहां पर नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत हुआ हो रु0 5,200/- प्रति मकान तथा कच्चा मकान जहां नुकसान कम से कम 15 प्रतिशत हुआ हो रु0 3,200/- सहायता धनराशि देय है तथा क्षतिग्रस्त/नष्ट झोपड़ी हेतु रु0 4,100/- प्रति झोपड़ी एवं मकान से सम्बन्ध पशुशाला हेतु 2,100/- प्रति पशुशाला सहायता धनराशि देय है।

उक्त के अतिरिक्त निदेशक, राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-विप-3/2743/20/8-538, दिनांक 26-09-2018 में 'मुख्य मंत्री खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना' के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को निम्नानुसार सहायता धनराशि दिये जाने का प्राविधान है :-

क्र0सं0	मद	देय सहायता धनराशि
1	2	3
1	एक हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 30,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति, जो भी कम हो।

1	2	3
2	एक हेक्टेयर से 2 हेक्टेयर अर्थात् 2.5 एकड़ से 5 एकड़ तक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 40,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति, जो भी कम हो।
3	02 हेक्टेयर या 05 एकड़ से अधिक क्षतिग्रस्त होने की दशा में	अधिकतम रु0 50,000/- अथवा वास्तविक आँकलित क्षति, जो भी कम हो।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कान्सटेबिल के रिक्त पदों पर भर्ती के सम्बन्ध में

***17-श्री प्रसन्न कुमार-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कान्सटेबिल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद वर्तमान में रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

उत्तर प्रदेश पुलिस विभाग में कान्सटेबिल ना0पु0 के स्वीकृत 178647 पदों के सापेक्ष 26744 पद रिक्त हैं। उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में आरक्षी पी0ए0सी0 के स्वीकृत 55389 पदों के सापेक्ष 8714 पद रिक्त हैं।

कान्सटेबिल ना0पु0 के रिक्त 26744 पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में अधियाचन मुख्यालय पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा अधियाचन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड, लखनऊ को प्रेषित किया गया है। भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने हेतु भर्ती बोर्ड द्वारा कार्यदायी संस्थाओं से प्राप्त निविदाओं का तकनीकी परीक्षण प्रचलित है।

उ0प्र0 प्रादेशिक आर्म्ड कान्सटेबुलरी में आरक्षी पी0ए0सी0 के 8714 पदों पर भर्ती की कार्यवाही सम्पन्न किये जाने हेतु अधियाचन, उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड को प्रेषित किया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री प्रसन्न कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपका धन्यवाद करता हूँ कि जो आपने मेरा यह तर्कसंगत प्रश्न यहां पर चर्चा के लिए रखा। इस प्रश्न के माध्यम से मेरा बहुत ज्वलन्त मुद्दा है, जो नौजवानों और बेरोजगारों से जुड़ा हुआ है। मैं मा0 मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि तीन साल से उत्तर प्रदेश में कान्सटेबिल्स की भर्ती क्यों नहीं हुई और इसमें मैं अनुपूरक प्रश्न भी पूछ लूं। सरकार के जवाब में यह आया है कि दो साल तक कोरोना की बीमारी थी तो क्या उन नौजवानों को,

बेरोजगारों को भर्ती हेतु एज में तीन साल की छूट मिलेगी ? मैं इस सवाल का जवाब चाहता हूँ। मेरे दो क्वेश्चन और हैं, वे बाद में करूंगा।

श्री अध्यक्ष-

और कर लो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मा0 अध्यक्ष जी, आप प्रश्न भी देख लें और उत्तर भी देख लें। वर्ष 2018 से लेकर अब तक 01 लाख 32 हजार 625 कान्सटेबिलों की भर्ती हुई है और जो पद रिक्त हैं, वे भी मैंने आपको बता दिए और उसके लिए हमने अधियाचन भेज रखा है, दिनांक 29-09-2021 को जो पुलिस के सिपाही की भर्ती है, उसके लिए दिनांक 29-09-2021 को भेजा है और पी0ए0सी0 की भर्ती के लिए दिनांक 02-05-2022 को अधियाचन भेजा गया है। वह प्रक्रियाधीन है, जैसे ही वह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी तो उनकी नियुक्ति हो जायेगी। साथ ही साथ जो आपने उम्र बढ़ाने की बात पूछी है तो इस प्रकार का कोई ऐसा विचार अभी सरकार के पास विचाराधीन नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

क्या आप इस उत्तर से प्रसन्न नहीं हैं।

श्री प्रसन्न कुमार-

नहीं जी नहीं।

श्री अध्यक्ष-

अब प्रसन्न कुमार जी प्रसन्न नहीं हैं, तो कौन प्रसन्न होगा ?

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, मैं यह पूछना चाहता हूँ कि तीन साल से सरकार ढिंढोरा पीट रही है कि हमने बेरोजगारी खत्म कर दी, जबकि पुलिस एक सरकारी डिपार्टमेण्ट है, उसकी 26000 की वैकेंसी अभी भी रिक्त हुई पड़ी है। 8 हजार की वैकेंसी भी पड़ी है, मान्यवर, 3 साल से बार-बार निवेदन कर रहे हैं, लेकिन वैकेंसी नहीं आयी।

श्री अध्यक्ष-

अभी गया है, और पिछले साल नवम्बर में गया है।

श्री प्रसन्न कुमार-

मान्यवर, मेरा छोटा सा प्रश्न यह है कि जो 178647 पद सृजित हैं, क्या इसका कोई फार्मूला है ? यह पद तो पहले से सृजित हैं, जनसंख्या भी बढ़ी है, थाने भी बढ़े हैं, पुलिस चौकी भी बढ़ी है। तो क्या मा0 मंत्री जी इसको बताने का कष्ट करेंगे कि इसमें भी ऐसा कोई फार्मूला है ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, हमारे यहां पुलिस के थाने 1783 हैं, हालांकि जो मानक है, उसके हिसाब से तो कम है लेकिन 1783 थानों में 65 जी0आर0पी0 के हैं, 10 सतर्कता के हैं, आर्थिक अपराध के 4 हैं, मानव तस्करी, एस0टी0ओ0 के थाने 75 हैं, परिक्षेत्रीय थाने 18 हैं, विद्युत चोरी निरोधक थाने 75 हैं और 79 रिपोर्टिंग पुलिस चौकी हैं। जहां पर भी जैसे ही रिक्ति होती है तो वहां पर भर्ती की प्रक्रिया शुरू हो जाती है, लेकिन इसका जवाब मैं पहले ही दे चुका हूँ कि हमने 1 लाख 52 हजार सिपाहियों को अभी भर्ती किया है। इसी सरकार में भर्ती हुए। 1 लाख 32 हजार 625 कान्सटेबिल को भर्ती किया गया। इसके अतिरिक्त उप निरीक्षक सहित अन्य पदों पर 11,569 पदों सहित कुल 1,44,194 पदों को सीधी भर्ती द्वारा भरा गया। जहां-जहां जैसी-जैसी रिक्ति होती है, उसके हिसाब से भर्ती करते हैं। जो रिक्यूजिशन भेजा है, उसके बारे में भी जानकारी दे दी, उम्र के बारे में भी बता दिया परन्तु बार-बार उसी चीज को दोहराने का कोई मतलब नहीं है।

किसान बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में लाभान्वित किसानों के सम्बन्ध में

***18-श्री अवधेश प्रसाद-**

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि किसान बीमा योजना के अन्तर्गत प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2021-22 में कितने किसानों को इस योजना से लाभान्वित किया गया है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त योजना में मुआवजा हेतु अति वृष्टि, अग्नि से जल जाने तथा छुट्टा जानवरों के चरने से नष्ट फसलों को भी आच्छादित किया गया है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

कृषि विभाग द्वारा किसान बीमा योजना का संचालन नहीं कराया जाता है, अपितु भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अनुरूप प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना प्रदेश के समस्त जनपदों में ग्राम पंचायत स्तर पर खरीफ व रबी की मुख्य फसलों को अधिसूचित करते हुए बीमा कवर प्रदान किया जाता है।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के अन्तर्गत आकाशीय बिजली से उत्पन्न आग एवं बेमौसम/चक्रवातीय वर्षा से होने वाली क्षति को कवर किया गया है। यदि अधिसूचित फसल में 100 प्रतिशत का नुकसान होता है, तो बीमित राशि के बराबर नियमानुसार क्षतिपूर्ति का भुगतान किया जाता है।

उक्त के अतिरिक्त प्रदेश में अतिवृष्टि एवं आगजनी की घटनाओं में नुकसान होने वाली फसल का गृह मंत्रालय, भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित मानकों/दरों के अनुसार तथा राज्य कृषि उत्पादन मण्डी परिषद् के पत्र संख्या-विप-3/2743/2018-538, दिनांक 26-09-2018 में 'मुख्य मंत्री

खेत-खलिहान अग्निकाण्ड दुर्घटना सहायता योजना' के अन्तर्गत अग्निकाण्ड से फसल क्षति होने पर प्रभावित कृषकों को सहायता धनराशि दिये जाने का प्राविधान है।

छुट्टा जानवरों के चरने से नष्ट फसलों का नुकसान उक्त योजनाओं में सम्मिलित नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

श्री अवधेश प्रसाद-

माननीय अध्यक्ष जी, यह प्रश्न प्रदेश के किसानों से जुड़ा हुआ प्रश्न है। मैं देश के प्रधानमंत्री जी को बधाई देता हूँ कि वह किसान बीमा दुर्घटना योजना का बहुत जोरों से देश में प्रचार भी कराते हैं और उनकी मंशा है कि किसानों को इससे फसल का लाभ मिले, लेकिन आज मुझे बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि प्रधानमंत्री जी के आदेश व इच्छा के अनुसार भी इस प्रदेश में काम नहीं हो रहा है। हमने जो प्रश्न पूछा था कि कितने किसानों को इससे लाभ मिलेगा तो सरकार की तरफ से कुछ नहीं बताया गया। श्रीमन् मैंने यहां तक पूछा था कि उक्त योजना में मुआवजा हेतु किसानों की ओला गिरने से, अति वृष्टि होने से, अग्नि के जलने पर और छुट्टा जानवरों के चरने से नष्ट फसलों को भी आच्छादित किया गया है ? इस उत्तर में इन्होंने जो जवाब दिया है।

श्री अध्यक्ष-

जो उत्तर दिया गया है, उस पर अनुपूरक पूछ लीजिए।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, यह अनुपूरक का ही महत्वपूर्ण अंश है 'छुट्टा जानवरों के चरने से नष्ट फसलों का नुकसान उक्त योजनाओं में सम्मिलित नहीं है'। श्रीमन्, आज प्रदेश में जो समस्या है, वह छुट्टा जानवर है, जिसमें सांड़ आते हैं जिसके लिए हाउस में बातें आयी भी हैं। आज जो समस्या है कि सांड़ों के चरने से हमारे क्षेत्र में यदि किसी गांव में चले जायें तो रात में अपने घर पर कोई नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय अवधेश जी, आप प्रश्न कर लो।

श्री अवधेश प्रसाद-

जी मान्यवर, मैं प्रश्न कर रहा हूँ। उन लोगों को खास तौर से जिस परिवार में कोई मेल सदस्य नहीं है, केवल महिला है, लड़कियां हैं जिनके पास 2-4 बीघा खेत है तो वह रात में कैसे सांड़ों से रखवाली करने के लिए जाएंगी। पूरी फसल चट हो रही है, जिससे नुकसान हो रहा है, लेकिन इस योजना में सम्मिलित नहीं है। पता नहीं कौन सी योजना आएगी, पता नहीं कौन सा दिन आयेगा जिससे सांड़ों से हम किसानों की फसलों को बचा सकेंगे।

श्री जयवीर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, जैसा मा0 सदस्यों का संज्ञान है कि हमारा पशु पालन विभाग गायों के संरक्षण के लिए, संवर्धन के लिए, उनके रख-रखाव के लिए और आवारा पशु पालन के लिए तमाम व्यवस्थायें सुनिश्चित कर रहा है। लेकिन जहां तक आपका माननीय प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सवाल है, तो जो भी क्षति प्राकृतिक रूप से उत्पन्न आग या बेमौसम चक्रवाती वर्षा से होती है उसमें निश्चित रूप से हम लोग 100 प्रतिशत क्षतिपूर्ति करते हैं। मान्यवर, योजना में 2021-22 में 7 लाख 8 हजार किसानों को हम मुआवजा प्रतिपूर्ति भी किये हैं। सरकार किसानों के हितों के लिए पूरी तरह से कटिबद्ध है और उनके हितों का ख्याल रख रही है। इसके अलावा भी किसानों के नुकसान की भरपाई के लिए राज्य आपदा मोचक निधि के द्वारा राजस्व विभाग से अलग हम लोग उनके लिए सुविधा दे रहे हैं। मुख्य मंत्री खेत-खलिहान, अग्नि काण्ड, दुर्घटना सहायता योजना में मण्डी परिषद् के द्वारा तमाम सहायता देने का काम कर रहे हैं। मान्यवर, किसानों का हित सरकार की शीर्ष प्राथमिकता में है।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये झूठ बोल रहे हैं। इतना बड़ा झूठ कि ये सूरज को अंधेरा दिखा रहे हैं, दिन को रात बता रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

ये झूठ नहीं बोल रहे हैं, आप सच बोल दीजिये।

श्री अवधेश प्रसाद-

मान्यवर, आप निर्णय दे दें। श्रीमन्, आपका संरक्षण हमें चाहिए। हमने साफ सवाल किया कि कितने किसानों को लाभ मिला है, इसमें कहीं पर कोई चर्चा नहीं है। मान्यवर, आपसे निवेदन है कि इस विषय पर माननीय पाण्डेय जी को भी बोलने का आप मौका दें।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

माननीय अध्यक्ष जी, निश्चित रूप से पक्ष और विपक्ष हो सकता है, लेकिन ये पूरा सदन सहमत होगा कि छुट्टा जानवर और छुट्टा जानवर में केवल सांड़ ही नहीं है, कहीं जंगली सुअर है, कहीं नीलगाय है, कहीं अनेक प्रकार के इस तरीके के जानवर हैं जो आये दिन किसानों की फसल को चौपट कर रहे हैं। हम और आप सब चुनकर आये हैं, जब क्षेत्र में जाते हैं तो इन समस्याओं से हम लोग कहीं न कहीं रूबरू होते हैं। किसान दुर्घटना बीमा योजना में माननीय सीनियर सदस्य अवधेश जी का यही पूछना था कि छुट्टा जानवरों के द्वारा किसानों की जो फसल नष्ट की जा रही है, उनके खेत बर्बाद हो रहे हैं क्या इसको सरकारी योजना में शामिल करेगी ?

श्री अध्यक्ष-

यह उसमें शामिल नहीं हो पायेगा, ये तो उन्होंने बता दिया।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

मान्यवर, मैं अपनी पूरी बात तो कर लूं। यही पूछा गया था, लेकिन जब सरकार का जवाब आया तो उससे स्पष्ट हो गया कि आज किसानों की जो फसल चरी जा रही है, उसमें सरकार संरक्षण दे रही है और किसानों के प्रति, उनके हितों के प्रति फिक्रमन्द नहीं है। इसलिए हम लोग सदन का 02 मिनट के लिए बहिर्गमन करते हैं।

(समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री मनोज कुमार पाण्डेय अपने दल के सदस्यों सहित सदन त्याग कर चले गये)

जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश में पेयजल संकट के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने विषयक

***19-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-**

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश में पेयजल संकट के निराकरण हेतु इण्डिया मार्का युक्त नये हैण्डपम्पों की स्थापना कराये जाने की सरकार की कोई योजना है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से वर्ष 2024 तक आच्छादित किया जाना है। उक्त के क्रम में जनपद चित्रकूट सहित प्रदेश के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

मान्यवर, आपके माध्यम से जो माननीय मंत्री जी का जवाब आया है। जनपद चित्रकूट समेत पूरे बुन्देलखण्ड में पेयजल की समस्या को देखते हुए इण्डिया मार्का युक्त नये हैण्डपम्पों को लगवाये जाने के सम्बन्ध में माननीय मंत्री जी द्वारा जो जवाब दिया गया है, मैं उससे असन्तुष्ट हूँ। आपने अवगत कराया है कि वर्ष 2024 तक जो पाइप पेयजल की परियोजनाएँ हैं वो पूर्ण हो जायेंगी और उसके बाद पानी लोगों को मिलने लगेगा। मेरा पहला अनुपूरक यह है कि वर्ष 2022 से 2024 के बीच में ये जो 02 साल का अन्तराल है, इस बीच में जनता को पानी की उपलब्धता कैसे हो पायेगी, इसके विषय में आपका मार्गदर्शन चाहते हैं, पहला क्वेश्चन।

श्री अध्यक्ष-

आप पहले इसका उत्तर ले लीजिए, नहीं तो आपके किसी भी प्रश्न का उत्तर नहीं आ पायेगा।

श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

मान्यवर, आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से दो छोटे-छोटे क्वेश्चन्स पूछना चाहता हूँ कि आपने जो गांव में पाइपलाइन बिछाने का काम बताया है, कितने प्रतिशत गांवों में अभी काम चालू नहीं हुआ है ? आपने जो बताया है कि बुन्देलखण्ड में 41 परियोजनाएँ विचाराधीन हैं, उनका काम कब तक समाप्त होगा ? मान्यवर, अगला क्वेश्चन है कि 2019 में इण्डिया मार्का हैण्डपम्पों की स्थापना बन्द कर दी गई, आखिर 2019 में क्यों बन्द कर दी गई ? इस योजना के बन्द होने से बुन्देलखण्ड के हम सब विधायक परेशान हैं। आखिर हम जनता को कैसे पानी उपलब्ध करायेंगे ? आपके माध्यम से इसके विषय में माननीय मंत्री जी से जवाब जानना चाहेंगे।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। अब प्रश्नों का समय समाप्त हो गया है।

***20-श्री फतेह बहादुर-**

[मा0 सदस्य द्वारा वापस लिया गया]

श्री अध्यक्ष-

तारांकित प्रश्न सं0-20 में माननीय सदस्य श्री फतेह बहादुर जी ने अपना प्रश्न वापस ले लिया है।

आज सारे प्रश्न उत्तरित हो गये, अब प्रश्नों का समय समाप्त होता है।

(सदस्य श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान' के द्वारा बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मैं आपसे बोल रहा था कि एक प्रश्न पूछ लीजिए और उसका उत्तर आ जायेगा। लेकिन आप भाषण देने लगे, इसमें मेरा क्या कसूर है, अब 12:20 हो गया है।[†]

अतारांकित प्रश्न

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजवाहा से निकलने वाली हंसपुरा माइनर के विस्तार की योजना के सम्बन्ध में

1-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी रजवाहा से निकलने वाली हंसपुरा माइनर के विस्तार की सरकार कोई कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

[†] आज की कार्य सूची के नत्थी 'क' के तारांकित प्र0सं0-20 के उपरान्त प्रश्नों का समय समाप्त हुआ।

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद आगरा में फतेहपुर सीकरी रजवाहा एवं हंसपुरा माइनर नाम की कोई नहर प्रवाहित नहीं होती है।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के समाधान हेतु योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में

2-श्री बाबूलाल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के समाधान के लिए कोई योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद आगरा के फतेहपुर सीकरी विधान सभा क्षेत्र में पेयजल आपूर्ति के समाधान हेतु 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत सतही स्रोत आधारित पेयजल योजना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

3-श्री तेजपाल सिंह नागर-

[02-गुरुवार के अतारांकित प्र0सं0-36 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शाहजहांपुर के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय द्वारा नालों की सफाई तथा पुलिया निर्माण हेतु अवमुक्त धनराशि विषयक

4-डॉ0 वीर विक्रम सिंह 'प्रिंस'-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना शाहजहांपुर के अधिशाषी अभियन्ता कार्यालय को 01-04-21 से 31-03-22 तक सिल्ट सफाई, नालों की सफाई तथा नई पुलिया निर्माण के लिए कितनी धनराशि कब प्राप्त हुई है ? क्या सरकार को जानकारी है कि सिल्ट सफाई में घोटाला हुआ है ? क्या सरकार उक्त की जांच के आदेश देगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर को दिनांक 01-04-21 से दिनांक 31-03-22 तक सिल्ट सफाई के लिए दिनांक 23-11-2021 को रु0 59.310 लाख, नालों की सफाई के लिए दिनांक 02-09-2021 को रु0 80.00 लाख व दिनांक 17-11-2021 को रु0 89.90 लाख का बजट प्राप्त हुआ तथा नई पुलिया निर्माण के लिए कोई बजट प्राप्त नहीं हुआ है।

जी नहीं, राष्ट्रीय जल प्रबन्ध योजना, शारदा नहर खण्ड, शाहजहांपुर द्वारा कराये गये सिल्ट सफाई कार्यों में कोई घोटाला नहीं हुआ है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक के ग्राम पंचायत ततरौता को गत वर्ष में परफॉर्मेंस ग्रान्ट में वित्तीय अनियमितता कर निविदाओं में तथा कराये गये विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी की जांच कराये जाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

5-श्री पूरन प्रकाश-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मथुरा में बल्देव ब्लाक के ग्राम पंचायत ततरौता को गत वर्ष में परफॉर्मेंस ग्रान्ट के रूप में 7.5 करोड़ रुपये की धनराशि उपलब्ध करायी गयी थी ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त परफॉर्मेंस ग्रान्ट में वित्तीय अनियमितता कर निविदाओं में तथा कराये गये विकास कार्यों में मानकों की अनदेखी कर सरकारी धन का दुरुपयोग किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

पंचायती राज मंत्री (श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी)-

जी हां।

शासनादेश दिनांक 24-04-2020 द्वारा 7.52 करोड़ धनराशि स्वीकृत की गयी है। इस सम्बन्ध में गठित राज्य स्तरीय समित द्वारा संस्तुति के क्रम में पत्र दिनांक 25-11-2020 द्वारा धनराशि रु0 7.28 करोड़ की परियोजना स्वीकृत की गयी है।

जनपद स्तर पर 08 सदस्यीय जिसमें तकनीकी, प्रशासनिक एवं वित्त विशेषज्ञता को ध्यान में रखते हुए जिला स्तरीय अधिकारियों की निविदा समिति का गठन किया गया है। निविदाओं को मानक के अनुरूप पाये जाने के फलस्वरूप समिति द्वारा कार्य कराने की स्वीकृति प्रदान की गयी है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम पंचायत ततरौता में परफॉर्मेंस ग्रान्ट के अन्तर्गत कार्यों का निर्माण अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विकास खण्ड-बल्देव ने अपनी उपस्थिति में कराया है। तदोपरान्त कार्यों में प्रयुक्त सामग्री की लैब टेस्टिंग की रिपोर्ट को मानक के अनुरूप न पाये जाने व साइट इंजीनियर की आख्या के अनुसार कार्यों के संतोषजनक पाये जाने एवं उपरोक्त नामित अधिकारियों द्वारा कार्यों की स्थलीय जांच के उपरान्त प्रस्तुत जांच आख्याएं जिनमें कार्यों को सन्तोषजनक पाया गया है, के पश्चात् अवर अभियन्ता, लघु सिंचाई विकास खण्ड-बल्देव द्वारा

प्रेषित एम0बी0 के अनुसार ग्राम प्रधान व सचिव द्वारा भुगतान की कार्यवाही सुनिश्चित की जा रही है।

जनपद मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने पर कृत कार्रवाई की जानकारी विषयक

6-श्री रितेश कुमार गुप्ता-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि अपर मुख्य सचिव, उच्च शिक्षा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन, लखनऊ को सम्बोधित जिलाधिकारी, मुरादाबाद के पत्र संख्या-377/आर0ए0/प्रथम/रा0वि0वि0मु0/2019-20, दिनांक 10 दिसम्बर, 2019 के द्वारा जनपद मुरादाबाद में राज्य विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने हेतु प्रस्ताव प्रेषित किया गया है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अभी तक क्या कार्रवाई की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

उक्त प्रस्ताव के क्रम में विश्वविद्यालय स्थापित किये जाने का कोई निर्णय नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

कानपुर महानगर के शहरी आबादी क्षेत्र से होकर निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर के मार्ग व नहर पट्टी का पक्का निर्माण कराये जाने जाने विषयक

7-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि कानपुर महानगर के शहरी आबादी क्षेत्र से होकर निकलने वाली सिंचाई विभाग की नहर के मार्ग व नहर पट्टी के पक्का निर्माण पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्नगत कार्य हेतु स्थलीय सर्वेक्षण कराया गया। सर्वेक्षणोपरान्त परियोजना तकनीकी रूप से साध्य नहीं पायी गयी।

जनपद कुशीनगर के ग्राम खनवार बकलोलही, तहसील पडरौना स्थित गाटा संख्या-600/0.26 के सम्बन्ध में उ0प्र0भू0रा0 की धारा-41 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, पडरौना द्वारा आदेश के अनुपालन के सम्बन्ध में

8-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कुशीनगर के ग्राम खनवार बकलोलही, तहसील पडरौना स्थित गाटा संख्या-600/0.26 के सम्बन्ध में उ0प्र0भू0रा0 की धारा-41 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, पडरौना वाद सं0-29 वृद्धिचन्द्र आदि बनाम ग्राम सभा में दिनांक 27-09-1993 को फील्ड बुक पुष्ट करते हुए पत्थर नसब किये जाने का

आदेश पारित हुआ है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त आदेश का अनुपालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद कुशीनगर के ग्राम खनवार बकलोलही, तहसील पडरौना स्थित गाटा संख्या-600/0.26 के सम्बन्ध में उ0प्र0भू0रा0 की धारा-41 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, पडरौना द्वारा वाद सं0-29 वृद्धिचन्द्र आदि बनाम ग्राम सभा में दिनांक 27-09-1993 के अनुपालन में मौके पर पत्थर नसब की कार्यवाही वादी, प्रतिवादीगण एवं ग्रामीण जनता की उपस्थिति में कर दी गयी है तथा मौके पर वादी को कब्जा दखल प्राप्त करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के दोनों तरफ कतिपय ग्राम पंचायतों की कृषि योग्य जमीनों पर भू-माफियाओं के अवैध कब्जे हटवाये जाने के सम्बन्ध में

9-श्री गौरव कुमार-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के दोनों तरफ ग्राम पंचायत-रसौली, प्रतापगंज, जलालपुर, दादरा सहित अन्य ग्राम पंचायतों की कतिपय कृषि योग्य जमीनों पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर अवैध कब्जा हटवायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, बाराबंकी द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार तहसील-नवाबगंज, जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के दोनों तरफ राजस्व ग्रामों में पाये गये अतिक्रमणों का विवरण निम्नवत् है :-

1-ग्राम लक्ष्बरबजहा की गाटा सं0-2140/0.072 हे0 बंजर व गाटा सं0-2141/0.101 हे0 बंजर व गाटा सं0-2109/0.084 हे0 नवीन परती व गाटा सं0-2180झ/0.080 हे0 बंजर व गाटा सं0-2113ख/0.050 हे0 बंजर कुल रकबा-0.387 हे0 को अरबन डोर इन्फ्राटेक प्रा0लि0 द्वारा डायरेक्टर डॉ0 फैसल खान पुत्र नरूल हसन खान, निवासी-कार्पोरेट आफिस, बी-94, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अवैध कब्जा करके प्लाटिंग में शामिल कर लिया गया है।

2-राजस्व ग्राम-जलालपुर, परगना-प्रतापगंज, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी की गाटा सं0-46/0.0170 हे0 बंजर पर रेव ग्लोबल सोल्यूशन्स प्रा0लि0, 7 फ्लोर, साइबर हाइट, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ द्वारा अपने प्लाटिंग में जाने हेतु मुख्य रास्ता बनाकर अवैध अतिक्रमण किया गया है।

3-राजस्व ग्राम लक्ष्बरबजहा, परगना-प्रतापगंज, तहसील-नवाबगंज, जनपद-बाराबंकी की गाटा सं0-2336/0.338 हे0 ऊसर के आंशिक भाग पर डॉ0 राजेन्दर प्रसाद एजू0प्रा0लि0 द्वारा ममता श्रीवास्तव पत्नी विजय कुमार श्रीवास्तव, निवासी-101, सेक्टर-डी, अलीगंज, लखनऊ द्वारा बिल्डिंग बनाकर अवैध कब्जा किया गया है।

4-राजस्व ग्राम-रसौली, दादरा, प्रतापगंज व अन्य राजस्व ग्रामों में राष्ट्रीय राजमार्ग अयोध्या के किनारे कृषि भूमि पर अतिक्रमण नहीं पाया गया है।

उक्त अवैध अतिक्रमणकारियों के विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता-2006 की धारा-67 के अन्तर्गत कार्यवाही कर दी गयी है, जिसमें वाद विचाराधीन है। पक्षों को सुनकर यथाशीघ्र निस्तारण कर दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम भीकनपुर के कतिपय मार्ग का नवनिर्माण करवाने के सम्बन्ध में

10-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के अन्तर्गत ग्राम भीकनपुर सदासुख में श्री सौहराज सिंह के घर से श्री मलिखान सिंह के घर तक के मार्ग में जलभराव होने के कारण आवागमन में असुविधा हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का नव निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

प्रश्नगत प्रकरण में जांच के समय पाया गया कि ग्राम भीकनपुर सदासुख में श्री सौहराज सिंह के घर से श्री मलिखान सिंह के घर तक बने मार्ग पर कहीं भी जलभराव की स्थिति नहीं है। उक्त मार्ग आर0सी0सी0 से बना है तथा कहीं भी टूटा-फूटा नहीं है। आवागमन की कोई समस्या नहीं है। मार्ग के दोनों ओर निर्मित नालियों की सफाई करा दी गयी है। उक्त मार्ग के नव निर्माण की कोई आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के कतिपय विकास खण्ड में भू-गर्भ जल रिचार्ज कराने के दृष्टिगत अमृत सरोवर परियोजना लागू करने के सम्बन्ध में

11-डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड गौरा, शिवगढ़, मान्धाता, बेलखरनाथ धाम डार्क जोन में हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विकास खण्डों में भू-गर्भ जल रिचार्ज करने के दृष्टिगत अमृत सरोवर परियोजना लागू करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

भारत सरकार की भू-जल आँकलन समिति-2015 (जी0ई0सी0-2015) के मार्ग-निर्देशों (मेथाडोलाजी) के अनुसार समस्याग्रस्त विकास खण्डों का वर्गीकरण चार श्रेणियों में यथा अतिदोहित, क्रिटिकल, सेमी क्रिटिकल एवं सुरक्षित श्रेणी में किया जाता है। 31 मार्च, 2020 के आंकड़ों के आधार पर जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड-शिवगढ़ एवं मान्धाता को क्रिटिकल श्रेणी (डार्क जोन) में तथा विकास खण्ड-गौरा एवं बेलखरनाथ धाम को सेमी क्रिटिकल श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है।

अमृत सरोवर परियोजना विभाग से सम्बन्धित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गोपालपुर, शिवाल मठिया, वशिष्ठ नगर, मानगढ़ आदि में घाघरा नदी से हो रहे कटान को रोकने विषयक

12-श्री जय प्रकाश अंचल-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गोपालपुर, शिवाल मठिया, वशिष्ठ नगर, मानगढ़ आदि में घाघरा नदी से हो रहे कटान को रोकने के लिए कोई ठोस कार्य योजना सरकार बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत गोपालपुर, शिवाल मठिया, वशिष्ठ नगर, मानगढ़ आदि तटबन्ध एवं नदी के मध्य स्थित होने के कारण डूब क्षेत्र (फ्लड प्लेन जोन) में आते हैं। डूब क्षेत्र में स्थित आबादी को बाढ़ से सुरक्षा प्रदान किया जाना बाढ़ सुरक्षा के दिशा-निर्देशों के अनुसार सम्भव नहीं है।

जनपद अयोध्या के स्व0 कान्सटेबल देवदत्त सिंह के पुत्र श्री विशाल सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु आयु में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में

13-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि संयुक्त सचिव उत्तर प्रदेश शासन का पत्रांक सी0एम0-51/6-पु0-10-1200(115)/2018, दिनांक 09-07-2020 जोकि जनपद अयोध्या के

स्व0 कान्सटेबल देवदत्त सिंह के पुत्र श्री विशाल सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु आयु वर्ष में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, पुलिस अधीक्षक, कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अयोध्या के स्व0 कान्सटेबल देवदत्त सिंह के पुत्र श्री विशाल सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजन हेतु आयु वर्ष में छूट प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में संयुक्त सचिव, गृह, उ0प्र0 शासन का पत्रांक सी0एम0-51/6-पु0-10-1200(115)/2018, दिनांक 09-07-2020, पुलिस अधीक्षक कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ को प्राप्त हुआ है।

शासन के उक्त पत्र दिनांक 09-07-2020 के क्रम में पुलिस अधीक्षक कार्मिक, उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय, लखनऊ के पत्र दिनांक 27-08-2020 द्वारा प्राप्त सूचना/आख्यानुसार प्रकरण में सम्यक् विचारोपरान्त शासन के पत्र सं0-674/छः-पु0-10-1200(115)/2018, दिनांक 20-11-2020 द्वारा श्री विशाल सिंह पुत्र स्व0 देवदत्त सिंह को मृतक आश्रित के रूप में सेवायोजित किये जाने हेतु निर्धारित समय-सीमा से 05 वर्ष के उपरान्त निहित विलम्ब (लगभग 12 वर्ष 08 माह) के आलोक में आयु सीमा में शिथिलता/छूट प्रदान किये जाने का औचित्य नहीं पाया गया है। पुलिस मुख्यालय के पत्र दिनांक 24-11-2020 द्वारा श्री विशाल सिंह पुत्र स्व0 देवदत्त सिंह को उक्त स्थिति से अवगत कराया जा चुका है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर घर जल योजना का कार्य निर्धारित समय-सीमा में पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

14-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के बुन्देलखण्ड क्षेत्र में लोगों को स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने हेतु हर घर जल योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त योजना का कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण करायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

बुन्देलखण्ड के जनपद झांसी, जालौन, ललितपुर, बांदा, महोबा, हमीरपुर एवं चित्रकूट में 'जल जीवन मिशन' कार्यक्रम के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्रों में निर्माणाधीन पाइप पेयजल योजनाओं का कार्य मार्च, 2023 तक पूर्ण कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ नगर के कुर्सी रोड पर चौथे नये वाटर वर्क्स की स्थापना हेतु जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ द्वारा जल निगम को भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं सरकारी भूमि सम्बन्धी अद्यतन विवरण के सम्बन्ध में जानकारी

15-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के कुर्सी रोड पर चौथे नये वाटर वर्क्स की स्थापना हेतु जिलाधिकारी कार्यालय लखनऊ द्वारा जल निगम को भूमि उपलब्ध करायी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार भूमि सम्बन्धी अद्यतन विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रकरण में जिलाधिकारी, लखनऊ द्वारा अवगत कराया गया है कि तहसील सदर एवं बी0के0टी0 से प्राप्त रिपोर्ट के अनुसार लखनऊ नगर के कुर्सी रोड पर चौथे नये वाटर वर्क्स की स्थापना हेतु उत्तर प्रदेश जल निगम द्वारा अपेक्षित 05 हेक्टेयर भूमि एक स्थान पर उपलब्ध न होने के कारण जिलाधिकारी कार्यालय द्वारा जल निगम को भूमि उपलब्ध नहीं करायी गयी है।

लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज क्षेत्र में एस0टी0पी0 निर्माण हेतु भूमि उपलब्ध कराये जाने एवं एस0टी0पी0 का निर्माण करवाये जाने विषयक

16-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ नगर के फैजुल्लागंज क्षेत्र में एस0टी0पी0 लगाये जाने हेतु जल शक्ति विभाग को भूमि उपलब्ध करायी गयी थी ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि पर एस0टी0पी0 निर्माण कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जी हां।

नमामि गंगे कार्यक्रमान्तर्गत सीवरेज ट्रीटमेन्ट प्लान्ट एवं तत्सम्बन्धी कार्यों हेतु प्रेषित डी0पी0आर0 की स्वीकृति एवं धनावंटन के उपरान्त आवंटित भूमि पर एस0टी0पी0 का निर्माण कराया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर के विकास खण्ड सरवन खेड़ा के ग्राम गुजराई में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित करवाये जाने विषयक

17-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात के तहसील अकबरपुर के विकास खण्ड सरवन खेड़ा के ग्राम गुजराई में किसानों के कृषि सिंचाई हेतु नहरों

का साधन नहीं होने से किसानों की फसल असिंचित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त किसानों के लिए नलकूप स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद कानपुर देहात के तहसील-अकबरपुर के विकास खण्ड सरवन खेड़ा के ग्राम गुजराई में एक राजकीय नलकूप स्थापित है जिसके द्वारा कृषकों को मांग के अनुरूप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है। इसके अतिरिक्त इटावा शाखा के टेल भाग पर स्थित अकबरपुर रजवाहा के माध्यम से भी क्षेत्र के कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर के विकास खण्ड मलासा के ग्राम कछगांव में सिंचाई हेतु नलकूप स्थापित करवाये जाने विषयक

18-श्री महेश त्रिवेदी-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर देहात की तहसील भोगनीपुर के विकास खण्ड मलासा के ग्राम कछगांव में किसानों के कृषि की सिंचाई हेतु नहरों का साधन नहीं होने से किसानों की फसल असिंचित रहती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त क्षेत्र में सिंचाई हेतु किसानों के लिए नलकूप स्थापित करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद कानपुर देहात के तहसील-भोगनीपुर के विकास खण्ड मलासा के ग्राम कछगांव में 04 राजकीय नलकूप स्थापित हैं, जिनके द्वारा कृषकों को उनकी मांग के अनुरूप सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

उपर्युक्तानुसार।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली पर बने पहलादो प्राकृतिक जल स्रोत का उपयोग सिंचाई के लिए करने हेतु लिफ्ट कैनाल बनवाये जाने विषयक

19-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी में बेतवा नदी पर डिकौली पर बने पहलादो प्राकृतिक जल स्रोत का उपयोग सिंचाई के लिए करने हेतु एक लिफ्ट कैनाल बनाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

ग्राम-डिकौली के अपस्ट्रीम में बेतवा नदी पर निर्माणाधीन एरच बांध परियोजना में नहर के माध्यम से 1850 हेक्टेयर क्षेत्र की सिंचाई किया जाना प्राविधानित है। परियोजना के अन्तर्गत डिकौली माइनर को भी पानी पहुंचाया जाना प्रस्तावित है।

उक्त के दृष्टिगत प्रस्तावित स्थल पर लिफ्ट कैनाल के निर्माण की कोई परियोजना सिंचाई यांत्रिक विभाग द्वारा प्रस्तावित नहीं है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुरा में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य समय-सीमा के अन्दर पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में

20-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम रामदासपुरा में राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य पूर्ण हो गया है ? यदि नहीं, तो क्या सरकार समय-सीमा निर्धारित कर कार्य पूर्ण कराकर शैक्षिक सत्र का संचालन करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

माध्यमिक शिक्षा राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार) (श्रीमती गुलाब देवी)-

जी हां।

जी हां।

पद सृजन के उपरान्त आगामी शैक्षिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू कराया जाना प्रस्तावित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद में खराब सरकारी नलकूपों को ठीक कराने के सम्बन्ध में

21-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के ब्लॉक फिरोजाबाद एवं शिकोहाबाद में कितने सरकारी नलकूप हैं एवं उनमें से वर्तमान में कितने नलकूप खराब तथा नलकूप चालू अवस्था में हैं ? क्या सरकार उक्त दोनों ब्लाक में खराब नलकूपों को ठीक कराकर चालू करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

दिनांक 01-04-2022 की स्थिति के अनुसार जनपद फिरोजाबाद के विकास खण्ड-फिरोजाबाद में 15 राजकीय नलकूप एवं विकास खण्ड-शिकोहाबाद में 50 राजकीय नलकूप संचालित हैं।

दिनांक 12-05-2022 की साप्ताहिक बन्दी के अनुसार विकास खण्ड-फिरोजाबाद में यांत्रिक तथा विद्युत दोष से कोई नलकूप बन्द नहीं है। विकास खण्ड-शिकोहाबाद में यांत्रिक दोष से 02 राजकीय नलकूप बन्द हैं।

राजकीय नलकूपों का अस्थायी रूप से यांत्रिक/विद्युत दोष से बन्द होना एवं चालू कराया जाना एक सतत् प्रक्रिया है।

यांत्रिक दोष से बन्द राजकीय नलकूपों को विभागीय मानकों के अनुसार निर्धारित अवधि में ठीक कर चालू करा दिया जाता है। विद्युत दोष से अस्थायी रूप से बन्द राजकीय नलकूपों को चालू कराये जाने हेतु विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ संयुक्त बैठक कर बन्द नलकूपों को चालू कराये जाने की कार्यवाही की जाती है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद के थाना बसई मुहम्मदपुर के अन्तर्गत ग्राम पंचायतों में मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 के मध्य लोगों पर लगाई गई धारा-107, 116 एवं 151 के सम्बन्ध में

22-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद के थाना बसई मुहम्मदपुर के अन्तर्गत किन-किन ग्राम पंचायतों के मार्च, 2022 एवं अप्रैल, 2022 में कितने लोगों पर धारा-107, 116 एवं 151 लगायी गयी है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां। विवरण निम्नवत है :-

क्र0 सं0	ग्राम पंचायत	धारा-107/116 सीआरपीसी की कार्यवाही की गयी व्यक्तियों की संख्या	धारा-151 सीआरपीसी में गिरफ्तार किये गये व्यक्तियों की संख्या
1	2	3	4
1	बसई मौ0 पुर	44	9
2	विलहना	2	10
3	नसीरपुर	4	0
4	जहांगीरपुर	5	0
5	नूरपुर	12	3
6	फतेहपुर	6	0
7	गाजीपुर	2	0

1	2	3	4
8	आलमपुर कनेटा	37	1
9	पहाड़पुर	21	5
10	शकरपुर	40	7
11	मडुआ	9	0
12	उस्मानपुर	50	0
13	सौफीपुर	8	2
14	बिहारी मौ0पुर	22	0
15	प्रेमपुर रेपुरा	2	2
16	चन्द्रवार	67	11
सम्पूर्ण योग		**331**	**50**

जी हां, उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2021-22 में परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु स्कूल बैग, ड्रेस, जूता-मौजा आदि के क्रय हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से अभिभावकों के खाते में 1100/- रुपये अन्तरित किये जाने के सम्बन्ध में

23-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में शैक्षिक सत्र 2021-22 में परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं हेतु स्कूल बैग, ड्रेस, जूता-मौजा आदि के क्रय हेतु डी0बी0टी0 के माध्यम से अभिभावकों के खाते में प्रति छात्र 1100/- रुपये अन्तरित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि दिनांक 28-04-2022 तक कितने छात्र-छात्राओं के अभिभावकों ने स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग आदि का क्रय कर लिया है ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप सिंह-

जी हां।

1,56,28,171 पात्र छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ स्कूल ड्रेस, स्कूल बैग, जूता-मौजा एवं स्वेटर के क्रय हेतु धनराशि उनके माता-पिता/अभिभावक के खाते में अन्तरित की गयी है। अन्तरित धनराशि का उपयोग यूनीफार्म, स्वेटर, जूता-मोजा एवं स्कूल बैग क्रय करने हेतु एस0एम0सी0 की मीटिंग तथा पैरेन्ट-टीचर मीटिंग में अभिभावकों को प्रेरित किया गया है।

शासनादेश दिनांक 21-03-2022 द्वारा निर्देशित किया गया है कि प्रधानाध्यापकों द्वारा यह सुनिश्चित किया जायेगा कि प्रेषित की गयी धनराशि से निर्धारित सामग्रियों का क्रय कर लिया गया है। प्रमाण स्वरूप फुल ड्रेस में प्रत्येक बच्चे की फोटो अपलोड की जाय।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद लखनऊ में अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों की पहचान कर नागरिकता की जांच कर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

24-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद लखनऊ में अवैध रूप से बांग्लादेशी रोहिंग्या लोगों के रहने की सूचनायें सरकार को प्राप्त हैं ? यदि हां, तो क्या उक्त संदिग्धों की पहचान व नागरिकता की जांच कराकर सरकार आवश्यक कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जनपद लखनऊ में अवैध रूप से वास करने वाले संदिग्ध बांग्लादेशी/रोहिंग्या नागरिकों की पहचान/चिन्हित किये जाने की कार्यवाही सतत् प्रक्रिया के अन्तर्गत प्रचलित रहती है, जिसके अन्तर्गत जनपद लखनऊ/महानगर के विभिन्न स्थानों यथा-रेलवे स्टेशन/रेलवे लाइन के पास, खाली पड़े जमीनों, बन्धों के किनारे आदि स्थानों पर झुग्गी-झोपड़ी बनाकर निवास करने वाले एवं कूड़ा-करकट बीनकर, लोगों के घरों में चौका-बरतन/साफ-सफाई करने वाले तथा छोटे-मोटे विभिन्न प्रकार के रोजगार आदि कार्य करने वाले परिवारों/व्यक्तियों से उनकी नागरिकता आदि के सम्बन्ध में निरन्तर जांच-पड़ताल की जाती है। उक्त कार्यवाही के अन्तर्गत इनके द्वारा पश्चिम बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों के बताये गये पते से उनकी नागरिकता/चरित्र आदि के सत्यापन की कार्यवाही की जाती है। इनके द्वारा बताये गये प्रदेश/जनपदों से नागरिकता सत्यापन न होने या जांच-पड़ताल के क्रम में अन्य माध्यमों से इन्हें अवैध घुसपैठिया/बांग्लादेशी/रोहिंग्या नागरिक पाये जाने पर इनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही कर उद्धासन की कार्यवाही की जाती है।

इस कार्यवाही के अन्तर्गत विगत 05 वर्षों (वर्ष 2017 से अब तक) में कुल 11 बांग्लादेशी नागरिकों को चिन्हित कर उनके विरुद्ध विधिक कार्यवाही की गयी है तथा उक्त अवधि में कुल 06 बांग्लादेशी नागरिकों को बांग्लादेश हेतु उद्धासित किया गया है। जनपद में निवासरत् कुल 25 संदिग्ध व्यक्तियों के नागरिकता सत्यापन हेतु पश्चिम बंगाल, आसाम आदि प्रदेशों से पत्राचार किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक, उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक व छात्रों की संख्या का निर्धारित मानक विषयक

25-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के परिषदीय प्राथमिक व उच्च प्राथमिक विद्यालयों में प्रति अध्यापक व छात्रों की संख्या का निर्धारित मानक क्या है ? क्या सरकार ने उक्त विद्यालयों में अध्यापक व छात्र का मानक पूर्ण करने की कोई कार्य योजना बनाई है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं तो, क्यों?

श्री सन्दीप सिंह-

शिक्षा का अधिकार अधिनियम, 2009 में वर्णित छात्र-शिक्षक अनुपात प्राथमिक विद्यालयों में 30:1 तथा प्राथमिक विद्यालयों में 35:1

30 अप्रैल, 2022 को छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 1,28,60,939 तथा शिक्षकों की संख्या 3,32,734 है। छात्र शिक्षक अनुपात 38:1 है।

प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षा मित्रों की संख्या 1,47,766 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 26:1 है जो मानक के अनुसार पूर्ण है।

30 अप्रैल, 2022 को छात्र संख्या परिषदीय प्राथमिक विद्यालयों में 52,53,772 तथा अध्यापक संख्या 1,20,860 है। छात्र शिक्षक अनुपात 43:1 है।

उच्च प्राथमिक विद्यालयों में अनुदेशकों की संख्या 27,555 को सम्मिलित करते हुए छात्र शिक्षक अनुपात 35:1 मानक के अनुसार पूर्ण है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

26-डॉ0 नीरज बोरा-

[03 बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-78 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

प्रदेश में आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विधान सभा के सदस्यों की संस्तुति पर सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगवाने विषयक

27-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आम जनता को पेयजल उपलब्ध कराये जाने हेतु ग्रामीण तथा शहरी क्षेत्रों में विधान सभा के सदस्यों की संस्तुति पर सबमर्सिबल/हैण्डपम्प लगाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद रायबरेली में सरेनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली में हिन्दी शोध संस्थान व महाविद्यालय स्थापित करवाने के सम्बन्ध में

28-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली में सरेनी विधान सभा क्षेत्र के ग्राम दौलतपुर में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी की जन्मस्थली में हिन्दी शोध संस्थान व महाविद्यालय स्थापित करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में पर्याप्त महाविद्यालय हैं, जहां छात्र-छात्राएं उच्च शिक्षा प्राप्त कर सकते हैं।

जनपद रायबरेली में 03 राजकीय महाविद्यालय, 04 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 72 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में 02 सहायता प्राप्त अशासकीय महाविद्यालय एवं 13 स्ववित्तपोषित महाविद्यालय संचालित हैं। उपर्युक्त महाविद्यालयों द्वारा प्रश्नगत क्षेत्र के छात्र-छात्राओं की उच्च शिक्षा की आवश्यकता की पूर्ति हो रही है। वृहद् वित्तीय एवं आधारभूत संसाधनों की आवश्यकता के दृष्टिगत जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश के ग्रामों में निष्क्रिय ट्यूबवेल के गड्ढे बन्द (कैपिंग) करवाने हेतु आदेश के क्रम में जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

29-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के ग्रामों में निष्क्रिय ट्यूबवेल के गड्ढे बन्द करने (कैपिंग) करवाने हेतु कोई आदेश दिये गये हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जिम्मेदारी तय कर कार्रवाई करायेगी ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

प्रदेश के ग्रामों में निष्प्रयोज्य/फेल बोरिंग अथवा खुली बोरिंग के छिद्रण को बन्द कराने तथा खुले कुएं को सुरक्षा की दृष्टि से मुंडेर बनवाने अथवा जाली आदि से सुरक्षित किये जाने के सम्बन्ध में मुख्य सचिव, उ0प्र0 शासन के पत्र संख्या-517/38-5-2009, दिनांक 24-03-2009 द्वारा समस्त जिलाधिकारी/मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश को निर्देश दिये गये हैं। तत्क्रम में विशेष सचिव, सिंचाई विभाग, उ0प्र0 शासन के अ0शा0 पत्र संख्या-1549/09-सत्तासी, दिनांक 09-04-2009 द्वारा प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई (यांत्रिक) विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को निर्देश दिये गये। उक्त निर्देशों का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई (यांत्रिक) विभाग के अ0शा0 पत्र सं0-2475/नलकूप/ईई-1, दिनांक 15-04-2009 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप) को निर्देश जारी किये गये।

मा0 सर्वोच्च न्यायालय में योजित याचिका सं0-36/2009 में पारित आदेश दिनांक 11-02-2010 एवं 06-08-2010 द्वारा निष्प्रयोज्य/खुले ट्यूबवेल/बोरवेल को बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश दिये गये हैं। उक्त निर्देशों के अनुपालन हेतु लघु सिंचाई एवं भू-गर्भ जल विभाग के शासनादेश संख्या-1218/62-2-2010-2/2(18)/2005, दिनांक 12-04-2010 एवं शासनादेश संख्या-3856/62-2-2011-2/5(18)/2009, दिनांक 22-11-2011 द्वारा भी समस्त जिलाधिकारी, उ0प्र0 को निर्देशित किया गया है।

उक्त के अतिरिक्त भारत सरकार, जल शक्ति मंत्रालय, जल संसाधन, नदी विकास एवं गंगा संरक्षण विभाग, नई दिल्ली के पत्रांक टी-40011/13/2019-जी0डब्लू0 सेक्शन, दिनांक 21-08-2019 द्वारा मा0 उच्चतम न्यायालय के उक्त आदेशों का अनुपालन हेतु दिये गये निर्देश के क्रम में प्रमुख अभियन्ता (यांत्रिक), सिंचाई विभाग के पत्र सं0-5403/नलकूप/ईई-1, दिनांक 11-09-2019 द्वारा समस्त मुख्य अभियन्ता (नलकूप) को फेल/परित्याग राजकीय नलकूपों के हाउजिंग पाइप को कैप लगाकर बन्द किये जाने के निर्देश जारी किये गये हैं।

उपर्युक्तानुसार शासकीय आदेशों का अनुपालन सुनिश्चित किया जा रहा है।

उपर्युक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्राम-सरदरपुर, पो0-सादात, जिला-गाजीपुर में श्री अशोक कुमार के घर से श्री मीताराम के खेत तक चकबन्दी (वर्ष 1995) के समय बनी चकरोड को कतिपय दबंग व्यक्तियों द्वारा किये गये अवैध कब्जे से मुक्त कराकर पुनः चकरोड बनवाये जाने विषयक

30-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम-सरदरपुर, पो0-सादात, जिला-गाजीपुर में श्री अशोक कुमार के घर से श्री मीताराम के खेत तक चकबन्दी (वर्ष 1995) के समय बनी चकरोड को कतिपय दबंग व्यक्तियों ने काटकर खेत में मिलाकर अवैध कब्जा कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सकार उक्त अवैध कब्जा को हटवाते हुए चकरोड बनायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार श्री अशोक कुमार के घर से श्री मीताराम के घर तक जो चकरोड बनायी गयी है, वह राजस्व अभिलेख में चकरोड न होकर संक्रमणीय भूमिधर के खाते की भूमि है। तत्समय दोनों पक्षों की सहमति से उक्त चकरोड संक्रमणीय भूमिधरी में निर्मित है तथा इस पर किसी भी व्यक्ति का अवैध अतिक्रमण नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद-चन्दौली के ब्लाक-धानापुर के ग्राम-भवाहूं, पो0-खडान के कतिपय मार्गों का इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में

31-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद-चन्दौली के ब्लाक-धानापुर के ग्राम-भवाहूं, पो0-खडान में श्री हरीश कुमार के घर से मेन सड़क से होते हुए श्री रामवृक्ष मौर्य के घर तक मार्ग संकरा व जर्जर होने के कारण लोगों को आवागमन में असुविधा होती है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का इण्टरलॉकिंग का कार्य करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नगत कार्य स्थल की लम्बाई 130.00 मी0 व चौड़ाई 1.00 मी0 है, जो अत्यधिक संकरा है। मार्ग अत्यधिक संकरा होने के कारण मानक के अनुसार इण्टरलॉकिंग का कार्य नहीं कराया जा सकता है।

जनपद शामली में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक के रिक्त पदों के सम्बन्ध में

32-श्री प्रसन्न कुमार-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद शामली में प्राथमिक विद्यालय और जूनियर हाई स्कूलों में प्रधान अध्यापक के कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार पात्र सहायक अध्यापक जिनकी पदोन्नति प्रधान अध्यापक के लिए प्रतीक्षा में है, की पदोन्नति करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप सिंह-

पद नाम व रिक्त पद प्रधानाध्यापक प्राथमिक विद्यालय शून्य।

प्रधानाध्यापक उच्च प्राथमिक विद्यालय 154

प्रदेश में आवारा गाय व सांड़ों के कारण दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने विषयक

33-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में आवारा गाय व सांड़ों के कारण दुर्घटनाओं में घायल अथवा मृत होने वाले व्यक्ति के परिवार को मुआवजा देने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रदेश में दिनांक 14 सितम्बर, 2019 से मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना प्रभावी है। उक्त योजना के अन्तर्गत किसी जीव-जन्तु/जानवर द्वारा काटने/मारने/आक्रमण से कृषक की दुर्घटनावश मृत्यु/दिव्यांगता होने की स्थिति में कृषक/विधिक वारिसों को आर्थिक सहायता अनुमन्य है। कृषक की परिभाषा के अन्तर्गत राजस्व अभिलेखों में दर्ज खातेदार/सहखातेदार अथवा उनके परिवार के ऐसे कमाऊ सदस्य जिनकी आजीविका का मुख्य स्रोत कृषि आय है अथवा पट्टेदार (बटाईदार) को सम्मिलित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

34- डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-03 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

किसानों द्वारा खेतों में जलाये गये फसलों के अवशेषों पर उनके विरुद्ध दर्ज अपराधिक मुकदमों को वापस लेने के सम्बन्ध में

35-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में धान/तिल आदि की फसलों के अवशेषों को किसानों द्वारा खेतों में जलाकर निस्तारित करने पर उनके विरुद्ध दर्ज अपराधिक मुकदमों को वापस लेने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट में माँ मन्दाकिनी नदी की सफाई एवं जीर्णोद्धार के सम्बन्ध में

36-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में माँ मन्दाकिनी नदी की सफाई एवं जीर्णोद्धार की सरकार की कार्य योजना है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

राज्य स्वच्छ गंगा मिशन, उ0प्र0 द्वारा जनपद चित्रकूट में माँ मन्दाकिनी नदी की सफाई एवं जीर्णोद्धार से सम्बन्धित कोई भी कार्य योजना प्रस्तावित नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट राजकीय नलकूप स्थापना की स्थायी कार्य योजना बनाये जाने विषयक

37-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट को राजकीय नलकूप स्थापना हेतु वर्ष 2018 में घोषित नीति आयोग की 101 आकांक्षी जिलों (एस्पिरेशनल डिस्ट्रिक्ट) की सूची में सम्मिलित किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जनपद में राजकीय नलकूप स्थापना की कोई स्थाई कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद चित्रकूट के अन्तर्गत 05 विकास खण्ड-कर्वी, मऊ, रामनगर, मानिकपुर, पहाड़ी स्थित है। भू-गर्भ जल विभाग के शासनादेश सं0-01/2018/45/62-1-2018-04 आर0/2009, दिनांक 10-01-2018 के अनुसार विकास खण्ड-कर्वी अतिदोहित श्रेणी में वर्गीकृत है, जिसमें राजकीय नलकूप लगाया जाना प्रतिबन्धित है। विकास खण्ड-मऊ, रामनगर व मानिकपुर का क्षेत्र पथरीला होने के कारण एवं निर्धारित मानक के अनुसार भू-गर्भ जल उपलब्धता न होने के कारण राजकीय नलकूप लगाया जाना तकनीकी रूप से साध्य नहीं है। विकास खण्ड-पहाड़ी में 20 राजकीय नलकूप सिंचाईरत् हैं, जिनके द्वारा कृषकों को सिंचाई की सुविधा उपलब्ध करायी जा रही है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी में जिलेदार के घर से भुसैली के घर तक खड़न्जा निर्माण विषयक

38-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गिरगिट्टी में जिलेदार के घर से भुसैली के घर तक लम्बाई 100 मीटर खड़न्जा का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग पर खड़न्जा कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गंगापुर में सड़क निर्माण कार्य के सम्बन्ध में

39-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा गंगापुर में पारस के घर से ओम प्रकाश पिपराघाट तक दूरी लगभग 350 मीटर सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी नहीं।

उक्त कार्य ग्राम पंचायत की कार्य योजना वर्ष 2022-23 में सम्मिलित नहीं है। वर्तमान में ग्राम पंचायत के खाते में 1.96 लाख रुपये अवशेष है जिससे ग्राम पंचायत द्वारा प्राथमिकता के आधार पर शौचालय, हैण्डपम्प, आंगनबाड़ी आदि के कार्य कराये जाने हैं। प्रश्नगत कार्य पर व्यय होने वाली धनराशि रुपये 7.00 लाख है। अतः उक्त कार्य कराया जाना सम्भव नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परवानी गौड़ी में डामर रोड के निर्माण के सम्बन्ध में

40-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा परवानी गौड़ी में सर्वोदय महाविद्यालय के बगल से आसाम रोड से तमोलीपुरवा राम जानकी विद्यालय तक 700 मीटर डामर रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा परवानी गौड़ी में सर्वोदय महाविद्यालय के बगल से आसाम रोड से तमोलीपुरवा राम जानकी विद्यालय तक मार्ग की लम्बाई 700 मीटर है। मार्ग की औसतन चौड़ाई 4.00 से 4.50 मीटर है। मार्ग पर पूर्व से खड़न्जा लगा है, जो आवागमन हेतु सुलभ है।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बेझा में सड़क के निर्माण के सम्बन्ध में

41-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के ग्राम सभा बेझा में बेझा टॉवर के पास से कालीचरन के घर तक लम्बाई 175 मीटर तक सड़क का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

उक्त मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौड़ी में इण्टरलॉकिंग सम्पर्क मार्ग के निर्माण के सम्बन्ध में

42-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र बलहा के अन्तर्गत ग्राम सभा गौड़ी में अवध बाल शिक्षा निकेतन के सूक्खापुरवा रोड तक दूरी 400 मीटर इण्टरलॉकिंग सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत बहराइच की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना जिला पंचायत बोर्ड से अनुमोदित होने के कारण वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलत किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रदेश में 68500 शिक्षक भर्ती में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं, उक्त रिक्त पदों पर दिव्यांग/ओबीसी/एक्स सर्विसमैन/स्वतंत्रता सेनानी वर्गों को पासिंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने पर विचार किये जाने विषयक

43-श्री मनीष असीजा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में 68500 शिक्षक भर्ती में से वर्तमान में कितने पद रिक्त हैं ? उक्त रिक्त पदों पर राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली एवं राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग, लखनऊ की संस्तुति के अनुक्रम में दिव्यांग/ओबीसी/एक्स सर्विसमैन/स्वतंत्रता सेनानी वर्गों को पासिंग मार्क्स में 5 प्रतिशत की छूट प्रदान करने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप सिंह-

26122 प्रकरण प्रक्रियाधीन हैं। शीघ्र कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न ही नहीं उठता।

44-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

[02-सोमवार के अतारांकित प्र0सं0-75 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

जनपद गोण्डा के छपिया विकास खण्ड में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने विषयक

45-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के छपिया विकास खण्ड में निर्माणाधीन राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कार्य समय-सीमा निर्धारित कर पूर्ण कराकर सरकार शिक्षण कार्य प्रारम्भ करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र-गौरा के अन्तर्गत विकास खण्ड-छपिया में राजकीय इण्टर कालेज के निर्माण के लिये मूल्यांकित लागत रु0 277.24 लाख निर्गत की जा चुकी है तथा विद्यालय का 80 प्रतिशत कार्य पूर्ण हो गया है। विद्यालय का निर्माण कार्य यथाशीघ्र पूर्ण कराकर पद सृजन के उपरान्त आगामी शैक्षिक सत्र से शिक्षण कार्य शुरू कराया जायेगा।

प्रश्न ही नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी के कटरा में नव निर्मित गेस्ट हाउस को चालू करने के सम्बन्ध में

46-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी के कटरा में नव निर्मित गेस्ट हाउस को सरकार चालू करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किशनी के कटरा में नव निर्मित गेस्ट हाउस/निरीक्षण भवन वर्तमान में चालू स्थिति में है।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की ग्राम पंचायत चन्द्रवार में वर्ष 2017 से 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत निर्मित शौचालयों के सम्बन्ध में

47-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की ग्राम पंचायत चन्द्रवार में वर्ष 2017 से 2020 तक स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत कुल कितने शौचालयों का निर्माण कराया गया है एवं उनमें से कितने शौचालय सुचारु रूप से संचालित हैं, कितने उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं ? क्या सरकार खराब शौचालयों के संचालन हेतु उक्त ग्राम पंचायत के ग्राम प्रधान की जिम्मेदारी तय करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रामीण) के अन्तर्गत जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद की ग्राम पंचायत चन्द्रवार में कुल 1918 शौचालयों का निर्माण कराया गया है, 1530 शौचालय सुचारु रूप से संचालित हैं एवं 388 शौचालय उपयोग करने की स्थिति में नहीं हैं।

स्वच्छ भारत मिशन (ग्रा0) योजनान्तर्गत शौचालय निर्माण की धनराशि लाभार्थी को प्रोत्साहन के रूप में दी जाती है, जिसका निर्माण लाभार्थियों द्वारा स्वयं कराया जाता है। यदि उसमें कोई खराबी होती है, तो उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी लाभार्थी की होती है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा-लखनी, मुबारकपुर में वर्ष 2010-11 में कराये गये कार्य दूरी का भौतिक सत्यापन कराकर सरकारी धन का गबन करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही विषयक

48-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वर्क एजेंसी ग्राम पंचायत के माध्यम से जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा लखनी मुबारकपुर में शिव कुमार के ट्यूबवेल से विजय नारायन के घर तक (दिनांक 03-07-2010 से 15-07-2010 के मध्य) रु0 1.4697/- की लागत से, मेन चक मार्ग से शिव दयाल के खेत से लालजी चौहान के घर तक (दिनांक 04-03-2011 से 10-03-2011 के मध्य) रु0 4.2101/- की लागत से एवं लल्लन पाण्डे के घर से मुमताज खान के घर तक (दिनांक 04-03-2011 से 10-03-2011 के मध्य) सी0सी0 से सी0सी0 तक रु0 1.692/- की लागत से कराये गये कार्य की दूरी का उल्लेख सूची में न करके सरकारी धन का गबन किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी। जांच में शिवकुमार के ट्यूबवेल से विजयनारायन के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य (कुल लम्बाई 120 मी0 तथा औसतन चौ0 2.70 मी0) मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर द्वारा कराया गया है, जिसकी कुल लागत रुपये 1.4679 लाख है। कार्य वर्तमान में मौके पर कराया जाना पाया गया है।

मेन चक मार्ग से शिवदयाल के खेत से लालजी चौहान के घर तक मिट्टी सोलिंग कार्य (कुल लम्बाई 450 मी0 तथा औसतन चौ0 2.70 मी0) मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर द्वारा कराया गया है, जिसकी कुल लागत

रुपये 4.2101 लाख है। कार्य वर्तमान में मौके पर कराया जाना पाया गया है। चूंकि कार्य लगभग 12 वर्ष पुराना है, इसलिए सोलिंग मार्ग जगह-जगह पर धंसा हुआ पाया गया है।

लल्लन पाण्डेय के घर से मुमताज खान के घर तक सी0सी0 से सी0सी0 तक मिट्टी सोलिंग कार्य (कुल लम्बाई 98 मी0 तथा औसतन चौ0 2.20 मी0) मनरेगा योजनान्तर्गत वित्तीय वर्ष 2010-11 में ग्राम पंचायत लखनी मुबारकपुर द्वारा कराया गया है, जिसकी कुल लागत रुपये 1.692 लाख है। कार्य वर्तमान में मौके पर कराया जाना पाया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा-लखनी, मुबारकपुर में बनही पोखरी से बदरी के पुरा तक मिट्टी सोलिंग कार्य का भौतिक सत्यापन/जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई विषयक

49-श्री उमाशंकर सिंह-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वित्तीय वर्ष 2010-11 में वर्क एजेंसी पंचायत समिति/पी0एस0/ब्लाक के माध्यम से जनपद मऊ के विकास खण्ड घोसी की ग्राम सभा-लखनी, मुबारकपुर में बनही पोखरी से बदरी के पुरा तक मिट्टी सोलिंग कार्य (दिनांक 01 अप्रैल, 2010 से शुरू होकर 04 मार्च, 2011 तक के मध्य) कराना एवं उस पर रुपये 5.7889 लाख मात्र का भुगतान दर्शाया गया है, जबकि धरातल पर उक्त मार्ग का निर्माण किया ही नहीं गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्य का भौतिक सत्यापन/जांच कराकर बिना कार्य कराये ही समस्त धन का गबन करने के दोषियों के विरुद्ध दण्डात्मक कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

उप मुख्य मंत्री (श्री केशव प्रसाद मौर्य)-

प्रश्नगत मामले की जांच करायी गयी। जांच में उक्त नाम से कोई कार्य कराया जाना नहीं पाया गया, परन्तु उक्त कार्य मनरेगा वेबसाईट पर प्रदर्शित हो रहा है, जिसमें प्राक्कलन की धनराशि रुपये 1.75 लाख और व्यय धनराशि रुपये 5.78893 लाख अंकित है। तत्समय ई0एफ0एम0एस0 के माध्यम से भुगतान न होकर चेक के माध्यम से किया जाता था एवं मस्टर रोल की फीडिंग ऑफलाईन की जाती थी तथा वेबसाईट पर मस्टररोल भी प्रदर्शित नहीं हो रहा है। इस प्रकार यह त्रुटिपूर्ण फीडिंग का प्रकरण परिलक्षित होता है।

उक्त प्रकरण वित्तीय वर्ष 2010-11 का है तथा ग्रान्ट रजिस्टर पार्ट-2 में वित्तीय वर्ष 2009-10, 2010-11 एवं 2011-12 तक उक्त कार्य का भुगतान सम्बन्धी कोई विवरण अभिलेखों में अंकित नहीं है और न ही इस कार्य की कोई पत्रावली ही रक्षित है। इस प्रकार स्पष्ट है कि इस कार्य पर कोई भुगतान नहीं हुआ है और न ही कोई कार्य कराया गया है।

प्रथम दृष्टया कोई गबन प्रतीत नहीं होता है। सन्दर्भित कार्य पर न तो कार्य कराया गया है और न ही कोई भुगतान किया गया है। अतः किसी दण्डात्मक कार्यवाही की आवश्यकता नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट की मन्दाकिनी नदी एवं अन्य नदियों के फॉल क्षेत्रों में लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराये जाने विषयक

50-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट की मन्दाकिनी नदी एवं अन्य नदियों के फॉल क्षेत्रों में नदी पर वियर बनाकर वर्षाकाल में पानी रोकने तथा लिफ्ट कैनाल का निर्माण कराने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

जनपद चित्रकूट में मन्दाकिनी नदी पर बन्धोइन ग्राम के पास पूरब से पयश्वनी वियर निर्मित है जिससे सिंचाई की जाती है। यमुना नदी पर चार पम्प कैनाल पूर्व से ही निर्मित हैं, 1-चिल्लीमल पम्प कैनाल, 2-राजापुर पम्प कैनाल, 3-सिरावल पम्प कैनाल एवं 4-पश्चिम पताई पम्प कैनाल जिससे कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है, इसके अतिरिक्त जनपद की पयश्वनी नदी (मन्दाकिनी नदी) पर सोनेपुर, बनकट एवं लोहदा पम्प कैनाल तथा बाघेन नदी पर ओरा और लमियारी पम्प कैनाल निर्मित हैं, जिससे कृषकों को सिंचाई सुविधा प्रदान की जाती है।

जनपद लखनऊ के थाना हसनगंज की पुलिस चौकी मदेयगंज के स्थान पर नवनिर्मित थाने का नाम दीनदयाल थाना किये जाने विषयक

51-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि उत्तर प्रदेश के शासनादेश संख्या-23/2022/534पी/छः-पु-6-2022-300(33)/2021, गृह पुलिस अनुभाग-6, लखनऊ, दिनांक 26 अप्रैल, 2022 द्वारा थाना हसनगंज की पुलिस चौकी मदेयगंज के स्थान पर नया थाना स्थापित किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि प्रश्नगत नवीन थाना क्षेत्र का एक बड़ा हिस्सा दीनदयाल नगर के नाम से जाना जाता है ? यदि हां, तो क्या स्थापित होने वाले नवीन थाना का नाम दीनदयाल थाना किये जाने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

जी हां।

पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0 से औचित्य सहित अभिमत/आख्या प्राप्त की जा रही है। परीक्षणोपरान्त नियमानुसार कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पक्के पुल के पास अस्थायी डायवर्जन को हटाये जाने विषयक

52-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ उत्तर विधान सभा क्षेत्र में पक्के पुल के पास नवीन पुल निर्माण हेतु नदी में अस्थायी डायवर्जन को नवीन पुल निर्माण के उपरान्त हटा दिया गया है ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

कुड़ियाघाट के निकट नवीन पुल का निर्माण कार्य सिंचाई विभाग द्वारा नहीं कराया गया है। सिंचाई विभाग द्वारा 'जनपद लखनऊ में गोमती नदी पर कुड़ियाघाट के निकट गोमती रिवर फ्रन्ट परियोजना' के अन्तर्गत विविध निर्माण कार्य कराये जाने हेतु अस्थायी बन्धे का निर्माण कार्य कराया गया था। परियोजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की सी0बी0आई0 जांच की जा रही है। इस बन्धे को हटाने हेतु सी0बी0आई0 से अनुमति अब तक अप्राप्त है। अनुमति प्राप्त होने पर अस्थायी बन्धे को हटाने की कार्यवाही प्रस्तावित है।

जनपद झांसी की तहसील मोंठ के अन्तर्गत मौजा बम्हरौली की कतिपय सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा से मुक्त कराये जाने विषयक

53-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी की तहसील मोंठ के अन्तर्गत मौजा बम्हरौली की गाटा सं0-848 बंजर, 266 खलिहान, 386 व 329 निजी भूमि 875/876 क्रय-विक्रय समिति तथा तहसील-मौज मोंठ की गाटा संख्या-657 बांध की भूमि, 692, 1218/3 बंजर, 1166 दलित आबादी की, 697 ब्लाक की और 269 मि0/0.109 हे0 की सरकारी जमीनों पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त अवैध कब्जेदारों के विरुद्ध अभियान चलाकर जमीनों को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

प्रकरण में राजस्व परिषद् द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार गाटावार विवरण निम्नवत् है-

मौजा बम्हरौली के गाटा सं0-848 बंजर, गाटा सं0-266 खलिहान की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया है।

मौजा बम्हरौली के गाटा सं0-386, गाटा सं0-329, गाटा सं0-875, गाटा सं0-876 राजस्व अभिलेखों में श्रेणी 1(क) संक्रमणीय भूमि अंकित है। उक्त भूमि पर अवैध कब्जे के सम्बन्ध में कोई शिकायत प्राप्त नहीं है।

मौजा मोंठ का क्षेत्र नगर पंचायत के अधीन है जिसके गाटा संख्या-657 बांध की भूमि पर अवैध कब्जा पाया गया जिसमें नगर पंचायत मोंठ द्वारा दिनांक 17-05-2022 को दो दुकानों को ध्वस्त करके अवैध कब्जा हटवा दिया गया है तथा शेष 7 अवैध कब्जेदारों के प्रकरण मा0 न्यायालय सिविल जज सीनियर डिवीजन झांसी में विचाराधीन हैं। गाटा संख्या-1218/3 बंजर भूमि पर लगभग 40 वर्ष पुरानी आबादी है। गाटा संख्या-1166 हरिजन आबादी के रूप में दर्ज है जिस पर 40 वर्ष पुरानी आबादी बसी हुई है। गाटा संख्या-697 नजूल भूमि है जो विकास विभाग के जैरे इन्तजाम अधीन है। गाटा संख्या-269 आबादी के रूप में दर्ज है जिस पर 40 वर्ष पुरानी आबादी बसी हुई है। गाटा संख्या-692 बंजर भूमि है। यह गाटा चारों ओर से आबादी से घिरा है तथा नगर पंचायत सीमा परिधि के अन्तर्गत है जिसके आंशिक भाग पर अपात्र लोगों के मकान बने हुए हैं।

ग्राम बम्हरौली, तहसील मोंठ में ग्राम सभा की भूमियों पर किये गये अतिक्रमण के कुछ प्रकरणों के विरुद्ध अभियान चलाकर कब्जा हटवाये जाने हेतु उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत अवैध कब्जा करने वालों के विरुद्ध वाद पूर्व में दर्ज किया जा चुका है। कतिपय योजित वादों में न्यायालय तहसीलदार मोंठ के द्वारा बेदखली की कार्यवाही करते हुए जुर्माना अधिरोपित किया गया जिसके विरुद्ध प्रतिवादियों द्वारा योजित वादों में मा0 उच्च न्यायालय इलाहाबाद द्वारा न्यायालय, तहसीलदार मोंठ के बेदखली आदेश पर स्थगन आदेश पारित किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

54-श्री रविदास मेहरोत्रा-

[01-गुरूवार के अतारांकित प्र0सं0-42 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

नमामिगंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइपलाइन बिछाने के लिए तोड़े गये खड़न्जे एवं सी0सी0 रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने विषयक

55-श्री अनिल कुमार अनिल प्रधान-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नमामिगंगे परियोजना के तहत ग्रामीण अंचल में पाइपलाइन बिछाने के लिए खड़न्जे एवं सी0सी0 रोड तोड़ दिये गये हैं, जिससे लोगों को आवागमन में समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त रास्तों को ठीक कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के अन्तर्गत पाइप लाइन बिछाये जाने के दौरान जो खड़न्जे व सी0सी0 रोड तोड़े जाते हैं, उनका अनुबन्ध की शर्तों के अनुरूप मरम्मत/पुनर्निर्माण सम्बन्धित संस्था द्वारा किया जाता है। सम्बन्धित संस्थाओं को खड़न्जे व सी0सी0 रोड को पाइप लाइन बिछाये जाने के साथ-साथ मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के निर्देश दिये गये हैं। प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लगाकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार करायेगी, के सम्बन्ध में

56-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के जल जीवन मिशन योजना के अन्तर्गत सभी ग्राम पंचायतों में पानी की टंकी लगाकर ग्रामीणों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

'जल जीवन मिशन कार्यक्रम' के अन्तर्गत प्रदेश के समस्त जनपदों के ग्रामीण क्षेत्रों को चरणबद्ध रूप से पाइप पेयजल योजनाओं से वर्ष 2024 तक आच्छादित किया जाना है। उक्त के क्रम में जनपद गोण्डा के समस्त ग्रामों को वर्ष 2024 तक शुद्ध पेयजल आपूर्ति सुनिश्चित कराया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के कतिपय ग्रामों में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित बन्द पानी की टंकी को संचालित कराये जाने विषयक

57-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के ग्राम-फूकनगर ग्रन्ट, घारीघाट केशवनगर ग्रन्ट, रानीजोत, सकदरपुर, बखरौली, वासुदेवपुर ग्रन्ट, पयरखास में राष्ट्रीय ग्रामीण पेयजल कार्यक्रम के अन्तर्गत स्थापित पानी की टंकी बन्द है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पानी की टंकियों को संचालित करा पेयजल की आपूर्ति करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत-फूकनगर ग्रन्ट, घारीघाट केशवनगर ग्रन्ट, रानीजोत, सकदरपुर, बखरौली, वासुदेवपुर ग्रन्ट, पयरखास पाइप पेयजल योजनाओं का रख-रखाव एवं संचालन सम्बन्धित ग्राम पंचायत द्वारा किया जा रहा है। घारीघाट पेयजल योजना का रख-रखाव उ0प्र0 जल निगम (ग्रामीण) द्वारा किया जा रहा है, जिससे पेयजल आपूर्ति की जा रही है। ग्राम

पंचायतों को हस्तान्तरित उपर्युक्त पाइप पेयजल योजना का संचालन एवं रख-रखाव सम्बन्धित ग्राम पंचायतों द्वारा किये जाने की व्यवस्था है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

58-श्री अमिताभ बाजपेई-

(03-बुधवार के अतारांकित प्र0सं0-109 के अन्तर्गत स्थानान्तरित)

प्रदेश के विधान मण्डल सदस्यों को अपने क्षेत्र के स्कूलों के निरीक्षण करने का अधिकार सम्बन्धित नियमों के विषयक

59-श्री अमिताभ बाजपेई-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के विधान मण्डल सदस्यों को अपने क्षेत्र के स्कूलों के निरीक्षण करने का अधिकार है ? यदि हां, तो किस नियम के अन्तर्गत ? क्या सरकार उक्त से सम्बन्धित नियम का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप सिंह-

उत्तर प्रदेश बेसिक शिक्षा अधिनियम, 1972 के अनुसार विभागीय अधिकारियों द्वारा निरीक्षण करने की व्यवस्था है परन्तु प्रदेश के विधान मण्डल के मा0 सदस्यों को अपने क्षेत्र के स्कूलों में जनप्रतिनिधि के रूप में अवस्थापना सुविधाओं तथा व्यवस्था का निरीक्षण करने में कोई रोक नहीं है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा किशनी के विकास खण्ड करहल में कुश पर बांसक रजवहा पर सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण कराये जाने विषयक

60-इंजी0 बृजेश कठेरिया-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद मैनपुरी की विधान सभा किशनी के विकास खण्ड करहल में कुश पर बांसक रजवहा पर बने पुल के किनारे पानी से कटाव होने के कारण पटरी पर बनी सी0सी0 मार्ग नीचे से खोखला होने से दुर्घटनायें हो रही हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त सी0सी0 मार्ग का पुनः निर्माण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद मैनपुरी के विकास खण्ड करहल के कुर्रा पर बांसक रजवाह की पटरी/रोड क्षतिग्रस्त है परन्तु अभी तक उक्त स्थान पर किसी दुर्घटना की कोई सूचना नहीं है।

उक्त कार्य हेतु परियोजना तैयार की गयी है, जो परीक्षणाधीन है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी अन्तर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया चरणदासी उच्चीकृत किये जाने के सम्बन्ध में

61-श्री अनिल कुमार अनिल प्रधान-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी अन्तर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया चरणदासी उच्चीकृत किये जाने के समस्त मानक पूर्ण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया चरणदासी को उच्चीकृत करायेगी ? यदि हां, तो कब ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया चरणदासी वर्ष 2013-14 में राष्ट्रीय माध्यमिक शिक्षा अभियान के अन्तर्गत हाई स्कूल स्तर तक उच्चीकृत किया जा चुका है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद रायबरेली के विधान सभा सरेनी के ग्रामों में अधिष्ठापित मध्यम श्रेणी के ओवरहेड पेयजल टंकी की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में

62-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्रामों में अधिष्ठापित मध्यम श्रेणी के ओवरहेड पेयजल टंकी में से अधिकांश खराब हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त टंकियों की मरम्मत करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में कुल 18 पाइप पेयजल योजनाएं अपनी 30 वर्ष की डिजायर अवधि पूर्ण कर चुकी हैं। जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत अपनी अधिवर्षता आयु पूर्ण कर चुकी 18 विभिन्न पाइप पेयजल योजनाओं का पुनर्गठन कर संचालित करने हेतु डी0पी0आर0 के विरचन की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में भूमिगत जल स्तर को सुधारने हेतु योजना बनाये जाने विषयक

63-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी में भूमिगत जल स्तर नीचे होने के कारण कौन-सा ब्लाक गम्भीर (क्रिटिकल) है ? क्या सरकार उक्त क्षेत्र में भू-जल सुधारने हेतु प्रभावी योजना बनायेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

भू-गर्भ जल संसाधन आंकलन रिपोर्ट-2020 के अनुसार जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के अन्तर्गत आने वाले विकास खण्ड-डलमऊ, लालगंज एवं सरेनी गम्भीर (क्रिटिकल/अतिदोहित) श्रेणी में नहीं आते हैं, इन्हें सुरक्षित श्रेणी में वर्गीकृत किया गया है। प्रदेश मे भू-जल भण्डारण में सुधार हेतु सरकार द्वारा उत्तर प्रदेश अटल भू-जल योजना लागू है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से मार्च, 2020 तक हाई स्कूल विद्यालयों की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदनों एवं उसके सापेक्ष प्रदान की गई मान्यता तथा बाबू रामदास इण्टरमीडिएट कालेज, गंभीरा मान्धाता, प्रतापगढ़ का हाई स्कूल की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र पर कृत कार्रवाई के सम्बन्ध में

64-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डा0 आर0 के0 वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में वित्तीय वर्ष 2019-20 से मार्च, 2020 तक हाई स्कूल विद्यालय की नवीन मान्यता के लिए कितने आवेदन प्राप्त हुए, उनमें से कितने विद्यालयों को मान्यता प्रदान की गई तथा कितने शेष हैं ? क्या सरकार बतायेगी कि बाबू रामदास इण्टरमीडिएट कालेज, गंभीरा मान्धाता, प्रतापगढ़ का हाई स्कूल की मान्यता हेतु प्राप्त आवेदन-पत्र पर कृत कार्यवाही के सम्बन्ध में प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त की मान्यता पर अब तक क्या कार्यवाही हुई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

प्रदेश में वर्ष 2019-20 से मार्च, 2020 तक हाई स्कूल विद्यालय की नवीन मान्यता के लिए कुल 1342 आवेदन प्राप्त हुए। निर्धारित मानक/शर्तें पूर्ण करने वाले 647 विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने के प्रस्ताव सचिव, माध्यमिक शिक्षा परिषद् द्वारा उपलब्ध कराये गये थे। विशेष अपील संख्या-25/2006 मंजू अवस्थी बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 व अन्य में माननीय उच्च न्यायालय द्वारा पारित आदेश के सन्दर्भ में मान्यता आदेश अद्यतन निर्गत नहीं किये जा सके।

जी हां।

मा0 न्यायालय के आदेशों के समादर में वित्तविहीन नवीन विद्यालयों को मान्यता प्रदान किये जाने हेतु इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम की सुसंगत धारा में यथोचित व्यवस्था किये जाने की कार्यवाही विचाराधीन है।

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभा वार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक कराकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखने के सम्बन्ध में

65-श्री तुफानी सरोज-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र केराकत के विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों में से ग्राम सभा वार खराब हैण्डपम्पों को चिन्हित कर ठीक कराकर उक्त का विवरण सदन के पटल पर सरकार रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

विधान सभा क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत विभिन्न ग्राम सभाओं के मजरों में स्थापित इण्डिया मार्क-2 हैण्डपम्पों का विवरण निम्नवत है-

विकास खण्ड का नाम	वि0स0 केराकत में ग्राम सभाओं की संख्या	ग्राम सभाओं में स्थापित हैण्डपम्पों की संख्या	चिन्हित खराब हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत कराये गये हैण्डपम्पों की संख्या	मरम्मत हेतु अवशेष हैण्डपम्पों की संख्या
1	2	3	4	5	6
केराकत	71	7525	93	89	4
डोभी	69	7432	149	141	8
जलालपुर	21	1529	242	229	13
मुफ्तीगंज	52	3686	73	65	8

प्रश्न नहीं उठता।

खराब हैण्डपम्पों की मरम्मत शीघ्र करा दी जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत खमपुर दुबे पट्टी का गाटा संख्या-306 श्रेणी 6(2) का सीमांकन कराकर अतिक्रमणमुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

66-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ अन्तर्गत ग्राम पंचायत खमपुर दुबे पट्टी का गाटा संख्या-306 श्रेणी 6(2) की 02720 हेक्टेयर खलिहान की सुरक्षित भूमि पर नल लगाकर अतिक्रमण कर

जोत में मिला लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि का सीमांकन कराकर अतिक्रमण से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार विधान सभा रानीगंज के खमपुर दुबे पट्टी की गाटा संख्या-306 क्षे0-0.2720 हे0, श्रेणी 6(2) खलिहान की सुरक्षित भूमि का सीमांकन कराया गया। उक्त भूमि पर कोई अतिक्रमण नहीं है। उक्त भूमि पर ही इण्डिया मार्का नल लगा है, जो सार्वजनिक है। स्थानीय लोगों द्वारा बताया गया कि उक्त इण्डिया मार्का नल सार्वजनिक उपयोग हेतु लगाया गया है। इसी भूमि में 0.016 हे0 पर लगभग 15 वर्ष पूर्व से एक ए0एन0एम0 सेण्टर तथा खड़न्जा सड़क बनी हुई है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जनपद में 15 से 20 वर्षों से कार्यरत जे0ई0 के स्थानान्तरण के सम्बन्ध में

67-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा विभाग में स्थानान्तरण नीति लागू है ? यदि हां, तो क्या सरकार प्रदेश में 15 से 20 वर्षों से स्थानान्तरण नीति के विपरीत एक ही जनपद में जे0ई0 को चिन्हित कर अन्य जनपदों में स्थानान्तरित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

वर्ष 2022-23 के लिये स्थानान्तरण नीति निर्गत होने के उपरान्त नियमानुसार स्थानान्तरण किये जायेंगे।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर, तहसील मनकापुर के गाटा सं0-341/0.006 हे0 तालाब की भूमि को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

68-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगी कि जनपद गोण्डा के ग्राम पंचायत अलाउद्दीनपुर, तहसील मनकापुर के गाटा सं0-341/0.006 हे0 तालाब की भूमि पर अवैध

कब्जा कर मकान/दुकान का निर्माण कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त जमीन को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

अवैध कब्जा से सम्बन्धित वाद सं0-टी-2019808000000318 अपर आयुक्त (प्रशासन) देवीपाटन मण्डल, गोण्डा में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

69-श्री अवधेश प्रसाद-

[02-गुरूवार के अतारांकित प्र0सं0-54 के अन्तर्गत स्थानान्तरित]

70-श्री सुशील कुमार शाक्य-

(बहुत ब्योरे की जानकारी के आधार पर निरस्त)

जनपद फर्रूखाबाद में 'हर घर नल योजना' के अन्तर्गत संचालित कार्य को पूर्ण कराने की समयावधि विषयक

71-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद में 'हर घर नल योजना' के अन्तर्गत किन ग्रामों में पानी की टंकी तथा पाइप लाइन बिछाने का कार्य संचालित है तथा उक्त कार्य को पूर्ण कराने की समयावधि क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जल जीवन मिशन कार्यक्रम के अन्तर्गत जनपद फर्रूखाबाद में 65 ग्रामों की 49 पाइप पेयजल योजनाओं में पाइप लाइन बिछाने का कार्य प्रगति पर है। उक्त समस्त कार्यों को वर्ष 2024 तक पूर्ण किया जाना लक्षित है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फर्रूखाबाद में लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष रिक्त पदों पर भर्ती कराये जाने विषयक

72-श्री सुशील कुमार शाक्य-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फर्रूखाबाद में लेखपाल के स्वीकृत पदों के सापेक्ष कितने पद रिक्त हैं ? क्या सरकार उक्त रिक्त पदों पर भर्ती प्रक्रिया पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ?यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद फर्रूखाबाद में लेखपाल के स्वीकृत 274 पदों के सापेक्ष दिनांक 20-05-2022 तक 109 पद रिक्त हैं।

जी हां।

लेखपाल चयन वर्ष 2019-20 तक के रिक्त पदों का अधियाचन सचिव, उ0प्र0 अधीनस्थ सेवा चयन आयोग, लखनऊ को राजस्व परिषद् द्वारा प्रेषित किया जा चुका है। लेखपाल के रिक्त पदों को भरे जाने की कार्यवाही आयोग स्तर पर गतिमान है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी के समथर राजकीय महाविद्यालय में कृषि विषय की मान्यता के सम्बध में

73-श्री जवाहर लाल राजपूत-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद झांसी का समथर राजकीय महाविद्यालय कृषि विषय की मान्यता हेतु आवश्यक अर्हता पूरी करता है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त महाविद्यालय को कृषि विषय की मान्यता प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

राजकीय महाविद्यालय, समथर, झांसी में कृषि विषय की कक्षाओं के संचालन हेतु वर्तमान में भवन, प्रयोगशालाएं एवं अवस्थापना सम्बन्धी सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद झांसी में केन्द्रीय कृषि विश्वविद्यालय, झांसी, बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय, झांसी परिसर एवं एस0आर0 कालेज, झांसी में कृषि संकाय की कक्षाएं संचालित हो रही हैं, जिसमें छात्र/छात्राएं अध्ययनरत हैं तथा उनकी आवश्यकताओं की पूर्ति हो रही है। समथर राजकीय महाविद्यालय को कृषि विषय की मान्यता प्रदान किये जाने का अवसर नहीं है।

प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या आर0टी0ई0 अधिनियम के मानकानुसार पूर्ण है, के सम्बन्ध में

74-डा0 मुकेश चन्द्र वर्मा

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में परिषदीय विद्यालयों में वर्तमान में बच्चों तथा नियमित अध्यापकों की संख्या कितनी है ? क्या सरकार बतायेगी कि आर0टी0ई0 अधिनियम के मानकानुसार 30 बच्चों पर एक अध्यापक का मानक प्रदेश में पूर्ण है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का जनपदवार विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप सिंह-

विद्यालय प्रकार	बच्चों की संख्या	नियमित अध्यापकों की संख्या
प्राथमिक विद्यालय	1,28,60,939	3,32,734
उच्च प्राथमिक विद्यालय	52,53,772	1,20,860

लखनऊ के जानकीपुरम् में तिकोनियां पार्क के निकट स्थित शत्रु सम्पत्ति को अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

75-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि लखनऊ के जानकीपुरम् में तिकोनियां पार्क के निकट स्थित शत्रु सम्पत्ति पर अवैध कब्जा कर उक्त भूमि को अवैध रूप से स्थायी निर्माण प्रारम्भ कर चिकवा मण्डी संचालित की जा रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त शत्रु सम्पत्ति को कब्जामुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

लखनऊ के जानकीपुरम् में तिकोनियां पार्क के निकट स्थित शत्रु सम्पत्ति की भूमि पर संचालित चिकवा मण्डी/झोपड़ पट्टी को दिनांक 28-05-2022 को पर्याप्त पुलिस बल की सहायता से नगर निगम टीम व राजस्व टीम के द्वारा संयुक्त रूप से हटवा/अवमुक्त करा दिया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगर ग्रन्ट के गाटा संख्या-1088/0.2550 हे0 खलिहान की सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में

76-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के तहसील मनकापुर के ग्राम पंचायत लक्ष्मीनगर ग्रन्ट के गाटा संख्या-1088/0.2550 हे0 खलिहान की सरकारी भूमि पर कब्जा करके इण्टर कालेज का निर्माण कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार जांच कराकर उक्त भूमि को कब्जा मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार ग्राम लक्ष्मीनगर ग्रन्ट, परगना-बभनीपायर, तहसील-मनकापुर के गाटा संख्या-1088मि0/0.690 हे0 श्री अब्दुल सत्तार खां पुत्र श्री अब्दुल समद खां, निवासी ग्राम, श्री अब्दुल रज्जाक खां पुत्र श्री अब्दुल समद खां, निवासी ग्राम, श्री अब्दुल जर्रार खां पुत्र श्री अब्दुल जब्बर खां, निवासी-ग्राम व श्रीमती ताहिरा बेगम पत्नी श्री अब्दुल जब्बार खां,

निवासी-ग्राम व गाटा सं0-1088 मि0/0.2020 हे0 श्री रामरूप पुत्र श्री झगरू, निवासी-ग्राम के नाम दर्ज कागजात है। उपरोक्त गाटा संख्या खलिहान के नाम दर्ज कागजात नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा में विद्यार्थी जनकल्याण इण्टर कालेज लक्ष्मीनगर ग्रन्ट छपिया में शिक्षा विभाग द्वारा मानक के अनुरूप भवन/जमीन न होने के बाद भी मान्यता प्रदान किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

77-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा में विद्यार्थी जनकल्याण इण्टर कालेज लक्ष्मीनगर ग्रन्ट छपिया में शिक्षा विभाग द्वारा मानक के अनुरूप भवन/जमीन न होने के बाद भी मान्यता प्रदान कर दी गयी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच करवाकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

तत्कालीन जिला विद्यालय निरीक्षक, गोण्डा द्वारा दी गयी आख्या के अनुसार मानक पूर्ण होने के आधार पर विद्यालय को मान्यता प्रदान की गयी थी।

सम्प्रति उक्त विद्यालय की भूमि/भवन के मानक पूर्ण होने के सम्बन्ध में जांच कराई जा रही है। जांचोपरान्त नियमानुसार आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद गोण्डा के रानीजोत छपिया व सकदरपुर छपिया विकास खण्डों में पानी की टंकी का निर्माण होने के उपरान्त भी शुद्ध पेयजल की आपूर्ति न होने के सम्बन्ध में

78-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के रानीजोत छपिया व सकदरपुर छपिया विकास खण्डों में पानी की टंकी का निर्माण होने के उपरान्त भी गांवों के लोगों को शुद्ध पेयजल उपलब्ध नहीं कराया जा रहा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायतों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

जनपद गोण्डा सहित प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में समरसेबुल व पानी की टंकी लगाने का कार्य समय से पूर्ण न करने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

79-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा सहित प्रदेश के सभी प्राथमिक विद्यालयों में बच्चों को शुद्ध पेयजल की आपूर्ति के लिए समरसेबुल व पानी की टंकी लगाने का कार्य कार्यदायी संस्था द्वारा पूरा नहीं कराया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कार्यों की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उक्तवत्।

उक्तवत्।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद अयोध्या के कतिपय विकास खण्डों में वर्ष 2021-22 में अकाल मृत्यु के आंकड़ों व मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने के सम्बन्ध में

80-श्री अवधेश प्रसाद-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद अयोध्या के विकास खण्ड के अमानीगंज, मिल्कीपुर और हरिटिंग्नगंज में विगत वर्ष 2021-22 में सांडों के मारने, नदी में डूबने, आकाशीय बिजली गिरने, विद्युत तार टूट कर गिरने तथा सड़क दुर्घटना में कितने लोगों की मृत्यु हुई है ? क्या सरकार उक्त मृतकों के परिजनों को आर्थिक सहायता देने पर विचार करेगी ? यदि हां, तो कितना और कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद अयोध्या की तहसील मिल्कीपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड अमानीगंज, मिल्कीपुर और हरिटिंग्नगंज में वित्तीय वर्ष 2021-22 में सांडों के मारने, नदी में डूबने, आकाशीय बिजली गिरने, विद्युत स्पर्शाघात तथा सड़क दुर्घटना में कुल 35 लोगों की मृत्यु हुई है।

जी हां।

नदी में डूबने, आकाशीय बिजली गिरने से प्रभावित व्यक्तियों/परिवारों को भारत सरकार के पत्र संख्या-32-7/2014-एन0डी0एम0-1, दिनांक 08-04-2015 द्वारा निर्धारित गाइडलाइन के अनुसार रु0 4,00,000/- प्रति मृतक तथा जीव-जन्तु /जानवर द्वारा काटने/मारने, सड़क दुर्घटना एवं विद्युत स्पर्शाघात से प्रभावित कृषकों को ''मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना'' के अन्तर्गत रु0 5,00,000/- प्रति मृतक सहायता प्रदान की जाती है।

उक्त मृतकों में से 01 मृतक के आश्रित को भारत सरकार की गाइडलाइन दिनांक 08-ल04-2015 के अनुसार सहायता प्रदान की जा चुकी है तथा ''मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना'' के अन्तर्गत कुल प्राप्त 33 दावों में से 13 दावे स्वीकृत हो चुके हैं, स्वीकृत दावों में 06 का भुगतान किया जा चुका है, शेष दावों का भुगतान प्रक्रियाधीन है। उक्त दावों में से 01 दावा शासनादेश में दिये गये निर्देशों के अनुरूप न होने के कारण निरस्त किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी के अन्तर्गत ग्राम-खोह से भरतकूप बाईपास मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक

81-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी अन्तर्गत ग्राम-खोह से भरतकूप बाईपास मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत चित्रकूट द्वारा उपलध करायी गयी आख्या के अनुसार जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी अन्तर्गत ग्राम-खोह से भरतकूप बाईपास मार्ग की दूरी लगभग 25 कि0मी0 है, जिसमें कई अनाधिकृत बसावटें, काश्तकारों की कृषि योग्य भूमि, निजी भूमि, पयश्वनी नदी, छोटे-बड़े कई नाले, रपटा, नहर आदि आ रहे हैं, जिन पर पुल, पुलिया एवं मुआवजा आदि पर भी व्यय होगा।

जिला पंचायत चित्रकूट के पास इस प्रकार के वृहद् कार्य कराने हेतु न तो संसाधन हैं और न ही आधारभूत संरचना व धनराशि है। इस प्रकार प्रश्नगत बाईपास मार्ग का निर्माण कार्य जिला पंचायत चित्रकूट द्वारा कराया जाना सम्भव नहीं है।

जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी के अन्तर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया जगन्नाथवासी को उच्चीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में

82-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के ब्लाक कर्वी के अन्तर्गत स्थित पूर्व माध्यमिक विद्यालय सेमरिया जगन्नाथवासी को उच्चीकृत करने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री संदीप सिंह-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उक्तवत्।

जनपद प्रतापगढ़ में कतिपय मार्गों का नवीनीकरण/निर्माण कराये जाने विषयक

83-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ में जेठवारा-कटरा गुलाब सिंह मार्ग, बढ़नी-बाबूगंज मार्ग, मान्धाता-छितवालगढ़ मार्ग एवं मान्धाता-खुरेदहा मार्ग के नवीनीकरण की वित्तीय स्वीकृति सितम्बर, 2021 में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्गों का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत जनपद प्रतापगढ़ में प्रश्नगत 04 मार्गों की स्थिति निम्नवत् है-

1-जेठवारा-कटरा गुलाब सिंह मार्ग की वित्तीय बिड खोलने की अनुमति उत्तर प्रदेश ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण से प्राप्त होने के पश्चात् अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

2-बढ़नी-बाबूगंज (बलीपुर तक) मार्ग के अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

3-मान्धाता-छितपालगढ़ (छितवालगढ़) मार्ग के अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

4-मान्धाता-खुर्दहा (खुरेदहा) मार्ग की तकनीकी बिड दिनांक 13-05-2022 को खोली जा चुकी है। तकनीकी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन एवं वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त अनुबन्ध गठन कर कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रतापगढ़ के कल्यानपुर मौरहा से लढ़वत मार्ग के नवीनीकरण किये जाने के सम्बन्ध में

84-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या उप मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के कल्यानपुर मौरहा से लढ़वत मार्ग के नवीनीकरण की वित्तीय स्वीकृति अक्टूबर, 2021 में हो चुकी है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त मार्ग का निर्माण कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

उप सचिव, भारत सरकार ग्रामीण विकास मंत्रालय, कृषि भवन, नई दिल्ली के शासनादेश सं0-पी-17024/26/2020-आर0सी0 (एफ0एम0एस0 नं0-370347), दिनांक 09-11-2021 के द्वारा स्वीकृति प्राप्त हुई है।

जी हां।

प्रश्नगत मार्ग की निविदा उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के पत्र दिनांक 09-11-2021 द्वारा आमंत्रित की गयी तथा दिनांक 11-12-2021 को तकनीकी बिड एवं दिनांक 10-03-2022 को वित्तीय बिड खोली गयी। उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण द्वारा एन0ओ0एल0 जारी करने के उपरान्त अधीक्षण अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण विभाग, परिमण्डल-प्रयागराज के पत्र दिनांक 08-04-2022 के द्वारा स्वीकृत पत्र जारी किया गया। पुनः ठेकेदार को जमानत धनराशि उपलब्ध कराने हेतु दिनांक 10-05-2022 को पत्र जारी किया गया। शीघ्र अनुबन्ध गठन की कार्यवाही पूर्ण करते हुए कार्य प्रारम्भ किये जाने की कार्यवाही प्रक्रियाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जिला पंचायत बांदा का पत्रांक 708/रा0वि0यो0/जि0प0 बांदा/2019-20, दिनांक 05-02-2020 द्वारा निकाली गयी निविदा के कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में

85-डॉ0 संग्राम यादव-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बांदा में जिला पंचायत बांदा का पत्रांक : 708/रा0वि0यो0/जि0प0 बांदा/2019-20, दिनांक 05-02-2020 द्वारा निकाली गयी निविदा के क्रमांक-57 पर अंकित कार्य ग्राम पं0 अतर्रा ग्रामीण में बांदा इ0 मेन रोड से मछली पालन के बगल से वीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर सीलिंग कार्य न कराये जाने के क्या कारण हैं ? क्या सरकार को जानकारी है कि उक्त कार्य हेतु कार्टेज की मिट्टी (ट्रैक्टर द्वारा लाई गई मिट्टी) का भी प्राविधान था ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कारण का समाधान कराते हुए कार्य पूर्ण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिलाधिकारी बांदा द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार जिला पंचायत द्वारा चतुर्थ राज्य वित्त आयोग योजनान्तर्गत स्वीकृत कार्य ग्राम पंचायत अतर्रा ग्रामीण में बांदा-इलाहाबाद मेन रोड से मछली पालन के बगल से बीरेन्द्र कुशवाहा के बगल से कोदा के पुरवा की ओर सीलिंग कार्य लम्बाई 396 मीटर, अनुमानित लागत 6.00 लाख के अन्तर्गत स्वीकृत कार्य कोरोनाकाल होने के कारण लम्बे समय तक विभागीय अनुबन्ध ठेकेदार द्वारा न कराये जाने तथा कार्य स्थल पर स्थानीय निवासियों/काश्तकारों द्वारा जमीन विवाद के कारण यह कार्य शुरू नहीं हो पाया है। उक्त कार्य की अनुमानित लागत रु0 6.00 लाख के आगणन में कार्टेज मिट्टी (ट्रैक्टर द्वारा लाई गई मिट्टी) का कोई प्राविधान नहीं है। प्रश्नगत निर्माण कार्य में स्थानीय निवासियों/काश्तकारों से स्थलीय विवाद होने के कारण कार्य कराया जाना सम्भव नहीं हो पा रहा है।

जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत नवीन थाना दिलीपपुर सृजित/निर्मित कराये जाने हेतु गाटा सं0-175ख, ग्राम पंचायत शिवसत, परगना पट्टी, तहसील-रानीगंज के पट्टेदारों की भूमि पर निर्माण कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

86-श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ के अन्तर्गत नवीन थाना दिलीपपुर सृजित/निर्मित कराये जाने हेतु गाटा सं0-175ख, ग्राम पंचायत शिवसत, परगना पट्टी, तहसील-रानीगंज शासन से अनुमन्य है। यदि हां, तो क्या सरकार के संज्ञान में है कि उक्त थाने का निर्माण गाटा संख्या-194, 195 जोकि बागवानी हेतु पट्टेदारों को आवंटित है पर हो रहा है ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? क्या सरकार थाने का निर्माण शासन से अनुमन्य भूमि पर न करा कर पट्टेदारों की भूमि पर निर्माण कराने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

नवीन पुलिस थाना दिलीपपुर की स्थापना का प्रस्ताव उ0प्र0 पुलिस मुख्यालय के प्रस्ताव दिनांक 19-02-2018 के माध्यम से शासन को प्राप्त हुआ, जिसमें जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ के आदेश दिनांक 11-06-2013 (भूमि पुनर्ग्रहीत) की प्रति भी प्रेषित की गयी।

पुलिस मुख्यालय के उक्त प्रस्ताव के परीक्षणोपरान्त शा0 दिनांक 06-02-2019 द्वारा नवीन पुलिस थाना दिलीपपुर की स्थापना के आदेश निर्गत किये गये तथा शा0 दिनांक 04-11-2019 द्वारा इस थाने के निर्माण कार्य हेतु उ0प्र0 आवास एवं विकास परिषद, लखनऊ को कार्यदायी संस्था नामित किया गया। प्रभारी निरीक्षक, कन्धई द्वारा उक्त भूमि इन्टीरियर क्षेत्र में होने के कारण सामान्य जन मानस के पहुंच से काफी बाहर होने तथा भूमि निम्न सतह पर होने व अन्य स्थान पर भूमि अधिग्रहीत कराये जाने की रिपोर्ट के आधार पर पुलिस अधीक्षक, प्रतापगढ़ द्वारा जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ से अनुरोध किया गया, जिसके क्रम में पुनर्ग्रहण सम्बन्धी राजस्व नियमों आदि के आलोक में गाटा सं0-175ख, थाना दिलीपपुर के निर्माण हेतु पुनर्ग्रहण आदेश दिनांक 25-06-2020 जिलाधिकारी, प्रतापगढ़ द्वारा निर्गत किया गया।

नवीन थाना दिलीपपुर का निर्माण उक्त आवंटित भूमि पर जनमानस की सुरक्षा हेतु किया जा रहा है।

उपरोक्तानुसार।

जनपद गोण्डा के बभनजोत व छपिया विकास खण्ड में राजकीय महाविद्यालय निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृत प्रदान करने के सम्बन्ध में

87-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद गोण्डा के बभनजोत व छपिया विकास खण्ड में राजकीय महाविद्यालय नहीं है ? क्या सरकार के संज्ञान में है कि विकास खण्ड बभनजोत के कूकनगर ग्रन्ट में उक्त हेतु 3 एकड़ जमीन आवंटित की गयी है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त राजकीय महाविद्यालय के निर्माण हेतु वित्तीय स्वीकृत प्रदान करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक की तहसील शाहबाद के कतिपय ग्राम पंचायतों में बाढ़ से बचाने विषयक

88-श्रीमती राजबाला सिंह-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक की तहसील शाहबाद के ग्राम-मढोली, वीसरा, जौलपुर, घनश्यामपुर, वहपुरी आदि गांवों की बाढ़ से फसल बर्बाद हो जाने के कारण उक्त गांव को बाढ़ से बचाने हेतु प्रश्नकर्ता का पत्र सं0-892/2018 दिनांक 01-10-18 तथा पत्र सं0-403/2017 दिनांक 15-09-2017 उन्हें प्राप्त हुए हैं ? यदि हां, तो उक्त पत्रों पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

उक्त पत्रों के क्रम में अवगत कराना है कि पूर्व में ही जनपद रामपुर के विधान सभा क्षेत्र मिलक की तहसील शाहबाद के ग्राम-मढोली, बीसरा, जौलपुर, घनश्यामपुर, वहपुरी आदि गांवों की बाढ़ से सुरक्षा हेतु एक परियोजना जनपद रामपुर की तहसील शाहबाद में कोसी नदी के बायें किनारे ग्राम जौलपुर से पटवाई तक (कि0मी0 0.00 से कि0मी0 28.500 तक) तैयार की गयी थी, जो तकनीकी सलाहकार समिति की 179वीं बैठक दिनांक 29-11-2013 में लागत धनराशि रु0 6517.70 लाख अनुमोदित हुई थी एवं गंगा बाढ़ नियन्त्रण आयोग, पटना द्वारा दिनांक 25-05-2015 को एवं केन्द्रीय जल आयोग की तकनीकी सलाहकार समिति की 129वीं बैठक दिनांक 29-02-2016 को धनराशि रु0 6663.00 लाख की नई दिल्ली द्वारा अनुमोदित हुई, किन्तु वित्त पोषण नहीं हुआ। तत्पश्चात् दिनांक 28-11-2017 को उ0प्र0 राज्य बाढ़ नियन्त्रण परिषद् की स्थाई संचालन समिति की 51वीं बैठक द्वारा यह निर्देश दिये गये थे कि दिनांक 28-11-2017 से पूर्व जो भी परियोजनायें स्वीकृत हैं, किन्तु उस पर कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, को तत्काल प्रभाव से निरस्त किया जाता है। इस निर्णय के क्रम में उक्त परियोजना निरस्त हो चुकी है।

सम्प्रति गांव सुरक्षित हैं। यदि विषम स्थिति बनती है तो विभाग द्वारा फ्लड फाइटिंग कराकर सुरक्षित किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रामपुर में पुलिस चौकी अजीतपुर से गन्दे नाले की भूमि को पाटकर दबंगों द्वारा अवैध कब्जे के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

89-श्रीमती राजबाला सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रामपुर में पुलिस चौकी अजीतपुर से गन्दे नाले की भूमि को पाटकर दबंगों द्वारा कब्जा कर लेने के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का पत्रांक 2053, दिनांक 29-08-2020 उन्हें प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

ग्राम अजीतपुर, जनपद रामपुर की सन्दर्भित भूमि पर कृषकगण द्वारा धारा-24 के अन्तर्गत न्यायालय उप जिलाधिकारी, सदर के यहां वाद योजित किया गया है, जो अभी विचाराधीन है। साथ ही साथ अधिशासी अभियन्ता, रामपुर नहर खण्ड, रामपुर द्वारा गन्दे नाले पर कुछ व्यक्तियों द्वारा अवैध पुलियों का निर्माण कर लिया है, जिनको जिलेदार तृतीय द्वारा कैनाल ऐक्ट की धारा-70 के अन्तर्गत अवैध पुलिया हटाने हेतु नोटिस दिये गये हैं, जिसके क्रम नियत तिथि दिनांक 08-04-2022 को अतिक्रमणकर्ताओं द्वारा 02 माह में अवैध अतिक्रमण हटा लेने का समय मांगा है। यदि 02 माह में इनके द्वारा अवैध अतिक्रमण नहीं हटाया जाता है तो अधिशासी अभियन्ता द्वारा धारा-441 बेदखली नोटिस देने के उपरान्त अवैध अतिक्रमण ध्वस्त करने की कार्यवाही की जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में सुख नन्दन मौर्या के घर से प्रदीप मौर्या (टॉवर हाउस) के मकान तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में

90-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में सुख नन्दन मौर्या के घर से प्रदीप मौर्या (टॉवर हाउस) के मकान तक लम्बाई 90 मीटर, चौड़ाई 3.50 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत, बहराइच की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना, जिला पंचायत बोर्ड से अनुमोदित होने के कारण वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण हेतु प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा करमोहना में सीताराम यादव के घर से शिव मन्दिर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

91-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा करमोहना में सीताराम यादव के घर से शिव मन्दिर तक 150 मीटर लम्बाई 3.50 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत, बहराइच की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना, जिला पंचायत बोर्ड से अनुमोदित होने के कारण वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण हेतु प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा करमोहना में राम अवतार के घर से पुलिया तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

92-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा करमोहना में राम अवतार के घर से पुलिया तक 80 मीटर लम्बाई, 3.50 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जिला पंचायत, बहराइच की वित्तीय वर्ष 2022-23 की वार्षिक कार्य योजना, जिला पंचायत बोर्ड से अनुमोदित होने के कारण वर्ष 2022-23 की कार्य योजना में प्रश्नगत कार्य सम्मिलित किया जाना सम्भव नहीं है।

प्रश्नगत कार्य के निर्माण हेतु प्रस्ताव आगामी वित्तीय वर्ष 2023-24 की कार्य योजना में सम्मिलित कर कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जा सकेगी।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा चौधरी गांव में राकेश के घर से प्राथमिक विद्यालय तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

93-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा चौधरी गांव में राकेश के घर से प्राथमिक विद्यालय तक 120 मीटर लम्बाई, 3.50 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत, बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा चौधरी गांव के मजरा खम्हरिया में राकेश के घर से प्राथमिक विद्यालय तक पूर्व से निर्मित लेपित मार्ग अत्यधिक क्षतिग्रस्त है, जिसकी वास्तविक लम्बाई 200 मीटर है।

क्षतिग्रस्त लेपित मार्ग पर 220 मीटर लम्बाई में सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य जिला पंचायत सदन द्वारा पंचम राज्य वित्त आयोग वर्ष 2022-2023 की कार्य योजना में पूर्व से प्रस्तावित एवं अनुमोदित है।

वर्ष 2022-23 का अनुदान अवमुक्त होने पर क्षतिग्रस्त लेपित मार्ग पर 220 मीटर लम्बाई में सी0सी0 मार्ग के निर्माण हेतु अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा चौधरी गांव में शालीराम के घर से छत्रपाल यादव के घर तक आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

94-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच, ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा चौधरी गांव में शालीराम के घर से छत्रपाल यादव के घर तक 90 मीटर लम्बाई, 3.50 मीटर आर0सी0सी0 रोड निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

सूचना एकत्र की जा रही है।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज ने नये विद्यालय खोलने व संचालित महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र न निर्गत किये जाने की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

95-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज ने नये विद्यालय खोलने व संचालित महाविद्यालय में नये पाठ्यक्रम खोलने के लिए समस्त मानकों को पूरा करने के बाद भी कई महाविद्यालयों को अनापत्ति प्रमाण-पत्र निर्गत नहीं किये गये हैं ? यदि हां, तो उक्त के क्या कारण हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्यवाही करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी नहीं।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज में बी0एड0 पाठ्यक्रम के अतिरिक्त नये महाविद्यालयों/संस्थानों के खोले जाने तथा वर्तमान महाविद्यालय/संस्थानों/ स्नातक/स्नातकोत्तर स्तर के अतिरिक्त विषयों/ पाठ्यक्रमों को प्रारम्भ करने हेतु अनापत्ति प्रस्तावों के आनलाइन निस्तारण के सम्बन्ध में वर्षवार विवरण निम्नवत् है-

वर्ष	प्राप्त आवेदन	स्वीकृत आवेदन	निरस्त	लम्बित
20-21	86	31	49	06
21-22	149	104	41	04
22-23	114	37	04	73
कुल योग	**349**	**172**	**94**	**83**

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद में तैनात टी0आई0 लालता प्रसाद के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

96-श्री मनीष असीजा-

क्या मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद में तैनात टी0आई0 लालता प्रसाद के द्वारा नो एन्ट्री, ओवरलोडिंग, घने बाजारों में वाहनों को सीज करने

आदि के नाम पर की जा रही अवैध वसूली के सम्बन्ध में प्रश्नकर्ता का मुख्य मंत्री अपर मुख्य सचिव गृह, डी0जी0पी0 पुलिस एवं एस0एस0जी0 फिरोजाबाद को प्रेषित पत्रांक क्रमशः क-6 नं0-589808, क-6 नं0-589807 एवं क-6 नं0-589806, दिनांक 07-05-2022 प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गयी है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

मा0 सदस्य, विधान सभा द्वारा जनपद फिरोजाबाद में तैनात टी0आई0 श्री लालता प्रसाद के सम्बन्ध में दिया गया कोई पत्र कार्यालय में प्राप्त होना नहीं पाया गया है। श्री मनीष असीजा, मा0 सदस्य, विधान सभा से वार्ता कर प्रश्नगत पत्र की छायाप्रति दिनांक 22-05-2022 को पुलिस अधीक्षक, फिरोजाबाद द्वारा प्राप्त की गयी। पत्र में अंकित आरोपों के सम्बन्ध में जांच क्षेत्राधिकारी नगर द्वारा की जा रही है। आरोपों की गम्भीरता को दृष्टिगत रखते हुए टी0आई0 श्री लालता प्रसाद का स्थानान्तरण अपराध शाखा किया गया है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के वर्तमान कुलसचिव श्री एस0के0 शुक्ला जो पेपर आउट प्रकरण में संलिप्त थे, को पुनः महत्वपूर्ण पद पर स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में

97-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के वर्तमान कुलसचिव श्री एस0के0 शुक्ला को सन् 2019 में लखनऊ विश्वविद्यालय में पेपर आउट/लीक कराने के आरोप में कार्य से विरत करके कानपुर विश्वविद्यालय से सम्बद्ध किया गया था ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त पेपर आउट प्रकरण में संलिप्त अधिकारी को पुनः महत्वपूर्ण पद पर स्थापित करने के क्या कारण हैं ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

प्रकरण के सम्बन्ध में थाना हसनगंज में मुकदमा संख्या-590/2019, धारा-5/10 सार्वजनिक परीक्षा अधिनियम पंजीकृत है, जो विवेचनाधीन है।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा सम्बद्धता निरीक्षण अनापत्ति प्रमाण हेतु महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा की गयी धनराशि में से निरीक्षण मण्डल को दी गयी धनराशि के विवरण के सम्बन्ध में

98-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा सत्र 2021-22 व 2022-23 में सम्बद्धता निरीक्षण अनापत्ति

प्रमाण आवेदन करने हेतु कितनी धनराशि महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा है तथा उक्त धनराशि में से निरीक्षण मण्डल को कितनी धनराशि दी गयी ? क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा सम्बद्धता निरीक्षण अनापत्ति प्रमाण आवेदन हेतु वित्तीय वर्ष 2021-22 में रु0 3,14,36,707.00 व वित्तीय वर्ष 2022-23 (दिनांक 01 अप्रैल, 2022 से 20 मई, 2022 के खाता विवरण के अनुसार) में रु0 30,45,000 कुल धनराशि रु0 3,44,81,707.00 (रु0 तीन करोड़ चौवालिस लाख इक्यासी हजार सात सौ सात मात्र) महाविद्यालयों द्वारा विश्वविद्यालय में जमा है। निरीक्षण मण्डलों को उक्त धनराशि नहीं दी गयी है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा शासनादेश का उल्लंघन कर शिक्षकों की अनुमोदन प्रक्रिया पूर्ण करने वाले दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग के सम्बन्ध में

99-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज द्वारा सचिव, उत्तर प्रदेश शासन के पत्रांक-195/सत्तर 2-2006-(85) 97, लखनऊ दिनांक 6 फरवरी, 2006 में उद्धृत शासनादेश का उल्लंघन कर शिक्षकों के अनुमोदन की प्रक्रिया पूर्ण की गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त की जांच कर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

शासनादेश संख्या-226/सत्तर-2-2020-18(31)/2018, दिनांक 13 मार्च, 2020 द्वारा शासनादेश संख्या-195/सत्तर-2-2020-2(85)/2019, दिनांक 6 फरवरी, 2006 को अवक्रमित करते हुए शासनादेश संख्या-1960/सत्तर-2-97-2(85)/97, दिनांक 11 नवम्बर, 1997 के क्रम में नई व्यवस्थाएं लागू की गयी हैं। शासनादेश दिनांक 13-03-2020 के प्रस्तर-5(2) में उल्लिखित है कि शिक्षकों एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों की नियुक्ति विश्वविद्यालय/विश्वविद्यालय अनुदान आयोग/सम्बन्धित रेगुलेटरी संस्था/शासन द्वारा समय-समय पर निर्धारित न्यूनतम शैक्षिक योग्यता/अर्हता के आधार पर की जायेगी। शिक्षकों का अनुमोदन विहित प्रक्रिया अनुसार सम्बन्धित विश्वविद्यालय से प्राप्त किया जायेगा।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलसचिव श्री एस0के0 शुक्ला के आदेश पर परास्नातक संकायों में सत्र 2021-22 एवं 2022-23 में सम्बद्धता प्राप्ति के शुल्क में भिन्नता के नियमों/शासनादेश की जानकारी दिये जाने एवं नियम विरुद्ध ली गई फीस महाविद्यालयों को वापस किये जाने के सम्बन्ध में

100-श्री संदीप सिंह-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रो0 राजेन्द्र सिंह (रज्जू भैया) विश्वविद्यालय प्रयागराज के कुलसचिव श्री एस0के0 शुक्ला के आदेश पर परास्नातक संकायों में सत्र-2021-22 में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु 35000/- रुपये प्रति विषय सम्बद्धता शुल्क लिया गया है, वहीं सत्र-2022-23 में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु 25000/- रुपये प्रति संकाय शुल्क लिया गया है ? यदि हां, तो क्या दोनों सत्रों में शुल्क लिये जाने में भिन्नता का कोई अध्यादेश/शासनादेश है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्या सरकार नियम विरुद्ध ली गई फीस महाविद्यालयों को वापस करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

परास्नातक संकाय में सत्र 2021-22 में सम्बद्धता प्राप्त करने हेतु सम्बद्धता शुल्क रु0 35000/- प्रति विषय व सत्र 2022-23 में सम्बद्धता शुल्क रु0 25000/- प्रति विषय लिया गया है।

शुल्क लिये जाने में भिन्नता का कोई शासनादेश नहीं है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर के अन्तर्गत मौजा सफीपुर के आराजी सं0-196 भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जे से मुक्त कराये जाने विषयक

101-डॉ0 अनिल कुमार मौर्य-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद कानपुर नगर की तहसील सदर के अन्तर्गत मौजा सफीपुर के आराजी सं0-196, रकबा लगभग 06 बीघा भूमि चारागाह के नाम से दर्ज है, पर भू-माफियाओं द्वारा अवैध कब्जा कर लिया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त भूमि को भू-माफियाओं के अवैध कब्जे से मुक्त करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जिलाधिकारी, कानपुर नगर द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्यानुसार खतौनी वर्ष 1405-1409 फसली वर्ष में प0क0-23 के द्वारा चारागाह खाते से 1.000 हे0 एवं आबादी

खाते से 0.662 हे0 काटकर श्री लाला हरिश्चन्द्र अग्रवाल पुत्र श्री मूल चन्द्र अग्रवाल व श्री राजकुमार पुत्र श्री शिव करन दास अग्रवाल के नाम राजस्व अभिलेखों में अंकित कर दी गयी।

उक्त श्री लाला हरिश्चन्द्र अग्रवाल आदि के नाम चारागाह के खाते से 1.000 हे0 एवं आबादी के खाते से 0.662 हे0 काटकर राजस्व अभिलेखों में अंकित भूमि को उप जिलाधिकारी (सदर) के आदेश दिनांक 08-11-2005 द्वारा निरस्त कर दिया गया। उक्त आदेश के विरुद्ध न्यायालय अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल के समक्ष अपील योजित हुई, जिसमें न्यायालय अपर आयुक्त, कानपुर मण्डल के आदेश दिनांक 18-09-2006 द्वारा अपील को निरस्त कर दिया गया। मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद में रिट याचिका सं0-53599/2006 हरिश्चन्द्र अग्रवाल बनाम स्टेट ऑफ यू0पी0 योजित की गयी है, जो वर्तमान में विचाराधीन है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से मिड-डे मील की धनराशि भेजने के सम्बन्ध में

102-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या बेसिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि परिषदीय विद्यालयों के छात्र-छात्राओं के अभिभावकों के खाते में डी0बी0टी0 के माध्यम से जूता-मोजा, स्कूल बैग एवं ड्रेस की धनराशि की भांति मिड-डे मील की धनराशि भी बच्चों के अभिभावकों के खाते में भेजने पर सरकार विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राजकीय हाई स्कूल विद्यालय बसई मुहम्मदपुर के नव निर्मित विद्यालय भवन में बच्चों को शिफ्ट करने के सम्बन्ध में

103-डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद फिरोजाबाद की विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद में राजकीय हाई स्कूल विद्यालय बसई मुहम्मदपुर के नये विद्यालय भवन का निर्माण कार्य पूर्ण है, किन्तु विद्यालय के बच्चे पुराने व जर्जर भवन में ही पढ़ रहे हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त विद्यालय के बच्चों को पुराने भवन से नव निर्मित भवन में शिफ्ट करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जनपद फिरोजाबाद में निर्मित राजकीय हाई स्कूल विद्यालय बसई मुहम्मदपुर का निर्माण कार्य अभी पूर्ण नहीं हुआ है। विद्यालयों के मुख्य भवन में विद्युतीकरण, शौचालय में सेनेटरी का कार्य एवं पेयजल व शीशे लगाने का कार्य प्रगति पर है।

सम्प्रति विद्यालय का संचालन जूनियर हाई स्कूल बसई मुहम्मदपुर में किया जा रहा है जोकि जर्जर अवस्था में नहीं है तथा भवन की स्थिति ठीक है।

जी हां, अवशेष निर्माण कार्य पूर्ण होने के उपरान्त बच्चों को उक्त विद्यालय में शिफ्ट किया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट में किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु संचालित कार्य योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

104–श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'–

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट में किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु खेतों तक पानी पहुंचाने हेतु सरकार की कोई कार्य योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह–

जी हां।

जनपद चित्रकूट में किसानों के खेतों की सिंचाई हेतु खेतों तक पानी पहुंचाने के लिए रसिन बांध नहर प्रणाली, गुन्ता बांध नहर प्रणाली, बरुआ बांध नहर प्रणाली, ओहन बांध नहर प्रणाली, चिल्लीमल पम्प नहर प्रणाली, पयश्वनी वियर नहर प्रणाली एवं अन्य लघु योजना नहर प्रणाली संचालित हैं।

उपरोक्तानुसार।

जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट में नहरों की सफाई हेतु सरकार की कोई कार्य योजना की जानकारी के सम्बन्ध में

105–श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'–

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट में नहरों की सफाई हेतु सरकार की कोई कार्य योजना संचालित है ? यदि हां, तो क्या सरकार बतायेगी कि उक्त क्षेत्र में नहरों की सफाई कब तक पूर्ण कराई जाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह–

जी हां।

प्रत्येक रबी फसल के पूर्व नहरों की सिल्ट सफाई हेतु कार्य योजना स्वीकृत कराकर कार्य कराया जाता है। विगत रबी 1429 फसली के पूर्व जनपद चित्रकूट के विधान सभा क्षेत्र चित्रकूट में सिल्ट कार्य माह अक्टूबर व नवम्बर, 2021 में कराया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

बुलन्दशहर के थाना-गुलावटी के अन्तर्गत 8 मई, 2022 को चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ0 शादाब की हत्या की न्यायिक जांच कराने विषयक

106-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि बुलन्दशहर के थाना-गुलावटी के अन्तर्गत 8 मई, 2022 को चर्म रोग विशेषज्ञ डॉ0 शादाब के क्लीनिक में घुसकर दिन-दहाड़े की गयी हत्या की न्यायिक जांच सरकार करायेगी एवं मृतक के परिवार को मुआवजा देगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

दिनांक 08-05-2022 को डॉ0 शादाब उम्र 35 वर्ष की हत्या के सम्बन्ध में थाना गुलावटी पर मु0अ0सं0-161/2022, धारा-147/148/149/302 भा0दं0वि0 में वादी श्री अबरार पुत्र मुरसलीम, निवासी ग्राम-कुराना, थाना हाफिजपुर, जनपद हापुड़ द्वारा जिसमें विवेचना के दौरान नामित अभियुक्त 1-असर्फी उर्फ सरफराज पुत्र यूनुस, 2-आसिफ पुत्र मुस्तफा, 3-इमरान पुत्र यूनुस, 4-राजा पुत्र मुस्तफा समस्त निवासीगण ग्राम-कुराना, थाना-हाफिजपुर, जनपद हापुड़ व 2-3 अज्ञात के विरुद्ध पंजीकृत कराया गया। विवेचना के दौरान अभियुक्तगण 1-समीर पुत्र नुरुद्दीन, निवासी म0नं0-151, गली नं0-4, शालीमार पार्क, नई दिल्ली, 2-वासिद पुत्र आमीन, निवासी-तीसरा पुस्ता, गली नं0-5, पूर्वी दिल्ली, 3-आदिल पुत्र मुख्तयार, निवासी बी-8/53, कबीर नगर, दिल्ली, 4-साजिद पुत्र सफाकत, निवासी कलछीना, थाना भोजपुर, जनपद गाजियाबाद, 5-कासिफ पुत्र परवेज, निवासी गली नं0-5, कबीर नगर, दिल्ली, 6-हसीन पुत्र हनीफ, निवासी जामा मस्जिद, नई दिल्ली, 7-सुफियान पुत्र उमर अली, निवासी कबीर नगर, दिल्ली प्रकाश में आये। अभियोग में नामित कुल 11 अभियुक्तों में से अभियुक्त 1-समीर पुत्र नुरुद्दीन दिनांक 10-05-2022, 2-वासिद पुत्र आमीन, 3-आदिल पुत्र मुख्तयार दिनांक 11-05-2022, 4-सुफियान पुत्र उमर अली दिनांक 15-05-2022, 5-हसीन पुत्र हनीफ दिनांक 20-05-2022 को गिरफ्तार कर जेल भेजे जा चुके हैं। अन्य अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु प्रयास जारी है। उक्त मृतक डॉ0 शादाब कस्बा गुलावटी में चर्म रोगियों के इलाज की दुकान चलाता था तथा चर्म रोग विशेषज्ञ नहीं था और न ही उसकी दुकान के बाहर लगे बोर्ड पर कोई डिग्री अंकित थी। डॉ0 शादाब की हत्या की न्यायिक जांच की कोई आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

मृतक के परिवारीजनों द्वारा आर्थिक सहायता के सम्बन्ध में कोई आवेदन नहीं किया गया है। उनके परिवार की आर्थिक स्थिति ठीक होना बताया जा रहा है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में प्रवाहित गंगा जी में होने वाली दुर्घटनाओं की रोकथाम हेतु गोताखोरों की सेवायें लेने के सम्बन्ध में

107-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के सरेनी विधान सभा क्षेत्र में प्रवाहित गंगा जी में आये दिन दुर्घटनाएं होने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो

क्या सरकार उक्त की रोकथाम हेतु स्थानीय गोताखोरों की सेवायें लेने पर विचार करेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

वर्ष 2021 में गंगासो घाट पर दिनांक 19-02-2021 को 01 एवं वर्ष 2022 में दिनांक 08-05-2022 को 01 घटना हुई है।

गंगा में स्नान/बाढ़ आदि के कारण होने वाली दुर्घटनाओं में बचाव कार्य हेतु स्थानीय गोताखोरों की यथा आवश्यक सेवायें ली जाती हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में मक्कु के खेत से कोमल के खेत तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में

108-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा परवानी गौढ़ी में मक्कु के खेत से कोमल के खेत तक आर0सी0सी0 रोड लम्बाई 90 मीटर, चौड़ाई 3.50 मीटर का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा परवानी गौढ़ी अन्तर्गत मिहीपुरवा रेलवे क्रासिंग चौराहा से नवयुग इण्टर कालेज मार्ग से पल्लेदार मोहल्ला जाने वाले मार्ग की कुल लम्बाई 350 मीटर है। उक्त मार्ग के मध्य मक्कु के खेत से कोमल के खेत तक मार्ग की कुल लम्बाई 94 मीटर तथा चौड़ाई 3.00 मीटर है। प्रश्नगत मार्ग पर पूर्व से खड़न्जा लगा हुआ है, जो सन्तोषजनक है तथा जन-सामान्य के आवागमन हेतु सुलभ है।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा ग्राम सभा बखारी में अरविन्द के खेत से बाल चन्द के खेत तक आर0सी0सी0 निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में

109-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा बखारी में अरविन्द के खेत से बाल चन्द के खेत तक मार्ग लम्बाई 100 मीटर चौड़ाई 3.50 मीटर का आर0सी0सी0 निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा बखारी में अरविन्द के खेत से बाल चन्द के खेत तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई 226 मीटर है, जो कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग की औसत चौड़ाई 4.6 मीटर है तथा उक्त मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन रहता है।

प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन (बोर्ड) द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा ग्राम सभा लौकाही में सुरेश सोनकर के घर से पूर्व प्रधान के घर तक आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य करवाने के सम्बन्ध में

110-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा ग्राम सभा लौकाही में सुरेश सोनकर के घर से पूर्व प्रधान के घर तक 100 मीटर लम्बाई, 3.50 मीटर चौड़ाई के आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

जी हां।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा लौकाही में सुरेश सोनकर के घर से पूर्व प्रधान के घर तक 100 मीटर लम्बाई की उक्त आर0सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य पूर्ण करा दिया गया है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा बखारी में जयराम के खेत से काली डामर तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

111-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा बखारी में जयराम के खेत से काली डामर तक 90 मीटर लम्बाई, 3.50 मीटर चौड़ाई के आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा बखारी में जयराम के खेत से काली डामर तक मार्ग की वास्तविक लम्बाई

200 मीटर है, जो कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग की औसत चौड़ाई 5.6 मीटर है तथा उक्त मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन रहता है।

प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन (बोर्ड) द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा बखारी में दीपचन्द के खेत तक आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में

112-श्रीमती सरोज सोनकर-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बहराइच के ब्लाक मिहीपुरवा, ग्राम सभा बखारी में दीपचन्द के खेत तक लम्बाई 100 मीटर, चौड़ाई 3.50 मीटर आर0सी0सी0 मार्ग का निर्माण कार्य सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायत बहराइच द्वारा उपलब्ध करायी गयी आख्या के अनुसार ग्राम सभा बखारी में दीपचन्द के खेत तक वास्तविक लम्बाई 93 मीटर है, जो कच्चा मार्ग है। उक्त मार्ग की औसत चौड़ाई 5-6 मीटर है। उक्त मार्ग पर ग्रामीणों का आवागमन रहता है।

प्रश्नगत मार्ग पर निर्माण कार्य कराये जाने विषयक प्रस्ताव जिला पंचायत सदन के विचारार्थ रखा जायेगा। जिला पंचायत के सदन (बोर्ड) द्वारा लिये गये निर्णय के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ के राजस्व ग्राम पंचायत जगदीशपुर-1 के कतिपय गाटा संख्याओं पर अवैध कब्जों को भू-माफियाओं से मुक्त कराये जाने विषयक

113-राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ के राजस्व ग्राम पंचायत जगदीशपुर-1 की गाटा संख्या-61/0.031 हेक्टेयर भूमि नवीन परती, गाटा संख्या-94/0.25 हेक्टेयर खेल का मैदान, गाटा संख्या-60 नाली एवं गाटा संख्या-62/0.013 हेक्टेयर जोकि खाद गड्ढे के रूप में राजस्व अभिलेख में दर्ज है, पर भू-माफियाओं का कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त ग्राम पंचायत की सरकारी भूमि को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र रानीगंज के विकास खण्ड शिवगढ़ के राजस्व ग्राम पंचायत जगदीशपुर की गाटा संख्या-61/0.031 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में नवीन परती के रूप में दर्ज है और मौके पर खाली है।

गाटा संख्या-94/0.101 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में आबादी खाते की भूमि है, जो आबादी से आच्छादित है।

गाटा संख्या-60/0.013 हेक्टेयर भूमि जो राजस्व अभिलेखों में खाद गड्ढे के खाते में दर्ज है, मौके पर रिक्त है।

गाटा संख्या-62/0.014 हेक्टेयर जो राजस्व अभिलेखों में नाली खाते में दर्ज है, मौके पर खाली है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

ब्वायज इण्टर कालेज सी0ओ0डी0 छिक्की, नैनी, प्रयागराज के प्रबन्धकीय दायित्वों का हस्तान्तरण में देरी एवं विद्यालय स्थल परिवर्तन पर रोक के आदेश मा0 न्यायालय द्वारा किये जाने के सम्बन्ध में

114-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या माध्यमिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ब्वायज इण्टर कालेज सी0ओ0डी0 छिक्की, नैनी, प्रयागराज के प्रबन्धकीय दायित्वों का हस्तान्तरण सर्वोदय शिक्षा समिति, भीरपुर, करछना, प्रयागराज को शासनादेश सं0-551/15-9-06-2001/256/2002, दिनांक 12-12-2006 द्वारा शिक्षा निदेशक, माध्यमिक को प्राप्त हुआ था ? क्या यह सही है कि उक्त शासनादेश दिनांक 12-12-2006 का अनुपालन करने में विलम्ब के कारण दायित्वों का हस्तान्तरण नहीं किया गया एवं मा0 न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 09-03-2007 में विद्यालय स्थल परिवर्तन पर रोक के आदेश पारित किये गये हैं ? यदि हां, तो क्या यह सत्य है कि शासनादेश दिनांक 12-12-2006 को पूर्ण रूप से शासन के पत्र सं0-338-15-9-12-2001 (195)/11, दिनांक 02-04-12 द्वारा निरस्त कर दिया गया, जबकि मा0 न्यायालय द्वारा मात्र स्थल परिवर्तन पर रोक लगाई गई थी ? यदि हां, तो उक्त शासनादेश दिनांक 12-12-2006 को पूर्ण रूप से निरस्त किये जाने के आधार/कारण क्या हैं ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त याचिका सं0-10111/2007 प्रधानाचार्य द्वारा वापस लेने एवं विद्यालय का स्थल परिवर्तन भी हो जाने की स्थिति में प्रबन्धकीय दायित्वों के हस्तान्तरण के आदेश दिनांक 12-12-2006 को बहाल करेगी ? यदि हां, कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्रीमती गुलाब देवी-

जी हां।

माननीय उच्च न्यायालय के आदेश दिनांक 09-03-2007 में यह आदेश पारित किया गया है कि अगली सुनवाई की तिथि तक विद्यालय वर्तमान स्थान पर संचालित हो।

जी हां।

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 09-03-2007 के अनुपालन में शासनादेश संख्या-551/15-9-06-2001(256)/2002, दिनांक 12-12-2006 को शासनादेश संख्या-338/15-9-12-2001(195)/11, दिनांक 02 अप्रैल, 2012 द्वारा निरस्त करते हुए यह आदेशित किया गया है कि संस्था पूर्ववत् संचालित की जाय।

माननीय उच्च न्यायालय के अन्तरिम आदेश दिनांक 09-03-2007 के अनुपालन में शासनादेश दिनांक 02-04-2012 द्वारा शासनादेश संख्या-551/15-9-06-2001(256)/2002, दिनांक 12-12-2006 को निरस्त किया गया।

सम्प्रति इस प्रकार की योजना विचाराधीन नहीं है।

उक्तवत्।

ब्वायज इण्टर कालेज सी0ओ0डी0 छिक्की, नैनी, प्रयागराज उसी निर्मित भवन/आवंटित भूमि पर ही संचालित है।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 03-03-2020 जो कि जनपद अयोध्या, ब्लाक सोहावल, मौजा रामनगर, धौरहरा व सीवार के मध्य राजकीय नलकूप लगवाये जाने विषयक

115-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री जवाहर लाल राजपूत, स0वि0स0 का दिनांक 03-03-2020 का पत्र संलग्नक सहित, जोकि जनपद अयोध्या, ब्लाक सोहावल, मौजा रामनगर, धौरहरा व सीवार के मध्य राजकीय नलकूप लगवाये जाने विषयक है, प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जी हां।

जनपद अयोध्या, ब्लाक सोहावल के अन्तर्गत ग्राम-रामनगर, धौरहरा व सीवार के मध्य राजकीय नलकूप लगवाये जाने हेतु तकनीकी परीक्षण कराया गया। हेतु तकनीकी परीक्षणोपरान्त उक्त स्थल पर राजकीय नलकूप लगाया जाना साध्य पाया गया है। प्रदेश में नवीन राजकीय नलकूपों के निर्माण की कोई परियोजना संचालित न होने के कारण प्रस्तावित ग्राम में राजकीय नलकूप लगाया जना सम्भव नहीं हो पाया है।

प्रश्न नहीं उठता।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य, विधान सभा का पत्र दिनांक 18-11-2021 जो कि मौजा रामनगर, धौरहरा, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या में अमलदरामद को नई खतौनी में दर्ज न किये जाने विषयक

116-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि श्री श्री जवाहर लाल राजपूत, स0वि0स0 का दिनांक 18-11-2021 का पत्र संलग्नक सहित, जोकि मौजा रामनगर, धौरहरा, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या का अमलदरामद को नई खतौनी में दर्ज न किये जाने विषयक था, प्रमुख सचिव, राजस्व को प्राप्त हुआ है ? यदि हां, तो उक्त पत्र पर अब तक क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

ग्राम-रामनगर, धौरहरा, तहसील-सोहावल, जिला-अयोध्या की खतौनी फसली सन् 1428-1433 के खाता संख्या-1048 व 397 पर नियम-109 चकबन्दी अधिनियम के अन्तर्गत पारित आदेश की अमलदरामद दर्ज है। राजस्व ग्राम रामनगर धौरहरा की खतौनी सन् 1428-1433 फसली के खाता संख्या-1048 व 397 पर अमलदरामद के कालम-7 से 12 में दिनांक 05-09-2011 को चकबन्दी न्यायालय के आदेश का अंकन है। रोस्टर खतौनी के पश्चात् अमलदरामद के कालम में अंकित आदेश का अनुपालन खतौनी के मूल कालम-2 में हो जाना चाहिए था, परन्तु क्षेत्रीय लेखपाल श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव की उदासीनता एवं लापरवाही के कारण अमलदरामद के कालम में अंकित आदेश का अनुपालन मूल कालम में खतौनी रोस्टर में होने के पश्चात् भी आमेलन नहीं किया गया, जिसके लिए लेखपाल श्री दिनेश कुमार श्रीवास्तव को प्रतिकूल प्रविष्टि दे दी गयी है। उल्लेखनीय है कि वर्तमान में राजस्व ग्राम रामनगर, धौरहरा, परगना मंगलसी, तहसील सोहावल, जिला अयोध्या की खतौनी रोस्टर से बाहर हो चुकी है, इसलिए आमेलन की कार्यवाही वर्तमान में किया जाना सम्भव नहीं है। आगामी रोस्टर में नियमानुसार आमेलन की कार्यवाही करा दी जायेगी।

प्रश्न नहीं उठता।

सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज, भीरपुर, जनपद प्रयागराज में चेक द्वारा किये गये धन गबन पर की गई कार्यवाही के सम्बन्ध में

117-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद प्रयागराज, थाना करछना में अपराध संख्या-800/2018, धारा-419, 420 भा0द0वि0 सर्वोदय शिक्षा सदन इण्टर कालेज, भीरपुर में चेक द्वारा धन गबन किये जाने विषयक पंजीकृत है ? यदि हां, तो उक्त प्रकरण पर क्या कार्यवाही की गई है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

प्रश्नगत प्रकरण में वादी डॉ0 सूर्यकान्त प्रधानाचार्य, स0शि0स0इ0 का0 भीरपुर, प्रयागराज RL NO.-RU 881877641N, दिनांक 20-12-2018 के प्रार्थना-पत्र पर मु0अ0सं0-800/2018, धारा-419/420, भा0दं0सं0 पंजीकृत किया गया है, जिसकी विवेचना उ0नि0 श्री भइयाराम विश्वकर्मा, थाना करछना द्वारा की गयी। विवेचना के मध्य तमीमी विवेचना बयानवादी, निरीक्षण घटना स्थल व बयान गवाहान से चेक भुगतान प्राप्तकर्ता नौसादुद्दीन के नाम, पते की जानकारी नहीं हो सकी है। साक्ष्य के अभाव में पतारसी/सुरागरसी जारी रखते हुए अपराध उपरोक्त में जरिये अन्तिम रिपोर्ट सं0-60/2019, दिनांक 29-06-2019 माननीय न्यायालय प्रेषित किया जा चुका है, जो माननीय न्यायालय में विचाराधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद प्रयागराज का गाटा संख्या-569, क्षेत्रफल-0.2630 हेक्टेयर तालाब की जमीन का अवैध बैनामा निरस्त कर दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई किये जाने के सम्बन्ध में

118-श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि ग्राम सभा-खानपुर, विकास खण्ड-उरुवा, तहसील व थाना-मेजा, जनपद-प्रयागराज का गाटा संख्या-569, क्षेत्रफल-0.2630 हेक्टेयर तालाब के रूप में दर्ज है, को ग्राम के कतिपय व्यक्तियों द्वारा तथ्यों को छिपाकर बिना किसी गाटा संख्या का नाम डाले दिनांक 12-08-2015 को बही संख्या-1, जिल्द संख्या-2080, पृष्ठ संख्या-115 से 145 पर क्रमांक-2619 पर निबन्धक कार्यालय मेजा के यहां पंजीकृत कर लिया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त प्रकरण की उच्च स्तरीय जांच कराकर अवैध रूप से तालाब की जमीन पर किया गया बैनामा निरस्त करा तालाब के खाते में दर्ज कराते हुए दोषियों के विरुद्ध वैधानिक कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी हां।

गलत ढंग से बैनामा करने के कारण विक्रेता श्रीमती देवकली पत्नी प्रेमचन्द्र, निवासी ग्राम-खानपुर टप्पा चौरासी, परगना खेरागढ़, तहसील-मेजा के विरुद्ध दिनांक 24-05-2022 को प्रथम सूचना रिपोर्ट थाना मेजा में दर्ज करा दी गयी है। गाटा संख्या-569, रकबा 0.2630 हे0 वर्तमान में तालाब के खाते में ही दर्ज है।

पूर्व में तालाब गाटा संख्या-569, रकबा-0.2630 हे0 की जांच में 13 व्यक्तियों द्वारा अवैध कब्जा पाये जाने पर उनके विरुद्ध उ0प्र0 राजस्व संहिता की धारा-67 के अन्तर्गत बेदखली का वाद संचालित किया गया था, जिसमें दिनांक 17-05-2022 को बेदखली का आदेश पारित हो चुका है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा बांध में पानी पहुंचाने के लिए सरकार की कार्य योजना के सम्बन्ध में

119-श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान'-

क्या जल शक्ति मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा बांध में पानी पहुंचाने के लिए सरकार की क्या कार्य योजना है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री स्वतंत्र देव सिंह-

जनपद चित्रकूट के रसिन बांध से बरुवा बांध में पानी पहुंचाने के लिए एक परियोजना प्रोजेक्ट फॉर कॉन्स्ट्रक्शन आफ बाणगंगा बरुवा डैम लिंक कैनाल का गठन किया गया है, जो परीक्षणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं में छात्र प्रवेश की संख्या में वृद्धि करने के सम्बन्ध में

120-श्री रविदास मेहरोत्रा-

क्या उच्च शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्नातकोत्तर एवं स्नातक कक्षाओं में छात्र प्रवेश की संख्या में वृद्धि करेगी ? यदि हां, तो कितने प्रतिशत ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

जी हां।

विश्वविद्यालय तथा महाविद्यालय में छात्रों की संख्या बढ़ाने हेतु नये विश्वविद्यालयों एवं महाविद्यालयों की स्थापा की गयी है। उपलब्ध सीटों के आधार पर छात्रों के प्रवेश में वृद्धि होगी।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद वाराणसी की तहसील राजातालाब की ग्राम सभा-धानापुर में गाटा संख्या-106 पर भू-माफियाओं द्वारा किये गये अवैध कब्जों से मुक्त करवाने एवं दोषियों के विरुद्ध कार्रवाई के सम्बन्ध में

121-श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

क्या मुख्य मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद वाराणसी की तहसील राजातालाब की ग्राम सभा-धानापुर में तालाब के नाम दर्ज गाटा संख्या-106 पर भू-माफियाओं का अवैध कब्जा है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त तालाब की जमीन को भू-माफियाओं से मुक्त कराकर दोषियों के खिलाफ कार्यवाही करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगी आदित्यनाथ-

जी नहीं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश के कक्षा-एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं को उक्त का भुगतान कराने के सम्बन्ध में

122-डॉ0 नीरज बोरा-

क्या वित्त मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश के कक्षा-एक से आठ तक के छात्र-छात्राओं के उपयोगार्थ वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं को उक्त का भुगतान कर दिया गया है ? यदि हां, तो उसका विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री सन्दीप कुमार सिंह-

जी नहीं।

वित्तीय वर्ष 2019-20 तथा 2020-21 में जनपद-चित्रकूट तथा 2020-21 में सम्भल, रामपुर, बिजनौर, कासगंज, हमीरपुर, हरदोई, एटा, लखीमपुर-खीरी, अम्बेडकरनगर व हमीरपुर में निःशुल्क स्कूल बैग उपलब्ध कराने वाले आपूर्तिकर्ताओं को भुगतान नहीं किया गया है।

वित्तीय वर्ष 2019-20 में निःशुल्क स्कूल बैग की लम्बित देनदारियों का भुगतान वित्तीय वर्ष 2022-23 में बजट की उपलब्धता पर निर्भर है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहतपुर खुर्द में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ करवाने के सम्बन्ध में

123-श्री तसलीम अहमद-

क्या प्राविधिक शिक्षा मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नजीबाबाद के ग्राम राहतपुर खुर्द में राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज की इमारत का निर्माण पूर्ण है, परन्तु कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त कालेज में शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराएगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

जी नही। इमारत अभी निर्माणाधीन है।

प्रश्न नहीं उठता।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट में तालबेहट से पूराकलां गुमटा घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराने विषयक

124-श्री रामरतन कुशवाहा-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट में तालबेहट से पूराकलां गुमटा घाट तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण सरकार करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट में पी0एम0जी0एस0वाई0-3 बैच-1, वर्ष 2021-22 के अन्तर्गत पैकेज संख्या-यू0पी0-45122 के सम्पर्क मार्ग एन0एच0-26 तालबेहट से पूराकलां (एम0पी0 बार्डर तक) लम्बाई 23.355 कि0मी0 प्रस्तावित है। प्रश्नगत मार्ग की निविदा उ0प्र0 ग्रामीण सड़क विकास अभिकरण, लखनऊ के कार्यालय पत्रांक-7162/T-251/UPRRDA/PMGSY-3 (2021-22) Batch-1/Tener, दिनांक 26-03-2022 द्वारा निविदा आमंत्रित की गयी, जिसकी तकनीकी बिड दिनांक 13-05-2022 को खोली गयी। तकनीकी मूल्यांकन समिति के अनुमोदन के पश्चात् वित्तीय बिड खोले जाने के उपरान्त निविदा सम्बन्धी समस्त औपचारिकताएं पूर्ण होने एवं अनुबन्ध गठन के पश्चात् कार्य प्रारम्भ कराते हुए अनुबन्धित समयावधि के अन्तर्गत मार्ग का निर्माण करा दिया जायेगा।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र-सरेनी में प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत सड़कों में शंकरगढ़ गिट्टी का तकनीकी परीक्षण कराने विषयक

125-श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह-

क्या लोक निर्माण मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र-सरेनी में प्रधानमंत्री सड़क योजना (पी0एम0जी0एस0वाई0) के अन्तर्गत निर्मित सड़कों में शंकरगढ़ गिट्टी का प्रयोग किया जाता है ? क्या सरकार बतायेगी कि उक्त गिट्टी का भार क्षमता का तकनीकी परीक्षण कराया गया है ? यदि हां, तो विवरण क्या है ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

जी हां।

खदान से प्राप्त एवं मार्गों में प्रयुक्त विभिन्न साइज की गिट्टी का भार वाहन क्षमता का तकनीकी परीक्षण प्रयोगशाला में किया जाता है। गिट्टी की भार वाहन क्षमता हेतु Aggregate Impact Value (AIV) का टेस्ट किया जाता है।

प्रश्न नहीं उठता।

जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में हसनपुर मोड़ से अकटहिया तक की 01 कि0मी0 मार्ग जर्जर होने के कारण उक्त मार्ग का नवीनीकरण/मरम्मत कराने के सम्बन्ध में

126-श्री नफीस अहमद-

क्या पंचायती राज मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि जनपद आजमगढ़ के विकास खण्ड बिलरियागंज में हसनपुर मोड़ से अकटहिया तक की 01 कि0मी0 मार्ग जर्जर होने के कारण आम-जनमानस को आवागमन में परेशानी हो रही है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त पिच रोड का नव निर्माण/मरम्मतीकरण करायेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री भूपेन्द्र सिंह चौधरी-

प्रश्नगत मार्ग हसनपुर मोड़ से अकटहिया सम्पर्क मार्ग के नाम से कोई सम्पर्क मार्ग नहीं है। विकास खण्ड-बिलरियागंज में आजमगढ़-फैजाबाद सम्पर्क मार्ग पर कप्तानगंज बाजार से हसनपुर सम्पर्क मार्ग जो केवटहिया होकर जाता है, की लम्बाई 1.00 कि0मी0 है, जिसमें 590 मी0 मार्ग ठीक है, अवशेष 410 मी0 मार्ग क्षतिग्रस्त है। क्षतिग्रस्त भाग के 230 मी0 लम्बाई में सी0सी0 एवं 180 मी0 लम्बाई में लेपन कार्य हेतु प्रस्ताव जिला पंचायत बोर्ड की बैठक दिनांक 21-08-2021 को अनुमोदित करते हुए निविदा आदि की कार्यवाही करते हुए कार्यादेश निर्गत कर दिया गया है, जिससे अतिशीघ्र ही उक्त कार्य को पूर्ण करा दिया जायेगा।

नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक एम0पी0आई0 में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे गरीब तीन राज्यों में शामिल किये जाने की जानकारी एवं विशेष कार्य योजना बनाने विषयक

127-हाजी इरफान सोलंकी-

क्या उप मुख्य मंत्री मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि नीति आयोग के प्रथम बहुआयामी गरीबी सूचकांक एम0पी0आई0 में उत्तर प्रदेश को देश के सबसे गरीब तीन राज्यों में शामिल किये जाने की जानकारी सरकार को है ? यदि हां, तो क्या सरकार इस दिशा में सुधार हेतु कोई विशेष कार्य योजना बनाएगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जी हां।

सतत विकास लक्ष्य गोल संख्या-1 'निर्धनता उन्मूलन' के अन्तर्गत मल्टी-डाइमेन्शनल पावर्टी इण्डेक्स (एम0पी0आई0) के प्रभावी एवं नियमित अनुश्रवण हेतु अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास विभाग, उ0प्र0 शासन की अध्यक्षता में अंतर विभागीय समन्वय समिति गठित है। त्वरित

बहुआयामी गरीबी उन्मूलन हेतु लक्षित लक्ष्यों के साथ एक सुधारात्मक 03 वर्षीय कार्य-योजना तैयार करने हेतु सम्बन्धित विभागों को निर्देश दिये गये हैं।

प्रश्न नहीं उठता।

प्रदेश में मोबाइल टावरों के रेडिएशन से आम-जनमानस को हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखने हेतु सुरक्षात्मक उपकरणों की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में

128-श्रीमती पूजा पाल-

क्या सूचना प्रौद्योगिकी एवं इलेक्ट्रानिक्स मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि प्रदेश में मोबाइल टावरों के रेडिएशन से आम जनमानस को हानिकारक किरणों से सुरक्षित रखने हेतु दिनांक 01 अप्रैल, 2017 से दिनांक 31 मार्च, 2022 के मध्य सुरक्षात्मक उपकरणों की स्थापना कराई गई है ? यदि हां, तो क्या सरकार उक्त का विवरण सदन के पटल पर रखेगी ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री योगेन्द्र उपाध्याय-

मोबाइल टावर की स्थापना तथा उत्पन्न रेडिएशन पर नियन्त्रण भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के क्षेत्राधिकार का विषय है। भारत सरकार के दूरसंचार विभाग के पत्र संख्या-डीओटी/एलएसए/यूपीई/ईएमएफ टेस्टिंग/2022-23, दिनांक 26-05-2022 के अनुसार मोबाइल टावर से निकलने वाले विकिरण का आम जनमानस के स्वास्थ्य पर कोई बुरा प्रभाव नहीं पड़ता है। मोबाइल विकिरण आम जनमानस, पशु-पक्षी तथा पर्यावरण के लिए पूर्णतया सुरक्षित है। प्रश्न नहीं उठता। दूरसंचार विभाग द्वारा मोबाइल टावरों से विकिरण के जो मानक तय किये गये हैं, वे अन्तर्राष्ट्रीय मानकों से भी सख्त हैं। नियत मानकों का अनुपालन सुनिश्चित कराने के लिए दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा नियमित तौर पर मोबाइल टावर्स का निरीक्षण भी किया जाता है।

वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास की सूची में जनपद गोण्डा, विकास खण्ड-छपिया तथा बभनजोत में पंजीकृत पात्रों को सरकारी आवास दिलवाये जाने के सम्बन्ध में

129-श्री प्रभात कुमार वर्मा-

क्या ग्राम्य विकास मंत्री बताने की कृपा करेंगे कि वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार प्रधानमंत्री आवास की सूची में जनपद गोण्डा, विकास खण्ड-छपिया तथा बभनजोत में पंजीकृत पात्रों को सरकार आवास देना सुनिश्चित करेगी ? यदि हां, तो कब तक ? यदि नहीं, तो क्यों ?

श्री केशव प्रसाद मौर्य-

जनपद गोण्डा के विकास खण्ड-छपिया तथा बभनजोत की वर्ष 2011 की सामाजिक, आर्थिक एवं जातिगत जनगणना के आधार पर तैयार स्थायी पात्रता सूची से समस्त पात्रों को पूर्व में ही आवास से लाभान्वित कराया जा चुका है। वर्तमान में वर्ष 2011 के सेक डाटा में कोई पात्र लाभार्थी आवास आवंटन के लिए शेष नहीं है।

उपरोक्तानुसार।

प्रश्न नहीं उठता।

[12:20] नियम-301 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज दिनांक 31 मई, 2022 को नियम-301 के अन्तर्गत कुल 119 सूचनाएं प्राप्त हुईं, जिसमें से 94 माननीय सदस्यों की सूचनाएं स्वीकार की गईं। जो सदस्य यहां पर उपस्थित हैं, उनकी सूचनाएं ली जायेंगी।

आज 94 सूचनाएं ली गई थीं और 25 सूचनायें ऐसे माननीय सदस्यों की थीं जिनकी सूचनायें पहले ली जा चुकी थीं, इसलिए उनके नाम अस्वीकार की लिस्ट में छपे थे लेकिन उनमें से जो माननीय सदस्य सदन में उपस्थित हैं उनकी सूचनाओं को भी मैं स्वीकार कर रहा हूँ। उपस्थिति जरूरी है, हमारी इस सम्बन्ध में माननीय लाल जी वर्मा जी से बात हुई और उन्होंने बहुत महत्वपूर्ण बात बतायी कि जो मा0 सदस्य यहां पर उपस्थित नहीं हैं और किसी कारण से सदन के बाहर हैं, यदि किसी प्रकार की दुर्घटना हो जाती है तो हमने तो उनको सदन में उपस्थित माना जबकि वह सदन में उपस्थित नहीं थे। इसलिए यह बहुत महत्वपूर्ण है कि जो माननीय सदस्य उपस्थित हैं उनकी सदन में उपस्थिति आवश्यक है। कभी-कभी सदस्य मुझसे कहते हैं कि जरूरी है क्या तो इसलिए जरूरी है कि भगवान न करे कोई भी परिस्थिति हो सकती है। जिन माननीय सदस्यों की सूचनाएं अस्वीकार की गई थीं उनकी सूचनाओं को भी इस शर्त पर स्वीकार कर रहा हूँ कि वह सदन में उपस्थित हों।

पहली सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटका बाजार से मायंग-धनपतगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री विनोद सिंह की जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय गोकुल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्री इन्द्रजीत सरोज की जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के अन्तर्गत स्थित प्राचीन शिवालय मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत सेतु निगम चांदपुर से गभिरार तक निर्माणाधीन सेतु में कुछ पाया और बढ़ाये जाने तथा ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री राकेश गोस्वामी की जनपद महोबा के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, छठी सूचना श्री रामरतन कुशवाहा की जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना मौहम्मद फहीम इरफान की उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में झोजा जाति के पर्यायवाची के रूप में तुर्क अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ के विधान सभा

क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुर कमथरी में पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री बृजेश कुमार रावत की जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय किये जाने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री बेचई की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत बेसो नदी पर पुल एवं सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर, शामली के अन्तर्गत शामली नवीन मण्डी से करोड़ी होते हुए दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना मौहम्मद हसन 'रूमी' की जनपद कन्नौज में विगत 09-05-2022 को सईद अहमद की निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थल को अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना स्वामी ओउ्मवेश की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के गांव रुस्तमपुर में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत खींची गयी 11 हजार वोल्टेज के लाइन पर केबिल लाइन 440 वोल्टेज कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ की किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री जय कुमार सिंह 'जैकी' की जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय पुलों/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री हंसु राम की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत नगर पंचायत नगरा में लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के फलस्वरूप आये दिन भयंकर जाम के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री अजय कुमार की जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत चौगामा नहर परियोजना तथा हिण्डन कृष्णी परियोजना को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री लकी यादव की जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सीठापुर, पोस्ट फतेहगंज, ब्लाक सिकरारा, तहसील सदर निवासिनी बिन्दू देवी द्वारा प्रधान पति श्री विजय यादव के विरुद्ध दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री विनय प्रकाश गौड़ की जनपद कुशीनगर में चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द की जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बाईसवीं सूचना रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में स्थित राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल सिंचाई परियोजना की नहर पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तेईसवीं सूचना श्री सुरेश की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में पूर्ण तहसील का गठन-निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद

सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की समस्त डामर रोडों की कच्ची पट्टी को सही कराये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्थित प्राकृतिक तालाब को पर्यटक स्थल एवं पक्षी बिहार के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री रमा शंकर की जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में अहरौरा में ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताईसवीं सूचना डॉ0 अवधेश सिंह की जनपद वाराणसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा में ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम कठिरांव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में है, अट्ठाईसवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा के कतिपय कालोनियों को नगरीय क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना श्री मूल चन्द्र सिंह की जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री विकास गुप्ता की जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत अशोक नगर, गाजीपुर बस स्टाप पर स्व0 माँ रामा अग्रहरि जी के नाम से एक समृति द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के अन्तर्गत फरीदपुर में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत विकास खण्ड आकू में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना डॉ0 एम0 पी0 आर्य की जनपद बरेली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज नगर में नाली सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह राणा की जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक हसायन में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री तुफानी सरोज की जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् सण्डीला के ग्राम महतवाना की राजस्व भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा प्लाटिंग कर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव के ग्राम रार में स्थित माँ शीतला देवी मन्दिर व माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रूखाबाद से जनपद एटा के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री अब्बास अंसारी की जनपद मऊ के अन्तर्गत अम्बेडकर स्टेडियम में कतिपय निर्माण कार्य, विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण एवं अग्निशमन केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनतालीसवीं सूचना डॉ0 मुकेश कुमार वर्मा की जनपद गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी, डॉ0 हरगोविन्द सिंह द्वारा चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद शामली के अन्तर्गत कैराना में डी0के0 पब्लिक स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा अनुष्का की हत्या में संलिप्त दोषियों की सी0बी0आई0 जांच करने के सम्बन्ध में है, इक्तालीसवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम तेजलहेड़ा में बनी सी0सी0 रोड की पटरियों को इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्री लाल जी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर

की विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में ग्राम अताउल्लाह नाऊपुर में विसुई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री विरेन्द्र कुमार यादव की वीर बहादुर पू0वि0वि0 जौनपुर के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त इण्टरमीडिएट कालेज पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट, अयोध्या में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज में तैनात सचिव पद पर प्रदेश के सबसे कनिष्ठ संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना मो0 ताहिर खान की जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत हलियापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी के ग्राम धौकलपुर में अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किसनी के अन्तर्गत तहसील भोगांव के विकास खण्ड जागीर की ग्राम पंचायत पुढरी में कार्यरत पंचायत सचिव विजेन्द्र माथुर व रोजगार सेवक परम सिंह द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में है, उनचालीसवीं सूचना श्री सन्दीप सिंह की जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत उरूवा ब्लाक में कतिपय सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण तथा ट्रांसफार्मरों की क्षमता वृद्धि किये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह की जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर ब्लाक में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत रानी की सराय में महिला डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज के बस अड्डे का नवनिर्माण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के अन्तर्गत निर्मित तीनों राजकीय इण्टर कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति एवं बच्चों की पढ़ाई शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री बावन सिंह की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम जयरामपुरवा-कोचवा से भैरमपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री अभिजीत सिंह 'सांगा' की जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पटेल नगर (जैतपुर) में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर

के अन्तर्गत कौलकी टोल को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में कृषि मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत अवैध कब्जे को मुक्त कराकर झीलों को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाड साल्हीपुर से प्राइमरी विद्यालय कोर्रा पूरे मुसई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौसठवीं सूचना श्री दीपक मिश्र 'शाका' की जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र बरहज में स्थित देवरहा बाबा मन्दिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पैसठवीं सूचना श्री आलमबदी की जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, छियासठवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री राजीव तरारा की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा तक अधूरे तटबन्ध को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री जै किशन की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के अन्तर्गत सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत कृष्णा नदी पर क्षतिग्रस्त पुलों का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0 167/2021 की पुनः विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना इंजी0 सरवन कुमार निषाद की जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मे0 नेशनल इंजी0 सर्विसेज का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मिश्र की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत भीमपुर रजवाहा नहर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री रमेश की जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री गौरव कुमार की जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर बाजार में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी ढंग से वसूली किये

जाने के सम्बन्ध में है, उन्यासीवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की जनपद मिर्जापुर पिपरा डाण के राजकीय मेडिकल कालेज के पास जनसम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री गणेश चन्द्र की जनपद सन्तकबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के अन्तर्गत सरयू/घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री संग्राम सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम टूटूवारी में पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री प्रेम नरायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायतपुर मुकुन्दपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा कोरी की जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवंटन में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, पिच्यासीवीं सूचना श्री किरत सिंह की जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत गोराघाट रामगंगा नदी के तट पर पक्का घाट बनवाकर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगवांसादात के ग्राम कैलबकरी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड बलिया में वर्ष 2020 से अब तक भुगतान की गयी देनदारी/बीजकों का एस्टीमेट वर्षवार विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में है, नवासीवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटवा-प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री बम्बा लाल की अधीक्षण अभियन्ता प्रहरी लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, बानबेवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अजय कुमार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किये गये कार्यों की जांच तथा सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरानबेवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुये वाहन संख्या यू0पी0-32 जी0यू0-5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, चौरानबेवीं सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, पंचानबेवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के हाटा तहसील के जर्जर रजिस्ट्री भवन के नवनिर्माण के

सम्बन्ध में है, छियानबेवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत स्थापित पुराने हॉस्पिटल को उच्चीकृत कर सिटी हॉस्पिटल का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तानबेवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत वार्ड नं0-1 में जलभराव की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठानबेवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यानबेवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत गुलालपुर ड्रेन की खुदाई/सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना श्री अजय सिंह (बस्ती) की उत्तर प्रदेश में पौराणिक मनवर नदी की सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ एकवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ में नजूल भूमि को फ्री होल्ड करने की पालिसी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-अमानीगंज मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ तीनवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ के अन्तर्गत सभी जर्जर और टूटी सड़कों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में है।

निम्नलिखित मा0 सदस्यों की सूचनाएं पूर्व में स्वीकृत होने के कारण आज अस्वीकार की गयीं:-

श्री ओम प्रकाश, श्री रामकृष्ण भार्गव, श्रीमती विजमा यादव, हाजी इरफान सोलंकी, श्रीमती नादिरा सुल्तान, श्री देवेन्द्र निम, श्री योगेश धामा, श्री अरविन्द गिरि, कुँ0 माधवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री पंकज गुप्ता, श्रीमती अन्जुला सिंह माहौर, श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी, श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी, श्री सत्यपाल सिंह राठौर, श्री राजपाल सिंह बालियान तथा श्री महेन्द्र नाथ यादव।

(सदन की सहमति से स्वीकृत सभी सूचनाएं पढ़ी हुई मानी गयीं)

जनपद सुल्तानपुर के अन्तर्गत कटका बाजार से मायंग-धनपतगंज सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राज प्रसाद उपाध्याय-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहता हूँ। जनपद सुल्तानपुर के कटका बाजार से मायंग-धनपतगंज सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर अवस्था में है। पूर्वांचल एक्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान डम्परों से मिट्टी की ढुलाई किये जाने से पूरी सड़क खराब हो गई है और उस पर गड्ढे हो गये हैं। सकरा और जर्जर होने के कारण उक्त मार्ग पर आये दिन दुर्घटनाएं होती रहती हैं और राहगीर चोटिल होते रहते हैं। बरसात के मौसम में कीचड़ एवं सड़क पर मौजूद गड्ढों में पानी भरने से स्थिति और भी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

खराब हो जाती है। जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण करते हुए निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद सुल्तानपुर में कटका बाजार से मायंग-धनपतगंज सम्पर्क मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण प्रारम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर के ब्लाक धनपतगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय गोकुल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र में चिकित्सक सहित अन्य सुविधायें उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहता हूँ। जनपद सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय गोकुल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं स्टाफ के आवासों की स्थिति अत्यन्त दयनीय है। चिकित्सकों एवं अन्य आवश्यक सुविधाओं के अभाव में ग्रामीणों को समुचित इलाज नहीं मिल पाता है। जनहित में उक्त स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं अन्य सुविधायें तथा मरीजों के भर्ती होने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद सुल्तानपुर में धनपतगंज ब्लाक के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सराय गोकुल में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र पर चिकित्सकों एवं अन्य स्टाफ की तैनाती, चिकित्सकीय उपकरण, पैथोलॉजी एवं अन्य सुविधायें तथा मरीजों के भर्ती होने के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मांग करता हूँ]

जनपद कौशाम्बी की नगर पालिका परिषद् मंझनपुर के अन्तर्गत स्थित प्राचीन शिवालय मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री इन्द्रजीत सरोज-

[महोदय, मैं सदन के संज्ञान में अतिमहत्वपूर्ण विषय को लाना चाहता हूँ कि विधान सभा सिराथू के असकरनपुर मंगरोहनी में धार्मिक एवं ऐतिहासिक अति प्राचीन शिवालय मन्दिर हैं। हर समय यहां पर दर्शनार्थियों का मेला रहता है। दर्शनार्थियों को सुविधाओं के अभाव में कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। जनहित में मन्दिर परिसर में आवश्यक सुविधाएं होना अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बलिया की विधान सभा क्षेत्र बांसडीह के अन्तर्गत सेतु निगम चांदपुर से गभिरार तक निर्माणाधीन सेतु में कुछ पाया और बढ़ाये जाने तथा ठोकर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती केतकी सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लोक महत्व के गम्भीर विषय को लाना चाहती हूँ। जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र-362, बांसडीह में सेतु निगम चांदपुर से गभिरार तक निर्माणाधीन सेतु में कुछ पाया और बढ़ाने की जरूरत है एवं ठोकर का निर्माण भी अत्यन्त आवश्यक है। नहीं तो कटान की वजह से बाकी खम्भों को भी नुकसान पहुंच सकता है। जनहित में उक्त सेतु पर पाये बढ़ाये जाने एवं ठोकर का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः जनहित के इस गम्भीर विषय पर मैं सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद बलिया में बांसडीह में सेतु निगम चांदपुर से गभिरार तक निर्माणाधीन सेतु में कुछ पाया और बढ़ाये जाने एवं ठोकर का निर्माण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद महोबा के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार गोस्वामी-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ। अवगत कराना है कि जनपद महोबा के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक एवं प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी के कारण पढ़ाई नहीं होती जिससे गांव के बच्चों को पढ़ाई हेतु कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है क्योंकि अध्यापक के ना होने पर उन्हें कोई पढ़ाने वाला नहीं है जिससे उनकी नींव कमजोर हो रही है। एक अध्यापक पर 4-4 विद्यालयों की जिम्मेदारी है जिससे वह सही तरीके से पढ़ा नहीं पाते। इसके अलावा शहर में तैनात अध्यापक को गांव जाने का प्रावधान नहीं है, जिससे ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक एवं प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की कमी देखी जा सकती है।

अतः मैं आपसे नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय पर जनपद महोबा के ग्रामीण इलाकों के प्राथमिक एवं प्राइमरी विद्यालयों में अध्यापकों की नियुक्ति हेतु मांग करता हूँ।]

जनपद ललितपुर के विधान सभा क्षेत्र ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामरतन कुशवाहा-

[महोदय, उपरोक्त विषयानुसार आपको अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पूराकलां व आस-पास के लगभग

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

15 से 20 ग्रामों के निवासीगणों के माध्यम से लगातार एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना की मांग की जा रही है, जिस बाबत जिला विद्यालय निरीक्षक, ललितपुर के द्वारा ग्राम पूराकलां इण्टर कालेज की स्थापना हेतु भूमि खसरा संख्या-2160/2मि पर 1.6190 भी आरक्षित की जा चुकी है।

अस्तु आपसे अनुरोध है कि विधान सभा क्षेत्र-226, ललितपुर के विकास खण्ड तालबेहट के ग्राम पूराकलां में एक राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना हेतु शासन को निर्देशित करने का कष्ट करें]

उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में झोजा जाति के पर्यायवाची के रूप में तुर्क अंकित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद फहीम इरफान-

[महोदय, निवेदन है कि प्रदेश में मुरादाबाद मण्डल सहित कई स्थानों पर झोजा जाति के लोगों को 1359 फसली खसरे में उनके पूर्वजों की कौम तुर्क लिखे होने के कारण पिछड़ी जाति का प्रमाण-पत्र जारी होने में दिक्कत आ रही है। इस भ्रान्ति पूर्ण प्रविष्टि को भारत सरकार द्वारा जारी रामपुर स्टेट गजट वर्ष 1911, रामपुर डिस्ट्रिक्ट गजट एवं अन्य साक्ष्यों में अंकित तथ्यों के मद्देनजर अन्य पिछड़ा वर्ग की सूची में झोजा जाति के साथ पर्यायवाची शब्द तुर्क अंकित कराने का प्रयास शासन स्तर पर करने के बावजूद कामयाबी नहीं मिल सकी है।

अतः जनहित में उत्तर प्रदेश की अन्य पिछड़ा वर्ग सूची में झोजा जाति के पर्यायवाची के रूप में तुर्क अंकित करने सम्बन्धित को आदेशित करने की मांग करता हूँ।]

जनपद मऊ के विधान सभा क्षेत्र मुहम्मदाबाद गोहना के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुर कमथरी में पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-355, मुहम्मदाबाद गोहना, जनपद मऊ के अन्तर्गत ग्राम हिरनपुर कमथरी में 132 के0वी0ए0 का पावर हाउस स्वीकृत हुआ था जिसके लिए जमीन आरक्षित कर तार से बाउण्ड्री बना दिया गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं किया गया है जिसके कारण बिजली की समस्या बनी हुई है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल उक्त पावर हाउस का निर्माण कार्य प्रारम्भ कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान की तहसील हसनगंज के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों की असंक्रमणीय भूमि को संक्रमणीय किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बृजेश कुमार रावत-

[महोदय, मेरे निर्वाचन क्षेत्र-मोहान, विकास खण्ड-नवाबगंज/हसनगंज, तहसील हसनगंज, जनपद उन्नाव के अन्तर्गत ग्राम मकूर, आजमखेड़ा, अमरेठा, जनसार व सन्दाना में वर्ष 1972 में लगभग 400 भूमिहीन लोगों के नाम कृषि भूमि के पट्टे किये गये थे, जिसमें से लगभग 150 लोगों को किये गये पट्टे की भूमि को संक्रमणीय किया जा चुका है। बाकी अन्य लोगों के नाम किये गये पट्टे की भूमि को संक्रमणीय नहीं किया जा रहा है। जिन लोगों की मृत्यु हो गयी है उन लोगों के परिवार वालों के नाम वरासत दर्ज भी नहीं की जा रही है। प्रार्थीगण बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। प्रार्थीगण के नाम वरासत और शेष भूमि को संक्रमणीय किये जाने की नितान्त आवश्यकता है।

आपसे अनुरोध है कि कृपया इस लोक महत्व के प्रश्न को स्वीकार करते हुए उपरोक्त गांवों की असंक्रमणीय भूमि को प्राथमिकता के आधार पर संक्रमणीय किये जाने के आदेश देने का कष्ट करें]

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र लालगंज के अन्तर्गत बेसो नदी पर पुल एवं सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बेचई-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-351, लालगंज, जनपद आजमगढ़ के अन्तर्गत बेसो नदी पर खुर्सू खाडा, ब्लाक पलहना में जनहित की समस्या को देखते हुए एक पुल का निर्माण कराया जाना आवश्यक है। इस रास्ते से 50 गांवों की जनता का आवागमन रहता है। पुल न होने के कारण इन गांवों के लोगों को आने-जाने में बड़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

2-उदियावां राय बस्ती पोखरे के बगल से यादव बस्ती होते हुए नदी पर पुल का निर्माण और गोडरा बाजार तक पिच रोड का निर्माण कार्य कराया जाना आवश्यक है। इस पुल/सड़क के बन जाने से आजमगढ़ और जौनपुर के लोगों को आने-जाने में सुविधा मिलेगी। यह जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त पुल एवं सड़क के निर्माण कार्य कराये जाने हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र सदर, शामली के अन्तर्गत शामली नवीन मण्डी से करोडी होते हुए दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रसन्न कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली के अन्तर्गत शामली नवीन मण्डी से करोडी होते हुए दिल्ली-सहारनपुर राष्ट्रीय राजमार्ग को जोड़ने वाली सड़क जर्जर/क्षतिग्रस्त है व पानी भर जाने के कारण यात्रियों को आवागमन में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। छात्र-छात्रायें आये दिन मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे होने से गिरकर शारीरिक रूप से घायल हो रहे हैं। यह मार्ग शहर से हाई-वे को जोड़ने में बाईपास का काम करेगा। उक्त मार्ग के निर्माण होने से शामली के सरकारी भवनों तक पहुंचने में काफी लाभ क्षेत्रीय जनता को मिलेगा। उक्त मार्ग का नवनिर्माण/मरम्मत कार्य होना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः मा0 महोदय जी से अनुरोध है कि इस अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्यवाही किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जहूराबाद के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम प्रकाश राजभर-

[महोदय, ग्राम पंचायत मुहम्मदपुर कुसुम प्रभु चौहान के खेत से रामाज्ञा चौहान के ट्यूबवेल तक लम्बाई लगभग 300 मी0 मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग कार्य (विकास खण्ड कासिमाबाद)

2-ग्राम सभा नसीरुद्दीनपुर, मुन्ना राजभर के घर से रामविलास चौहान के घर तक लम्बाई लगभग 300 मी0 मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग कार्य (विकास खण्ड कासिमाबाद)

3-ग्राम सभा असना, शिवपूजन राजभर के धर से हरेराम के घर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग कार्य (विकास खण्ड कासिमाबाद)

4-ग्राम सभा महुवारी, अंगद चौहान के घर से मंजीत यादव के घर तक लम्बाई लगभग 600 मी0 मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग कार्य (विकास खण्ड कासिमाबाद)

5-ग्राम सभा महदेव पंचायत भवन से दक्षिण रामशरण चौहान के घर होते हुए रामनरेश चौहान (प्रधान) के घर तक लम्बाई लगभग 500 मी0 मिट्टी एवं इण्टरलॉकिंग कार्य (विकास खण्ड कासिमाबाद)

6-ग्राम सभा बाकीखुर्द चौहान बस्ती में जल निकासी एवं सी0सी0 नवनिर्माण कार्य (विकास खण्ड बाराचवर)

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-ग्राम सभा नोनरा मरदह, कासिमाबाद मुख्य मार्ग से प्रदीप चौहान के घर होते हुए लाल बहादुर चौहान के घर तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 01 कि0मी0 पिच निर्माण कार्य (विकास खण्ड मरदह)

8-विकास खण्ड मरदह, ग्राम सभा करदह, कैथवली एन0एच0-29, गाजीपुर-मऊ मार्ग से मरदह रायपुर बाधपुर पिच रोड तक विशेष मरम्मत, लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1 कि0मी0 तक कार्य।

9-विकास खण्ड मरदह अन्तर्गत महिपालपुर पिच रोड से धरमपुर धरिहा होते हुए चम्बर पिच रोड तक लेपन कार्य लम्बाई लगभग 1500 मी0।

10-विकास खण्ड मरदह, ग्राम सभा मरदह में महाहर सम्पर्क मार्ग से पासी पुरा होते हुए मरदह मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 4 कि0मी0।

11-विकास खण्ड कासिमाबाद, ग्राम सभा विशुनपुर, जयराम के कोटे की दुकान से गेहुडी मरदह मुख्य मार्ग तक नव निर्माण कार्य लम्बाई लगभग 4 कि0मी0 तक कार्य।

12-विकास खण्ड कासिमाबाद, ग्राम सभा सहबाजपुर, मुन्ना गोंड के घर से मरदह मुख्य मार्ग तक लम्बाई 2 कि0मी0 तक कार्य।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ]

जनपद कन्नौज में विगत 09-05-2022 को श्री सईद अहमद की निजी भूमि पर बने धार्मिक स्थल को अराजक एवं असामाजिक तत्वों द्वारा पुलिस की मौजूदगी में ध्वस्त किये जाने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मौहम्मद हसन 'रूमी'-

[महोदय, अवगत कराना है कि दिनांक 09-05-2022 को सुबह लगभग 10 बजे जनपद कन्नौज के कोतवाली थाना अन्तर्गत श्री सईद अहमद के निजी प्लॉट पर बने धार्मिक स्थल को नगर पालिका चेयरमैन शैलेन्द्र अग्निहोत्री की अगुवाई में अराजक और असामाजिक लोगों के साथ ध्वस्त कर दिया। जो लोक महत्व का हनन है। जनपद कन्नौज में तब से साम्प्रदायिक तनाव की स्थिति बनी है।

अतः लोक महत्व के विषय पर आपका ध्यान आकृष्ट करते हुए अपराधियों की गिरफ्तारी किये जाने व सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र चांदपुर के गांव रुस्तमपुर में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत खींची गयी 11 हजार वोल्टेज के लाइन के स्थान पर केबिल लाइन 440 वोल्टेज कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

स्वामी ओउ्मवेश-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में एक अविलम्बनीय, लोक महत्व का विषय लाना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बिजनौर के चांदपुर विधान सभा क्षेत्र के गांव रुस्तमपुर में राजीव गांधी योजना के अन्तर्गत हाई वोल्टेज 11 हजार की लाईन खींची गयी है जिससे काफी जन हानियां लगातार हो रही हैं। समस्त ग्रामवासी इस समस्या को लेकर परेशान हैं। बिजली से गांववासियों को, पशुओं को बिजली करण्ट लगना, घरों के उपकरण फुंकना आदि समस्या लगातार आ रही है। सरकार द्वारा इसकी समुचित व्यवस्था कराया जाना जनहित में है।

अतः इस लोक महत्व एवं जनहित के मामले में आवश्यक कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ की किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

[महोदय, आपके माध्यम से सरकार का ध्यान एक अति अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकर्षित करते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र अन्तर्गत विकास खण्ड शिवगढ़ की अधिकतर ग्राम पंचायतों में अल्पसंख्यक समुदाय की आबादी सर्वाधिक है, किन्तु अल्पसंख्यक वर्ग की छात्राओं एवं छात्रों को उच्च शिक्षा हेतु कोई भी शिक्षण संस्थान न होने से जहां एक ओर उक्त वर्ग के गरीब छात्र-छात्राओं का भविष्य खराब हो रहा है, ग्रामीण प्रतिभाओं को अवसर नहीं सुलभ हो रहा है, वहीं इसकी ओर इस विषय को लेकर आम जनमानस में सरकार के प्रति भारी आक्रोश व्याप्त है।

अतः महोदय उक्त अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय पर जनपद प्रतापगढ़ के विकास खण्ड शिवगढ़ की किसी भी ग्राम पंचायत में प्रधानमंत्री जन विकास कार्यक्रम योजनान्तर्गत अल्पसंख्यक कल्याण विभाग से राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हेतु की जाने वाली कृत कार्यवाही पर सरकार से सदन में वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के कतिपय पुलों/पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय कुमार सिंह 'जैकी'-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी के निम्न पुलों के न होने से क्षेत्रवासियों को काफी संकटों का सामना करना पड़ता है। निम्न पुलों का निर्माण हो जाने से क्षेत्रवासियों का आवागमन अत्यधिक सुगम हो जायेगा :-

1-ग्राम सभा खूंटा व ग्राम सभा गढ़ी के मध्य रिन्द नदी में पुल निर्माण।

2-लहंगी गुनीर मार्ग में लहंगी में पुलिया निर्माण।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

3-आदमपुर माइनर में बाबा का पुरवा के पास बुद्धी के ट्यूबवेल के सामने नहर में पुलिया का निर्माण।

4-आदमपुर माइनर नन्दीपुर में मिश्रन पुरवा के सामने पुलिया का चौड़ीकरण।

महोदय, आपके माध्यम से उक्त पुलों/पुलियों का निर्माण शीघ्र कराये जाने के लिए वित्तीय व्यवस्था करने हेतु/बजट में धन की व्यवस्था किये जाने हेतु इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार से वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा रोड के अन्तर्गत नगर पंचायत नगरा में लोक निर्माण विभाग की जमीनों पर अवैध अतिक्रमण के फलस्वरूप आये दिन भयंकर जाम के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री हंसु राम-

[महोदय, अविलम्बनीय, अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर मा0 मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि गोरखपुर-बलिया-वाराणसी मार्ग पर जनपद बलिया के नगर पंचायत नगरा में भारी वाहनों के अत्यधिक आवागमन से आये दिन जाम लगा रहता है, जिससे आये दिन दुर्घटनाएं अधिक होती रहती हैं। मेरे क्षेत्र बेल्थरा रोड के नगरा-सिकन्दरपुर तिराहे से गड़वार तिराहे तक मुख्य मार्ग पर अतिक्रमण के चलते मार्ग अवरुद्ध रहता है तथा आम जनमानस को काफी परेशानी हो रही है। सड़क निर्माण का कार्य बाधित हो रहा है।

लोक निर्माण विभाग द्वारा चिन्हित जमीनों पर से तत्काल अतिक्रमण हटाकर सड़क निर्माण का कार्य प्राथमिकता के आधार पर पूर्ण कराया जाय।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण पर शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ]

जनपद बागपत के विधान सभा क्षेत्र छपरौली के अन्तर्गत चौगामा नहर परियोजना तथा हिण्डन कृष्णी परियोजना को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इन सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में पड़ने वाली हिण्डन कृष्णी दोआब (चौगामा) क्षेत्र में भूजल के लगातार नीचे जाने को रोकने एवं फसलों की सिंचाई के लिए वर्ष 1978 में चौगामा नहर परियोजना तैयार की गई थी, जोकि पूर्वी यमुना नहर प्रणाली के कल्लरपुर राजवाहे के लगभग 40 कि0मी0 से लोई राजवाहा निकलता है, लोई राजवाहा लगभग 23 कि0मी0 लम्बा है तथा लोई राजवाहे के टेल से 102.25 कि0मी0 लम्बी हिण्डन कृष्णी परियोजना खरीफ नहरों का निर्माण प्रस्तावित था। परियोजना पर अब तक लगभग 100 करोड़ रुपया खर्च हो चुका है लेकिन कृषकों को सिंचाई हेतु समुचित जलापूर्ति

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

नहीं हो पा रही है। जनहित में यह आवश्यक है कि यह परियोजना शीघ्र अतिशीघ्र पूर्ण कराया जाये।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त परियोजना को यथाशीघ्र चालू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सीठापुर, पोस्ट फतेहगंज, ब्लाक सिकरारा, तहसील सदर निवासिनी बिन्दू देवी द्वारा प्रधान पति श्री विजय यादव के विरुद्ध दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमे से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लकी यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-मल्हनी, जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सीठापुर, पोस्ट फतेहगंज, ब्लाक सिकरारा, तहसील सदर निवासिनी बिन्दू देवी, जिसका 15 वर्ष पूर्व विवाह हो चुका है परन्तु इसके बावजूद भी विभागीय अधिकारियों की मिलीभगत से आंगनबाड़ी कार्यकत्री के रूप में यहीं कार्यरत हैं। जबकि शासनादेश में प्राविधान है कि यदि कोई आंगनबाड़ी कार्यकत्री, मिनी आंगनबाड़ी कार्यकत्री एवं सहायिका चयन के बाद मूल निवास से सम्बन्धित अपना गांव छोड़ देती है या किसी अन्य गांव में निवास करने लगती है या शादी होने की स्थिति में अन्य रहने लगती है तो ऐसी परिस्थितियों में मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त कर दी जायेगी। इसके खिलाफ विभागीय अधिकारियों से शिकायत करने वाले व्यक्ति के खिलाफ उपरोक्त बिन्दू देवी, कार्यकत्री द्वारा एस0सी0/एस0टी0 का फर्जी मुकदमा दर्ज कराकर प्रताड़ित एवं परेशान किया जा रहा है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद जौनपुर के अन्तर्गत ग्राम सीठापुर, पोस्ट फतेहगंज, ब्लाक सिकरारा, तहसील सदर निवासिनी बिन्दू देवी, कार्यकत्री द्वारा दर्ज कराये गये फर्जी मुकदमे की उच्च स्तरीय जांच कराकर मानदेय सेवा तत्काल प्रभाव से समाप्त किये जाने एवं कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर में चकबन्दी अधिकारी की नियुक्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनय प्रकाश गौड़-

[महोदय, उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा भूमि प्रकरण का निस्तारण प्राथमिकता पर किया जा रहा है। जनपद कुशीनगर में विगत कई वर्षों से चकबन्दी अधिकारी (डी0डी0सी0) की नियुक्ति नहीं हुई है। चकबन्दी अधिकारी का कार्य ए0डी0एम0 द्वारा निष्पादित किया जा रहा है। ए0डी0एम0 के पास प्रशासनिक कार्य के साथ चकबन्दी अधिकारी का भी कार्य किया जा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहा है जिस कारण जमीन से जुड़े प्रकरण लम्बित होते जा रहे हैं। सरकार यदि जनपद कुशीनगर में रिक्त चकबन्दी अधिकारी (डी0डी0सी0) के पद को भर देती है तो आम जनमानस के जमीनी प्रकरण का निस्तारण शीघ्रतापूर्वक हो सकता है। चकबन्दी अधिकारी (डी0डी0सी0) की नियुक्ति की मांग जनपदवासियों द्वारा निरन्तर की जा रही है।

अतः जनहित में अत्यन्त लोक महत्व के विषय पर मा0 राजस्व मंत्री/मुख्य मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ।]

जनपद पीलीभीत के विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-128 बरखेड़ी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। यहां पर छात्र/छात्राओं की उच्च शिक्षा के लिए महाविद्यालय न होने से काफी दूर जाकर शिक्षा ग्रहण करनी पड़ती है जिसके कारण गरीब छात्र-छात्रायें धनाभाव के कारण उच्च शिक्षा से वंचित हो जाती हैं। हमारी सरकार सभी के लिए शिक्षा की व्यवस्था कर रही है। मेरी सरकार से मांग है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र में एक राजकीय महाविद्यालय की स्थापना की जाये।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए विधान सभा क्षेत्र बरखेड़ा, जनपद पीलीभीत में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र बाह में स्थित राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल सिंचाई परियोजना की नहर पर कतिपय पुलियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-94, बाह, जनपद आगरा में स्थित राजा महेन्द्र रिपुदमन सिंह चम्बल डाल सिंचाई परियोजना की नहर पर निम्नलिखित स्थानों पर पुलियाओं का निर्माण कराये जाने हेतु आवश्यकता है :-

1-नन्दगवां रजवहा पर ग्राम चितरपुरा डेरक मार्ग।

2-नन्दगवां रजवहा पर ग्राम खजुरियनपुरा पर।

3-केजरा रजवहा पर ग्राम बाघराजपुरा पर।

4-केजरा रजवहा पर ग्राम अर्जुनपुरा पर।

5-मुख्य नहर पर ग्राम आमकापुरा पर।

6-फरेरा रजवहा पर सरदार की ठार पर।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

7-खरकपुरा बडौस के बीच रजवहा पर।

8-तरासौ दोदापुरा के बीच रजवहा पर।

9-चागोली बिचौला के बीच रजवहा पर।

उपरोक्त पुलियाओं के निर्माण होने से 40 गांव के ग्रामवासियों को लाभ मिलेगा।]

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में पूर्ण तहसील का गठन कर निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुरेश कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-184, जगदीशपुर, जनपद अमेठी में क्रमशः तहसील बल्दीराय-इसौली, विधान सभा क्षेत्र, जनपद सुल्तानपुर, मुसाफिरखाना-गौरीगंज, विधान सभा क्षेत्र, जनपद अमेठी, गौरीगंज-तहसील, विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी लगती है जबकि मेरी विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर में एक भी पूर्ण तहसील नहीं है और आंशिक रूप से उक्त तीनों तहसील (अन्य विधान सभा क्षेत्र में स्थित) मेरी विधान सभा क्षेत्र में लगती है, जिस कारण से मेरी विधान सभा क्षेत्र के नागरिकों को दूर की विधान सभा क्षेत्र में स्थित तहसील में कार्य कराने जाना पड़ता है। नव-निर्मित तहसील हेतु ग्राम सभा मौहब्बतपुर ग्राम पंचायत (नेशनल हाई-वे पर स्थित) की भूमि रिक्त/उपलब्ध है। जनहित में मेरी विधान सभा क्षेत्र जगदीशपुर, जिला अमेठी में एक पूर्ण तहसील का गठन कर निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की समस्त डामर रोडों की कच्ची पटरी को सही कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष रावत-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली की समस्त डामर रोडों के दोनों तरफ की कच्ची पट्टी काफी खराब और ऊबड़-खाबड़ हो गयी है, जिससे सड़कों के दोनों तरफ चलना बड़ा ही मुश्किल हो गया है। सड़कों की कच्ची पटरियों पर झाड़ियां उग आयी हैं, जिससे कच्ची सड़क का ऑकलन नहीं होता है, पैदल चलने वालों को बहुत ही परेशानी होती है और इस कारण सड़क दुर्घटनाएं भी हो रही हैं।

अतः आपसे अनुरोध है कि सिधौली क्षेत्र की सड़कों के किनारे की कच्ची पटरी को साफ-सुथरा एवं गड्ढामुक्त कराने के लिए उचित कार्रवाई किये जाने हेतु मैं सदन के माध्यम से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में स्थित प्राकृतिक तालाब को पर्यटक स्थल एवं पक्षी विहार के रूप में विकसित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सुभाष त्रिपाठी-

[महोदय, उक्त बघैल तालाब बहराइच-गोण्डा मार्ग से 4 कि0मी0 दूर स्थित है, जो प्राकृतिक है और वर्ष भर पानी भरा रहता है। इसी से मिला हुआ 164 हेक्टेयर में वन विभाग का जंगल भी है।

तालाब में अनेक प्रजातियों की मछलियां पायी जाती हैं तथा कमलगट्टे का उत्पादन होता है। पूरे तालाब में खिले कमल पुष्प तालाब की शोभा बढ़ाते हैं।

अक्टूबर-नवम्बर के मास में हजारों कि0मी0 दूरी तय करने वाले विभिन्न प्रकार के साइबेरियन पक्षियों के कलरव से तालाब गुंजायमान हो जाता है। मेहमान पक्षियों में नीलसर, लालसर, सीपर, टीकी (टिकिया) बतख एवं पटेरा के नाम प्रमुख हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए उक्त तालाब की वृहद् सफाई, किनारों के घाटों का पुनर्निर्माण, सौन्दर्यीकरण, पक्षी प्रवास, नौका विहार केन्द्र तथा पर्यटन स्पॉट के रूप में विकसित करने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर के विधान सभा क्षेत्र मड़िहान में अहरौरा में ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमाशंकर सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र मड़िहान, जनपद मिर्जापुर की भौगोलिक स्थिति काफी बड़ी है, जो 172 कि0मी0 है। उक्त क्षेत्र विकास खण्ड राजगढ़ में पड़ता है। वहां से राजगढ़ 60 कि0मी0 दूरी पर है। किसानों एवं ग्रामीण को अपने कार्यों के निष्पादन हेतु 60 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, जिससे समय एवं धन दोनों की बर्बादी होती है। काफी समय से अहरौरा में ब्लाक बनाये जाने की मांग की जा रही है, परन्तु अभी तक कोई कार्रवाई न होने से जनता में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद मिर्जापुर के अहरौरा में ब्लॉक बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद वाराणसी के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा में ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम कठिरांव में स्वास्थ्य केन्द्र खोलने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 अवधेश सिंह-

[महोदय, मेरे पिण्डरा विधान सभा क्षेत्र में ब्लाक बड़ा गांव के ग्राम कठिरांव में स्वास्थ्य केन्द्र न होने से क्षेत्रवासियों को काफी कठिनाई होती है। उन्हें स्वास्थ्य सम्बन्धी चिकित्सा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

हेतु 15 कि0मी0 दूर जाना पड़ता है, जिससे समय के साथ-साथ धन का भी अपव्यय होता है। उक्त ग्राम सभा की आबादी लगभग 15 हजार के करीब है। स्वास्थ्य केन्द्र खोलने से लगभग 50 हजार ग्रामीण लाभान्वित होंगे।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र के कतिपय कालोनियों को नगरीय क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव गुम्बर-

[महोदय, जनपद सहारनपुर की नगर विधान सभा क्षेत्र की उत्तम विहार, अंशिका विहार, कृष्णाकुंज, कृष्णाधाम, हनुमान नगर, ज्ञानागढ़, श्यामनगर आंशिक, शाकुम्भरी विहार आदि कालोनियों में ग्रामीण क्षेत्र के विद्युत फीडरों से विद्युत आपूर्ति की जा रही है। इस कारण इस क्षेत्र के निवासियों को बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जिससे उनके जन-जीवन पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है व नगर विधान सभा क्षेत्र की उपरोक्त कालोनियों को शहरी क्षेत्र का लाभ नहीं मिल पा रहा है। जनहित में नगर क्षेत्र की कालोनियों को नगरीय विद्युत आपूर्ति का लाभ दिया जाना जनहित में आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सहारनपुर नगर क्षेत्र की उपरोक्त कालोनियों को नगरीय क्षेत्र के अनुसार विद्युत आपूर्ति किये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मूल चन्द्र सिंह निरंजन-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद जालौन के कोंच नगर पालिका के अन्तर्गत सीवर लाइन का पुनर्निर्माण कराना अत्यन्त आवश्यक है। यह सीवर लाइन 50 साल पुरानी है तथा जगह-जगह से क्षतिग्रस्त है, जिससे गन्दा पानी फैलता है और उस पानी से बीमारी फैलने का भय बना रहता है तथा आवागमन भी अवरुद्ध रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर उक्त सीवर लाइन का पुनर्निर्माण हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् के अन्तर्गत अशोक नगर, गाजीपुर बस स्टाप पर स्व0 माँ रामा अग्रहरि जी के नाम से एक स्मृति द्वार बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विकास गुप्ता-

[महोदय, अवगत कराना है कि नगर पालिका परिषद्, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत अशोक नगर, गाजीपुर बस स्टाप पर स्व0 माँ रामा अग्रहरि जी गरीब बच्चों को शिक्षा दिलाने

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

का कार्य करती थीं और वह गरीब व असहाय लोगों की सेवा भी करती थीं। जनहित में स्व0 माँ रामा अग्रहरि जी के नाम से अशोक नगर, गाजीपुर बस स्टाप पर एक स्मृति द्वार बनाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के अन्तर्गत फरीदपुर में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

प्रो0 श्याम बिहारी लाल-

[महोदय, सूच्य है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-122, फरीदपुर, जनपद बरेली के अन्तर्गत तहसील मुख्यालय फरीदपुर में किसानों की उपज का उचित मूल्य दिलाने हेतु मण्डी समिति की स्थापना कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है। उक्त मण्डी स्थल के निर्माण की मांग फरीदपुर क्षेत्र की जनता लगातार करती रही है। फरीदपुर में सभी फसलों का पर्याप्त उत्पादन होता है। प्लाईवुड, राइस मिल तथा फ्लोर मिल की लगभग 3 दर्जन फैक्ट्रियां भी हैं। पूर्व में विभाग फरीदपुर में मण्डी आय का आगणन तीन भागों में बांटकर दिखाता रहा।

अतः फरीदपुर क्षेत्र में मण्डी समिति स्थल का निर्माण कराये जाने हेतु शासन का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नहटौर के अन्तर्गत विकास खण्ड आकू में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री ओम कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र नहटौर, जनपद बिजनौर अन्तर्गत विकास खण्ड आकू अन्तर्गत निम्न दो मार्गों का निर्माण अत्यन्त आवश्यक है, क्योंकि उक्त मार्गों में अत्यधिक आवागमन से दुर्घटना होने का भय बना रहता है। जनहित में उक्त दोनों मार्गों का निर्माण आवश्यक है।

1-बलदाना से महमूदपुर 3.1 कि0मी0, विकास खण्ड-आकू,

2-छजूपुरा शादात से नसीरपुर नयन सिंह 3.5 कि0मी0,

3-नरायण खेड़ी से जमालपुर 2.3 कि0मी0,

4-नहटौर कोतवाली मार्ग से उसैझी तकीपुरा मार्ग 03 कि0मी0।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज नगर में नाली सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 एम0 पी0 आर्य-

[महोदय, विनम्र अनुरोध के साथ अवगत कराना है कि नवाबगंज नगर में पिछले 4-5 वर्षों से नाली की सफाई नहीं हुई है, जिससे नगर बरसात में पानी से डूब जाता है। अनुरोध है कि निकट भविष्य में बरसात से पूर्व नाला सफाई हेतु ध्यानाकर्षित करना आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर नगर नवाबगंज में नालों की सफाई करवाये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद हाथरस के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराराऊ के ब्लाक हसायन में कन्या इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीरेन्द्र सिंह राणा-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-80 के ब्लाक हसायन में एक कन्या इण्टर कालेज की अति आवश्यकता है। यहां की छात्राएं मीलों दूर सिकन्दराराऊ पढ़ने के लिए जाती हैं। हसायन से सिकन्दराराऊ के लिए यातायात के भी उचित संसाधन नहीं हैं। छात्राएं टैम्पू आदि वाहनों से आती-जाती हैं। जनहित में उक्त कार्य कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद हरदोई के अन्तर्गत नगर पालिका परिषद् सण्डीला के ग्राम महतवाना की राजस्व भूमि पर भू-माफियाओं द्वारा प्लाटिंग कर कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तुफानी सरोज-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में अविलम्बनीय, लोक महत्व की सूचना पर ध्यान दिलाना चाहता हूँ।

ग्राम महतवाना, नगर पालिका परिषद् सण्डीला, जनपद हरदोई की राजस्व भूमि गाटा संख्या-737, 730ख, 731, 732, 733, 739, 738, 681, 736, 680 एवं 728ख पर स्थानीय अधिकारियों की मिली-भगत से भू-माफियाओं द्वारा अवैध रूप से कब्जा कर प्लाटिंग की जा चुकी है तथा कई मकान भी बन चुके हैं।

सरकारी सम्पत्तियों पर भू-माफिया द्वारा कथित रूप से किये गये अवैध कब्जों को हटाने की प्रभावी कार्यवाही करने की बात यह सरकार करती आ रही है। अन्य राजनीतिक दलों

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

से जुड़े या जुड़े रहे कतिपय चुनिन्दा व्यक्तियों के विरुद्ध कार्रवाई जरूर की जा रही है, परन्तु अपने अधिकारियों की मिली-भगत से 11 खसरा नम्बरान के एक बड़े भू-खण्ड पर अवैध कब्जा करने वाले भू-माफियाओं के कृत्यों पर यह सरकार आंख बन्द किये बैठी है। सरकारी जमीन पर लगातार हो रहे अवैध कब्जों से स्थानीय लोगों में व्यापक असन्तोष व्याप्त है।

अतः मैं सदन के माध्यम से इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर शासन का ध्यान आकृष्ट करता हूँ।]

घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव के ग्राम पंचायत रार में स्थित माँ शीतला देवी मन्दिर व माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सरोज कुरील-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव के ग्राम पंचायत रार में स्थित माँ शीतला देवी मन्दिर व माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर अत्यन्त महत्वपूर्ण मन्दिर हैं। इन दोनों मन्दिरों की महत्ता इतनी है कि लगभग लाखों श्रद्धालु यहां दर्शन हेतु आते हैं। ये मन्दिर पर्यटन की दृष्टि से भी बहुत महत्वपूर्ण हैं परन्तु वर्तमान समय में इन मन्दिरों की स्थिति बहुत ही जर्जर है और पर्यटक एवं श्रद्धालुओं के लिए पर्याप्त सुविधायें भी उपलब्ध नहीं हैं। इसलिए इन मन्दिरों का जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण कराना अति आवश्यक है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल घाटमपुर क्षेत्र के अन्तर्गत ब्लाक भीतरगांव के ग्राम पंचायत रार में स्थित माँ शीतला देवी मन्दिर व माँ चन्द्रिका देवी मन्दिर के जीर्णोद्धार एवं सौन्दर्यीकरण किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

जनपद फर्रुखाबाद से जनपद एटा के सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 सुरभी-

[महोदय, जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना है कि मेरे जनपद फर्रुखाबाद से जनपद एटा के मध्य सम्पर्क मार्ग की स्थिति बहुत ही जर्जर अवस्था में है, जिसके कारण आये दिन दुर्घटना होती रहती है। यह मार्ग दोनों जनपदों के आम जनमानस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मार्ग की जर्जर अवस्था के कारण लोगों को अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः अविलम्बनीय एवं लोक महत्व के इस विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल जनपद फर्रुखाबाद से जनपद एटा के मध्य सम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने हेतु शीघ्र कार्रवाई की मांग करती हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मऊ के अन्तर्गत अम्बेडकर स्टेडियम में कतिपय निर्माण कार्य, विद्युत उपकेन्द्र का निर्माण एवं अग्निशमन केन्द्र इत्यादि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अब्बास अंसारी-

[महोदय,

1-अम्बेडकर स्टेडियम मऊ में एक स्वीमिंग पुल निर्माण प्रस्तावित हुआ और उसकी जगह भी निर्धारित कर दी गयी, किन्तु किन्हीं कारणोंवश स्वीमिंग पुल का निर्माण आज तक नहीं हो सका। जिसकी वजह से मेरे जिले के बच्चों को अन्य जिलों में स्वीमिंग सीखने जाना पड़ता है, जिससे अपनी प्रतिभा को और सुगम बनाया जा सके।

2-मऊ के अम्बेडकर स्टेडियम में हॉकी Astroturf का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है।

3-मऊ के अम्बेडकर स्टेडियम की बाउण्ड्री बहुत ही जर्जर एवं पुरानी है जिसके कारण छुट्टा पशु अन्दर आ जाते हैं, जिससे कभी कोई बड़ी दुर्घटना हो सकती है।

4-मऊ के अम्बेडकर स्टेडियम दर्शक दीर्घा की जर्जर अवस्था में है जिसका सौन्दर्यीकरण एवं टीन शेड अति शीघ्र कराया जाना आवश्यक है।

5-मऊ जनपद के अम्बेडकर स्टेडियम में मल्टी जिम्नेजियम हॉल डबल स्टोरी में कराया जाना अति आवश्यक है।

6-विकास खण्ड-रतनपुरा में हलधरपुर में विद्युत सब-स्टेशन बनाया जाना अति आवश्यक है।

7-विकास खण्ड-चकरा में एक विद्युत उपकेन्द्र और ग्राम सभा मडैली में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराया जाना अति आवश्यक है।

8-विकास खण्ड-परदहां के हरपुर ग्राम सभा में एक विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना अति आवश्यक है।

9-विकास खण्ड-परदहा ब्लाक के समस्त ग्रामीण क्षेत्र के तार व पोल की हालत जर्जर स्थिति में है, जिसको तत्काल बदला जाना अति आवश्यक है।

10-विकास खण्ड-रतनपुरा में अग्निशमन केन्द्र बनाया जाना अति आवश्यक है।

11-विकास खण्ड-रतनपुरा के अन्तर्गत गाढ़ा ताल के पानी की निकासी की व्यवस्था किया जाना अति आवश्यक है।

12-विकास खण्ड-रतनपुरा में पड़ने वाली नहरें कोशाडीह, राजवाहा, बिलौझा, माइनर पर मानिकपुर माइनर पर अतिक्रमण रोका जाय, ताकि नहर साफ रह सके और इन नहरों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

टेलगुल तक अच्छी तरह से साफ कराया जाय कि पानी का समुचित निकास हो सके ताकि किसानों को नुकसान न हो। कोशाडीह, राजवाहा, बिलौझा, माइनर का और मानिकपुर माइनर पर सिल्ट की सफाई का कार्य टेलगुल तक पानी निकास को ध्यान में रखते हुए गुणवत्तापूर्वक कराया जाना अति आवश्यक है।]

जनपद गाजीपुर में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ0 हरगोविन्द सिंह द्वारा चिकित्सा विभाग में बड़े स्तर पर भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 मुकेश चन्द्र वर्मा-

[महोदय, डॉ0 हरगोविन्द सिंह जब जनपद सन्तकबीरनगर में सी0एम0ओ0 के पद पर कार्यरत थे, उस समय उन्होंने बड़े स्तर पर कोविड-19 में सामग्री/खरीददारी में भ्रष्टाचार एवं सरकारी पैसे का गबन किया। इसकी जांच हुई एवं इन पर मुकदमा कोतवाली सन्त कबीरनगर में एफ0आई0आर0 दर्ज कराया गया था। इन पर सरकारी गबन व भ्रष्टाचार का मामला न्यायालय में विचाराधीन है। इसके बावजूद सरकार द्वारा इनका निलम्बन न करते हुए इनको फिर से दूसरे जनपद में मुख्य चिकित्साधिकारी गाजीपुर में तैनात किया गया है। इनकी सम्पत्ति की जांच करते हुए इनके द्वारा किये गये सभी कार्यों की जांच कराई जाये।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि ऐसे भ्रष्ट अधिकारी की उच्च स्तर पर जांच कराकर कार्रवाई कराने की कृपा करें।]

शामली के अन्तर्गत कैराना में डी0के0 पब्लिक स्कूल की 14 वर्षीय छात्रा अनुष्का की हत्या में संलिप्त दोषियों की सी0बी0आई0 जांच कराने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पंकज कुमार मलिक-

[महोदय, आपके माध्यम से अवगत कराना है कि अनुष्का (14 वर्ष) की हत्या डी0के0 पब्लिक स्कूल कैराना, जनपद शामली में हो गयी थी। स्कूल प्रशासन इस हत्या में संलिप्त है। आदित्य पुत्र राजकुमार प्रार्थी की पुत्री से छेड़खानी करता था। स्थानीय पुलिस को प्रार्थी ने जो प्रार्थना-पत्र दिया था, विपक्षीगण ने साजिश के तहत वह प्रार्थना-पत्र बदल दिया और तीन आरोपी जो इस हत्याकाण्ड में मुख्य हैं जिनके नाम क्रमशः संजीव गोयल, राजकुमार सैन, श्रीपाल एवं कुछ अज्ञात व्यक्ति शामिल हैं, का नाम भी एफ0आई0आर0 में नहीं चढ़ाया गया। स्कूल वाले अपनी पावर का इस्तेमाल करके पुलिस जांच को प्रभावित कर रहे हैं और न ही एफ0आई0आर0 होने दी। एक मात्र सी0बी0आई0 जांच से ही प्रार्थी की नाबालिग पुत्री अनुष्का की हत्या की गुत्थी सुलझ सकती है। स्कूल प्रशासन ने अनुष्का की हत्या के बाद ही प्रार्थी व उसके परिवार को भ्रम में रख कर साजिश के तहत अब तक हर सम्भव प्रयास किये ताकि सारे हत्या के साक्ष्य खत्म किये जा सकें। सी0सी0टी0वी0 की डी0वी0डी0 की रिकार्डिंग उस समय की गायब कर दी गयी है जिस समय अनुष्का की हत्या हुई। बहुत सारे बिन्दु हैं, जो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अनुष्का की हैवानियत भरी हत्या की ओर इशारा कर रहे हैं, जिसमें दुष्कर्म एवं बहुत ज्यादती हुई है। इसके उपरान्त मृतका को स्कूल की तीसरी मंजिल से फेंका गया। लिखित तहरीर पुलिस ने दर्ज नहीं की। उक्त प्रार्थना-पत्र ऑनलाइन शेयर कर दिया था। स्थानीय पुलिस प्रशासन को स्कूल वालों ने अपने प्रभाव में ले लिया है। पुलिस द्वारा भी कोई सहयोग नहीं किया जा रहा है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रकरण में संलिप्त दोषियों की सी0बी0आई0 जांच कराकर उनके विरुद्ध शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मुजफ्फरनगर के ग्राम तेजलहेड़ा में सी0सी0 रोड की पटरियों को इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अनिल कुमार-

[महोदय, आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ। जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र पुरकाजी के ग्राम तेजलहेड़ा, विकास खण्ड-पुरकाजी के मध्य से लो0नि0वि0 द्वारा बनी हुई सी0सी0 रोड की पटरी कच्ची है, जिससे आये दिन लोगों के आवागमन के समय काफी दुर्घटना होती रहती है। सी0सी0 रोड के कच्ची पटरी को इण्टरलॉकिंग कराने के लिए लोगों ने प्रशासन से कई बार अुरोध किया। किन्तु आज तक इण्टरलॉकिंग का कार्य नहीं हो सका है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए अनुरोध है कि ग्राम तेजलहेड़ा, विकास खण्ड-पुरकाजी के मध्य से लो0नि0वि0 द्वारा बनी हुई सी0सी0 रोड की दोनों दिशा की पटरी को इण्टरलॉकिंग कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र कटेहरी में ग्राम अताउल्लाह नाऊपुर में विसुई नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री लाल जी वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-277, कटेहरी, अम्बेडकरनगर में ग्राम अताउल्लाह नाऊपुर में विसुई नदी पर पुल न होने के कारण जिला मुख्यालय से क्षेत्र के लोगों को आने-जाने में अत्यधिक कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है, जिसके कारण आम जनता में आक्रोश व्याप्त है।

अतः इस लोक महत्व के अविलम्बनीय, तात्कालिक प्रश्न पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकर्षित करते हुए विसुई नदी पर ग्राम अताउल्लाह नाऊपुर में पुल बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

वीर बहादुर सिंह पू0 वि0 वि0, जौनपुर के कर्मचारियों को नियमित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 वीरेन्द्र यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद जौनपुर के अन्तर्गत वीर बहादुर, पू0 वि0 वि0, जौनपुर में शासन के आदेश दिनांक 13 सितम्बर, 2014 के क्रम में 109 कर्मचारियों को विश्वविद्यालय द्वारा शासन के उपरान्त अधिसंख्य के पद पर विनियमित किया गया, कार्य परिषद् की बैठक दिनांक 10-01-2018 को यह निर्णय लिया गया कि 19 जून, 1991 तक के विनियमित किये गये कर्मचारियों को नियमित पद पर समायोजित किया जायेगा। किन्तु इतना समय व्यतीत होने के पश्चात् भी उक्त विनियमित कर्मचारियों को नियमित पद पर समायोजन नहीं किया गया। उपरोक्त कर्मचारियों को नियमित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। जो लोक महत्व का विषय है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए वीर बहादुर सिंह, पू0 वि0 वि0, जौनपुर के कर्मचारियों को नियमित किये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट, अयोध्या में प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभय सिंह-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद अयोध्या के अशासकीय सहायता प्राप्त पण्डित जवाहर लाल नेहरू स्मारक इण्टर कालेज, खजुरहट, अयोध्या में प्रवक्ता गणित के पद पर 2001 से अब तक उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा सेवा चयन बोर्ड, प्रयागराज से चयनित अभ्यर्थी सुमित कुमार श्रीवास्तव को प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण नहीं कराया गया।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से अभ्यर्थी को प्रवक्ता गणित के पद पर कार्यभार ग्रहण कराये जाने के सम्बन्ध में सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

माध्यमिक शिक्षा परिषद्, उ0प्र0, प्रयागराज में तैनात सचिव, पद पर प्रदेश के सबसे कनिष्ठ संयुक्त शिक्षा निदेशक की तैनाती के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री त्रिभुवन दत्त-

[महोदय, मैं आपका ध्यान माध्यमिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, प्रयागराज में तैनात सचिव की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ। माध्यमिक शिक्षा परिषद् के सचिव का पद अपर निदेशक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

स्तर का है। विभाग में अनेक अपर निदेशक कार्यरत होने के बावजूद प्रदेश के सबसे कनिष्ठ संयुक्त शिक्षा निदेशक प्रयागराज का भी प्रभार है, की तैनाती की गयी है, जबकि इनके विरुद्ध अनेक विभागीय कार्रवाई गतिमान है।

अतः इस लोक महत्व की सूचना पर आपके माध्यम से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र इसौली के अन्तर्गत हलियापुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मो0 ताहिर खान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-187, इसौली, जनपद सुल्तानपुर से हलियापुर मार्ग जो रायबरेली-अमेठी वाया सुल्तानपुर होते हुए अयोध्या को जोड़ता है। यह सुल्तानपुर-हलियापुर मार्ग लगभग 42 कि0मी0 लम्बा है, जोकि दो-लेन रोड है। जहां वाहनों का आवागमन बहुत होता है, आये दिन कई बड़ी घटनायें होती रहती हैं। माननीय अध्यक्ष महोदय, आपका विशेष ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में मेरे 187, इसौली के साथ ही चारों जनपदों का आवागमन बेहतर हो जायेगा।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी के ग्राम धौकलपुर में अवैध प्लाटिंग के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री धर्मराज सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत विकास खण्ड बंकी के लोसारी ड्रेन के ग्राम धौकलपुर के पास ड्रेन को पाट कर अवैध प्लाटिंग का कार्य कर लिया गया है। कई स्थान पर ड्रेन की पटरी को पाटकर रास्ता बना लिया गया है। अधिकारियों की मिली-भगत से नहर की पटरी को पाटकर रास्ता बनाया गया है, जिससे क्षेत्रीय लोगों को आने-जाने में परेशानी होती है और इस सम्बन्ध में मेरे द्वारा पहले भी शिकायत की जा चुकी है। लेकिन उपरोक्त प्रकरण के सम्बन्ध में कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। उक्त प्रकरण की जांच कराकर दोषी के विरुद्ध कार्रवाई किया जाना जनहित में अति आवश्यक है। यह लोक महत्व का विषय है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण पर सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मैनपुरी की विधान सभा क्षेत्र किसनी के अन्तर्गत तहसील भोगांव के विकास खण्ड जागीर की ग्राम पंचायत पुढरी में कार्यरत पंचायत सचिव विजेन्द्र माथुर व रोजगार सेवक परम सिंह द्वारा की जा रही अनियमितता के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 बृजेश कठेरिया-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-किसनी, जनपद मैनपुरी अन्तर्गत तहसील भोगांव के विकास खण्ड जागीर की ग्राम पंचायत पुढरी पर कार्यरत पंचायत सचिव विजेन्द्र माथुर, रोजगार सेवक परम सिंह द्वारा मनरेगा की वर्ष 2022-23 की कार्य योजना की ग्राम सभा व पंचायत की बैठक में बिना अनुमोदन लिये ही कार्य प्रारम्भ कर दिये हैं तथा कार्य योजना पर ग्राम प्रधान के फर्जी हस्ताक्षर कर लिये हैं। पंचायत के किसी भी कार्य में सचिव द्वारा प्रधान से सम्पर्क नहीं किया जा रहा है। चन्द कुछ असामाजिक तत्वों से मिलकर पंचायत के पैसे की सचिव खुली लूट कर रहा है। सचिव की कार्यशैली से क्षेत्रीय जनता में असन्तोष एवं आक्रोश की भावना व्याप्त है। यह जनहित से जुड़ा गम्भीर विषय है।

अतः इस गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए प्रकरण की जांच कराकर कार्रवाई किये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र मेजा के अन्तर्गत उरुवा ब्लाक में कतिपय सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संदीप सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। विधान सभा क्षेत्र मेजा, ब्लाक-उरुवा, जनपद प्रयागराज में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में सड़कों एवं नालियों का निर्माण न होने से वहां के निवासियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। निम्नलिखित सड़कों एवं नालियों का निर्माण कराया जाना जनहित में है :-

1-कनिगड़ा-पी0डब्लू0डी0 सम्पर्क मार्ग से रामकृष्ण यादव के घर तक।

2-पकरी-पी0डब्लू0डी0 सम्पर्क मार्ग से रामगरीब गुप्ता के घर तक।

3-सिपाही लाल यादव के घर से सन्यास आश्रम घाट कनिगड़ा तक।

4-पकरी में राकेश पाण्डेय के घर से राम कैलाश यादव के घर तक।

अतः इस लोक महत्व के गम्भीर विषय पर शासन का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रतापगढ़ की विधान सभा क्षेत्र पट्टी के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण तथा ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान जनहित एवं लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र पट्टी, जनपद प्रतापगढ़ में निम्नलिखित ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण न होने के कारण वहां के निवासियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है तथा कुछ ग्राम सभाओं में कुछ ट्रान्सफार्मरों की क्षमता वृद्धि किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

1-नगर पंचायत पट्टी के अन्तर्गत वार्ड नं0-4 सधईपुर देहात में चमन चौक स्थित 100 के0वी0ए0 ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि कर 250 के0वी0ए0 कराने हेतु।

2-ग्राम महड़ौरा में निषाद बस्ती में विद्युतीकरण।

3-ग्राम पूरे भीखा में यादव बस्ती व फकीर बस्ती में विद्युतीकरण।

4-ग्राम भुसुण्डी में वर्मा बस्ती तथा अनुसूचित बस्ती में विद्युतीकरण।

5-ग्राम करनपुर खुइनी में दलित बस्ती तथा ब्राह्मण बस्ती में विद्युतीकरण।

6-ग्राम दोनई में ट्रान्सफार्मर की क्षमता वृद्धि।

7-ग्राम सिकरी कानूपुर में यादव बस्ती में शेष विद्युतीकरण।

उपरोक्त कार्य न कराये जाने के कारण आम-जनमानस में सरकार के प्रति घोर निराशा है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त ग्राम सभाओं में विद्युतीकरण तथा क्षमता वृद्धि कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत चकरनगर ब्लाक में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि जनपद इटावा के विधान सभा क्षेत्र भरथना के अन्तर्गत ब्लाक चकरनगर जिसका क्षेत्र राष्ट्रीय चम्बल सैंचुरी क्षेत्र में आता है, 1947 से अब तक निम्न मार्गों :-

1-फूप चौरेल मार्ग पर भोआ ग्राम से आंक डांड़े होते हुए बिरोनाबाग तक लगभग 2.5 किलोमीटर।

2-भरेह चकरनगर मार्ग से कांपची ग्राम तक लगभग 3 किलोमीटर का निर्माण अब तक नहीं कराया गया, जिसके कारण बरसात के दिनों में उक्त मार्गों पर आवागमन नहीं हो

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पाता है। मार्गों से सम्बन्धित ग्रामों के निवासियों को कीचड़मय सड़क से पैदल चलने को मजबूर होना पड़ता है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र सदर के अन्तर्गत रानी की सराय में महिला डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दुर्गा प्रसाद यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान अपने विधान सभा क्षेत्र सदर, जनपद आजमगढ़ की ओर दिलाना चाहता हूँ। मान्यवर, रानी की सराय ब्लाक में बालिका डिग्री कालेज न होने के कारण इस ब्लाक की लड़कियों को उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए काफी दूर जाना पड़ता है तथा डिग्री कालेज के अभाव में उच्च शिक्षा से वंचित होना पड़ रहा है, जिसके कारण वहां के स्थानीय छात्राओं में सरकार के प्रति घोर निराशा हो रही है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के विषय पर रानी की सराय ब्लाक में महिला डिग्री कालेज खोले जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज के बस अड्डे का नव निर्माण एवं उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती सैय्यदा खातून-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहती हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थनगर के अन्तर्गत नगर पंचायत डुमरियागंज में स्थित बस अड्डे का भवन बहुत ही जर्जर स्थिति में है। भवन जर्जर होने के कारण कभी भी दुर्घटना हो सकती है। इसके पूर्व में सम्बन्धित विभाग द्वारा उच्च अधिकारियों को इस सम्बन्ध में अवगत कराया जा चुका है। लेकिन ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए जर्जर भवन का नव निर्माण कार्य कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त बस अड्डे के जर्जर भवन का निर्माण एवं उच्चीकरण कार्य कराये जाने हेतु सरकार का ध्यान आकृष्ट किये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर में कृषि मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जियाउद्दीन रिजवी-

[महोदय, मैं आपका ध्यान जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दरपुर, तहसील-सिकन्दरपुर में कृषि मण्डी न होने के कारण किसानों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है, जबकि शासनादेश के अनुसार प्रत्येक तहसील मुख्यालय पर एक कृषि

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मण्डी का निर्माण होता है और प्रत्येक तहसीलों पर कृषि मण्डी बनाई भी गई है। परन्तु मेरे तहसील सिकन्दरपुर, जनपद बलिया में अभी तक कृषि मण्डी नहीं बनाई गई है। मैंने लगातार कृषि मंत्री एवं निदेशक, मण्डी से सम्पर्क किया, केवल आश्वासन ही मिलता रहा, परन्तु अभी तक सिकन्दरपुर में कृषि मण्डी स्वीकृत नहीं की गई। जबकि कृषि मण्डी बनाने के लिए पर्याप्त जमीन भी उपलब्ध है। सरकार को जमीन भी क्रय नहीं करना है। मेरे क्षेत्र के किसानों को 33 कि0मी0 दूर बलिया मुख्यालय एवं 22 कि0मी0 दूर बेल्थरा रोड मण्डी में अपना अनाज एवं माल लेकर जाना पड़ता है। इससे किसानों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है।

अतएव आपके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि तहसील सिकन्दरपुर, जनपद बलिया के किसानों की समस्याओं को देखते हुए तत्काल कृषि मण्डी स्वीकृत करने की कृपा करें।]

जनपद बांदा के विधान सभा क्षेत्र बबेरू के अन्तर्गत निर्मित तीनों राजकीय इण्टर कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति एवं बच्चों की पढ़ाई शुरू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विशम्भर सिंह यादव-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र बबेरू, जनपद बांदा में विगत 8 वर्ष से तैयार तीन राजकीय इण्टर कालेज में आज तक न तो स्टाफ की नियुक्ति हुई है और न ही बच्चों का प्रवेश शुरू हो सका है। तीनों राजकीय इण्टर कालेज बीरा, लोहरा विकास खण्ड कमासिन तथा मर्का राजकीय इण्टर कालेज बबेरू विकास खण्ड में स्थित है। बिल्डिंग, चहारदीवारी सब बनकर विगत 7-8 वर्ष से तैयार है। गरीब लोगों के बच्चों को पढ़ाई की सुविधा न मिलने के कारण स्थानीय जनमानस में आक्रोश व्याप्त है। तत्काल गरीबों के बच्चों की पढ़ाई शुरू कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए विधान सभा क्षेत्र बबेरू, जनपद बांदा अन्तर्गत निर्मित तीनों राजकीय इण्टर कालेजों में स्टाफ की नियुक्ति एवं बच्चों की पढ़ाई शुरू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत ग्राम जयराम पुरवा-कोचवा से भैरमपुर तक सम्पर्क मार्ग बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बावन सिंह-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र कटरा, जनपद गोण्डा अन्तर्गत ग्राम जयराम पुरवा-कोचवा के प्राइमरी स्कूल से भैरमपुर तक सम्पर्क मार्ग न होने से क्षेत्रीय ग्रामवासियों को अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है और दुर्घटना होने का भय बना

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

रहता है। जनहित में उक्त मार्ग का निर्माण एवं चौड़ीकरण आवश्यक है। उक्त मार्ग से कई गांवों का आना-जाना रहता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-238, जहानाबाद, जनपद फतेहपुर के अन्तर्गत निम्न मार्गों का निर्माण कराया जाना अति आवश्यक है :-

1-गोविन्दपुर बिलादी महिपा का डेरा लगभग 02 कि0मी0।

2-इब्राहिमपुर नवाबाग से जनता इण्टर कालेज, पारा, धनई तक लगभग 2.5 कि0मी0।

3-सिकन्दरपुर से हनुमानगढ़ी तक सम्पर्क मार्ग लगभग 01 कि0मी0।

4-बड़ी सरहन से कुम्हारनपुर तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण लगभग 1.5 कि0मी0।

5-कोरिया-अमौली मार्ग से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक रोड निर्माण लगभग 1 कि0मी0

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पटेल नगर (जैतपुर) में अवैध कब्जा हटवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अभिजीत सिंह 'सांगा'-

[महोदय, जनपद रायबरेली के अन्तर्गत पटेल नगर (जैतपुर) में खसरा सं0-337 के अन्तर्गत आवास सं0-225/बी वार्ड सं0-10 के गृहस्वामी रमा सिंह के पति रविमोहन सिंह द्वारा 132 वर्गमीटर भूमि का बैनामा लेकर 290 वर्गमीटर भूमि पर कब्जा करके रास्ते को पूर्णतया बन्द करके अवैध निर्माण कर लिया गया है। उक्त क्षेत्र के सम्बन्धित लेखपाल/उप जिलाधिकारी द्वारा जिलाधिकारी, रायबरेली के आदेशोपरान्त प्रस्तुत जांच आख्या में उक्त अवैध कब्जे की पुष्टि कर दी है तथा नगर पालिका परिषद्, रायबरेली द्वारा निर्मित इण्टरलॉकिंग रास्तों पर गेट लगाकर उक्त भू-माफिया द्वारा रास्ते को बन्द करके भूमि पर अवैध कब्जा कर लिया गया है जिससे उक्त मोहल्ले में रहने वाले निवासियों को आवागमन में अत्यन्त असुविधा उत्पन्न हो गयी है। नगर पालिका एवं जिला प्रशासन द्वारा उक्त भू-माफिया के विरुद्ध अभी तक कोई कार्यवाही नहीं की गयी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत कौलकी टोल को निरस्त कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मुकेश चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत गागलहेड़ी से मुजफ्फरनगर फोर-लेन स्टेट हाई-वे जिसकी लम्बाई लगभग 55 कि0मी0 है। वर्ष 2017 में इस हाई-वे के निर्माण होने के पश्चात् रोहाना में एक टोल लगाया गया था। टोल कम्पनी द्वारा गागलहेड़ी के पास कौलकी में एक टोल और लगा दिया है। इन दोनों टोल के बीच की दूरी लगभग 40 कि0मी0 होने के कारण एक ही टोल पर्याप्त है। परन्तु टोल कम्पनी की हठधर्मिता के चलते यहां की लोकल जनता एवं किसानों को अनावश्यक टोल देना पड़ता है। जनहित में कौलकी टोल को निरस्त करना अनिवार्य है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ में कृषि मण्डी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री सीताराम वर्मा-

[महोदय, जनपद सुल्तानपुर की विधान सभा क्षेत्र लम्भुआ किसान बाहुल्य क्षेत्र है। इस क्षेत्र में किसान मण्डी केन्द्र न होने के कारण किसानों को अपनी उपज सुल्तानपुर मण्डी ले जाना पड़ता है जिससे किसानों को समय एवं धन अधिक खर्च करना पड़ता है। साथ ही, कठिनाई का भी सामना करना पड़ता है। काफी समय लम्भुआ में नवीन कृषि मण्डी केन्द्र स्थापित किये जाने की मांग की जा रही है परन्तु अभी तक कोई कार्यवाही न होने के कारण इस क्षेत्र के किसानों में निराशा एवं आक्रोश व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए लम्भुआ में नवीन कृषि मण्डी स्थल खोले जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के अन्तर्गत अवैध कब्जे को मुक्त कराकर झीलों को पुनर्जीवित कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश चौधरी-

[महोदय, जनपद मथुरा की 82-मांट, विधान सभा क्षेत्र-नौहझील, ग्राम पंचायत जोकि झीलों के नाम से जानी जाती है। पूर्व में यहां नौ-झील होती थी, जोकि यमुना नदी में जब

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

बरसात के समय जल आता था, उनको भरा जाता था, जिससे जल-स्तर अच्छा रहता था। स्वच्छ पेयजल की कोई समस्या नहीं होती थी। वर्तमान में सैंकड़ों एकड़ सरकारी भूमि अवैध कब्जे में है जिन्हें कब्जामुक्त कराकर झीलों को पुनर्जीवित किया जाये, जिसके लिए यमुना नदी से फीडिंग करने हेतु ब्रांच पूरी तरह से तैयार है। झीलों को पुनर्जीवित किये जाने से स्वच्छ पेयजल की समस्या को दूर किया जा सकेगा।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद प्रतापगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मन्दाह साल्हीपुर से प्राइमरी विद्यालय कोर्रा पूरे मुसई तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेन्द्र कुमार-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-248, प्रतापगढ़ में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र, मन्दाह, साल्हीपुर से प्राइमरी विद्यालय कोर्रा, पूरे मुसई लगभग 2 कि0मी0 20 वर्ष पूर्व जो आर0ई0एस0 विभाग प्रतापगढ़ द्वारा बनायी गयी थी, पूर्णतः जर्जर व बड़े-बड़े गड्ढे हो गये हैं, जिसके कारण आवागमन में आमजन मानस को असुविधा हो रही है। उक्त सड़क को आर0ई0एस0 विभाग प्रतापगढ़ से हस्तान्तरित करते हुए लोक निर्माण विभाग/अन्य विभाग से बनाये जाने की अपेक्षा की गयी है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए शीघ्र कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शाहजहांपुर की विधान सभा क्षेत्र कटरा के अन्तर्गत राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वीर विक्रम सिंह-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-131, कटरा, जनपद शाहजहांपुर के ग्राम-ब्राहिम नंगला, विकास खण्ड-कलान में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना आपके कर-कमलों द्वारा गत वर्ष में कराई गई थी। यहां पर दूर-दूर तक कोई भी डिग्री कालेज नहीं है। छात्र-छात्राओं को स्नातक शिक्षा ग्रहण करने के लिए तहसील मुख्यालय एवं जिला मुख्यालय पर काफी दूर जाना पड़ता है। यह अति पिछड़ा एवं कटरी व नदियों से घिरा क्षेत्र होने के कारण यहां के छात्र-छात्राओं को अत्यधिक परेशानियों के साथ-साथ घर में आने-जाने में समय भी काफी नष्ट होता है जिससे इनकी पढ़ाई पर काफी विपरीत असर पड़ता है। उपरोक्त ग्राम ब्राहिम नंगला में राजकीय इण्टर कालेज के पास काफी अनुपयुक्त ग्राम समाज की जमीन खाली पड़ी हुई है, जिस पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना हो सकती है। क्षेत्रवासियों द्वारा कई बार शासन व प्रशासन में लिखित व मौखिक अनुरोध किया जा चुका है। लेकिन अभी तक डिग्री कालेज की स्थापना हेतु कोई प्रभावी कार्यवाही नहीं हो सकी है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः नियम-301 के लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर उपरोक्त ग्राम ब्राहिम नंगला, विकास खण्ड-कलान, तहसील जलालाबाद में राजकीय इण्टर कालेज के पास अनुपयुक्त ग्राम समाज की जमीन पर राजकीय डिग्री कालेज की स्थापना कराने का सरकार से ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद देवरिया की विधान सभा क्षेत्र बरहज में स्थित देवरहा बाबा मन्दिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री दीपक कुमार मिश्र 'शाका'-

महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद देवरिया के अन्तर्गत प्रसिद्ध देवरहा बाबा का प्रसिद्ध मन्दिर स्थल है जो जनपद मुख्यालय से 25 कि0मी0 की दूरी पर स्थित है जो सरयु तट पर स्थित है। श्री देवरहा बाबा के दर्शन के लिए हजारों-हजारों की संख्या में श्रद्धालु दर्शन करने आते हैं, उक्त प्रसिद्ध स्थल पर महामहिम देश के प्रथम राष्ट्रपति महोदय, श्रीमती इन्दिरा गांधी, पूर्व प्रधानमंत्री तथा मा0 अटल बिहारी वाजपेयी, पूर्व प्रधानमंत्री जी दर्शन हेतु आते-जाते रहे हैं, किन्तु पर्यटन केन्द्र न होने के कारण यहां पर न तो श्रद्धालुओं के रुकने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। इस प्रसिद्ध मन्दिर स्थल को पर्यटन केन्द्र में सम्मिलित कर लिया जाये तो विकास के साथ-साथ पर्यटकों को आने-जाने एवं ठहरने में परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ेगा।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए उक्त प्रसिद्ध स्थान देवरहा बाबा मन्दिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद आजमगढ़ की विधान सभा क्षेत्र निजामाबाद के अन्तर्गत पूर्वांचल एम्क्सप्रेस-वे के निर्माण के दौरान क्षतिग्रस्त हुई कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री आलमबदी-

[महोदय, उपरोक्त के सम्बन्ध में आपके द्वारा मंत्री, लोक निर्माण विभाग का ध्यान जनहित की उपरोक्त समस्या की ओर आकर्षित करना चाहता हूँ।

उपरोक्त मार्ग पिछले तीन-चार साल से टूटी हुई पड़ी है। बरसात के महीनों में यह सड़कें नालों का रूप बन जाती हैं। जनहित में इन्हें शीघ्र मरम्मत कराने की कृपा करें।

लोक निर्माण विभाग, आजमगढ़ के खण्ड-2 द्वारा इसका आगणन विभाग को भेजा जा चुका है। कृपया जनहित में आवश्यक धन स्वीकृत कराने का कष्ट करें।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद प्रयागराज की विधान सभा क्षेत्र बारा के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री वाचस्पति-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र-बारा, जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत घूरपुर से पडुवा, प्रतापपुर की सड़क जिसकी दूरी लगभग 25 कि0मी0 है, खनन एवं बालू की धुलाई के कारण अत्यन्त जर्जर हो गयी है जिससे आम जनता को आवागमन में अत्यधिक बाधा उत्पन्न हो रही है तथा कभी-कभी गम्भीर हादसा भी घटित हो जाता है। उक्त सड़क की पी0डब्लू0डी0 अथवा पी0एम0जे0एस0वाई0 से विशेष मरम्मत कराये जाने की आवश्यकता है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए जनहित में घूरपुर से पडुवा, प्रतापपुर तक सड़क को विशेष कराये जाने की मांग सदन से करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र धनौरा के अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा तक अधूरे तटबन्ध को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजीव तरारा-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद अमरोहा की धनौरा विधान सभा के अन्तर्गत शेरपुर से पप्सरा तक बरसात के दिनों में बाढ़ की स्थिति बनी रहती है जिस कारण से यहां पर तटबन्ध का निर्माण कार्य किया गया था, जो आधा बनकर तैयार है। तटबन्ध पूरा न होने के कारण बाढ़ की स्थिति जस की तस बनी हुई है। जनहित में शेरपुर से पप्सरा तक अवशेष/अधूरे तटबन्ध को पूर कराया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में इण्डिया मार्का हैण्डपम्प लगवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जै किशन साहू-

[महोदय, मैं सदन का ध्यान अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि जिसके द्वारा जनपद गाजीपुर, ग्राम व पोस्ट-बकुलियापुर, ब्लाक-सदर, जिला गाजीपुर में पेयजल की व्यवस्था न होने के कारण वहां के ग्रामवासियों को अत्यन्त कठिनाई का सामना करना पड़ता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर शासन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद गाजीपुर, ग्राम व पोस्ट-बकुलियापुर, ब्लाक-सदर, जिला-गाजीपुर में पेयजल की व्यवस्था के सम्बन्ध में सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवालखास के अन्तर्गत सड़क के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गुलाम मौहम्मद-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-43, सिवाल खास, जनपद-मेरठ के अन्तर्गत विकास खण्ड-जानी के मेरठ-बागपत मार्ग जानी नहर पुल से सिवाल खास व खानपुर होते हुए धौलडी-मोदीनगर मार्ग तक की सड़क सिंगल लाइन है। इस मार्ग पर लगभग दो दर्जन से भी अधिक ग्राम के ग्रामीणों का आवागमन होता है। सड़क चौड़ीकरण कम होने के कारण बहुत ज्यादा ट्रैफिक जाम की स्थिति उत्पन्न हो जाती है एवं उक्त मार्ग टू-लेन/डिवाइडर रोड न होने से आये दिन गम्भीर दुर्घटनाएं होती रहती हैं जिससे क्षेत्रीय लोगों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे क्षेत्रीय जनता में सरकार के प्रति भारी जनाक्रोश व्याप्त है।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त सड़क का चौड़ीकरण/टू-लेन/डिवाइडर मार्ग का निर्माण कराये जाने की कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के अन्तर्गत कृष्णा नदी पर क्षतिग्रस्त पुलों का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अशरफ अली खान-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर आकृष्ट कराना चाहता हूँ।

जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम गन्देवड़ा संगम, नहरपुल, कृष्णा नदी पर जो पुल बने हैं, वे बहुत ही क्षतिग्रस्त/जर्जर हो चुके हैं तथा थानाभवन के जलालाबाद में कालवाला घाट पर कृष्णा नदी पर कच्चा पुल बना है जिससे वहां के निवासियों द्वारा गुम्बे और मिट्टी डालकर जुगाड़ से आवागमन करते हैं जिससे स्थानीय निवासियों को आवागमन में बहुत ही परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसी प्रकार उक्त विधान सभा क्षेत्र में नदियों में जो पुल बने है। वे बहुत ही सकरे/क्षतिग्रस्त एवं जर्जर स्थिति में हैं।

अतः लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय पर सदन के माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनहित में उक्त नदियों के सकरे/क्षतिग्रस्त/जर्जर पुलों का नवनिर्माण कार्य कराये जाने की कार्रवाई कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद अमेठी के थाना जगदीशपुर में पंजीकृत मु0सं0 167/2021 की पुनः विवेचना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राजेश कुमार गौतम-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि समीउल्ला पुत्र कयूमउल्ला, निवासी ग्राम व पोस्ट-सिधियावां, थाना-जगदीशपुर, जिला-अमेठी का उनके पड़ोसी अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब के साथ चुनावी रंजिश के चलते दिनांक 11-05-2021 को थोड़ा वाद-विवाद हो गया था, जिसकी थाना जगदीशपुर में शिकायत की गयी थी। दिनांक 12-05-2021 को उक्त शिकायत में थाने से जमानत कराने के पश्चात् जब ये लोग वापस गांव में आये तो शाम को लगभग 6:15 बजे अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब कुछ अन्य साथियों के साथ घातक हथियार जैसे राइफल, पिस्टल इत्यादि से लैस होकर समीउल्ला के घर आये और वहां उपस्थित परिवार के सदस्यों पर अंधाधुंध फायरिंग की गयी, जिसमें समीउल्ला के पुत्र शानू व हसीन तथा भतीजे शादाब व सलमान को गोलियां लगीं और गम्भीर चोटें आयीं, जिनको तत्काल सी0एच0सी0 जगदीशपुर ले जाया गया, जहां से इन्हें ट्रॉमा सेण्टर लखनऊ रेफर कर दिया गया। दिनांक 13-05-2021 को थाना जगदीशपुर में अभियुक्तगण अकरम, असलम, सुहेल, अकील, आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब के विरुद्ध एफ0आई0आर0 दर्ज करायी गयी, जिसके क्रम में मु0सं0 167/2021 दर्ज कर विवेचना शुरू की गयी तथा समीउल्ला व उनके भाई श्री कलीमउल्ला के बयान के आधार पर इरफान, सद्दाम, अरमान व छोट्टन को भी अभियुक्त बनाया गया तथा आलम उर्फ अफसेन, अयूब उर्फ राजा व नसीब, इरफान, सद्दाम, छोट्टन व अरमान को एक गाड़ी में असलहे के साथ गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। नसीब व सुहेल स्वयं थाने में उपस्थित हो गये और उन्हें जेल भेज दिया गया। ये सभी लोग जिला कारागार सुल्तानपुर में निरुद्ध हैं।

इस प्रकरण में मुख्य अभियुक्त में सम्मिलित अकील, असलम व अकरम के विरुद्ध पुलिस विभाग द्वारा कोई कार्यवाही नहीं की जा रही है तथा विवेचक महोदय अभियुक्तें से मिले हुए हैं और जानबूझ कर उनको बचा रहे हैं। साथ ही विवेचना की रिपोर्ट में अभियुक्तों पर आरोप को कमजोर कर दाखिल कर रहे हैं। इसकी शिकायत पुलिस अधीक्षक व सी0ओ0 मुसाफिरखाना को की गयी तथा कार्यवाही न होने पर पुलिस महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, ए0डी0जी0, जिलाधिकारी, कमिश्नर, मानवाधिकार आयोग को भी रजिस्टर्ड पत्र के माध्यम से शिकायत किया परन्तु अब तक इन अभियुक्तों के खिलाफ कोई कार्यवाही नहीं हुई।

अतः माननीय अध्यक्ष महोदय से अनुरोध है कि कृपया पुलिस विभाग को पुनः विवेचना तथा अकील, असलम व अकरम को सम्मिलित करते हुए सभी अभियुक्तों के खिलाफ कठोर से कठोर कार्रवाई कराने हेतु निर्देश देने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोरखपुर के अन्तर्गत मे0 नेशनल इंजी0 सर्विसेज का भुगतान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

इंजी0 सरवन कुमार निषाद-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि श्री रणवेन्द्र प्रताप सिंह (मे0 नेशनल इंजीनियरिंग सर्विसेज) द्वारा जनपद गोरखपुर के बाढ़ खण्ड-2 में वर्ष 2012-2013 में सेमरा नवलपुर तटबन्ध की सुरक्षा हेतु कि0मी0 2.600 से 3.050 के मध्य अच्छे डीह कटान स्थल पर लांचिंग एप्रन एवं पिचिंग का कार्य कराया गया था जिसकी अन्तिम मापी हो चुकी है, परन्तु अभी तक 45 लाख रुपये का भुगतान नहीं किया गया है।

उक्त प्रकरण में फर्म के मालिक की आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है व कोविड महामारी के बाद से परिवार भुखमरी के कगार पर है।

अतः आपके माध्यम से सम्मानित सदन का ध्यान अविलम्बनीय इस महत्वपूर्ण विषय पर आकृष्ट कराते हुए उपरोक्त लम्बित बिल के भुगतान कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पाण्डेय-

[महोदय, सादर अवगत कराना है कि हमारी विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में निम्नलिखित सम्पर्क मार्ग जनहित में अति आवश्यक है, उक्त सम्पर्क मार्ग अत्यन्त जर्जर है, जिससे क्षेत्र में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। उक्त मार्गों के निर्माण कराये जाने हेतु हमारे द्वारा प्रमुख सचिव, लोक निर्माण विभाग, मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग आदि से मांग की गई है।

अतः जनहित में निम्नलिखित सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने हेतु नियम-301 के तहत वक्तव्य में स्वीकार किये जाने की कृपा करें।]

क्र0	मार्ग का नाम	ग्रा0पं0	वि0ख0	अनु0 दूरी
34	अरखा से हरिहरपुर पी0एम0जे0एस0वाई0 पक्के सड़क से रामनाथ विद्यापीठ होते हुए	निगोहां	ऊँचाहार	550 मी0
35	चड़रई से गोकना मार्ग पूरे रामबक्स	कुटियाचित्रा	ऊँचाहार	800 मी0
36	पूरे फकीर	कंदरावां	ऊँचाहार	1.800 मी0
37	ऊँचाहार-डलमऊ मुख्य मार्ग से ग्राम बांसी परान जाने के लिये रेलवे क्रासिंग होते हुए लगभग	बांसीपरान	डलमऊ	1.000 मी0

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

38	पचखरा	ऊँचाहार	ऊँचाहार	0.400 मी0
39	पूरे भुखई पाण्डेय	ऊँचाहार	ऊँचाहार	1.200 मी0
40	ऊँचाहार-खरौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कार्य	ऊँचाहार	ऊँचाहार	9.100 मी0
41	शुक्लन का पुरवा (पूरे निधऊ)	ऐहारी बुजुर्ग	रोहनियां	500 मी0
42	पूरे दुर्गा बक्श, सरेनी में सोहनलाल पासी के घर के सामने से मेन डामर रोड होते हुए देवराज पाण्डेय के खेत से डामर रोड तक	सरेनी	रोहनियां	800 मी0
43	ग्रा0स0 उण्डवा में शिवशंकर तिवारी के घर के बगल से शिवगंज होते हुए शंकरपुर तक	उण्डवा	जगतपुर	3 कि0मी0
44	धीरनपुर सम्पर्क मार्ग से वरखण्डेश्वर मन्दिर होते हुए पूरे जैकी तक	धीरनपुर	दीनशाह गौरा	2 कि0मी0
45	बरगद तिराहा गौरा हरदो से पूरे भूपाल सिंह गौरा हरदो तक मरम्मत हेतु	गौरा हरदो	दीनशाह गौरा	1 कि0मी0
46	कल्याणपुर बैंती, एकडला होते हुए नेवादा पट्टी तक	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	4 कि0मी0
47	पूरे भूपाल सिंह (गौरा हरदो) से पूरे हसऊ तक	गौरा हरदो	दीनशाह गौरा	1 कि0मी0
48	पटेरवा पक्की सड़क से मुरारमऊ गांव तक	मुरारामऊ	ऊँचाहार	1.500 मी0
49	पक्की सड़क मौसीम अली के घर से कड़ेदीन मौर्या के घर तक	निगोहां	ऊँचाहार	1 कि0मी0
50	जमुनापुर खरौली पक्की सड़क से पूरे बिन्दा पाण्डेय (गोकना) शारदा यादव के घर तक	गोकना	ऊँचाहार	1 कि0मी0
51	गोकना शहजादपुर बार्डर से लक्ष्मी मन्दिर गोकना घाट तक	गोकना	ऊँचाहार	500 मी0

52	खरौली, गोकना घाट पक्की सड़क से पार्वती देवी इण्टर कालेज होते हुए सत्य नारायण लोध, पूरे पृथ्वी सिंह गोकना के घर तक	गोकना	ऊँचाहार	500 मी0
53	मरम्मत हेतु सरदारगंज से कोला बुढ़नपुर होते हुए हमीरमऊ तक	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	3 कि0मी0
54	ग्रा0स0 धुलरई से घूरी रोड	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	500 मी0
55	ग्रा0स0 धुलरई से विनोवापुरी रोड	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	2 कि0मी0
56	फजारैली का पुरवा पक्की रोड से गांव तक	जलालपुर धई	दीनशाह गौरा	300 मी0
57	पूरे जुगराज सिंह पक्की रोड से गांव के बाहर तक	गौरा खसपरी	दीनशाह गौरा	600 मी0
58	दाऊदपुर गढ़ई पक्की रोड से पाही तक	दाऊदपुर गढ़ई	दीनशाह गौरा	1 कि0मी0
59	कुम्हारन का पुरवा पक्की रोड से गांव तक	मेल्थुवा	दीनशाह गौरा	250 मी0
60	पूरे कोरिन का पुरवा नहरी से खुशियां लाल का पुरवा	भगवन्तपुर	दीनशाह गौरा	800 मी0
61	दुर्गापुर (बनापार) से सहमदा तक सम्पर्क मार्ग तक	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	1 कि0मी0
62	इस्माइलमऊ सम्पर्क मार्ग से बरगदीहा होते हुए पूरे पुरान मेल्थुआ तक	दीनशाह गौरा	दीनशाह गौरा	2.500 मी0
63	ऊँचाहार से निकलने वाली इलाहाबाद-कानपुर राजमार्ग संख्या-38 (उन्नाव राजमार्ग) 160 ये 168 (निर्माण खण्ड-2) कि0मी0 170 से 192	ऊँचाहार	ऊँचाहार	170 से 192 कि0मी0
64	सरांय हरदो स0मा0 (280818) 2.00x3.00	ऊँचाहार	ऊँचाहार	2.00x3.00
65	खरौली सूची बाबूगंज मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य	ऊँचाहार	ऊँचाहार	

66	खरौली ऊँचाहार मार्ग चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण का कार्य	ऊँचाहार	ऊँचाहार	

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत भीमपुर रजवाहा नहर को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश चन्द्र मिश्र-

[महोदय, आपसे निवेदन है कि बदलापुर विधान सभा क्षेत्र के नगर पंचायत, बदलापुर के अन्तर्गत आने वाली भीमपुर राजवाहा नहर के पक्कीकरण का कार्य कराया जाना अध्यन्त आवश्यक है। यह नहर मुख्य बाजार से होकर गुजरती है। उक्त नहर में आये दिन कटान होती रहती है। मिट्टी भी भसकती रहती है। दुर्घटनाएं भी होती रहती हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत सड़क की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रमेश सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-शाहगंज, जनपद जौनपुर के खुटहन-अखण्डनगर मार्ग का चौड़ीकरण व उच्चीकरण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है। यह मुख्य मार्ग है। कई जनपदों को जोड़ता है। सुल्तानपुर, जौनपुर, अयोध्या सहित कई जनपदों के लोगों का आवागमन होता रहता है। जर्जर होने की वजह से आये दिन दुर्घटना होती रहती है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई करने की मांग करता हूँ।]

जनपद बाराबंकी के विधान सभा क्षेत्र जैदपुर के अन्तर्गत कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरव कुमार-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र जैदपुर, जनपद बाराबंकी के अन्तर्गत निम्नलिखित सड़कें अत्यन्त खराब हो चुकी हैं, जिसके कारण सड़कों पर जलभराव की समस्या बनी रहती है। जल भराव होने के कारण विद्यालय आने-जाने वाले बच्चों को काफी परेशानी होती है। क्षेत्रीय लोगों को आने-जाने में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। सड़कें निम्नवत् हैं-

1-जैदपुर पानी की टंकी से बीबीपुर होते हुए कोठी तक सम्पर्क मार्ग जिसकी लम्बाई लगभग 12 कि0मी0।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

2-जैदपुर पानी की टंकी से होते हुए सतरिख होते हुए लखनऊ बार्डर तक मार्ग लम्बाई लगभग 22 कि0मी0।

3-भानमऊ से सलेमपुर घाट होते हुए सुल्तानपुर रोड तक मार्ग लम्बाई लगभग 15 कि0मी0।

4-देवीगंज से सिद्धौर-जैदपुर होते हुए बाराबंकी तक लम्बाई लगभग 25 कि0मी0।

5-जहांगीराबाद से भैयारा सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 7 कि0मी0।

6-सतरिख नगर पंचायत से तीर गांव तक सम्पर्क मार्ग लम्बाई लगभग 18 कि0मी0।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़कों का निर्माण कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर बाजार में सड़क की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राम अचल राजभर-

[महोदय, जिला अम्बेडकरनगर की विधान सभा क्षेत्र-281, अकबरपुर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत सिकन्दरपुर बाजार में डॉ0 वर्मा के अस्पताल के सामने से ग्राम दिहीद्दीपुर तक मार्ग अत्यन्त जर्जर एवं क्षतिग्रस्त है, जिससे क्षेत्रीय जनता को आवागमन में अत्यधिक कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। क्षेत्रीय जनता द्वारा उक्त क्षतिग्रस्त जर्जर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने हेतु कई बार अनुरोध किया गया है, परन्तु अभी तक क्षतिग्रस्त जर्जर सड़क का नव निर्माण नहीं हो सका है, जिससे क्षेत्रीय जनमानस में अत्यधिक आक्रोश व्याप्त है।

अस्तु, इस सम्मानित सदन का ध्यान एक अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ।]

जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों द्वारा मनमानी ढंग से वसूली किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अतुल प्रधान-

[महोदय, अवगत कराना है कि जनपद मेरठ के निजी अस्पतालों द्वारा निर्धारित विभिन्न उपचारों के पृथक-पृथक दरों के बोर्ड नहीं लगाये जा रहे हैं। आमजन से उनके द्वारा मनमाने ढंग से वसूली की जा रही है। आम व्यक्ति छोटे-छोटे उपचारों के लिये भी लाखों का भुगतान कर रहे हैं। चिकित्सा विभाग इन पर किसी भी प्रकार का कोई शिकंजा नहीं कस पा रहे हैं। अस्पतालों के इस कृत्य को रोका जाना नितान्त आवश्यक है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद मिर्जापुर पिपरा डाण के राजकीय मेडिकल कालेज के पास जनसम्पर्क मार्ग की मरम्मत/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 विनोद कुमार बिन्द-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर ले जाना चाहता हूँ।

जनपद मिर्जापुर पिपरा डाण के राजकीय मेडिकल कालेज के पास जमुनहिया खुटहा रोड जनसम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं दुरुस्तीकरण लम्बाई लगभग 4 किलोमीटर जिससे वहां पर आने-जाने वालों को परेशानी व जाम का सामना न करना पड़े।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सरकार के संज्ञान में लाते हुए जनसम्पर्क मार्ग का चौड़ीकरण एवं दुरुस्तीकरण कराने की मांग करता हूँ।]

जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के अन्तर्गत सरयू/घाघरा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गणेश चन्द्र-

[महोदय, अवगत कराना है कि सन्तकबीरनगर के मयन्दी घाट (नकहा) सरयू/घाघरा नदी पर पुल न होने के कारण आम-जनमानस को काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर आपके माध्यम से सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र फेफना के अन्तर्गत ग्राम टूटूवारी में पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री संग्राम सिंह-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र फेफना, जनपद बलिया के अन्तर्गत करैल क्षेत्र का मशहूर गांव टूटूवारी में लगभग 08 वर्ष पूर्व पानी की टंकी का निर्माण हुआ था। इस टंकी से आस-पास के गांवों में पानी की सप्लाई होती थी, जो पिछले 05 वर्षों से बन्द पड़ी है। पेयजल की सप्लाई न होने से स्थानीय लोगों में काफी रोष व्याप्त है। स्थिति विस्फोटक बनी हुई है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल पानी की टंकी से पेयजल की आपूर्ति करवाने की व्यवस्था कराये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद गोण्डा के विधान सभा क्षेत्र तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रेम नारायन पाण्डेय-

[महोदय, अवगत कराना है कि विधान सभा क्षेत्र-299, तरबगंज, जनपद गोण्डा के अन्तर्गत विकास खण्ड-बेलसर के ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में बिजनेस प्लान 2019-20 के अन्तर्गत 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना प्रस्तावित है। विद्युत उपकेन्द्र की स्थापना हेतु पैकेज व प्राक्कलन तथा तकनीकी सभ्यता रिपोर्ट कार्यालय मुख्य अभियन्ता (वि0) मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड, देवीपाटन क्षेत्र, गोण्डा के पत्रांक-1876-मु0अभि0(वि0)/दे0पा0क्षे0(गो0), दिनांक 27-06-2020 के द्वारा निदेशक (तकनीकी) म0वि0नि0लि0, 4-ए, गोखले मार्ग, लखनऊ को भेजा गया है, परन्तु अभी तक निर्माण कार्य प्रारम्भ नहीं हुआ है, विद्युत आपूर्ति हेतु जिसका निर्माण कराया जाना जनहित में अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम पंचायत मुकुन्दपुर में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र माँ बाराही देवी (उमरी बेगमगंज) की स्थापना कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र बुलन्दशहर में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रदीप कुमार चौधरी-

[महोदय, अवगत कराना है कि मेरी विधान सभा क्षेत्र-65 बुलन्दशहर में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल का निर्माण कराया जाना नितान्त आवश्यक है। उक्त हाल के अभाव में गरीब नागरिकों को अपने पुत्र-पुत्रियों के वैवाहिक कार्यक्रम किये जाने में अत्यन्त असुविधा होती है। जनहित में जनपद बुलन्दशहर में एक बड़ा कम्युनिटी हॉल बनवाया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत कतिपय ग्राम सभाओं में प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के आवंटन में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी)-

[महोदय, अवगत कराना है कि प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना के अन्तर्गत आवंटित होने वाले आवासों का आवंटन पूरी तरह से नियम विरुद्ध किया जा रहा है। ग्राम-भरेहटा, विकास खण्ड-बेहजम, तहसील-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी में ग्राम के तीन ऐसे व्यक्ति हैं जिनके नाम दो-दो बार आवासों का आवंटन किया गया है। वर्ष 2021 में आवंटित आवासों की

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

सूची आई0डी0 नं0-139202996, 139093179 एवं 140477710 पर अंकित लाभार्थी पूर्व में भी प्रधानमंत्री ग्रामीण आवास योजना का लाभ प्राप्त कर चुके हैं। ग्राम-भरेहटा व ग्राम-गौहरपुर, विकास खण्ड-बेहजम, तहसील-मितौली, जनपद-लखीमपुर खीरी इसके अतिरिक्त ग्राम के कई ऐसे लोगों की श्रेणी में नहीं आते जिनकी सूची आई0डी0 नं0-139220935, 139604383, 139093227, 139092026, 13948174 एवं 140391203, 140809525, 140810000 है जिनके पास पहले से ही पक्के आवास हैं। ग्राम प्रधान के इस असंवैधानिक कार्य से ग्रामवासियों में क्षोभ व्याप्त है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व एवं जनहित के इस विषय पर सदन का ध्यान आकर्षित करते हुए जांच कराकर दोषी ग्राम प्रधान के विरुद्ध कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद सहारनपुर के विधान सभा क्षेत्र गंगोह के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री किरत सिंह-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-07, गंगोह, जनपद सहारनपुर के अन्तर्गत ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल नहीं है जिससे जनता को अत्यधिक दिक्कत का सामना करना पड़ता है और काफी दूरी से घूमकर जाना पड़ता है, जनहित में उपरोक्त पुल का नवनिर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए ग्राम भोजपुर, ब्लाक नानोता में कृष्णा नदी पर पुल का नव निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बरेली के विधान सभा क्षेत्र मीरगंज के अन्तर्गत गोराघाट रामगंगा नदी के तट पर पक्का घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-119, मीरगंज, जनपद बरेली के अन्तर्गत गोराघाट रामगंगा नदी के पुल के पास लाखों श्रद्धालु गंगा स्नान करने आते हैं। अतः नदी के तट पर पक्का घाट बनवा कर पर्यटन स्थल घोषित किया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के इस प्रश्न पर शासन का ध्यान आकर्षित करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद अमरोहा के विधान सभा क्षेत्र नौगांवसादात के ग्राम कैलबकरी के अन्तर्गत कतिपय सड़कों एवं नालों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री समरपाल सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से अविलम्बनीय, लोक महत्व के प्रश्न पर सदन का ध्यान आकृष्ट करना चाहता हूँ।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मेरी विधान सभा क्षेत्र नौगांवसादात के ग्राम कैलबकरी में जनहित कार्य में निम्नलिखित कार्य कराया जाना अति आवश्यक है :-

1-मजरा भूकापुरी से जितेन्द्र सिंह के खेत तक सड़क नव निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 600 मी0)

2-एक पक्के श्मशान घाट का निर्माण।

3-ग्राम कैलबकरी से कैलबकरी के श्मशान घाट तक बान नदी के किनारे तक सड़क व नाला निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0)।

4-ग्राम कैलबकरी से चौ0 शेर सिंह चिकारा स्मारक महाविद्यालय तक सड़क निर्माण(लम्बाई लगभग 1.5 कि0मी0)।

5-ग्राम कैलबकरी से पूरब की ओर कोतूपुरा होते हुए मोहनपुर शुमाली मार्ग तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 2.5 कि0मी0)।

6-जमना व्यास छावी मार्ग से ग्राम हुसैनपुर तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 1.8 कि0मी0)।

7-जमना व्यास छावी मार्ग से अदलपुर समदू तक सड़क निर्माण कार्य (लम्बाई लगभग 1100 मी0)

8-मिलक प्राइमरी स्कूल से हुसैनपुर मार्ग तक (लम्बाई लगभग 1100 मी0)।

अतः मैं सदन के माध्यम से जनहित के कार्य को प्राथमिकता के आधार पर वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड बलिया में वर्ष 2020 से अब तक भुगतान की गयी देनदारी/बीजकों का स्टीमेट वर्षवार विवरण दिये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री जय प्रकाश अंचल-

[महोदय, आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। जनपद बलिया के अन्तर्गत अधिशासी अभियन्ता बाढ़ खण्ड बलिया जो वर्ष 2020 से अब तक कितनी पुरानी देनदारी के बीजकों का भुगतान किया गया है, उसमें से कितने अधीक्षण अभियन्ता, अधिशासी अभियन्ता एवं सहायक अभियन्ता स्तर से अनुबन्ध किये गये हैं। भुगतान की गई धनराशि की देनदारी/बीजकों का प्राक्कलन/स्टीमेट स्वीकृत है अथवा नहीं।

अतः इस जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए जनपद बलिया में बाढ़ खण्ड बलिया में वर्ष 2020 से अब तक भुगतान की गयी देनदारी/बीजकों का प्राक्कलन/स्टीमेट का वर्षवार विवरण दिये जाने की मांग करता हूँ।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के विकास खण्ड सिरसिया में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्रीमती इन्द्राणी देवी-

[महोदय, विधान सभा क्षेत्र-289, भिनगा, जनपद श्रावस्ती के विकास खण्ड सिरसिया के अन्तर्गत भिनगा-सिरसिया सम्पर्क मार्ग (रेंजरी) से राजपुर मोड़ तक लगभग 10 कि0मी0 मुख्य सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उक्त सड़क का चौड़ीकरण/सुदृढ़ीकरण कराये जाने की मांग करती हूँ।]

जनपद चन्दौली की विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग की मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री प्रभु नारायण सिंह यादव-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र सकलडीहा, जनपद चन्दौली के अन्तर्गत चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग के निर्माण/विशेष मरम्मत की ओर ध्यान दिलाना चाहता हूँ कि उक्त सम्पर्क मार्ग जो कई गांव को जोड़ते हुए तहसील मुख्यालय एवं जनपद मुख्यालय को जोड़ता है। वर्तमान समय में पूरी तरह से गड्ढायुक्त हो चुका है जिससे आम-जनमानस को आने-जाने में काफी परेशानी होती है। साथ ही साथ उक्त सम्पर्क से जहां-जहां गांव जुड़े हैं, वहां जल की निकासी के लिए नाली निर्माण का कार्य कराये जाने की नितान्त आवश्यकता है। जनहित में उपर्युक्त सम्पर्क मार्ग का निर्माण कार्य/विशेष मरम्मत एवं आबादी के पास नाली का निर्माण कार्य करया जाना नितान्त आवश्यक है।

अतः इस लोक महत्व के विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए आपसे मांग करता हूँ कि जनहित में चन्दौली-सकलडीहा-सैदपुर मार्ग से पपौरा-अमिलाई-इटावा-प्रभुपुर मार्ग की विशेष मरम्मत एवं आबादी के भाग में नाली निर्माण कराये जाने हेतु सरकार को निर्देशित करने का कष्ट करें]

अधीक्षण अभियन्ता प्रहरी लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री बम्बा लाल-

[महोदय, आपको अवगत कराना है कि वित्तीय वर्ष 2021-22 में उत्तर प्रदेश लोक निर्माण विभाग, लखनऊ प्रहरी ऐप पर ठेकेदारों द्वारा प्राप्त शिकायतों में निस्तारण के लिए नियुक्त अधीक्षण अभियन्ता श्री अजय कुमार गंगवार के द्वारा अधिशासी अभियन्ताओं और

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अधीक्षण अभियन्ताओं द्वारा प्रहरी ऐप पर ठेकेदारों द्वारा प्राप्त शिकायतों के गुण-दोष के आधार पर निविदाओं को नाट रिस्पाँसिव की संस्तुतियों को नजरअन्दाज करते हुए ठेकेदारों से मेल-मिलाप कर रिस्पाँसिव किये जाने के प्रकरण संज्ञान में लाये गये हैं, जो अति संवेदनशील व अति महत्व का विषय है।

अतः आपसे निवेदन है कि वर्ष 2021-22 में उन सभी प्रकरणों की जांच की जानी चाहिए जिसमें इनके समकक्ष अधीक्षण अभियन्ताओं की संस्तुतियों के विरुद्ध निविदाओं को रिस्पाँसिव अथवा नाट रिस्पाँसिव पर दिया गया है। दोषी पाये जाने पर नियमानुसार कार्रवाई की जानी चाहिए।]

जनपद मथुरा के विधान सभा क्षेत्र बल्देव में लोक निर्माण विभाग में कार्यरत सहायक अभियन्ता श्री अजय कुमार के पिछले पांच वर्षों के कार्यकाल में किये गये कार्यों की जांच तथा सड़कों की मरम्मत/निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री पूरन प्रकाश-

[महोदय, जनपद मथुरा के अन्तर्गत बल्देव विधान सभा क्षेत्र के अधीन लोक निर्माण विभाग, निर्माण शाखा-1, मथुरा के द्वारा पिछले 03 वर्षों में नव निर्माण, विशेष मरम्मत के कार्य बल्देव ब्लाक व ग्रामीण अंचल में कराये गये हैं वो मानक के अभाव में अभी से उखड़ गये हैं। पिछले 06 माह पूर्व भी बल्देव ब्लॉक के 04 सड़कों का निर्माण उक्त विभाग द्वारा कराया गया, जिसकी मौके पर ही हमारे क्षेत्र में कार्यरत सहायक अभियन्ता अजय कुमार को लिख कर व मौके पर जाकर भी ग्रामीणों के साथ शिकायत दर्ज करायी तथा कई सड़कों का काम भी मानकता के अभाव में क्षेत्रीय जनता द्वारा रोका गया। विदित हो कि सहायक अभियन्ता अजय कुमार हमारे क्षेत्र में पिछले 06 वर्षों से तैनात हैं। समय-समय पर इनकी व इनके कार्यकाल में बनी सड़कों की मानकता की शिकायत शासन स्तर पर की गयी, जिसकी जांच भी टी0ए0सी0 ने की। उक्त सहायक अभियन्ता द्वारा टी0ए0सी0 के अधिकारियों को भी व अधीनस्थ जे0ई0 और ठेकेदारों के मिली-भगत से सड़कों की यथास्थिति है। श्री अजय कुमार, सहायक अभियन्ता को अविलम्ब निलम्बित करके इनके कार्यों राया ब्लॉक एवं बल्देव ब्लॉक में पिछले 05 वर्षों के कार्यों की जांच करायी जाये तथा सड़कों को पुनः विशेष मरम्मत/निर्माण कराया जाना आवश्यक है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज में चोरी हुये वाहन संख्या यू0पी0-32 जी0यू0-5625 के सम्बन्ध में कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री तेजपाल सिंह नागर-

[महोदय, जनपद लखनऊ के थाना हुसैनगंज के अन्तर्गत पी0सी0एफ0 परिसर, 32, स्टेशन रोड से दिनांक 28-04-2022 को वाहन संख्या यू0पी0-32 जी0यू0-5625 (होण्डा

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

एक्टिवा) चोरी हो गयी है जिसकी प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित करने तथा वाहन बरामदगी हेतु वाहन स्वामी रामनरेश सिंह द्वारा उक्त दिनांक को ही आवेदन दिया गया तथा माननीय मुख्य मंत्री जी के पोर्टल एवं दिनांक 04-05-2022 को ई-थाना द्वारा भी प्रथम सूचना रिपोर्ट दी गयी। पी0सी0एफ0 परिसर में स्थित पी0एन0बी0 बैंक के सी0सी0टी0वी0 कैमरे के वीडियो फुटेज भी पुलिस को उपलब्ध कराने के बावजूद आज तक न तो कोई प्रथम सूचना रिपोर्ट अंकित की गयी है और न ही वाहन बरामद किया गया है। पुलिस की उक्त कार्यप्रणाली से जनता में अत्यन्त रोष है।

अतः मैं आपके माध्यम से लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र धौरहरा में सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री विनोद शंकर अवस्थी-

[महोदय, मेरे विधान सभा क्षेत्र-141, धौरहरा, जनपद लखीमपुर खीरी बहुत पिछड़ा हुआ क्षेत्र है। मेरे विधान सभा क्षेत्र के ब्लाक-ईसानगर के अन्तर्गत कैरातीपुरवा प्राइमरी स्कूल से लोधपुरवा मझरी होते हुए बहराइच डामर रोड तक लगभग 4 कि0मी0 मार्ग जिस पर कहीं-कहीं खड़न्जा लगा है और बीच-बीच में छोड़ दिया गया है और जो खड़न्जा पहले लगाया गया था, वह भी खराब हो गया है जिसके कारण आवागमन में कठिनाई होती है और स्कूली बच्चे आये दिन चोटिल होते रहते हैं। जनहित में इस मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनहित में उपरोक्त मार्ग का पक्का निर्माण कार्य कराये जाने हेतु वक्तव्य की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के हाटा तहसील के जर्जर रजिस्ट्री भवन के नवनिर्माण के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मोहन वर्मा-

[महोदय, इस पत्र के माध्यम से आपका ध्यान आकृष्ट कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र हाटा की तहसील अंग्रेजों के जमाने की सबसे पुरानी स्थापित वर्ष 1904 की तहसील है। वर्ष 1907 में पुरानी रजिस्ट्री भवन का निर्माण हुआ था। रजिस्ट्री भवन जर्जर होने के उपरान्त तहसील मुख्यालय से 02 कि0मी0 दूर शहर से बाहर किराये के मकान में स्थानान्तरित कर दिया गया। जबकि तहसील भवन जर्जर होने के पश्चात् उसी जगह पर नवीन भवन बनकर वर्ष 2014 में तैयार हो गया। किन्तु रजिस्ट्री भवन की जगह तहसील परिसर में खाली छूटी हुई है। जबकि हाटा तहसील राजस्व देने में जनपद कुशीनगर की अग्रणी तहसील

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है। इसके बावजूद किराये के मकान से रजिस्ट्री भवन का संचालन शहर से बाहर होने से आम जनमानस को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है।

अस्तु आप से आग्रह है कि व्यापक जनहित की पीड़ा को देखते हुए उक्त रजिस्ट्री भवन का निर्माण जनहित में अति आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कर कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के अन्तर्गत स्थापित पुराने हॉस्पिटल को उच्चीकृत कर सिटी हॉस्पिटल का दर्जा प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू-

[महोदय, उपरोक्त विषयक प्रकरण में आपका ध्यान आकृष्ट कराते हुए अवगत कराना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र-330, पड़रौना में वर्ष 1957 में हॉस्पिटल की स्थापना की गयी थी जिसमें भवन के साथ-साथ आधुनिक मशीनों एवं डॉक्टरों, पैरामेडिकल स्टाफ आदि के अभाव के कारण गम्भीर मरीजों को इलाज में काफी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है जिससे यहां के निवासियों को अपना इलाज कराने के लिए प्राइवेट अस्पताल का सहारा लेना पड़ता है। ऐसे में पड़रौना के पुराने हॉस्पिटल को उच्चीकृत करके सिटी हॉस्पिटल के दर्ज के साथ-साथ विशेषज्ञ डॉक्टरों की नियुक्ति कराया जाना जनहित में अति आवश्यक है। प्रकरण स्वास्थ्य से जुड़ा अति लोक महत्व का है।

अतः लोक महत्व के इस अविलम्बनीय प्रश्न की ओर सदन का ध्यान आकृष्ट कराते हुए कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र रसड़ा के अन्तर्गत वार्ड नं0-1 में जलभराव की समस्या का समाधान कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री उमाशंकर सिंह-

[महोदय, मैं एक अत्यन्त ज्वलन्त एवं जनहित के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए सदन को यह अवगत कराना चाहता हूँ कि आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1, संत रविदास नगर जोकि घनी रिहायशी आबादी से आच्छादित है, के चारों तरफ वर्षों से शहर का गन्दा पानी जमा है जिससे सैंकड़ों बीघा कृषि योग्य भूमि भी प्रभावित है एवं उसमें किसी भी प्रकार का कोई निर्माण या फसल आदि भी नहीं हो पाती है।

इस मामले को लेकर यहां की जनता अत्यन्त आक्रोशित है तथा कई बार इस हेतु जन आन्दोलन भी किया जा चुका है क्योंकि गन्दे पानी के जमाव की वजह से यहां के रास्ते भी पूरे वर्ष बाधित रहते हैं तथा संक्रमण की वजह से बीमारी का डर भी हमेशा बना रहता है।

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

अतः इस लोक महत्व के, अविलम्बनीय विषय पर आदर्श नगर पालिका रसड़ा के वार्ड नं0-1, संत रविदासनगर के चारों तरफ वर्षों से हुए जल जमाव को दूर कराये जाने हेतु शासन से कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद बिजनौर की विधान सभा क्षेत्र नगीना के अन्तर्गत गागन नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री मनोज कुमार पारस-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरी विधान सभा क्षेत्र नगीना, जनपद बिजनौर के विकास खण्ड-किरतपुर के ग्राम जटपुरा से रेलवे स्टेशन को जाते हुए मुर्शदपुर के बीच पड़ने वाली गागन नदी पर पुल न होने की वजह से देश की आजादी के इतने वर्षों बाद भी यहां के लोगों को आज भी बहुत कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है। इसलिए यहां पर वॉक्स कन्वर्ट (पुल) की अत्यन्त आवश्यकता है।

अतः इस अविलम्बनीय, लोक महत्व के विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए ग्राम जटपुरा से रेलवे स्टेशन को जाते हुए मुर्शदपुर के बीच पड़ने वाली गागन पर वाक्स कन्वर्ट सेतु निर्माण हेतु सरकार से मांग करता हूँ।]

जनपद अमेठी के विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज के अन्तर्गत गुलालपुर ड्रेन की खुदाई/सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री राकेश प्रताप सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ कि मेरे विधान सभा क्षेत्र गौरीगंज, जनपद अमेठी के अन्तर्गत गुलालपुर ड्रेन की खुदाई/सफाई का कार्य सिंचाई विभाग, खण्ड-दो, सुल्तानपुर के द्वारा किया जा रहा है जो मानक के अनुरूप नहीं हो रहा है। हर वर्ष हजारों किसानों की फसल नाले की खुदाई न होने से डूब जाती है और किसानों की फसल डूब जाने के कारण फसल का मुआवजा भी नहीं दिया जाता है जिससे क्षेत्र की जनता में भारी आक्रोश व्याप्त है। यह जनहित से जुड़ा हुआ विषय है और लोक महत्व का है।

अतः इस गम्भीर विषय को सदन के संज्ञान में लाते हुए उपरोक्त प्रकरण की जांच कराकर नाले की खुदाई/सफाई कराये जाने हेतु सरकार से वक्तव्य दिये जाने की मांग करता हूँ।]

उत्तर प्रदेश में पौराणिक मनवर नदी की सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री अजय सिंह-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन के संज्ञान में लाना चाहता हूँ कि पौराणिक नदी मनवर का उत्तर प्रदेश में अत्यन्त महत्व है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा 2017 में 08 नदियों के

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जीर्णोद्धार की घोषणा की गयी थी जिसमें मनवर नदी का नाम भी शामिल था परन्तु अभी तक उक्त नदी की सफाई का कार्य सम्पादित नहीं किया गया है।

अतः मैं आपके माध्यम से पौराणिक मनवर नदी की सफाई कराने एवं टेल तक पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ में नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की पालिसी लागू कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

डॉ0 नीरज बोरा-

[महोदय, उत्तर प्रदेश में नजूल भूमि को सरकार द्वारा लीज पर दिया जाता रहा है। राज्य में अनेक स्थानों पर आवासीय, औद्योगिक व व्यावसायिक गतिविधियां ऐसी भूमि पर संचालित हैं। जनहित में सरकार ने लीज का नवीनीकरण करने तथा भूमि को फ्री-होल्ड करने की नीति बनायी गयी थी जिससे जनता लाभान्वित हुई। पिछले कुछ वर्षों से लीज का नवीनीकरण तथा भूमि को फ्री-होल्ड करने का कार्य अचानक रोक दिया गया तथा यह बताया गया कि इसके लिए सरकार द्वारा नयी नीति तैयार की जा रही है। नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की नयी पॉलिसी की प्रतीक्षा लम्बे समय से जारी है। वर्तमान में न तो लीज नवीनीकृत हो रहे हैं और न ही उन्हें फ्री-होल्ड किया जा रहा है जिसके चलते बड़े पैमाने पर विकास कार्य प्रभावित हो रहे हैं।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत इस व्यापक लोक महत्व के विषय पर सम्मानित सदन का ध्यान आकृष्ट करते हुए नजूल भूमि को फ्री-होल्ड करने की पॉलिसी तत्काल लागू कराये जाने की मांग करता हूँ।]

जनपद अयोध्या के विधान सभा क्षेत्र रुदौली में रुदौली-अमानीगंज मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रामचन्द्र यादव-

[महोदय, जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत रुदौली से अमानीगंज मार्ग लम्बाई 7 कि0मी0 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गया है। मार्ग में बड़े-बड़े गड्ढे हो गये जिसके कारण क्षेत्र के छात्र, नौजवान, व्यापारी, किसान व आमजन को आवागमन में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। अब तक एक दर्जन से ज्यादा सड़क दुर्घटना में राहगीर चोटिल हो गये। आये दिन ट्रकें, बसें, बड़े-बड़े वाहन फंस जाते हैं जिससे जाम की बड़ी समस्या उत्पन्न हो जाती है। यह अति महत्वपूर्ण है जो दो तहसीलों एवं ब्लाकों को जोड़ने वाला प्रमुख मार्ग है। जनहित में इस क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराया जाना अत्यन्त आवश्यक है।

अतः नियम-301 के अन्तर्गत लोक महत्व के अविलम्बनीय विषय की ओर सरकार का ध्यान आकृष्ट करते हुए जनपद अयोध्या, विधान सभा क्षेत्र रुदौली अन्तर्गत रुदौली-अमानीगंज

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

मार्ग लम्बाई 7 कि0मी0 पूरी तरह से क्षतिग्रस्त मार्ग का निर्माण कराये जाने हेतु कार्रवाई की मांग करता हूँ।]

जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य के अन्तर्गत सभी जर्जर और टूटी सड़कों को बनवाये जाने के सम्बन्ध में नियम-301 के अन्तर्गत सूचना

श्री रविदास मेहरोत्रा-

[महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन का ध्यान लोक महत्व के अत्यन्त गम्भीर विषय की ओर दिलाना चाहता हूँ। मेरे विधान सभा क्षेत्र लखनऊ मध्य की अधिकांश सड़कें जर्जर और टूट गई हैं जहां सड़कों में गड्ढे हैं जहां रोज दुर्घटनाएं हो रही हैं और पिछले 5 वर्षों से सड़कों को बनाने का कोई भी कार्य नहीं हुआ है। इसके कारण जनता का जीवन दूभर हो गया है और जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। इस कारण से जनता को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है जिससे जनमानस में काफी रोष व्याप्त है। यह जनता से जुड़ा हुआ जनहित का गम्भीर विषय है।

अतः इस जनहित एवं लोक महत्व के गम्भीर विषय पर सरकार का ध्यान आकृष्ट कराते हुए तत्काल लखनऊ मध्य विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत सभी जर्जर और टूटी हुई सड़कों को बनाये जाने की मांग करता हूँ।]

औचित्य के प्रश्न की सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-300 के अन्तर्गत केवल दो सूचनाएं प्राप्त हुईं, इसमें पहली सूचना श्री श्री जगदीश नारायण राय जी की है, आप अपनी बात रखें।

सदन की कार्यवाही का शासन के विभागों द्वारा संज्ञान न लिये जाने के सम्बन्ध में औचित्य का प्रश्न

श्री जगदीश नारायण-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से एक बहुत महत्वपूर्ण विषय पर आपकी व्यवस्था चाहता हूँ कि इतनी मेहनत से विधायिका यहां बैठती है, सारी बातें हम लोग उठाते हैं, विभाग के अधिकारी दर्शक दीर्घा का संज्ञान नहीं ले रहे हैं। पहले अधिकारी दीर्घा में नोट करते हुए दिखते थे, वह अब नहीं दिखते हैं। माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी एक शंका जाहिर की थी कि यहां जो बात कही जाती थी, उस पर तुरन्त कोई व्यवस्था दिखाई नहीं दे री है, इस पर मैं आपसे व्यवस्था चाहता हूँ।

संसदीय कार्य एवं वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

हमने किस सन्दर्भ में क्या कहा था, उसका उद्धरण यहां इस प्रकार से देंगे। माननीय अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य की जो जिज्ञासा है, उससे हम सौ परसेण्ट सहमत हैं। लेकिन जिस

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

दिन बजट पर चर्चा हुई, उस दिन चर्चा होने से पहले यहां पर अधिकारी मौजूद थे और उन्होंने सभी बातों को नोट भी किया है और उसके साथ-साथ कार्यवाही भी यहां पर लिखी जाती है। यह बिल्कुल सही है कि अधिकारीगण यहां दीर्घा में बैठें, उसका संज्ञान लें। मा0 सदस्य ने जिस भावना से इस विषय को उठाया है, उस भावना से हम सहमत हैं। मान्यवर, व्यवस्था की भी गई है। अगर कहीं कोई लैप्स होगा तो उसको अलग से दिखवा लेंगे। यह नियम-300 में नहीं आता, इसलिए इसे अग्राह्य किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

मैं मा0 जगदीश जी को सुना, मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी को सुना, मैं इसको अग्राह्य करता हूँ। लेकिन जो मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने बहुत महत्वपूर्ण बात कही है। इस पीठ से भी निर्देश है कि जिस विभाग से सम्बन्धित कोई भी प्रश्न या कोई भी विषय होगा, उस विभाग के अधिकारी यहां पर उपस्थित रहें।

श्री अध्यक्ष-

सदस्यों की गिरफ्तारी सम्बन्धित कोई सूचना नहीं है।

जो लोग उपस्थित हैं, मैं उनकी याचिकाओं को ले लेता हूँ।

बजट में सदस्यों के बोलने की अनुमति के सम्बन्ध में

श्री लाल जी वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरा एक निवेदन है। ये कार्य सूची में शामिल नहीं है, लेकिन साधारण बजट पर चर्चा हो रही है। अभी बहत से सदस्य बचे हैं, उसको कार्य सूची में रहना चाहिए था।

श्री अध्यक्ष-

लिखकर दे दें, मैं उनको सम्मिलित कर लेंगे।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, मैं चाहता हूँ कि सबको बुलवा दें।

श्री अध्यक्ष-

सबको बुलवाना सम्भव नहीं है, लेकिन मैंने इस बात की व्यवस्था दी है कि जो मा0 सदस्य जितना समय है, उतनी देर बोल सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, अभी समय है।

डॉ0 आर0 के0 वर्मा-

मा0 अध्यक्ष जी, मेरी नियम-300 में सूचना है, उसको ले लीजिए।

श्री अध्यक्ष-

आपकी सूचना ग्राह्य नहीं है। ये विधान दल को मान्यता देना, न देना ये मेरा अधिकार क्षेत्र है, मैं उसके अन्तर्गत दूंगा। मेरे अधिकार के ऊपर आप कोई प्रश्न चिन्ह नहीं लगा सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

याचिकाओं/कार्य-सूची के बाद उसको ले लेंगे। उसके बाद बोलने के लिए हम कहेंगे। राजनीतिक दलों के नेताओं की अभी बैठक है। हम जितनी देर तक वह बैठक करेंगे, उतनी देर जो लोग यहां उपस्थित हैं, प्राथमिकता के आधार पर आप उनका नाम दे दीजिए। उन लोगों को उतनी देर में बुला लेंगे। उसके बाद 01:00 बजे मा0 मुख्य मंत्री जी बोलेंगे। नाम वहां देंगे, आप सब मेरे लिए हाथ नहीं उठाओ। ये आपका काम नहीं है, ये आपके विधान मण्डल दल के मुख्य सचेतक का काम है। कभी उनको भी बोला करिए। सारा काम मेरे जिम्मे नहीं है। क्योंकि मैं जल्दी-जल्दी से नाम लूंगा। मार्शल उपस्थिति नोट करते चलेंगे।

याचिकाओं का उपस्थापन

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य श्री सचिन यादव, श्री श्याम सुन्दर, श्री योगेश शुक्ला, श्री बम्बा लाल, श्री कमाल अख्तर, श्री कविन्द्र चौधरी, श्री कैलाश नाथ शुक्ल, श्री महेन्द्र नाथ यादव, श्री मौहम्मद फहीम इरफान, श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू, श्री मनीष रावत, श्री मूलचन्द्र सिंह, श्री विकास गुप्ता, श्री विवेकानन्द पाण्डेय, श्री विनोद शंकर अवस्थी, श्री जियाउर्रहमान, श्री हंसू राम, श्री हाकिम लाल बिन्द, श्री पंकज कुमार मलिक, श्री पल्टूराम, श्री प्रसन्न कुमार, श्री प्रदीप कुमार चौधरी, श्री रमेश चन्द्र मिश्र, श्री रमेश जायसवाल, श्री रवि शर्मा, श्री रविदास मेहरोत्रा, श्री श्रीकान्त कटियार, श्री राकेश पाण्डेय, श्री राम दुलार गोंड, श्री राम अचल राजभर, श्री राजेश त्रिपाठी, श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, श्री संजय शर्मा, श्री संग्राम सिंह, श्री स्वामी ओउ्मवेश, श्री सुरेन्द्र चौरसिया, श्रीमती सलोना कुशवाहा, श्री दुर्गा प्रसाद यादव, श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, श्री चन्द्रपाल सिंह, श्री तुफानी सरोज, श्री जय प्रकाश अंचल, श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', श्री जय प्रकाश निषाद, श्री जवाहर लाल राजपूत सदन में उपस्थित हैं तथा मद संख्या श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, श्री विनोद सरोज, श्री पंकज गुप्ता, श्री पीयूष रंजन निषाद सदस्य सदन में अनुपस्थित हैं।

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 36 याचिकाएं†

श्री सचिन यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद रोड से नगला किशन सिंह से नगला जइया नगला गवे तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व

† छापी नहीं गयीं।

डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद रोड खड़ीत पुल से खडत नदी तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशलेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद रोड पाढम निजामपुर जोधपुर सराय तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती शैली यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत घुनपई से खरगपुर रोड तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनाथ व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत झपारा भैडी मार्ग से बम्बा पार तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 रियाज खान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत मुस्तफाबाद-शिकोहाबाद लिंक रोड, जाजूमई पुल से वाया नगला-सदिया-हाथवन्त तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत मुस्तफाबाद-अवागढ़ रोड से लिंक मार्ग रुद्रपुर से होकर बटोलर तक डामरीकरण व मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत भदाना पुल से होते हुए वाया छीतली और वाया ठाठी से पाठ जैतपुर तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेश प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत पाढम से कुण्ड का नगला फेरती का नगला होते हुए निजामपुर होते हुए जोधपुर तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शीलेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत पटीकरा पुल से एटा-शिकोहाबाद मार्ग से नगला करोंदा भेडी तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री थान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत जसराना-मुस्तफाबाद रोड से दारापुर-मिलावली-विठवारा तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रवीन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत गोहना मोड़ से अखैपुर तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रहीस पाल व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत गोपालपुर-भरतपुर लिंक मार्ग से नगला झम्मन तक व अन्य मार्गों की मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम वकील व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत गोपालपुर पुल से होकर रुहासी होते हुए एटा बार्डर तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की विशेष मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्येन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत गोशपुर से कविलपुर तक व अन्य सड़कों की विशेष मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत नगला छत्तू हनुमान मन्दिर से नवान तक व अन्य मार्गों की विशेष मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

17-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत दुगना से हाथवन्त तक व अन्य सम्पर्क मार्गों की मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

18-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के ग्राम मचन में गांव के बाईपास का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

19-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में ईशर नदी की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

20-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में कुशिसारी से धीमरी तक व अन्य सड़क मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम सुन्दर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

21-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में शिकोहाबाद-जसराना रोड से नगला पूछरी तक व अन्य सड़क मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजीव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

22-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में दिनौली मार्ग से बनवारा तक व अन्य सड़क मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रकान्त व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

23-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना में जमालीपुर रोड से घाघऊकला तक व अन्य सड़क मार्गों का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

24-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत लखउआ से टीकरी व अन्य मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

25-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एका उडेसर मार्ग से नगला कमले तक व अन्य मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

26-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत कनवारा साखिनी मार्ग से कलूपुरा तक व अन्य मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू डीलर व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

27-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत कताना नगला पसी मार्ग, ठाठी गदनपुर तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुड्डू यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

28-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद मार्ग से विठवारा सम्पर्क मार्ग व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

29-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद मार्ग से फरीदा-गोकुल मार्ग व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

30-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत मक्खनपुर-खैरगढ़ मार्ग-द्वारिकापुर होते हुए कनवारा तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालू व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

31-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत नगला मवासी से उसाइनी बाई पास तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहरुद्दीन खान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

32-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत एटा-शिकोहाबाद रोड पाढम बिजली घर से उस्मानपुर चनारी तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

33-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत सगरई वाले रोड से न0 गेरुआ तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत एवं डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरेन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

34-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत नगला केवल से नगला मुरली तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशेष यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

35-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत भण्डपुरा रोड से फतेहपुर तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

36-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र जसराना के अन्तर्गत नगला शादी से सगरई तक व अन्य सम्पर्क मार्गों का मरम्मत कार्य व डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीटू यादव व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 09, जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित 02, जनपद कौशाम्बी से सम्बन्धित 02 तथा जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री श्याम सुन्दर, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली की ग्राम पंचायत ओसाह में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के ब्लाक महाराजगंज के मजरे रामगांव से तौली सम्पर्क मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के तिलैन्डा से हलोर मार्ग होते हुए जनपद अमेठी तक के मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में महाराजगंज-शिवगढ़ से हलोर तक के जर्जर मार्ग को पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां में पूरे बादल खान, मजरे बरहुआ से हरजन्दपुर मार्ग का पक्का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप वाजपेयी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद कौशाम्बी के ब्लॉक नेवादा के ग्राम बैरमद करारी (बैरगांव) में 11000 वोल्टेज की लाइन को शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित कुमार मिश्र, निवासी जनपद कौशाम्बी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7-जनपद प्रतापगढ़ के ब्लॉक-विहार के ग्राम हरबसपुर (टेकीपट्टी) मार्ग पर लालगोपालगंज-बिहार रोड-चौबरियन का पुरवा पुल से श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

8-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत ग्राम पंचायत ओसाहा में महिला महाविद्यालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

9-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के तिलैन्डा से हलोर मार्ग जमुरावा कोटवा सेमरौता होते हुए बी0एच0एल0 जनपद अमेठी तक चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

10-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत पूरे बादल खान, मजरे बरहुआ से महाराजगंज से हरचन्दपुर मार्ग का पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप वाजपेयी, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

11-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र बछरावां के अन्तर्गत महाराजगंज-शिवगढ़ मार्ग से अलीपुर होते हुए हलोर तक मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज में श्री धनीराम के घर से सत्यनारायण के घर तक के मार्ग पर इण्टरलॉकिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनीराम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद प्रतापगढ़ के ब्लॉक-विहार में चौबरियन का पुरवा पुल से श्री शैलेन्द्र कुमार शुक्ला के घर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेन्द्र कुमार, निवासी जनपद प्रतापगढ़ की याचिका तथा

14-जनपद कौशाम्बी के ब्लॉक नेवादा के ग्राम बैरामद करारी में 11000 वोल्टेज की लाइन को शिफ्ट कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित कुमार मिश्रा, निवासी जनपद कौशाम्बी की याचिका।

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 06 याचिकाएं[†]

श्री योगेश शुक्ला, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 के संसारपुर-पहाड़पुर मार्ग रोड, बैजनाथ तिवारी के स्कूल के बगल से कैलाश चन्द्र तिवारी के खेत से होते हुए कुर्सी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 के अन्तर्गत बाबागंज मार्ग पहाड़पुर से लोहारन पुरवा तक मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कौशल कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 के अन्तर्गत ग्राम मूसपिपरी में अमर शहीद राजा दिग्विजय सिंह जी की स्मारिका का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 के अन्तर्गत ग्राम सभा पहाड़पुर में राजकीय हाई स्कूल को उच्चीकृत कर राजकीय इण्टर कालेज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष कुमार रावत व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद लखनऊ की तहसील बी0के0टी0 में बख्शी के तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम नरेश सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका तथा

6-जनपद लखनऊ के चिनहट में महिला महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरीश अवस्थी व अन्य निवासीगण, जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 26 याचिकाएं†

श्री बम्बा लाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत बिरसिंहपुर में आयुर्वेदिक अस्पताल का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत सफीपुर में राम फिलिंग स्टेशन, सफीपुर अजय सुनार के घर से बालेश कुमार के घर तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बालेश कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव की ग्राम पंचायत फतेहपुर में जर्जर विद्युत तार को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव की ग्राम सभा खरगौरा में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री दरोगा सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव की ग्राम सभा दिपवल में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री मेड़ीलाल व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव की ग्राम सभा लोधीपुरवा में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराने के सम्बन्ध में श्री लाल सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड बांगरमऊ के अन्तर्गत लखनऊ-बांगरमऊ रोड पर बाबा खेड़ा से बरहा कला तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुप व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड हसनगंज की ग्राम पंचायत सरांय में मलकादिम से हसनगंज-मुंशीगंज मार्ग तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज कुमार तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर की ग्राम पंचायत पमेधिया में पंचायत घर से मीरकपुर के श्री अजय द्विवेदी के मकान तक आर0सी0सी0 का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गौरव अवस्थी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर की ग्राम पंचायत रायपुर गढ़ में मिथुन सिंह से लाल बहादुर के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मिथुन सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर की ग्राम पंचायत फतेहपुर में मेन रोड से राम चन्द्र के घर के पीछे तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर की ग्राम पंचायत नरहरपुर में हरदेव बाबा से अतहा सरहद तक की रोड को सी0सी0 कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र नाथ त्रिपाठी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर की ग्राम पंचायत लहबरपुर के मजरा नाजिरपुर में माइनर पुलिया से प्रधानमंत्री ग्राम सड़क रामपुर-देवगांव सम्पर्क मार्ग तक जर्जर रोड का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुलदीप तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

14-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र मांखी में औषधि, उपचार, मानव संसाधन, पैथोलॉजी एवं चिकित्सा सम्बन्धी सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंगेश सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

15-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के अन्तर्गत सफीपुर-मियांगंज मार्ग से मीन नगर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोटू सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

16-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम बिरसिंहपुर में सरकारी ट्यूबवेल स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय बाजपेई व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

17-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड नवाबगंज के ग्राम शाहपुर में बारातशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

18-जनपद उन्नाव के विकास क्षेत्र सभा सफीपुर के अन्तर्गत माँ सन्तोषी गैस एजेन्सी चितौली से सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर शुक्ला व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

19-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम पंचायत दीपागढ़ी में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

20-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम सभा पाठकपुर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

21-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा खरगौरा में इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दरोगा सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

22-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के नगर पंचायत रसूलाबाद के मोहल्ला देशाई नगर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

23-जनपद उन्नाव के विकास सभा क्षेत्र सफीपुर के अन्तर्गत जल जीवन मिशन के तहत आर0ओ0 वाटर टंकियों की स्थापना में हुए भ्रष्टाचार की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार गौड़ व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

24-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के नगर पंचायत रसूलाबाद के मोहल्ला देशाई नगर में बारातशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र कुमार बाजपेई व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

25-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड सफीपुर के ग्राम सभा रोशन नगर में इण्टरलॉकिंग रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मथन सिंह व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका तथा

26-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड मियागंज के ग्राम पंचायत अहमदपुर-टकतौली में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विमल सैनी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री कमाल अख्तर, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका †

श्री कमाल अख्तर, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कांठ के नगर पंचायत अगवानपुर से रामगंगा नदी के ऊपर ग्राम चटकाली तक पैन्टून पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गजनफिरुल्ला चौधरी व अन्य निवासीगण, जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गयी।

श्री कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर की 01, जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 02 तथा जनपद आजमगढ़ से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्रीमती कमलाकान्त राजभर उर्फ पप्पू, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गई :-

1-श्री विवेक सक्सेना (शहीद) के परिवार को मिलने वाली सरकारी सुविधाओं का लाभ दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सावित्री सक्सेना, निवासिनी कानपुर रोड, लखनऊ की याचिका,

2-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज के तहसील मार्टिनगंज में रजिस्ट्रीकृत कार्यालय (उप निबन्धन कार्यालय) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रजीत राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

3-जनपद आजमगढ़ के विधान सभा क्षेत्र दीदारगंज में ग्राम महुजा नेवादा के अन्तर्गत सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण कार्य को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पंचम राजभर व अन्य निवासीगण जनपद आजमगढ़ की याचिका,

4-जनपद आजमगढ़ व जौनपुर की सीमा पर ग्राम सभा आरा में गंगा नदी पर पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पंचम राजभर निवासी जनपद आजमगढ़ की याचिका,

5-जनपद जौनपुर की विधान सभा मल्हनी के ग्राम कबालपुर के सम्पर्क मार्ग से जुड़ा चकमार्ग गाटा सं0-154 पर से अवैध अतिक्रमण हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

6-जनपद लखनऊ के तकरोही-इन्दिरानगर में सीवर लाइन डलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री आकाश जौहरी व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 15 याचिकाएं†

श्री कविन्द्र चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत घोघरिया घाट पक्की सड़क से बेलघाट तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय यादव व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत कप्तानगंज भिउरा मार्ग से झुंगिया गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्दकिशोर मौर्या व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत भिखरिया से बन्धे गौशाला तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत पण्डूल से पकड़ी चौहान चौधरी पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विपिन वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत नगर पंचायत कप्तानगंज ओवर ब्रिज से छोटी नकटीदेई तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम महेश व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

6-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम खरका देवरी से शिवपुर पिपरहिया होते हुए अम्बेडकर मार्ग तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उमेश शर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम बेलघाट पुरवा से मदरहवां बार्डर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश चौधरी व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम कलिगड़ा से तिपरा पाठक पुरवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रेश निषाद व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

9-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम बिगहिया से चेरूईया चौराहे तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गांगोली वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

10-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत बैरागल के बड़ी बाग से राजेन्द्र के खेत से लेकर काली मन्दिर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

11-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भरकहवा से एकडेंगवा तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद कुमार चौधरी व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

12-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत लारा के राजस्व ग्राम रैंयल में आर0सी0सी0 रोड से उदयभार गौतम के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामपाल प्रधान व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

13-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम पतिला में मस्तराम के चक से चेरूईया सरहद तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुश वर्मा व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका,

14-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैया के अन्तर्गत ग्राम चेरूईया में विद्यासागर के घर से ग्राम बैदोलिया सरहद तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज यादव व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका तथा

15-जनपद बस्ती की तहसील हर्रैा के अन्तर्गत ग्राम चेरूईया में रामराज के चक से केशवराम के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजीत चौधरी व अन्य निवासीगण, जनपद बस्ती की याचिका।

श्री कैलाश नाथ, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री कैलाश नाथ, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गयीं :-

1-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के विकास खण्ड महाराजगंज तराई स्थित 5 एम0वी0 क्षमता के विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता वृद्धि करके 10 एम0वी0 क्षमता करने के सम्बन्ध में श्री गणेश सोनी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के विकास खण्ड हरैया फीडर से चौधरीडीह एवं मथुरा क्षेत्र के तरफ से आने वाली जर्जर विद्युत लाइन को बदल कर नये विद्युत लाइन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवराम पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

3-जनपद बलरामपुर की तहसील तुलसीपुर के विकास खण्ड महाराजगंज तराई क्षेत्र में स्थित खरझार नाले पर बने तट बन्ध को दोनों तरफ 01 कि0मी0 दूरी तक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्द कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री महेन्द्र नाथ यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में बी0एस0एफ0 के शहीद जवान जन्डैल बहादुर जी के मकदा गांव को मुख्य मंत्री समग्र ग्राम योजना और ग्रामीण स्टेडियम योजना से लाभान्वित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निलेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में कठिनइया नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने विषयक श्री पंकज सिंह, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर में बस्ती-महुली मार्ग पर डारीडीहा चौराहे से मा0 कांशीराम आवास होते हुए कोतवाली तक जाने वाली सड़क का डामरीकरण कराये जाने विषयक श्री अतुल चौधरी, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के विकास क्षेत्र साऊंघाट के अन्तर्गत मनौरी चौराहे के सर्विस रोड के विनोद चौधरी के घर से काली मन्दिर होते हुए ध्रुप चन्द के

---

† छापी नहीं गयीं।

घर तक का मार्ग नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर गौतम व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत मनौरी रोड से रमवापुर माफी तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निखिल चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

6-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत पकरी गांव से ब्योतहरा गांव तक पिच रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

7-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत सुदामागंज चौराहे से गनेशगंज के रामपुर गांव तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब राम यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

8-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत गनेशपुर, रामपुर, अशोक चौहान के बाग से झलहा गांव तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जावेद पिन्डरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

9-जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र बस्ती सदर के अन्तर्गत मेंहदावल रोड के अमौली से होते हुए कुमारे मास्टर के घर तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्कर्ष पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित 08 याचिकाएं†

श्री मौहम्मद फहीम इरफान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-मदरसा आधुनिकीकरण योजना के अन्तर्गत अध्यापकों को लम्बित मानदेय का भुगतान कराये जाने विषयक श्री रेहाना पाशा, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

2-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के बस स्टेशन बिलारी पर प्यायू को ठीक कराये जाने विषयक श्रीमती स्वदेश कुमारी, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

3-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत खाता से हाजीपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री अविनाश, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

4-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के अन्तर्गत सहसपुर से थांवला तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री वाजिद हुसैन कस्सार, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम खानपुर में शिव मन्दिर परिसर में शीतल प्याऊ का निर्माण कराये जाने विषयक श्री भूरा पुत्र मोकन सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

6-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम देवरी में जाहरवीर बाबा मन्दिर परिसर में शीतल प्याऊ का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बहादुर सिंह, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका,

7-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्रम नगला नस्सू के शिवा मन्दिर परिसर में शीतल प्याऊ का निर्माण कराये जाने विषयक श्री दिनेश, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका तथा

8-जनपद मुरादाबाद की तहसील बिलारी के ग्राम पटपुरा झाडू से हनुमान मन्दिर होते हुए जरगांव बाजार तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री बसर मलिक, निवासी जनपद मुरादाबाद की याचिका।

श्री मनीष कुमार 'मन्टू', सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री मनीष कुमार 'मन्टू', सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास खण्ड विशुनपुरा में छोटी दुबौली से बड़ी दुबौली होते हुए तेजवलिया तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुलेना चौहान व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना में रैक प्वाइन्ट से नुनिया पट्टी ढाला होते हुए अम्बे चौक तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सर्वेश जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के मुठियां चौराहे से जंगल शाहपुर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वैरिष्टर प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास क्षेत्र विशुनपुरा के चिरगौड़ा से सुगौली तक सड़क मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कैलाश व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

5-जनपद कुशीनगर के विधान सभा क्षेत्र पडरौना के विकास क्षेत्र पडरौना के पचरुखिया पुल से गंगा पट्टी होते हुए बरवाघाट तक सड़क मार्ग तक निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतीश गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित 01, जनपद रायबरेली से सम्बन्धित 02 तथा जनपद सीतापुर से सम्बन्धित 15 याचिकाएं†

श्री मनीष रावत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम कहिंजर में काली बख्श सिंह के घर से सत्य प्रकाश सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर की तहसील पुवायां के ग्राम चक कन्हऊ में राम मन्दिर का सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम रूपपुर खानीपुर में राजकीय नलकूप बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

4-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के भण्डिया में 33/11 के0वी0 पावर हाउस स्थापित करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

5-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के सहावा में सहावा झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

6-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के सीतारसोई में सीतारसोई झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

7-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के अटरिया में एक राजकीय इण्टर कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

8-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम धरांवा में राजकीय नलकूप बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

9-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम बौनाभारी में बामन धाम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर में राम जानकी मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विशाल शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

11-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर में अतुल मिश्रा के घर से कल्लू दर्जी के घर तक इण्टरलॉकिंग सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

12-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से खरतोहना तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

13-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम हमीरपुर से अहलादपुर तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

14-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम सरांय में राजकीय नलकूप बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

15-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम सरसूलपना में शिव मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नेकराम रावत व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

16-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम मधवापुर कसमण्डा में प्राथमिक विद्यालय एवं जूनियर हाई स्कूल बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाल गोविन्द व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका,

17-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सिधौली के ग्राम पंचायत अलादादपुर में चित्राहरण मन्दिर का जीर्णोद्धार व सौन्दर्यीकरण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नवनीत मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका तथा

18-जनपद सीतापुर के विधान सभा क्षेत्र सदर में स्थित पटेलनगर (जैतूपुर) में नगरपालिका परिषद् द्वारा बनाये गये इण्टरलॉकिंग मार्ग को कब्जा मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश सिंह निवासीगण जनपद सीतापुर की याचिका।

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 10 याचिकाएं[†]

श्री मूल चन्द्र सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत खकसीस से अमखेड़ा चाकी, दौलतपुरा की जर्जर विद्युत लाइन को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत बेनीपुरा से अकबरपुरा मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शम्भू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोंच से तितरा की जर्जर विद्युत लाइन को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अन्शुल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत कोंच से पनयारा, मनौरी की जर्जर विद्युत लाइन को बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री उत्तम सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत मिझौना से जमरेही सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामू तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत रामपुरा से गोहन मार्ग का सुदृढ़ीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री करन सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत वावली से मोतीपुर-तौलकपुर सम्पर्क मार्ग का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त कश्यप व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत खकसीसी से महतवानी जर्जर विद्युत लाइन को बदले जाने के सम्बन्ध में श्री रामलखन व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

9-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र माधौगढ़ के अन्तर्गत ग्राम वावली में मिनी खेलकूद स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

10-जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र विकास खण्ड के अन्तर्गत ग्राम जायघा में खेलकूद स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकुर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री विकास गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर के अयाहशाह के ग्राम सभा शाह के ब्लाक बहुआ में ए0एन0एम0 सेण्टर की स्थापना कराये जाने विषयक श्री शशिभूषण सिंह, निवासी जनपद फतेहपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद कुशीनगर से सम्बन्धित 10 याचिकाएं †

श्री विवेकानन्द पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत खड्डा-सिसवां मार्ग का उच्चीकरण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

2-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत सोनबरसा से छोटी गण्डक तक जाने वाली ड्रेन की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

3-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत खड्डा विद्युत उपकेन्द्र की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

4-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत कौआसार से पकड़ियार होते हुए लक्ष्मीगंज तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

5-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नेबुआ से जटहा बाजार तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री चंचल यादव व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

6-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत एन0एच0-28 बी, शिवदत्त छपरा मोड़ से बंजारी पट्टी होते हुए बेलवा घाट तक मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप विश्वकर्मा व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

7-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत खड्डा व नेबुआ नौरंगिया में बन्द पड़ी पानी की टंकी व नवनिर्मित पानी की टंकियों को संचालित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अविनाश मल्ल व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

8-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत छितौनी-नौतार बन्धा पर रेगुलेटर की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामाशीष निषाद व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका,

9-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत तहसील खड्डा में स्थित नारायण नदी के उस पार के ग्रामों को बिहार प्रान्त में शामिल न किये जाने के सम्बन्ध में श्री शैलेष राय व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद कुशीनगर की विधान सभा क्षेत्र खड्डा के अन्तर्गत नौरंगिया को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिलदेव चौधीर व अन्य निवासीगण जनपद कुशीनगर की याचिका।

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखीमपुर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री विनोद शंकर अवस्थी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड-धौरहरा के अन्तर्गत सिसैरूया चौराहे से अवस्थीपुरवा होते हुए कन्हैयादीनपुरवा तक डामर रोड बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अनुज अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका,

2-जनपद लखीमपुर के विकास खण्ड-ईसानगर के अन्तर्गत बहराइच पुरवा लिंक मार्ग से प्राथमिक विद्यालय कैरातीपुरवा तक सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गया प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका तथा

3-जनपद लखीमपुर के अन्तर्गत विकास खण्ड-धौरहरा में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नूलाल व अन्य निवासीगण जनपद लखीमपुर की याचिका।

श्री विनोद कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रतापगढ़ से सम्बन्धित याचिका (व्यपगत)†

श्री विनोद कुमार, सदस्य विधान सभा जनपद प्रतापगढ़ के विधान सभा क्षेत्र बाबागंज के अन्तर्गत राजकीय औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, भिटारा, बिहार, प्रतापगढ़ के निर्माणाधीन भवन का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नितिन शुक्ल व अन्य निवासीगण जनपद प्रतापगढ़ की याचिका उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुई।

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद से सम्बन्धित याचिका†

श्री जियाउर्रहमान, सदस्य विधान सभा की जनपद मुरादाबाद के विधान सभा क्षेत्र कुन्दरकी में सरकारी विश्वविद्यालय के स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद व अन्य निवासीगण जनपद मुरादाबाद की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री हंसु राम, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री हंसु राम, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा के ग्राम कुण्डेल मोड़ से बासपार बहोरवा अम्बेडकर जी की मूर्ति तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शाहिद समाजवाद व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा में विशुनपुरा चट्टी से जेठवार चाड़ी तक जर्जर रोड का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा में सोनाडीह हाहानाला से सोनाडीह चट्टी तक रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया की तहसील बेल्थरा में 100 बेड का अस्पताल खोले जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

5-जनपद बलिया के ग्राम चकिया में विशाल हाल मोड़ से चकिया पाठशाला तक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित याचिका†

श्री हाकिम लाल बिन्द, सदस्य विधान सभा जनपद प्रयागराज के विधान सभा क्षेत्र हण्डिया के विकास खण्ड धनुपुर के अन्तर्गत ग्राम सभा शाहीपुर नहर से धारूपुर पासी बस्ती तक के सम्पर्क मार्ग का नवनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब यादव व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य विधान सभा की जनपद मुजफ्फरनगर से सम्बन्धित 34 याचिकाएं†

श्री पंकज कुमार मलिक, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ब्लॉक बघरा के ग्राम नसीरपुर से लड़वा सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक व अन्य निवासी, जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

2-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम लड़वा के पानीपत-खटीमा मार्ग से खटीमा सड़क मार्ग को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री कालू मुखिया व अन्य निवासी, जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

3-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के बघरा-हरसौली-माण्डी मार्ग में लघु सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कविन्दर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

4-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लॉक बघरा, ग्राम बरवाला से कल्याण इण्टर कालेज सड़क मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिन्टू बालियान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लॉक सदर के ग्राम लच्छेड़ा में प्राथमिक विद्यालय की बिल्डिंग बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री वीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

6-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम लसेड़ी दुदाधारी से पिन्ना सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित व अन्य निवासी, जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

7-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम कानाखेडी से न्यामू सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

8-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम घिस्सूखेड़ा से कुटेसरा नहर की पटरी सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजामोहन त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

9-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम निरधना से चरथावल सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलम प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

10-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम हरसौली सम्पर्क मार्ग में लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आबिद प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

11-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ग्राम देहचन्द कुटेसरा मार्ग से घिस्सूखेड़ा लिंक मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

12-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ब्लॉक बघरा के ग्राम तिरपड़ी के बघरा से अलीपुर खुर्द सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जनेश्वर त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

13-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ब्लॉक बघरा के ग्राम गढ़ी में देशराज से बघरा सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिट्टू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

14-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ब्लॉक सदर के ग्राम जड़ौदा में एन0एच0-58 से जड़ौदा मार्ग सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नीरज शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

15-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में मुजफ्फरनगर-थाना भवन से मथुरा सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

16-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में मुजफ्फरनगर-शामली मार्ग से सोहजनी जाटान तक सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

17-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में पानीपत-खटीमा मार्ग से छतेला सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलम व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

18-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में राजकीय इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र त्यागी व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

19-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम बलवाखेड़ी से क्यामपुर सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बिलाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

20-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम तितावी से तितावी शुगर मिल सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

21-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम रोहाना-चरथावल मार्ग से रसूलपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

22-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम रोनी हाजीपुर से हरनाकी सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मेहताब व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

23-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम रोनी हाजीपुर से भमेला मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पुण्डीर व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

24-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल में ग्राम जसोई से छतौना सड़क मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धरमपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

25-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा के जड़ौदा में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती किये जाने विषयक श्री भोपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

26-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा में बस स्टैण्ड से खटिकों के मन्दिर तक जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने विषयक श्री आसिफ व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

27-जनपद मुजफ्फरनगर के ब्लाक बघरा में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती किये जाने विषयक श्री भोपाल व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

28-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम साल्हखेती से बुढ़ीना कलां तक सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 2.3 कि0मी0 अत्यधिक जर्जर होने के कारण बनवाने के सम्बन्ध में श्री उपेन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

29-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक सदर के अन्तर्गत ग्राम बहादुरपुर में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में श्री राजू व अन्य निवासी, जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

30-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम नसीपुर में एक स्वास्थ्य उपकेन्द्र है, जिसकी बिल्डिंग जर्जर होने के कारण बनवाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

31-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम जसोई में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में डॉ0 अंकित व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

32-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के ब्लाक बघरा के अन्तर्गत ग्राम लालूखेड़ी में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र की बिल्डिंग का निर्माण कराने के सम्बन्ध में श्री अरुण व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका,

33-जनपद मुजफ्फरनगर के विधान सभा क्षेत्र चरथावल के लच्छेड़ा से साझक नाले तक सड़क मार्ग लम्बाई लगभग 2 कि0मी0 का निर्माण करवाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका तथा

34-जनपद मुजफ्फरनगर ग्राम अमीन नगर, ब्लाक बघरा, विधान सभा क्षेत्र चरथावल के अन्तर्गत ग्राम अमीन नगर में पशु चिकित्सालय में चिकित्सक की तैनाती के सम्बन्ध में टोनू व अन्य निवासीगण जनपद मुजफ्फरनगर की याचिका।

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 14 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री पंकज गुप्ता, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में फ्लोराइडयुक्त भू-जल की बहुलता वाले ग्रामों में आर0ओ0 युक्त पानी की टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में बनी से कंजौरा होते हुए हाफिजाबाद मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालजी रावत व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में भटपुरवा से कणिकामऊ मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में पावा जंगेनगर सम्पर्क मार्ग से जगाखेड़ा होते हुए विधनू मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनन्जय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में उन्नाव शहर सीमा के अन्तर्गत नवीन विकसित बस्ती में नई विद्युत लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में उन्नाव अचल मार्ग से ग्राम डीह नहर के किनारे तक अवस्थित मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में फत्तेपुरा चौराहे से हाजीपुर मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम बाबू लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में गंगाघाट नगर में नई विकसित कालोनियों में नई विद्युत लाइन बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री भरत भूषण तिवारी व अन्य निवासीगण, जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में ग्राम मोमनपुर भदेंउना सम्पर्क मार्ग से मक्का बाबा होते हुए परियर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्ना कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में ग्राम मुन्ना खेड़ा से भांगू खेड़ा सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में ग्राम भदियार से कुशली खेड़ा मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में ग्राम अगेहरा से गंगौली मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम किशोर व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

13-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में लखनऊ-कानपुर हाई-वे से ग्राम हैबतपुर-घोंघी सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

14-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र सदर में दो वर्ष से बन्द पड़े पुराने गंगा पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आदित्य त्रिपाठी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री पीयूष रंजन निषाद, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा बघेड़ा में काले बस्ती से श्याम सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रामपति व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

2-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा कटरा मेडरा सम्पर्क मार्ग से एम0एल0 पब्लिक स्कूल, कटका तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा में श्री सीताराम के घर से परमानन्द पटेल के घर तक 200 मी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रेखा कुमारी व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका,

4-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा सेमरहा उपरहार में विद्युत ट्रान्सफार्मर 16 के0वी0ए0 से 25 के0वी0ए0 का किये जाने के सम्बन्ध में श्री शंकर व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका तथा

5-जनपद प्रयागराज के विकास खण्ड करछना के ग्राम सभा अरई बड़का का पुरवा में पूर्व में बनी मंशी पटेल के घर से बाबा के चौराहा तक मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्रजीत पटेल व अन्य निवासीगण जनपद प्रयागराज की याचिका।

श्री पल्टूराम, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री पल्टूराम, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलरामपुर की तहसील उतरौला के अन्तर्गत बाढ़ खण्ड द्वारा किसानों की भूमि का मुआवजा देने के सम्बन्ध में श्री विनोद वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत एम0एल0टी0डी0 बांध को पक्का बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बिजेन्द्र तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत अमृत सरोवर योजना के अन्तर्गत चाउरखाता मन्दिर पर स्थित तालाब का सौन्दर्यीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री घनश्याम यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

4-जनपद बलरामपुर की तहसील बलरामपुर के अन्तर्गत अग्नि शमन केन्द्र के बाउण्ड्रीवाल व आरक्षियों के रहने हेतु बैरक इत्यादि का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं †

श्री प्रसन्न कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र-10, सदर, शामली में नगर पालिका परिषद् वार्ड सं0-13 में देवयोग कालोनी में राजवाहा पटरी से रवि कुमार के मकान तक लगभग 70 मी0 सी0सी0 रोड एवं नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री डॉ0 कपिल व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली में स्थित दोआब शुगर मिल के दक्षिण की ओर से ग्राम लिलौन तक जाने वाले मुख्य मार्ग का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबा संजय कालखण्डे व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र शामली में कांधला-गंगेरू से गढ़ी दौलत लिंक रोड का पुनः निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राशिद जंग व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 19 याचिकाएं†

श्री प्रदीप कुमार चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम लुधियाना में राहुल के घर से पूसा के घर तक रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा के अन्तर्गत ग्राम खेतलपुर भसौली में रामवीर के घर से हरकेश बाल्मीकि के घर तक सड़क बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

3-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम गढिया में नाली व रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम राम विहार कालोनी, बुलन्दशहर में नाली व रास्ते का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

5-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चिट्टा में रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मदन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

6-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम चिट्टा में रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निरंजन चिट्टा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

7-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम निमचाना में रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रूप कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

8-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नीमखेड़ा में माता मन्दिर से मुकेश शर्मा के घर तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

9-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नैथला में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

10-जनपद बुलन्दशहर की सदर विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम सूजापुर में पथवारी मन्दिर से डालू के घर तक रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

11-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम खेतलपुर भांसौली में श्री रामवीर सिंह के घर से हरकेश वाल्मीकि के घर तक इण्टरलॉकिंग निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित जादौन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

12-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम खेतलपुर भांसौली में रास्ते के निर्माण के सम्बन्ध में श्री अंकित जादौन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

13-जनपद बुलन्दशहर सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत किसौली में रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनित तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

14-जनपद बुलन्दशहर सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम धमरावली में सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री उज्जवल गौड व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

15-जनपद बुलन्दशहर सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम अगोता में रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

16-जनपद बुलन्दशहर सदर विधान सभा क्षेत्र-65 के अन्तर्गत ग्राम शेरपुर में प्रेम सैनी के घर से जस्स ठेकेदार के घर तक रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन खारी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

17-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत धमैडा अड्डा, वार्ड-32 में कतिपय मार्गों के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम प्रकाश व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

18-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत मोहनकुटी में सरकारी ट्यूबवेल से अरुण सक्सेना के मकान तक नाली व रास्ता निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

19-जनपद बुलन्दशहर के अन्तर्गत ग्राम किसौली में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनित तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 07 याचिकाएं[†]

श्री रमेश चन्द्र मिश्र, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत एन0एच0-56 से सिंगरामऊ (राजा हरपाल सिंह डिग्री कालेज) से गौरामाफी-प्रतापगढ़ बार्डर तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र बदलापुर के अन्तर्गत एन0एच0-731 मिश्रौली से रतासी होते हुए इमिलियाघाट (सुल्तानपुर) बार्डर तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत बुढ़ूपुर से पट्टी नरेन्द्रपुर बाजार तक के सम्पर्क मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अवधेश सिंह व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के अन्तर्गत पटैला बाजार से रसूलपुर ग्राम सभा तक सम्पर्क मार्ग का मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आलोक तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज के ब्लॉक सुइथाकला, सोंधी, खुटहन में बचे हुए ग्रामों का चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वंश बहादुर पाल व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

6-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में औद्योगिक क्षेत्र ताखा पूरब के विस्तारीकरण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

7-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र शाहगंज में औद्योगिक क्षेत्र ताखा पूरब से गुजरने वाली सड़क की मरम्मतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील अग्रहरि व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य विधान सभा की जनपद चन्दौली से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री रमेश जायसवाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-04 गिधौली में विवेक शर्मा के घर से महारानी माता मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विवेक शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

2-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-04 गिधौली में पंचम सोनकर के घर से सांई मन्दिर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचम सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

3-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-06 महमूदपुर में गोविन्द वाटिका के पीछे राजकुमार श्रीवास्तव के घर से अमरेन्द्र प्रताप सिंह के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

4-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के के गांधीनगर कैथापुर-कोहरान रोड पर प्रभुमल के मकान से सुनील शर्मा सभासद के घर तक इण्टरलॉकिंग व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभुमल व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

5-जनपद चन्दौली के बनौली कलां गांव से रजवाहा शाहपुर से होकर श्री कण्ठपुर भिखारीपुर-अकोढ़ा मार्ग तक पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

6-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-14 में परशुराम शर्मा में आकाश शर्मा उर्फ कीर्ति शर्मा के मकान से नागेश्वर प्रसाद के मकान से होते हुए झूलन पाण्डेय के मकान तक सड़क व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री परशुराम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-15 के हनुमानपुर अहिरान में नन्दलाल गुप्ता के मकान से पप्पू ठेकेदार से होते हुए विरेन्द्र तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दलाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका,

8-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-15, हनुमानपुर में मंसूर सलाम रोड से शाह आलम के मकान तक पिच रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मंसूर आलम व अन्य निवासीगण, जनपद चन्दौली की याचिका,

9-जनपद चन्दौली के मुगलसराय के वार्ड नं0-06 में सोनकर बस्ती में अशोक सोनकर, सोनू सोनकर के मकान से होते हुए विरल सोनकर के मकान तक रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक सोनकर व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका तथा

10-जनपद चन्दौली के पं0 दीन दयाल नगर के कैलाशपुरी फेस-2 में जयनाथ शर्मा के मकान तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयनाथ शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद चन्दौली की याचिका।

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद झांसी से सम्बन्धित 11 याचिकाएं†

श्री रवि शर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी के उन्नाव गेट बाहर, नागोजी का कुआं क्षेत्र में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोतीलाल कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के वार्ड नं0-9, हंसारीगिर्द-2 की हरिजन कालोनी में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेश समाधिया व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के वार्ड नं0-2, तालपुरा प्रथम के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती जामवती व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के वार्ड नं0-23, लहरगिर्द, राम एन्क्लेव में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आर0 के0 श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

5-जनपद झांसी के वार्ड नं0-24, श्रीनगर में सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुन्नालाल व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद झांसी के गुरसरांय में स्थापित खैर इण्टर कालेज में कृषि संकाय हेतु ग्रान्ट-इन-एड की स्वीकृति प्रदान किये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोहर लाल निवालकर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

7-जनपद झांसी के वार्ड नं0-22, बिजौली मौजा का चौकापाठा एवं वार्ड नं0-24, सिमराहा मौजा का कारापाठा क्षेत्र में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जितेन्द्र तोमर व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

8-जनपद झांसी के वार्ड नं0-24, श्रीनगर में मनोज अहिरवार के मकान से श्री यशपाल अहिरवार के मकान तक सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

9-जनपद झांसी के नई बस्ती क्षेत्र में रजनी विवाह घर के सामने शंकर जी के मन्दिर से शियों की मस्जिद तक पेयजल आपूर्ति हेतु पाइप लाईन डलवाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र खरे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

10-जनपद झांसी के वार्ड नं0-27, डडियापुरा द्वितीय, बड़ागांव गेट बाहर के विभिन्न क्षेत्रों में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

11-जनपद झांसी के वार्ड नं0-2 एवं वार्ड नं0-54 में कालीमाई से कैलाश रेजीडेन्सी के पीछे तक नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती रमा कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका।

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 07 तथा जनपद मेरठ से सम्बन्धित 01 याचिका†

श्री रविदास मेहरोत्रा, सदस्य विधान सभा निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजा बाजार वार्ड में कतिपय स्थानों पर हैंगिंग कूड़ेदान लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री असवाक व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजा बाजार वार्ड में पानी की टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नौशाद व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजा बाजार वार्ड में सीवर की मरम्मत का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फारूख जहां व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में राजा बाजार वार्ड में पानी की टंकी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री हसीन व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

5-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में तिलक नगर वार्ड के अन्तर्गत रामनगर एल0डी0ए0 कालोनी में ट्यूबवेल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

6-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में तिलक नगर वार्ड के अन्तर्गत रामनगर एल0डी0ए0 कालोनी में नालों को साफ कराकर ढकवाये जाने के सम्बन्ध में श्री तारा चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

7-जनपद लखनऊ के मध्य विधान सभा क्षेत्र में गणेशगंज में कतिपय सड़कों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित यादव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

8-उ0प्र0 के मेरठ नगर के पुश्तैनी टिम्बर एसोसिएशन आरा मशीन व्यापारियों को लाइसेन्स दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री आसिम मार्शल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 13 याचिकाएं†

श्री श्रीकान्त कटियार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत उम्मरपुर प्रीतम में तालाब के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री कुलदीप कुमार सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद की ग्राम पंचायत रोशनाबाद में सई नदी पर लघु सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री रोवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत मंझरिया कलां में कोइलीखेड़ा जाने वाले मार्ग पर कल्याण नदी पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री धनपति लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के पावर स्टेशनों की हाई वोल्टेज जर्जर कतिपय लाइनों को बदलवाये जाने के सम्बन्ध श्री धर्मेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के पावर स्टेशनों की क्षमता बढ़ाने के सम्बन्ध श्री धर्मेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत पखरापुर में वृहद गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री पुत्तीलाल गौतम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

7-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत फिरोजपुर खुर्द के मजरा पण्डाखेड़ा में प्राचीन मंशारानी माता मन्दिर के नाम से द्वार बनवाये जाने के सम्बन्ध श्री रोहित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

8-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड एफ-84 की ग्राम पंचायत फिरोजपुर खुर्द के मजर छत्ताखेड़ा में प्राथमिक विद्यालय बनवाये जाने के सम्बन्ध श्री रोहित सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

9-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बांगरमऊ के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद की ग्राम पंचायत अटवा में लगे ट्रान्सफार्मर 63 के0वी0ए0 के स्थान पर 100 के0वी0ए0 का किये जाने के सम्बन्ध श्री जयपाल सिंह पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

10-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र एवं तहसील बांगरमऊ में बार एसोसिएशन भवन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध श्री योगेश राजपूत 'एडवोकेट' व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

11-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम पंचायत हसनपुर मजरा चौराहे से ग्राम खम्भौली तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध श्री मोनू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

12-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र बांगरमऊ के विकास खण्ड गंजमुरादाबाद के ग्राम पंचायत गोशाकुतुब से शारदा नहर पुल तक डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध श्री अरुणेन्द्र पटेल व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

13-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र तथा नगर पालिका, बांगरमऊ के अन्तर्गत वृहद् (हाईटेक) गौशाला निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्दीप बाजपेई व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राकेश पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर से कस्बा जलालपुर जी0जी0आई0सी0 से नसोपुर पुल तक रोड का चौड़ीकरण/उच्चीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बच्चू लाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पंचायत हचपुरा चौराहे रसूलपुर-बाकरगंज होते हुए कालेपुर-महुवल तक जर्जर व पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त मार्ग जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक राजभर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर की ग्राम पंचायत सोहगूपुर चौराहे से शिवपाल इण्टर कालेज मार्ग तक क्षतिग्रस्त रोड को बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री पंचम पाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विधान सभा क्षेत्र जलालपुर के ग्राम पंचायत बाबा झारखण्ड से कबूलपुर तक खड़ण्जा से डामर रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री छबीले मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड भियांव के अन्तर्गत प्रतापपुर पुलिया से मुंडेहरा-बन्दीपुर मुख्य मार्ग का सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र मिश्र, निवासी जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री रामदुलार, सदस्य विधान सभा की जनपद सोनभद्र से सम्बन्धित याचिका †

श्री रामदुलार, सदस्य विधान सभा की जनपद सोनभद्र की विधान सभा क्षेत्र दुद्धी में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शोभनाथ व अन्य निवासीगण जनपद सोनभद्र की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राम अचल राजभर, सदस्य विधान सभा की जनपद अम्बेडकरनगर की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-इल्तिफातगंज सम्पर्क मार्ग से जमुनीपुर शारदा सहायक नहर से हरीपुर-कादीपुर मठिया आगे तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामसजीवन पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

2-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-मालीपुर सम्पर्क मार्ग से मरैला जेल पीरपुर के आगे तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देवेन्द्र भास्कर व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

3-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-जलालपुर सम्पर्क मार्ग से रोशनगढ़-सभईराम राजगीर के घर के आगे तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जवाहिर कन्नौजिया व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

4-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-जलालपुर सम्पर्क मार्ग से चकिया अमरतल दरगाहशाह रमजान तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जग्गीलाल व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका तथा

5-जनपद अम्बेडकरनगर के विकास खण्ड अकबरपुर के अन्तर्गत अकबरपुर-जलालपुर सम्पर्क मार्ग सन्तकबीर विद्यालय से सिकरोहर होते हुए जाफरागंज तक नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय गौतम व अन्य निवासीगण जनपद अम्बेडकरनगर की याचिका।

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर से सम्बन्धित याचिका †

श्री राजेश त्रिपाठी, सदस्य विधान सभा की जनपद गोरखपुर की तहसील गोला में राप्ती नदी के किनारे 5 कि0मी0 अधूरे बन्धे, रेगुलेटर, पम्प हाउस बनाने के सम्बन्ध में श्री शिवाजी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोरखपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद बस्ती से सम्बन्धित 06 याचिकाएं †

श्री राजेन्द्र प्रसाद चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बस्ती की तहसील रुधौली के ग्राम मुगरहा में सी0सी0 रोड बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रदीप कुमार, निवासी जनपद बस्ती की याचिका,

2-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के अन्तर्गत चन्दोखा से इटैहिया तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गणेश गिरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

3-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत भानपुर-तेनुआ-असनहरा से खोड़ारे-बभनान मार्ग के कुआनों नदी के बालकघाट पर पुल निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र यादव व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

4-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर के अन्तर्गत तेनुआ-असनहरा चौराहा से गुरुचरनडीह तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनिकराम चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका,

5-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर में तेनुआ-असनहरा के करमहिया बाजार से बहेरवा जाने वाले मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्द्र चौधरी व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका तथा

6-जनपद बस्ती की तहसील भानपुर विधान सभा क्षेत्र-रुधौली के अन्तर्गत शंकरपुर से चन्दोखा तक सी0सी0 रोड व नाली निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द निषाद व अन्य निवासीगण जनपद बस्ती की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से 01 तथा जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री संजय कुमार शर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अनूपशहर के गांव अमरपुर में डीलर के घर से चामड़ तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड अगौता के गांव खेड़ी में नौरंग के घर से चौपल तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड लखावटी के गांव ख्वाजपुर-अशरफपुर में पंचायत घर से पथवारी मन्दिर तक सी0सी0 रोड व नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पिन्टू लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विकास खण्ड लखावटी में खण्ड-10 की शिवाली नहर पर शिवाली से लखावटी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतवीर सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के मौहल्ला गीतापल्ली, मजार तिराहा, थाना-कृष्णानगर में मजार के सामने वाली सर्विस रोड पर दुकानें हटवाये जाने के सम्बन्ध में श्री एस0 पी0 श्रीवास्तव व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री संग्राम सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया के विकास खण्ड हनुमानगंज में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजू राजभर व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहाव में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विकास खण्ड सोहाव में आई0टी0 बन्धा से प्रधानमंत्री सड़क बबनौली मार्ग से छप्पन के डेरा तक सम्पर्क मार्ग का लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामेश्वर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

4-जनपद बलिया के विकास खण्ड फेफना में कतिपय मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामाधार यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री स्वामी ओउमवेश, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर के ग्राम बोहरा से ग्राम बाजीदपुर होते हुए ग्राम संसारपुर तक सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लवकुमार, निवासी जनपद बिजनौर की याचिका तथा

2-जनपद बिजनौर की तहसील चांदपुर के ग्राम मीरापुर से ग्राम कमालपुर तक सड़क की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदार सिंह, निवासी जनपद बिजनौर की याचिका उपसित की हुई मानी गई।

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्री सुरेन्द्र चौरसिया, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत बैकुंठपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भारत भूषण जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत विशुनपुरा बाजार से बरियापुर होते हुए देवरिया-गोरखपुर तक बस चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र, भटनी का कायाकल्प कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहन लाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत नगर पंचायत बरियापुर व नगर पंचायत रामपुर कारखाना में अमृत योजना के तहत हर घर में पानी पहुंचाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनिवास पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

5-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत गोरयाघाट-कंचनपुर मार्ग के चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील शाह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

6-जनपद देवरिया के विधान सभा क्षेत्र रामपुर कारखाना के अन्तर्गत ग्राम सभा कुशहरी में जर्जर बिजली के तार एवं पोल बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की जनपद शाहजहांपुर से सम्बन्धित

04 याचिकाएं†

श्रीमती सलोना कुशवाहा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत रोडवेज बस स्टेशन का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिषेक कुशवाहा व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

2-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत गर्ल्स डिग्री कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनीष मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका,

3-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के अन्तर्गत तिलहर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सौरभ गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका तथा

4-जनपद शाहजहांपुर की तहसील तिलहर के ब्लाक निगोही के अन्तर्गत गर्ल्स इण्टर कालेज का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद शाहजहांपुर की याचिका।

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद सुल्तानपुर से सम्बन्धित

03 याचिकाएं †

श्री दुर्गा प्रसाद यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम सभा कूरेभार में चाचा नेहरू इण्टर कालेज की मुख्य मार्ग हलियापुर-बेलवाई सम्पर्क मार्ग से जोड़ते हुए पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सेन यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका,

2-जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम सभा भटवारा के मजरा-बन राजा का पुरवा से प्राइमरी पाठशाला, भटवारा तक सम्पर्क मार्ग पर इण्टरलॉकिंग एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सेन यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका तथा

3-जनपद सुल्तानपुर की तहसील सदर, विकास खण्ड कूरेभार के अन्तर्गत ग्राम सभा भटवारा के मजरा बभनगवां को मुख्य मार्ग हलियापुर-बेलवाई सम्पर्क मार्ग से जोड़ते हुए पिच रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजय सेन यादव व अन्य निवासीगण जनपद सुल्तानपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित

03 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र सिंह लोधी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दहशर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के अन्तर्गत सियाना गढ़ रोड, लखावटी से वाया खानपुर से बसी घाट तक मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूल सिंह सैनी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दहशर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम गजरौला के पास माण्डव ऋषि आश्रम का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रतनदीप लोधी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

3-जनपद बुलन्दहशर की विधान सभा क्षेत्र स्याना के ग्राम गजरौला मार्ग से श्री सिद्ध बाबा मन्दिर तक का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित

07 याचिकाएं†

श्री देवेन्द्र प्रताप सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील डलमऊ में घोरवारा चौकी को थाना बनाकर उच्चीकृत करने के सम्बन्ध में श्री करन बहादुर मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

2-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील लालगंज बाईपास पर 232-राष्ट्रीय राजमार्ग पर क्षतिग्रस्त उपरिगामी पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अल्ताफ अहमद व अन्य निवासी, जनपद रायबरेली की याचिका,

3-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील लालगंज बाईपास पर 232-राष्ट्रीय राजमार्ग पर दुर्घटनाओं के रोकथाम हेतु मध्य में डिवाइडर ट्रकों के लिए लेबाइट व सुरक्षा चिन्ह बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री भाय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

4-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील लालगंज में ग्राम खजूरगांव में 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उपकेन्द्र अधिष्ठापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील लालगंज में ग्राम रामपुर व सिघौरतारा के मध्य गंगा जी पर 5 क्यूसेक लिफ्ट सिंचाई परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका,

6-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के तहसील लालगंज व डलमऊ से बहती गंगा जी को प्रदूषण मुक्त एवं अविरल बनाने की समुचित कार्य योजना बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज यादव व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका तथा

7-जनपद रायबरेली के विधान सभा क्षेत्र सरेनी के ग्राम कनहा रेलवे फाटक से ग्राम बेलहनी तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दीपक कुमार व अन्य निवासीगण जनपद रायबरेली की याचिका।

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री चन्द्रपाल सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत माता बेलौन देवी मन्दिर के सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोनू प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत राजघाट चौराहे का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विन्नामी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के अन्तर्गत त्रिवेणी शुगर मिल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत कारखाना (फैक्ट्री) लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

5-जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक डिबाई के अन्तर्गत स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्री तुफानी सरोज, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01 तथा जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री तुफानी सरोज, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा एवं टाउन एरिया क्षेत्र केराकत के अन्तर्गत मेहन्दी टोला, गोला बाजार, नाला पार में जर्जर विद्युत लाइन बदलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दुधनाथ यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र जफराबाद के अन्तर्गत जलालपुर थाना गद्दी राजमार्ग पर उपरिगामी सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण कुमार यादव व अन्य निवासीगण जनपद जौनपुर की याचिका तथा

3-जनपद लखनऊ के विकास खण्ड चिनहट के अन्तर्गत सरस्वतीपुर-खरगापुर में सड़क तथा नाले का निर्माण एवं विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 विनोद कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 12 याचिकाएं†

श्री जय प्रकाश अंचल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलिया की नगर पंचायत बैरिया में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़े वर्ग तथा अल्पसंख्यक समाज के निर्धन परिवार के लोगों को निर्बल आवास स्वीकृत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राधेश्याम कुशवाहा, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड बेलहरी के अन्तर्गत एन0एच0-31, बलिया-माझीघाट मार्ग शुक्ल छपरा से सुनील यादव के घर तक सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड मुरलीछपरा के अन्तर्गत लालगंज बाजार से शिवपुर कपूर दियर गंगाघाट तक के मार्ग का सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के भगवानपुर से रामनगर तक के मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम मौर्य, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के श्रीनगर से दलछपरा होकर कोल नाला चट्टी रेवती बैरिया मार्ग तक के मार्ग का सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राकेश वर्मा, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

6-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत वी0एस0टी0 बांध बहुआरा से सतीघाट मुसैला तक के मार्ग को सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री एकराम यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

7-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत गोपालपुर के उदईछपरा, दुबेछपरा आदि ग्रामों को बरसात के दिनों में गंगा नदी में आने वाली बाढ़ से बचाये जाने के सम्बन्ध में श्री रवि मिश्रा, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के विकास खण्ड रवेती बैरिया मार्ग पर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री निवास यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

9-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत नगर पंचायत बैरिया में जर्जर विद्युत तार व पोल बदले जाने के सम्बन्ध में श्री संजय यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

10-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत सुरेमनपुर रेलवे क्रासिंग पर उपरिगामी सेतु निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील यादव, निवासी जनपद बलिया की याचिका,

11-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बैरिया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत खरिका के मुख्य सी0सी0 मार्ग को पुनः सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 पुरुषोत्तम, निवासी जनपद बलिया की याचिका तथा

12-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बेल्थरा के विकास खण्ड सीयर के अन्तर्गत ग्राम चन्दाडीह नहर मार्ग से किशोरगंज तक सी0सी0/लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभयेश कुमार मिश्रा, निवासी जनपद बलिया की याचिका।

श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री जय कुमार सिंह 'जैकी', सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर की विधान सभा क्षेत्र बिन्दकी में गंगा नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज शुक्ला व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

2-जनपद फतेहपुर की नगर पालिका परिषद् बिन्दकी में जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुजीत उमराव व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

3-जनपद फतेहपुर के बिन्दकी नगर स्थित बस स्टेशन का सौन्दर्यीकरण एवं शौचालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अतुल द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

4-जनपद फतेहपुर के चौडगरा-बिन्दकी-ललौली मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानु प्रताप सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

5-जनपद फतेहपुर के ग्राम इटरौरा-पिलखिनी-यूपीएसआईसी क्षेत्र होते हुए जल निकासी की व्यवस्था कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश पटेल व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य विधान सभा की जनपद देवरिया से सम्बन्धित 11 याचिकाएं †

श्री जय प्रकाश निषाद, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर के बथुआ नाला के दूसरी तरफ दक्षिण पश्चिम से सेमरौता के तरफ के भी घाट लगभग 500 मीटर का रीवर फ्रण्ट, सीढ़ी, चबूतरा आदि व पक्का घाट बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री तेज प्रताप गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

2-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर के अन्तर्गत एक राजकीय डिग्री कालेज तथा एक राजकीय पॉलीटेक्निक कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गिरीश नरायन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

3-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर के अन्तर्गत निवही मार्ग के मझना नाला पर जर्जर पुल के स्थान पर नया सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रभाकर पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

4-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में राप्ती-गोर्रा नदी के कटान से दर्जनों गांवों में बन्धों का नदियों द्वारा हो रहे कटान के जी0ओ0 बैक कंक्रीट पाईलेट प्रोजेक्ट के द्वारा पिचिंग कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संगमधर द्विवेदी व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

5-जनपद देवरिया के इमीलिया बैरिया, फतेहपुर, पकड़ी बाजार के बैरिया कुर्ना नदी पर बने जर्जर पुल के स्थान पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विरेन्दर निषाद व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

6-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर के अन्तर्गत राप्ती, गोर्रा तथा बथुरा नदी में बन्धे के बीच के ग्राम के बगल गाय घाट व पटवनिया में पम्प का निर्माण करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

7-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर के अन्तर्गत ग्रामीण क्षेत्र में स्टेडियम बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सूर्यभान सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

8-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर में राप्ती नदी ग्राम नकइल ददरी घाट पर वर्षों से लग रहे पीपा पुल के स्थान पर पक्का पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमन सिंह व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

9-जनपद देवरिया की तहसील रुद्रपुर व नगर पंचायत रुद्रपुर में चकबन्दी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

10-जनपद देवरिया के तहसील मुख्यालय नगर पंचायत रुद्रपुर के जर्जर बस स्टेशन के स्थान पर नया बस स्टेशन भवन बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजीव गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका तथा

11-जनपद देवरिया के नगर पंचायत रुद्रपुर में लगी पानी की टंकी व ट्यूबवेल से जलापूर्ति करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री दिलीप जायसवाल व अन्य निवासीगण जनपद देवरिया की याचिका।

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 01, जनपद कानपुर से सम्बन्धित 01, जनपद उन्नाव से सम्बन्धित 01 तथा जनपद झांसी से सम्बन्धित 10 याचिकाएं†

श्री जवाहर लाल राजपूत, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद झांसी की तहसील गरौठा व मोंठ में स्थित मुन्सिफ कोर्ट में अधिवक्ताओं हेतु चैम्बर का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिओम दुबे व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

2-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत धसान नदी पर प्रधानमंत्री स्प्रिंकलर सिंचाई योजना शुरू करने हेतु धनराशि आवंटन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

3-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत मोंठ में धान मिल लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरजीत राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

4-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के अन्तर्गत गुरसरांय क्षेत्र में किसानों के फसल को रखने हेतु वेयरहाउस का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

5-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में बने ए0डी0जे0 कोर्ट भवन को चालू कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रकाश चन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

6-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में अस्ता का तालाब को खुदवाकर सिंचाई हेतु बड़ा तालाब बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजकुमार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

7-जनपद लखनऊ के अलीगंज कालोनी में स्थित उस्मान एन्क्लेव (भूतपूर्व सैनिक) में टूटी/गड्ढेयुक्त सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री के0 के0 सेठ व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

8-आयुष विभाग, उ0प्र0 द्वारा वार्षिक वेतन वृद्धि बहाल किये जाने के सम्बन्ध में श्री त्रिभुवन नारायण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद कानपुर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

9-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में धसान नदी पर विश्वामित्र जन्मस्थली झारखण्ड गुढ़ा को सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनूप पाठक व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

10-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा के ग्राम सिमरधा में पानी की निकासी हेतु नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

11-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में भसनेह बांध/बड़वार झील को गहरा किये जाने के सम्बन्ध में श्री अखिलेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका,

12-जनपद झांसी के विधान सभा क्षेत्र गरौठा में स्प्रिंकलर सिंचाई परियोजना स्थापित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमलेश लम्बरदार व अन्य निवासीगण जनपद झांसी की याचिका तथा

13-जनपद उन्नाव की चमियानी माइनर के ग्राम पंचायत रामाअमरापुर के गाटा सं0-1229 के पास पुलिया निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रशान्त लोधी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री अनिल प्रधान, श्री अरविन्द गिरि, श्री गणेश चन्द्र चौहान, श्री राजेश चौधरी अनुपस्थित हैं, श्रीमती गुड़िया कठेरिया, श्री विनय कुमार द्विवेदी इनको दोबारा याचिका देनी पड़ेगी।

निम्नलिखित उपस्थित मा0 सदस्यों की याचिकाएं स्वीकार की गई। श्री अमरेश कुमार, श्री अशरफ अली खान, श्री अताउर्रहमान, श्री अतुल प्रधान, श्री गौरी शंकर वर्मा, श्री गुलाम मोहम्मद, श्री लक्ष्मीराज सिंह, श्रीमती इन्द्राणी देवी, श्रीमती केतकी सिंह, श्रीमती मनीषा अनुरागी, श्रीमती पूनम संखवार, डा0 मुकेश वर्मा, डा0 मनोज कुमार प्रजापति, डा0 शिव प्रताप यादव, डा0 रागिनी, डा0 अमित सिंह चौहान, श्री प्रेम नरायण पाण्डेय, डा0 डी0सी0 वर्मा, श्रीमती सैय्यदा खातून, श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, श्री अभय सिंह, श्री राम अवतार सिंह, श्री राकेश गोस्वामी, श्रीमती जय देवी, श्री मनोज कुमार पाण्डेय, श्री बाबूलाल, श्री बृजेश कुमार रावत तथा श्री छोटेलाल वर्मा।

श्री अमरेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अमरेश कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत 100 बेड के अस्पताल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रोहित वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत दीवानगंज पुलिया का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत अमेठी से ममईमऊ नहर तक जर्जर सड़क का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वरुण सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम खुजौली से करौरा होते हुए नगराम रोड का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमित कुमार व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मोहनलालगंज के अन्तर्गत ग्राम दयालपुर से सिरसैंडी तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', सदस्य विधान सभा की जनपद चित्रकूट से सम्बन्धित 06 याचिकाए (व्यपगत) †

श्री अनिल कुमार 'अनिल प्रधान', सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद चित्रकूट की तहसील कर्वी के ग्राम पहाड़िया बुजुर्ग में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भगवानदीन यादव, निवासी, जनपद चित्रकूट की याचिका,

2-जनपद चित्रकूट के भरतकूप को ब्लॉक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजन यादव, निवासी, जनपद चित्रकूट की याचिका,

3-जनपद चित्रकूट के सरधुवा कर्वी में राजकीय महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामकुमार यादव, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका,

4-जनपद चित्रकूट में कतिपय क्षेत्रों में बस चलवाये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलाब खां, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका,

5-जनपद चित्रकूट में भूमि संरक्षण की तीनों इकाईयों में किये गये भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में श्री रामचन्द्र वर्मा, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका तथा

6-जनपद चित्रकूट में सरधुवा को ब्लाक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री लाल बहादुर निषाद, निवासी जनपद चित्रकूट की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य विधान सभा की जनपद खीरी से सम्बन्धित 04 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री अरविन्द गिरि, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के अन्तर्गत ब्लाक बिजुआ में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र एवं उसमें आक्सीजन आदि की सुविधा उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

2-जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के अन्तर्गत पं0 दीन दयाल उपाध्याय वन चेतना केन्द्र का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री आनन्द सोनी व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका,

3-जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के अन्तर्गत रिंग रोड का शेष भाग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विश्वनाथ सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका तथा

4-जनपद खीरी के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ के अन्तर्गत प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र कुम्भी, परगना मगदापुर, विकास खण्ड कुम्भी, गोला को सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद खीरी की याचिका।

श्री अशरफ अली खान, सदस्य विधान सभा की जनपद शामली से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्री अशरफ अली खान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में स्थित सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र के उच्चीकरण एवं अन्य सुविधाओं से युक्त कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अब्दुल गफ्फार व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका,

2-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के कस्बा जलालाबाद में राजकीय बालिका इण्टर कालेज खोले जाने के सम्बन्ध में श्री वसीउल्ला खान व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका तथा

3-जनपद शामली के विधान सभा क्षेत्र थानाभवन के ग्राम भैसानी इस्लामपुर में इमरान के मदरसे से इस्लामियां मॉडल स्कूल तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में हाजी फिरदौस व अन्य निवासीगण जनपद शामली की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अताउर रहमान, सदस्य विधान सभा की जनपद बरेली से सम्बन्धित

05 याचिकाएं†

श्री अताउर रहमान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की विधान सभा बहेड़ी के अन्तर्गत रिच्छा में राजकीय डिग्री कालेज का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वफउर्रहमान, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद बरेली की विधान सभा बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी मुण्डिया कालोनी रोड से नगर पंचायत फहीदपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री ओमवीर सिंह राठी, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद बरेली की विधान सभा बहेड़ी के अन्तर्गत नगर बहेड़ी से ग्राम मुण्डिया नसीर पुल तक सड़क का चौड़ीकरण कराये जाने विषयक श्री तौसीफ मलिक, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की विधान सभा बहेड़ी के अन्तर्गत नगर रिच्छा, पीलीभीत मार्ग के कुण्डरा कोठी से ग्राम कल्यानपुर तक सड़क का निर्माण कराये जाने विषयक श्री मो0 हारून, निवासी जनपद बरेली की याचिका तथा

5-जनपद बरेली की विधान सभा बहेड़ी में 328 एकड़ जमीन में मेगा फूड पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 अली, निवासी जनपद बरेली की याचिका।

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित

04 याचिकाएं†

श्री अतुल प्रधान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना के कस्बा दौराला में जर्जर तारों को बदलवाने के सम्बन्ध में श्री नीटू प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में बडकली से मटौर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में डॉ0 विजय राठी, निवासी जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सरधना में भामौरी शहीद द्वार से सरधना कस्बा में महादेव मोड़ तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद, निवासी जनपद मेरठ की याचिका तथा

4-जनपद मेरठ के विभिन्न विद्यालयों की छात्रवृत्ति को समय से जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजदीप विकल व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की जनपद जालौन से सम्बन्धित 09 याचिकाएं†

श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी), सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जालौन के उरई नगर के अन्तर्गत लहरियापुरवा में पानी लाइन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयनारायण साहू व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

2-जनपद जालौन के उरई नगर में संरक्षण गृह की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्यम मिश्रा व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

3-जनपद जालौन के उरई नगर में अटल आवासीय भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरि किशोर गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

4-जनपद जालौन के उरई नगर में लोक निर्माण विभाग का पुराना गेस्ट हाउस को बड़ा किये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

5-जनपद जालौन के अन्तर्गत एट-कोटरा मार्ग से सेदनगर तक मार्ग का चौड़ीकरण एवं पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सीताराम पाल व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

6-जनपद जालौन के अन्तर्गत उरई-राठ फोरलेन पर मोहाना-वेतवा पर एक नया पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतू राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका,

7-जनपद जालौन के अन्तर्गत नवसृजित नगर पंचायत एट में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर, निवासी जनपद जालौन की याचिका,

8-जनपद जालौन में उरई के अन्तर्गत ग्राम रगौली में गौशाला का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरुण गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका तथा

9-जनपद जालौन में उरई के अन्तर्गत लोक निर्माण विभाग द्वारा जिला परिषद, उरई से चुर्खी तक सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रविन्द्र सिंह पवार व अन्य निवासीगण जनपद जालौन की याचिका।

श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य विधान सभा की जनपद औरैया से सम्बन्धित 06 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्रीमती गुड़िया कठेरिया, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद औरैया की तहसील औरैया की ग्राम पंचायत दौलतपुर के अन्तर्गत मजरा अनन्तपुर सेंगर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद औरैया की तहसील औरैया के अन्तर्गत बीजलपुर यमुना नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका,

3-जनपद औरैया की तहसील औरैया के अन्तर्गत मुख्य डाकघर भवन का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र उर्फ श्यामू अवस्थी व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका,

4-जनपद औरैया की तहसील औरैया के अन्तर्गत औरैया नगर मण्डी समिति गेट के सामने एन0एच0-19 पर ऐलीवेटेड रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द सेंगर व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका,

5-जनपद औरैया के अन्तर्गत ग्राम पंचायत मई के मजरा नौरी में प्राथमिक/उच्च प्राथमिक विद्यालय निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका तथा

6-जनपद औरैया के अन्तर्गत ग्राम इंगुठिया गोपालपुर के बीच सेंगर नदी पर पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सतेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद औरैया की याचिका।

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की जनपद मेरठ से सम्बन्धित

05 याचिकाएं †

श्री गुलाम मौहम्मद, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के विकास खण्ड जानी के ग्राम खानपुर में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री रहीसुद्दीन व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

2-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के ग्राम राहटा में टायर फैक्ट्री से निकलने वाले धुएं व गन्दे पानी से हो रही स्वास्थ्य समस्याओं से निजात दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री रणवीर दहिया व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

3-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के नगर पंचायत सिवाल खास में पानी के निकासी हेतु पड़े कच्चे नाले का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तसव्वर अली व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका,

4-जनपद मेरठ के विकास खण्ड जानी के ग्राम रसूलपुर धौलड़ी को नगर निगम के अन्तर्गत नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री साबिर व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मेरठ के विधान सभा क्षेत्र सिवाल खास के विकास खण्ड सरूरपुर की नगर पंचायत खिवाई व नगर पंचायत हर्रा को विशेष धनराशि उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गुलजार व अन्य निवासीगण जनपद मेरठ की याचिका।

श्री लक्ष्मी राज, सदस्य विधान सभा की जनपद बुलन्दशहर से सम्बन्धित

18 याचिकाएं†

श्री लक्ष्मी राज, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम नत्थूगढ़ी के मुख्य मार्ग पर क्यामपुर के पुल से जगवीर सिंह के घर तक सी0सी0 मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिन्स तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

2-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम नत्थूगढ़ी के मुख्य मार्ग पर ललित तेवतिया के खेत से प्रशान्त तेवतिया के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिन्स तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

3-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र के अन्तर्गत ग्राम नगला काला से सहपानी तक के क्षतिग्रस्त मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

4-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के ग्राम झाझर-बुलन्दशहर रोड बबलू के भट्टे से ग्राम नवादा से बिरौंड़ी ताजपुर प्राथमिक स्कूल से होते हुए खुर्जा सिकन्दराबाद तक सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीरेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

5-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत चांगौली मोड़ से ग्राम अमीपुर तक सम्पर्क मार्ग का पुनःनिर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र भाटी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

6-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम ककोड नगर में सरस्वती शिशु मन्दिर के पास स्थित श्मशान से लेकर बम्बे की पुलिया तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मोहित सिंघम व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

7-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम हिरनोटी से नहर तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुभाष चन्द्र भाटी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

8-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम भटौना से भोगपुर सम्पर्क मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संदीप तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

9-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सांवली में जी0टी0 रोड से जयवीर सिंह के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सचिन अधाना व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

10-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सूबरा में ऋषिपाल के घर से ककोड तक की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

11-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सूबरा में प्राइमरी स्कूल से पथवारी मन्दिर तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती सुनीता प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

12-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम फरीदपुर से ग्राम खैरपुर तिल तक के मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती दीपा मावी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

13-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम फौलादपुर से ग्राम अगराई सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पुष्पेन्द्र प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

14-जनपद बुलन्दशहर के कस्बा गुलावठी के मो0 श्यौदत्त में नाला निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रिन्स तेवतिया व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

15-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम सहपानी में धरमवीर गिरि के घर से मंगल पण्डित जी के खेत तक मार्ग का इण्टरलॉकिंग का कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुमित गोस्वामी व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

16-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत सहपानी में होली चौक के पास तालाब का सौन्दर्यीकरण एवं पानी की निकासी हेतु नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिंकू गिरि व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका,

17-जनपद बुलन्दशहर के विधान सभा क्षेत्र सिकन्दराबाद के अन्तर्गत ग्राम महेपा जागीर से सिद्धबाबा मन्दिर तक काली सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती दीपा मावी, निवासी जनपद बुलन्दशहर की याचिका तथा

18-जनपद बुलन्दशहर के ग्राम नूरपुर में श्मशान घाट, तालाबों की सफाई व गांव का रास्ता दुल्हेरा मोड़ से मेघराज के घर तक एवं गांव के मेन रोड से गंगालाल शर्मा के घर तक बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बुलन्दशहर की याचिका।

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य विधान सभा की जनपद श्रावस्ती से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्रीमती इन्द्राणी देवी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद श्रावस्ती की तहसील भिनगा जिला मुख्यालय से लक्ष्मनपुर बाजार तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री फूलचन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका तथा

2-जनपद श्रावस्ती के विधान सभा क्षेत्र भिनगा के अन्तर्गत बेचईपुरवा से लक्ष्मनपुर बाजार तक के मार्ग का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विद्याराम वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद श्रावस्ती की याचिका।

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बलिया से सम्बन्धित 17 याचिकाएं†

श्रीमती केतकी सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं-

1-जनपद बलिया की ग्राम पंचायत हुसैनाबाद में श्री बाबा के मकान से श्री मुनाका दुबे के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीदुबे व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

2-जनपद बलिया की ग्राम पंचायत हुसैनाबाद में श्री मनोज गुप्ता के मकान से श्री पवन दुबे के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कुन्दन दुबे व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

3-जनपद बलिया की ग्राम पंचायत हुसैनाबाद में श्री अजय तिवारी के मकान से सुश्री रितू तिवारी दुबे के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री केशव तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

4-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम पंचायत बांसडीह के हुसैनाबाद मुख्य सड़क से अंजनी सिंह के दरवाजे होते हुए रिलायंस टावर, हुसैनाबाद तक लेपन निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंजनी सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

5-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम पंचायत हुसैनाबाद में हुसैनाबाद चट्टी से बिसौली सहतवार मुख्य सड़क की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धनराज दुबे व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

6-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम पंचायत हुसैनाबाद में श्री रामजी सिंह स्मृति द्वार से भानू प्रताप सिंह के मकान और उच्च माध्यमिक विद्यालय, हुसैनाबाद सहतवार बेऊर मेन रोड तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

7-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा बांसडीह रामपुर में हनुमान मन्दिर से प्राथमिक पाठशाला रामपुर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनोद सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

8-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा बेऊर की हरिजन बस्ती में सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

9-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा बेऊर में श्री राम बहादुर वर्मा के मकान से तेज नरायण वर्मा के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

10-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा जितौरा में रिशिदेव पाण्डेय के घर से जटहा बाबा के स्थान तक नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

11-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा जितौरा मेन रोड से मंजवलिया होते हुए बनकट्टा तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिवाकर यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

12-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा भीखमपुर के अनकटपुर मौजा में श्री राम बिन्द के घर से राजेश राजभर के ट्यूबवेल तक नाली व इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

13-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र बांसडीह की ग्राम सभा भीखमपुर के सुजौली मौजा में बकवां मार्ग से धर्मेन्द्र वर्मा के मकान तक इण्टरलॉकिंग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

14-जनपद बलिया के विधान सभा क्षेत्र व ग्राम पंचायत बांसडीह पुरा में ज्योति प्रकाश पाण्डेय के मकान से बरहम बाबा स्थान होते हुए श्री राम जी प्रजापति की पुलिया तक आर0सी0सी0 सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

15-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम पंचायत बांसडीह पुरा में बाबा पुरेश्वरनाथ मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका,

16-जनपद बलिया की तहसील बांसडीह के ग्राम सभा बेउर के कालीमाता मन्दिर से राजेश वर्मा के घर तक नाली व आर0सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नन्दू सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका तथा

17-जनपद बलिया की ग्राम पंचायत बांसडीह में पिच पुलिया पीठाईच से कन्हैया सिंह का बगीचा होते हुए शिवानन्द राजभर के घर होते हुए राजपुर सहतवार मार्ग तक आर0सी0सी0 सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कन्हैया सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बलिया की याचिका।

श्रीमती मनीषा, सदस्य विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्रीमती मनीषा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद हमीरपुर की तहसील सरीला में एक राजकीय महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद हमीरपुर के राठ के झबरा मोड़ से जिटकारी जमोड़ी तक सड़क का मरम्मत कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हर नारायण निषाद व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

3-जनपद हमीरपुर के राठ के मगरौठा मोड़ से ग्राम चन्दवारी और जिगनी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमर सिंह राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

4-जनपद हमीरपुर के ग्राम चिकासी से सुजगवा, हरदुआ और बडेरा खालसा तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सरदेश राजपूत व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

5-जनपद हमीरपुर के ग्राम मुस्करा को नगर पंचायत का दर्जा दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रमोद अग्रवाल व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

6-जनपद हमीरपुर के ग्राम टीकापुर से ग्राम छानी तक सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका।

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य विधान सभा की जनपद कानपुर देहात से सम्बन्धित 06 याचिकाएं†

श्रीमती पूनम संखवार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद के अन्तर्गत ग्राम पंचायत इटैली में इटैली झील का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज दुबे, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में बस डिपो की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जीतू त्रिपाठी, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

3-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में महिला डिग्री कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राम महेश वर्मा, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

4-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में प्रौद्योगिकी प्रशिक्षण संस्थान (आई0टी0आई0) की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश सिंह, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका,

5-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद में क्रीड़ा स्थल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सत्य पाल, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका तथा

6-जनपद कानपुर देहात के विधान सभा क्षेत्र रसूलाबाद, तहसील डेरापुर के ब्लॉक झिंझक के अन्तर्गत कस्बा मंगलपुर को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष प्रताप सिंह, निवासी जनपद कानपुर देहात की याचिका।

श्री मुकेश वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद फिरोजाबाद से सम्बन्धित 17 याचिकाएं†

श्री मुकेश वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर निगम के अन्तर्गत मोहल्ला हसमत नगर, अब्बास नगर एवं बारह बीघा में कच्ची व क्षतिग्रस्त गलियों के निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती नसीम खान व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

2-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर निगम के अन्तर्गत मोहल्ला हसमत नगर, अब्बास नगर एवं बारह बीघा में विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 आबाद व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

3-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर निगम के अन्तर्गत मोहल्ला हसमत नगर, अब्बास नगर एवं बारह बीघा में सफाई कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में मो0 वसीम व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

4-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत घाघऊ में डामर रोड से रामचन्द्र के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विनीत कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

5-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत बरामई में सुरेन्द्र सिंह के घर से शेखर के घर तक का सड़क का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पवन कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

6-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर-बिहारीपुर में सुरजपाल के घर से फेरी सिंह के खेत तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह फौजी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

7-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मौहम्मदपुर-बिहारीपुर में सत्यप्रकाश के घर से डिलेवर के घर तक नाली एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पूरन सिंह फौजी व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

8-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मेवली में पप्पू के मकान से मन्दिर तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

9-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मेवली में प्राथमिक विद्यालय से वरियामऊ तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कमल कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

10-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम पंचायत मेवली में डामर रोड से रामसेवक के मकान तक सी0सी0 रोड निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुधीर कुमार व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

11-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के कस्बा मक्खनपुर के अस्पताल को मक्खनपुर में चलाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

12-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के कस्बा मक्खनपुर नगर पंचायत के शहरी भाग में इण्टर कालेज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री रामवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

13-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के कस्बा मक्खनपुर नगर पंचायत के शहरी भाग मे ंसी0सी0 रोड की पटरी बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

14-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के कस्बा मक्खनपुर नगर पंचायत के शहरी भाग में नाला बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

15-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के नगर पंचायत शहर की बिजली की व्यवस्था खराब व जर्जर तार व ट्रान्सफार्मर को सही कराने व सप्लाई को सही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका,

16-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम कबीरपुरा के गरीब लोगों के अन्त्योदय राशन कार्डों को जानबूझ कर माली पट्टी की राशन की दुकान लगवाये जाने के सम्बन्ध में श्री राम निवास व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका तथा

17-जनपद फिरोजाबाद के विधान सभा क्षेत्र शिकोहाबाद के ग्राम नसीलपुर में राशन डीलर द्वारा अभद्र व्यवहार, घटतौली करने, अंगूठा लगवाकर राशन न देने के सम्बन्ध में श्री विजेन्द्र वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद फिरोजाबाद की याचिका।

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य विधान सभा की जनपद हमीरपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 मनोज कुमार प्रजापति, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद हमीरपुर के कैथी करेना डेरा से होते हुए रामसूरत प्रजापति के डेरा तक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री नोखे प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

2-जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड मौदहा के मदारपुर डेरा से नरायच रोड तक मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री गोनी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

3-जनपद हमीरपुर के विकास खण्ड सुमेरपुर के ग्राम अतरार से सायर मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कामता प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका,

4-जनपद हमीरपुर के जिला चिकित्सालय में खराब पड़ी लिफ्ट का संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अनिल प्रजापति व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका तथा

5-जनपद हमीरपुर के नगर मौदहा के मलीकुआ से राठ तिराहे के मध्य बडेरी नाला पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अरविन्द शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद हमीरपुर की याचिका।

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा की जनपद बलरामपुर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

डॉ0 शिव प्रताप यादव, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत एन0एच0-730 पर रजडरवा चौराहे से ग्राम मनकापुर-शिवपुर औरहवां-गनेशपुर जर्जर मार्ग की विशेष

---

† छापी नहीं गयीं।

मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हलीम खां व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

2-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत उतरौला-पचपेड़वा-चन्दनपुर मार्ग से शिवगढ़ धाम सम्पर्क मार्ग के मध्य स्थानीय नाला पर लघु सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मातीलाल मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

3-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत तुलसीपुरद्य-गौरा चौराहा-उतरौला मार्ग से बिलोहा बनकसिया-लक्ष्मीनगर-जहदरिया मार्ग की विशेष मरम्मत/नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अंकित सूर्यवंशी व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका,

4-जनपद बलरामपुर के विधान सभा क्षेत्र गैंसड़ी के अन्तर्गत ग्राम पंचायत परसा पलईडह में निर्माणाधीन पालीटेक्निक का निर्माण कार्य पूर्ण कराकर शिक्षण कार्य प्रारम्भ कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अमरनाथ वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका तथा

5-जनपद बलरामपुर के विकास खण्ड असेवित में स्थापित आदर्श एकेडमी कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय के शेष निर्माण कार्य हेतु द्वितीय किस्त जारी कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साधना सिंह यादव व अन्य निवासीगण जनपद बलरामपुर की याचिका।

डॉ0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित 41 याचिकाएं[†]

डॉ0 रागिनी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम हैसिया ब्लाक बरसठी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र मिश्र, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

2-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम उमापुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिलाल यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

3-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम ताजुद्दीनपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरिलाल यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

4-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम खाखेपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

5-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कोठारी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री अमृता यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

---

[†] छापी नहीं गयीं।

6-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कोरमलपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पुष्पा गौतम, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

7-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम घिसुआ में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मनोज कुमार यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

8-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम राजापुर पकड़ी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती मीना देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

9-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम रसूलपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जयप्रकाश बिन्द, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

10-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम दकार डीह में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रभावती देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

11-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम रामपुर कलां पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल सरोज, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

12-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम खरूआंवा में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सविता देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

13-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम कोरमलपुर में अरबी नदी पर पीपा पुल सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

14-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम महमदपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्द्र बहादुर, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

15-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम महुआरी बनकट में सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

16-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम हरिपुर में रेलवे क्रासिंग पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिमन्यु यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

17-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम भौरास में पानी की टंकी लगवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री चन्द्रावती, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

18-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम पहाड़पुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पुष्पा देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

19-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम पाली, ब्लॉक बरसठी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चन्द्रशेखर, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

20-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा भटेवरा से उत्तर की तरफ बसुही नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

21-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सराय यूसुफ में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मृत्युंजय बिन्द, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

22-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम ससरा, ब्लाक बरसठी में सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अभिमन्यू यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

23-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम दाऊदपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री सन्तारा देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

24-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम देवरिया में शिव मन्दिर के पास अवरी नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

25-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम चकनरायनपुर, ब्लाक बरसठी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री होरीलाल, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

26-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम फत्तूपुर एवं पोखरियापुर, सई नदी घाट पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

27-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम आदमपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री शिव कुमार, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

28-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम टेकार डीह बेंलासिन में बसुही नदी पर सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

29-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम गद्दोपुर में पानी की टंकी बनवाये जाने के सम्बन्ध में सुश्री शीला, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

30-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम जरौना में सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री श्याम यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

31-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर की ग्राम पंचायत मीठेपार राजस्व ग्राम भगीरथपुर में यादव बस्ती व पाल बस्ती में 63 के0वी0ए0 का ट्रान्सफार्मर एवं 35 विद्युत पोल लगाये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

32-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ब्लाक बरसठी में ग्राम बनरी में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री निशा देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

33-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ब्लाक बरसठी में ग्राम गोठांव में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री निशा देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

34-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ब्लाक बरसठी में ग्राम गोपालपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री रेनु यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

35-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम मालिकानपुर में बड़ी नहर के किनारे की पटरी से ग्राम जगदीशपुर तक सड़क लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महावल गौतम, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

36-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम भागीरथपुर बेलवा सीकरारा सम्पर्क मार्ग, पक्की सड़क से अच्छेलाल उसरहवां यादव बस्ती तक पक्की सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश गुप्ता, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

37-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम पाली बेलगहन से ग्राम सकूनपुर यादव बस्ती तक सड़क लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अशोक मिश्रा, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

38-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम जमालपुर में पानी की टंकी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में सुश्री फूल कुमारी यादव, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

39-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम अरूआंवा दताव मार्ग पर जगदीश गुप्ता के घर से खटिया जयनरायन के घर तक सड़क लेपन कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगदीश गुप्ता, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका,

40-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम गनापुर अजोशी मार्ग से ग्राम नगापुर मुस्लिम बस्ती व चौहान बस्ती होते हुए मोमलपुर शरहद यादव बस्ती तक पिच रोड

निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती कमलेश्वरी देवी, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका तथा

41-जनपद जौनपुर के विधान सभा क्षेत्र मछलीशहर के ग्राम सभा रखवा में जल निकासी हेतु देवी प्रसाद पाल के घर से होते हुए चौरसिया बस्ती व पाल बस्ती होते हुए घोड़सार नदी तक सीवर लाइन निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय चौरसिया, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका।

श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की जनपद अयोध्या से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री अमित सिंह चौहान, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद अयोध्या की तहसील बीकापुर में ट्यूबवेल विभाग के निरीक्षण भवन का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संगम लाल गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

2-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के ग्राम महोली में बाढ़ शरणालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री बलराम पाठक व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

3-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल में निरीक्षण भवन का नवीनीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री पंकज मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका,

4-जनपद अयोध्या की तहसील के अन्तर्गत कोड्डी सरैंया में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका तथा

5-जनपद अयोध्या की तहसील सोहावल के अन्तर्गत राष्ट्रीय मार्ग से जगदीशपुर मार्ग को सही कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राहुल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद अयोध्या की याचिका।

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं †

श्री प्रेम नरायन पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत सोनौली में राजकीय महिला इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेन्द्र सिंह प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड बेलसर ग्राम पंचायत सोनौली में उपलब्ध भूमि पर आमजन मानस के शारीरिक विकास हेतु मार्निंग वॉक, योगा एवं बच्चों को खेलने हेतु पार्क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दद्न तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत ग्राम पंचायत चन्दीपुर, विकास खण्ड तरबगंज में विद्युत आपूर्ति हेतु 33/11 के0वी0ए0 विद्युत उप केन्द्र की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री समीर सिंह व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड तरबगंज के ग्राम पंचायत घांचा, बीकापुर में राजकीय इण्टर कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय पाण्डेय व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा की तहसील तरबगंज के अन्तर्गत विकास खण्ड नवाबगंज में नारंग चीनी मिल का पुनर्निर्माण कराकर संचालन कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद रामपुर से सम्बन्धित 01, जनपद हरदोई से सम्बन्धित 01, जनपद प्रयागराज से सम्बन्धित 01 तथा जनपद बरेली से सम्बन्धित 18 याचिकाएं†

डॉ0 डी0 सी0 वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत मोहम्मदगंज मझरा श्यामपुर में राजेश के घर से मन्दिर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमपाल व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

2-जनपद हरदोई में बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा 69000 शिक्षक भर्ती प्रक्रिया में याची के निरस्त चयन को बहाल किये जाने के सम्बन्ध में सुश्री निशा शुक्ला, निवासी जनपद बरेली की याचिका,

3-जनपद प्रयागराज के अन्तर्गत मलाक हरहर सुमेरी का पुरा में प्राचीन क्षीर देवी मन्दिर पर विद्युतीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रिन्कू यादव व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

4-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत ठिरिया खुर्द में करमपुर ठिरिया खुर्द मार्ग पर सुरक्षा दीवार का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजवीर गंगवार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद बरेली के ब्लाक मीरगंज के अन्तर्गत मीरनगर उर्फ नौगवां से जटपुरा उर्फ मुगलपुर की मढैइया होते हुए सिंगरा तक सड़क एवं पुलिया का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सोमपाल शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

6-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम मंसूरगंज में जमुनी चौराहे डामर रोड से हिमाचल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश चन्द्र व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

7-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत जौनपुर में पश्चिम की ओर पीलाखार नदी पर पिचिंग कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती प्रमिला शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

8-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत सेवा ज्वालापुर में गनेशराम के घर से अनोखालाल के खेत तक नाली का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्रीमती पूनम देवी वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

9-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा बुजुर्ग में कमल सिंह के घर से तालाब तक नाले का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

10-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम लभेडा दुर्गाप्रसाद से सलामतगंज तक मार्ग का डामरीकरण एवं पुलिया का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

11-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत ठिरिया बुजुर्ग में डामर रोड से रविन्द्र के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुनीश दिवाकर व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

12-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत ठिरिया खुर्द में श्मशान भूमि से डामर रोड तक मार्ग का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री तेजपाल सिंह फौजी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

13-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम अब्दुल्लागंज में प्राथमिक विद्यालय से सलामतगंज तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

14-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम अम्बरपुर में वीरपाल के घर से सियाराम की झोपड़ी तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री भानुप्रताप फौजी व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

15-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम असदनपुर में गंगाराम मौर्या के घर से मुन्नालाल के घर तक सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

16-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम पंचायत पहुंचा में पंचायत भवन से प्राथमिक विद्यालय तक नाले का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेन्द्र कुमार व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

17-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम विल्सा में मेन रोड से होली चौराहे तक नाला एवं सी0सी0 रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र कुमार वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

18-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम काशीनाथपुर उर्फ भैरपुरा में गुड़िया के मकान के पास पुलिया एवं सी0सी0 रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय मौर्या व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

19-जनपद रामपुर की तहसील मिलक के ग्राम चिचौली में मंगलसेन के मकान से छदम्मी के मकान तक सी0सी0 रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजपाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका,

20-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम बिल्ला में गांव से श्मशान भूमि तक सी0सी0 रोड का नव निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री कृष्णपाल मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका तथा

21-जनपद बरेली की तहसील मीरगंज के ग्राम सलामतगंज से अजमतगंज तक डामर रोड का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री चेतराम व अन्य निवासीगण जनपद बरेली की याचिका।

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य विधान सभा की जनपद सन्त कबीरनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री गणेश चन्द्र, सदस्य विधान सभा की अनुपस्थिति में निम्नलिखित याचिकाएं व्यपगत हुईं :-

1-जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के घाघरा/सरयू नदी के कटान से बेघर हुए लोगों को आवास दिलाये जाने के सम्बन्ध में श्री जनार्दन व अन्य निवासीगण जनपद सन्तकबीरनगर की याचिका,

2-प्रदेश में एक लाख से अधिक ग्रामीण सफाई कर्मचारी विभागीय सेवा में नियमावली एवं पदोन्नति कराने के सम्बन्ध में श्री भूपेन्द्र प्रसाद व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका तथा

3-जनपद सन्त कबीरनगर के विधान सभा क्षेत्र घनघटा के ग्राम पंचायत सुबखरी में निर्माणाधीन चिकित्सालय का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री यशवन्त व अन्य निवासीगण जनपद सन्त कबीरनगर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य विधान सभा की जनपद सिद्धार्थनगर से सम्बन्धित 03 याचिकाएं†

श्रीमती सैय्यदा खातून, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :--

1-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम अजगरा चौराहे से बसडीला होते हुए कुर्थी डीहा तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मलिक मोहम्मद असजद, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका,

2-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम कोनकटी चौराहे से अमौना तिवारी होते हुए रामवापुर घाट तक रोड का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहेल अहमद फारूकी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका तथा

3-जनपद सिद्धार्थनगर के विधान सभा क्षेत्र डुमरियागंज के ग्राम रीवा, पी0डब्लू0डी0 रोड से तरैना मोड़ तक सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुहेल अहमद फारूकी, निवासी जनपद सिद्धार्थनगर की याचिका।

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की जनपद फतेहपुर से सम्बन्धित 04 याचिकाएं†

श्री राजेन्द्र सिंह पटेल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के विकास खण्ड अमौली में मिनी स्टेडियम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

2-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के ग्राम सिजौली में राष्ट्र कवि स्व0 पं0 सोहनलाल द्विवेदी की प्रतिमा एवं तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री देशराज चौहान व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका,

3-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में पानी की घ्टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री वीपेन्द्र चौहान व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका तथा

4-जनपद फतेहपुर के विधान सभा क्षेत्र जहानाबाद के अन्तर्गत कतिपय ग्रामों में सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद फतेहपुर की याचिका।

---

† छापी नहीं गयीं।

श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद जौनपुर से सम्बन्धित याचिका†

श्री अभय सिंह, सदस्य विधान सभा की वाराणसी मण्डल के स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में किये जा रहे भ्रष्टाचार की जांच करवाये जाने के सम्बन्ध में श्री सुरेश सिंह, निवासी जनपद जौनपुर की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य विधान सभा की जनपद बिजनौर से सम्बन्धित 05 याचिकाएं†

श्री राम अवतार सिंह, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद बिजनौर के विकास खण्ड बुढनपुर के कस्बे सहारनपुर से पाईदापुर भकरी बार्डर तक 205 कि0मी0 शेष मार्ग का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री टहल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

2-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम मेवा नदवा नवादा से महमूदपुर असराखेड़ा मार्ग का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मो0 गुलफाम व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

3-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत सहसपुर ईदगाह से मेवा मवादा ढाबे वाले रोड तक का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जहीर अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका,

4-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत स्योहरा खानपुर मार्ग से दौलताबाद भट्ठे से रतनपुरा नहर तक मार्ग का मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में श्री इन्तजार अहमद व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका तथा

5-जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र नूरपुर के अन्तर्गत ग्राम मेवा जट से हिरनपुरा तक नहर की पटरी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सुनील कुमार विश्नोई व अन्य निवासीगण जनपद बिजनौर की याचिका।

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य विधान सभा की जनपद महोबा से सम्बन्धित 02 याचिकाएं†

श्री राकेश कुमार गोस्वामी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद महोबा के विकास खण्ड-कबरई के ग्राम रैवारा में तिगैला से झुरिया यादव के डेरा बीच कच्चा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री लालाराम व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका तथा

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद महोबा के विकास खण्ड-कबरई के ग्राम रैवारा से सुकौरा के बीच कच्चा मार्ग को पक्का कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामनरेश व अन्य निवासीगण जनपद महोबा की याचिका।

श्रीमती जय देवी, सदस्य विधान सभा की जनपद लखनऊ से सम्बन्धित

05 याचिकाएं†

श्रीमती जय देवी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम पंचायत मवई में ठाकुर फार्म हाउस से प्लाई फैक्ट्री बरगदिया होते हुए झिनगी तक नाला बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री सरोज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

2-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम पंचायत माल में यूको बैंक वाली गली में जल भराव की निकासी के लिए नाला बनाकर झिनगी में गिराये जाने के सम्बन्ध में श्री रवीन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

3-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम पंचायत में जूनियर हाई स्कूल से उमरवल मार्ग तक इण्टरलॉकिंग सड़क का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संयोगिता सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका,

4-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम देवरी भारत में उदयराज के दरवाजे पर तलिया की सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय पाल व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका तथा

5-जनपद लखनऊ के विधान सभा क्षेत्र मलिहाबाद के ग्राम पंचायत देवरी भारत में शिवगोविन्द सिंह के दरवाजे से केसव दास बाबा तक सड़क निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री जगत पाल सिंह व अन्य निवासीगण जनपद लखनऊ की याचिका।

श्री विनय कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद गोण्डा से सम्बन्धित

05 याचिकाएं (व्यपगत)†

श्री विनय कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत बलरामपुर मुख्य मार्ग पर इटियाथोक बाजार में पुराने एवं संकरे सेतु के स्थान पर नये सेतु का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री सन्तोष चौरसिया व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत इटियाथोक में सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र को उच्चीकृत कर 100 बेड के चिकित्सालय में परिवर्तित कराये जाने के सम्बन्ध में श्री अजय राठौर व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

3-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत इटियाथोक श्रीनगर-बाबागंज मार्ग का चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश दुबे व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका,

4-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत ग्राम पंचायत भवनियापुर उपाध्याय विकास खण्ड रूपईडीह में मिनी स्टेडियम का निर्माण कार्य कराये जाने के सम्बन्ध में श्री संजय सोनी व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका तथा

5-जनपद गोण्डा के अन्तर्गत धानेपुर में स्थित डाकबंगला/निरीक्षण भवन का पुनर्निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धर्मेन्द्र गुप्ता व अन्य निवासीगण जनपद गोण्डा की याचिका।

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की जनपद रायबरेली से सम्बन्धित याचिका †

श्री मनोज कुमार पाण्डेय, सदस्य विधान सभा की मै0 स्कार्ट लिमिटेड द्वारा याची की फर्म को गाड़ियों की आपूर्ति न किये जाने के सम्बन्ध में श्री अमिताभ पाण्डेय, निवासी जनपद रायबरेली की याचिका उपस्थित की हुई मानी गई।

श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की जनपद मथुरा से सम्बन्धित 08 याचिकाएं (व्यपगत) †

श्री राजेश चौधरी, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उनकी अनुपस्थिति में व्यपगत हुईं :-

1-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट में बस डिपो का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री खिम्मो प्रधान व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

2-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट की शेरगढ़ की ग्राम पंचायत को नगर पंचायत बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बांके लाल गर्ग व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

3-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट में सोनई को मथुरा से जोड़ने वाले मार्ग पर राया में रेल क्रासिंग पर ओवरब्रिज बनवाये जाने के सम्बन्ध में श्री नीतेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

4-जनपद मथुरा की विधान सभा मांट का नौहझील बाजना क्षेत्र में राजकीय कन्या महाविद्यालय की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मुकेश वार्ष्णेय व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

5-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट का नौहझील झील में मण्डी की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री दिनेश कुमार व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

6-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट के नौहझील ब्लॉक के बाजना अहमदपुर सम्पर्क मार्ग से बदौठ ग्राम तक जर्जर सम्पर्क मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री धीरज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका,

7-जनपद मथुरा के नौहझील क्षेत्र क्षेत्र में स्वास्थ्य केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री उमाकान्त शर्मा व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका तथा

8-जनपद मथुरा की विधान सभा क्षेत्र मांट में श्री लोकमणि शर्मा महाविद्यालय की मान्यता व जमीन की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हरी शंकर व अन्य निवासीगण जनपद मथुरा की याचिका।

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित 05 याचिकाएं[†]

श्री बाबूलाल, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम जौताना में एक राजकीय इण्टर कालेज के निर्मण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री हिम्मत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

2-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम अभैदौपुरा को नगर पंचायत किरावली में शामिल किये जाने के सम्बन्ध में श्री घूरेलाल आर्य व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत ग्राम पनवारी में पानी की टंकी का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री महाराज सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत अछनेरा कचौरा रोड से नाले की पटरी पर रेलवे अण्डर पास अछनेरा तक पक्की सड़क बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कुंवर जीत सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहपुर सीकरी के अन्तर्गत मास्टर प्लान को सीकरी कस्बे में लागू कराने के सम्बन्ध में श्री त्रिलोक चन्द्र मित्तल व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

[†] छापी नहीं गयीं।

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की जनपद उन्नाव से सम्बन्धित

06 याचिकाएं †

श्री बृजेश कुमार, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद उन्नाव की तहसील हसनगंज, विकास खण्ड औरास के ग्राम मिर्जापुर, अजगांव के सामने सई नदी पर पुल की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में श्री राजेश कुमार रावत व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

2-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ग्राम अजमतगढ़ रोड पर नहर की पुलिया एवं ग्राम खड़वारी सादिकपुर में नाला पुलिया का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ओम जी तिवारी व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

3-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत लखनऊ हाई-वे पर ग्राम जगदीशपुर की मुख्य सड़क का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री ऋषि सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

4-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ग्राम कटरा तरौना व अदौरा के बीच बेता नदी पर पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री श्रीराम मौर्य व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका,

5-जनपद उन्नाव के विधान सभा क्षेत्र मोहान के अन्तर्गत ग्राम मकूर में राजकीय महाविद्यालय स्थापित किये जाने के सम्बन्ध में श्री राघवेन्द्र सिंह व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका तथा

6-जनपद उन्नाव के बांगरमऊ के अन्तर्गत लखनऊ मार्ग पर नगर पंचायत-मोहान में सई नदी पर नया पुल बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री कपिल निगम व अन्य निवासीगण जनपद उन्नाव की याचिका।

श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य विधान सभा की जनपद आगरा से सम्बन्धित

05 याचिकाएं†

श्री छोटेलाल वर्मा, सदस्य विधान सभा की निम्नलिखित याचिकाएं उपस्थित की हुई मानी गईं :-

1-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद के आगरा-शमसाबाद मार्ग से धमेना-सेखूपुरा कहरा नगला मेवा इनातपुर वाया करौधना खुर्द, करोधना कलां टेडरा गढ़ी महाराज सिंह कुर्रा चित्तरपुर तक 3 मीटर से 5.50 मीटर चौड़ीकरण का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री प्रेमवीर व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

---

† छापी नहीं गयीं।

2-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद यमुना नदी पुल पर बैराज बनाये जाने के सम्बन्ध में श्री बाबूलाल वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

3-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में उटंगन नदी पर ग्राम बाग भोगपुरा निबोहरा पर पक्का पुल निर्माण के सम्बन्ध में श्री महेश वर्मा व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका,

4-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में रिहावली ग्राम की उटगन नदी पर पक्के पुल का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री साहब सिंह व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका तथा

5-जनपद आगरा के विधान सभा क्षेत्र फतेहाबाद में उटंगन नदी ग्राम लालपुरा से टोड़ा पर पक्का चेकडैम का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री मायाराम व अन्य निवासीगण जनपद आगरा की याचिका।

श्री अध्यक्ष-

श्री अनिल प्रधान, श्री अरविन्द गिरि, श्री गणेश चन्द्र चौहान, श्री राजेश चौधरी अनुपस्थित हैं, श्रीमती गुड़िया कठेरिया, श्री विनय कुमार द्विवेदी, इनको दोबारा याचिका देनी पड़ेगी।

[01:03] वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक पर साधारण चर्चा

श्री अध्यक्ष-

वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक अनुदानों के मांग के ऊपर चर्चा है जो मेरे पास नाम पार्टियों की तरफ से आया है हम उसी के अनुरूप बुलायेंगे। अलग-अलग पर्चियां देना सम्भव नहीं है। अगर आपको चाहिये जो आपके मुख्य सचेतक लिखकर भेज देंगे तो हम उसको सम्मिलित कर देंगे।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

आदरणीय सभापति जी, मैं आपका बहुत आभारी हूँ कि आपने मुझे इस सभा में वर्ष 2022-23 के बजट के समर्थन में बोलने का मौका दिया। महोदय, यह बजट मा0 मुख्य मंत्री जी की दूरगामी और विकासशीलता को दर्शाता है। उनका परिश्रम भी साफ नजर आता है। इस बजट के माध्यम से हमारी सरकार का लक्ष्य विकास की पंक्ति में अन्तिम पायदान पर खड़े व्यक्ति को विकास की धारा से जोड़ना, मा0 मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में पिछले 5 वर्षों से विकास की जो गति हमारे प्रदेश ने पकड़ी है उससे न केवल देश में बल्कि विदेशों में प्रदेश की एक नई छवि मिली है। आज से पांच वर्ष पूर्व प्रदेश में अराजकता का माहौल था, गुण्डे, माफिया सरकार की नुमाइन्दगी करते थे। आज गुण्डे और माफिया प्रवृत्ति के लोगों का एक मात्र स्थान जेल है। माननीय मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में आज प्रदेश की मातायें और बहनें अपने आप को जितना सुरक्षित महसूस करती हैं उसकी आज से पांच वर्ष पूर्व कोई कल्पना भी नहीं कर सकता था।

महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष हो रहा है कि जहां पूर्व की सरकारें केवल किसानों की राजनीति करती थीं, आज हमारी सरकार ने प्रदेश में कृषि की दिशा और दशा को सुधारने के लिए विभिन्न योजनायें चलायी हैं। हमारी सरकार ने गन्ना किसानों का रिकार्ड भुगतान किया है। पिछले वर्षों में 1 लाख 72 हजार करोड़ रुपये का भुगतान सरकार के द्वारा कर दिया गया है जोकि पिछली सरकारों से 77 हजार करोड़ रुपये अधिक है। माननीय प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि से 2 करोड़ 55 लाख किसानों को लाभ हुआ है। प्रदेश में 3 लाख करोड़ रुपये से ज्यादा का निवेश आ चुका है। हमारा प्रदेश देश का पहला ऐसा राज्य होगा जहां पर 5 अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे होंगे। मैं माननीय मुख्य मंत्री जी का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ कि क्योंकि मेरे जिले में आने वाला जेवर हवाई अडड्े के विकास कार्य का वे स्वयं निगरानी कर रहे हैं। मुझे इसमें जरा भी सन्देह नहीं, जेवर हवाई अडड्ा जल्दी ही पूर्ण होगा और जनता के लिए हवाई यात्रा उपलब्ध होगी। इस हवाई अड्डे से न केवल मेरे जिले में बल्कि सम्पूर्ण पश्चिमी उत्तर प्रदेश का चहुंमुखी विकास होगा। फिल्म सिटी भी मेरे जिले में आ रही है। दादरी ग्रेटर-नोएडा विधान सभा क्षेत्र जहां से मैं विधायक हूँ वहां दिल्ली-मुम्बई कॉरीडोर आ रही है, इससे क्षेत्र में खुशहाली आयेगी, क्षेत्र में रोजगार बढ़ेगा। आज हमारा प्रदेश 'ईज ऑफ डुइंग बिजनेस' रैंकिंग में देश में दूसरे स्थान पर है। यह अपने-आप में दर्शाता है कि हमारी सरकार का प्रदेश के विकास के प्रति क्या नजरिया है। महोदय, हमारी सरकार का लक्ष्य है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था को अगले पांच सालों में 01 ट्रिलियन डॉलर से अधिक की अर्थव्यवस्था हो। इतना विशाल लक्ष्य रखने की हिम्मत मुख्य मंत्री मा0 योगी जी के अलावा कोई नहीं कर सकता। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि विश्व के कुछ विकसित देशों को छोड़ दिया जाये तो बाकी सब देशों की अर्थव्यवस्था सरकार के लक्ष्य से बहुत कम है। यह प्रदेश अपने आप में विश्व के कई देशों से बड़ा है। राज्य सरकार के द्वारा अन्त्योदय एवं पात्र गृहस्थी कार्ड धारकों को निःशुल्क खाद्यान्न के साथ-साथ आयोडाइज्ड नमक, साबुन, चना, खाद्य तेल दिसम्बर, 2021 से मार्च, 2022 तक निःशुल्क वितरित कराया गया है जिस पर लगभग 4801 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

(इस समय 12 बजकर 44 मिनट पर अधिष्ठाता श्री रवि शर्मा पीठासीन हुए)

इस योजना से प्रदेश के लगभग 15 करोड़ लोग लाभान्वित हुए हैं। यह देश का विशालतम खाद्यान्न कार्यक्रम है जिसका विस्तार अप्रैल, 2022 से जून, 2022 तक कर दिया गया है। कोविड-19 में संक्रमण से अपने माता-पिता अथवा दोनों/अभिभावक खोने वाले बच्चों के भरण-पोषण के लिए शिक्षा, चिकित्सा आदि की व्यवस्था के लिए मुख्य मंत्री बाल सेवा योजना का संचालन किया जा रहा है। इस योजना के अन्तर्गत पात्र लाभार्थियों को 2500 रुपये प्रतिमास की आर्थिक सहायता प्रदान की जा रही है। युवाओं के बीच विभिन्न क्षेत्रों में उद्यमशीलता एवं नवाचार को बढ़ावा देने के लिए नई उत्तर प्रदेश स्टार्टअप नीति, 2020 के अन्तर्गत 5 वर्ष में प्रत्येक जनपद में कम से कम एक तथा कुल 100 इन्क्यूबेटर्स और 10,000 स्टार्टअप्स की स्थापना का लक्ष्य है, जिसके सापेक्ष अब तक 47 इन्क्यूबेटर्स कार्यरत हैं तथा 5600 से अधिक स्टार्टअप्स पंजीकृत हो चुके हैं।

महोदय, मुझे यह बताते हुए हर्ष है कि जहां जून, 2018 में प्रदेश में बेरोजगारी की दर 18 प्रतिशत थी, वहीं अप्रैल, 2022 में यह घट कर 2.9 प्रतिशत रह गयी है। वर्ष 2019-2020 मे विद्युत उत्पादन 33 हजार 79 मिलियन यूनिट थी, 2020-2021 मे विद्युत उत्पादन दर 33 हजार 425 मिलियन यूनिट तथा 2021-2022 मे विद्युत उत्पादन दर 35 हजार 21 मिलियन यूनिट रहा। महोदय, मैं एक शिक्षक हूँ...

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य संक्षेप करें। आज माननीय नेता सदन को भी बोलना है इसलिए सबको आज 5-5 मिनट का समय दिया जायेगा।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

मान्यवर, मुझे पता है कि किसी भी समाज में शिक्षा का क्या महत्व होता है। अगर हम किसी भी समाज के व्यक्ति को शिक्षित कर देते हैं तो न केवल वह अपना बल्कि अपनी आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार सकता है। हमारी सरकार ने समग्र शिक्षा अभियान हेतु 18670 करोड़ 72 लाख रुपये की व्यवस्था की है। मैं इस बजट से सम्बन्धित कुछ अहम बिन्दुओं का इस सभा में ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। इस बजट में न्यायालयों तथा धार्मिक स्थलों, जिसमें मुख्य रूप से अयोध्या, काशी, मथुरा शामिल है, की सुरक्षा के लिए एक विशेष सुरक्षा बल के गठन का प्रस्ताव है, जिसके लिए सरकार ने 276 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। सेफ सिटी योजना जिसमें लखनऊ, गौतमबुद्धनगर, आगरा, वाराणसी, गोरखपुर व प्रयागराज शामिल है, के लिए 523 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गयी है। किसानों के लिए वर्ष 2022-23 में 15000 सोलर पम्प लगाने की योजना है। हमारी सरकार का अगले 5 वर्षों में 2 करोड़ स्मार्ट फोन तथा टैबलेट बांटने का प्रभावी लक्ष्य रखा है।

श्री अधिष्ठाता-

मा0 सदस्य तेजपाल जी अब आप समाप्त करिये।

श्री तेजपाल सिंह नागर-

मान्यवर, हमारे प्रदेश के युवाओं को तकनीकी बनाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार ने वृद्धा पेंशन योजना की राशि को बढ़ाकर 1000 रुपये प्रतिमाह कर दिया है, इसमें 56 लाख से अधिक वृद्धजनों को बढ़ी हुई पेंशन का लाभ मिलेगा। इस समय देश के माननीय प्रधानमंत्री जी तथा प्रदेश के यशस्वी मुख्य मंत्री जी दोनों ही परिवारवाद से परे हैं, साधुवादी विचारधारा वाले व्यक्ति हैं। यह एक दुर्लभ संयोग है। मैं अपनी सरकार की ओर से इस सभा को बताना चाहता हूँ कि हमारी सरकार प्रदेश को नई ऊंचाइयों पर ले जाने के लिए अग्रसर है। उसमें वित्तीय वर्ष 2022-23 का बजट मील का पत्थर साबित होगा।

श्री छोटे लाल वर्मा-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, माननीय वित्त मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत किये गये वित्तीय वर्ष 2022-23 के बजट का मैं समर्थन करता हूँ। हमारी सरकार द्वारा प्रस्तुत किये गये बजट में

5 लाख रुपये का आयुष्मान भारत योजना के अन्तर्गत 2949 चिकित्सालयों को आबद्ध किया गया है। 1.78 करोड़ लाभार्थी परिवारों को लाभ दिया गया है। अब तक हमारी सरकार में 1.84 करोड़ व्यक्तियों को आयुष्मान कार्ड वितरित किये जा चुके हैं। हमारी सरकार ने भारतवर्ष ही नहीं पूरे प्रदेश में कोरोना की फ्री डोज टीका लगाकर करोड़ों व्यक्तियों को कोरोना जैसी बीमारी से बचाया है। हमारी सरकार ने विश्व प्रसिद्ध शहर आगरा की शान में पर्यटकों को बढ़ावा देने व आगरा वासियों को एक बहुत बड़ा तोहफा दिया है जो अन्य किसी सरकार ने आगरा के विकास के लिए नहीं सोचा था। आज हमारी सरकार ने आगरा का हाईटेक सिटी के अन्तर्गत विकास किया है। मेट्रो रेल योजना के अन्तर्गत 597 करोड़ की योजना का बजट में प्राविधान किया गया है। हमारी सरकार ने गरीबी रेखा से नीचे जीवन जीने वाले परिवारों को 1 करोड़ 1 लाख मुफ्त बिजली कनेक्शन दिये हैं। हमारी सरकार ने भारत मिशन योजना के अन्तर्गत 2 करोड़ 61 लाख शौचालयों का निर्माण किया है। हमारी माता-बहनें शौच के लिए पहले अंधेरे का इन्तजार करती रहती थीं। आज हमारी सरकार ने माताओं-बहनों के लिए सबसे बड़ा कार्य किया है, हमारी सरकार ने वह करके दिखाया है। इससे पहले की सरकारों में लोग एक-एक आवास को तरसते थे, गरीब आवास आता भी था तो गरीबों से पहले ही किश्त में ये दलाल आधी रकम भ्रष्टाचार में वसूल कर लेते थे। हमारी सरकार ने दलालों की दलाली बन्द करा दी है।

वर्ष 2022-23 के बजट में 420 लाख 50 हजार गरीबों के आवास बनाने का लक्ष्य है। हमारी सरकार डबल इंजन की सरकार, भारत सरकार के माननीय प्रधानमंत्री निधि योजना के अन्तर्गत पूरे देश में किसान सम्मान निधि योजना के अन्तर्गत किसानों की आय दोगुनी करने के लिए बिना किसी भेदभाव के किसानों को माननीय प्रधानमंत्री निधि 6 हजार रुपये सालाना देने का काम किया है। ग्राम के विकास के लिए अन्य सरकारों ने कभी भी इतने बजट का प्राविधान पंचायती राज विभाग के अन्तर्गत नहीं किया था। हमारी सरकार ने सर्वाधिक बजट 7466 करोड़ रुपये की व्यवस्था की है। हमारी सरकार ने पूरे प्रदेश की गरीब व सामान्य जनता का ध्यान रखते हुए सर्वाधिक बजट का प्राविधान किया है। मैं आपसे विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि मेरी विधान सभा 93-फतेहाबाद यमुना उटंगन खारी नदियों के बीच का ऊबड़-खाबड़ नीचा, गहरा, जंगलों का क्षेत्र तथा राजस्थान की सीमा से लगे होने के कारण भू-गर्भ जल काफी गहरा चला गया है, जिससे कुएं व हैण्डपम्प सभी सूख गये हैं।

माननीय अधिष्ठाता महोदय, पीने के पानी का गम्भीर संकट व्याप्त है। सरकार द्वारा अब तक जितने ओवरहेड टैंक बनाये गये हैं, सभी बन्द पड़े हैं, एक भी ओवरहेड टैंक से पीने का पानी की किसी गांव में पूरी सप्लाई नहीं हो रही है। किसानों को सिंचाई के लिए कोई भी सरकारी नलकूप काम नहीं कर रहा है। नहर भी ओखला से निकली है जिसका आगरा कैनाल के नाम से अन्तिम छोर है जो पानी सिंचाई के लिए कभी भी समय से किसानों को पूरा नहीं मिल पाता है जिससे किसानों के सामने सिंचाई का गम्भीर संकट व्याप्त है। मेरी आपसे जनहित में मांग है कि यमुना नदी में कम से कम फतेहाबाद में दो बैराज बनाये जायें और उटंगन नदी

पर पक्के चेक डैम की डिजाइन आन्ध्र प्रदेश के हिसाब से जगह-जगह बनाये जायें जिससे भू-गर्भ जल काफी ऊंचा जा सकता है जिससे किसानों की सिंचाई की समस्या का थोड़ा बहुत समाधान हो सकता है।

मैं सरकार का ध्यान आकर्षित करता हूँ कि वर्ष 2022-23 के बजट में प्राविधान किया जाये क्योंकि आवारा पशु गाय-सांड स्थानीय तो हैं ही परन्तु विधान सभा क्षेत्र की सीमा राजस्थान से लगी होने के कारण हजारों गाय-सांड राजस्थान में हमारी विधान सभा क्षेत्र में आ गये हैं जिससे कई हजार गाय-सांड होने के कारण किसानों की फसल नष्ट कर रहे हैं और रात को रोडों पर आ जाते हैं जिससे तमाम किसानों व अन्य की दुर्घटना में मृत्यु हो रही है। अभी हाल ही में सेवला गोरवा गांव में विकास खण्ड शमसाबाद में जितेन्द्र सिंह बघेल को सांड ने पटक कर मार दिया, ऐसे तमाम किसानों को सांड-गायों ने घायल कर दिया है। मेरी आपसे विनम्र प्रार्थना है कि कम से कम 5 गौशालाओं का निर्माण कार्य फतेहाबाद, आगरा में अतिशीघ्र कराये जाने का बजट में प्राविधान किया जाये। माननीय से प्रार्थना करता हूँ कि मेरी फतेहाबाद आगरा में सुरक्षा की दृष्टि से पूर्व में रूपुर थाना फतेहाबाद के अन्तर्गत पुलिस चौकी थी जो समय-समय पर हटा दी जाती है जिसको स्थायी स्वीकृत कर चयन बनाने व थाना डौकी व थाना फतेहाबाद व थाना नगला सिंगी, जनपद फिरोजाबाद तीनों थानों का घाट घाट पुल पर सीमा लगती है जिससे समय-समय पर बदमाश मौका देखकर घटना घटित करते रहते हैं या बाहर से घटना कर पुलिस व्यवस्था न होने के कारण बदमाश राजस्थान की सीमा में भाग जाते हैं। मेरा अनुरोध है कि घाट घाट व रूपुर ग्रामों में स्थाई पुलिस चौकी बनाने का भी बजट में प्राविधान किया जाये जिससे जनता की सुरक्षा व्यवस्था करायी जाये। आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे बनने से आगरा का विकास हुआ है जिस पर जो ट्रैफिक दक्षिण भारत से आता है जो आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे पर फतेहाबाद-फिरोजाबाद मार्ग के कट से चढ़ता है जो 7 मीटर चौड़ा है जिस पर अधिक ट्रैफिक होने के कारण रोजाना जाम लगा रहता है जिससे आये दिन दुर्घटना होती रहती है। मान्यवर से विनती है कि शमशाबाद-फतेहाबाद मार्ग से फिरोजाबाद-फतेहाबाद मार्ग के आगरा-लखनऊ एक्सप्रेस-वे कट भलोकरा तक 4 लेन बनाने का भी बजट में प्राविधान किया जाये।

माननीय निवेदन करता हूँ कि निषाद, मल्लाह, केवट, बिन्द, कश्यप अधिकांश आबादी नदियों के किनारे बसी हुई है क्योंकि आदिकाल में जब हवाई जहाज व रेल व ट्रैफिक नहीं था तब सारा सामान व व्यापार का कार्य नदियों द्वारा किया जाता था। अब पूरे देश में नई तकनीक, नये विकास की तकनीकी बढ़ती जा रही है और नदियों में गर्मी के मौसम में पानी कम रह जाता है और अधिकांश नदियों पर पक्के पुल बन गये हैं जिससे नावों का भी धन्धा खत्म हो गया है जिससे बेरोजगारी काफी मात्रा में उपरोक्त जातियों की बढ़ गयी है और एक और गम्भीर समस्या है कि हर साल नदियों में वर्षा ऋतु में बाढ़ आती रहती है। नदी के किनारे बसे व्यक्तियों के हर साल बाढ़ में मकान ढह जाते हैं जिससे नये कच्चे या पक्के मकान बनाने में ही पूरी जिन्दगी निकल जाती है। मान्यवर से, नेता सदन से प्रार्थना है कि नदी

किनारे बसी आबादी को नदी से ऊपर जमीन आवंटन कर नयी कालोनी बसाने के लिए वर्ष 2022-2023 के बजट में प्रावधान किया जाये जिससे उपरोक्त समुदाय हमेशा अपना जीवन निर्भीकता से जी सके और अपने बच्चों को पढ़ा सकें और विकास की धारा से जुड़ सके।

श्री अधिष्ठाता-

सभी माननीय सदस्यों से यह आग्रह है कि कृपया 5 मिनट में अगर अपनी बात कहेंगे तो सबकी बात हो जायेगी।

श्री अतुल प्रधान-

धन्यवाद माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूँ। इस अट्ठारहवीं विधान सभा में मुझे आने का मौका हमारे क्षेत्र की जनता सरधना के लोगों ने दिया। मैं धन्यवाद करूंगा कि इस मौके पर माननीय नेता प्रतिपक्ष जिन्होंने कल बजट के विषय में विस्तृत रूप से प्रदेश को और प्रदेश की जनता को एक मार्गदर्शन देने का मौका दिया। मैं, जो बजटीय भाषण है, उद्बोधन है और उस पर अपनी जो बात रखनी है, उससे पहले एक शेर सुनाना चाहता हूँ कि 'हुकूमत ने मासी ऐसी हेराफेरी इस कदर की है, हुकूमत ने मासी ऐसी हेराफेरी इस कदर की है। बनायी जो इमारत हमने उसको दर-बदर की है। तमाशा कर दिया तुमने वतन के नौजवानों का, तमाशा कर दिया तुमने वतन के नौजवानों का, जो जीते थे खुशी से आज वो बरबाद कर बैठे हैं।' यहां पर मासी का मतलब पैसों से है। इस सरकार की जो मंशा है, इस बजट के माध्यम से वह उन नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ करने का काम कर रही है। चूंकि मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ऐसे जिले से आता हूँ जहां की पूरी पट्टी गन्ना बाहुल्य है। हमारे यहां पर 90 से 95 प्रतिशत गन्ने के किसान हैं।

मान्यवर, यह सरकार किसानों के गन्ने की जो बात करती है वह सिर्फ उनका वह पैसा देने की बात करती है जो इन्होंने गन्ना किसानों को उधारी दी है न कि अपनी जेब से कोई बजट दिया, लेकिन उसके बावजूद मुजफ्फरनगर, बागपत, सहारनपुर और मेरठ में गन्ना किसानों के बकाये 810 करोड़ रुपये में से अकेले हमारे मेरठ में एक चीनी मिल तलोनी जिसमें 439 करोड़ रुपये गन्ना किसानों का बकाया है। हमारे पूरे पश्चिमी उत्तर प्रदेश में गन्ना किसान के घर में जब पैसा आता है तब उस किसान की बेटी की डोली उठती है तब उसके बच्चे की पढ़ाई का पैसा जाता है अैर उसी से ही वह व्यक्ति अपने घर की जरूरतों को पूरा करने की कोशिश करता है, लेकिन इस सरकार ने बजट में केवल सरकारी चीनी मिलों की बात की है। अगर निजी चीनी मिलों की बात की जाये तो उसके लिए बजट में एक रुपया भी देने की बात नहीं की गयी है। मान्यवर, मैंने भाजपा के कई साथियों को सुना है।

मान्यवर, जो राष्ट्रवादी शब्द है, अगर किसी ने लोहिया जी को पढ़ा हो और मा0 नेता प्रतिपक्ष ने कहा था हिन्दू बनाम हिन्दू। लोहिया जी ने एक बात कही थी कि सत्ता का केन्द्रीकरण होना जनता के लिए घातक है, इसका विकेन्द्रीकरण होना चाहिए। सत्ता जब गरीब,

किसान, नौजवानों के बीच में रहती है और अगर उन लोगों को मौका मिलता है तभी देश में खुशहाली आ सकती है। जब पूरा देश परसों मा0 चौधरी चरण सिंह जी की पुण्यतिथि मना रहा था तो उन्हीं चौधरी चरण सिंह जी ने कहा था कि देश की तरक्की खेत और किसानों की गलियों से, मोहल्लों से, खेतों से होकर गुजरती है तो अगर उन्हीं की बात न हो तो मैं समझता हूँ कि यह पूरा का पूरा बजट अधूरा है। मान्यवर, मौके बहुत सारे हैं, बातें कितनी सारी हैं, लेकिन रोजगार के ऊपर मैं एक बात और कहना चाहूंगा और मैं अपने सफाई कर्मचारियों का मुद्दा यहां पर उठाना चाहता हूँ। रोजगार की जहां बात की जाती है तो अकेले मेरठ के नगर निगम में सफाई कर्मचारियों के 3367 पद हैं और उन पदों पर स्थायी नियुक्ति होनी चाहिये, लेकिन मात्र 695 पद भरे गये बाकी सब पद खाली पड़े हैं। इसके आगे निकलिये तो एक उत्पाद एक जिले की बात की जाती है। मेरठ जिला जो कैंची के उत्पाद के लिए लघु एवं कुटीर उद्योग में जाना जाता था, उसके लिए बजट में एक रुपया भी देने की बात नहीं की गयी है। इससे पहले पांच साल में भी उस पर कोई काम नहीं किया गया। हमारा मेरठ स्पोर्ट्स में बहुत नाम रखता है, दूर-दूर से लोग क्रिकेट का सामान लेने आते हैं, लेकिन स्पोर्ट्स के बारे में बजट में एक भी बात नहीं की गयी है।

मान्यवर, यह छात्रों और नौजवानों की बात करते हैं तो मैं यहां पर छात्रसंघों का जिक्र करना चाहता हूँ। हमारे पत्रकार साथी भी गैलरी में हैं। छात्रसंघ चुनाव से निकल कर खेत, किसान, गरीब का बेटा छात्रसंघ चुनाव में भागीदारी लेकर मुख्यधारा से जुड़ा करता था, लेकिन इस सरकार ने उसको भी बरबाद करने का काम कर दिया। मान्यवर, मैं कहना चाहता हूँ कि हमारे मेरठ में हस्तिनापुर एक विधान सभा है और वह बहुत गौरवशाली जगह है। काशी, अयोध्या और मथुरा की बात की जाती है, लेकिन हस्तिनापुर को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करने की बात एक बार भी बजट में नहीं आयी। कौरव-पाण्डवों की जहां पर रियासत थी, जहां पर पांच हजार साल पूर्व बड़ी-बड़ी इमारतें हुआ करती थीं, उस हस्तिनापुर के लिए बजट में कोई भी पैकेज देने का काम नहीं किया गया है। सरधना विधान सभा क्षेत्र से मैं आता हूँ उस सरधना क्षेत्र में एशिया का सबसे पुराना चर्च है जिस पर पर्यटन की बात की गयी थी कि सबसे ज्यादा राजस्व अगर किसी रूप में आ सकता है तो वह पर्यटन से आ सकता है। मैं सरकार के लोगों का ध्यान केन्द्रित करना चाहता हूँ कि उस सबसे पुराने एशिया के चर्च पर आज तक लाईट लगवाने का काम इस सरकार ने नहीं किया है और एक भी पैसा इस चर्च के लिए निर्गत करने का काम इस सरकार के द्वारा नहीं किया गया है।

मान्यवर, हमारे यहां से एक गंग नहर निकलती है जो कि हरिद्वार से निकलकर आगे की तरफ जाती है उसकी एक पटरी मा0 अखिलेश यादव जी ने लगभग पौने दो सौ करोड़ से बनवायी थी और दूसरे तट की पटरी प्रस्तावित है जो अभी तक नहीं बनी है, जिससे कहीं न कहीं स्थितियां खराब होती जा रही हैं। इस मौके पर मैं एक बात कहना चाहता हूँ मैं राष्ट्रवाद की बात कह रहा था, जिस राष्ट्रवाद में शोषित न हो, जिस राष्ट्रवाद में रोजगार के ऊपर चर्चा न हो, ये बात करते हैं बाबा साहब की, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की, हम अपने साथियों

से पूछना चाहते हैं कि आपने पूरे बजट में, जो पूरे बजट की योजनायें हैं क्या इस बजट में बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर जी के ऊपर भी आपने किसी तरह की कोई योजना रखी है ?

श्री अधिष्ठाता-

अब आप समाप्त करिए।

श्री अतुल प्रधान-

मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सरकार को कहना चाहता हूँ कि जो लोग बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की बात करते हैं और सारी की सारी चीजों को निजीकरण की ओर ढकेले जा रहे हैं। अगर सारी की सारी नौकरियां निजी क्षेत्र में चली जायेंगी तो आरक्षण कहां से बचेगा ? आप पिछली सरकारों की चर्चा करते हैं।

श्री अधिष्ठाता-

अतुल प्रधान जी, अब आप अपनी बात समाप्त करें, अब आपकी बात लिखी नहीं जायेगी। श्री राजेश चौधरी जी।

श्री राजेश चौधरी-

आदरणीय अधिष्ठाता जी, मैं यहां पर उत्तर प्रदेश सरकार में आदरणीय वित्त मंत्री जी द्वारा विधान सभा के पटल पर जो बजट रखा गया है उस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ। आज इस सरकार ने जो बजट रखा है यह बजट किसान का बजट है, यह बजट गरीब का बजट है, यह नौजवानों का बजट है, यह बजट उत्तर प्रदेश को पुनः विकास के रास्ते पर ले जाने वाला बजट है। इस बजट में समाज के हर वर्ग के लिए कल्याण की बात कही गयी है। ये बजट इनको रास नहीं आयेगा। मा0 नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि यह बजट बंटवारा है, अरे मैं तो कहना चाहता हूँ कि जिन्होंने जीवन भर बंटवारे का ही काम किया हो, जिन्होंने अपने जीवन में केवल बंटवारा किया हो, जिन्होंने उत्तर प्रदेश को बर्बाद करने का काम किया हो, जिन्होंने समाज के अन्दर खाई खोदने का काम किया हो उनको यह बजट बंटवारा ही नजर आयेगा, और कुछ नजर नहीं आयेगा।

श्री अधिष्ठाता-

अतुल जी आप बैठ जायें, अब आपका लिखा नहीं जा रहा है।

श्री राजेश चौधरी-

मान्यवर, उत्तर प्रदेश के इतिहास में ऐसा बजट आज तक नहीं आया है। यह बजट गरीबों के हित का बजट है। इस बजट में किसानों को फ्री में बिजली देने की बात कही गयी है इसलिए यह बजट इनको पसन्द नहीं आ रहा है। ये कभी भी किसान हितैषी नहीं रहे हैं, ये कभी भी मजदूर हितैषी नहीं रहे हैं, इन्होंने कभी भी नौजवानों के कल्याण के लिए बात नहीं की, इन्होंने केवल किसानों के नाम पर राजनीति का धन्धा चलाने का काम किया है। विपक्ष के मा0 नेता यहां पर बैठे हुए हैं, कल मैं उनको सुन रहा था। वह कह रहे थे कि केन्द्र में

आपकी सरकार है आपको राफेल भी बनाना चाहिए था। मैं मा0 नेता प्रतिपक्ष से एक प्रश्न पूछना चाहता हूँ कि आपके पिता जी भी इस देश के रक्षा मंत्री रहे थे, क्या आपने चूहा मार दवाई बनाने की फैक्ट्री भी शुरू की थी ? आप क्या करते रहे थे, आपने उस समय राफेल क्यों नहीं बनाया था ? आपने देश के लिए क्या किया, ये समाजवादी लोग केवल समाज को बांटने का काम करते हैं आज किसानों को ये सरकार निःशुल्क बीज दे रही है, हर ट्यूबवेल तक बिजली पहुंचाने का काम हो रहा है।

याद करिए वो समय जब बिजली नहीं आती थी तो चाहे कड़कड़ाती हुई ठण्ड पड़ रही हो, चाहे बरसात हो, चाहे धूप हो, बेचारा किसान ट्यूबवेल पर बैठा रहता था और जैसे ही उसे लगता था कि बिजली आई, बल्ब जला तो फौरन अपना स्टार्टर दबाता था और सोचता था कि अब उसके खेत में सिंचाई हो जायेगी। अगले 10 मिनट में फिर बिजली चली जाती थी। दो-दो घण्टे किसान बिजली के इन्तजार में बल्ब की तरफ देखता रहता था कि बिजली आयेगी और खेत में सिंचाई करूंगा। हारकर जब वह घर की तरफ चलता था, गांव के पास पहुंचते ही थोड़ी सी बिजली दिख जाती थी तो वह फिर खेत की तरफ दौड़कर हांफता हुआ पहुंचता था। समाजवादी पार्टी के शासन में यह हाल होता था। 40-50 सालों से जिन नहरों, बम्बों, रजवाहों में पानी नहीं आता था। उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले पांच साल में उन नहरों, बम्बों, रजवाहों में पानी पहुंचाने का काम किया है। आप उन किसानों का दर्द तो जानिये, उनसे पूछिये कि इस सरकार में उन्हें कितना रिलीफ मिला है। आप केवल एक ही काम कर सकते हैं, बंटवारा। अगर मरहम लगा सको तो गरीबों के जख्मों पर लगा देना। आप जैसे हकीम बहुत हैं, अमीरों का इलाज करने वाले बहुत हैं। आप लोग बढ़िया काम नहीं कर सकते।

मेरे क्षेत्र से यमुना एक्सप्रेस-वे गुजरता है। आप टेलीविजन पर, मीडिया में रोज यह खबर देखते होंगे कि वहां कितने बड़े-बड़े एक्सीडेन्ट होते हैं। ये कहते हैं कि इन्होंने एक्सप्रेस-वे बनाने की शुरुआत की, पर इनके आने से पहले यमुना एक्सप्रेस-वे बनकर तैयार हो गया था। उस एक्सप्रेस-वे पर सैंकड़ों लोग इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मैं सदन के माध्यम से यह मांग करूंगा कि वहां एक ट्रॉमा सेण्टर का निर्माण हो। वहां दुनिया भर से, विदेशों से लोग आते हैं। एक्सीडेण्ट हो जाता है तो बेचारे इलाज के अभाव में दम तोड़ देते हैं। मैं आप लोगों से यह कहना चाहूंगा कि यह सरकार किसानों के कल्याण के लिए बात कर रही है। यह सरकार गांव में जाकर ओपन जिम बनवाकर नौजवानों के कल्याण की बात कर रही है। इन्हें यह बजट पसन्द नहीं आया है। मैं इस बजट के समर्थन में खड़ा हुआ हूँ, मैं सरकार को बधाई देता हूँ और यह कहना चाहता हूँ कि सरकार जिस तरह से काम कर रही है, इसी तरह से करती रहे। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री शलभ मणि त्रिपाठी-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, आपने बजट पर मुझे मेरा मत रखने का अवसर दिया, इसके लिए धन्यवाद। किसी भी राज्य का बजट उस सरकार की जो प्रतिबद्धता, प्राथमिकता, भावना होती है, उसको परिलक्षित करता है। माननीय योगी जी के नेतृत्व में माननीय वित्त मंत्री

जी के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश की सरकार ने पिछले पांच वर्षों में जिस तरह का काम किया है, जैसी उनकी भावना रही है, जैसी उनकी प्राथमिकता रही है। इसका उदाहरण प्रस्तुत करने के लिए मैं आपको एक वाकये की तरफ ले जाना चाहता हूँ।

यह वाकया सन् 2017 का है। माननीय मुख्य मंत्री जी को शपथ लिये कुछ ही दिन बीते थे। अभी उन्होंने काम शुरू किया था और उसी दिन देश के एक बड़े अखबार की एक तस्वीर उनके सामने आई। जिसमें कुछ बच्चों की तस्वीर थी जो प्राथमिक स्कूलों में पढ़ते हैं। गरीब परिवारों के बच्चे थे। चिलचिलाती गर्मी में स्कूल जा रहे थे। उनके हाथ में जो बस्ता था वह उन्होंने अपने सिर पर रखा हुआ था, उनके पांव नंगे थे। अखबार ने यह छापा था कि सिर बचाऊँ या पांव। मुख्य मंत्री जी के सामने यह तस्वीर गई तो उन्होंने विभाग के अधिकारियों को फौरन बुलवाया और पूछा कि इन बच्चों के पांव में जूते क्यों नहीं हैं ? ये प्राइमरी स्कूल में पढ़ने वाले गरीब परिवारों से आने वाले बच्चे हैं। इन बच्चों के पांव में जूते नहीं हैं तो ये स्कूल कैसे जायेंगे ? अधिकारियों ने कहा कि जूते देने का कभी कोई प्राविधान नहीं हुआ, ऐसी कोई व्यवस्था नहीं हुई। सरकारी स्कूलों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनको हम जूते नहीं दे सकते। उसके लिए कोई बजट नहीं है। मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बजट कैसे आयेगा तो वे बोले कि बजट का संकट है, आर्थिक संकट है। हम इन बच्चों के पांव में जूते नहीं पहना सकते। मुख्य मंत्री जी ने फौरन आदेश किया और कहा कि जितनी भी फिजूल खर्ची हो रही है तत्काल रोकी जाये और एक महीने के अन्दर इन सारे बच्चों के पैरों में जूते पहनाने की व्यवस्था की जाये। यह भावना है और यह प्राथमिकता है।

महोदय, हमारी सरकार की यही भावना है और प्राथमिकता है। हम सबने एक मूवी देखी होगी। वह मूवी बहुत लोकप्रिय हुई थी। टॉयलेट एक प्रेम कथा, लेकिन यह मूवी देखने के बाद मुझे अफसोस हुआ कि इस देश में आजादी के सात दशक बाद कोई फिल्म बन रही है टॉयलेट एक प्रेम कथा तो उसमें भारत की कैसी तस्वीर प्रस्तुत की जा रही है। मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 प्रधानमंत्री जी व मुख्य मंत्री जी ने प्रदेश की नारी शक्ति को सशक्त करने का काम किया व स्वाभिमान जगाने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने अपने संसाधनों से पूरे प्रदेश के लाखों किसानों का कर्ज माफ किया और किसानों को कर्ज मुक्ति दिलायी गयी।

मैं धन्यवाद देना चाहूंगा मा0 प्रधानमंत्री जी व मुख्य मंत्री जी को कि उत्तर प्रदेश के इतिहास की यह पहली ऐसी सरकार है कि अपने घोषणा-पत्र को बजट में 75 फीसदी से ज्यादा लागू करने का काम किया है। भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव से पूर्व 130 संकल्प लिये थे अैर मुझे यह बताते हुए खुशी हो रही है कि जो पहला बजट आया है उसमें 97 संकल्पों को पूरा करने का काम किया गया है। इस देश में कुछ विद्यालय ऐसे हैं कि जहां ऐसे नारे लगाये जाते हैं कि अफजल हम शर्मिन्दा हैं, तेरे कातिल जिन्दा हैं। हमारी छात्र शक्ति को किस तरफ ले जाने का प्रयास हुआ है, यह सबने देखा है। लेकिन हम सबको इस सरकार में गौरव की अनुभूति हो रही है। उत्तर प्रदेश में सन्तों के साथ किस तरह का व्यवहार होता था बताने की

आवश्यकता नहीं है। लाठी चलती थी, गोली चलती थी और सन्तों को परिक्रमा करने की अनुमति नहीं दी जाती थी लेकिन मुझे अब यह कहते हुए सुखद अनुभूति होती है कि सरकार सन्तों को सशक्त करने के लिए पालन-पोषण के लिए एक योजना लेकर आयी है। आज मुख्य मंत्री जी के नेतृत्व में गांव-गांव तक बिजली 24 घण्टे पहुंचाने का काम किया जा रहा है। मैं दो पंक्तियों के साथ अपनी बात को खत्म करता हूँ। लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती है, हौंसले बुलन्द हों तो सामने कोई दीवार नहीं होती है जलते हुए दिये ने आंधियों से यह कहा कि रोशनी देने वालों की कभी हार नहीं होती। धन्यवाद।

श्री स्वामी ओउमवेश-

ओम भूर्व भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं। भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अधिष्ठाता महोदय, मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे बजट पर बोलने का अवसर प्रदान किया। कल हमारे नेता मा0 अखिलेश यादव जी ने बजट के ऊपर जो अपने विचार रखे हैं मैं अपने को उन सभी विचारों से सम्बद्ध करता हूँ और समर्थन करता हूँ। महोदय, मैंने इस बजट को कई बार पढ़ा है लेकिन मैंने कहीं भी इस बजट में नौजवानों के निर्माण की बात कहीं पर भी नहीं कही गयी है। जो सबसे अहम है। इतिहास इस बात का साक्षी है कि जिस देश के नौजवान कमजोर हो जाते हैं, बलहीन हो जाते हैं, चरित्रहीन हो जाते हैं, वह देश टूट जाया करता है और वह कभी भी उन्नति नहीं करता है। एक बार कुछ ऋषि-मुनि रावण की लंका देखने के लिए गये। रावण ऋषि-मुनियों को अपनी लंका दिखाते हुए खुश हो रहा था और बता रहा था कि यह मेरे सोने के भण्डार हैं, यह चांदी के भण्डार हैं, यह मेरे शस्त्रों के भण्डार हैं, यह मेरी पुलिस है, यह मेरी सेना है। एक ऋषि ने पूछा कि रावण आपने अपने सारे भण्डार दिखा दिये, रसायनशालायें दिखा दी, सेना दिखा दी, पुलिस दिखा दी, लेकिन आपने चरित्र निर्माणशाला नहीं दिखाई है। क्या आपके यहां पर कोई चरित्र निर्माणशाला नहीं है, जिस पर रावण कहता है कि मैंने चरित्र निर्माणशाला नहीं बनाई है। जिस पर ऋषि कहता है कि लंकेश मैं बताना चाहता हूँ कि तेरी लंका में चरित्र निर्माणशाला नहीं है इसलिये एक दिन तेरी लंका जलकर खाक हो जायेगी। मैं सरकार को बताना चाहता हूँ कि आपने चरित्र निर्माण शाला का कोई भी अध्याय नहीं जोड़ा है इसलिये एक दिन आपकी सरकार अपने आप ही गिर जायेगी और अपने आप ही बर्बाद हो जायेगी।

मान्यवर, हमारा देश कृषि प्रधान देश है। आर्य समाज के संस्थापक महर्षि दयानन्द सरस्वती जी ने किसान को राजाओं का राजा बताया है। हम सब किसान को अन्नदाता कहते हैं। हमारे पूर्व प्रधानमंत्री आदरणीय चौधरी चरण सिंह जी ने किसानों के लिए बहुत अच्छी-अच्छी बातें कही थीं। वह अन्नदाता जो धरती माँ का सीना चीरकर अन्न और गन्ना पैदा करता है और उससे सबका पेट भरता है, आज वह अपने परिवार का पालन-पोषण अच्छी तरह से नहीं कर पा रहा है। किसान रात को जब सोने के लिए चारपाई पर जाता है तो उसको नींद नहीं आती है क्योंकि उसको अपनी बेटी की शादी की चिन्ता है जो 30-32 साल की हो गई है, उसको अपने बिजली के बिलों के भरने की चिन्ता है जो आज तक बकाया है,

उसको अपने बच्चों की फीस की चिन्ता है जिसमें वह रात भर करवट बदलता रहता है और उसको नींद नहीं आती है। वह सुबह उठकर अपने काम पर चला जाता है। जिस देश और प्रदेश में अन्नदाता किसान का बेटा सारे देश को खिलाने का काम करता हो और उसका बेटा रात को भूखा सोता हो तो ऐसी सरकार को बदलने के लिए नौजवानों के दिलो-दिमाग पर एक आवेश होना चाहिये। हमारे नेता प्रतिपक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने जो भी बातें यहां पर रखी हैं किसी ने भी उसका विरोध नहीं किया है क्योंकि वह सारी की सारी बातें सत्य थीं। 100 नम्बर की गाड़ी चलाकर, 102 नम्बर की गाड़ी चलाकर, 108 नम्बर की एम्बुलेन्स चलाकर अखिलेश यादव जी ने सिद्ध कर दिया था कि वह 36 बिरादरी के नेता हैं और 36 बिरादरी की बातें सुनने वाले हैं। भारतीय जनता पार्टी के लोग श्री अखिलेश यादव जी की पानी पी-पीकर बुराई करते हैं, लेकिन मैं उनको बताना चाहता हूँ कि श्री अखिलेश यादव जी ने जो काम करके दिखा दिया है वह आज तक न तो किसी ने किया है और आगे ना ही कोई कर सकेगा। मैं श्री अखिलेश यादव जी की तरफ से कहना चाहता हूँ कि-

''चमन को सींचने में कुछ पत्तियां गिर गई होंगी हमसे, यही इल्जाम है हम पर,
रौंद डाला है जिन्होंने पूरे आशियाने को वही दावा करते हैं रहनुमाई का।''

श्री अधिष्ठाता-

माननीय सदस्य कृपया आप समाप्त करिये। दूसरे माननीय सदस्यों को भी बोलने का अवसर दीजिये।

श्री स्वामी ओउमवेश-

माननीय अधिष्ठाता महोदय, मुझे बहुत दिनों के बाद आज बोलने का अवसर मिला है। मैं आपके माध्यम से अपने विधान सभा क्षेत्र चांदपुर, बिजनौर की कुछ बातें सदन के सामने रखना चाहता हूँ। भारतीय जनता पार्टी का कहना है कि वह साधु-संन्यासियों का सम्मान करती है। आपने मुख्य मंत्री योगी जी को बना रखा है। चांदपुर नगर में रेलवे के दोनों फाटकों पर फ्लाईओवर का निर्माण कराया जाये। शिक्षामित्रों को पुनः सहायक अध्यापक बनाकर 40 हजार रुपये वेतन दिलाया जाये। बागरपुर, मुस्तफाबाद, जलीलपुर, सिसौना, पीपलसाना, बसी बिजलीघरों का उच्चीकरण कराया जाये। मुझे पीछे की सीट पर बैठा रखा है। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि कैमरा मैन को कह दें कि कभी-कभी स्वामी ओउमवेश के ऊपर भी कैमरा लगा दिया करें। मेरे चांदपुर क्षेत्र में जहानाबाद से नान रोड, तटबन्ध बनाकर किसानों की फसलों को बचाया जाये।

श्री अधिष्ठाता-

इसके बाद श्री प्रकाश द्विवेदी जी बोलेंगे।

श्री स्वामी ओउमवेश-

आपने मुझे बजट पर बोलने का मौका दिया, मैं आपका आभारी हूँ। धन्यवाद।

श्री प्रकाश द्विवेदी-

अधिष्ठाता महोदय, सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद दूंगा कि आपने मुझे बजट के समर्थन में बोलने का अवसर दिया। मैं बता दूं कि मुझे बुन्देलखण्ड के बांदा से दूसरी बार जनता-जनार्दन ने चुनकर भेजा है। बुन्देलखण्ड जहां पानी का विशालतम संकट है। देश की आजादी के बाद बहुत सारी सरकारों ने नाना प्रकार की योजनायें दीं और तमाम योजनाओं के बाद भी पानी का संकट जस का तस बना रहा। पानी के संकट के बारे में बुन्देलखण्ड की एक कहावत थी जो औरतें 5-7 कि0मी0 दूर नदियों से पानी लाती थीं वह कहती थीं कि-भौरा तोरा पानी गजब कर जाये गगरी न फूटे चाहे खसम मर जाये। मतलब उनको पानी से इतना दर्द था। लेकिन हमारी सरकार ने बुन्देलखण्ड में हर घर पाइप पेयजल योजना के तहत जो गांव-गांव पाइपलाइन से पानी पहुंचाने का काम प्रारम्भ किया है तो बुन्देलखण्ड में देश की आजादी के बाद पहली बार पानी के संकट से निजात मिली है। कभी बुन्देलखण्ड ने भी यह कल्पना नहीं की होगी कि हम लोगों को भी एक्सप्रेस-वे मिलेगा। लेकिन चित्रकूट से चलकर जो लखनऊ-आगरा एक्सप्रेस-वे में कनेक्टिविटी है तो अब बुन्देलखण्ड वाले भी 5-6 घण्टे में देश की राजधानी दिल्ली में पहुंच सकेंगे। इसके अलावा सड़कों का एक व्यापक जाल पूरे बुन्देलखण्ड में गांव-गांव में पहली बार भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया है। आज जो पूर्ववर्ती सरकारों की सिंचाई की परियोजनायें लम्बित थीं। हमारी सरकार ने उन सभी सिंचाई की परियोजनाओं को पूरा करने का काम किया है। चाहे वह अर्जुन सहायक परियोजना हो, चाहे वह ललितपुर की सिंचाई परियोजना हो।

(इस समय 01 बजकर 28 मिनट पर श्री अध्यक्ष पुनः पीठासीन हुए)

विपक्ष के द्वारा यह दावा कि यह बंटवारा करने वाला बजट है। अगर हम विभागवार इस बजट को देखेंगे तो यह प्रदेश के नौजवानों के लिए, किसानों के लिए सभी के लिए यह बड़ा कल्याणकारी बजट है। अध्यक्ष महोदय, मैं यह कहूंगा कि पूरे बुन्देलखण्ड में देश की आजादी के बाद आज गांव-गांव में पहली बार बिजली पहुंची है। जहां गांव वालों, मजरे वालों ने कभी कल्पना भी नहीं की होगी कि हमारे यहां कभी बिजली आयेगी, वहां भी बिजली पहुंची है। चाहे सड़कों का जाल हो, इण्टरस्टेट कनेक्टिविटी हो, पहली बार मध्य प्रदेश से उत्तर प्रदेश की तरफ जुड़ने वाली सारी सड़कें अब दो-लेन बनी हैं। गांव-गांव में जिस तरीके से बिजली पहुंची है। पेयजल की व्यवस्था हुई है। आज बुन्देलखण्ड योगी राज में पूरी तरीके से खुशहाल है। कानून-व्यवस्था की बात करें तो आज प्रदेश के थाना चौकियों से दलाल, माफिया, गुण्डों का पलायन हो चुका है, कानून का राज है। विकास के नाम पर आज उत्तर प्रदेश की जो छवि देश के मानचित्र पर बदली है।

श्री अध्यक्ष-

श्री प्रकाश जी अब समाप्त करें।

श्री प्रकाश द्विवेदी-

मान्यवर, अनेक प्रदेशों में यह मांग की जाती है कि काश हमारे यहां भी एक बार योगी जी मुख्य मंत्री होते। आज बाहर के प्रदेशों में भी इस तरह की उत्तर प्रदेश की छवि बनी है। वह अपहरण वाला, गुण्डे-माफियों वाला उत्तर प्रदेश अब नहीं रहा। पिछले पांच सालों में जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी की योगी सरकार ने काम किया है उसी का यह प्रतिफल है कि प्रचण्ड बहुमत के साथ एक बार पुनः 2022 में योगी जी के प्रति जनता ने अपना समर्थन व्यक्त किया है और पुनः सरकार बनाकर एक प्रकार से अपना जनादेश दिया है। उससे यह देखा जा सकता है कि जनता सन्तुष्ट थी कि नहीं सन्तुष्ट थी। महोदय, एक बार पुनः बुन्देलखण्ड की जनता की ओर से धन्यवाद देता हूँ। धन्यवाद।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आभारी हूँ कि इस मा0 सदन में 26 मई, 2022 को मेरे सहयोगी मा0 वित्त मंत्री जी के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उस बजट पर मा0 नेता प्रतिपक्ष समेत अब तक लगभग 124 मा0 सदस्यों ने अपने अमूल्य विचारों को रखा है और अपने महत्वपूर्ण सुझाव के माध्यम से उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हमें मिलकर कैसे कार्य करना है, यह सब जानने का एक अवसर भी हमें प्राप्त हुआ है और मैं खासतौर पर इस बात के लिए भी सभी मा0 सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ कि कई वर्षों के बाद सदन में इतनी गम्भीर और समृद्ध चर्चा का अवसर प्राप्त हो रहा है। इससे न केवल सदन की गरिमा बढ़ी है बल्कि लोकतंत्र और जनप्रतिनिधियों के प्रति भी आम जनमानस में सम्मान का भाव भी बढ़ेगा और इस दृष्टि से मैं पूरे सदन को और खास तौर पर अध्यक्ष जी आपका भी अभिनन्दन करता हूँ और पूरे सदन के सत्तापक्ष, विपक्ष के सभी सभी मा0 सदस्यों का भी हृदय से अभिनन्दन करता हूँ उन्हें बधाई भी देता हूँ। सत्ता पक्ष के 75 और प्रतिपक्ष के 49 मा0 सदस्यों ने अपने बहुमूल्य विचार इस सदन में रखे हैं। सभी मा0 सदस्यों के द्वारा जो भी बातें यहां पर कही गयी हैं। नेता प्रतिपक्ष के भाषण के दौरान मैं स्वयं ही यहां पर था शेष अन्य प्रोसीडिंग को मैंने अपने पास मंगाकर उसको देखने का पूरा प्रयास किया है और सरकार पूरा प्रयास करेगी कि जो भी सुझाव या बातें मा0 सदस्यों ने इस सदन में रखी हैं।

मा0 अध्यक्ष जी, सरकार उसको आगे बढ़ाये और उनको मजबूती के साथ आगे बढ़ाकर प्रदेश के विकास के लिए मा0 सदस्यों की भावनाओं के अनुरूप हम उन योजनाओं का क्रियान्वयन भी कर पायेंगे। मैं नेता प्रतिपक्ष को धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने अपने भाषण को यहां पर बजट के दौरान मजबूती से रखा है। लेकिन कभी-कभी वह अपने भाषण में फिसल भी जा रहे थे। मैं उस पर आगे चर्चा भी करूंगा। आज महोदय इससे पहले मैं एक कार्यक्रम में था जिसमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा देश के अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की 11वीं किश्त डी0बी0टी0 के माध्यम से अन्नदाता किसानों के खाते में भेजने का कार्य किया है। इससे उत्तर प्रदेश के 02 करोड़ 55 लाख किसान लाभान्वित हुए हैं और मैं प्रधानमंत्री जी का आभारी हूँ कि इस योजना के माध्यम से उत्तर प्रदेश के साथ-साथ देश के

12 करोड़ किसान प्रतिवर्ष 6 हजार रुपये सालाना प्राप्त कर रहे हैं। ऐसी तमाम लाभार्थीपरक योजनाएं थीं, जिसमें प्रधानमंत्री आवास योजना है, स्वच्छ भारत मिशन के अन्तर्गत, मिले हुए इज्जत घर के बारे में या फिर सौभाग्य योजना में विद्युत कनेक्शन है, उज्जवला योजना में रसोई गैस का कनेक्शन है, जीवन ज्योति बीमा योजना है, आयुष्मान भारत योजना है और भी तमाम योजनाएं जो लाभार्थीपरक योजनाएं थीं उनके साथ मा0 प्रधानमंत्री जी ने संवाद भी बनाया है।

नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे कि समाजवाद है, अच्छा है कम-से-कम समाजवाद के बहाने ही उन्होंने मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी की गरीब कल्याणकारी योजनाओं को स्वीकार किया है उनको एप्रिशिएट किया है, लेकिन यह जो योजनाएं हैं, यह योजनाएं पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की अन्त्योदय की भावना से प्रेरित है जिसमें पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी ने कहा था कि आर्थिक योजनाओं द्वारा आर्थिक प्रगति का माप समाज के ऊपर की सीढ़ी पर पहुंचे हुए व्यक्ति नहीं, बल्कि सबसे नीचे के पायदान पर विद्यमान व्यक्ति से होगा और उस व्यक्ति के जीवन स्तर पर सुधार करने की दिशा में ही स्वावलम्बन की प्रक्रिया, आत्मनिर्भर भारत के निर्माण की इस प्रक्रिया का एक कार्यक्रम चल रहा है जिसमें हर व्यक्ति को सशक्त बनाने के लिए, गरीबों को सशक्त बनाने के लिए, उनके उन्नयन की दिशा में एक कार्यक्रम उसी प्रयास का हिस्सा है। यह पं0 दीनदयाल उपाध्याय जी की अन्त्योदय की भावना से प्रेरित योजना है और इस दृष्टि से मुझे लगता है कि इस दिशा में भारतीय नजता पार्टी नेतृत्व की केन्द्र सरकार के 08 वर्ष के सफलतम् कार्यकाल में मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक भारत, श्रेष्ठ भारत की इस पकिल्पना को साकार करते हुए हम सभी देख पा रहे हैं।

महोदय, मैं देख रहा था कि अचानक नेता प्रतिपक्ष अपने भाषण को आगे बढ़ाते-बढ़ाते उस दिन बाद में कुछ ऐसे मुद्दों पर आ गये जिसका इस बजट से सम्भवतः बहुत वास्ता रहा हो या न रहा हो और इस सदन में कुछ ऐसी बातों को कहने लग गये थे जिसका खामियाजा प्रदेश अतीत में बहुत भोग चुका है।

आज प्रदेश उससे उभर चुका है, उत्तर प्रदेश आज एक नयी दिशा की ओर बढ़ रहा है, लेकिन उनके भाषण से मुझे दुष्यन्त कुमार की ये पंक्तियां याद आ गयीं कि-

कैसे मंजर सामने आने लगे हैं,

गाते-गाते लोग चिल्लाने लगे हैं।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

वह भाषण बजट पर केन्द्रित रखते तो लोग मानते भी, खैर जो भी रहा हो मैं उस पर अभी आऊंगा, लेकिन भाषण बजट पर केन्द्रित होना चाहिए था क्योंकि यह प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा। हमारी भारतीय संस्कृति इस बात को मानती है कि शब्द ब्रम्ह है, हम जो बोलते हैं वह नष्ट नहीं होता है और यहां जो कुछ भी बोलते हैं वह विधान सभा की प्रोसीडिंग का हिस्सा बनेगा, विधान सभा की प्रापर्टी का हिस्सा बनेगा। जब तक हमारा लोकतंत्र है तब तक वह यहां की दीवारों एवं यहां की लाइब्रेरी का हिस्सा होगा और आने वाले पीढ़ी को निरन्तर

उन सब बातों की ओर सोचने को मजबूर करेगा कि कैसे लोगों ने क्या बात, कब कही थी इसलिए जब हम लोग बोलते हैं तो बहुत सोच-समझकर उन बातों को सदन में रखना चाहिए, जो वर्तमान के लिए भी और भावी पीढ़ी के लिए भी एक मार्गदर्शिका के रूप में काम आ सके। इसी दृष्टि से मैं यह बात कह रहा था। माननीय नेता प्रतिपक्ष ने एक बात और कही कि उन्होंने अपने समय में बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूलों का दौरा किया और एक बच्चे से पूछा कि मुझे पहचानते हो तो उसने कहा कि हां, आप राहुल गांधी हैं (हंसी) (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) बच्चे भोले-भाले होते हैं, लेकिन मन के सच्चे होते हैं। (हंसी) जो बोला होगा, बहुत सोच-समझ कर ही बोला होगा। (हंसी) (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) फर्क बहुत ज्यादा नहीं है। (हंसी) (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) फर्क केवल यह है कि राहुल गांधी जी देश के बाहर देश की बुराई करते हैं और आप उत्तर प्रदेश के बाहर उत्तर प्रदेश की बुराई करते हैं। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

उत्तर प्रदेश में जो कुछ भी हुआ है, कभी हमने ये नहीं कहा कि सब हमने किया है, सभी ने किया है। चार बार समाजवादी पार्टी को भी प्रदेश में शासन करने का अवसर प्राप्त हुआ। बहुजन समाज पार्टी को भी अवसर मिला, कांग्रेस ने तो लम्बे समय तक प्रदेश में शासन किया। भारतीय जनता पार्टी को भी चौथी बार सत्ता में रहने का अवसर प्राप्त हुआ है। हर एक ने अपने समय में कुछ-न-कुछ नया किया है या करने का प्रयास किया है। यह अलग विषय है कि परिणाम क्या आये और परिणाम वही ला सकता है जो समस्या पर कम, समाधान पर ज्यादा जोर देगा। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) यही अन्तर है। हम लोग समस्या पर बहुत ज्यादा समय खर्च नहीं करते कि समस्या के बारे में चिन्ता हो जाये। कोरोना महामारी आई, हम लोग तैयारी में जुटे। लोग कहते थे कि यूपी का हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर कमजोर है, इतनी बड़ी 25 करोड़ की आबादी कैसे बचेगी। लेकिन जब कोरोना के सामने मजबूती के साथ उस चुनौती को स्वीकार करते हुए प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन एवं उनकी प्रेरणा से उत्तर प्रदेश सरकार जब खड़ी हो गयी तब कोरोना को भी दुम-दबाकर भागना पड़ा।

ऐसा नहीं है कि दुनिया के अन्दर जो परिणाम आये, मैंने पिछले दिनों भी वह सभी बातें आपके सामने रखी थीं, बहुत विस्तार में नहीं जाना चाहूंगा। लेकिन सरकार की मंशा सही हो और इसीलिए मैं केवल एक बात कहना चाहूंगा। एक मनीषी ने बहुत अच्छी बात कही और मुझे लगता है कि हम परिणाम दे पा रहे हैं, उसके कारण क्या हैं, आप परिणाम नहीं दे पाये तो उसका भी फर्क साफ है और वह फर्क साफ क्या है कि आप समस्या के बारे में सोचते हैं, हम समाधान के बारे में सोचते हैं। क्योंकि जब समस्या के बारे में कोई व्यक्ति सोचता है तो उसको बहाने दस मिल जाते हैं, जब समाधान के बारे में सोचते हैं तो हमें रास्ते मिल जाते हैं। हमें इस बात को याद रखना होगा कि उत्तम समय कभी नहीं आता है, समय को तो उत्तम बनाना पड़ता है और हम लोगों ने उस समय को ही उत्तम बनाया है। यही फर्क है, भारतीय जनता पार्टी में और समाजवादी पार्टी में। भारतीय जनता पार्टी समाधान निकाल करके लाती है। गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, समाज के प्रत्येक तबके के हितों के लिए क्या कुछ

किया जाना है, उसका समाधान भी हमारे पास है और उस प्रकार की योजनाएं बनती हैं, उन योजनाओं को ले करके हम लोग आगे बढ़ते हैं और उन्हीं योजनाओं का फिर ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन कैसे होना है, उन्हीं को ले करके जब सरकार आगे बढ़ती है तो उसके परिणाम भी सबके सामने देखने को मिलते हैं।

महोदय, यहां पर हमारी सरकार ने अपना 2022-23 का बजट इस माननीय सदन में 26 मई को प्रस्तुत किया है और यह सच है, बजट का दायरा, अब तक के सभी बजट से सबसे बड़ा बजट है। मैं माननीय सदन के सामने एक चीज प्रस्तुत करूंगा, जिसको देख करके आप लोग भी कुछ मुद्दों को लेकर बहुत ताज्जुब करेंगे। क्या स्थितियां थीं प्रदेश की ? इस प्रदेश का 1947 में जो पहला बजट आया था, उस समय की स्थिति प्रदेश की क्या थी, वह माननीय सदन के संज्ञान में आना चाहिए, क्योंकि यह चीजें हमारे लिए बहुत उपयोगी होती हैं और उस दृष्टि से अगर हम लोग इसके बारे में थोड़ा भी देख लें, प्रदेश का जो पहला बजट आया था वह था कुल 103 करोड़ रुपये, 1947 में और उस समय भारत की जो प्रति व्यक्ति आय थी, वह थी 267 रुपये और उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय थी 259 रुपये। 1947 में जो देश की जी0डी0पी0 थी, वह 9530 करोड़ रुपये थी और उत्तर प्रदेश की जो जी0डी0पी0 थी, वह थी 1628 करोड़। आज देख सकते हैं कि भारत ने इस दौरान एक लम्बी यात्रा तय की, अनेक चुनौतियां आयी हैं। इतनी बड़ी आबादी को नेतृत्व देते हुए भी इस देश ने एक लम्बी यात्रा तय की है और लम्बी यात्रा तय करने के बाद आप देख सकते हैं, बहुत अन्तर नहीं है, जब 1947 में देश आजाद होता है तो पर कैपिटा इन्कम जो देश की है, नेशनल एवरेज के बराबर ही लगभग यू0पी0 की थी। लेकिन इन 75 वर्षों में हम कहां खो गये, 70 वर्षों में हम यू0पी0 को कहां लेकर चले गये ? 2015-16 में जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी तो समाजवादी पार्टी की सरकार के समय उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय नेशनल एवरेज का 1/3 रह गयी थी।

मान्यवर, यह 1/3 रहना क्या साबित करता है, हम इसके लिए केवल आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं। आखिर कुछ तो कारण रहे होंगे कि जो 267 रुपये प्रति व्यक्ति आय देश की है और उत्तर प्रदेश की 259, 1947 में क्या कारण है कि वर्ष 2016-17 में आते-आते देश के प्रति व्यक्ति आय की एक तिहाई रह गई। कहां लेकर जा रहे थे यू0पी0 को, कोई बात तो होगी। देश विकास कर रहा है। 1947 में देश के अन्दर उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी क्या थी और वर्ष 2016-17 में और फिर आज वर्ष 2022-23 में। मुझे लगता है कि सभी मा0 सदस्यों को इसके बारे में इस चिन्तन को आगे बढ़ाना होगा और यू0पी0 में पोटेंशियल है और विगत पांच वर्ष के अन्दर जो कुछ किया गया है उसी पांच वर्ष के बजट के प्रतिनिधित्व को करने के लिए ही यह बजट प्रस्तुत किया गया है जो उत्तर प्रदेश का प्रतिनिधित्व करता है जिसमें हमने कोई यह नहीं लिखा कि भारतीय जनता पार्टी की स्कीम है, यह कोई स्कीम पार्टी के नाम पर नहीं होती है। वह स्कीम व्यक्ति के नाम पर नहीं होती है। उत्तर प्रदेश के अन्दर भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार आने के बाद जो कुछ भी हुआ है उत्तर प्रदेश की 25 करोड़

जनता को साक्षी मान करके उनके उत्थान के लिए हुआ है और उनके विकास के लिए हुआ है और उसी उत्थान और विकास की इस प्रक्रिया के साथ यह बजट जोड़ने के लिए, आज आगे बढ़ाने की प्रक्रिया के साथ हम यहां पर आये हैं।

महोदय, हमारे लक्ष्य जब तक ऊंचे नहीं होंगे, तब तक हमारी उपलब्धियां भी बड़ी नहीं होंगी। लक्ष्य को कम करके हम बड़ी उपलब्धियों को कभी हासिल नहीं कर सकते, क्योंकि बजट का दायरा बड़ा है। वर्ष 2016-17 में जो बजट आया था प्रदेश का वह लगभग 3 लाख करोड़ रुपये का था। आज जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने बजट प्रस्तुत किया, इस सदन में तो वह 6 लाख 15 हजार करोड़ रुपये का है। दोगुना से ज्यादा हम लोग इस बजट की राशि को बढ़ाने में सफल हुए हैं। ऐसा नहीं है कि इस दौरान कार्य न हुए हों। महोदय, अगर वर्ष 2012 से 2017 के बीच देखें तो प्रदेश में जो विकास के लिए पैसा खर्च हुआ है वह 12 लाख 48 हजार 102 करोड़ 75 लाख रुपया खर्च किया गया। वर्ष 2017 से मार्च, 2022 के बीच में जो पैसा खर्च हुआ है, वह पैसा खर्च हुआ है 19 लाख 10 हजार 459 करोड़ 97 लाख यानि कि मैं बताऊं तो 6 लाख 62 हजार 357 करोड़ रुपये से अधिक की राशि उस पांच वर्ष की तुलना में इस पांच वर्ष में प्रदेश के अन्दर विकास कार्यों के लिए, गरीब कल्याण योजनाओं के लिए और अन्य योजनाओं के लिए ज्यादा खर्च हुआ है। इस दौरान प्रदेश में हमने सदी की सबसे बड़ी महामारी को भी झेला है और कोविड प्रबन्धन का भी कार्य हुआ है। औद्योगिक विकास को एक नई गति दी है और इन सभी कार्यक्रमों के साथ अगर आप विकास के दर की बात कर रहे थे, वर्ष 2021-22 की पहली तिमाही में जो प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 थी उसकी जो वृद्धि दर थी वह 19.6 प्रतिशत थी। 19.6 प्रतिशत के हिसाब से हम उत्तर प्रदेश के विकास के दर को आगे बढ़ाने में हमें सफलता प्राप्त हुई है।

महोदय, इस दौरान बहुत सारे ऐसे कार्यक्रमों को हम लोगों ने आगे बढ़ाने का कार्य किया है। वर्ष 2016-17 के बजट की जब हम वर्तमान बजट से तुलना करते हैं तो दो चीजें बहुत साफ होती हैं। एक वर्ष 2016-17 के बजट में आमदनी में से राज्य का जो कर था, वह मात्र 29 फीसदी था। यानि हम अपनी इनकम को नहीं बढ़ा पा रहे थे और इस दौरान पांच वर्ष में राज्य के कर यानि जो राजस्व बढ़ाया गया, उसमें हम लोगों ने 36.5 फीसदी की बढ़ोत्तरी की यानि हमारा राजस्व बढ़ा है। बजट दोगुना हुआ है, वित्तीय प्रबन्धन के माध्यम से राजस्व चोरी को रोका गया है और आज प्रदेश के बजट का एक बड़ा हिस्सा राज्य सरकार अपने स्रोतों से वहन कर रही है। यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात उत्तर प्रदेश के अन्दर इस बजट में और इस सरकार की विगत पांच वर्ष की कार्य पद्धति में हम देख सकते हैं।

महोदय, दूसरी बात वर्ष 2016-17 में बजट का जो 15.88 प्रतिशत हिस्सा था वह वित्त पोषण से आता था, वह ऋणों के माध्यम से आता था। बैंक और वित्तीय संस्थानों से ऋण लिया जाता था। लेकिन जब मेरे सहयोगी वित्त मंत्री ने वर्ष 2022-23 का बजट प्रस्तुत किया तो वह 15.88 प्रतिशत यानी 16 फीसदी की तुलना में मात्र 13 फीसदी रह गया है। बैंक और वित्तीय संस्थानों पर हमारी निर्भरता मात्र 13 फीसदी है। शेष अपने स्रोतों से या केन्द्रीय

करों में जो हमारी हिस्सेदारी है वहां से हमें प्राप्त हुआ है और प्रदेश के बजट के आकार को भी बढ़ाने में हमें मदद मिली है। पहले बजट का एक बड़ा हिस्सा, बजट की लगभग 08 फीसदी धनराशि को हम लोग पुराने ऋणों के देयों में खर्च करते थे। लेकिन अब जब बजट का दायरा बढ़ा है तो यह घट करके 7.6 प्रतिशत रह गया है। यानी हमें उसको भी कम करने में सफलता प्राप्त हुई है और यही नहीं इस दौरान हमें उत्तर प्रदेश की प्रति व्यक्ति आय को भी दोगुना करने में भी सफलता प्राप्त हुई है।

प्रदेश की जो कुल जी0एस0डी0पी0 वर्ष 2016-17 में 11.37 प्रतिशत थी, आज वर्ष 2022-23 में वह लगभग 21 लाख करोड़ रुपये तक पहुंचने की सम्भावना है और हम उसको यहां तक पहुंचाने की स्थिति में हैं। यानी एक जो बढ़ोत्तरी हुई है, प्रति व्यक्ति आय में बढ़ोत्तरी है, उत्तर प्रदेश की जी0एस0डी0पी0 में बढ़ोत्तरी है तो इस बढ़ोत्तरी में भी हमें इस दौरान सफलता प्राप्त हुई है। महोदय यही नहीं, प्रदेश में बैंकों का जो व्यवसाय था, जिसे आप उनका सी0डी0 रेशियो कह सकते हैं, इसमें भी अभूतपूर्व बढ़ोत्तरी की गयी है। खासतौर पर अगर हम देखेंगे कि बैंकों से एक कॉमन मैन को मिलने वाली जो हिस्सेदारी है, वह 46 फीसदी से बढ़ करके आज 52 फीसदी हो चुकी है। यह दिखाता है कि एक कॉमन मैन अपने पैरों पर खड़ा हो करके स्वावलम्बन की ओर अग्रसर हो रहा है, यह कार्य प्रदेश के अन्दर हुआ है। बैंकों का प्रदेश में व्यवसाय भी बढ़ा है। एक तो इसमें बढ़ोत्तरी हुई है, दूसरा प्रदेश में जो ऋण वितरित हुए, खासतौर पर अगर हम वर्ष 2012-2017 के बीच में देखेंगे तो 05 लाख 20 हजार करोड़ रुपये का ऋण वितरण हुआ। इतना ऋण वितरित हुआ था और वर्ष 2017-22 के बीच में हम लोगों ने बैंकों के माध्यम से 9.9 लाख 52 हजार करोड़ रुपए का ऋण वितरित किया है। यानी बैंक सी0डी0 रेशियो में इतना परिवर्तन हुआ है।

महोदय, अगर हम प्रदेश के बजट प्रबन्धन की बात करें तो उत्तर प्रदेश का बजट प्रबन्धन इस दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण रहा है और कोरोना जैसी महामारी के दौरान भी पहले तीन वर्ष तक एफ0आर0बी0एम0 की जो सीमा थी, उसके अन्दर हम लोगों ने इस बजट को रखा था। भारत सरकार ने और रिजर्व बैंक ने इस सीमा को जब साढ़े चार प्रतिशत किया तो तब भी हम लोगों का 3.96 प्रतिशत तक एफ0आर0बी0एम0 की सीमा उत्तर प्रदेश की आज भी है, इतने बजट के दायरे को बढ़ाने और प्रदेश के अन्दर इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के इन बड़े कार्यों को आगे बढ़ाने के बावजूद भी।

महोदय, बहुत सारी चीजें यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष ने और माननीय सदस्यों ने अपने बजट भाषण में, अपने सम्बोधन में यहां सदन के सामने रखे हैं। यह हमारी सरकार का 6वां बजट था। मैं सरकार के पिछले जो बजट रहे हैं, उनके बारे में बताऊं, परन्तु सबसे पहली बात कहना चाहूंगा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष को भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प-पत्र की बातें ज्यादा याद आ रही थीं और मुझे प्रसन्नता है कि राजनीतिक दलों को एक-दूसरे के संकल्प-पत्र को देखना चाहिए और उसका अवलोकन भी करना चाहिए। बहुत सारी चीजें ऐसी हो सकती हैं, जो उपयोगी हो सकती हैं और उन चीजों को हम लोग लागू

भी कर सकते हैं, लेकिन मैं उन्हें धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने भारतीय जनता पार्टी के लोक कल्याण संकल्प-पत्र को, जो प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप बिना भेदभाव के उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक बदलाव और परिवर्तन लाने के कारक हैं, ऐसे 130 संकल्पों को हम लोगों ने लोक कल्याण संकल्प-पत्र में वर्ष 2022 के चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की जनता के सामने रखे थे। पहले ही बजट में उन 97 संकल्पों को हम लोगों ने इसमें स्थान दिया है और इसके लिए 54 हजार करोड़ रुपये से अधिक की राशि इन सभी योजनाओं के लिए प्रस्तुत भी की है।

हमारे एक माननीय सदस्य ने उस समय ठीक कहा, जनता ने हमें 5 साल के लिए जनादेश दिया है और लोक कल्याण संकल्प-पत्र 5 साल के अन्दर लागू होना है, लेकिन फिर भी यदि नेता प्रतिपक्ष का उतावलापन इतना ही ज्यादा है तो भी 97 योजनाओं को हम लोगों ने इस बजट में स्थान दिया है और जो शेष 33 योजनाएं हैं, उन 33 योजनाओं को हम लोग धीरे-धीरे करके आगे बढ़ाने का कार्य करेंगे। जो जनता ने कहा है क्योंकि हम लोगों ने तो जो कहा है, संकल्प है तो संकल्प का फिर विकल्प और बहाना हम लोग नहीं ढूंढते हैं। हमें तो उसको लागू करना है तो लागू करना है और वह प्रदेश के लिए हम लोगों ने किया है। प्रदेश के अन्दर इन सभी कार्यक्रमों को हम लोग नये तरीके से लेकर आगे बढ़ाकर सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबके प्रयास के साथ उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता के जीवन में व्यापक परिवर्तन करने के लिए सरकार पूरी ईमानदारी और प्रतिबद्धता के साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रही है।

मान्यवर, हम लोगों ने विगत जो 6 बजट प्रस्तुत किये हैं, भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने, उसमें पहला बजट वर्ष 2017-18 में प्रस्तुत किया था वो हम लोगों ने प्रदेश के अन्नदाता किसानों को समर्पित किया था। आपने देखा होगा कि अन्नदाता किसानों के एक कर्ज माफी के कार्यक्रम को सरकार ने आगे बढ़ाया था। सफलतापूर्वक इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के बाद वर्ष 2018-19 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के औद्योगिक विकास को और इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट को ध्यान में रखकर हम लोगों ने प्रस्तुत किया। वर्ष 2019-20 का बजट हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर मातृ शक्ति को समर्पित किया। यह बजट महिला सशक्तीकरण और मिशन शक्ति के कार्यक्रम को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाने के लिए समर्पित था। वर्ष 2020-21 का हमारी सरकार का जो बजट था, वह प्रदेश की युवा ऊर्जा के लिए, अपने युवाओं की ओर समर्पित करते हुए उनके रोजगार, उनके उन्नयन और उनके स्वावलम्बन के साथ-साथ प्रदेश के इन्फ्रास्ट्रक्चर पर भी ध्यान देते हुए इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्यक्रम हम लोगों ने इसके साथ जोड़ा था। डिफेन्स एक्सपो भी इस अवसर पर प्रदेश में हुआ था। वित्तीय वर्ष 2021-22 का जो हमारा बजट था वह राज्य के विभिन्न वर्गों के स्वावलम्बन और उनके सशक्तीकरण को समर्पित था। गांव हैं, गरीब हैं, किसान हैं, नौजवान हैं, महिलायें हैं, समाज में वंचित तबका है, इन सभी के लिये बजट में हर बार कुछ-न-कुछ प्राविधान होता था। इन सभी बातों को ले करके फोकस था।

महोदय, 05 वर्ष में 05 थीम के साथ कार्य करने का जो परिणाम था उत्तर प्रदेश की जनता-जनार्दन ने उसी का लाभ हमें दिया है, उसी का आशीर्वाद दिया है कि आज हम लोग फिर यहां पर समाधान के साथ पहुंचे हुए हैं और आप 05 साल पहले भी समस्या को ले करके ढो रहे थे और आज भी उस समस्या को समस्या कहकर ढोने के लिए अभिशप्त हैं। अब इसमें हमारी गलती नहीं, आपकी सोच की गलती हो सकती है, हमारी नहीं। वित्तीय वर्ष 2022-23 का उत्तर प्रदेश सरकार का जो बजट है वह आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आत्मनिर्भर भारत के तर्ज पर आत्म निर्भर उत्तर प्रदेश और अन्त्योदय की संकल्पना को साकार करने की तर्ज पर हम लोगों ने प्रस्तुत किया है।

महोदय, मैंने पहले कहा कि प्रदेश में इससे पहले हमारे बजट का दायरा दुगने से अधिक हुआ है। यहां पर जी0एस0टी0 वृद्धि दर की बात माननीय नेता प्रतिपक्ष कह रहे थे। वर्ष 2012-13 से 2016-17 के बीच जी0एस0टी0 की औसत वृद्धि दर 12.28 प्रतिशत थी, जबकि 2017-18 से ले करके 2018-19 में औसत वृद्धि दर 13.71 प्रतिशत थी। आपके 05 साल के कार्यकाल का जो एवरेज था उससे ज्यादा पहले 02 वर्ष में प्रदेश के अन्दर थी। कोविड संक्रमण के कारण पूरी दुनिया में, देश और प्रदेश में भी आर्थिक गतिविधियों पर उसका असर पड़ा। वित्तीय क्षेत्र भी उससे अप्रभावित नहीं था, लेकिन 2019-20, 2020-21 और 2021-22 में हम लोगों को इसको उस स्थिति में पहुंचाने में हमारे सामने भी थोड़ा चैलेन्ज आया था। लॉकडाउन था, एक लम्बे समय तक लॉकडाउन के दौरान मार्केट बन्द थी और व्यापारिक संस्थानों में कठिनाई आयी थी, एक्सपोर्ट रुका था, बहुत सारी चीजें थीं, लेकिन 2021-22 का जो प्रथम त्रैमास था इसमें मैंने पहले ही बताया कि हमारी जो वृद्धि दर थी वह 19.6 प्रतिशत रही है। ये चीजें बताती हैं कि उत्तर प्रदेश एक सही दिशा की तरफ आगे फिर से बढ़ चुका है और देश के अन्दर, प्रदेश की एक नयी तस्वीर को प्रस्तुत करता है, दिखाता है कि उत्तर प्रदेश सम्भावनाओं वाला प्रदेश है। जो पोटेन्शियल उत्तर प्रदेश के अन्दर है, उस पोटेन्शियल को भारतीय जनता पार्टी नेतृत्व की सरकार ने ईमानदारी के साथ जमीनी धरातल पर उतार करके प्रदेश के हर तबके के हितों के लिए कार्य किया। हमने जाति, मजहब के आधार पर बंटवारा नहीं किया। हमने किसी वाद के आधार पर नहीं किया। उत्तर प्रदेश की 25 करोड़ जनता को ध्यान में रख करके योजनायें बनाई गयीं। जो तबका वंचित है, गरीब है, दलित है, अति पिछड़ा है, उनके लिए इस प्रकार की योजनायें बनायी गयीं और उन योजनाओं का पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वयन किया गया। सबसे बड़ी बात ये है कि देश के अन्दर बहुत सारी राज्य सरकारे थीं कोरोना जैसी महामारी के दौरान तमाम राज्य सरकारों ने वहां पर वेतन में कटौती की और नये टैक्स लगाये। देश के अन्दर का कोई भी राज्य उत्तर प्रदेश की जनता-जनार्दन के साथ अपनी पूरी सम्वेदना के साथ खड़े रहे, कोई नया टैक्स राज्य सरकार के स्तर पर नहीं लगाया गया।

मान्यवर, कोरोना काल-खण्ड में सरकार जनता के साथ खड़ी रही। स्ट्रीट वेंडर्स हैं, श्रमिक हैं, समाज के विभिन्न तबके के लोगों को भरण-पोषण भत्ता देने का कार्य रहा हो या

फिर उज्ज्वला योजना के लाभार्थियों को फ्री मे रसोई गैस के सिलेण्डर उपलब्ध करवाने की कार्यवाही रही हो, फ्री में राशन उपलब्ध करवाने का रहा हो, प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना के साथ ही राज्य सरकार के स्तर पर भी यह सभी कार्यक्रम आगे बढ़ाये गये और सफलतापूर्वक आगे बढ़ाये गये। लेकिन हम लोगों ने कोई नया टैक्स प्रदेश की जनता पर नहीं लगाया, कोई नहीं लगाया और यही नहीं, हमने अपने सभी सरकारी कर्मचारियों को समय पर उनका वेतन भी दिया, भत्ता भी दिया। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

पेंशन भी दी, वृद्धावस्था पेंशन, निराश्रित महिला पेंशन, दिव्यांगजन पेंशन को एडवांस भी दिया और उसमें अतिरिक्त बढ़ोत्तरी करके भी उस दौरान उनको उपलब्ध करवाने का काम किया गया। संकट के उस दौरान में सरकार उनके साथ खड़ी थी। लेकिन इसका कारण क्या था ? हमने बजट का दायरा बढ़ाया, हमने प्रदेश के विकास को रुकने नहीं दिया, गरीब के कल्याण के लिए अनेक योजनायें लागू कीं। पहले तो भारत सरकार कहती रहती थी, पत्र लिखते-लिखते थक जाती थी कि प्रधानमंत्री आवास ले लो, राज्य सरकार की तरफ से कोई जवाब नहीं जाता था, स्वच्छ भारत मिशन में इन गरीबों के लिए शौचालय बना लो, यहां से कोई जवाब नहीं जाता था। जल-जीवन मिशन के अन्तर्गत तमाम माननीय सदस्य इस बात की चर्चा कर रहे थे कि हमारे यहां पेयजल की समस्या आ सकती है, हैण्डपम्प की बात कर रहे थे। भारत सरकार कहती थी कि हम पाइप-पेयजल स्कीम देना चाहते थे, आप ले लीजिये लेकिन पहले राज्य सरकार से कोई रिस्पांस नहीं होता था। लाइफ सपोर्ट एम्बुलेन्स उपलब्ध करवाने की बात होती थी लेकिन पहले राज्य सरकार के द्वारा कोई रिस्पांस नहीं होता था। किसी भी योजना में एकदम वैराग्यभाव, भ्रष्टाचार से होता तो अच्छा होता, लेकिन गरीब कल्याणकारी योजनाओं से आपका जो वैराग्यभाव था, जनता ने आपको उसकी सजा दी है और लगातार दे रही है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) आप प्रदेश की इनकम को भी नहीं बढ़ा पाये थे।

महोदय, 2016-17 में जब बजट प्रस्तुत हुआ था तो राज्य का जो कर था, वह 86 हजार करोड़ रुपये था और जब हम 2021-22 में अपना बजट प्रस्तुत किये, तब राज्य कर का कितना बढ़ा, आपको मालूम है ? वह 1 लाख 55 हजार करोड़ रुपये का है। हम लोगों ने लगभग दोगुना इस राशि को बढ़ाया है। इसी प्रकार से 2016-17 में सेल्स टैक्स और वैट की कुल राशि 51 हजार 8 सौ करोड़ रुपये की आती थी, कुल टारगेट ही आपका इतना था। वर्तमान में कोविड के बावजूद हम लोगों ने जो जी0एस0टी0 और वैट प्राप्त किया है, यह 90 हजार करोड़ रुपये प्राप्त किया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) एक्साइज में 2016-17 में 14 हजार 2 सौ 73 करोड़ रुपये मात्र प्रदेश को मिलते थे और महोदय आज 2021-22 में 36 हजार करोड़ में कोई अन्तर ही नहीं है। 2016-17 में स्टैम्प एण्ड रजिस्ट्रेशन में 11 हजार 5 सौ 64 करोड़ राजस्व आता था लेकिन 2021-22 में जो राजस्व आया है, वह 20 हजार 45 करोड़ का आया है, क्या कोई अन्तर ही नहीं है ? परिवहन में 2016-17 में 5 हजार 1 सौ 48 करोड़ आया था और 2021-22 में 7 हजार 1 सौ 59 करोड़ आया हैं प्रदेश का जो राजस्व बढ़ा है, इसने विकास की दर को भी आगे बढ़ाया । यह वास्तविक है,

यह प्रस्तावित नहीं है, यह आ चुका है। मैं उसी की बात कर रहा हूँ, अभी मैंने प्रस्तावित वाली बात नहीं की है।

महोदय, यह चीजें बताती हैं कि प्रदेश ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया है, पारदर्शिता बरती है। ईमानदारी के साथ 25 करोड़ जनता को ध्यान में रखकर शासन की योजनाओं को आगे बढ़ाया है और आज उसका परिणाम प्रदेश का परसेप्शन बदला है। जो इस सरकार के द्वारा निरन्तर प्रयास किये गये टीम यू0पी0 के रूप में जो सामयिक प्रयास था, उसका परिणाम भी सामने आया है। आज हम लोग उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को आदरणीय प्रधानमंत्री जी की मंशा के अनुरूप आगे बढ़ाने में काफी हद तक एक सही रास्ते की ओर आगे बढ़ रहे हैं, लोगों के मन में एक विश्वास जागृत हुआ है। देश और दुनिया में आज हर व्यक्ति एक विश्वास की नजरों से उत्तर प्रदेश को देख रहा है। लोगों को लगता है कि उत्तर प्रदेश जिन सम्भावनाओं वाला प्रदेश था आज बहुत स्पष्ट तस्वीर दिखाई दे रही है। अगले 5 वर्ष के अन्दर उत्तर प्रदेश कहां होगा, यह देखने की स्थिति उसके सामने होगी। मैं देख रहा था माननीय नेता प्रतिपक्ष एक तरफ किसान की बात कर रहे थे दूसरी तरफ उन्हें गोबर में बदबू नजर आ रही थी। कैसी विडम्बना है, हमारे यहां गाय के गोबर को बड़ा पवित्र माना गया है। (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाईं) और मुझे लगता है थोड़ा नेता प्रतिपक्ष हम लोगों की तरह न मानते हों, हो सकता है वह पूजा न करते हों लेकिन ....

श्री अखिलेश यादव-

आप गोबर की और विशेषतायें बता दीजिये।

श्री योगी आदित्यनाथ-

मैं वहीं आ रहा हूँ, मुझे लगता है कि अगर आपने चाचा शिवपाल जी से कुछ सीखा होता (सत्ता पक्ष के लोगों ने मेजें थपथपाईं) तो पूजा कैसे होती है। आप देखते होंगे, घरों में जब पूजा होती है हर एक जगह मूर्ति नहीं होती है, आप उस गोवर्धन को कहते थे कि गोबर हमें नहीं चाहिए आप मुझे बताइये कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था बगैर गाय के नहीं हो सकती और बगैर गाय के गोबर नहीं हो सकता है। गाय का गोबर यानि यह पूजा से ले करके संस्कार से ले करके भारत की कृषि प्रधान व्यवस्था को जो हम लोग नेचुरल फार्मिंग के नये कार्यक्रम को आगे ले करके आ रहे हैं, इसमें बहुत सारे माननीय सदस्य किसान हैं, प्रगतिशील किसान हैं। आप देखना नेचुरल फार्मिंग आपके पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर और केमिकल की इसके जो भी साइड इफेक्ट हैं इसे मुक्त करते हुए आप एक आर्गेनिक प्रोडक्ट देने की स्थिति में होंगे और यह नेचुरल फार्मिंग बगैर गाय माता के सम्भव नहीं है और सरकार उसको उसी दिशा में आगे बढ़ाने का काम कर रही है। लेकिन आपको गाय के गोबर में बदबू आती है, क्योंकि अगर आपने पूजा किया होता और गाय के गोबर को लक्ष्मी के रूप में रखा होता, भारत की समृद्धि का प्रतीक तो वहीं से प्रारम्भ होता है। सम्भवतः आप यह प्रश्न यहां नहीं किये होते और यह नहीं कहे होते कि कन्नौज की आवश्यकता क्या है ? कन्नौज प्रदेश का हिस्सा है, हम भेदभाव नहीं करते हैं, हमने बिजली दी

तो सबको दी, विकास किया, सबका किया। 'सबका साथ, सबका विकास' यह हमारा विजन है, कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता है कि हमें छोड़ दिया है हमने हर जिले के लिए कार्य योजना बनाई है।

प्रधानमंत्री आवास योजना या कल्याणकारी योजनाओं की जब हम बात करते हैं, साढ़े तैंतालिस लाख आवास बने हैं और ये साढ़े तैंतालिस लाख आवास में किसी भी योजना का जो भी हमारी लाभार्थीप्रद योजनायें हैं, इन सभी लाभार्थीप्रद योजनाओं में उत्तर प्रदेश में अल्पसंख्यक समुदाय की जो आबादी है वह 18 से 19 फीसदी के आस-पास होगी। लेकिन योजनाओं का लाभ 35 फीसदी से अधिक उत्तर प्रदेश के अन्दर दिया गया है। बाकायदा उनके नम्बर हैं, नाम हैं और आप चाहेंगे तो उन योजनाओं के बारे में पूरी सूची भी मैं आपको उपलब्ध करा दूंगा। कोई अन्तर नहीं पड़ता, उत्तर प्रदेश का जो नागरिक होगा, उसके हितों के लिए कार्य करना हमारा नैतिक दायित्व बनता है, हम उसके हितों के लिए कार्य करेंगे। हमने तो पहले ही कहा था, मुझे लगता है आप सीनियर सदस्य हैं और आपने देखा होगा कि मैंने अपने पहले ही भाषण में कहा था कि विकास में कोई भेदभाव नहीं होगा, विकास सबका होगा, लेकिन तुष्टीकरण किसी का नहीं होगा, हम तुष्टीकरण नहीं करेंगे। कोई यह नहीं कह सकता कि प्रधानमंत्री आवास योजना की सूची में उनका नाम आया था या स्वच्छ भारत मिशन में उनका नाम आया था और उनको बाद में मना कर दिया गया यानि कि उनकी जाति, उनका मत या उनका मजहब देख करके उनको मना किया गया। प्रदेश में कोई भी लाभार्थी राशन देने में या किसी भी योजना में इस तरह की बात नहीं कर सकता है। हम लोगों ने तो एक अभियान चलाया कि जिनके राशन-कार्ड नहीं उनके राशन-कार्ड बनाओ। मेरे सामने बात आयी कि साहब हमारे पास इस समय वह नियम नहीं है तो मैंने कहा कि प्राविधान करो। समस्या आपके पास इस बात की है कि आपके पास कोटा नहीं है, तो उस कोटा को क्रिएट करो, यह सरकार का काम होना चाहिए लेकिन हम भेदभाव नहीं करेंगे। कोई व्यक्ति यह नहीं कह सकता कि हमें इस कारण से इस सुविधा का लाभ नहीं मिला, हमने सब लोगों को देने का कार्य किया और उसी कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ यहां पर इस कार्यक्रम के साथ जुड़े हैं।

श्री रविदास मेहरोत्रा-

लोकतन्त्र सेनानी

श्री योगी आदित्यनाथ-

लोकतन्त्र सेनानी की राशि को भी हम लोगों ने 15 हजार से बढ़ा करके 20 हजार रुपये किया है। सभी कार्यक्रम आगे बढ़ रहे हैं, उसमें चिन्तित होने की आवश्यकता नहीं है। नेता प्रतिपक्ष ने एक बात की, आज तो गोबर से अगरबत्ती भी बन रही है और मुझे लगता है कि अगर आप पूजा करते तो जरूर जलाते। वैसे जलाना चाहिए, अच्छ बात है लेकिन आपने फिर भी गौ को गौमाता कहा मैं इसके लिए आपको धन्यवाद दूंगा। गौ की रक्षा होनी चाहिए, नेचुरल फार्मिंग के प्रधानमंत्री जी के विजन को धरातल पर उतारेंगे, बहुत सारे हमारे प्रगतिशील किसानों ने इस दिशा में कार्य प्रारम्भ किया है। उसके अच्छे परिणाम सामने आये हैं, ट्रेनिंग के

कार्यक्रम चल रहे हैं और बजट में बुन्देलखण्ड को तो हम लोगों ने खास तौर पर इसके लिए चिन्हित किया है और उसके लिये धनराशि की व्यवस्था की है।

गंगा के तटवर्ती क्षेत्रों में पांच-पांच किलोमीटर के दायरे में भी इस कार्यक्रम को सरकार आगे बढ़ा चुकी है। हम चाहेंगे कि जो भी इस प्रकार के अन्नदाता किसान हैं वह इसके साथ जुड़ जायेंगे तो इसका लाभ उन्हें प्राप्त होगा। गाय के गोबर से अब तो बहुत कुछ प्राप्त हो रहा है वह स्वावलम्बन का आधार बनेगा। नेचुरल फार्मिंग ही नहीं बल्कि बहुत सारे ऐसे प्रोडक्ट भी बनाये जा सकते हैं जो हर एक किसान और पशुपालक के जीवन में व्यापक परिवर्तन का कारण बनेगा। केवल दूध पीने तक ही सीमित न रखिये, मुझे लगता है कि यदि नेता प्रतिपक्ष गौमाता की सेवा सचमुच किये होते तो सम्भवतः वह गाय माता की भाषा बोले होते और बड़ी सार्प बुद्धि से अपनी बात कहे होते, लेकिन भैंस के दूध का ज्यादा असर भाषण में दिखाई दे रहा था, गाय का कम था। फैट कन्टेन की दृष्टि से बहुत सारे लोग भैंस के दूध को पसन्द करते हैं, व्यक्ति जिस रूप में कार्य करता है तो लोग बोलते हैं कि जिसकी लाठी उसकी भैंस तो लोग उसी तर्ज पर कार्य करने में ज्यादा विश्वास करते हैं। लेकिन कन्नौज की चिन्ता उन्होंने जरूर की, कन्नौज के बारे में उन्होंने कहा था और मैं जरूर नेता प्रतिपक्ष को बताना चाहूंगा कि आपके इत्र वाले मित्र तो बहुत कुछ गुल खिला रहे थे, लेकिन इत्र उद्योग के लिए ईमानदारी के साथ हम लोगों ने कार्य किया है। हम लोगों ने 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' में भी इत्र को कन्नौज के साथ ही जोड़ा है। हमारे, वहां के मा0 सांसद श्री सुब्रत पाठक जी लगातार इसके लिए यहां प्रयास कर रहे थे और उनके द्वारा भी इस बारे में कहा गया है। वर्तमान में इत्र का अकेले कन्नौज से रु0 800 करोड़ का व्यापार हो रहा है। सरकार के द्वारा 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' की योजना के अन्तर्गत चयन करने के बाद एक व्यवस्थित प्रक्रिया के साथ पिछले 5 वर्ष में आपके कन्नौज में 55 नई इकाईयां लगी हैं। यद्यपि पहले से भी वहां 375 इकाइयां काम कर रही हैं और कोरोना काल-खण्ड में भी हम लोगों ने 2.7 मिलियन यू0एस0 डॉलर का इत्र यहां से निर्यात किया है। उत्तर प्रदेश शासन की उस योजना को हम लोगों ने उस दौरान भी इसको थमने नहीं दिया है।

महोदय, आप लोग घोषणा करने में बड़े माहिर थे, लेकिन करते कुछ नहीं थे। वर्ष 2017 में परियोजना के लिए 30 एकड़ खेती, जो उसके लिए लैण्ड थी उसमें हम लोगों ने उस पार्क के लिए जो आवश्यकता थी, उसमें 50 एकड़ का प्रावधान राज्य सरकार ने किया है, जिसमें से 30 एकड़ पर इत्र पार्क और संग्रहालय कन्नौज के नाम पर इस कार्यक्रम को राज्य सरकार आगे बढ़ा चुकी है। इसके लिए रुपये 100 करोड़ के बजट का भी प्रावधान किया गया है। 30 एकड़ भूमि पर बाउण्ड्रीवाल के निर्माण का कार्य और अन्य जो बुनियादी सुविधाएं हैं, उस कार्यक्रम को भी हम लोग आगे बढ़ा चुके हैं। आई0टी0आई0 कानपुर को थर्ड पार्टी के रूप में इस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है और वहां पर व्यवस्थित विकास की प्रक्रिया के साथ राज्य सरकार इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का कार्य भी कर रही है। मुझे लगता है कि कन्नौज के इत्र की खुशबू वैश्विक स्तर पर अब दमक रही है, क्योंकि सरकार ने उसको 'वन डिस्ट्रिक्ट,

वन प्रोडक्ट' के माध्यम से प्रोत्साहन दिया। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) आप 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' पर हंस रहे थे, ये क्या है ? ये हमारी परम्परागत उद्यम का हिस्सा है। उन्हें प्रोत्साहन करने का, ये हमारे पूर्वजों की एक थाती है, जो हमें विरासत में प्राप्त हुई है। हजारों वर्षों से जिन लोगों ने अपनी मेहनत से, अपने पुरुषार्थ से, अपने परिश्रम से उत्तर प्रदेश को उस सम्भावनाओं का प्रदेश बनाया था, ये हमारी विरासत का प्रतीक है। इसीलिए आज देश के सबसे अधिक जी0आई0 प्रोडक्ट यू0पी0 के अन्दर प्राप्त हो रहे हैं।

महोदय, आदरणीय प्रधानमंत्री जी का आशीर्वाद और उनका मार्गदर्शन इस मामले में प्राप्त हो रहा है। आज उत्तर प्रदेश के एक-एक प्रोडक्ट को नेशनल-इण्टरनेशनल स्तर पर अपनी एक अमिट छाप और एक पहचान मिल रही है। अभी आपने देखा होगा कि प्रधानमंत्री जी जापान की यात्रा पर गये थे, तो वहां उन्होंने जो गिफ्ट दिया, वह मथुरा से जुड़ा एक प्रोडक्ट दिया था। आपने देखा होगा, पूरे देश ने देखा है। कैसे अपने परम्परागत उद्यम को आत्मनिर्भर भारत की परिकल्पना को आगे बढ़ाने की दिशा में हम कार्य कर सकते हैं, ये चीजें हम लोगों ने देखा ? यही कार्य उत्तर प्रदेश में, वर्ष 2017 तक मुरादाबाद का ब्रास उद्योग पूरी तरह लड़खड़ा सा गया था। लोगों में निराशा थी। न कोई काम करता था, न उनके पास टेक्नोलॉजी थी, न उनके पास डिजाइन थी, इन सबके साथ सबसे बड़ी समस्या खड़ी होती थी। कोई कार्य प्रारम्भ अपने रिस्क पर करता भी था, लेने की भी व्यवस्था करता था, तो उनके सामने 'पॉल्यूशन कण्ट्रोल बोर्ड' उनको परेशान करने के लिए उल्टा आ धमक पड़ता था। आज लगभग छह हजार करोड़ रुपये का ब्रास का आइटम मुरादाबाद से एक्सपोर्ट हो रहा है। यह पिछले पांच वर्ष के अन्दर 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' के अन्तर्गत वहां के उद्यमियों को शासन के प्रोत्साहन का ही परिणाम है। केन्द्र और राज्य सरकार मिलकर इस दिशा में प्रोत्साहित कर रही हैं।

ऐसे ही भदोही का कालीन उद्योग एक दम बन्द होने के कगार पर था, आज लगभग 4 हजार करोड़ का कारपेट भदोही से एक्सपोर्ट हो रहा है। आपने फिरोजाबाद की बात की, फिरोजाबाद का ग्लास फिर से नई ऊंचाइयों को प्राप्त कर रहा है और फिरोजाबाद एक नये विश्वास के साथ आगे बढ़ रहा है। फिरोजाबाद को सरकार ने फिर से तकनीकी से जोड़ने का कार्य किया है। सरकार उनको प्रोत्साहित कर रही है उन्हें सी0एन0जी0 उपलब्ध करा रही है और हर एक जनपद के लिए किसी न किसी एक प्रोडक्ट को जोड़ने का प्रयास सरकार के द्वारा किया गया है और 'वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट' आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के साथ-साथ आत्मनिर्भर भारत के लिए भी यूनियन बजट का हिस्सा बना है। मा0 संसद ने बजट को देखा होगा, यूनियन बजट में भी इस बात का प्राविधान दिया होगा कि हर एक राज्य अपने यहां इस प्रकार की योजना को लागू करे, उत्तर प्रदेश राज्य ने प्रधानमंत्री जी के माध्यम से 2018 में इस योजना को लागू किया। आज उत्तर प्रदेश का एक्सपोर्ट भी बढ़ा है, अगर हम लोग 2016-17 में देखेंगे तो 2016-17 में 85-86 हजार करोड़ का एक्सपोर्ट हो पाता था,

आज 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये का एक्सपोर्ट उत्तर प्रदेश कर रहा है और एक्सपोर्ट स्टेट के रूप में उत्तर प्रदेश आज आगे बढ़ रहा है।

नेता प्रतिपक्ष ने डिफेन्स कॉरीडोर की भी चर्चा की और उन्होंने सिविलाइजेशन की भी बात की, महोदय हमने सबसे पहले 5 वर्ष के अन्दर जो हमारे यहां सिविल एयरपोर्ट बन रहे हैं इस पर प्रदेश सरकार 5 हजार 6 सौ 94 करोड़ 98 लाख रुपये खर्च किये इसमें जेवर एयरपोर्ट, अयोध्या, बरेली, आगरा, प्रयागराज इन सबके साथ कार्य हुआ है, जबकि 5 हजार 6 सौ 94.98 करोड़ यह पैसे 5 वर्ष में हमने दिये थे और 2012-2017 के बीच में मात्र 654 करोड़ रुपये इन्होंने दिया था और उसमें भी आपने पैसा डायवर्ट कर दिया था, वह पैसा उस कार्य के लिए खर्च ही नहीं हुआ। आपने मेरठ के लिए 29.92 करोड़ रुपये आवंटित किये थे बाद में उसको भी दूसरी जगह डायवर्ट कर दिया था और जेवर, गौतमबुद्धनगर के लिए, कुशीनगर के लिए, बरेली, आगरा, प्रयागराज एयरपोर्ट के लिए यह राशि हम लोगों ने जारी की थी। समाजवादी सरकार के समय वहां कोई भी चीज लागू नहीं हुई थी। कोई पैसा उसके लिए आवंटित नहीं हुआ था।

यह सच्चाई है और अगर इसको हम और आगे बढ़ा करके देखेंगे तो प्रदेश के अन्दर सिविल एविएशन के सेक्टर में अगर आप देखेंगे तो 2017 मार्च तक प्रदेश के दो एयरपोर्ट पूरी तरह क्रियाशील थे, लखनऊ और वाराणसी, दो एयरपोर्ट आंशिक क्रियाशील थे, गोरखपुर और आगरा और 2017 से 2022 के बीच हम लोग 9 एयरपोर्ट क्रियाशील कर चुके हैं, पहले 25 गन्तव्य तक उत्तर प्रदेश की कनेक्टिविटी थी, आज एयर कनेक्टिविटी उत्तर प्रदेश की 77 डेस्टिनेशन है जिनके साथ हम सब जुड़े हुए हैं और उड़ान योजना के अन्तर्गत इन कार्यक्रमों को हम आगे बढ़ा रहे हैं और आपने पिछले दिनों सुना होगा। उत्तर प्रदेश कैबिनेट ने 5 एयरपोर्ट को और क्रियाशील करने के लिए एयरपोर्ट एथॉरिटी के साथ एक एम0ओ0यू0 पर हस्ताक्षर भी किये, उसके लिए अपनी सहमति दी है। एयर कनेक्टिविटी को और बेहतर करने की दिशा में कार्यक्रम चल रहे हैं, इसको और बेहतर बनाने की दिशा में यह कार्यक्रम राज्य सरकार के स्तर पर जहां प्रारम्भ हुए हैं, वहीं साथ ही साथ डिफेन्स कॉरीडोर की भी चिन्ता माननीय नेता प्रतिपक्ष कर रहे थे। उन्होंने कहा कि यह तो हम पहले कर चुके थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी ने यूनियन बजट में डिफेन्स कॉरीडोर की जो बात की थी, वह 2018 के यूनियन बजट में इसकी चर्चा हुई थी। प्रधानमंत्री जी ने 21, 22 फरवरी, 2018 में जब यू0पी0 इन्वेस्टर्स समिट हुआ था उसमें इसकी घोषणा की थी, उसके बाद उत्तर प्रदेश को डिफेन्स कॉरीडोर मिला। डिफेन्स कॉरीडोर में जो 6 नोड हैं-लखनऊ, कानपुर, आगरा, अलीगढ़, झांसी और चित्रकूट, इस 6 नोड पर हमारा कार्य प्रारम्भ हुआ है।

2020 के फरवरी महीने में तीन दिवसीय डिफेन्स-एक्सपो का आयोजन लखनऊ में हुआ था। उस समय हम लोगों ने जो कार्य प्रारम्भ किया उसके बाद 06 नोड पर भूमि अधिग्रहण की कार्यवाही के साथ-साथ इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाया। अब तक 1598.84 हेक्टेयर भूमि हम प्राप्त कर चुके हैं। कॉरीडोर के लिए अब तक 8640 करोड़ रुपये

के 62 एम0ओ0यू0 हो चुके हैं। लखनऊ में ब्रह्मोस मिसाइल निर्माण एवं झांसी में भारत डायनेमिक्स लिमिटेड की इकाई का कार्यक्रम भी आगे बढ़ चुका है। एक्सप्रेस प्रदेश है, तो स्वाभाविक रूप से प्रदेश एक्सप्रेस-वे के साथ-साथ हम लोगों ने इन सभी एक्सप्रेस-वे पर इण्डस्ट्रियल क्लस्टर भी विकसित करने की कार्यवाही को तेजी के साथ आगे बढ़ाया है। वर्तमान बजट भाषण में भी इसका प्रावधान यहां पर किया गया है।

(सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

महोदय, प्रदेश के अन्दर अन्य तमाम मुद्दों की तरफ मा0 नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर ध्यानाकर्षित भी किया था और स्वाभाविक रूप से नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनको इन मुद्दों पर पूरा बोलने का अधिकार भी था। उन्होंने अपनी बात को भी अपने तरीके से यहां पर रखा भी। सस्टेनेबुल डेवलपमेण्ट गोल्स पर भी उन्होंने अपनी बात यहां पर रखी। मुझे लगता है कि शिक्षा, स्वास्थ्य, कृषि, जल संसाधन, रोजगार और स्किल डेवलपमेण्ट के क्षेत्र में वित्तीय समावेशन के लिए या अन्य जो भी इण्डीकेटर हैं उन सब पर राज्य ने जो प्रग्रति की है, आज उसके बहुत अच्छे परिणाम सामने आ रहे हैं। इसमें सस्टेनेबुल डेवलपमेण्ट गोल्स का जो थीम था उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान करने के बजाय कन्वर्जन के माध्यम से उन योजनाओं को आगे बढ़ाना। जैसे इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन के लिए रूटीन के बजट के साथ राज्य सरकार ने अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाया, इस कार्यक्रम के लिए हमने अलग से बजट नहीं लिया। पहले से जो बजट का प्राविधान हमने किया था, उससे किया। लेकिन अन्तर्विभागीय समन्वय का एक बेहतरीन कार्यक्रम किया गया। हर विभाग अपनी-अपनी जिम्मेदारियों के साथ उस कार्यक्रम को आगे बढ़ायेगा। हम लोगों ने इन्सेफेलाइटिस उन्मूलन में सफलता प्राप्त की। उस समय माननीय नेता प्रतिपक्ष को ये सब बातें याद नहीं आ रही थीं।

मान्यवर, जब आपकी सरकार थी तब मरने वाले गरीब बच्चे, दलित और अल्पसंख्यक समुदाय के बच्चे, उनकी चिन्ता नहीं हो रही थी, वोट बैंक याद नहीं आ रहा था, उसके बारे में सोचने की फुरसत भी नहीं थी। आज इस दिशा में कार्य प्रारम्भ हुआ है, प्रभावी ढंग से लागू किया गया है। आई0टी0सी0 स्थापित हुए हैं, इन्सेफेलाइटिस ट्रीटमेण्ट सेण्टर स्थापित हुए हैं, पीको, मिनी पीको की स्थापना उन सभी जनपदों में की गयी है। हेल्थ इन्फ्रास्ट्रक्चर की स्थिति क्या थी ? जब कोरोना आया तब हमारे पास एक भी आर0टी0पी0सी0आर0 लैब नहीं थी, पहली मार्च से हम लोगों ने कार्य प्रारम्भ किया और के0जी0एम0यू0 में पहली लैब मार्च के अन्तिम सप्ताह में स्थापित कर पाये थे, जिसमें 72 टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता हो पायी थी। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि आर0टी0पी0सी0आर0 की 209 लैब्स उत्तर प्रदेश के अन्दर हैं, जिसमें हम लोग आर0टी0पी0सी0आर0 के 2 लाख टेस्ट प्रतिदिन करने की क्षमता रखते हैं। 36 जिले ऐसे थे, जहां पर हमारे पास एक भी आई0सी0यू0 बेड नहीं था। आज मुझे यह बताते हुए प्रसन्नता है कि हम लोग हर जनपद में पर्याप्त मात्रा में आई0सी0यू0 बेड्स और ट्रेण्ड स्टाफ देने में सफल हुए हैं। उत्तर प्रदेश के अन्दर कोविड के दौरान कोविड प्रबन्धन के माध्यम से लोगों को प्राप्त हुई सुविधा भी उन जनपदों में देखने को मिली है। क्या यह पिछली

सरकार का दायित्व नहीं था कि वह भी इसके बारे में सोचे, लेकिन कोरोना काल-खण्ड के दौरान सरकार के द्वारा उस दिशा में उठाये गये कदम आगे बढ़ने की स्थिति थी।

नेता प्रतिपक्ष बहुत सारे मुद्दों पर तो 2016-17 के ही आंकड़े यहां पर प्रस्तुत कर गये कि कितनी दुर्गति है। दुर्गति हमारी सरकार के समय नहीं है। अपनी सरकार के आंकड़ों को उन्होंने भूल से रख दिया था। खास तौर पर वह जैसे एजुकेशन इण्डेक्स की बात कर रहे थे। एजुकेशन इण्डेक्स के जो आंकड़े वह दे रहे थे, वह वर्ष 2016-17 के आंकड़े थे जब उनकी सरकार थी, वह स्वयं सरकार में थे। उत्तर प्रदेश एजुकेशन इण्डेक्स में पीछे से 4 नम्बर पर था, लेकिन आज उत्तर प्रदेश की रैंकिंग सुधरी है। बेसिक एजुकेशन में उत्तर प्रदेश देश के अन्दर नम्बर एक की स्थिति में पहुंचा है। ऑपरेशन कायाकल्प हो या अन्य कोई कार्यक्रम हम लोगों ने उसको आगे बढ़ाया है। इसके साथ ही मैं इन सभी चीजों को आपके सामने रखूंगा। अगर फुरसत हो तो मुझे कोई आपत्ति नहीं है। सुनने की स्थिति होनी चाहिए और व्यक्ति बहुत तन्मयता के साथ सुने तो बहुत सारी चीजें क्लीयर हो जायेंगी। हम अपनी बात को रखते समय इन चीजों का जरूर ध्यान दें।

मुझे प्रसन्नता होती कि अगर एस0डी0जी0 पर हुई एक लम्बी चर्चा के दौरान समाजवादी पार्टी भी सदन का हिस्सा बनी होती, नहीं बनी थी, क्योंकि वह गरीबों के लिए, उत्तर प्रदेश के नागरिकों के लिए, किसानों के लिए, महिलाओं के लिए, युवाओं के लिए एक गम्भीर चर्चा थी, उस चर्चा से समाजवादी पार्टी और हमारे विपक्ष के मित्र सदन से वाकआउट कर गये थे। कुछ माननीय सदस्य थे, जो प्रगतिशील सोच के थे। समाजवादी पार्टी समेत कुछ जो अन्य दल हैं, इनकी सोच लोकतांत्रिक नहीं है, इसलिए वह लोग सदन में आये, उन्होंने अपने भाषण भी दिये, सुझाव भी दिये, लेकिन अगर समूचा विपक्ष भी उसका विषय बना होता तो मुझे लगता है कि बहुत सारी चीजें सामने आतीं। जब हम चर्चा पर आगे बढ़ते हैं तो हमें सोचना चाहिए। जब हमें अवसर मिला तब हम लोगो ने इस दिशा में क्या किया और वह चीजें आगे बढ़ी होतीं तो बहुत अच्छी स्थिति प्रदेश के अन्दर बनी होती, वन डिस्ट्रिक्ट, वन मेडिकल कॉलेज की स्थिति, पिछले 5 सालों के दौरान प्रदेश के अन्दर यू0जी0 और पी0जी0 की सीटों में वृद्धि हुई है और हर जनपद में प्रदेश के अन्दर जो 16 असेवित जनपद थे वहां पर एक-एक नये मेडिकल कालेज की स्थापना की कार्यवाही यह सभी चीजें आज जिसके माध्यम से राज्य सरकार तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ा चुकी है और मुझे यह भी बताते हुए प्रसन्नता है कि जो 40 सालों में नहीं हो पाया इन्सेफेलाइटिस, कालाजार इनके उन्मूलन के लिए पांच वर्ष के अन्दर डबल इंजन की सरकार ने इसके उन्मूलन की दिशा में भी बेहतरीन रिजल्ट देश के सामने दिया है। दूसरा स्वास्थ्य के इण्डीकेटर के बारे में भी आपने चर्चा की है और मैंने परसों भी कहा था कि जो एन0एफ0एच0एस0-4 की जो सर्वेक्षण थी, उसकी तुलना में यह आपके समय का सर्वेक्षण था और हमारे समय का जो आया था उसमें मैटरनल एनीमिया में, संस्थागत प्रसव में, शिशु मृत्यु दर में, इसमें सभी मानकों में प्रदेश में अभूतपूर्व सुधार हुआ है। अगर संस्थागत प्रसव में आप देखेंगे 67.80 प्रतिशत से यह बढ़ करके 83.4 प्रतिशत हुआ है।

इसी प्रकार टीकाकरण में लगभग 70 फीसदी बच्चों को जो 12 से 23 माह के बच्चे हैं, उनका टीकाकरण का कार्य पूरा किया गया। सेक्स रेशियो में भी काफी सुधार हुआ है। यह सभी चीजें उत्तर प्रदेश के अन्दर हर एक सेक्टर में हुईं प्रोग्रेस को भी प्रदर्शित करता है।

प्रदेश के अन्दर आपका यह कहना था कि इन्वेस्टर समिट में जो एम0ओ0यू0 है उसकी क्या स्थिति है। मुझे लगता है कि जो एम0ओ0यू0 यहां पर हुई थी उसमें से ज्यादातर में प्रोडक्शन प्रारम्भ हो चुका है और जो कुछ बाकी हैं इसमें वर्ल्ड ट्रेड सेण्टर, रिलायन्स जियो इन्फोकॉम दस-दस हजार करोड़ रुपये के ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क इसके लिए उनका कार्य आगे बढ़ रहा है। सैमसंग को पांच हजार करोड़ रुपये के डिस्प्ले यूनिट की स्थापना यहां पर हुई है और उसने अपना प्रोडक्शन भी प्रारम्भ कर दिया है। टाटा सेण्टर की स्थापना हीरानन्दानी ग्रुप के द्वारा वीवो और ओपो मोबाइल फोन के द्वारा भी यहां पर निवेश की प्रक्रिया आगे बढ़ाने के साथ ही उनके प्रोडक्शन भी आगे बढ़ चुके हैं। बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट इस दौरान प्रदेश को प्राप्त हुए हैं और मैं तो आमंत्रित करूंगा आप लोगों को कि तीन जून को 80 हजार करोड़ रुपये के नये प्रोजेक्ट के साथ ग्राउण्ड ब्रेकिंग सेरेमनी का एक आयोजन हम लोगों ने लखनऊ में आयोजित किया है। 80 हजार करोड़ रुपये से अधिक के निवेश के प्रस्ताव जमीनी धरातल पर उतारने की कार्यवाही एक साथ प्रदेश के अन्दर पहली बार होगी।

आपने स्मार्ट सिटी की बात की, स्मार्ट सिटी में क्या हो रहा है। उत्तर प्रदेश स्मार्ट सिटी मिशन में देश के अन्दर वर्तमान में नम्बर एक स्थान पर है। स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भारत सरकार ने प्रदेश के दस शहरों का चयन किया। क्या सत्य है ? अगर आपने काम किया होता तो आपको सत्य की जानकारी भी होती। चूंकि सत्य से आप लोगों का कोई वास्ता ही नहीं है। लेकिन महोदय, बाकी जो सात नगर निगम थे उन म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को उत्तर प्रदेश सरकार ने उत्तर प्रदेश सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत इसमें चुना और इस मामले में तेजी के साथ कार्य हुआ है। हम लोगों ने जो उसमें सबसे अच्छा कार्य प्रारम्भ किया उसमें हम लोगों ने कन्वर्जन के मॉडल को भी उसमें लागू किया है जिसमें केन्द्र सरकार की स्मार्ट सिटी मिशन के साथ-साथ राज्य सरकार के स्तर पर भी उसमें कुछ योगदान दें और खास तौर पर इन्टीग्रेटेड कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेण्टर जिसने कोरोना काल-खण्ड के अन्दर प्रदेश के अन्दर कोविड कण्ट्रोल के लिए भी आई0सी0सी0सी0 का काम किया है और उसके बेहतरीन परिणाम आये हैं उसी तर्ज पर पूरे प्रदेश के अन्दर जो यह हमारे पास मॉडल था आई0टी0एम0एस0 का था। इन्हीं सब कार्यक्रमों को हम लोगों ने पूरे प्रदेश के अन्दर कोविड काल-खण्ड में इन्टीग्रेटेड कोविड कण्ट्रोल एण्ड कमाण्ड सेण्टर के रूप में इस्तेमाल किया और हर जनपद में उन कार्यक्रमों को हमने सफलतापूर्वक लागू करने का कार्य किया है। आई0टी0एम0एस0 के साथ-साथ स्मार्ट रोड, स्मार्ट स्ट्रीट लाईटिंग, स्मार्ट क्लासेज, स्मार्ट हेल्थ ए0टी0एम0, वाटर री-यूज प्रोजेक्ट, वाटर बॉडी से जुड़े से हुए तमाम हमारे कार्यक्रम थे, सॉलिड एण्ड लिक्विड वेस्ट मैनेजमेण्ट से जुड़े हुए प्रोजेक्ट थे और इन सभी कार्यक्रमों को प्रदेश सरकार और केन्द्र सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन और स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन को एक साथ लागू करने

का कार्यक्रम आगे बढ़ रहा है और इसी में उत्तर प्रदेश के द्वारा जो कार्यक्रम किये गये आज यह उसी का परिणाम है।

2012 से 2017 के बीच में उत्तर प्रदेश के शहरों की जो दुर्गति थी। 2017 से 2022 के बीच में उसमें परिवर्तन दिखायी दे रहा है। अब परिवर्तन देखने के लिए उस व्यक्ति को उस खुले दिमाग से सोचने की आवश्यकता भी है और अगर वह उन्हें अंगीकार कर ले तो दिखायी देता है, लेकिन जब आप कार्य ही नहीं करना चाहेंगे तो यह कैसे दिखायी देगा। भारत सरकार के स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत अप्रैल, 2022 में आयोजित जो स्मार्ट सिटी कान्क्लेव था उसमें उत्तर प्रदेश को प्रथम स्थान प्राप्त हुआ। साथ ही स्मार्ट सिटी की विभिन्न श्रेणियों में आगरा को नम्बर-2 स्मार्ट सिटी, वाराणसी को नम्बर-3 स्मार्ट सिटी तथा सहारनपुर को एक सहित कुल 06 पुरस्कार उत्तर प्रदेश की अलग-अलग सिटीज को प्राप्त हुए थे। देश के अन्दर जो 100 स्मार्ट सिटी विकसित हो रहे हैं उसमें से भारत सरकार की टॉप-20 स्मार्ट सिटीज की जो अद्यतन सूची है, उसमें प्रदेश के 04 शहरों ने स्थान प्राप्त किया है जिसमें आगरा चौथे स्थान पर, वाराणसी पांचवें स्थान पर, प्रयागराज तेरहवें स्थान पर तथा लखनऊ 15वें स्थान पर है।

(इस मध्य समाजवादी पार्टी के सदस्य श्री अवधेश प्रसाद द्वारा बीच में कुछ टोका-टाकी करने पर।)

अयोध्या भी बन रहा है। अयोध्या को भी हम विकसित कर रहे हैं। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। अयोध्या को हम लोगों ने स्टेट स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत लिया है, वहां पर कार्य चल रहा है और हम लोग उस कार्यक्रम को आगे बढ़ा रहे हैं।

महोदय, इसके साथ ही एक बहुत बड़ा कार्य इसमें है। पावर डिस्ट्रीब्यूशन पर भी मा0 नेता प्रतिपक्ष को बार-बार चिन्ता होती है और मैं उनको बताना चाहता हूँ कि जो ट्रांसमिशन कैपेसिटी है 2016-17 में आपकी जो क्षमता थी वह मात्र 16348 मेगावॉट थी जो वर्तमान में 28000 मेगावॉट की हो गयी है। प्रदेश के अन्दर आगामी दो वर्षों में हम ओबरा, सोनभद्र में 1320 मेगावॉट, जवाहरपुर, एटा में 1320 मेगावॉट, घाटमपुर, कानपुर देहात में 1980 मेगावॉट, पनकी, कानपुर में 660 मेगावॉट, इस तरह से कुल 5280 मेगावॉट की परियोजनाओं को पूरा करने के लक्ष्य के साथ हम कार्य भी कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में पॉवर ट्रांसमिशन लिमिटेड द्वारा जो कार्य आगे बढ़ाये गये हैं मुझे लगता है कि वह प्रदेश के हित में हैं और प्रदेश उस दिशा में तेजी के साथ अपने कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम भी कर रहा है। पॉवर डिस्ट्रीब्यूशन तो हर व्यक्ति जानता है। अब कोई वी0आई0पी0 जनपद नहीं है। सभी 75 जनपद वी0आई0पी0 हैं और 2017 से सभी जनपदों में समान रूप से विद्युत डिस्ट्रीब्यूशन का काम भी हम लोग ईमानदारी के साथ कर रहे हैं।

महोदय, इसके साथ ही नमामि गंगे की चर्चा भी मा0 नेता प्रतिपक्ष ने यहां पर की थी। एक मा0 सांसद के रूप में भी आपने संसद में काफी दिन व्यतीत किये हैं तो आपको मालूम होगा कि नमामि गंगे प्रोजेक्ट की थीम ही गंगा और उसकी सहायक नदियों को ले करके

है। इसमें यमुना नदी भी है, मां काली भी है, सरयू भी है, यमुना भी है सभी नदियों को इसके साथ जोड़ा गया है और इस पर कार्य हो रहा है। आपको उदाहरण मैं बताऊंगा। वर्ष 2017 के पहले सीसामऊ में 14 करोड़ लीटर सीवर प्रतिदिन गिरता था, जो आज जीरो है। जाजमऊ गंगा जी में जलीय जीव भी नष्ट हो गये थे इतना जहरीला वेस्ट उद्योगों का वहां पर गिरता था, कोई जलीय जीव गंगा जी में नहीं बचा था।

नमामि गंगे प्रोजेक्ट के बाद आदरणीय प्रधानमंत्री जी स्वयं फरवरी, 2020 में कानपुर पधारे थे और कानपुर में आदरणीय प्रधानमंत्री जी के आगमन के साथ सीसामऊ जो पहले सीवर प्वाइंट था उसको सेल्फी प्वाइंट के रूप में हम लोगों ने बदल करके वहां पर जाकर सेल्फी लेने का काम सभी लोगों ने किया था। ये चेन्ज है। 2019 का प्रयागराज कुम्भ उसका उदाहरण है। 'अविरल गंगा निर्मल गंगा' 24 करोड़ से अधिक श्रद्धालु प्रयागराज में आता है और अभिभूत होकर जाता है। स्वच्छ कुम्भ, दिव्य कुम्भ और भव्य कुम्भ कैसे होता है इसकी परिकल्पना को साकार होते हुए भी प्रदेशवासियों ने, देशवासियों ने और दुनिया ने देखा है और यही नहीं, प्रयागराज कुम्भ के साथ महोदय, मुझे याद है मैं पिछले वर्ष वाराणसी गया था। वाराणसी में काफी बाढ़ आ गयी थी तो मैं एक मोहल्ले में था और एन0डी0आर0एफ0 की टीम मेरे साथ थी, एन0डी0आर0एफ0 की टीम से मैंने इसके बारे में पूछा, खैर हम लोग एन0डी0आर0एफ0 की स्टीमर से बाढ़ क्षेत्रों का सर्वे करने जा रहे थे, कुछ मोहल्लों का भ्रमण कर रहे थे तो एन0डी0आर0एफ0 के एक अधिकारी से मैंने पूछा कि नमामि गंगे परियोजना के पहले और नमामि गंगे परियोजना के बाद आपको क्या परिवर्तन दिखता है, आप एन0डी0आर0एफ0 में कब से हैं और इसमें क्या परिवर्तन है ?

उन्होंने कहा कि मैं पिछले 4-5 वर्षों से एन0डी0आर0एफ0 के साथ जुड़ा हूँ इससे पहले जब नमामि गंगे परियोजना लागू नहीं हो पायी थी और 2017 के पहले रुचि न होने के कारण दावे भले ही कितने बड़े-बड़े हो जायें कोई योजना ईमानदारी के साथ लागू न होने के कारण जब हमारे जवान प्रैक्टिस करते थे, उनका कहना था कि जब हम लोग गंगा जी में प्रैक्टिस करते थे तो तीन-चार दिन की प्रैक्टिस के दौरान हमारी पूरी बॉडी पर लाल-लाल फफोले हो जाते थे, चकत्ते पड़ जाते थे। हम लोग जब डॉक्टर के पास जाते थे तो स्किन के स्पेशलिस्ट हमसे कहते थे कि आप किसी संक्रमित चीज की चपेट में हैं इससे अपना बचाव करें। यानि गंगा जी में उस समय इतना प्रदूषण था। लेकिन आज हमारी नियमित प्रैक्टिस होती है और जब हमारे जवान प्रैक्टिस करते हैं तो आज कुछ भी नहीं होता है, ये एक व्यापक परिवर्तन नमामि गंगे परियोजना के पहले और बाद में है। मान्यवर, उन्होंने कहा कि बरसात के बाद आइये, अक्टूबर-नवम्बर में तो आपको पहले गंगा में डॉलफिन नही दिखायी देती थी। आज गंगा में डॉलफिन दिखायी देगी। ये गंगा को प्रदूषण से मुक्त करने का परिणाम है। नमामि गंगे परियोजना के परिणाम क्या हैं ? मुझे लगता है कि डॉलफिन की चर्चा तो आपके, हां डॉलफिन का गंगा की निर्मलता में बड़ा योगदान रहा है। यह माना जाता रहा है और बहुत पवित्र माना जाता है।

जीवों में जिसे सबसे संवेदनशील बोल सकते हैं वह डॉलफिन होता है और डॉलफिन आज गंगा में फिर से दिखायी दे रही है, वहां उन लोगों ने मुझे गंगा में डॉलफिन दिखाया। कुंवर रेवती रमण सिंह जी राज्य सभा के माननीय सदस्य संसद में जब हमारे साथ लोक सभा में थे। प्रयागराज की जब चर्चा होती थी तो वे बार-बार डॉलफिन के बारे में चर्चा करते थे। कांग्रेस सरकार के समय संसद में मेरा एक कालिंग एटेन्शन था उस पर भी उन्होंने इस मुद्दे को बड़ी मजबूती के साथ रखा था। प्रधानमंत्री माननीय मोदी जी के नमामि गंगे परियोजना के कारण आज गंगा जी में डॉलफिन फिर से दिखाई दे रही है। हमारी आस्था का भी सम्मान हुआ। गंगा आस्था का सम्मान करते हुए अर्थव्यवस्था को मजबूती प्रदान कर रही है। देश का पहला वाटर-वे, हल्दिया से वाराणसी के बीच में प्रारम्भ हो चुका है। अब वहां से तमाम चीजें एक्सपोर्ट होनी प्रारम्भ हो चुकी हैं। ये चीजें दिखाती हैं कि किस तेजी के साथ कार्य हो चुके हैं और नमामि गंगे परियोजना के परिणाम बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहे हैं। 70 से अधिक नदियां, जो प्रायः लुप्त हो चुकी थीं। हम लोगों ने कन्वर्जन के माध्यम से प्रदेश में उन सभी नदियों को फिर से पुनर्जीवित करने में सफलता प्राप्त की है। इसमें नून, अरिल, मन्दाकिनी नदियों को भी उस कार्यक्रम के साथ जोड़ा गया है। इसमें तमसा, मनोरमा, पाण्डू तमाम ऐसी नदियां हैं जिन पर कार्य हुए हैं और नदियां पुनर्जीवित होते हुए दिखायी दी हैं।

महोदय, यह सभी कार्य प्रदेश के अन्दर हुए हैं। आपने सैनिक स्कूलों की भी चर्चा की थी। उसके सम्बन्ध में बता दूं कि सन् 2012 से सन् 2017 के बीच आपने सैनिक स्कूलों के लिए 162 करोड़ रुपये आवंटित किये थे। हम लोगों ने प्रदेश में 216 करोड़ रुपये सैनिक स्कूलों के लिए आवंटित किये। नये बजट में भी हम लोगों ने इसका प्राविधान किया और सैनिक स्कूलों में बालिकाओं को भी प्रवेश मिले, यह प्राविधान पहली बार यू0पी0 ने प्रारम्भ किया है। यही नहीं, उनकी क्षमताओं को भी दुगुना किया जाये। प्रदेश के मुख्य मंत्री के रूप में डॉ0 सम्पूर्णानन्द जी ने 1960 में देश का पहला सैनिक स्कूल लखनऊ में खोला था। कैप्टन मनोज पाण्डे सैनिक स्कूल उत्तर प्रदेश आज अपनी दुगुनी क्षमता के साथ कार्य कर रहा है और बालिकायें भी वहां प्रवेश ले चुकी हैं और उन कार्यक्रमों को सफलतापूर्वक आगे बढ़ाया जा रहा है। वर्तमान में प्रदेश में हम लोग सैनिक स्कूल के कार्य को आगे बढ़ा रहे हैं। वर्तमान में प्रदेश में पांच सैनिक स्कूल, जिसमें से चार क्रियाशील हो चुके हैं तथा एक क्रियाशील होने की ओर अग्रसर है। हमारा प्रयास है कि हर कमिश्नरी स्तर पर एक सैनिक स्कूल की स्थापना हो। आप स्कूली मॉडल की बात कर रहे थे। अगर आपको स्कूली मॉडल देखना है तो मैं अनुरोध करूंगा कि इस समय आपरेशन कायाकल्प के फलस्वरूप बेसिक शिक्षा परिषद् के स्कूल तैयार हुए हैं, उनमें से एक-आध का विजिट कर लेंगे तो अच्छा होगा। हो सकता है कि पिछली सरकारों की दृष्टि उधर न गयी हो। हर कमिश्नरी में एक मॉडल स्कूल हम लोग जिस रूप में बना रहे हैं वह है अटल आवासीय विद्यालय का। जिसमें श्रमिकों के बच्चों को, अनाथ बच्चों को, उन विद्यालयों में रखने की सारी व्यवस्था का कार्य सरकार करने जा रही है और नये सत्र में हम उसको प्रारम्भ करने जा रहे हैं। बिना किसी भेद-भाव के पहले सभी 18 कमिश्नरी स्तर

पर एक-एक विद्यालय हम लोग ले रहे हैं। फिर हम हर एक जनपद की तरफ अग्रसर करेंगे। हर जनपद में एक-एक फिर विकास खण्ड में एक-एक फिर न्याय पंचायत स्तर पर इस प्रकार का एक-एक मॉडल स्कूल दे देंगे तो इस प्रदेश के अन्दर आमूलचूल परिवर्तन होगा। इसमें मॉडल हम देंगे। जैसे उत्तर प्रदेश ने पहले स्टेट और सेण्ट्रल के स्तर पर सन् 1960 में प्रारम्भ किया, आज देश के अन्दर कई सैनिक स्कूल हैं।

आज वर्तमान में प्रदेश के अन्दर पांच सैनिक स्कूल हैं। आज उत्तर प्रदेश में 16 सैनिक स्कूलों के हमने प्रस्ताव भेजे हैं। अब सैनिक स्कूल को भी पी0पी0 मोड पर आगे बढ़ाने की कार्रवाई की जा चुकी है। जितना पैसा हमने शिक्षा के क्षेत्र में दिया है तो हम चाहेंगे कि यह पैसा शिक्षा के क्षेत्र में आमूलचूल परिवर्तन का कारक बने। इस दिशा में भी हम लोगों ने आगे बढ़ाने का काम किया है।

आपने कानून व्यवस्था की बात भी की ईज आफ डूईंग बिजनेस की भी बात करके आपने दोनों को जोड़ा था। आपने कहा ईज आफ डूईंग बिजनेस में नहीं ईज आफ डूईंग क्राइम में उत्तर प्रदेश आगे बढ़ा है। लेकिन यह सत्य नहीं है। मैं आंकड़े आपके सामने प्रस्तुत कर रहा हूँ और जरा गौर के साथ मा0 नेता प्रतिपक्ष अगर अच्छी तरह से सुन पायेंगे तो अच्छा रहेगा। ईज आफ डूईंग बिजनेस की जो रैंकिंग वर्ष 2015-2016 में 14वीं रैंक पर थी और आज इसकी रैंकिंग में आमूलचूल परिवर्तन व व्यापक सुधार करके हम 2 नम्बर पर देश में हैं। उत्तर प्रदेश में पुलिस को रिफार्म किया गया। पुलिस को तकनीक से पूरी तरह भरपूर किया गया और उसका परिणाम भी है। महोदय, 2016 के सापेक्ष 2021 का जो एन0सी0आर0बी0 का डाटा है तो उसमें दर्शाया गया है, उत्तर प्रदेश डकैती के मामलों में 73.94 प्रतिशत की और लूट की घटनाओं में 65.88 प्रतिशत की और हत्या के मामले में 34 प्रतिशत की और बलात्कार के मामलों में 50.66 प्रतिशत की कमी आयी है। यह उत्तर प्रदेश के अन्दर एन0सी0आर0बी0 का डाटा है और यही नहीं, माफियाओं और अपराधियों के खिलाफ जो कार्रवाई हुई है उसमें 2081 करोड़ रुपये की सम्पत्ति को भी जब्त किया गया है और एण्टी भू-माफिया टास्क फोर्स के माध्यम से 64398 हेक्टेयर भूमि को भी अतिक्रमण से मुक्त कराया है और प्रदेश के अन्दर जो परिणाम सामने आये हैं वह सबके सामने हैं।

प्रदेश के अन्दर सरकार ने बहुत चीजों पर कार्य प्रारम्भ किया है, लेकिन मैं कुछ चीजें आपके सामने बताना चाहूंगा कि जो चीजें आप यहां पर कह रहे थे जैसे कि आपने गन्ना किसानों की बात की थी, लेकिन आपने यह नहीं देखा कि गन्ना किसानों की स्थिति समाजवादी पार्टी की सरकार में क्या थी और वर्तमान में क्या है, यह आप सबके सामने रखने की आवश्यकता है। पिछले पांच वर्ष के दौरान हमारी सरकार ने 174383 करोड़ 81 लाख रुपये का गन्ना मूल्य का भुगतान गन्ना किसानों को हुआ है। इस सत्र में हमने 120 चीनी मिलें चलाई हैं अैर मई महीने की अन्तिम तिथि तक 4 मिलें अभी भी चल रही हैं। प्रदेश में एक भी बंडल गन्ना होगा, तब तक राज्य में चीनी मिलें चलेंगी। गन्ना मूल्य का भुगतान कब-कब कितना हुआ है, यह सब किसानों को समय से पता चल जाता है और यही नहीं, गन्ना किसान

को घटतौली से मुक्त करने की कार्रवाई रही हो या पर्ची की ब्लैकमेलिंग से बचाने की कार्रवाई भी इस सरकार में की गयी है। यह अभूतपूर्व है, तकनीक का उपयोग किया है। किसान के स्मार्ट फोन पर सीधे पर्ची की सुविधा दे दी गयी है, जिससे आज किसान लाभान्वित हो रहा है। उसमें आज कोई घटतौली नहीं हो सकती और कोई पर्ची की ब्लैकमेलिंग नहीं कर सकता।

उत्तर प्रदेश इथेनॉल उत्पादन और गन्ना उत्पादन में नम्बर-1 पर है। हम लोगों ने अपने बजट में कोआपरेशन और फेडरेशन से जुड़ी हुई चीनी मिलों के लिए गन्ना मूल्य के भुगतान की कुछ राशि का प्राविधान किया है ताकि यह मिलें अपने स्वयं के रिर्सोसेज से उसका भुगतान करने की स्थिति में हो सकें। हम 1,74,000 करोड़ रुपये से अधिक के गन्ना मूल्य का भुगतान कर चुके हैं। मात्र 8,000 करोड़ रुपये के आस-पास के गन्ना मूल्य का जो भुगतान अवशेष है यह भी समय से अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसको पूरा करने के लिए सरकार पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। मुझे लगता है कि रमाला चीनी मिल आज भी चल रही है और इस समय भी चल रही है। मैंने पहले ही कहा था कि धान क्रय और गेहूं क्रय में हम लोगों ने किसानों के खाते में पैसा भेजा है। धान क्रय में वर्ष 2012 से 2017 के बीच में मात्र 17,190 करोड़ रुपये गये थे। यह धनराशि किसानों के खाते में न जाकर आढ़तियों के पास गई थी।

हम लोगों ने वर्ष 2017 से 2022 के बीच 47,044 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि को धान उत्पादक किसानों के पास डी0बी0टी0 के माध्यम से भेजने का काम किया है। सरकार ने गेहूं उत्पादक किसानों के पास भी डी0बी0टी0 के माध्यम से पैसे को भेजने का कार्य किया है। इसी प्रकार गेहूं उत्पादक किसानों के पास भी सरकार ने डी0बी0टी0 के माध्यम से इस पैसे को उपलब्ध करवाने का कार्य किया। सरकार इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने की दिशा में लगातार प्रयास कर रही है। महोदय, इसके साथ ही प्रदेश सरकार ने बहुत सारे कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यहां पर माननीय नेता प्रतिपक्ष एक योजना का जिक्र कर रहे थे। इन्होंने पुरानी पेंशन स्कीम अर्थात् ओल्ड पेंशन स्कीम की बात कही।

मैंने पहले ही कहा था कि प्रदेश सरकार अपने सभी कर्मचारियों के हितों को पूरी तरह से संरक्षण देने के लिए संवेदनशील तरीके से कार्य कर रही है। अभी हम लोगों ने ई-पेंशन स्कीम लागू की है। अब किसी भी कर्मचारी को अपनी पेंशन के लिए कार्यालयों की दौड़-धूप नहीं करनी पड़ेगी। एक ऑटो मोड पर सभी कार्य अपने आप आगे बढ़ेंगे। अभूतपूर्व तरीके से इस कार्य को तकनीकी के साथ जोड़कर आगे बढ़ाया गया है, लेकिन राज्य में न्यू पेंशन स्कीम किसने लागू की थी। क्या उस समय समाजवादी पार्टी की सरकार नहीं थी।

वर्ष 2012 से 2017 के बीच समाजवादी पार्टी की सरकार थी यह तब क्या कर रहे थे। वर्मा जी तो जहां पर मीठा खाने के लिए मिले वहीं लपक पड़ते हैं। यानि सपा हो या बसपा, वह दोनों का श्रेय लेने का प्रयास करेंगे। बहुजन समाज पार्टी की भी सरकार रही थी और आप तब उसमें मंत्री थे। आप लोगों ने तब कभी यह मुद्दा नहीं उठाया। आप लोगों ने उत्तर प्रदेश के इन कर्मचारियों के प्रति कितना अनर्थ किया था। न्यू पेंशन स्कीम के अन्दर

प्राविधान था कि सरकार इन कर्मचारियों के एकाउण्ट खोलेगी और अपना शेयर देगी। वर्ष 2004-05 से लेकर वर्ष 2017-18 तक न तो वह एकाउण्ट खुले थे और न ही वह राशि जमा हो पाई थी। वर्ष 2017-18 में कर्मचारी संगठनों ने इस बात को मेरे सामने रखा। जब यह मामला मेरे सामने आया था, तो मैंने इसमें एक कमेटी गठित की थी और हमने इस बात की व्यवस्था की थी कि यह जो कर्मचारियों का कन्ट्रीब्यूशन होना था और यह जो स्टेट का कन्ट्रीब्यूशन होना था, लेकिन वह तब होता जब एकाउण्ट खुलते, नहीं खोले गये। हम लोगों ने एकाउण्ट भी खोले। हमने बजट से दस हजार करोड़ रुपये की धनराशि भी कर्मचारियों के लिए जो स्टेट शेयर होना चाहिए था वह भी जमा किया। 2005 में जब न्यू पेंशन स्कीम लागू की गयी थी तब स्टेट शेयर 10 प्रतिशत था उस धनराशि को बढ़ाकर 14 फीसदी भी हम लोगों ने किया है। भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व की सरकार ने किया है। आपको पांच साल मिला आपने उनके बारे में नहीं सोचा। समाजवादी पार्टी की सरकार के समय लागू हुआ था तब आप लोगों ने उसकी चर्चा नहीं की। उसको उस समय रोका नहीं। बहुजन समाज पार्टी सरकार में थी तब भी उसको लागू नहीं किया और आज केवल चुनावी लाभ-हानि के लिए केवल उनको बहकाने के लिए इन लोगों के द्वारा शगूफा छोड़ा गया है। हर व्यक्ति जानता है कि इनको जब आना ही नहीं था तो कुछ भी बोल दो उससे क्या होने वाला है। जनता भी जानती थी कि जब आना ही नहीं है तो इनकी बात पर ध्यान भी मत दो। जनता भी उसको उसी रूप में ली थी। यह जितनी भी सुविधाएं थीं कर्मचारियों के हितों के लिए राज्य सरकार इसको पूरी ईमानदारी के साथ प्रदेश के अन्दर यहां पर लागू करने का प्रयास किया है।

जी हां पर खन्ना जी ने अपना बजट प्रस्तुत किया इसमें अगर हम देखेंगे तो ऊर्जा क्षेत्र में 48 हजार 345 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है जो पिछले बजट से 26 फीसदी अधिक है। पुलिस रिफार्म के साथ-साथ उनके इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए प्रदेश में बेहतर कानून-व्यवस्था, सुरक्षा का बेहतर माहौल और उनकी आवासीय आदि सुविधा के लिए हम लोगों ने 32 हजार 811 करोड़ रुपये से अधिक की धनराशि का प्राविधान किया है। कृषि, उद्यान और सहकारिता के क्षेत्र में 17 प्रतिशत के बजट का प्राविधान, पशुपालन, दुग्ध उत्पादन और मत्स्य में 18 फीसदी का, ग्राम्य विकास, पंचायती राज, नगर विकास में 11 प्रतिशत की वृद्धि, चिकित्सा, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण में 34 फीसदी और आयुष में 27 फीसदी की वृद्धि भी इस बजट में की गयी है। प्रदेश के युवाओं और बच्चों की शिक्षा पर 87 हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए जो बजट प्राविधान किया गया है उसमें 58 फीसदी की अभूतपूर्व वृद्धि भी की गयी है। 2016-17 में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति से जुड़े बच्चों की स्कॉलरशिप को समाजवादी पार्टी की सरकार ने रोक दिया था। नहीं दिया था। हमारी सरकार आयी तो हमने विशेष प्राविधान करके उसको फिर से आगे बढ़ाने का काम किया है। महिला और बाल विकास के लिए भी 28 फीसदी की वृद्धि की गयी है। जो पांच वर्ष में इस मद में आने वाली राशि की दुगुनी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट में अगर हम लोग देखेंगे तो 2016-17 की तुलना में इसमें हम लोगों ने 37 फीसदी की वृद्धि

की है। 37 फीसदी की इसमें अतिरिक्त वृद्धि हुई है। प्रदेश में आज 2022-23 में 01 लाख 36 हजार 681 करोड़ 67 लाख रुपये का जो हमारा इन्फ्रास्ट्रक्चर का व्यय है इसमें कुल बजट का 22.2 प्रतिशत है।

महोदय, यह 2016-17 की तुलना में लगभग 104 फीसदी अधिक है। यानि 05 वर्षों में हम राशि को इतना बढ़ा पाये हैं कि यह 104 फीसदी अधिक है। प्रदेश में ऐसी ही अन्य योजनाओं को लेकर यह पावर और डिस्कॉम से जुड़े हुए क्षेत्र में भी राज्य सरकार ने अभूतपूर्व वृद्धि की है। अन्य सभी क्षेत्रों में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में मैं पहले ही बता चुका हूँ। चिकित्सा, स्वास्थ्य के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में।

मा0 अध्यक्ष जी, हम लोगों ने इस बजट में प्रदेश के अन्दर गरीब कल्याण के लिए बहुत सारे प्राविधान किये हैं। प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना के 01 करोड़ 67 लाख लाभार्थी हैं। उनको इस बजट में होली एवं दीपावली के अवसर पर फ्री में सिलेण्डर उपलब्ध कराने का भी प्राविधान किया गया है। इस बजट में प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए सात हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। शहरी आवास योजना में 10 हजार 127 करोड़ 61 लाख रुपये का प्राविधान किया गया है। दिव्यांगजन पेंशन योजना के लिए एक हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है और साथ-साथ प्रदेश में छात्रवृत्ति के लिए, अटल आवासीय विद्यालय के लिए, प्रदेश में भामाशाह भाव स्थिरता कोष के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है। इस बजट में चीनी मिलों के पुनरुद्धार के कार्यक्रम को भी स्थान दिया गया है। मुख्य मंत्री कृषक दुर्घटना कल्याण योजना के लिए 650 करोड़ रुपये जिसमें बटाईदार को पहली बार लिया गया था। किसान, किसान के परिवार के बालिग सदस्य और बटाईदार का हिस्सा होगा। यानि सरकार अब उस दिशा में आगे कदम बढ़ा रही है कि अगले पांच वर्ष के अन्दर प्रदेश के अन्नदाता किसानों को सिंचाई की सुविधा फ्री में उपलब्ध करवाने की स्थिति में होंगे। इस बजट में 15,000 सोलर पम्प की स्थापना की कार्यवाही के लिए प्राविधान किया गया है और मुख्य मंत्री लघु सिंचाई योजना के लिए भी एक हजार करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। बुन्देलखण्ड क्षेत्र में प्राकृतिक खेती के लिए धनराशि का प्राविधान किया गया है और एम0एस0पी0 का लाभ अन्नदाता किसानों को प्राप्त हो सके, इसके लिए बजट में 17 हजार 500 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है।

इसके साथ प्रदेश के अन्दर बेसिक शिक्षा हो, माध्यमिक शिक्षा में संस्कृत के लिए 324 करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। महाविद्यालयों में स्मार्ट क्लासेज के लिए व्यवस्था की गयी है, असेवित मण्डलों में नये विश्वविद्यालयों की स्थापना के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के साथ ही सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालय में ऑनलाइन संस्कृत प्रशिक्षण के लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है और प्रयागराज में डॉ0 राजेन्द्र प्रसाद नेशनल लॉ यूनिवर्सिटी के लिए भी 103 करोड़ रुपये का प्राविधान इस बजट मे करने की कार्यवाही के साथ किया गया है।

महोदय, बहुत सारे कार्यक्रम ऐसे हैं जैसे हेल्थ सेक्टर में भी, जिसमें मैंने अपनी बातों को पहले भी रखा। प्रधानमंत्री गतिशक्ति योजना के लिए मल्टी मॉडल कनेक्टिविटी परियोजना के

लिए 897 करोड़ रुपये, प्रयागराज, प्रतापगढ़, अलीगढ़ एवं महोबा और अन्य औद्योगिक जो हमारे एक्सप्रेस-वे हैं, उनमें औद्योगिक क्लस्टर की स्थापना के लिए व्यवस्था की है और इस बजट में अयोध्या में सीपेट की स्थापना के लिए व्यवस्था की गयी है। प्रदेश के अन्दर वन डिस्ट्रिक्ट, वन प्रोडक्ट के साथ-साथ मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के लिए और विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना के लिए भी जो हमारे परम्परागत हस्तशिल्पी हैं उनके लिए भी बजट का प्राविधान किया गया है। यहां पर मा0 सदस्यों ने बहुत चिन्ता व्यक्त की है और वह जायज भी है, खास तौर पर पेयजल के बारे में। हम मा0 प्रधानमंत्री मोदी जी के आभारी हैं जिन्होंने जल जीवन मिशन के अन्तर्गत हर घर नल योजना को पूरी ईमानदारी के साथ क्रियान्वित करने के लिए पर्याप्त धनराशि का प्राविधान किया है।

नगरीय क्षेत्रों में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति नल से हो सके, इसके लिए अमृत-2 में 2 हजार करोड़ रुपये का प्रस्ताव भी बजट में किया गया है और मैं चाहूंगा कि नगर विकास इस योजना के साथ मा0 विधायकों को थोड़ा जोड़े। इस बात को सुनिश्चित करें कि जहां पर समरसेबिल लगाकर पाइप कनेक्टिविटी दे सकते हैं, तत्काल योजना से मा0 जनप्रतिनिधियों को इसके साथ जोड़कर अगर हम इस कार्यक्रम को आगे बढ़ा पायेंगे तो हैण्डपम्प की समस्या का हमेशा के लिए समाधान हो जायेगा और इस योजना को आगे बढ़ाया जाना चाहिए और माननीय जन-प्रतिनिधियों के प्रस्ताव को प्राथमिकता के आधार पर लेना चाहिए। यह हम प्रदेश के सभी 734 नगर निकायों में बराबर लागू करेंगे।

दूसरा, प्रदेश के अन्दर स्मार्ट सिटी मिशन के लिए हम लोगों ने भारत सरकार के अन्तर्गत दो हजार करोड़ रुपये और राज्य स्मार्ट सिटी मिशन के अन्तर्गत भी हम लोगों ने प्रदेश के अन्दर दो सौ दस करोड़ रुपये के अतिरिक्त प्राविधान की व्यवस्था की है। मेट्रो परियोजना और आर0आर0टी0एस0 परियोजना के लिए दो हजार सात सौ पचास करोड़ रुपये का प्रावधान किया गया है। जल जीवन मिशन ग्रामीण क्षेत्र में शुद्ध पेयजल की आपूर्ति, बुन्देलखण्ड एवं विन्ध्य क्षेत्र में हम इस कार्यक्रम को लागू कर रहे हैं, हमारा प्रयास है कि इस वर्ष के अन्त तक हर घर नल की योजना इन क्षेत्रों में लागू हो। इन्सेफेलाइटिस, आर्सेनिक और फ्लोराइड से प्रभावित क्षेत्रों के साथ-साथ खारा पानी वाले क्षेत्रों, डार्क जोन वाले क्षेत्रों में एवं अन्य क्षेत्रों में भी कार्यक्रम लागू हों इसके लिए उन्नीस हजार पांच सौ करोड़ रुपये का प्राविधान किया गया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) और मैं चाहूंगा कि नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति एवं ग्राम्य विकास विभाग ये सभी विभाग इन योजनाओं के साथ माननीय जन-प्रतिनिधियों को जोड़ें। प्रयास हो कि हम लोग हर घर तक शुद्ध पेयजल की आपूर्ति करने में सक्षम हो सकें और समय पर सक्षम हो सकें, इस कनेक्टिविटी के बेहतर करने की दिशा में विगत पांच वर्ष में छत्तीस लाख नये पाइप पेयजल के कनेक्शन उपलब्ध कराने में हमें सफलता प्राप्त हुई है, लेकिन अभी इस लक्ष्य को बहुत तेजी के साथ प्रदेश के अन्दर हर घर तक पहुंचाना है और उस कार्यक्रम के लिए भी धनराशि की व्यवस्था की गयी है।

मेट्रो के साथ-साथ वाराणसी में रोप-वे के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है और स्वच्छ भारत मिशन नगरीय योजना के अन्तर्गत के लिए भी पर्याप्त धनराशि का प्रावधान किया गया है। ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों के लिए प्रावधान किया जा रहा है। बाढ़ नियंत्रण के लिए दो हजार सात सौ इक्यावन करोड़ रुपये के बजट का प्रावधान हम लोगों ने किया है। खेल प्रतिभाओं को भी विकसित करने के लिए इस दिशा में काम प्रारम्भ किया है। अपने युवाओं के लिए टैबलेट एवं स्मार्ट फोन के लिए पन्द्रह सौ करोड़ रुपये का प्रावधान भी प्रदेश सरकार ने किया है। अभ्युदय कोचिंग, हमारे युवा को किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की कोचिंग के लिए प्रदेश से बाहर न जाना पड़े, कमिश्नरी स्तर पर इसका प्रावधान किया गया था। उस फील्ड से जुड़े हुए एक्सपर्ट वहां पर युवाओं को इसका लाभ दे रहे हैं और उसके बेहतर परिणाम आ रहे हैं। आपने देखा होगा कि पिछले तीन वर्ष के अन्तर्गत ये काम आरम्भ हुए। कल यू0पी0एस0सी0 की जो टॉपर सूची आई थी वह उत्तर प्रदेश की ही एक बालिका जनपद बिजनौर से है और मैं उत्तर प्रदेश के अपने समस्त युवाओं को इस अवसर पर बधाई देता हूँ जिन्होंने उत्तर प्रदेश की इस ऊर्जा का लाभ लेकर देश के सामने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) मैं उन सभी का अभिनन्दन करता हूँ।

अभ्युदय कोचिंग के भी बेहतर परिणाम आने शुरू हो गये हैं, अब तक हम 18 कमिश्नरी में इसको लागू कर रहे थे लेकिन हमारा प्रयास है कि बहुत शीघ्र 75 जनपदों में अभ्युदय कोचिंग के लिए भी व्यवस्था हो, इसका भी प्रावधान किया है और एकलव्य क्रीड़ा कोष की स्थापना के लिए पच्चीस करोड़ के एक प्रस्ताव का हम लोगों ने बजट में प्रावधान किया है। वीरांगना झलकारीबाई पुलिस बटालियन, वीरांगना अवन्तीबाई महिला बटालियन, बदायूं और वीरांगना ऊदा देवी महिला बटालियन, लखनऊ के लिए भी धनराशि की व्यवस्था इसमें की गयी है। सेफ सिटी मिशन के अन्तर्गत भी बजट का प्रावधान किया गया है और साथ-साथ प्रदेश के प्रयागराज कुम्भ-2025 के लिए भी हमारी तैयारी अभी से प्रारम्भ हो जायेगी और बजट में उसके लिए धनराशि की व्यवस्था हम लोगों ने प्रारम्भ कर दी है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) भव्य और दिव्य कुम्भ वर्ष 2025 का हो, अभी से इन्फ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेण्ट के साथ-साथ पूरी कार्य योजना लागू करने के बाद अब हम इस कार्यक्रम के साथ आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के बुजुर्गों, सन्तों, पुजारियों, पुरोहितों के लिए एक पुरोहित कल्याण बोर्ड के गठन की कार्यवाही को भी हम लोगों ने आगे बढ़ाया है। (सत्ता पक्ष के सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) प्रदेश के अन्दर लोक परम्परा एवं लोक संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए सन्त कबीरदास जी के नाम पर भोजपुरी एकेडमी, बुन्देली भाषा के लिए केशवदास बुन्देली एकेडमी, अवधी भाषा के लिए गोस्वामी तुलसीदास अवधी एकेडमी और बृज भाषा के लिए सन्त सूरदास बृजभाषा एकेडमी की स्थापना के लिए भी बजट का प्रावधान, लोक परम्परा, लोक संस्कृति और लोक

गाथाओं को संरक्षित करने के लिए भी यहां पर व्यवस्था की गयी है। महर्षि वाल्मीकि सांस्कृतिक केन्द्र चित्रकूट, निषादराज गुह सांस्कृतिक केन्द्र श्रृंगबेरपुर। देखिये, संजय जी हंस रहे हैं।

(माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अखिलेश यादव-

यह और बता दीजिए कि ये इरादे बदल कैसे गये ?

(समाजवादी पार्टी के किसी सदस्य द्वारा यह कहने पर कि विधायक निधि भी बढ़ा दीजिये)

श्री योगी आदित्यनाथ-

आप वहां से प्रस्ताव करिये, फिर हम लोग उस पर चर्चा करेंगे।

सन्त रविदास संग्रहालय और सांस्कृतिक केन्द्र वाराणसी के लिए भी बजट का प्रावधान इस बजट में किया गया है। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) महोदय इसके साथ ही चित्रकूट में महर्षि वाल्मीकि का, वाराणसी में सन्त रविदास जी का, श्रृंगबेरपुर में निषादराज गुह से सम्बन्धित पर्यटन विकास के जो भी कार्यक्रम होने हैं, हमने पर्याप्त बजट की व्यवस्था की है। सन्त तुलसीदास जी का राजापुर, आधुनिक रामायण है, रामचरित मानस और रामचरित मानस के माध्यम से जो बात आज से सैकड़ों वर्ष पहले सन्त तुलसीदास जी ने कही थी, आज वह अक्षरशः सही होती हुई दिखायी देती है, हमारे लोक जीवन में, हमारे सामाजिक जीवन में, पारिवारिक जीवन में, परमार्थिक जीवन में, उस राजापुर के उनकी पवित्र जन्मभूमि के विकास की भी एक व्यवस्थित कार्य योजना को लेकर सरकार कार्य कर रही है। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) नैमिष तीर्थ के लिए, एक विकास के लिए, विकास कैसे होना चाहिए। पर्यटन विकास की सम्भावनाओं को कैसे आगे बढ़ाया जाना चाहिए, अन्तर यही है, फर्क साफ है, पहले पैसा कब्रिस्तान के विकास के लिए आप खर्च करते थे, आज हम लोग तीर्थ स्थलों के विकास के लिए खर्च कर रहे हैं। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) महर्षि वाल्मीकि आपको स्मरण नहीं आये थे, सन्त रविदास जी स्मरण नहीं आये थे, सन्त तुलसीदास जी याद नहीं आये थे, सन्त कबीर दास जी भी याद नहीं आये थे। कबीर दास जी की जो भव्य कबीर एकेडमी बनी है, महामहिम राष्ट्रपति जी, 05 जून को मगहर सन्तकबीरनगर में उसका उद्घाटन करेंगे। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) जिसमें कबीर दास जी के उस पूरे लोक साहित्य पर शोध को आगे बढ़ाने की कार्यवाही भी होगी। यह कार्यक्रम हम लोग आगे बढ़ा रहे हैं और यही नहीं, भारत के संविधान के शिल्पी बाबा साहब डॉ0 भीमराव अम्बेडकर के नाम पर भी लखनऊ में भव्य स्मारक और सांस्कृतिक केन्द्र के कार्यक्रम के लिए भी बजट का प्रावधान किया गया है। इसमें भी स्कॉलरशिप की कार्यवाही हमारी आगे बढ़ने जा रही है। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) बाबूजी कल्याण सिंह ग्राम उन्नति योजना के लिए भी सरकार ने बजट का प्रावधान किया है।

(सदस्य श्री लाल जी वर्मा के कुछ कहने पर)

आप तो इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। सरकार पहले एक मद खोलती है और फिर बजट आवश्यकता के अनुरूप वहां पर आता है। बजट की कमी नहीं होती है, कमी होती है मंशा की, इच्छा शक्ति की। इतने सीनियर सदस्य होकर आप इस बात को कह रहे हैं। राशि महत्वपूर्ण नहीं होती है, महत्वपूर्ण यह है कि मंशा क्या है ? लेकिन बाबूजी कल्याण सिंह जी के नाम पर, श्रद्धेय कल्याण सिंह जी ने सरकार का मॉडल क्या होना चाहिए, 1991 में उनके द्वारा स्थापित सरकार उसका एक आधार बनती है और कल्याण सिंह जी ने हम लोगों को जो नजीर दी, वह आज भी प्रदेश और देश के सामने एक उदाहरण बनता है। कल्याण सिंह जी के नाम पर ग्राम्य विकास की इस अवधारणा को लागू करने के लिए सरकार कार्य कर रही है। प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के लिए भी 7373 करोड़ रुपये, ग्रामीण बसावटों में ऑल वेदर रोड के लिए 1965 करोड़ रुपये, निषादराज बोर्ड सब्सिडी योजना, इसके लिए भी व्यवस्था की गयी है।

मान्यवर, यह सभी प्रावधान यहां पर किये गये हैं। प्रदेश में मैंने पहले भी कहा है कि जितने भी बजट में प्रावधान किए गये हैं, यह भी मा0 सदस्यों के प्रस्ताव पर हो रहे हैं। उन प्रस्तावों को लागू करने की जो जमीनी स्थिति है वह भी आपके ही स्तर पर होनी है और आपके ही प्रस्ताव पर आगे बढ़ना है। राज्य सरकार इसबात को सुनिश्चित करेगी कि हर मा0 सदस्य की भावनाओं के अनुरूप विकास के कार्य जमीनी धरातल पर उतरकर प्रदेश की 25 करोड़ जनता की आशाओं और उनकी आकांक्षाओं को यह पूरा कर सके। प्रदेश के गरीबों के जीवन में व्यापक परिवर्तन करते हुए उन्हें उन्नयन की दिशा में अग्रसर कर सकें और देश के युवाओं के जीवन को और बेहतर करने की दिशा में कार्य कर सकें।

महोदय, यह बजट युवा पीढ़ी को सशक्त बनायेगा और भारत के भविष्य के प्रतीक के रूप में अपने युवाओं को स्थापित करेगा। प्रदेश में महिलाओं के विकास की योजनाओं में मातृ शक्ति की भागीदारी सुनिश्चित हो, इस दिशा में भी सरकार ने इस बजट में इसका प्रावधान किया है। गरीब, किसान, वंचित और समाज के विभिन्न तबकों के हितों के लिये सरकार ने इन कार्यक्रमों को आगे बढ़ाया है। यह बजट 21वीं शताब्दी का तीसरा दशक चल रहा है यह उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था को इस पूरे दशक के अन्दर हमें आदरणीय प्रधानमंत्री जी के विजन के अनुरूप वन ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी के अनुरूप करने की मंशाओं को स्थापित करने वाला बजट है। उत्तर प्रदेश का बजट उसका प्रतिनिधित्व करेगा और इस दिशा में हम जाति, मत, मजहब, क्षेत्र और भाषा इन सबसे ऊपर उठ करके जब हम कोई बात कहते हैं, तो जाति, मत और मजहब यह सब नहीं आना चाहिये। अब हमें इससे ऊपर उठकर काम करना होगा। इस दिशा में ही सरकार कार्य कर रही है। इसलिये मैं केवल यही कहूंगा जो स्वर्गीय अटल जी ने कही थी यह बात नेता प्रतिपक्ष ने भी स्वर्गीय अटल जी का स्मरण किया था, मैं उनको धन्यवाद दूंगा, लेकिन मैं उनसे यह भी अपील करूंगा कि बहुत बंटवारा किया आप लोगों ने प्रदेश में, बहुत विभाजन किया।

आपने कल एक बात कही थी यहां पर खासतौर पर पिछड़ों की बात, दलितों की बात की थी। यह तो हमारा वंचित और दलित भाई ही जनता है कि समाजवादी पार्टी कितना उनकी

हितैषी रही है। उनकी स्कॉलरशिप रोक दी, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर और मान्यवर कांशीराम जी के नाम पर स्थापित संस्थाओं के नाम बदल दिये गये थे। तमाम अन्य प्रकार के षडयंत्र होते रहे और क्या हमें लगता नहीं कि जो हम पिछड़ों की बात कर रहे हैं, अति पिछड़ों की बात होनी चाहिए, सबकी बात होनी चाहिए। हम लोग साढ़े 43 लाख गरीबों को मकान देते हैं तो किसी की जाति, मत और मजहब नहीं देखते हैं। इस देश का गरीब किसान, नौजवान, महिलाएं, वंचित, दलित, पिछड़ा यह सभी उसका लाभ लेता है। जब 2 करोड़ 61 लाख गरीबों के घर में शौचालय बनते हैं तो उत्तर प्रदेश के गरीब, दलित, वंचित, पिछड़े के घर में बनते हैं। महिलाओं के जीवन में परिवर्तन का एक कारक बनता है। प्रदेश में जब पांच लाख नौजवानों को सरकारी नौकरी मिलती है तो प्रदेश के हर एक गरीब को, हर एक वंचित को, हर एक पिछड़े को उस योजना का लाभ मिलता है। आज यह नहीं होता है कि हम भर्ती निकालें और भर्ती में एक जाति विशेष के सभी लोगों को भर दें। आज मेरिट के आधार पर सभी कार्यक्रम आगे बढ़ते हैं। इसलिए मैं आपको बहुत विनम्रता के साथ कहूंगा कि अब हमें प्रदेश की 25 करोड़ जनता की भावनाओं का प्रतिनिधित्व करना होगा और 25 करोड़ लोगों के बारे में सोचना होगा। यह जो सुरक्षा का माहौल और प्रदेश का जो परसेप्शन बदला है, प्रदेश के जीवन में व्यापक परिवर्तन का जो कारक बना है, इसमें हम सब सहभागी बने हैं, हम सब मिलकर इस कार्यक्रम को आगे बढ़ायें।

श्रद्धेय अटल जी ने एक बात कही थी और मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष के साथ-साथ हम सभी मा0 सदस्यों को उसके बारे में भी सोचना होगा-

आदमी न ऊंचा होता है, न नीचा होता है
न बड़ा होता है, न छोटा होता है
आदमी सिर्फ आदमी होता है।

अगर आपने श्रद्धेय अटल जी की इन बातों को समझने का कुछ भी प्रयास किया होता तो सम्भवतः कल आपने बजट भाषण का रूपान्तरण नहीं करने का प्रयास किया होता और मैं एक बार फिर धन्यवाद दूंगा उन सभी मा0 सदस्यों को जिन्होंने इस पूरे बजट भाषण में प्रतिभाग किया। सचमुच, इसमें 124-125 सदस्यों का प्रतिभाग होना, इतनी गम्भीर चर्चा को आगे बढ़ाना और बहुत व्यवस्थित रूप से विधान सभा की कार्यवाही आगे बढ़ सके। अगर नेता प्रतिपक्ष को लगता है कि यहां पर अन्य कोई चीज खास तौर पर विधान मण्डल के हमारे सदस्यों की निधि के बारे में उनका कोई प्रस्ताव हो तो मैं चाहूंगा कि वह इसके बारे में अपनी बात एक बार जरूर कहेंगे। दूसरा अगर उनका प्रस्ताव किसी अन्य मुद्दे पर हो, मैं उनको इसके लिए सादर आमंत्रित भी करूंगा कि वह अपनी बात इसमें रख सकते हैं। मैं एक बार फिर से पूरे मा0 सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ और विश्वास करता हूँ कि यह बजट उत्तर प्रदेश की जनता के हितों को ध्यान में रख करके बनाया गया है। साथ ही मैं इस अवसर पर पुण्य श्लोका लोकमाता अहिल्या बाई होल्कर की जयन्ती के अवसर पर उस लोक पूज्या माता को भी विनम्र नमन करते हुए श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अध्यक्ष-

नेता प्रतिपक्ष, अगर आप कोई स्पष्टीकरण पूछना चाहते हैं तो पूछ लीजिए और जैसा मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा, अगर आप कोई प्रस्ताव भी करना चाहें तो कर सकते हैं।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूँ और स्पष्टीकरण तो मैं मांगूंगा ही लेकिन इधर कुछ माहौल बदल गया है, नेता सदन भी शेर-ओ-शायरी और कविताओं की बातें करने लगे हैं। बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं।

(सत्ता पक्ष के एक सदस्य द्वारा यह कहे जाने पर कि आपकी बरबादी के आसार नजर आते हैं)

आसार आपकी बरबादी के होंगे। यह मेरी अगली लाइन थी, मुझे अच्छा लगा कि मैं नेता सदन को जो गाना दे रहा था, वह केवल एक लाइन का था। लेकिन उन्हीं के एक सदस्य ने दूसरी लाइन भी बोल दी। मैं चाहूंगा कि मा0 सदस्य वह लाइन दोबारा बोल दें क्योंकि मैं तो नेता सदन के लिए वह दूसरी लाइन नहीं बोलूंगा। मैं नेता सदन के लिए वह दूसरी लाइन कैसे पढ़ सकता हूँ ? मैं तो यह कह रहा हूँ कि बदले-बदले मेरे सरकार नजर आते हैं। अब वे दूसरी लाइन बोलेंगे।

अध्यक्ष महोदय, नेता सदन ने यह कहा कि पहला बजट सन् 1947 में आया था, यह बात सही नहीं है, पहला बजट सन् 1952 में आया था और नेता सदन, यहां चर्चा सन् 1947 के बजट की नहीं है, यहां चर्चा होनी है वर्ष 2022-23 के बजट पर जो आपने पेश किया है और उसकी तुलना सन् 1947 से कैसे हो सकती है या वर्ष 2016-17 से कैसे हो सकती है ? आपको तुलना यह करनी चाहिए कि पिछले पांच साल जो आपको मिले क्योंकि आपकी काण्टीन्यूटी की सरकार है, यह एक काण्टीन्यूटी की सरकार है जो पिछले पांच साल से काम करती आई और उस सरकार को आगे पांच साल का मौका और मिल रहा है। लेकिन आपके बजट एनाउन्समेण्ट और ऐक्चुअल एक्सपेण्डिचर में गैप क्यों रहा है ? क्या विभागों की बजट स्पेण्ड करने की कैपेसिटी नहीं थी ? इतने सारे कई मंत्री जो पहले यहां पर बैठा करते थे, क्या वे बजट को खर्च नहीं कर पा रहे थे ? नेता सदन, मुझे तो ऐसा लगता है कि आपके वे मंत्री लोग जो विभागों का बजट खर्च नहीं कर पाये, इसीलिए आज वे मंत्री नहीं हैं और आपने एक मंत्री नहीं हटाया, शायद 22 मंत्री हटे हैं तो जो बजट का गैप है, वह आखिरकार क्यों है ? आपके विभाग की कैपेसिटी क्या है ? आपका बजट विभाग खर्च क्यों नहीं कर पा रहा है ? आप बताइये कि विभाग वाइज वर्ष 2020-21 में कितना खर्च नहीं कर पाये ? आप बताइये कि वर्ष वर्ष 2019-20 में आप कितना खर्च नहीं कर पाये ? वर्ष 2018-19 में आप खर्च नहीं कर पाये ? वर्ष 2017-18 में नहीं खर्च कर पाये ? आखिरकार जो एक्चुअल बजट था और जो आपको एक्सपेण्डिचर करना था, उसमें गैप क्यों है ? अध्यक्ष महोदय, जो एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े बताये जा रहे हैं, उसमें कहना चाहूंगा कि आज तो जो चाहेगा, वह आंकड़े पा

जायेगा। केवल नेता सदन के पास जो एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े हों तो वह सच नहीं है। कोई भी आज एन0सी0आर0बी0 के आंकड़े देख सकता है। वर्ष 2020 में जब कोरोना चल रहा था, उस समय भी उत्तर प्रदेश में हत्या हो रही थी। लॉक डाउन था। भाजपा सरकार में हत्या नम्बर वन पर है, भाजपा सरकार में, दलितों के खिलाफ अपराध में यू0पी0 नम्बर वन है। यह मेरे आंकड़े नहीं हैं।

श्री अध्यक्ष-

कुछ बजट पर क्लेरिफिकेशन मांग लीजिये।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मैं बजट पर ही बोल रहा हूँ, नेता सदन ने आंकड़े कुछ पेश किये, इसलिए मुझे यह आंकड़े पेश करना जरूरी था।

(कुछ सदस्यों के टोका-टाकी करने पर)

श्री अध्यक्ष-

प्लीज, मेरी रिक्वेस्ट है, कृपया शान्त रहें, बात आने दीजिये।

श्री अखिलेश यादव-

मैं नेता सदन से और सरकार से यह जानना चाहूंगा कि 'नमामि गंगे' के बारे में बहुत सारी बातें रखी गयीं, तो क्या गंगा मां साफ हो गयी हैं जो आंकड़े बताते हैं, उसमें मुझे नहीं लगता है कि गंगा मां साफ हो गई हैं, क्योंकि नेता सदन ने यह कहा कि अगर सहायक नदियां साफ नहीं होंगी तो मां गंगा कैसे साफ होंगी ? यहां पर माननीय सदस्य बैठे हैं और पूरे उत्तर प्रदेश के माननीय सदस्य यहां पर आये हुए हैं। जो लोग काली नदी को देखते होंगे, वह लोग जानते होंगे कि काली नदी किस रूप में बह रही है। जो हिंडन नदी के आस-पास रहते होंगे, वह जानते होंगे कि हिंडन नदी किस रूप में बह रही है। जो यमुना नदी को देखते होंगे, व जनते होंगे कैसी बह रही है। जो कानपुर के लोग हैं, वह जानते होंगे कि पाण्डु नदी और गंगा कैसी बह रही है। हमें इसके लिए पैरामीटर दूर नहीं देखने जाने हैं, वह साइंटिफिक लैब से तो आंकड़े बाद में आयेंगे लेकिन अध्यक्ष महोदय, नेता सदन आपके ही मंत्री वहां गये थे, जिन्दा मछली लेकर गये थे और जैसे ही उन्होंने माँ गंगा में डालीं, तो सब मछलियां मर गयीं। ऐसा तो हो नहीं सकता।

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण क्या है ?

श्री अखिलेश यादव-

स्पष्टीकरण यह है कि उस पानी का बी0ओ0डी0 क्या है ? उस पानी की पी0एच0 क्या है ? उस पानी में डिसाल्व ऑक्सीजन क्या है ? क्या यह पैरामीटर नेता सदन बता पायेंगे ? मैं यह कहना चाहता हूँ कि जो एस0टी0पी0 है, उसमें सेण्ट्रल पॉल्यूशन कण्ट्रोल

बोर्ड के आंकड़े कहते हैं कि 11319 मिलियन लीटर पर डे एम0एल0डी0 सीवरेज माँ गंगा के अन्दर जा रहा है। आप कितना साफ कर पा रहे हैं ? जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ऐसे गंगा माँ साफ हो जायेंगी ? कितनी सदियां लगेंगी साफ होने के लिए ? और वह याद होना चाहिए कि प्रोफेसर जी0डी0 अग्रवाल 112 दिन भूख हड़ताल पर रहे। उन्होंने जान दे दी। क्या गंगा मां साफ हुई ? और आपने जाने कितना बजट रखा है। आखिरकार वह बजट कहां जा रहा है ? इस सम्बन्ध में भी सरकार बताये। जो बिजली के प्लाण्ट के बारे में नेता सदन ने बोला कि एटा में 3 इनटू 666 सुपर क्रिटिकल थर्मल प्लाण्ट लग रहा है, वह कब तक लग जायेगा ? नेवेली लिग्नाइट का 3 इनटू 666 सुपर क्रिटिकल थर्मल पावर प्लाण्ट लग रहा है, वह कब तक लग जायेगा ? कानपुर में 1 इनटू 666 थर्मल प्लाण्ट, वह कब तक लग कर तैयार हो जायेगा ? और यह बिजली के कारखाने आपने नहीं लगाये, मैं आपसे स्पष्टीकरण मांगना चाहता हूँ कि जो आपने प्लाण्ट लगाने को कहा, उसमें से कौन-सा प्लाण्ट है, जो आप लगा रहे थे ? जो आपने शुरू किया हो ? अगर एक भी प्लाण्ट हो जो माननीय नेता सदन के कार्यकाल में लगा हो।

श्री अध्यक्ष-

वह कल ऊर्जा मंत्री जी ने बताया था।

श्री अखिलेश यादव-

तो आपने 5 साल में कौन-सा बिजली का प्लाण्ट लगा दिया ? जो स्मार्ट सिटी की बात आयी, आखिर ये स्मार्ट सिटी है क्या ? हम सब सदस्य जानना चाहते हैं कि आखिर स्मार्ट सिटी क्या है ? मुझे अच्छी तरह याद है जिस समय शहरों की सूची बन रही थी, उस समय समाजवादी सरकार थी और शहरों की रैंकिंग में उनको स्मार्ट सिटी बनाने का फैसला लेना था। मैं यह जानना चाहता हूँ कि लखनऊ और कानपुर अगर स्मार्ट सिटी हैं तो क्या परिवर्तन आ गया ? अगर ये शहर स्मार्ट सिटी हैं तो फिर गोरखपुर कब स्मार्ट सिटी बन जायेगा ? स्मार्ट सिटी किन पैरामीटर्स में आप बनाने जा रहे हैं वो तो कम-से-कम हम लोगों की जानकारी में आ जाये।

श्री अध्यक्ष-

अब उत्तर आ जाये ? उत्तर के लिए बुला लें ?

श्री अखिलेश यादव-

अगर आप चाहते हैं तो मैं पहले ही बैठ जाऊं।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, मैं चाहता नहीं हूँ। आपको स्पष्टीकरण पूछना है तो जरूर पूछिये, लेकिन स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, सबका साथ, सबका विकास पर बात की गयी। आपने डेटा सेण्टर की की भी बात की कि डेटा सेण्टर का इन्वेस्टमेण्ट आने जा रहा है।

श्री अध्यक्ष-

वो तो आपने भी कहा था, कि डेटा सेण्टर आ रहा है।

श्री अखिलेश यादव-

मैं स्पष्टीकरण यह मांगना चाहता हूँ कि क्या सरकार के पास भी जाति जनगणना का कोई डेटा सेण्टर बनेगा ? मैं पूरे प्रदेश की बात कर रहा हूँ कि जाति जनगणना होगी कि नहीं होगी ? यह सरकार बताये क्योंकि सरकार इतने बड़े-बड़े डेटा सेण्टर बना रही है और नेता सदन ने ये कहा कि वीवो, ओपो और तमाम इन्वेस्टमेन्ट आया है, सैमसंग का भी इन्वेस्टमेन्ट आया है। ये ऑन गोइंग इन्वेस्टमेन्ट तो हो सकता है, लेकिन ये आपकी सरकार का इन्वेस्टमेन्ट नहीं है। मैं यह फिर चाहता हूँ कि जो काम पिछली सरकार ने शुरू किया, उस काम को आप आगे बढ़ा रहे हैं।

श्री अध्यक्ष-

सैमसंग डिस्प्ले अभी आया है।

श्री अखिलेश यादव-

मैं तो वो जानता हूँ क्योंकि सैमसंग एक्सपेंशन के लिए समाजवादी सरकार ने ही जमीन दी थी। उन्हीं की पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन हुआ है। आपकी पॉलिसी के तहत एक्सपेंशन नहीं हुआ है और जो जमीन वीवो और ओपो के लिए दी गयी थी वो आपकी पॉलिसी के तहत नहीं दी गयी थी वो समाजवादियों की सरकार की उस समय की पॉलिसी की वजह से दी गयी थी। मैंने तो यह भी स्पष्टीकरण मांगा था अपने भाषण में कहा कि नोयडा से दिल्ली को जोड़ने वाली मेट्रो किस सरकार की देन है और मिर्जापुर में सोलर प्लाण्ट का उद्घाटन हुआ था, जिसमें फ्रांस के राष्ट्रपति आये थे, वो किस सरकार की देन है ? और सबसे मुख्य सवाल आपने अपने पिछले घोषणा-पत्र में कहा कि इस प्रदेश के किसानों की आय वर्ष, 2022 तक दुगुनी हो जायेगी। क्या तारीख बदलने से आय दुगुनी हो जायेगी ? आप महंगाई देखिये, कहां पहुंच गयी है। मण्डियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए दिल्ली से पैसा आना चाहिए था मैं नेता सदन से जानना चाहता हूँ कि मण्डियों के इन्फ्रास्ट्रक्चर को बेहतर करने के लिए आपने बजट में क्या प्राविधान किया ?

श्री अध्यक्ष-

स्पष्टीकरण मांगने का एक सिस्टम है।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, कितने मिनट मांग सकते हैं।

श्री अध्यक्ष-

एक-दो स्पष्टीकरण होते हैं।

श्री अखिलेश यादव-

यही मण्डी का स्पष्टीकरण है।

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, ऐसा कहीं नहीं होता है।

श्री अध्यक्ष-

नहीं, ऐसा होता है। लाल जी वर्मा जी आपको भी पता है कि स्पष्टीकरण एक-दो मांगे जा सकते हैं, भाषण नहीं हो सकता।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय नेता प्रतिपक्ष पर टोका-टाकी नहीं की जाती।

श्री अध्यक्ष-

नहीं ऐसा नहीं है। कभी नहीं होता है। मेरे से ज्यादा आप बताओगे। कभी हुआ हो तो बताइये, वर्मा जी कभी आपने सुना हो, तो बताइये, कैसी बात करते हो आप ? एक-आधा स्पष्टीकरण होता है, वह स्पष्टीकरण मा0 नेता प्रतिपक्ष पूछ सकते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय नेता प्रतिपक्ष ने हमेशा जवाब किया है।

श्री अध्यक्ष-

कब किया जवाब ? कैसी बात करते हैं ? उनको अधिकार है, अपना स्पष्टीकरण मांगें।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से जानना चाहता हूँ कि यू0पी0 में बड़े पैमाने पर कामधेनु डेयरी योजना लगी, पोल्ट्री फार्म्स लगे, क्या सरकार बतायेगी कि इनको पुरानी स्कीम में जो इन्टरेस्ट सब्सिडी मिला करती थी उस इन्टरेस्ट सब्सिडी को सरकार बढ़ायेगी कि नहीं बढ़ायेगी। क्योंकि सरकार इन्वेस्टमेन्ट चाहती है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय उमाशंकर जी, आप क्या पूछना चाहते हैं ?

(माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

आप बैठिये, अब उमाशंकर जी को बुला लिया है। उमाशंकर जी आप भी स्पष्टीकरण ही पूछियेगा, भाषण न दीजियेगा।

श्री उमाशंकर सिंह-

जी, मान्यवर। माननीय मुख्य मंत्री जी ने पूरे बजट को इम्प्लाइज करने के लिए जो उन्होंने अलग-अलग विभागों का विस्तार से जिक्र किया, उसी से यह मिलता-जुलता है, चूँकि यह जितने माननीय सदस्य हैं और माननीय नेता सदन जी ने इस बात को रखा भी कि हर विकास में माननीय जन-प्रतिनिधियों की एक प्रमुख भूमिका होगी।

श्री अध्यक्ष-

आप फिर भाषण पर आ गये, कम टू द प्वाइंट।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से जो बात कहने जा रहा हूँ, उसमें आपकी पीठ, नेता प्रतिपक्ष जी, नेता सदन जी और सारे लोग उसमें लाभान्वित होंगे या सारे लोगों का उसमें योगदान होगा। लाभान्वित का सेन्स यह है, मान्यवर, अगर हम भूमिका नहीं बनायेंगे तो बात नहीं बनेगी। माननीय अध्यक्ष जी, मैं नेता प्रतिपक्ष जी से भी आग्रह करूंगा कि वह भी हमारी बात को बल देंगे। जिस तरह से हर विभाग के लिए माननीय मुख्य मंत्री जी ने अलग-अलग जिम्मेदारी दिया है कि पी0डब्लू0डी0 यह काम करे, सिंचाई विभाग यह काम करे। माननीय अध्यक्ष जी, हम लोग भी जब कभी गांव में जाते हैं चूंकि नेता सदन कई बार माननीय सांसद भी रह चुके हैं।

श्री अध्यक्ष-

गांव में स्पष्टीकरण मत पूछिये, यहां स्पष्टीकरण पूछिये।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारा आग्रह है, हमें जो कुछ प्रस्ताव करने को मिलता है।

श्री अध्यक्ष-

साफ-साफ कहो, क्या कहना चाहते हैं ? (हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, किसी भी काम का जो हम प्रस्ताव करते हैं, जैसे यहां से यहां तक सीमेण्टेड बना दिया जाये, हम उसको सी0डी0ओ0 को लिखकर दे देते हैं। फिर सी0डी0ओ0, कार्यदायी संस्था तय करता है। लेकिन माननीय अध्यक्ष जी, इस महंगाई में कम से कम, हम जानते हैं कि हमारे नेता सदन एक बहुत-बड़े पीठाधीश्वर भी हैं, वहां से केवल आशीर्वाद ही आता है और आशीर्वाद ही आयेगा। इसलिए मान्यवर, मैं आपके माध्यम से सभी माननीय सदस्यों की तरफ से नेता सदन जी से विनम्रतापूर्वक आग्रह करूंगा कि जो हमारी विधान मण्डल क्षेत्रीय विकास निधि है, उसको कम से कम 5 करोड़ रुपये माननीय सदस्यों के लिए कर दें। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

अब दूसरी बात बताइये। (हंसी)

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, दूसरी बात यह है कि मैं 'हर घर नल योजना' का स्वागत करता हूँ। लेकिन जब तक इसका पूरी तरह से इम्प्लीमेन्टेशन न हो पाये, तब तक कम से कम हर सदस्य को 100 नये हैण्डपम्प और 100 री-बोर के लिए व्यवस्था कर दी जाये। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद। अब माननीय वित्त मंत्री जी।

श्री उमाशंकर सिंह-

मान्यवर, मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष जी से भी कहूंगा कि वह पूरे विपक्ष की तरफ से हमारी बात का समर्थन करें, जिससे कि जल्दी और आसानी से हमारा काम हो जाये।

श्री अखिलेश यादव-

अध्यक्ष जी, माननीय सदस्य जो मांग कर रहे हैं, यह मुख्य मंत्री जी पर निर्भर करता है कि उस पर कितना मानेंगे और मेरा दूसरा स्पष्टीकरण यह है कि जब इतना बड़ा बजट है और सरकार यह स्वीकार करती है कि यह अभी तक का सबसे बड़ा बजट है तो बजट पर इतनी छोटी चर्चा क्यों ? हर विभाग की चर्चा क्यों नहीं ? इसके साथ-साथ दूसरा हमारे साइबर सेल के कर्मचारियों को मानदेय देने की बात है।

श्री अध्यक्ष-

उस पर बाद में बोलेंगे।

श्री अखिलेश यादव-

ठीक है।

(माननीय सदस्य श्री अवधेश प्रसाद जी के खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

अवधेश जी अब हो गया, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछ लिया है।

माननीय वित्त मंत्री जी, जो माननीय नेता प्रतिपक्ष ने पूछा है उसका आप स्पष्टीकरण दे दें।

(कई सदस्यों द्वारा खड़े होकर बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

कृपया आप सब बैठें, माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी आप जवाब दें।

वित्त एवं संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन ने बजट में जितने भी बिन्दु थे, उसमें खास तौर से सबके ऊपर बड़े विस्तार से अपने भाषण में उसका समावेश किया है और मैं समझता हूँ कि जितने भी माननीय सदस्य हैं उनकी यह जिज्ञासा तो हो सकती है कि कुछ और दे दो लेकिन इसके ऊपर नुक्ता चीनी कोई मन से नहीं कर रहा है। मान्यवर, इसके साथ ही यह सर्व समावेशी बजट है और हमने इकोनॉमिक टाइम्स से लेकर जितने भी देश के प्रमुख अर्थशास्त्री हैं उन लोगों ने जो कमेन्ट किया है वह इस बजट के पक्ष में किया है और खासतौर से जो कुछ इसमें यूथ के लिए, एम्प्लॉयमेन्ट के लिए और एग्रीकल्चर के लिए जो बात कही गई है उसको खासतौर से कोट करके किया है। वैसे तो अखबारों का संज्ञान नहीं लिया जाता लेकिन फिर भी हमारी दिनचर्या अखबारों से शुरू होती है इसलिए हम इस बात को विशेष रूप से कोट करना चाहते हैं। दूसरी बात आपने नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की की है उसमें टोटल जो आई0पी0सी0 के अपराध हैं उसमें उत्तर प्रदेश का जो ग्राफ है उसमें उत्तर प्रदेश 24वें स्थान पर है इसमें वर्ष 2017 से लेकर 2020 तक के आंकड़े हैं और इण्डिया का जो रेट है वर्ष 2020 का इसमें 314.3 का है, यह 1 लाख पापुलेशन के ऊपर है और उत्तर प्रदेश का 155.8 यानी कि हमसे 23 प्रदेश ऐसे हैं जहां पर आई0पी0सी0 के अपराध हमसे ज्यादा हो गये हैं यह आई0पी0सी0 की स्थिति है।

मान्यवर, अगर हत्या की बात करें तो वर्ष 2017 से 2020 तक इण्डिया का रेट 2.2 है और उत्तर प्रदेश का रेट 1.7 है एक लाख की पापुलेशन पर इसमें उत्तर प्रदेश से 21 राज्य हत्या के मामले में हमसे ज्यादा हैं हमारा 22वां नम्बर है। यह नेशनल क्राइम रिकार्ड ब्यूरो की बात कर रहा हूँ। मान्यवर, मैं समझता हूँ कि आई0पी0सी0 और हत्या दो ही की बात आई थी इसलिए और कोई बात है नहीं। अगर महिलाओं के लिए चाहिए तो महिलाओं के लिए बता दें।

श्री अखिलेश यादव-

महिलाओं की बता दीजिये।

श्री अध्यक्ष-

माननीय वित्त मंत्री जी जो स्पष्टीकरण मांगा है, उसी को बता दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

माननीय अध्यक्ष जी, महिलाओं के लिए देश में कुल 56.5 और उत्तर प्रदेश में 45.8 इसमें हमारा 16वां नम्बर है, इसमें हमसे 15 राज्य महिलाओं के अपराध में ज्यादा हैं। अभी आप कह रहे थे तो मैं विशेष रूप से कहना चाहता हूँ कि जो पनकी का प्लाण्ट है वह हमारी सरकार में शुरू किया गया है और वर्ष 2023 में उसका कम्लीशन ड्यू है। हमारी कोशिश यह है कि वर्ष 2023 में उसको हम कम्पलीट कर लेंगे। यह हम आपके माध्यम से माननीय पूरे सदन को इस बात के लिए खासतौर से आश्वस्त करना चाहते हैं कि वर्ष 2023 में तैयार कर लेंगे। यह सही है कि कोरोनाकाल में पूरी दुनिया इस बीमारी से प्रभावित

हुई तो उत्तर प्रदेश भी उससे अछूता नहीं रह सकता, हमारी आर्थिक गतिविधियां इससे प्रभावित हुई हैं। हम इस बात को स्वीकार करते हैं। जो बार-बार पूछते हो कि खर्चा कम, खर्चा कम, मान्यवर, हमारी मंशा और नीयत दोनों बिल्कुल साफ हैं, हमारी कोशिश है कि हमारी आर्थिक गतिविधियां बेहतर हों। बार-बार आपने नीति आयोग की बात की, माननीय अध्यक्ष जी, अभी-अभी जो वन ट्रिलियन इकोनॉमी की बात आई थी उसमें नीति आयोग के रिप्रेजेन्टेटिव आये थे और हमारी आर्थिक स्थिति और आर्थिक ग्रोथ तथा इकोनामिक कण्डीशन्स को देखकर ये कमेन्ट किया था कि निश्चित रूप से बाकी प्रान्तों में कुछ भी हो लेकिन उत्तर प्रदेश 2030 तक इसको अचीव कर लेगा। मैं गारण्टी के साथ इस बात को कह सकता हूँ, माननीय योगी जी की सरकार ने जो फाइनेन्शियल डिसिप्लिन और फाइनेन्शियल स्टेटस मेन्टेन किया उससे हम 2027 तक लक्ष्य को प्राप्त कर लेंगे, हमें उनके परसेप्शन को गलत साबित करना है। यह इसलिए जरूरत है कि वह बेहतर तरीके से हमें बता सकते हैं, वैसे तो कुल मिलाकर इन्वेस्टमेण्ट ही हमारा सबसे बड़ा आधार है, हम जितना ज्यादा से ज्यादा इन्वेस्टमेण्ट करेंगे, उतने ज्यादा से ज्यादा रोजगार सृजित होंगे। हमने खास तौर से उस वर्ग पर सबसे ज्यादा फोकस किया है जो वर्ग जिस दिन कमाता है उसी दिन खर्च करता है। शायद यह जानकारी आपको होगी कि रेहड़ी-पटरी वाले, जो रोज दो-चार सौ रुपये पैदा करते हैं और रोज खर्च करते हैं हमारा लक्ष्य उसमें 8 लाख 30 हजार का था और हमने 8 लाख 45 हजार लोगों को बिना गारण्टी के केवल आधार कार्ड और एप्लीकेशन के आधार पर लोन दिया। हमारी पार्टी का वैचारिक अधिष्ठान यही है कि हम समाज के सबसे अन्तिम सीढ़ी पर बैठे हुए व्यक्ति को खुशहाल देखना चाहते हैं और उसी आधार पर हम आगे बढ़ रहे हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

2017-18 में कोरोना नहीं था।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

2017-18 में कोरोना नहीं था, कोरोना मार्च, 2020 में आया। हमारी ग्रोथ रेट देख लीजिये, 2019-20 में हमारी ग्रोथ रेट साढ़े छह और सात के बीच में है और 2019 में हमारा ग्रोथ रेट उससे ज्यादा है। कुल मिलाकर माननीय मुख्य मंत्री जी ने सभी बातों का जवाब दिया है।

श्री लाल जी वर्मा-

3.84 की जगह 3.21 की हुई है।

श्री अध्यक्ष-

उनकी बात उतनी सुनिये, जितनी जरूरत हो।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, एक शायर ने क्या कहा था अगर आपकी अनुमति हो तो सुना दें।

श्री अध्यक्ष-

सुना दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

कुछ तो फूल खिलाये हमने, बाकी फूल खिलाने हैं,
मुश्किल यह है कि बाग में अपने कांटे कई पुराने हैं,
गुलों से खार बेहतर है जो दामन थाम लेते हैं।

श्री संग्राम सिंह-

कुछ कांटे बाहर किये हैं, कुछ और बाहर कर दीजिये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

लेकिन मान्यवर, हम कांटे हटाना भी जानते हैं और कांटे साइड में करना भी जानते हैं। मान्यवर, हम अपना रास्ता सुगम करेंगे, जिस परिस्थिति में हमें सरकार मिली थी, पूरे सदन को माननीय योगी जी को धन्यवाद देना चाहिए कि इन्होंने केवल कानून-व्यवस्था ही सुदृढ़ नहीं की बल्कि सारी व्यवस्थाएं सुदृढ़ की हैं। मान्यवर, कानून-व्यवस्था अगर सही है, जो ग्राफ पिछले 10 साल से नीचे आ रहा था वह ग्राफ हमने ऊपर ले जाने का काम किया है और लगातार ऊपर बढ़ रहा है। वो ग्राफ हमने ऊपर ले जाने का काम किया है और लगातार ऊपर बढ़ रहा है। हम केवल एक ही उदाहरण देंगे। पता नहीं जिन लोगों का सबसे ज्यादा आप लोगों ने समर्थन किया। लोग कहते थे कांग्रेस की आलोचना करते थे। हम एक ही उदाहरण देंगे कि कांग्रेस के जमाने में एक ऐसा कानून बना इस प्रदेश की विधान सभा में कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक सभी लोग अपना इनकम टैक्स खुद देंगे और मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देगी। मुझे नहीं मालूम कि इसको सुनने में आप लोगों को कैसा लगता है, लेकिन जैसे ही मेरे सामने यह आया, मैंने मा0 मुख्य मंत्री जी को अवगत कराया। मा0 मुख्य मंत्री जी ने कहा कि तुरन्त इसको समाप्त होना चाहिए और हमने उसी दिन उसके ऊपर फैसला लिया और उसको समाप्त कर दिया। (सत्ता पक्ष के सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) हमें इस बात के लिए ताज्जुब हुआ। हमें यकीन नहीं आया कि ऐसा भी हो सकता है कि चपरासी से लेकर चीफ सेक्रेटरी तक अपना टैक्स खुद देंगे और मंत्रियों का इनकम टैक्स सरकार देगी। ये है फाइनेन्शियल मैनेजमेन्ट, ये है फाइनेन्शियल डिसिप्लिन। मान्यवर, जहां-जहां जिस प्रकार का गैर जरूरी खर्चा समझ में आया मान्यवर, उसको न केवल रोका, बल्कि समाप्त भी किया।

श्री अखिलेश यादव-

कितना बजट रहा होगा ?

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

एक करोड़ रहा, लेकिन बात तो सिद्धान्त की है। सुनने में कैसा लगता है ? हम मंत्रियों के इनकम के ऊपर टैक्स सरकार देगी, क्यों ? पहले कैबिनेट गया होगा, विधायी में गया

होगा, न्याय में गया होगा, उसके बाद कैबिनेट ने भी पास कर दिया, उसके बाद विधान सभा ने भी पास कर दिया। ये देखिये, हमारे सामने कितने बड़े-बड़े उदाहरण हैं। जिन लोगों ने, जिसकी वजह से पराभाव हुआ, उससे भी सबक लेते हैं। यहां इस सदन में ऐसा-ऐसा उदाहरण है, लेकिन उसके ऊपर जाना नहीं चाहते, हम तो केवल बजट के ऊपर बात करेंगे। हमने यह कोशिश की है कि रोजगार के क्षेत्र में आज जो बताया गया कि हमारा एक्सपोर्ट किसमें बढ़ा। मान्यवर, हम बता देते हैं।

(सत्ता पक्ष के कई सदस्यों के एक साथ बोलने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आप को नहीं मालूम, उन्हें उत्तर सबका देना है, जिन्होंने बोलना है। आपको जानकारी नहीं है, आप बैठें।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, मण्डी पर भी बात आ जाये।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, 88 हजार का एक्सपोर्ट 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये का कैसे हुआ ? लेदर, हैण्डीक्राफ्ट, कारपेट, सिल्क, गारमेण्ट्स, इलेक्ट्रानिक कम्पोनेन्ट, मैकेनिकल कम्पोनेन्ट, ये वो हैं जिनका 70 प्रतिशत ओ0डी0ओ0पी0 के माध्यम से ये तैयार हुए, इसलिए 1 लाख 56 हजार करोड़ रुपये इसका हुआ।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, एक्सपोर्ट कितना हो रहा है, सवाल उसका नहीं है। ओ0डी0ओ0पी0 में आपने बजट कितना दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, सवाल हमारी फाइनेन्शियल स्थिति का है। हम वो भी बता दे रहे हैं। रुपये 263.75 करोड़।

श्री अखिलेश यादव-

मान्यवर, ये तो टोटल दिया है। मैंने केवल जिलेवार मांगा था। अगर ये प्रोडक्ट इस जिले का है, तो उस जिले में ओ0डी0ओ0पी0 में बजट कितना गया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, ये आपको दिलवा देंगे। हम क्वान्टीफिकेशन इन टोटल में बता रहे हैं, उसमें बहुत टाइम लगेगा। हमारे पास उसका डाटा है। मान्यवर, हमने रोजगार में सबसे ज्यादा फोकस किया है। रुपये 1500 की व्यवस्था टैबलेट और लैपटॉप के लिए की गयी है। इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर 1 लाख 36 हजार 681.67 करोड़, यानी इन्फ्रास्ट्रक्चर के ऊपर पूरे बजट का 22 प्रतिशत खर्च हो रहा है।

मान्यवर, दूसरा, ये 'विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना', रोजगार सृजित होने के लिए 10 करोड़ रुपये हमने सर्वे के लिए रखा है कि हर घर में एक रोजगार देंगे, एक व्यक्ति को स्वरोजगार देंगे। 37 हजार करोड़ रुपये का ऋण अभी से लेकर जो हमारा 21 हजार करोड़ रुपये ऋण बांटने का लक्ष्य था, उसमें 37 हजार करोड़ करीब अब तक बांट चुके हैं, ये कल शाम तक की फीगर है। 125 करोड़ रुपया मुख्य मंत्री युवा स्वरोजगार योजना के अन्तर्गत, 144 करोड़ रुपया खादी ग्रामोद्योग के अन्तर्गत, ये सब रोजगार बढ़ायेंगे।

इसके अतिरिक्त मान्यवर, चाहे जो कृषि क्षेत्र है उसमें मनेरगा भी आता है और नमामि गंगे व पेयजल भी आता है, यह सब कुछ जितना ज्यादा इन्फ्रास्ट्रक्चर बढ़ेगा, उतने रोजगार सृजित होंगे चाहे आई0टी0 पार्क हों, चाहे इन्फारमेटिव टेक्नोलाजी हो, इन सब के ऊपर मान्यवर अलग-अलग बजट क्वान्टिफाई किये गये हैं। इन्होंने सबसे ज्यादा रोजागर की चर्चा की कि रोजगार कितना बढ़ेगा उस बात का जवाब हम दे रहे थे। मान्यवर, ये धार्मिकता के ऊपर बात करते हैं, बनारस के ऊपर पैसा इसलिए दिया, अयोध्या के ऊपर पैसा इसलिए दिया कि 1000 साल के बाद हमारी सांस्कृतिक विरासत लौटी है। हमारा सम्मान लौटा दिया है मा0 मोदी जी ने और योगी जी ने और यह हम दावे के साथ कह सकते हैं हमारे 11 करोड़ पर्यटक बढ़े हैं जिसमें से अकेले 2 करोड़ पर्यटक अयोध्या में आये थे। यह अपने आप में साबित करता है और खासतौर पर जो हमारे साथी बैठे हैं मा0 मुख्य मंत्री जी मान्यवर, ये भारतीय सांस्कृतिक विरासत के इण्टरनेशली सबसे बड़े दूत हैं और यह अपने आप में सभी लोगों को समझ लेना चाहिए, यह छोटी बात नहीं है कि हम अपना सम्मान लौटा लाये हैं। इसलिए बनारस को पैसा दिया, खाली धार्मिक स्थान नहीं है। एक ऐसा सांस्कृतिक केन्द्र है जो विश्व में, खासतौर पर जो लोग बाहर से आते हैं कोशिश करते हैं कि बनारस जरूर जायें।

इसलिए मान्यवर, वहां का इन्फ्रास्ट्रक्चर साउण्ड करने की जरूरत है और मजबूत करने की जरूरत है और उससे हमारा सम्मान बढ़ता है। मैं खासतौर से कह रहा था कि आज विशेष रूप से हमने यह कोशिश की हर स्तर पर लोगों को हम सन्तुष्ट करें, खासतौर से अपने यूथ को और हर व्यक्ति तक पहुंचे। कल मान्यवर नेता प्रतिपक्ष संविधान की कॉपी दिखा रहे थे। मान्यवर, बहुत बड़े पद पर रहे हैं नेता प्रतिपक्ष इतने बड़े प्रदेश का प्रतिनिधित्व 5 साल तक किया है। लेकिन सौ में साठ की बात कर रहे थे। लेकिन हमें हमारी पार्टी वालों ने यही सिखाया है कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्यार। हमने कभी सौ में साठ की बात नहीं की। मान्यवर, इक्वल ऑपरच्युनिटी की बात संविधान में कही गयी है और वंचितों के लिए भी प्राविधान किया गया है। संविधान में, यह हम जानते हैं।

श्री लाल जी वर्मा-

पिछड़ों को आप ने नहीं दिया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा किसने दिया था। बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर को सबसे ज्यादा सम्मान किसने दिया।

श्री लाल जी वर्मा-

साढ़े 8 हजार पिछड़े वर्गों का हक मारा गया, इस पर भी बता दीजिए।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

जहां पर प्रमाण मौजूद हों, वहां पर इसकी कोई वैल्यू नहीं है। मेरा सिर्फ यह कहना है कि आज के समय में हमने हर तरह से इस बात की चेष्टा की है कि सर्व समावेशी और सर्व स्पर्शी जो सर्व समाज को स्पर्श करता है सर्व समाज के लोगों को लाभान्वित कर सकता है। उस तरीके का बजट मा0 योगी सरकार के द्वारा दूसरी बार जो सरकार आयी उसने मान्यवर प्रस्तुत किया है।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा मांगता हूँ।

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, अभी अनुदान की मांगें प्रस्तुत नहीं हुईं तो विनियोग विधेयक कैसे आ जायेगा ? पहले अनुदान की मांगें आयेंगी, उसके बाद विनियोग विधेयक आयेगा।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मैं आपकी बात से सहमत हूँ।

[04:21] वित्तीय वर्ष 2022-23 के आय-व्ययक के अनुदानों की मांग का समेकित प्रस्ताव

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुज्ञा से एवं मा0 राज्यपाल की सिफारिश से यह प्रस्ताव करता हूँ कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा 91 लगायत 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, रुपये चार लाख सात सौ उन्चास करोड़ चौरानबे लाख इक्कीस हजार (रुपये 4,00,749,94,21,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

श्री लाल जी वर्मा-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सम्पूर्ण अनुदान के अधीन मांग की राशि घटाकर एक रुपया कर दी जाय। कमी करने का उद्देश्य-विभागीय नीति की आलोचना करना तथा सुझाव देना है।

मान्यवर, इतना बड़ा बजट पास हो रहा है जिसके लिए हमारी नियमावली में भी है कि कम से कम 24 दिन का समय होना चाहिए। अगर 24 दिन न होकर जो महत्वपूर्ण विभाग हैं जैसे-स्वास्थ्य, गृह, कृषि विभाग, उन पर विभागवार चर्चा होनी चाहिए थी। स्वास्थ्य विभाग का बजट कम कर दिया और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि हमने बढ़ा दिया, जबकि

3.5 प्रतिशत कम किया है। अनुसूचित जाति विशेष घटक का अनुदान संख्या-83 में 7.5 प्रतिशत का बजट घटा दिया जो अनुसूचित जाति के हितों के लिए था और माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि बढ़ा दिया। तो जब तक विभागवार बजट पर चर्चा नहीं होगी तब तक ये बातें नहीं आयेंगी। दूसरा आपसे निवेदन करना चाहता हूँ कि कुछ बातें आपके संज्ञान में लाया था कि पूर्वांचल और बुन्देलखण्ड के विकास के लिए माननीय मंत्री जी अपने बजट भाषण में पढ़ा कि 700 करोड़ रुपया है लेकिन जो साहित्य है उसमें 315 करोड़ रुपया पूर्वांचल के लिए है और केवल 115 करोड़ रुपया बुन्देलखण्ड के लिए है। पूर्वांचल इतना बड़ा क्षेत्र है और उसके विकास के लिए केवल 315 करोड़ रुपया जबकि होना चाहिए 3000 करोड़ रुपया। इसी तरह से मान्यवर, स्वास्थ्य विभाग का जो बजट है उसको भी घटाने का काम किया गया। अनुसूचित जाति के हितों के लिए जो विशेष घटक का बजट है उसको घटाने का काम किया गया।

श्री अध्यक्ष-

धन्यवाद वर्मा जी।

श्री लाल जी वर्मा-

साथ ही साथ सबका समानुपातिक विकास हो सके इसके लिए माननीय नेता प्रतिपक्ष ने जो रखा कि जातीय जनगणना के बिना आप यह नहीं निर्धारित कर सकते कि सबका साथ, सबका विकास हो रहा है। आप नारा तो दे रहे हैं लेकिन जब देने की बारी आती है तो आप उसका नारा बदल देते हैं। मान्यवर, आज इस तरह से हम चाहेंगे कि इसमें पूरी चर्चा कराने का काम करें और 24 दिन का समय देने का काम करें, इसलिए मैं अपने प्रस्ताव पर बल देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि वित्तीय वर्ष 2022-2023 के आय-व्ययक की विभिन्न अनुदानों के अधीन मांगों की धनराशि घटाकर एक रुपया किये जाने का प्रस्ताव जो मा0 नेता श्री लाल जी वर्मा ने रखा है, उससे यह सदन सहमत है ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और अस्वीकृत हुआ)

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि 31 मार्च, 2023 को समाप्त होने वाले वर्ष में अनुदान संख्या-01 लगायत 28, 30 लगायत 63, 65 लगायत 87, 89 तथा लगायत 91, 95 के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त, रुपये चार लाख सात सौ उनचास करोड़ चौरानबे लाख इक्कीस हजार (रुपये 4,00,749,94,21,000) से अनधिक धनराशि स्वीकृत की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

अनुदान संख्या-01 आबकारी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 228,88,25,000 रुपये (दो सौ अट्ठाईस करोड़ अट्ठासी लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-02 आवास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2728,42,27,000 रुपये (दो हजार सात सौ अट्ठाईस करोड़ बयालीस लाख सत्ताईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-03 उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 804,82,60,000 रुपये (आठ सौ चार करोड़ बयासी लाख साठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-04 उद्योग विभाग (खानें और खनिज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 48,34,90,000 रुपये (अड़तालीस करोड़ चौंतीस लाख नब्बे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-05 उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 102,61,38,000 रुपये (एक सौ दो करोड़ इकसठ लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-06 उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 260,78,92,000 रुपये (दो सौ साठ करोड़ अट्हत्तर लाख बानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-07 उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8948,14,70,000 रुपये (आठ हजार नौ सौ अड़तालीस करोड़ चौदह लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या- 08 उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 165,07,92,000 रुपये (एक सौ पैंसठ करोड़ सात लाख बानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-09 ऊर्जा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 31483,99,13,000 रुपये (इकतीस हजार चार सौ तिरासी करोड़ निन्यानबे लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-10 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1314,33,38,000 रुपये (एक हजार तीन सौ चौदह करोड़ तैंतीस लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-11 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 4740,92,65,000 रुपये (चार हजार सात सौ चालीस करोड़ बानवे लाख पैंसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-12 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं जल संसाधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 510,63,09,000 रुपये (पांच सौ दस करोड़ तिरसठ लाख नौ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-13 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19036,83,93,000 रुपये (उन्नीस हजार छत्तीस करोड़ तिरासी लाख तिरानवें हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-14 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9118,10,97,000 रुपये (नौ हजार एक सौ अट्ठारह करोड़ दस लाख सत्तानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-15 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1677,24,67,000 रुपये (एक हजार छः सौ सतहत्तर करोड़ चौबीस लाख सड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-16 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 175,16,65,000 रुपये (एक सौ पचहत्तर करोड़ सोलह लाख पैंसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-17 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 265,31,62,000 रुपये (दो सौ पैंसठ करोड़ इकतीस लाख बासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-18 कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 610,08,36,000 रुपये (छह सौ दस करोड़ आठ लाख छत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-19 कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21,53,90,000 रुपये (इक्कीस करोड़ तिरपन लाख नब्बे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-20 कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 86,59,61,000 रुपये (छियासी करोड़ उनसठ लाख इकसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-21 खाद्य तथा रसद विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 11417,93,23,000 रुपये (ग्यारह हजार चार सौ सत्रह करोड़ तिरानवे लाख तेईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-22 खेल विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये 327,15,64,000 रुपये (तीन सौ सत्ताईस करोड़ पन्द्रह लाख चौंसठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-23 गन्ना विकास विभाग (गन्ना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 170,67,24,000 रुपये (एक सौ सत्तर करोड़ सड़सठ लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-24 गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1279,31,14,000 रुपये (एक हजार दो सौ उन्नयासी करोड़ इकतीस लाख चौदह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-25 गृह विभाग (कारागार) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1076,66,88,000 रुपये (एक हजार छिहत्तर करोड़ छियासठ लाख अट्ठासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-26 गृह विभाग (पुलिस) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 21808,30,92,000 रुपये (इक्कीस हजार आठ सौ आठ करोड़ तीस लाख बानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-27 गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1694,73,000 रुपये (सोलह करोड़ चौरानवे लाख तिहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-28 गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 270,33,70,000 रुपये (दो सौ सत्तर करोड़ तैंतीस लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-30 गोपन विभाग (राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 636,38,000 रुपये (छः करोड़ छत्तीस लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-31 चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 6309,36,48,000 रुपये (छः हजार तीन सौ नौ करोड़ छत्तीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या 32 चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5996,86,28,000 रुपये (पांच हजार नौ सौ छियानवे करोड़ छियासी लाख अट्ठाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-33 चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1306,94,30,000 रुपये (एक हजार तीन सौ छह करोड़ चौरानबे लाख तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-34 चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 478,34,03,000 रुपये (चार सौ अट्ठहत्तर करोड़ चौंतीस लाख तीन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-35 चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 12597,50,24,000 रुपये (बारह हजार पांच सौ सत्तानवे करोड़ पचास लाख चौबीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-36 चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 725,27,84,000 रुपये (सात सौ पच्चीस करोड़ सत्ताईस लाख चौरासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-37 नगर विकास विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16091,71,17,000 रुपये (सोलह हजार इक्यानबे करोड़ इकहत्तर लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-38 नागरिक उड्डयन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1823,62,41,000 रुपये (एक हजार आठ सौ तेईस करोड़ बासठ लाख इकतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-39 भाषा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 36,54,71,000 रुपये (छत्तीस करोड़ चौवन लाख इकहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-40 नियोजन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2513,43,74,000 रुपये (दो हजार पांच सौ तेरह करोड़ तैंतालीस लाख चौहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-41 निर्वाचन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 308,27,34,000 रुपये (तीन सौ आठ करोड़ सत्ताईस लाख चौंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-42 न्याय विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त

3918,68,95,000 रुपये (तीन हजार नौ सौ अट्ठारह करोड़ अड़सठ लाख पंचानबे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-43 परिवहन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 415,15,53,000 रुपये (चार सौ पन्द्रह करोड़ पन्द्रह लाख तिरपन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-44 पर्यटन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 759,38,25,000 रुपये (सात सौ उनसठ करोड़ अड़तीस लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-45 पर्यावरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13,54,68,000 रुपये (तेरह करोड़ चौवन लाख अड़सठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-46 प्रशासनिक सुधार विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16,79,08,000 रुपये (सोलह करोड़ उन्नयासी लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-47 प्राविधिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 490,78,00,000 रुपये (चार सौ नब्बे करोड़ अट्ठहत्तर लाख रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-48 अल्पसंख्यक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2009,78,00,000 रुपये (दो हजार नौ करोड़ अट्हत्तर लाख रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-49 महिला एवं बाल कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 8918,15,92,000 रुपये (आठ हजार नौ सौ अट्ठारह करोड़ पन्द्रह लाख बानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-50 राजस्व विभाग (जिला प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 966,20,12,000 रुपये (नौ सौ छियासठ करोड़ बीस लाख बारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-51 राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3155,86,92,000 रुपये (तीन हजार एक सौ पचपन करोड़ छियासी लाख बानवे हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-52 राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3167,33,71,000 रुपये (तीन हजार एक सौ सड़सठ करोड़ तैंतीस लाख इकहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-53 राष्ट्रीय एकीकरण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1,12,27,000 रुपये (एक करोड़ बारह लाख सत्ताइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-54 लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1955,84,70,000 रुपये (एक हजार नौ सौ पचपन करोड़ चौरासी लाख सत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि

अनुदान संख्या-55 लोक निर्माण विभाग (भवन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 204,21,17,000 रुपये (दो सौ चार करोड़ इक्कीस लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-56 लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 400,00,00,000 रुपये (चार सौ करोड़ रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-57 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2438,49,33,000 रुपये (दो हजार चार सौ अड़तीस करोड़ उनचास लाख तैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-58 लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 16790,48,06,000 रुपये (सोलह हजार सात सौ नब्बे करोड़ अड़तालीस लाख छः हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-59 लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 394,46,48,000 रुपये (तीन सौ चौरानबे करोड़ छियालीस लाख अड़तालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-60 वन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1222,14,22,000 रुपये (एक हजार दो सौ बाइस करोड़ चौदह लाख बाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-61 वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 13826,59,25,000 रुपये (तेरह हजार आठ सौ छब्बीस करोड़ उनसठ लाख पच्चीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-62 वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 50350,27,37,000 रुपये (पचास हजार तीन सौ पचास करोड़ सत्तइस लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-63 वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 225,65,27,000 रुपये (दो सौ पच्चीस करोड़ पैंसठ लाख सत्ताइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-65 वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 282,87,23,000 रुपये (दो सौ बयासी करोड़ सत्तासी लाख तेइस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-66 वित्त विभाग (सामूहिक बीमा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 30,61,17,000 रुपये (तीस करोड़ इकसठ लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-67 विधान परिषद् सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 54,79,38,000 रुपये (चौवन करोड़ उन्नयासी लाख अड़तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-68 विधान सभा सचिवालय के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 189,81,28,000 रुपये (एक सौ नवासी करोड़ इक्यासी लाख अट्ठाईस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-69 व्यावसायिक शिक्षा विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 684,30,58,000 रुपये (छह सौ चौरासी करोड़ तीस लाख अट्ठावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-70 विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 358,02,77,000 रुपये (तीन सौ अट्ठावन करोड़ दो लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-71 शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 42118,11,32,000 रुपये (बयालिस हजार एक सौ अट्ठारह करोड़ ग्यारह लाख बत्तीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-72 शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 9963,31,00,000 रुपये (नौ हजार नौ सौ तिरसठ करोड़ इकतीस लाख रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-73 शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2636,00,69,000 रुपये (दो हजार छः सौ छत्तीस करोड़ उनहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-74 गृह विभाग (होमगार्ड्स) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2337,63,57,000 रुपये (दो हजार तीन सौ सैंतीस करोड़ तिरसठ लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-75 शिक्षा विभाग (राज्य शैक्षिक अनुसन्धान एवं प्रशिक्षण परिषद्) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 178,56,72,000 रुपये (एक सौ अठहत्तर करोड़ छप्पन लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-76 श्रम विभाग (श्रम कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 570,82,75,000 रुपये (पांच सौ सत्तर करोड़ बयासी लाख पचहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-77 श्रम विभाग (सेवायोजन) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 94,67,41,000 रुपये (चौरानबे करोड़ सड़सठ लाख इकतालिस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-78 सचिवालय प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1025,78,08,000 रुपये (एक हजार पच्चीस करोड़ अठहत्तर लाख आठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-79 समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 2284,19,57,000 रुपये (दो हजार दो सौ चौरासी करोड़ उन्नीस लाख सत्तावन हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-80 समाज कल्याण विभाग (समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 7553,17,72,000 रुपये (सात हजार पांच सौ तिरपन करोड़ सत्रह लाख बहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-81 समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 1680,31,44,000 रुपये (एक हजार छह सौ अस्सी करोड़ इकतीस लाख चौवालिस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-82 सतर्कता विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,82,34,000 रुपये (साठ करोड़ बयासी लाख चौंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-83 समाज कल्याण विभाग (अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 19608,65,82,000 रुपये (उन्नीस हजार छः सौ आठ करोड़ पैंसठ लाख बयासी हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-84 सामान्य प्रशासन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 412,57,78,000 रुपये (चार सौ बारह करोड़ सत्तावन लाख अठहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-85 सार्वजनिक उद्यम विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 5,46,17,000 रुपये (पांच करोड़ छियालीस लाख सत्रह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-86 सूचना विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 549,09,13,000 रुपये (पांच सौ उनचास करोड़ नौ लाख तेरह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-87-सैनिक कल्याण विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 60,83,18,000 रुपये (साठ करोड़ तिरासी लाख अठारह हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-89 राज्य कर विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 821,79,37,000 रुपये (आठ सौ इक्कीस करोड़ उन्नयासी लाख सैंतीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-91 स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 316,90,77,000 रुपये (तीन सौ सोलह करोड़ नब्बे लाख सतहत्तर हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-92 संस्कृति विभाग के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 267,27,02,000 रुपये (दो सौ सड़सठ करोड़ सत्ताईस लाख दो हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-93 नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 14016,51,45,000 रुपये (चौदह हजार सोलह करोड़ इक्यावन लाख पैंतालीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-94 सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 10417,83,26,000 रुपये (दस हजार चार सौ सत्रह करोड़ तिरासी लाख छब्बीस हजार रुपये) से अनधिक धनराशि,

अनुदान संख्या-95 सिंचाई विभाग (अधिष्ठान) के अन्तर्गत होने वाले परिव्ययों को चुकाने के लिए आवश्यक धनराशि की पूर्ति के लिये, लेखानुदान द्वारा स्वीकृत धनराशि के अतिरिक्त 3638,70,66,000 रुपये (तीन हजार छह सौ अड़तीस करोड़ सत्तर लाख छियासठ हजार रुपये) से अनधिक धनराशि।

[4:20] उ0प्र0 विनियोग विधेयक, 2021

संसदीय कार्य, वित्त मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करने हेतु सदन की अनुज्ञा दी जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 को पुरःस्थापित करता हूँ।

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 पर विचार किया जाय।

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

(खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक)

उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2021

31 मार्च, 2022 ई. को समाप्त होने वाले वर्ष में व्यय के लिये राज्य की समेकित निधि में से कतिपय धनराशियों के भुगतान और विनियोग का अधिकार देने की व्यवस्था करने के लिये

विधेयक

भारत गणराज्य के बहत्तरवें वर्ष में निम्नलिखित अधिनियम बनाया जाता है :-

1- यह अधिनियम उत्तर प्रदेश विनियोग अधिनियम, 2021 कहा जायेगा । — संक्षिप्त नाम

2- ऐसे विविध परिव्यय चुकाने के निमित्त जो 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के भीतर अनुसूची के स्तम्भ-2 में दी हुई सेवाओं और प्रयोजनों के संबंध में देने पड़ेंगे, उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से इतना रूपया दिया और काम में लाया जा सकता है जो अनुसूची के स्तम्भ-3 में दी हुई धनराशियों से, जिनका कुल योग 585910,42,77,000 रूपये (रुपये पाँच लाख पचासी हजार नौ सौ दस करोड़ बयालीस लाख सतहत्तर हजार मात्र) होता है, अधिक न हो । — उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से वर्ष 2021-2022 के लिए 585910,42,77,000 रूपये का निकाला जाना

3- इस अधिनियम द्वारा उत्तर प्रदेश की समेकित निधि में से, जिन धनराशियों को देने और काम में लाने का अधिकार दिया गया है, उनका विनियोग 31 मार्च, 2022 को समाप्त होने वाले वर्ष के सम्बन्ध में उन्हीं सेवाओं और प्रयोजनों के लिये किया जायगा जो अनुसूची में दिये गये है । — विनियोग

अनुसूची

(धारायें 2 और 3 देखें)

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
01	आबकारी विभाग	राजस्व :	33596.75	--	33596.75
		पूंजी :	161.39	--	161.39
02	आवास विभाग	राजस्व :	49442.31	9.66	49451.97
		पूंजी :	285612.00	115.36	285727.36
03	उद्योग विभाग (लघु उद्योग एवं निर्यात प्रोत्साहन)	राजस्व :	85562.84	6.00	85568.84
		पूंजी :	2787.61	--	2787.61
04	उद्योग विभाग (खानें और खनिज)	राजस्व :	5594.55	--	5594.55
		पूंजी :	405.00	--	405.00
05	उद्योग विभाग (खादी एवं ग्रामोद्योग)	राजस्व :	10812.51	--	10812.51
06	उद्योग विभाग (हथकरघा उद्योग)	राजस्व :	34384.32	--	34384.32
		पूंजी :	0.01	--	0.01
07	उद्योग विभाग (भारी एवं मध्यम उद्योग)	राजस्व :	325450.97	--	325450.97
		पूंजी :	1199614.32	--	1199614.32
08	उद्योग विभाग (मुद्रण तथा लेखन सामग्री)	राजस्व :	20579.26	--	20579.26
		पूंजी :	592.95	--	592.95
09	ऊर्जा विभाग	राजस्व :	2079613.93	363794.42	2443408.35
		पूंजी :	884383.74	439552.62	1323936.36
10	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (औद्यानिक एवं रेशम विकास)	राजस्व :	119525.78	227.40	119753.18
		पूंजी :	1794.90	--	1794.90
11	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (कृषि)	राजस्व :	577890.59	20.05	577910.64
		पूंजी :	53614.48	--	53614.48
12	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (भूमि विकास एवं बल संसाधन)	राजस्व :	74086.12	--	74086.12

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रूपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
13	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (ग्राम्य विकास)	राजस्व :	347558.17	17.50	347575.67
		पूंजी :	1389570.00	--	1389570.00
14	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पंचायती राज)	राजस्व :	1286006.25	--	1286006.25
		पूंजी :	40595.08	--	40595.08
15	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (पशुधन)	राजस्व :	186601.52	13.79	186615.31
		पूंजी :	19481.23	--	19481.23
16	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (दुग्धशाला विकास)	राजस्व :	12312.37	--	12312.37
		पूंजी :	8000.00	--	8000.00
17	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (मत्स्य)	राजस्व :	36093.71	9.50	36103.21
18	कृषि तथा अन्य सम्बद्ध विभाग (सहकारिता)	राजस्व :	77059.23	1538.12	78597.35
		पूंजी :	7500.00	3325.18	10825.18
19	कार्मिक विभाग (प्रशिक्षण तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1106.03	--	1106.03
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
20	कार्मिक विभाग (लोक सेवा आयोग)	राजस्व :	12807.35	10081.82	22889.17
		पूंजी :	--	231.44	231.44
21	खाद्य तथा रसद विभाग	राजस्व :	49990.74	6.00	49996.74
		पूंजी :	1760205.49	0.50	1760205.99
22	खेल विभाग	राजस्व :	15545.23	--	15545.23
		पूंजी :	9930.46	--	9930.46
23	गन्ना विकास विभाग (गन्ना)	राजस्व :	26886.08	2.00	26888.08
		पूंजी :	2300.00	--	2300.00
24	गन्ना विकास विभाग (चीनी उद्योग)	राजस्व :	8824.87	--	8824.87
		पूंजी :	63937.00	--	63937.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
25	गृह विभाग (कारागार)	राजस्व :	87067.85	10.00	87077.85
		पूंजी :	33373.13	--	33373.13
26	गृह विभाग (पुलिस)	राजस्व :	2723413.38	105.00	2723518.38
		पूंजी :	296874.10	--	296874.10
27	गृह विभाग (नागरिक सुरक्षा)	राजस्व :	2315.41	--	2315.41
		पूंजी :	0.03	--	0.03
28	गृह विभाग (राजनैतिक पेंशन तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	36854.84	--	36854.84
		पूंजी :	50.00	--	50.00
*29	गोपन विभाग (राज्यपाल सचिवालय)	राजस्व :	--	2334.36	2334.36
30	गोपन विभाग(राजस्व विशिष्ट अभिसूचना निदेशालय तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	700.60	--	700.60
31	चिकित्सा विभाग (चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण)	राजस्व :	430494.33	--	430494.33
		पूंजी :	440578.40	--	440578.40
32	चिकित्सा विभाग (एलोपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	807676.23	20.00	807696.23
		पूंजी :	235549.57	--	235549.57
33	चिकित्सा विभाग (आयुर्वेदिक एवं यूनानी चिकित्सा)	राजस्व :	123525.28	--	123525.28
		पूंजी :	13059.31	--	13059.31
34	चिकित्सा विभाग (होम्योपैथी चिकित्सा)	राजस्व :	54665.98	--	54665.98
		पूंजी :	2105.01	--	2105.01
35	चिकित्सा विभाग (परिवार कल्याण)	राजस्व :	779390.44	35.00	779425.44
		पूंजी :	94696.71	--	94696.71
36	चिकित्सा विभाग (सार्वजनिक स्वास्थ्य)	राजस्व :	95664.38	2.00	95666.38
		पूंजी :	19064.86	--	19064.86
37	नगर विकास विभाग	राजस्व :	1966621.47	--	1966621.47

*भारित विनियोग से सम्बन्धित क्रम-संख्या

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	40077.00	--	40077.00
38	नागरिक उड्डयन विभाग	राजस्व :	10119.02	--	10119.02
		पूंजी :	220600.00	--	220600.00
39	भाषा विभाग	राजस्व :	4744.59	--	4744.59
40	नियोजन विभाग	राजस्व :	28723.14	--	28723.14
		पूंजी :	389851.50	--	389851.50
41	निर्वाचन विभाग	राजस्व :	49594.48	--	49594.48
		पूंजी :	1250.01	--	1250.01
42	न्याय विभाग	राजस्व :	295479.92	68152.85	363632.77
		पूंजी :	227666.03	650.00	228316.03
43	परिवहन विभाग	राजस्व :	33983.80	0.01	33983.81
		पूंजी :	7052.99	--	7052.99
44	पर्यटन विभाग	राजस्व :	12188.10	--	12188.10
		पूंजी :	95403.43	--	95403.43
45	पर्यावरण विभाग	राजस्व :	1430.62	--	1430.62
46	प्रशासनिक सुधार विभाग	राजस्व :	2307.28	--	2307.28
47	प्राविधिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	51557.86	--	51557.86
		पूंजी :	19690.19	--	19690.19
48	अल्पसंख्यक कल्याण विभाग	राजस्व :	239348.49	1.80	239350.29
		पूंजी :	61440.49	--	61440.49
49	महिला एवं बाल कल्याण विभाग	राजस्व :	952564.25	--	952564.25
		पूंजी :	25566.33	--	25566.33
50	राजस्व विभाग (जिला प्रशासन)	राजस्व :	122206.75	17.00	122223.75

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकित निधि पर भारित	योग
		पूंजी :	13554.00	--	13554.00
51	राजस्व विभाग (दैवी विपत्तियों के सम्बन्ध में राहत)	राजस्व :	359186.27	--	359186.27
		पूंजी :	4000.00	--	4000.00
52	राजस्व विभाग (राजस्व परिषद् तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	464484.45	22.50	464506.95
		पूंजी :	7777.18	7.88	7785.06
53	राष्ट्रीय एकीकरण विभाग	राजस्व :	168.40	--	168.40
54	लोक निर्माण विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	287177.83	4.00	287181.83
		पूंजी :	54.48	--	54.48
55	लोक निर्माण विभाग (भवन)	राजस्व :	12345.00	719.00	13064.00
		पूंजी :	9194.85	80.00	9274.85
56	लोक निर्माण विभाग (विशेष क्षेत्र कार्यक्रम)	पूंजी :	35000.00	--	35000.00
57	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सेतु)	राजस्व :	14100.00	--	14100.00
		पूंजी :	246243.00	--	246243.00
58	लोक निर्माण विभाग (संचार साधन-सड़कें)	राजस्व :	604385.70	15010.29	619395.99
		पूंजी :	1527882.00	9500.00	1537382.00
59	लोक निर्माण विभाग (राज्य सम्पत्ति निदेशालय)	राजस्व :	35307.72	--	35307.72
		पूंजी :	10678.11	--	10678.11
60	वन विभाग	राजस्व :	93688.66	13.70	93702.36
		पूंजी :	56885.74	--	56885.74
61	वित्त विभाग (ऋण सेवा तथा अन्य व्यय)	राजस्व :	1780923.43	4159914.02	5940837.45
		पूंजी :	75509.00	3443852.76	3519361.76
62	वित्त विभाग (अधिवर्ष भत्ते तथा पेंशनें)	राजस्व :	6319452.06	111.31	6319563.37
		पूंजी :	9600.00	--	9600.00

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
63	वित्त विभाग (कोषागार तथा लेखा प्रशासन)	राजस्व :	29265.83	--	29265.83
		पूंजी :	325.00	--	325.00
65	वित्त विभाग (लेखा परीक्षा, अल्प-बचत आदि)	राजस्व :	34143.12	--	34143.12
		पूंजी :	1493.00	--	1493.00
66	वित्त विभाग (सामूहिक बीमा)	राजस्व :	1255.78	21255.45	22511.23
67	विधान परिषद् सचिवालय	राजस्व :	7318.45	100.55	7419.00
		पूंजी :	839.75	--	839.75
68	विधान सभा सचिवालय	राजस्व :	22503.19	180.20	22683.39
		पूंजी :	1848.63	25.00	1873.63
69	व्यावसायिक शिक्षा विभाग	राजस्व :	95610.87	--	95610.87
		पूंजी :	18146.00	--	18146.00
70	विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग	राजस्व :	52207.34	--	52207.34
		पूंजी :	2000.00	--	2000.00
71	शिक्षा विभाग (प्राथमिक शिक्षा)	राजस्व :	5748087.12	--	5748087.12
		पूंजी :	38684.11	--	38684.11
72	शिक्षा विभाग (माध्यमिक शिक्षा)	राजस्व :	1337804.89	--	1337804.89
		पूंजी :	48732.01	--	48732.01
73	शिक्षा विभाग (उच्च शिक्षा)	राजस्व :	331661.71	--	331661.71
		पूंजी :	36194.53	--	36194.53
74	गृह विभाग (होमगार्ड्स)	राजस्व :	230908.56	--	230908.56
		पूंजी :	1681.61	--	1681.61
75	शिक्षा विभाग(राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद्)	राजस्व :	22101.70	--	22101.70
		पूंजी :	1459.23	--	1459.23

अनुसूची

--(क्रमश):

1	2		3		
अनुदान/ क्रम संख्या	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रुपयों में)		
			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
76	श्रम विभाग (श्रम कल्याण)	राजस्व :	49720.31	--	49720.31
		पूंजी :	27071.00	--	27071.00
77	श्रम विभाग (सेवायोजन)	राजस्व :	12957.88	--	12957.88
		पूंजी :	190.41	--	190.41
78	सचिवालय प्रशासन विभाग	राजस्व :	124109.72	--	124109.72
		पूंजी :	891.00	--	891.00
79	समाज कल्याण विभाग (दिव्यांगजन सशक्तीकरण एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण)	राजस्व :	256762.20	--	256762.20
		पूंजी :	15986.83	--	15986.83
80	समाज कल्याण विभाग(समाज कल्याण एवं अनुसूचित जातियों का कल्याण)	राजस्व :	553280.77	--	553280.77
81	समाज कल्याण विभाग (जनजाति कल्याण)	राजस्व :	99759.99	--	99759.99
		पूंजी :	33814.11	--	33814.11
82	सतर्कता विभाग	राजस्व :	8518.74	870.43	9389.17
		पूंजी :	55.01	30.10	85.11
83	समाज कल्याण विभाग(अनुसूचित जातियों के लिये विशेष घटक योजना)	राजस्व :	1737871.44	--	1737871.44
		पूंजी :	1298419.94	--	1298419.94
84	सामान्य प्रशासन विभाग	राजस्व :	2955.67	--	2955.67
		पूंजी :	40171.00	--	40171.00
85	सार्वजनिक उद्यम विभाग	राजस्व :	779.14	--	779.14
86	सूचना विभाग	राजस्व :	55543.47	--	55543.47
		पूंजी :	2101.00	--	2101.00
87	सैनिक कल्याण विभाग	राजस्व :	7146.93	--	7146.93
		पूंजी :	580.00	--	580.00

अनुसूची

(समाप्त):

1	2		3		
अनुदान/	सेवायें और प्रयोजन		निम्नलिखित धनराशियों से अनधिक (लाख रूपयों में)		
क्रम संख्या			विधान सभा द्वारा स्वीकृत	राज्य की समेकत निधि पर भारित	योग
89	राज्य कर विभाग	राजस्व :	112274.61	6545.50	118820.11
		पूंजी :	3050.00	--	3050.00
91	स्टाम्प एवं निबन्धन विभाग	राजस्व :	41946.63	0.02	41946.65
		पूंजी :	110.00	--	110.00
92	संस्कृति विभाग	राजस्व :	9401.38	0.05	9401.43
		पूंजी :	8530.04	--	8530.04
93	नमामि गंगे तथा ग्रामीण जलापूर्ति विभाग	राजस्व :	62595.72	--	62595.72
		पूंजी :	1205655.00	--	1205655.00
94	सिंचाई विभाग (निर्माण कार्य)	राजस्व :	540556.00	--	540556.00
		पूंजी :	815974.51	500.00	816474.51
95	सिंचाई विभाग (अधिष्ठान)	राजस्व :	532915.15	50.00	532965.15
	योग :	राजस्व :	36483153.80	4651201.30	41134355.10
		पूंजी :	13558816.83	3897870.84	17456687.67
	महायोग :		50041970.63	8549072.14	58591042.77

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि खण्ड-2 से खण्ड-3 तक खण्ड-1 प्रस्तावना तथा शीर्षक इस विधेयक के अंग माने जायें ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

श्री सुरेश कुमार खन्ना-

मान्यवर, मैं आपकी अनुज्ञा से प्रस्ताव करता हूँ कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 पारित किया जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि उत्तर प्रदेश विनियोग विधेयक, 2022 पारित किया जाय ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और स्वीकृत हुआ)

[04:27] नियम-51 के अन्तर्गत सूचनाएं

श्री अध्यक्ष-

आज नियम-51 की 166 सूचनाएं प्राप्त हुई हैं, जितने भी मा0 सदस्यों ने आज सूचनायें दी थीं, सभी की सूचनाएं स्वीकार की जाती हैं तथा सभी स्वीकृत सूचनाओं पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया जाता है।

पहली सूचना श्री रत्नाकर मिश्रा की जनपद भदोही में नगर पालिका के पानी को खेतों में बहाये जाने से फसलों के खराब होने के सम्बन्ध में है, दूसरी सूचना श्री मौहम्मद फहीम इरफान की प्रदेश में मनरेगा योजना के अन्तर्गत निर्माण सामग्री का भुगतान कराने के सम्बन्ध में है, तीसरी सूचना श्रीमती ओम मणि वर्मा की जनपद बांदा में प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र के निर्माण के सम्बन्ध में है, चौथी सूचना श्री अब्बास अंसारी की जनपद मऊ में मार्गों के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में है, पांचवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की प्रदेश में बिजली की आपूर्ति न हो पाने के सम्बन्ध में है, छठवीं सूचना श्री अशोक राणा की लखनऊ कैण्ट के केसरी खेड़ा वार्ड में सड़क एवं नाली का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सातवीं सूचना श्री ओम प्रकाश राजभर की जनपद मऊ में मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, आठवीं सूचना श्रीमती सरिता भदौरिया की जनपद इटावा में पासपोर्ट आफिस प्रारम्भ कराने के सम्बन्ध में है, नौवीं सूचना श्री सचिन यादव की विधान सभा क्षेत्र जसराना में नदियों/बम्बों की सफाई कराने के सम्बन्ध में है, दसवीं सूचना श्री राकेश गोस्वामी की जनपद कानपुर में एन0एच0-34 को फोर-लेन कराने के सम्बन्ध में है, ग्यारहवीं सूचना श्रीमती मनीषा अनुरागी की जनपद हमीरपुर में क्षतिग्रस्त पुल की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बारहवीं सूचना श्री संग्राम सिंह की जनपद बलिया में जल निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, तेरहवीं सूचना श्री जै किशन की जनपद गाजीपुर में जल निकासी की व्यवस्था न होने से उत्पन्न स्थिति के सम्बन्ध में है, चौदहवीं सूचना श्री बृजेश कुमार की जनपद उन्नाव में सड़कों का नव निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पन्द्रहवीं सूचना डॉ0 पल्लवी पटेल की जनपद बरेली में डिप्टी कमिश्नर वाणिज्य कर द्वारा की गयी धन की अनियमितताओं की जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, सोलहवीं सूचना श्री विनोद कुमार की जनपद अयोध्या में भूमि को दबंगों से मुक्त कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्रहवीं सूचना श्री दूधराम की जनपद बस्ती में मार्गों के अधूरे पड़े कार्यों को पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठारहवीं सूचना श्री योगेश वर्मा की जनपद उन्नाव में राजकीय कालोनी को अवैध कब्जे से मुक्त कराने के सम्बन्ध में है, उन्नीसवीं सूचना श्री बेचई की जनपद आजमगढ़ में मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, बीसवीं सूचना श्री प्रसन्न कुमार की जनपद कानपुर में कालोनीवासियों द्वारा अवैध रूप से गेट लगाने के सम्बन्ध में है, इक्कीसवीं सूचना श्री कमल कान्त राजभर की जनपद आजमगढ़ में राजकीय बालिका इण्टर कालेज में अध्यापकों की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, बाइसवीं सूचना श्री मोहम्मद हसन 'रूमी' की जनपद कानपुर के बाबूपुरवा में सीवर लाइनों के

सम्बन्ध में है, तेइसवीं सूचना श्री अमिताभ बाजपेई की प्रदेश में लाल/नीली बत्तियों एवं हूटरों के इस्तेमाल में हाई कोर्ट के नियमों के उल्लंघन के सम्बन्ध में है, चौबीसवीं सूचना श्री बेदी की जनपद जौनपुर में दाखिल मुकदमे में मुल्जिमों की गिरफ्तारी के सम्बन्ध में है, पच्चीसवीं सूचना श्री हंसु राम की जनपद बलिया में मन्दिर का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छब्बीसवीं सूचना श्री विनय प्रकाश गौड़ की जनपद जौनपुर में दबंगों द्वारा अवैध कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्ताइसवीं सूचना श्री राजमणि की जनपद लखनऊ के मोहनलालगंज में विद्युत कनेक्शन की समस्या के सम्बन्ध में है, अट्ठाइसवीं सूचना श्री ओउमवेश की जनपद बिजनौर में जीर्ण-शीर्ण मार्गों के सम्बन्ध में है, उन्तीसवीं सूचना जगदीश नारायण की जनपद जौनपुर में दिनांक 06-05-2022 को हुई घटना की निष्पक्ष जांच कराये जाने के सम्बन्ध में है, तीसवीं सूचना श्री विनोद चतुर्वेदी की प्रदेश में आयुष परीक्षा परिणाम को घोषित किये जाने व लम्बित परीक्षाओं के कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतीसवीं सूचना श्री लकी यादव की जनपद जौनपुर में आंगनबाड़ी कार्यकत्री को नियम विरुद्ध मानदेय दिये जाने के सम्बन्ध में है, बत्तीसवीं सूचना श्रीमती नादिरा सुल्तान की जनपद कासगंज में गंगाघाट का पक्कीकरण एवं सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में है, तैंतीसवीं सूचना श्री रामखिलाड़ी सिंह की जनपद सम्भल में पुल एवं लिंक मार्ग का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंतीसवीं सूचना श्री जय कुमार सिंह 'जैकी' की जनपद फतेहपुर में मार्गों के निर्माण/नवीनीकरण/चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतीसवीं सूचना श्री राकेश कुमार वर्मा उर्फ डॉ0 आर0 के0 वर्मा की जनपद प्रतापगढ़ में मार्गों के निर्माण एवं चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, छत्तीसवीं सूचना डॉ0 अनिल कुमार मौर्य की जनपद कानपुर में गाय-भैसों के चट्टे को बीच शहर से हटाये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतीसवीं सूचना श्री जवाहर लाल राजपूत की जनपद झांसी की कतिपय सड़कों की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तीसवीं सूचना श्री विवेकानन्द पाण्डेय की जनपद कुशीनगर में राजकीय होम्योपैथिक मेडिकल कालेज की स्थापना कराये जाने के सम्बन्ध में है, उन्तालीसवीं सूचना श्री प्रेम नारायन पाण्डेय की जनपद गोण्डा में पक्के बन्धे का निर्माण किये जाने के सम्बन्ध में है, चालीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र कुमार निम की जनपद सहारनपुर में नये पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, इकतालीसवीं सूचना श्री जयद्रथ उर्फ प्रवक्तानन्द की जनपद पीलीभीत में मार्ग की विशेष मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, बयालीसवीं सूचना श्रीमती रानी पक्षालिका सिंह की जनपद आगरा के बाह क्षेत्र में शव विच्छेदन गृह की मरम्मत एवं चिकित्सक की नियुक्ति के सम्बन्ध में है, तैंतालीसवीं सूचना श्री योगेश धामा की जनपद बागपत में कृषि भूमि को औद्योगिक क्षेत्र में प्रयोग किये जाने के सम्बन्ध में है, चौवालीसवीं सूचना श्री अशोक कुमार की प्रदेश में राजकीय मेडिकल कालेजों में स्टोर कीपर संवर्ग को संशोधित वेतनमान दिये जाने के सम्बन्ध में है, पैंतालीसवीं सूचना श्री सुहेब उर्फ मन्नू अंसारी की जनपद गाजीपुर के विधान सभा क्षेत्र जमानियां में वि0नि0 योजना के अन्तर्गत कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में है, छियालीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद गोरखपुर में

राजकीय विद्यालय की जमीन पर दबंगों द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, सैंतालीसवीं सूचना श्री तुफानी सरोज की जनपद लखनऊ के चिनहट में खड़न्जे पर डाले गये मलबे को हटाये जाने के सम्बन्ध में है, अड़तालीसवीं सूचना श्री अविनाश चन्द्र द्विवेदी की जनपद चित्रकूट में पानी की टंकी द्वारा जल आपूर्ति के सम्बन्ध में है, उन्चासवीं सूचना श्री राम निवास वर्मा की जनपद बहराइच में जल निकासी की व्यवस्था हेतु नाला निर्माण कराने के सम्बन्ध में है, पचासवीं सूचना डॉ0 सुनील पटेल की जनपद वाराणसी के रामरायपुर एवं नुआव में चकबन्दी के सम्बन्ध में है, इक्यावनवीं सूचना डॉ0 सुरभी की जनपद फर्रुखाबाद में सम्पर्क मार्ग के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण के सम्बन्ध में है, बावनवीं सूचना डॉ0 आर0 के0 पटेल की जनपद जौनपुर में लम्बित दाखिल खारिज के सम्बन्ध में है, तिरपनवीं सूचना श्रीमती सरोज कुरील की जनपद कानपुर के घाटमपुर में सड़क का डामरीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौवनवीं सूचना श्री सत्यपाल सिंह राठौर की जनपद एटा में नयी पुलिस चौकी के खोले जाने के सम्बन्ध में है, पचपनवीं सूचना श्री हाजी इरफान सोलंकी की जनपद कानपुर में चन्द्रशेखर आजाद कृषि एवं प्रौद्योगिक विश्वविद्यालय के मूल आरक्षण रोस्टर को सार्वजनिक किये जाने के सम्बन्ध में है, छप्पनवीं सूचना श्री मुकेश वर्मा की जनपद फिरोजाबाद में संयुक्त चिकित्सालय शिकोहाबाद को जिला अस्पताल का दर्जा दिलाने के सम्बन्ध में है, सत्तावनवीं सूचना श्री राकेश पाण्डेय की जनपद अम्बेडकरनगर में मार्ग के सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठावनवीं सूचना श्री वीरेन्द्र चौधरी की जनपद महाराजगंज में अधिशासी अधिकारी के विरुद्ध कार्यवाही किये जाने के सम्बन्ध में है, उनसठवीं सूचना श्री पंकज कुमार मलिक की जनपद मुजफ्फरनगर में इण्टर कालेज के निर्माण कार्य को पूर्ण कराने के सम्बन्ध में है, साठवीं सूचना श्री जीत लाल की जनपद गोरखपुर में जर्जर सड़क के निर्माण एवं पार्क के सौन्दर्यीकरण कराने के सम्बन्ध में है, इकसठवीं सूचना श्री मोहित सोनकर ''राहुल बच्चा'' की जनपद उन्नाव में तालाब का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, बासठवीं सूचना श्री अनिल कुमार की जनपद मुजफ्फरनगर में अनधिकृत टोल बन्द कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिरसठवीं सूचना श्री जय प्रताप सिंह की जनपद लखनऊ में सड़क निर्माण एवं तालाब का जीर्णोद्धार कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौंसठवीं सूचना श्री शशांक त्रिवेदी की जनपद लखनऊ में कम्पनी द्वारा की जा रही धोखाधड़ी के सम्बन्ध में है, पैंसठवीं सूचना श्रीमती कृष्णा पासवान की जनपद फतेहपुर में जर्जर पुलों के निर्माण के सम्बन्ध में है, छाछठवीं सूचना डॉ0 अमित सिंह चौहान की जनपद अयोध्या में घाघरा नदी के कटान से हो रही समस्याओं के सम्बन्ध में है, सड़सठवीं सूचना श्री उमाशंकर सिंह की प्रदेश में दिनांक 29-09-2016 को हुए शासनादेश को प्रयोगशाला सहायक (ग्राम्य) पर लागू न किये जाने के सम्बन्ध में है, अड़सठवीं सूचना श्री लालजी वर्मा की जनपद अम्बेडकरनगर में राजकीय एलोपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय में शिक्षकों की कमी के सम्बन्ध में है, उनहत्तरवीं सूचना श्री राम अचल राजभर की भर/राजभर जाति को अनुसूचित जनजाति में श्रेणीबद्ध किये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तरहवीं सूचना श्री हाकिम लाल बिन्द की

लखनऊ-कानपुर राष्ट्रीय राजमार्ग से हरौनी रेलवे स्टेशन को जाने वाली सड़क के चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण किये जाने के सम्बन्ध में है, इकहत्तरवीं सूचना श्री समरपाल सिंह की जनपद अमरोहा में गांव के लोगों की मूलभूत सुविधाओं के सम्बन्ध में है, बहत्तरवीं सूचना श्रीमती पूजा की जनपद आजमगढ़ में सड़क/पुल के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, तिहत्तरवीं सूचना श्रीमती इन्द्राणी देवी की जनपद श्रावस्ती में जर्जर सड़क के निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, चौहत्तरवीं सूचना श्री रफीक अंसारी की जनपद मैनपुरी में भू-माफिया द्वारा कब्जा किये जाने के सम्बन्ध में है, पचहत्तरवीं सूचना श्री प्रभु नारायण सिंह यादव की जनपद चन्दौली में दिनांक 01-05-2022 को हुई घटना के सम्बन्ध में है, छिहत्तरवीं सूचना श्री वीरेन्द्र कुमार यादव की जनपद कुशीनगर ड्रेन के निर्माण के नाम पर हो रहे धन के दुरुपयोग के सम्बन्ध में है, सतहत्तरवीं सूचना श्री फरीद महफूज किदवई की जनपद बाराबंकी में दिनांक 06-09-2021 को हुई घटना के सम्बन्ध में है, अठहत्तरवीं सूचना इंजी0 बृजेश कठेरिया की जनपद मैनपुरी में नालों की सिल्ट सफाई कराये जाने के सम्बन्ध में है, उनासीवीं सूचना श्रीमती सैय्यदा खातून की जनपद सिद्धार्थनगर में बन्धे के निर्माण के सम्बन्ध में है, अस्सीवीं सूचना श्री जियाउद्दीन रिजवी की जनपद बलिया में मार्केटिंग इन्सपेक्टर द्वारा की जा रही धांधली, अनियमितता एवं भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, इक्यासीवीं सूचना श्री विशम्भर सिंह यादव की जनपद बांदा में जलभराव की समस्या के सम्बन्ध में है, बयासीवीं सूचना श्री अभय सिंह की जनपद वाराणसी में स्टाम्प एवं रजिस्ट्रेशन विभाग में हो रहे भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, तिरासीवीं सूचना श्री त्रिभुवन दत्त की प्रदेश में माध्यमिक एवं बेसिक शिक्षा में लम्बित पदोन्नति के सम्बन्ध में है, चौरासीवीं सूचना श्री अतुल प्रधान की जनपद मेरठ में निजी अस्पतालों में दरों के बोर्ड न लगाये जाने के सम्बन्ध में है, पच्चासीवीं सूचना डॉ0 शिव प्रताप यादव की जनपद बलरामपुर में अवैध वाहन अड्डा शुल्क वसूली के सम्बन्ध में है, छियासीवीं सूचना श्री कमाल अख्तर की जनपद मुरादाबाद में गरीब एवं अल्पसंख्यकों की जमीन पर किये जा रहे कब्जे के सम्बन्ध में है, सत्तासीवीं सूचना श्री धर्मराज सिंह यादव की जनपद बाराबंकी में सड़क निर्माण में लोक निर्माण विभाग द्वारा की गयी अनियमितता के सम्बन्ध में है, अट्ठासीवीं सूचना श्री जय प्रकाश अंचल की जनपद बलिया में आर्सेनिक पानी की समस्या के निदान के सम्बन्ध में है, नब्बेवीं सूचना श्री अखिलेश की जनपद आजमगढ़ में पाइप लाइन के ध्वस्त हो जाने से उत्पन्न समस्याओं के सम्बन्ध में है, इक्यानबेवीं सूचना श्री राम सिंह की जनपद प्रतापगढ़ में पंचायत भवनों एवं सामुदायिक शौचालयों के निर्माण में गम्भीर अनियतिताओं के सम्बन्ध में है, बान्नबेवीं सूचना श्री राघवेन्द्र कुमार सिंह की जनपद इटावा में बन्द पड़े अस्पताल को प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में है, तीरानबेवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद मऊ में क्षतिगस्त हो चुके मुख्य मार्गों के पुनर्निर्माण के सम्बन्ध में है, चौरान्नबेवीं सूचना श्री दुर्गा प्रसाद यादव की जनपद आजमगढ़ में विद्युत सब-स्टेशन बनाये जाने के सम्बन्ध में है, पंचान्नबेवीं सूचना श्रीमती पूजा पाल की जनपद कौशाम्बी में सड़क निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है,

छियान्नबेवीं सूचना श्री रामकृष्ण भार्गव की जनपद सीतापुर के अन्तर्गत धार्मिक स्थल नैमिषारण्य के विकास हेतु नैमिष विकास परिषद् का गठन एवं 84 कोसी परिक्रमा मार्ग का सौन्दर्यीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, सत्तान्नबेवीं सूचना श्री राजीव कुमार की जनपद अमरोहा में स्टेडियम बनाये जाने के सम्बन्ध में है, अट्ठान्नबेवीं सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर में सड़क चौड़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, निन्यान्नबेवीं सूचना श्री गुलाम मौहम्मद की जनपद मेरठ में शुगर मिल से निकलने वाले गन्दे पानी से उत्पन्न समस्या के सम्बन्ध में है, सौवीं सूचना डॉ0 नीरज बोरा की जनपद लखनऊ में प्रस्तावित वाटर वर्क्स हेतु भूमि उपलब्ध कराने पहली सूचना श्री एक सौ एकवीं सूचना श्री रमेश चन्द्र मश्र की जनपद जौनपुर में मार्गों की मरम्मत कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ दोवीं सूचना श्री राजीव गुम्बर की जनपद सहारनपुर में सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ तीनवीं सूचना श्री सुरेश कुमार की जनपद अमेठी के ग्राम नॉदी एवं पन्ही पान्टून पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चारवीं सूचना श्री अरविन्द गिरि की जनपद लखीमपुर के विधान सभा क्षेत्र गोला गोकर्णनाथ मन्दिर के स्थान को पर्यटन स्थल घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पांचवी सूचना श्री प्रेमसागर पटेल की जनपद महाराजगंज के ब्लाक सिसवां में कराये गये कार्यों की जांच के सम्बन्ध में है, एक सौ छठवी सूचना श्री विनोद शंकर अवस्थी की जनपद लखीमपुर खीरी के क्षेत्र धौरहरा में सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ सातवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार चौधरी की जनपद बुलन्दशहर की विधान सभा वार्ड सं0-17 में स्पोर्ट्स स्टेडियम की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ आठवीं सूचना श्री रामपाल वर्मा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड कोथावां की ग्राम पंचायत काकूपुर के समीप मां कालिका देवी प्राचीन मन्दिर व पूरे परिसर के सौन्दर्यीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ नौवीं सूचना श्री मनीष रावत की जनपद सीतापुर के विकास खण्ड सिधौली के ब्लाक कसमण्डा एवं गोदलामऊ में विद्युत इन्फ्रास्ट्रक्चर के अभाव में 2007 से बन्द पड़े राजकीय नलकूपों को चालू किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ दसवीं सूचना श्री राजेश त्रिपाठी की प्रदेश में शिक्षा मित्रों का मानदेय बढ़ाने के सम्बन्ध में है, एक सौ ग्यारहवीं सूचना श्री सुभाष त्रिपाठी की जनपद बहराइच के विधान सभा क्षेत्र पयागपुर में सड़क मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बारहवीं सूचना श्री रमा शंकर सिंह की जनपद मिर्जापुर में अहरौरा नगर में परिवहन विभाग के पुराने क्षतिग्रस्त बस अड्डे को मॉडल बस अड्डा बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तेरहवीं सूचना श्री मूल चन्द्र सिंह की जनपद जालौन के अन्तर्गत एट बंगरा भीखेपुर स्टेट हाई-वे का चौड़ीकरण एवं सुदृढ़ीकरण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौदहवीं सूचना डॉ0 अवधेश सिंह की विधान सभा क्षेत्र पिण्डरा, जनपद वाराणसी में महिला महाविद्यालय खोलने के सम्बन्ध में है, एक सौ पन्द्रहवीं सूचना श्री किरत सिंह की जनपद सहारनपुर के क्षेत्र गंगोह में सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ सोलहवीं सूचना डॉ0 एम0 पी0 आर्य की जनपद बरेली के अन्तर्गत विधान सभा क्षेत्र नवाबगंज नगर में बन्द पड़ा रोडवेज बस स्टैण्ड चालू कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ

सत्रहवीं सूचना श्री राम प्रताप वर्मा की जनपद लखनऊ के पिताम्बरा विहार फेज-1 में सड़क चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठारहवीं सूचना श्रीमती अंजुला सिंह माहौर की जनपद हाथरस की विधान सभा-78 हाथरस के शंकरपुर में रोड चौड़ीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्नीसवीं सूचना श्री प्रभात कुमार वर्मा की जनपद हरदोई के विकास खण्ड बेंहदर के अन्तर्गत पंचायत हिया के ग्राम प्रधान के खिलाफ भ्रष्टाचार के सम्बन्ध में है, एक सौ बीसवीं सूचना श्री देवेन्द्र सिंह की प्रदेश सरकार के विभाग चिकित्सा एवं स्वास्थ्य, बेसिक शिक्षा विभाग व विश्वविद्यालय आदि के अधिकारीगण के खिलाफ जांच के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्कीसवीं सूचना श्री ओमकुमार की जनपद बिजनौर के विधान सभा क्षेत्र विद्युत आपूर्ति के सम्बन्ध में है, एक सौ बाइसवीं सूचना डॉ0 डी0 सी0 वर्मा की जनपद बरेली के 119, मीरगंज में क्षतिग्रस्त मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तेइसवीं सूचना श्री गौरी शंकर वर्मा (कोरी) की जनपद जालौन के विधान सभा क्षेत्र उरई के ग्राम रगौली में गोशाला की क्षमता बढ़ाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौबीसवीं सूचना श्री बम्बा लाल की जनपद उन्नाव में नवाबगंज ब्लाक में सड़क निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पच्चीसवीं सूचना डॉ0 रागिनी की जनपद जौनपुर के मछलीशहर में रपटा पुल बनवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ छब्बीसवीं सूचना श्री शशांक वर्मा की जनपद लखीमपुर के निघासन में पड़ुवा को थाने के रूप में संचालित करने के सम्बन्ध में, एक सौ सत्ताइसवीं सूचना प्रो0 श्याम बिहारी लाल की जनपद बरेली के विकास खण्ड फरीदपुर नदी की कटान की समस्या के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठाइसवीं सूचना श्री राजेन्द्र सिंह पटेल की जनद फतेहपुर लिंक रोड का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्तीसवीं सूचना श्री पूरन प्रकाश की जनपद मथुरा के भूतेश्वर बस स्टैण्ड पर फूड प्लाजा के लाइसेंस के सम्बन्ध में है, एक सौ तीसवीं सूचना श्री पंकज गुप्ता की जनपद उन्नाव के अवैध भूमि के कब्जे के सम्बन्ध में है, एक सौ इकतीसवीं सूचना श्री वीरेन्द्र सिंह लोधी की जनपद लखनऊ में सूचना के अधिकार का गलत उपयोग के सम्बन्ध में है, एक सौ बत्तीसवीं सूचना श्री मुकेश चौधरी की जनपद सहारनपुर के स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ तैंतीसवीं सूचना श्री सीताराम वर्मा की जनपद सुल्तानपुर में स्वीकृत अग्निशमन चालू कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौंतीसवीं सूचना श्री राजेश चौधरी की जनपद मथुरा के महाविद्यालय के अवैध निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पैंतीसवीं सूचना श्री राजेन्द्र कुमार की जनपद प्रतापगढ़ के सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ छत्तीसवीं सूचना श्री तेजपाल सिंह नागर की विधान भवन में कार्यरत कर्मचारियों के वेतन के सम्बन्ध में है, एक सौ सैंतीसवीं सूचना श्री वीर विक्रम सिंह की जनपद शाहजहांपुर के किसानों के फर्जी खाते के सम्बन्ध में है, एक सौ अड़तीसवीं सूचना श्री मोहन वर्मा की जनपद कुशीनगर के हाटा नगर सहकारी संघ भवन के नवीनीकरण के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्तालीसवीं सूचना श्री मनीष कुमार उर्फ मन्टू की जनपद कुशीनगर के पड़रौना में बांसी नदी को राज्य स्थल मेला घोषित किये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चालीसवीं सूचना श्री महेन्द्र नाथ यादव की जनपद बस्ती में नाले को पक्का करवाकर ढक्कन

लगाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ इकतालीसवीं सूचना श्री दीपक कुमार मिश्र ''शाका'' की जनपद देवरिया के देवरहा बाबा मन्दिर को पर्यटन केन्द्र बनाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ बयालीसवीं सूचना श्री अशरफ अली खान की पूर्वी यमुना नहर पर पटरी का निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ तैंतालीसवीं सूचना श्री मनोज कुमार पारस की जनपद बिजनौर के विकास खण्ड कोतवाली के ग्राम ज्ञानपुर से पखनपुर मार्ग की मरम्मत कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौवालीसवीं सूचना श्री चन्द्रपाल सिंह की जनपद बुलन्दशहर के ब्लाक दानपुर के मार्ग की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ पैंतालीसवीं सूचना श्री प्रदीप कुमार यादव की जनपद औरैया के गेल इण्डिया के द्वारा फर्जी कार्य के सम्बन्ध में है, एक सौ छियालीसवीं सूचना श्री रविदास मेहरोत्रा की जनपद लखनऊ के वशीरतगंज में खम्भे का कार्य पूरा कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ सैंतालीसवीं सूचना श्री वाचस्पति की जनपद लखनऊ एल्डिको ग्रीन को फ्री-होल्ड कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ अड़तालीसवीं सूचना श्री राकेश प्रताप सिंह की सिंचाई विभाग द्वारा अनुग्रह राशि दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ उन्चासवीं सूचना श्री पल्टूराम की विधान सभा क्षेत्र बलरामपुर में निर्माण कार्य पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ पचासवीं सूचना डॉ0 मन्जू शिवाच की जनपद गाजियाबाद के क्षेत्र मोदीनगर में सड़क मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ इक्यावनवीं सूचना श्रीमती जय देवी की जनपद मलिहाबाद के खण्ड सैदापुर सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ बावनवीं सूचना श्री अजय सिंह की जनपद बस्ती के विधान सभा क्षेत्र हरैया के अन्तर्गत स्टेडियम के निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ तिरपनवीं सूचना श्री राजेश कुमार गौतम की विद्युत विभाग में संविदा कर्मचारियों को न्यूनतम वेतनमान दिलाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौवनवीं सूचना श्री रामचन्द्र यादव की जनपद रुदौली के ग्राम पंचायत मीसा में गौशाला निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ पचपनवीं सूचना श्री जियाउर्रहमान की पेट्रोल-डीजल के बढ़ते दामों के सम्बन्ध में है, एक सौ छप्पनवीं सूचना श्री रमेश की जनपद जौनपुर में सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ सत्तावनवी सूचना श्री राज प्रसाद उपाध्याय की जनपद सुल्तानपुर के सदर में सड़क की मरम्मत के सम्बन्ध में है, एक सौ अट्ठावनवीं सूचना श्री रोमी साहनी की सुहेली नदी की डी स्लिटिंग एवं सफाई के सम्बन्ध में है, एक सौ उनसठवीं सूचना श्री अरमान खान की जनपद कन्नौज के छिबरामऊ नगर के बिजली विभाग में संविदा एवं ठेकेदार के कर्मचारियों द्वारा की जा रही जबरन वसूली के सम्बन्ध में है, एक सौ साठवीं सूचना श्री लक्ष्मीराज सिंह की जनपद बुलन्दहशर की विधान सभा क्षेत्र सिकन्द्राबाद विद्युत वितरण की जीर्ण-शीर्ण अवस्था के सम्बन्ध में है, एक सौ इकसठवीं सूचना डॉ0 विनोद कुमार बिन्द की जनपद मिर्जापुर पहाड़ी ब्लाक, ग्राम शिवगढ़ में निर्माणाधीन कार्य कराने के सम्बन्ध में है, एक सौ बासठवीं सूचना श्री गणेश चन्द की जनपद सन्त कबीरनगर के नाथ नगर विकास खण्ड ग्राम पंचायत चौरा में पुल निर्माण के सम्बन्ध में है, एक सौ तिरसठवीं सूचना श्री जाहीद की ग्राम पाभीपुर, पोस्ट पिण्डोरिया, जिला अम्बेडकरनगर में बी0एम0सी0 को खेत में लगवाये जाने के सम्बन्ध में है, एक सौ चौंसठवीं सूचना श्री हरिप्रकाश

वर्मा की मृतक आश्रित के रूप में नियुक्ति के सम्बन्ध में है, एक सौ पैंसठवीं सूचना श्री मनोज कुमार पाण्डेय की विधान सभा क्षेत्र ऊंचाहार में कतिपय सम्पर्क मार्गों का निर्माण कराये जाने के सम्बन्ध में है तथा एक सौ छियासठवीं सूचना श्रीमती केतकी सिंह की जनपद बलिया कोटावा के घाघरा नदी के किनारे से लेकर कटान रोपी लोधन के सम्बन्ध में है। जिस पर शासन का ध्यान आकृष्ट किया गया।

जनपद बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने विषयक श्री लक्ष्मी राज द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत सूचना पर औद्योगिक विकास मंत्री का वक्तव्य

औद्योगिक विकास मंत्री (श्री नन्द गोपाल गुप्ता 'नन्दी')-

माननीय अध्यक्ष जी, औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद लगभग 40 वर्ष पहले लगभग .....

श्री राकेश प्रताप सिंह-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[1500 एकड़ क्षेत्र में विकसित किया गया था जिसमें मूलभूत सुविधाएं तत्समय के अनुसार प्राविधानित की गई थीं। वर्तमान में लगभग पूरे औद्योगिक क्षेत्र में इकाईयां स्थापित हो चुकी हैं। औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद के समीप सिंचाई विभाग के स्वामित्व के अधीन निजामपुर नाला औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद की सीमा से लगभग 3.50 कि0मी0 दूरी पर लगा हुआ है, जिसमें औद्योगिक क्षेत्र का उत्प्रवाह जाता है। निजामपुर नाले की कुल लम्बाई 19.40 कि0मी0 है। वर्ष 2019-20 में अधिशासी अभियन्ता, ऊपरी मांट शाखा, गंगनहर खुर्जा द्वारा की गई मांग पर नाले की सफाई हेतु यूपीसीडा द्वारा रुपये 124.91 लाख की स्वीकृति प्रदान करते हुए सिंचाई विभाग को नाले की सफाई हेतु यूपीसीडा द्वारा रुपये 124.91 लाख दो चरणों में उपलब्ध कराया गया था जिसके विरुद्ध सिंचाई विभाग द्वारा निजामपुर नाले की सफाई का कार्य कराया गया था।

इसके अतिरिक्त जनपद-बुलन्दशहर के औद्योगिक क्षेत्र सिकन्दराबाद में पिछले तीन वर्षों में प्राथमिकता के आधार पर अनुरक्षण कार्यों पर निम्न धनराशि व्यय की गई है-

वर्ष 2019-20	-	रु0 82.32 लाख
वर्ष 2020-21	-	रु0 446.02 लाख
वर्ष 2021-22	-	रु0 750.00 लाख

वर्ष 2022-23 में भी रु0 300.00 लाख के अनुरक्षण के कार्य प्रस्तावित हैं।]

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

जनपद जौनपुर में कोल्ड स्टोर शुरू किये जाने के सम्बन्ध में श्री रमेश द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर सहकारिता मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, सहकारी शीतगृह खुटहन क्रय-विक्रय समिति खुटहन का....

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[इसका निर्माण 1977-78 में कराया गया था, जिसकी भण्डारण क्षमता 2000.00 मी0 टन थी। यह शीतगृह 1999-2000 तक संचालित रहा तथा शीतगृह संचालन एवं आर्थिक कमजोरी के कारण बन्द हो गया। इस शीतगृह की अंशपूंजी 0.87 लाख की है तथा बिजली विभाग का रु0 34.00 लाख बकाया है। क्रय-विक्रय सहकारी समिति खुटहन वर्तमान में हानि पर है। शीतगृह की मशीनरी एवं भवन की स्थिति अत्यन्त ही जर्जर है। मशीनरी संचालन योग्य नहीं है। वर्तमान में शीतगृह में कोई तकनीकी कर्मचारी कार्यरत नहीं है। शीतगृह के संचालन हेतु संस्था सक्षम नहीं है।

उसरहटा शीतगृह के सम्बन्ध में कार्यकारी निदेशक, पी0सी0एफ0 द्वारा अवगत कराया गया है कि पी0सी0एफ0 का उसरहटा में कोई भी शीतगृह अवस्थित नहीं है। यह शीतगृह किसी निजी पार्टी का है। पी0सी0एफ0 का शीतगृह शाहगंज तहसील के अन्तर्गत इमरानगंज में स्थित है, जो सबरहद के नजदीक है। पी0सी0एफ0 के शीतगृह का भवन सही स्थिति में है, परन्तु शीतगृह वर्ष 1993-94 से बन्द होने के कारण मशीनें खराब हो चुकी हैं, जो कि प्रयोग में नहीं लाई जा सकती हैं।

उक्त के क्रम में यह भी अवगत कराया गया है कि बन्द शीतगृहों के सम्बन्ध में दिनांक 29-07-2021 को कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई बैठक में उक्त शीतगृहों के संचालन योग्य स्थिति में न होने के सम्बन्ध में कराया गया। उक्त परिस्थितियों के दृष्टिगत शासन के पत्र संख्या-2167/49-3-2021-95/2009, दिनांक 17-08-2009 द्वारा अपर मुख्य सचिव, कृषि विभाग, उत्तर प्रदेश शासन एवं अपर मुख्य सचिव, उद्यान विभाग, उत्तर प्रदेश शासन को पत्र प्रेषित करते हुए बन्द/निष्क्रिय पड़े हुए शीतगृहों के स्थान पर सम्बन्धित समिति द्वारा कृषि अवस्थापना निधि से निर्माण कराया जा सकता है, के सम्बन्ध में सुविचारित अभिमत उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया। इस सम्बन्ध में दिनांक 01-09-2021 को विशेष सचिव, सहकारिता विभाग, उत्तर प्रदेश शासन की अध्यक्षता में एक बैठक सम्पन्न हुई, जिसमें उद्यान एवं कृषि विभाग के अधिकारियों द्वार

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

प्रतिभाग किया गया। तत्क्रम में निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने पृष्ठांकन पत्र संख्या-22जी, दिनांक 03-09-2021 द्वारा अपना अभिमत उपलब्ध कराया गया है। प्रदेश में 1927 निजी शीतगृह संचालित हैं, जिनकी भण्डारण क्षमता 160.43 लाख मी0 टन है, वर्ष 2021 में शीतगृहों में 133.01 लाख मी0 टन आलू भण्डारित हुआ, जो कुल भण्डारण क्षमता का 82.90 प्रतिशत है। प्रदेश में उपलब्ध भण्डारण क्षमता के सापेक्ष वर्तमान में कृषि उत्पादन के भण्डारण की कोई समस्या नहीं है।]

जनपद खीरी में अधूरे पुल का निर्माण पूर्ण कराये जाने के सम्बन्ध में श्री योगेश वर्मा द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर लोक निर्माण मंत्री का वक्तव्य

लोक निर्माण मंत्री (श्री जितिन प्रसाद)-

मान्यवर, जनपद खीरी के ग्राम पंचायत नौवापुर के पुल के कार्य की...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[शासनादेश संख्या-2048/23-9-2008-नाबार्ड/07टी0सी0-1, दिनांक 11-08-2008 द्वारा रुपये 346.56 लाख की प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति प्रदान की गयी।

उक्त सेतु का निर्माण दिसम्बर, 2008 में प्रारम्भ किया गया तथा सेतु कार्य वर्ष 2010 में पूर्ण कर लिया गया। सेतु के बांयी ओर (नैवापुर साइड) का पहुंच मार्ग वर्ष 2009 में तथा दांयी ओर (नकहा साइड) के पहुंच मार्ग के कार्य को वर्ष 2011 में पूर्ण कर लिया गया।

जुलाई, 2010 में शारदा नदी में आयी अप्रत्याशित बाढ़ का पानी चौका नदी की धारा में आने के कारण अतिरिक्त जलप्रवाह के फलस्वरूप सेतु के बांयी ओर (नैवापुर साइड) का 1200 मीटर पहुंच मार्ग बाढ़ में बह गया था। दिसम्बर, 2011 में शारदा नदी में आयी अप्रत्याशित बाढ़ के कारण सेतु के दांयी ओर का 300 मीटर पहुंच मार्ग बाढ़ में बह गया।

सेतु को जनोपयोगी बनाये जाने हेतु शासनादेश संख्या-1238(1)/23-09-2014 ए0आई0आर0/2014, लखनऊ, दिनांक 16 अक्टूबर 2014 द्वारा उच्च स्तरीय तकनीकी जांच समिति का गठन किया गया। जांच समिति की रिपोर्ट में यह बताया गया कि यह पुल चौका नदी के डिस्चार्ज 480 क्यूमैक के आधार पर डिजाइन किया गया था, जबकि पुल वर्तमान में शारदा नदी के कटान एवं धारा बदल लेने के कारण शारदा नदी की दूसरी शाखा पर आ गया है, जिसके कारण अब वर्षा ऋतु में इस पुल के नीचे से जल प्रवाह की मात्रा काफी बढ़ गयी है। प्रतिवर्ष नेपाल से आने वाले अप्रत्याशित जल प्रवाह के कारण शारदा नदी में अप्रत्याशित कटाव होता है तथा शारदा नदी कई किलोमीटर चौड़ाई में प्रतिवर्ष अपनी धारा बदलती रहती

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

है, जिसके कारण शारदा नदी के बेसिन में स्थित गांव के अस्तित्व पर भी संकट बना रहता है। इस प्रकार इस पुल को जनोपयोगी बनाने के लिए शारदा नदी के वर्तमान डिस्चार्ज 1250 क्यूमैक के लिए पुनः डिजाइन करना पड़ेगा। निर्मित सेतु नदियों के मुहाने पर स्थित हो गया है तथा नदियों की कटान अभी भी जारी है। अतः अतिरिक्त स्पैन बढ़ाकर भी निर्मित किया गया सेतु सुरक्षित होगा अन्यथा नहीं, इस बारे में अनुमान लगाना सम्भव नहीं है।

अतः उपरोक्त वर्णित परिस्थितियों में उक्त समिति की आख्या के अनुसार निर्मित सेतु को जनोपयोगी बनाया जाना सम्भव नहीं है।

वर्तमान में उक्त सेतु स्थल पर चौका नदी के साथ-साथ शारदा नदी भी प्रभावित हो रही है। सम्मिलित जल प्रवाह के आधार पर उक्त स्थान पर 210 मी0 लम्बाई के नवीन सेतु के निर्माण की स्वीकृति वित्तीय संसाधनों की उपलब्धता पर निर्भर है।]

दृष्टान्त पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध कार्रवाई कराये जाने के सम्बन्ध में श्री रामखिलाड़ी सिंह द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर मुख्य मंत्री का वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, नियम-51 के अन्तर्गत मा0 सदस्य द्वारा 'दृष्टान्त' पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध कार्यवाही कराये...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[जाने के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका सम्पादक द्वारा आपत्तिजनक, असत्य, आधारहीन एवं भ्रामक खबरें प्रकाशित करने के सम्बन्ध में विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) द्वारा जांच के उपरान्त जांच आख्या उपलब्ध करायी गयी। जांच आख्या के अनुसार-जांच के मध्य संकलित मौखिक एवं अभिलेखीय साक्ष्यों के साक्ष्य विश्लेषण के आधार पर प्राप्त किये गये निष्कर्ष के फलस्वरूप विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) द्वारा निम्नलिखित संस्तुति की गयी है :-

श्री अनूप गुप्ता सम्पादक-'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका द्वारा मा0 मंत्री श्री सतीश महाना एवं गणमान्य व्यक्तियों के विरुद्ध अनैतिक, तथ्यहीन आरोप लगाकर लिखे गये लेखों से विधि द्वारा स्थापित सरकार के प्रति घृणा, अवमानना पैदा किया गया है। अपने लेख व इलेक्ट्रानिक माध्यमों से मा0 मंत्री व अन्य गणमान्य के विरुद्ध सुनियोजित तरीके से असत्य लेख प्रकाशित कर अपहानि करते हुए सरकार की छवि धूमिल की गयी है तथा व्यक्तिगत रूप से मा0 मंत्री श्री सतीश महाना की ख्याति को क्षति पहुंचायी गयी है। 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

पत्रिका के सम्पादक श्री अनूप गुप्ता द्वारा पत्रकार के नैतिक दायित्वों का निर्वहन व पी0आर0बी0 एक्ट की धारा-19(घ) व 19(च) का पालन न करने के कारण एवं मा0 मंत्री श्री सतीश महाना की ख्याति को क्षति पहुंचाने का कारित कृत्य तथा आपत्तिजनक सूचनाओं को इलेक्ट्रानिक माध्यमों से प्रचारित-प्रसारित कर अपहानि के लिये इसके विरुद्ध-292 एवं 420/भा0द0वि0 व धारा-66डी सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम, 2000 में अभियोग पंजीकृत कर गहन विवेचना किये जाने की संस्तुति की गयी है।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका का रजिस्ट्रेशन निरस्त किये जाने की संस्तुति की गयी।

सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ द्वारा 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका की सूचीबद्ध की सत्यता/वैधता की जांच किये बिना सरकारी सजावटी विज्ञापन हेतु सरकारी धन रुपये 307793.18 का आवंटन कर राजकीय धन की हानि की गयी है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका के प्रकाशन की प्रति व उसमें प्रकाशित विषय वस्तु पर किसी प्रकार की निगरानी नहीं की गयी है। विभाग द्वारा की गयी राजकीय धन की हानि एवं प्रकाशित विषय वस्तु पर किसी प्रकार की निगरानी न किये जाने के सम्बन्ध में विभागीय जांच की संस्तुति की गयी।

उपरोक्त के क्रम में अवगत कराना है कि प्रकरण में पुलिस अधीक्षक विशेष अनुसंधान दल, उ0प्र0, लखनऊ के पत्र दिनांक 22-09-2021 में जो कि विशेष सचिव गृह पुलिस अनुभाग-3, उ0प्र0 शासन को सम्बोधित है, जिसमें उल्लिखित है कि 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका के सम्पादक के विरुद्ध थाना हजरतगंज, जनपद लखनऊ में पंजीकृत मुकदमों का विवरण निम्नवत् है :-

(1) मु0अ0सं0-492/2015 धारा-469, भा0द0वि0 व 66डी सूचना प्रौद्योगिकी संशोधन अधिनियम-2000 पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र संख्या-01 दिनांक 29-09-2017 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(2) मु0अ0सं0-503/2015 धारा-420 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर विवेचनोपरान्त आरोप-पत्र संख्या-02 दिनांक 26-02-2020 को मा0 न्यायायालय में प्रेषित किया गया है।

(3) मु0अ0सं0-403/2015 धारा-463 भा0द0वि0 बनाम अज्ञात पंजीकृत होकर रिपोर्ट संख्या-01 दिनांक 29-07-2017 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

(4) मु0अ0सं0-214/2018 धारा-419/420/467/468/471 भा0द0वि0 पंजीकृत होकर अन्तिम रिपोर्ट संख्या-01 दिनांक 04-06-2018 को मा0 न्यायालय में प्रेषित किया गया है।

यह भी उल्लेखनीय है कि विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) की संस्तुति के क्रम में गृह विभाग से अभियोग पंजीकृत कर अग्रेतर कार्यवाही किये जाने की कार्यवाही गृह विभाग में प्रचलित है।

'दृष्टान्त' पत्रिका को किसी भी प्रकार के प्रचार-प्रसार हेतु विज्ञापन इत्यादि न दिये जाने के सम्बन्ध में समस्त अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सचिव एवं समस्त विभागाध्यक्षों को शासनादेश संख्या-152/उन्नीस-1-2021-264/17, दिनांक 28 जनवरी, 2021 द्वारा निर्देश दे दिये गये हैं। इसी के साथ शासन के आदेश दिनांक 151/उन्नीस-1-2021-264/17, दिनांक 28-01-2021 द्वारा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को यह निर्देश निर्गत किये गये कि सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ एवं जिलाधिकारी, लखनऊ के माध्यम से 'दृष्टान्त' पत्रिका का रजिस्ट्रेशन निरस्त कर दिया जाये।

विशेष अनुसंधान दल (एस0आई0टी0) की आख्या के अनुसार 'दृष्टान्त' हिन्दी मासिक पत्रिका की सूचीबद्धता की सत्यता/वैधता की जांच किये बिना सरकारी सजावटी विज्ञापन हेतु सरकारी धन रुपये 307739.18 लाख का आवंटन कर राजीकय धन की हानि की गयी है। सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग द्वारा पत्रिका 'दृष्टान्त' के प्रकाशन की प्रति व उसमें प्रकाशित विषय वस्तु पर किसी प्रकार की निगरानी नहीं की गयी है। विभाग द्वारा की गयी राजकीय धन की हानि एवं प्रकाशित विषयवस्तु पर किसी प्रकार की निगरानी न किये जाने के सम्बन्ध में शासन के आदेश दिनांक 151/उन्नीस-1-2021-264/17, दिनांक 28-01-2021 द्वारा निदेशक सूचना एवं जनसम्पर्क विभाग, उ0प्र0, लखनऊ को विभागीय जांच कराये जाने की कार्यवाही किये जाने के निर्देश दिये गये हैं। निदेशक, सूचना एवं जनसम्पर्क स्तर पर कार्यवाही प्रचलित है।]

जनपद देवरिया में विद्युत सप्लाई न मिल पाने से उत्पन्न परिस्थिति के सम्बन्ध में श्री जय प्रकाश निषाद द्वारा नियम-51 के अन्तर्गत दी गई सूचना पर ऊर्जा मंत्री का केवल वक्तव्य

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मान्यवर, वर्तमान में ग्राम मिश्रौलिया, लालपुर, सतुआभार, गाजीपुर भैंसही, कुरैती इत्यादि गांव की विद्युत आपूर्ति...

श्री लाल जी वर्मा-

मान्यवर, इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाये।

श्री अध्यक्ष-

ठीक है, इसे पढ़ा हुआ माना जाता है।

[33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र रुद्रपुर से निर्गत 11 के0वी0 नार्थ फीडर से की जा रही है। ग्राम मिश्रौलिया, लालपुर, सतुआभार, गाजीपुर, भैंसही, कुरैती इत्यादि गांव में विद्युत आपूर्ति सप्लाई सुनिश्चित किये जाने हेतु नये 33/11 के0वी0 विद्युत उपकेन्द्र सूरजपुर (1x5 एम0वी0ए0) का निर्माण किया जा रहा है, जिसका कार्य प्रगति पर है तथा इसके आगामी

नोट :-[ ] यह अंश पढ़ा हुआ माना गया।

03 माह में ऊर्जीकृत होने की सम्भावना है, तत्पश्चात् उपरोक्त ग्राम सभाओं को इस उपकेन्द्र के नये 11 के0वी0 पोषक से गुणवत्तापूर्ण विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित किया जाना सम्भव है।]

सदन संचालन में सहयोग हेतु आभार

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

माननीय अध्यक्ष जी, हमारे सुरक्षा कर्मचारियों ने और विधान सभा के कर्मचारियों ने परम्परागत तरीके से जो मांग रखी है, जितना पुलिस का पौष्टिक आहार भत्ता बढ़ाया गया है, उसी अनुपात में इन सुरक्षा कर्मियों का भत्ता बढ़ाने के लिए मा0 नेता सदन ने घोषणा की है।

माननीय अध्यक्ष जी, खास तौर से विधान सभा के जो यहां पर अधिकारी एवं कर्मचारी हैं, उनके लिए भी एक हजार रुपये बढ़ाने के लिए मैं नेता सदन की ओर से घोषणा करता हूँ।

मुख्य मंत्री (श्री योगी आदित्यनाथ)-

माननीय अध्यक्ष जी, नई सरकार के गठन होने के साथ यह पहला सत्र यहां पर पूरी गरिमा और गौरव के साथ सम्पन्न हो रहा है और बजट सत्र में सत्ता पक्ष और विपक्ष के सभी माननीय सदस्यों ने जिस रुचि के साथ सदन की कार्यवाही में भाग लेकर लोकतंत्र की गरिमा को बढ़ाया है वह अत्यन्त अभिनन्दनीय है। मैं इसके लिए नेता प्रतिपक्ष, सभी दलीय नेताओं के साथ-साथ सभी माननीय सदस्यों का हृदय से अभिनन्दन करता हूँ और उन्हें हृदय से इस सफल कार्यवाही के लिए बधाई भी देता हूँ। सदन की कार्यवाही आठ दिन तक चली लेकिन देर रात्रि तक सदन की कार्यवाही का चलना यहां पर लंच ब्रेक नहीं होता है जब एक बार ग्यारह बजे सदन प्रारम्भ होता है तो देर रात्रि तक चलता है और कुछ माननीय सदस्य ऐसे थे जो ग्यारह बजे से ले करके देर रात्रि तक सदन के अन्दर बैठकर पूरी कार्यवाही का हिस्सा बने हैं। मैं विशेष रूप से उन सभी सदस्यों का हृदय से अभिनन्दन करूंगा जो पहली बार चुनकर आये हैं और उन्होंने कार्यवाही का हिस्सा बनकर उन्होंने इस कार्यवाही में भाग लिया है।

मैं धन्यवाद दूंगा उन सभी सदस्यों का जिन्होंने महामहिम राज्यपाल जी के अभिभाषण पर भी पूरी चर्चा में भाग लिया। आपने सुझाव भी दिये और साथ-साथ उस चर्चा को एक बहुत मजबूती भी प्रदान की। इसी प्रकार से हमारे वरिष्ठ सदस्य थे जिनके पास एक लम्बा अनुभव विधायी कार्यों का है। संसदीय गरिमा के अनुरूप जिन्होंने अपनी बात को यहां पर रखा जिससे सदन की कार्यवाही लम्बे समय तक चली और अधिक से अधिक माननीय सदस्य इस पूरी प्रक्रिया का हिस्सा बने हैं। अपने मुद्दों को भी रखे हैं। चर्चा-परिचर्चा का हिस्सा भी बने हैं और आज आठ दिन के इस बजट सत्र की कार्यवाही को अभी हम लोग वर्षा कालीन सत्र में फिर से मिलेंगे ही लेकिन इस सत्र में अपने विधायी कार्यों के साथ-साथ बजट को पास करने की प्रक्रिया आज सम्पन्न हो रही है। मैं इसके लिए सभी माननीय सदस्यों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। खास तौर पर खास तौर पर नेता प्रतिपक्ष को मुझे लगता है कि पहली बार वह इतनी देर तक सदन में बैठे होंगे। लेकिन अच्छा है और सदन में बैठने के साथ-साथ यहां पर उनके

अनुभवों का लाभ के सभी माननीय सदस्यों ने लिये। ऐसे ही हमारे सभी दलीय नेताओं और वरिष्ठ सदस्यों के अनुभवों का लाभ भी सभी पक्षों के सदस्यों को लेने का अवसर प्राप्त हुआ है। परम्पराएं ऐसे ही चलती हैं। सब कुछ पुस्तकीय ज्ञान से ही प्राप्त नहीं होता है। हम अपने वरिष्ठों को देख करके, उनसे सीख करके ज्ञान की परम्परा को आगे बढ़ाते हैं और भारतीय परम्परा तो इसी परम्परा के साथ जुड़ी होती है। आज जब बजट सत्र का यह समापन है तो मुझे लगता है कि बहुत सारे लोग सच बोलने के आदी होते हैं, लेकिन उसको करने के आदी नहीं होते। बहुत सारे लोग सच बोल भी सकते हैं और कर भी सकते हैं और कुछ लोगों को न सत्य बोलने की आदत होती है और न ही करने की आदत होती है, लेकिन उन सबसे लग हट करके सरकार पूरी मजबूती के साथ 25 करोड़ जनता के हितों के लिए कार्य करने के हेतु पूरी प्रतिबद्धता के साथ आगे बढ़ेगी। मा0 सदस्यों की विधान सभा की निधि के बारे में जो इच्छा है तो हम लोग सभी मा0 सदस्यों के लिए इस निधि को 05 करोड़ रुपये करने की घोषणा भी इस बजट सत्र में करते हैं। (सदन में मेजों की थपथपाहट) मैं एक बार फिर से सभी सदस्यों को इस पूरी कार्यवाही का हिस्सा बनने के लिये हृदय से धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

मा0 नेता प्रतिपक्ष।

(इस मध्य एक सदस्य द्वारा अपने स्थान पर खड़े होकर कुछ बोलने का प्रयास करने पर)

श्री अध्यक्ष-

मा0 सदस्य आपका काम हो गया है। आप बैठ जाइये। मा0 मुख्य मंत्री जी ने घोषणा कर दी है। प्लीज, आप बैठ जाइये। आपको अनुमति नहीं है।

नेता विरोधी दल (श्री अखिलेश यादव)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ। इसके साथ-साथ मा0 नेता सदन ने जो बातें रखीं उसके साथ मैं अपने को जोड़ते हुए विधान सभा से जुड़े हुए सभी अधिकारियों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद दूंगा, क्योंकि बिना उनके विधान सभा का सत्र इतनी अच्छी तरह चल पाना सम्भव नहीं था। मैं सभी मा0 सदस्यों को भी बधाई देता हूँ कि उनका यह पहला सत्र था और पहले ही बजट सत्र में हमें और आप सबको मिलने का मौका मिला।

श्री अध्यक्ष-

सभी मा0 सदस्य कृपया आपस में बात न करें, शान्त हो जायें। आखिरी का समय बहुत महत्वपूर्ण समय होता है।

श्री अखिलेश यादव-

मा0 अध्यक्ष महोदय, अभी तक हम लोग दूर-दूर से देखते थे। कभी तस्वीरों में देखते थे, लेकिन इस सदन में आ करके हम आमने-सामने, एक-दूसरे को देख रहे हैं। हम सब

जनता के द्वारा चुने हुए लोग यहां पर बैठे हैं और हम सब लोगों का एक ही लक्ष्य है कि उत्तर प्रदेश आगे बढ़े और उत्तर प्रदेश तरक्की के रास्ते पर जाये। मैं जब वहां पर बैठता था तो मैं यह कहता था कि जब तक यू0पी0 के आंकड़े बेहतर नहीं होंगे तब तक देश के आंकड़े बेहतर नहीं हो सकते। इसलिए जनता ने जब बहुमत देकर आपको यहां बैठाया है वहीं जनता ने हमें विपक्ष में बैठ करके सवाल पूछने के लिए बहुमत दिया है। आपकी जिम्मेदारी बजट बनाने की है तो वहीं हम विपक्ष के लोगों को आपके बजट पर सवाल खड़े करने के लिए जनता ने मौका दिया है। यही लोकतंत्र है। यही डेमोक्रेसी है। यही परम्पराएं हैं। यहां पर बहुत सारी परम्पराएं बनी हैं और यही स्वस्थ लोकतंत्र है जिसमें हम आपकी बात सुन रहे हैं और आप हमारी बात सुन रहे हैं। कभी-कभी कड़वाहट भी आती है और कड़वाहट आनी भी चाहिए। वह इंसान नहीं, जिसके अन्दर कड़वाहट न आती हो, क्योंकि जो कड़वाहट बाहर ले आते हैं कम से कम उनके मन साफ होते हैं। इसलिए अगर इस सदन में कड़वाहट देखने को मिली तो वह इसलिए देखने को मिली कि यहां पर बैठे हुए हम लोगों का मन कहीं न कहीं बिलकुल साफ है, क्योंकि हमारे पास बजट ही नहीं है। बजट का बंटवारा उधर है और देखिये कि बजट को बांटते-बांटते कैसे बंट गये। विभाग बंट गये। जो अच्छा विभाग था वह खराब हो गया। यही लोकतंत्र है और लोकतंत्र का कमाल देखिये कि जो लोग हार गये वह जीत करके फिर बन गये। (सदन में हंसी) और मुझे अच्छा लगा क्योंकि मैंने पहले कभी नेता सदन से कविता नहीं सुनी, मैं हमेशा दूसरे तरीके से समझता था, लेकिन मुझे अच्छा लगा कि हमारे पड़ोस में रहने वाले के पास इतनी कविताओं का भण्डार है।

ये सत्र तो छोटा था इसलिए कम कवितायें पढ़ पाये। मुझे उम्मीद है कि अगली बार जब सत्र होगा तो और कवितायें हमें सुनने को मिलेंगी और वह सत्र न केवल कुछ दिनों का होगा बल्कि बहुत लम्बा होगा। मैं दो लाईनें जरूर पढ़ दूं वैसे ये काम मैं बहुत कम करता हूँ लेकिन क्या करूं मा0 वित्त मंत्री जी अपने बजट में भी शेरो-शायरी लिख कर लाये थे। 'आंखों को भी वही मंजर अच्छे लगते हैं जो दिल को अच्छे लगते हैं, इसलिए दिल साफ रखिये जिन्दगी का हर मंजर खूबसूरत लगने लगेगा।' मैं नेता सदन को धन्यवाद देता हूँ क्योंकि बहत सारे सदस्य चाहते थे कि उनकी निधि बढ़ जाये, और देखिये आपने सबकी मन की सुन ली। हम लोगों ने मांगा हो या न मांगा हो, लेकिन हमारे कई सदस्यों की मन की बात आपने सुन ली (सदन में हंसी) और बहुजन समाज पार्टी के नेता की तरफ से प्रस्ताव आया तो पैसे से तो बहुत लगाव है आपको, और देखिये आपकी बात नेता सदन ने मान ली। मैं इसके लिए बहुत बधाई देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ।

लोकतंत्र की यही खूबसूरती है कि कुछ बातें ऐसी कही जाती हैं जिसका मतलब कुछ और होता है। मैं सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ, बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ। जो पहली बार चुन कर आये हैं मैं उनको शुभकामनायें देता हूँ कि जिस तरीके से और लोग जीते हैं वह लोग भी बार-बार जीत कर आयें और यहां सीखें, उनको पांच साल सीखने का मौका मिलेगा उत्तर प्रदेश की पूरी जानकारी उनको यहां पर मिलेगी। क्योंकि जब बहस होती है, हम

सवाल करते हैं तो सवाल इसीलिए करते हैं क्योंकि उस प्रोजेक्ट को हम जानते हैं, उस प्रोजेक्ट को हम समझते हैं इसीलिए हम सवाल करते हैं क्योंकि गोबर को उतना मैंने नहीं समझा जितना नेता सदन ने समझ लिया है। लेकिन नेता सदन मैं आपसे सीख कर जा रहा हूँ अब मैं गोबर पर रिसर्च करूंगा। हालांकि रिसर्च की कापी मुझे बी0जे0पी0 से मांग लेनी चाहिए। इसलिए कि गोबर की बात तो आपने कह दी, गाय की बात आपने कह दी लेकिन इत्र का ख्याल आप जरूर रखें, मैं सदस्यों को जहां किताब भिजवा रहा था वहीं मैं सभी सदस्यों को कन्नौज का इत्र भी भिजवाने का काम करूंगा। वहीं मैं विधान सभा सचिवालय के अधिकारी एवं कर्मचारी जो सुबह जल्दी आकर रात में देर रात काम करते हैं और उन्हें कई बार कई परिस्थितियों में काम करना पड़ता है, कई वर्षों से मा0 मुख्य मंत्री जी द्वारा प्रत्येक बजट में इन अधिकारियों एवं कर्मचारियों का मानदेय बढ़ाया जाता है। मेरा आपसे अनुरोध है कि पूर्व की भांति इस बार भी विधान सभा के अधिकारियों एवं कर्मचारियों को कम से कम 15 हजार रुपये का मानदेय देने का कष्ट करें। मैं इन्हीं शब्दों के साथ अच्छा सदन चलाने के लिए मा0 अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ, ये आपका भी पहला सत्र था और हमारा भी पहला सत्र था, आप ज्यादा बैठे, मैं कम बैठा। सभी सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई, बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री अजय कुमार-

मा0 अध्यक्ष जी, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष ने जो बातें रखी हैं उनसे मैं अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ आरे सबसे पहले मैं आपका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि आपका जो लम्बा संसदीय अनुभव और आपकी वाकपटुता है, आपने सदन का कुशल संचालन किया है उसके लिए मैं आपको बारम्बार बधाई देता हूँ।

मान्यवर, मैं मंत्रिमण्डल के साथियों का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि प्रतिपक्ष ने जो उनसे सवाल किये, यथासम्भव उन्होंने उसका जवाब देने का प्रयास किया। कई जगह परेशानी हुई परन्तु फिर भी उन्होंने आश्वासन दिया कि उनको दिखवा लेंगे। मैं नेता सदन का खास तौर पर आभार व्यक्त करना चाहूंगा। उन्होंने बजट चर्चा में जिक्र किया था कि भारत एक कृषि प्रधान देश है। मुझे बड़ी प्रसन्नता हुई क्योंकि यह सवाल मेरे मन में बहुत देर से घूम रहा था। मैं नेता सदन को आगाह करना चाहता हूँ कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जो वित्त मंत्री भी हैं। कृषि का जो बजट प्रदेश में आवंटित हुआ है वह हमारे 30 राज्यों के एवरेज में पिछले साल के सापेक्ष 2.8 प्रतिशत ही है। जबकि उन राज्यों का कृषि व्यय 6.2 प्रतिशत है। उत्तर प्रदेश का कृषि व्यय उसका आधा भी नहीं है।

श्री अध्यक्ष-

माननीय सदस्य यह समापन है। इसे रिवाइन्ड मत करिये, फारवर्ड करिये।

श्री अजय कुमार-

मान्यवर, इसलिए मैं उनका आभार प्रकट करना चाहूंगा कि इसके लिए माननीय नेता सदन वित्त मंत्री जी से बात कर लें। मुझे खुशी है कि भारत कृषि प्रधान देश है। मैं नेता सदन

के साथ नेता प्रतिपक्ष का भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि उन्होंने सरकार का मार्गदर्शन करने के साथ-साथ चुटकीले अन्दाज में ध्यान आकृष्ट करने का प्रयास किया उसके लिए नेता प्रतिपक्ष भी धन्यवाद के पात्र हैं। मैं सभी दलीय नेताओं का भी आभार प्रकट करता हूँ तथा एक बात कहना चाहता हूँ कि यह सदन 23 मई, 2022 से 31 मई, 2022 तक चला। यह समय थोड़ा छोटा रहा। सदन इससे ज्यादा चलना चाहिए क्योंकि जनता के सभी मुद्दे नहीं आ पाते। सरकार के पास तो बहुत से दूसरे मौके होते हैं, मंत्रिमण्डल है आदि। लेकिन विपक्ष के पास सिर्फ और सिर्फ सदन ही ऐसे माध्यम है जिसमें वह जनता की बात कर सकता है। अन्त में मैं सभी कर्मचारियों, अधिकारियों का, जिनका इस कुशल संचालन में सहयोग रहा है। जिनके बिना यह सारा काम अधूरा है। ये सवेरे से शाम तक लगे रहते हैं। मैं प्रमुख सचिव, विधान सभा सहित जितने हमारे रिपोर्टर बैठे हैं। जो हमारे पल-पल की गतिविधियों को तथा हम जो बोलते हैं उसे लिखकर कार्यवाही का हिस्सा बनाते हैं, मैं उनका भी आभार व्यक्त करना चाहूंगा। मैं उन सभी साथियों का आभार व्यक्त करना चाहूंगा जो पहली बार सदन में चुनकर आये और उन्होंने सार्थक चर्चा की, उसके लिए वे बारम्बार बधाई के पात्र हैं। अन्त में मैं सभी का धन्यवाद करते हुए आपका पुनः आभार प्रकट करना चाहूंगा। बहुत-बहुत धन्यवाद।

मत्स्य मंत्री (श्री संजय निषाद)-

माननीय अध्यक्ष महोदय, नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष एवं सभी माननीय सदस्यों ने जिस तरीके से आठ दिनों में चर्चा की है, मैं उनको बधाई देता हूँ तथा धन्यवाद देता हूँ। चूंकि मैं इस सदन में पहली बार आया हूँ बहुत कुछ सीखने को मिला। शिक्षार्थी बनकर आपका सानिध्य, आपके दिशा-निर्देश को प्राप्त किया। हम लोग यह सब कभी फोटो में या टी0वी0 चैनल पर देखा करते थे। जो चुन कर आये हैं, उन माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। जनता के हितों की रक्षा के लिए। मैं बधाई देता हूँ कि जिस तरीके से सदन को आपने संचालित किया है। मैं अपनी पार्टी व अपनी सरकार को धन्यवाद दूंगा जिस तरीके से सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास बजट में इन पंक्तियों का समावेश किया गया है और विपक्ष ने भी सही तरह से सहयोग किया है। बहुजन समाज पार्टी के नेता जी ने एक आवाज उठाई और अन्तिम क्षण में हमारे यशस्वी मुख्य मंत्री योगी आदित्यनाथ जी ने उस को पास कर दिया। पक्ष और विपक्ष ने भी उसमें साथ दिया। मैं मा0 अध्यक्ष जी का आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने मुझे सदन में बोलने का मौका दिया। धन्यवाद।

श्री ओमप्रकाश राजभर-

मा0 अध्यक्ष जी, मा0 नेता सदन, मा0 नेता प्रतिपक्ष, मा0 नेता निषाद पार्टी अन्य सभी पार्टियों के नेता व सभी अधिकारीगण व कर्मचारीगण मैं मा0 मुख्य मंत्री जी का भी आभार व्यक्त करता हूँ कि इन्होंने पूरे सदन के सदस्यों की आधी बात तो मान ली लेकिन आधी रह गयी है या तो हम सुन नहीं पाये या सदस्यगण सुना नहीं पाये। हमारे मा0 सदस्यों ने 100 रि-बोर और 100 हैण्डपम्प की बात कही थी तो उसको हमारे वित्त मंत्री जी ने बहका दिया। यह जरूरी है जब तक योजना लागू नहीं हो जाती है तब तक सभी सदस्यों की मांग इस

योजना को लेकर के रहेगी कि यह योजना लागू हो। यह सभी सदस्य चाहते हैं। मैं सभी सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ। धन्यवाद।

प्राविधिक शिक्षा मंत्री (श्री आशीष पटेल)-

मा0 अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मैं विधान सभा में आज पहली बार बोलने जा रहा हूँ। मैं अपनी पार्टी अपना दल (एस) की ओर से सबसे पहले नेता सदन, नेता प्रतिपक्ष और सभी दलीय नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि इतनी सुन्दर परिचर्चा करायी है। पहले दिन माननीय राज्यपाल महोदया के अभिभाषण पर यहां का माहौल देखा तो लगा कि आगे बहुत अच्छा नहीं रहेगा लेकिन बीच में हमारे वित्त मंत्री जी ने अपनी पोटली निकाल कर शेरो-शायरी शुरू की तो नेता प्रतिपक्ष भी उसी अदा पर आ गये। मैं अपनी पार्टी की तरफ से सभी सदस्यों को इस सदन से कुछ सीखने की ही उम्मीद करता हूँ और अपने क्षेत्र में जनता के बीच जायेंगे तो यहां की परिचर्चा के बारे में बतायें कि कितने सुन्दर वातावरण में यहां पर चर्चा हुई है। मैं अपनी पार्टी की ओर से पुनः सभी को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। मैं मा0 अध्यक्ष जी को धन्यवाद देता हूँ कि मा0 अध्यक्ष जी ने नये प्रयोग किये चाहे मोबाइल फोन को जब्त करने का हो या 600 से ज्यादा याचिकाएं एक ही दिन में स्वीकार करने का हो। इसके लिए भी आपको विशेष रूप से धन्यवाद देता हूँ और सदस्यों को जन्म दिन की बधाई की जो आपने शुरुआत की है और कल अध्यक्ष जी ने एक और अच्छा प्रयोग किया 16 जो नये डॉक्टर आये हैं उनको भोज भी कराया। आगे हम उम्मीद करते हैं कि इंजीनियर्स सहित सभी को आप भोज देंगे। यही उम्मीद करते हुए पुनः सबको धन्यवाद देता हूँ।

श्री अध्यक्ष-

माननीय नेता, कांग्रेस सदन में उपस्थित नहीं हैं। अब जनसत्ता दल लोकतांत्रिक से माननीय श्री रघुराज प्रताप सिंह बोलेंगे।

श्री रघुराज प्रताप सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, माननीय नेता सदन, माननीय नेता प्रतिपक्ष, सभी सम्मानित दलीय नेता, हम सभी लोग जब सत्रावसान के बाद लौटकर अपने क्षेत्र में जाते हैं तो जिस जनता ने हमको इस सम्मानित सदन में भेजा है उनकी बड़ी उम्मीदें रहती हैं और बड़ी अपेक्षायें रहती हैं। इसीलिये हम लोग उनी मांगों को यहां पर लगातार उठाते रहते हैं। सभी दल के नेताओं ने दलीय नेताओं की बैठक में आदरणीय नेता सदन माननीय मुख्य मंत्री जी के सामने अभी यह मांग रखी थी। पिछले कई वर्षों को देखें तो महंगाई की दरें बढ़ी हैं। सीमेन्ट हो, गिट्टी हो, बालू हो, निर्माण कराने में जो धन व्यय होता है, उसमें कई गुना की बढ़ोत्तरी हुई है। नई विधान सभा का यह पहला सत्र है। हमें नये आदरणीय अध्यक्ष मिले हैं, आदरणीय नेता सदन भी इस सदन के पहली बार सदस्य बने हैं, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष भी इस सदन के पहली बार सदस्य बने हैं और बड़े ही अच्छे वातावरण और माहौल में हम लोग अपनी झोली भरकर अपने-अपने क्षेत्रों में जा रहे हैं। यह बहुत ही सराहनीय है। मैं इस सदन के सभी विधायकों की

ओर से और सभी दलों के नेताओं की ओर से आदरणीय नेता सदन का आभार व्यक्त करना चाहूंगा। जिन माननीय सदस्यों ने मांग नहीं की जैसा कि माननीय नेता प्रतिपक्ष जी ने कहा तो बिना मांग किये कोई चीज मिल जाना तो और बड़ी बात होती है। सभी सदस्यों के लिए यह बहुत हर्ष का विषय है। हम सभी सदस्यों के क्षेत्रवासियों की तरफ से भी आपको आभार। हम सबकी तरफ से विधान सभा के प्रमुख सचिव और सभी अधिकारीगणों और कर्मचारियों को भी धन्यवाद क्योंकि आप लोगों की मेहनत और लगन के कारण ही यह सदन सुचारु ढंग से चल पाता है। आपके भत्ते में जो इजाफा हुआ है और बढ़ोत्तरी हुई है उसके लिए आपको भी शुभकामनायें। हम इन्हीं शब्दों के साथ एक बार पुनः आदरणीय अध्यक्ष जी को, आदरणीय नेता सदन को और सभी दलीय नेताओं का पुनः आभार व्यक्त करते हैं। बहुत-बहुत धन्यवाद।

श्री उमाशंकर सिंह-

माननीय अध्यक्ष जी, मैं आदरणीय नेता सदन, आदरणीय नेता प्रतिपक्ष और हमसे पहले अन्य जितने दलीय नेताओं ने अपनी बात रखी मैं उससे अपने आपको सम्बद्ध करता हूँ। माननीय अध्यक्ष जी, बहुत दिनों के बाद यह देखने को मिला है। हालांकि यह तो विदित है कि हमेशा उस चेयर पर कोई न कोई विद्वतजन ही विराजमान होते हैं। अगर हम पिछले सभी बजट का आंकड़ा निकाले तो लम्बा बजट सत्र भी चलाकर उतने माननीय सदस्यों का पार्टीसिपेशन नहीं हो पाता था जितना आपने कम दिनों में माननीय सदस्यों का पार्टीसिपेशन कराया है। हम लोग काफी दिनों से बजट सत्र देख रहे हैं, लेकिन यह पहली बार देखने को मिला है। इससे पहले देखने में यह भी आता था कि जब पांचवें या छठें नम्बर के तारांकित प्रश्नों पर चर्चा होती थी और जिन माननीय सदस्यों के प्रश्न नवें, दसवें या बारहवें नम्बर पर निर्धारित होते थे तो वह माननीय पीठ से आग्रह करने लगते थे कि माननीय अध्यक्ष जी थोड़ा जल्दी बढ़िये और ज्यादा सप्लीमेण्ट्री मत करने दीजिये ताकि हमारे प्रश्नों का भी नम्बर आ जाये। माननीय अध्यक्ष जी, लेकिन आप धन्य हैं कि आपने प्रत्येक दिन कार्य-सूची के सभी तारांकित प्रश्नों को उत्तरित कराया। माननीय अध्यक्ष जी, कभी-कभी सप्लीमेण्ट्री करने में हम लोगों को आपने अवसर ना दिया हो और हम लोगों से कुछ ऐसी बात निकल गई हो तो हम उसके लिए क्षमा चाहेंगे। हमारे माननीय मंत्रीगण भी जब प्रश्नों का जवाब देते हैं तो उस समय हम लोग उम्मीद करते हैं कि माननीय मंत्री जी नहीं कह रहे हैं कि माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ही कोई आश्वासन दे दें तो अगर हम लोगों की बात से कहीं ऐसा लगा हो तो क्षमा चाहेंगे। मुझे लगता है कि नेता प्रतिपक्ष जी 2022 के इलेक्शन में जो प्रचार किये हैं। उससे यह अभी उबर नहीं पाये हैं। पूरे 2022 के इलेक्शन में हर सभा में हर सभा में यही कहते आ रहे हैं कि बसपा-भाजपा मिली हुई है। जो बसपा चाहती है, भाजपा कर देती है। यहां भी हमने सारे सदस्यों के लिए बात रखी, जो काम नेता प्रतिपक्ष महोदय को करना चाहिए हम सदस्यों के लिए जो मांग थी, यह इधर से चाहे उधर से, आपने कहा कि जो मांगें हैं, नेता सदन सुने हैं तो कर ही देंगे। लेकिन आपको नहीं पता है कि सबसे ज्यादा हम इधर से खोदे जा रहे थे (सदन में हंसी)। जैसे ही मैं खड़ा हुआ हूँ तो सबसे पहले आप ही कहे हैं कि जो आगे वाला बचा है

मांग लो। अभी हम लोग कई ऐसे अवसरों पर बैठेंगे। दलीय नेता के रूप में बैठेंगे। मा0 नेता सदन भी रहेंगे। मा0 वित्त मंत्री जी भी रहेंगे। कुछ अकेले में भी मांग लिया जायेगा तो ज्यादा बेहतर होगा।

इसलिए मैं पुनः प्रमुख सचिव, विधान सभा को और उनके जो अधिकारी, कर्मचारी वर्ग हैं मैं उन सभी के प्रति आभार प्रकट करूंगा कि आप सभी लोगों ने मिलकर बहुत दिनों बाद बहुत अच्छे से सदन चलाया है। लेकिन सदन चलेगा कि नहीं चलेगा यह इधर वाले ही तय करते हैं। इसलिए सदन चलाने में जो विपक्ष ने साथ दिया है। हमारे कांग्रेस वाले सदस्य नहीं हैं। इस बार वह कांग्रेस वाले साथी जीतकर नहीं आये हैं। लेकिन जैसे ही सदन शुरू होता था एक पन्ना उठाते थे वहीं पर चले आते थे। तब अध्यक्ष जी कहते थे कि मैं 20 मिनट के लिए स्थगित करता हूँ। तब तक हमारे दूसरे नेता प्रतिपक्ष अभी नहीं हैं, वह थोड़ा खोद देते थे कि तुम लोग भी चले जाओ। इस बार नेता प्रतिपक्ष जी का विशेष योगदान है कि इन्होंने कम से कम सबको रोककर रखा कि हम लोग सदन पूरी तरह से चलायें। सदन चलाने में तो विशेष भूमिका विपक्ष की होती है। हालांकि हमारे कैबिनेट मंत्री लोग लगातार अप्रोच करते रहे, नेता प्रतिपक्ष से भी अप्रोच किये कि कुछ बाधित करिये कि सप्लीमेण्ट्री न होने पाये। लेकिन इन्होंने ऐसा नहीं किया। यह कहे कि ऐसा करेंगे कि हम उस टाइम आयेंगे ही नहीं। हमारे सदस्य पूछेंगे, हम नहीं रहेंगे। खैर, मा0 अध्यक्ष जी, यह जरूर है कि इतने ही दिनों के लिए हम बैठे, नेता सदन ने कहा कि हम फिर अभी वर्षाकालीन सत्र में बैठेंगे। लेकिन ऐसा लगता है कि हम लोग जब जन-गण-मन के बाद निकलते हैं तो लगता है कि हम लोग कितने दिनों से एक साथ थे और फिर यह दूरी बड़ी अजीब लगती है। इसलिए मैं चाहूंगा कि फिर जल्दी ही सदन आप बुलाइयेगा। ताकि हम सब पुनः एक बार यहां पर इकट्ठा हों। बहुत-बहुत धन्यवाद।

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं सबसे पहले आपको बधाई देता हूँ कि आपने पहली बार पीठ पर बैठकर एक बहुत ही अच्छे तरीके से सदन को संचालित किया और लगभग 200 से ज्यादा सदस्यों ने अपने विचार रखे। चाहे राज्यपाल जी का अभिभाषण हो और चाहे चर्चा का विषय हो।

मान्यवर, मा0 अध्यक्ष जी की सबसे बड़ी सफलता यही है कि पहली बार आप अध्यक्ष बनें, हालांकि जहां तक मुझे याद है कि कभी भी आपको अधिष्ठाता के रूप में नहीं देखा। उसके बाद भी आपने बड़ी कुशलतापूर्वक सदन का संचालन किया है। मैं इसके लिए मा0 अध्यक्ष जी को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ।

मा0 नेता सदन जिन्होंने विशेष रूप से हमारे पास बजट को 31 जुलाई तक पेश करने का समय दिया था, 31 जुलाई तक बजट पास करा सकते थे, लेकिन उसके बाद भी चुनाव के तुरन्त बाद दो महीने के अन्दर इस प्रकार का सदन बुलाकर बजट जैसी महत्वपूर्ण जिम्मेदारी का निर्वाह किया है, उसके लिए मैं नेता सदन को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और आज उन्होंने जो सदाशयता दिखाई है, उसके लिए मैं उनको धन्यवाद एवं बधाई देता हूँ। यह बात मा0

उमाशंकर सिंह जी ने बिल्कुल ठीक कही है कि अगर विपक्ष चाहेगा तभी सदन चलेगा और इस सदन की सबसे बड़ी सफलता यह है कि इन 08 दिनों में एक बार भी सदन स्थगित नहीं हुआ है। कभी-कभी सदन रात के 08:00 बजे एवं 08:15 तक भी चला है, लेकिन उसके बाद भी सदन का एक बार भी स्थगित न होना यह अपने आप में बहुत बड़ी बात है और आपका इसमें बहुत बड़ा रोल है, क्योंकि अगर आप अपने सदस्यों को किसी-न-किसी रूप में प्रेरित करते तो शायद यह सम्भव नहीं होता। इसलिए मा0 नेता प्रतिपक्ष आपको बहुत-बहुत बधाई और आज आपने जो वक्तव्य दिया कि मन से गुस्सा निकाल देना चाहिए। यह भी अपने आप में बहुत अच्छी बात है कि सदन की कोई भी बात मन में न रखना। एक अच्छे नेता के रूप में जिस प्रकार से आपने अपने वक्तव्य के माध्यम से दिल की बात जाहिर की है, उसके लिए विशेष रूप से बधाई देते हैं। मा0 नेता सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी, मा0 नेता निषाद पार्टी, मा0 नेता अपना दल, मा0 नेता राजा भैया, मा0 नेता उमाशंकर सिंह जी, कांग्रेस तो शायद राजस्थान गई है। (सदन में हंसी) एवं मा0 नेता लोकदल।

मैं सभी दलों के नेताओं को विशेष रूप से बधाई दूंगा कि आपने सदन को चलाने में बहुत बड़ा सहयोग दिया, आपकी पार्टी के नेताओं ने समय-समय पर अपने विचार रखे और सदन का उद्देश्य भी यही है कि हम हर तरीके से चर्चा और संवाद आपस में स्थापित करें। जो सुझाव आते हैं उसके ऊपर निश्चित रूप से हमारा सोचना यह है कि कभी-कभी नये सदस्यों के बहुत महत्वपूर्ण सुझाव होते हैं और हम उनको आत्मसात् भी करते हैं और कोशिश करते हैं कि जहां तक सम्भव हो, उस पर अमल भी हो। मैं प्रमुख सचिव, विधान सभा जो बहुत अनुभवी भी हैं एवं एक लम्बे समय से हमारे बीच में भी हैं, उनके अनुभव का फायदा विधान सभा को मिलता रहा है, योग्य भी हैं, उनके नेतृत्व में पूरी टीम है, चाहे यह लेखक (प्रतिवेदक) हों, चाहे सहयोगी हों, मार्शल और उनके सहयोगी, सभी अधिकारियों एवं कर्मचारियों को धन्यवाद देता हूँ कि आप लोगों का सदन के संचालन में बहुत बड़ा योगदान रहता है। सुबह से लेकर रात के 08:00 बजे एवं 08:30 तक रहते हैं, हम लोग तो रात के 08:00 बजे हाउस करके चले जाते हैं, लेकिन यह लोग उसके घण्टे दो घण्टे बाद तक काम करते हैं। इसलिए इन लोगों को भी बहुत-बहुत धन्यवाद देता हूँ।

आज विशेष रूप से सत्र का समापन होना प्रस्तावित है। मैं सभी मा0 सदस्यों जिन लोगों ने सदन को चलाने में सहयोग दिया, यहां पार्टीसिपेट किया, किसी-न-किसी रूप में चर्चा एवं बहस में भाग लिया, उन सभी को धन्यवाद देता हूँ। यद्यपि यह सत्र छोटा रहा, लेकिन जैसाकि नेता सदन ने कहा है कि वर्षाकालीन सत्र में हम लोग मिलेंगे और उसके पहले महामहिम राष्ट्रपति जी का दिनांक 06 जून, 2022 को कार्यक्रम भी है, दिनांक 06 जून, 2022 को वे विधान सभा एवं विधान परिषद् के समवेत् सदन को सम्बोधित करेंगे तो उसमें हमारा सभी लोगों से माननीय अध्यक्ष जी के माध्यम से आग्रह होगा कि सभी लोग उसमें उपस्थित हों ताकि महामहिम राष्ट्रपति जी का जो मार्गदर्शन व उसका लाभ हम सभी लोग ले सकते हैं। इन्हीं

शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, लोगों ने कहा था कि एक शेर के साथ समाप्त करना। (हंसी) माननीय अध्यक्ष जी, बशीर बद्र ने कहा था, उन्हीं का शेर है-

चिरागों को आंखों में महफूज रखना,
सफर में न जाने कहां रात होगी।
मुसाफिर हो तुम भी, मुसाफिर हैं हम भी,
किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी।
(सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं)

श्री अध्यक्ष-

18वीं विधान सभा के पहले सत्र पर हम लोगों के लिए सौभाग्य की बात है कि हम सब लोग इन आठ दिनों के अन्तर्गत जितनी तन्मयता और तत्परता के साथ इस सदन को चलाने में सहयोग दिया है इसके लिए मैं सभी सम्मानित सदस्यों का आभार व्यक्त करता हूँ एवं धन्यवाद देता हूँ। (मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) कई अवसरों पर यह कहा जाता है कि देश के अन्दर उत्तर प्रदेश का जो परसेप्शन था वह बहुत निगेटिव था। लोकतंत्र में संस्थाएं जीवित रहनी चाहिए एवं उनका सम्मान बना रहना चाहिए। जब हम विधान सभा में मा0 मंत्रियों की बात करते हैं, विधायकों की बात करते हैं, मा0 सदस्यों की बात करते हैं तो एक बहुत अच्छे मैसेज की आवाज लोगों तक नहीं आती थी। लेकिन उस अच्छी आवाज की शुरुआत 18वीं विधान सभा के पहले सत्र से पूरे प्रदेश में हम लोगों ने दी है। (मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) जनरली जिस समय मा0 मुख्य मंत्री जी ने मुझसे चर्चा की और कहा कि ई-विधान तत्परता के साथ लागू किया जाय तो मैंने यहां आने के एक सवा महीने के अन्तर्गत उसको लागू किया और मा0 मुख्य मंत्री जी ने हमेशा उसकी मॉनीटरिंग की। मैंने फेसबुक और सोशल मीडिया पर लोगों को कमेन्ट करते देखा कि उत्तर प्रदेश के विधायक इसको चलायेंगे क्या ? चूंकि निगेटिविटी लोगों का एक स्वभाव है, लेकिन मैं इस बात को बहुत गर्व के साथ कह सकता हूँ कि हमारे प्रत्येक सदस्य ने बड़ी तत्परता के साथ टैबलेट चलाया और मैंने यहां ऊपर बैठकर देखा क्योंकि यहां से सब दिखाई देता है। अधिकांशतः सदस्यों ने हार्ड कॉपी का उपयोग नहीं किया, उसी टैबलेट से पूरी कार्यवाही में सहयोग किया। (मा0 सदस्यों द्वारा मेजें थपथपाई गईं) मैं इसके लिए बहुत-बहुत बधाई देना चाहता हूँ।

लोग जनरली यही समझते हैं कि जो विधान सभा में जाते हैं उनको कुछ पता नहीं होता है, लेकिन हमारी विधान सभा में बड़ी संख्या में डॉक्टर्स, बड़ी संख्या में इंजीनियर्स, बड़ी संख्या में प्रोफेशनलिस्ट, बड़ी संख्या में एग्रीकल्चर क्षेत्र के अन्तर्गत काम करने वाले विद्वतजन और बड़ी संख्या में जो छोटे तबके से लोग आते हैं, हमारे पास एक सफाई कर्मचारी है जो सीधा सफाई कर्मचारी से चुनकर आया और यहां पर विधान सभा का सदस्य बना है। उसकी समाज के प्रति प्रतिबद्धता है, मैंने ग्रुप्स के अन्तर्गत भी इस बात की चर्चा की और मैंने बोला कि हम ग्रुप्स में सबको बुलायेंगे और चर्चा करेंगे। हमें बातचीत यह करनी है कि हम उत्तर

प्रदेश विधान सभा को कैसे अच्छा कर सकते हैं और विधान सभा का परसेप्शन कैसे चेंज कर सकते हैं। कल मैं एक डॉक्टर्स समूह के साथ बैठा था, मैंने अपने प्रमुख सचिव से कहा है कि जितने लोगों ने अपनी आय-व्यय चुनाव में दिया है, जो सबसे ज्यादा आमदनी-आय वाले लोग हैं, उन 15 लोगों के साथ भी हम बैठेंगे कि आप कैसे समाज के अन्तर्गत काम करते हो।

आपका सन्देश कैसे जाना चाहिए, जिसके पास कुछ नहीं है, वह भी समाज का काम कर सकता है। मैंने बोला हम हर वर्ग के साथ बैठने का प्रयास करेंगे। आज जो लोग कहते हैं कि राजनीतिक क्षेत्र में काम करने वाले को कुछ पता नहीं होता। मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि आज देश के प्रधानमंत्री जी ने इस बात को बता दिया है कि पूरी दुनिया उनसे सीखने के लिए तैयार है, पूरी दुनिया उनके पीछे चलने को तैयार है। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं) मैं बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सार्वजनिक जीवन में सिर्फ सेवा ही जिनका संकल्प था और जिन्होंने परिवार को छोड़कर एक मठ के छोटे से कार्यकर्ता के रूप में काम शुरू किया था, उस मठ के पीठाधीश्वर और आज के मुख्य मंत्री के रूप में उन्होंने देश और दुनिया के अन्तर्गत जो अपना सन्देश दिया, वह हमारे बीच में हैं।

मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि नेता प्रतिपक्ष ने जिन्होंने उच्च शिक्षा के माध्यम से बहुत सारी जानकारियां की हैं, जितना उन्होंने इस सदन को चलाने में सहयोग दिया, मैं नेता प्रतिपक्ष को और उनके सारे सदस्यों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)। सारे माननीय नेताओं ने, चाहे वह कांग्रेस के हों, चाहे सुहेलदेव पार्टी के हों, चाहे अपना दल के हों, चाहे निषादराज पार्टी के हों, चाहे राजा भैया हों, चाहे जनता दल हो, चाहे बी0एस0पी0 हो, सबका बहुत सहयोग रहा है। मुझे इस विधान सभा में बैठते हुए 32 साल हो गये हैं। इन 32 साल में इतने अच्छे माहौल के अन्तर्गत कभी भी विदाई नहीं हुई। आज जिस प्रकार से माननीय सदस्यों की विदाई हो रही है, इसके लिए सारे माननीय सदस्य, जैसा माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी ने भी कहा कि बिना प्रतिपक्ष के सदन सही तरीके से चलाना मुश्किल होता है। बहुत कम कटुता हुई। यहां पर कहा गया कि कटुता हुई। मुझे नहीं लगा कि कभी कटुता हुई। किसी एक-आध अवसर के ऊपर उत्तेजना के अन्तर्गत कोई बात हो जाती है, लेकिन वह सारी की सारी सब साइड हो जाती है। एक-दो अवसर ऐसे आये, जिस समय यहां पर माननीय अधिष्ठाता जी बैठे हुए थे, मैं अपने ऑफिस में था, मैंने देखा कि किसी बात को लेकर कुछ थोड़ी सी बात हुई और हमारे प्रतिपक्ष के माननीय सदस्य वेल में आ गये। दो बार ऐसे अवसर आये। जैसे ही हमारे प्रमुख सचिव ने बोला कि आप ही संभाल सकते हैं, तो जैसे ही मैं यहां आकर बैठा और मैंने उनसे निवेदन किया कि आप अपनी सीट पर जाकर बोलिये, मुझे दूसरी बार नहीं कहना पड़ा और हमारे सारे सदस्य अपनी सीट के ऊपर जाकर बैठ गये। (माननीय सदस्यों ने मेजें थपथपाईं)।

यह आप लोगों का जो मेरे प्रति स्नेह और विश्वास है, मैं उसको शब्दों के अन्तर्गत व्यक्त नहीं कर सकता हूँ। हम लोगों ने आज उत्तर प्रदेश की नई तस्वीर को पूरे देश में बताने का काम किया है। सिर्फ यह ई-विधान लागू करने से हमारा प्रदेश सबसे पहले नम्बर के ऊपर

रहा और सौभाग्य की बात है, माननीय लोक सभा अध्यक्ष हमारे यहां इसका उद्घाटन करने आये थे। मैंने उनसे पूछा था कि उत्तर प्रदेश के अलावा और कौन सी विधान सभा है, तो उन्होंने एक-दो छोटी-छोटी विधान सभाओं का नाम बताया। लेकिन उन्होंने कहा कि जिस स्तर पर आपने काम किया, पूरे देश में किसी भी विधान सभा ने काम नहीं किया और आज पूरे देश की हर विधान सभा, उत्तर प्रदेश को फॉलो करना चाहती है, उत्तर प्रदेश से कुछ सीखना चाहती है। उसके बाद जिस तरह से रात के 8-8 बजे तक कार्यवाही का संचालन हो रहा था, रात के 08:00 बजे भी जब मैं कहता था कि अब सदन को समाप्त करना है, तो मेरे पास सदस्य आ जाते थे कि हम बोलने के लिए तैयार हैं, तो उनकी वह ललक थी। यह जो याचिकाएं आयी हैं, आज 600 से ज्यादा याचिकाएं आयी हैं, पूरे सत्र में 600 नहीं आती थीं। यह प्रत्येक सदस्य की इस बात को दर्शाता है कि आप अपने क्षेत्र के विकास के लिए कितना कमिटेड हैं और आपका कमिटमेंट, आपके क्षेत्र के विकास के लिए इस विधान सभा के अन्तर्गत आपके द्वारा दी गयी सूचनाओं के माध्यम से, चाहे व 51 की हों, चाहे 300 की हों, चाहे याचिकाएं हों, चाहे प्रश्न हों और प्रश्न-उत्तर के अलावा चाहे आपने श्री राज्यपाल के अभिभाषण के धन्यवाद प्रस्ताव के ऊपर बोला, चाहे बजट के ऊपर आप लोगों ने अपनी बात रखी। एक-एक बात बड़ी महत्वपूर्ण थी।

मैं कभी-कभी भावुक हो जाता हूँ। मेरे लिए बहुत बड़ी जिम्मेदारी थी। जिस समय मुझे माननीय मुख्य मंत्री जी ने कहा कि आपको इस जिम्मेदारी का निर्वहन करना है और मा0 नेता प्रतिपक्ष और सब लोगों ने जिस समय मुझे इस सीट पर बैठाया तो मेरे पास एक चैलेंज था। बहुत बड़े-बड़े मीडिया हाउसेज ने मुझे टेलीफोन करके कहा कि विपक्ष बहुत बड़ा है, कैसे चलाओगे ? लेकिन मैं इस बात को बड़े गर्व के साथ कह सकता हूँ कि सबके सहयोग के साथ जितना स्मूथली यह विधान सभा चली है, इससे पहले इतना स्मूथ कभी भी विधान सभा नहीं चली थी। मैंने कभी ऐसा नहीं देखा कि विधान सभा स्थगित न हुई हो। स्थगित होती थी, फिर सारे नेताओं को बुलाया जाता था, फिर आपस में विचार-विमर्श होता था, फिर बात-चीत होने के बाद फिर बैठते थे। लेकिन पूरे सत्र में एक बार भी विधान सभा स्थगित नहीं। इसके लिए मैं सरकार को बहुत-बहुत धन्यवाद दूंगा कि सरकार के सारे मंत्री इसके लिए तैयार होकर आते थे। अगर मंत्री तैयार होकर न आते, अगर उत्तर अधूरा होता तो स्वाभाविक है कि ये लोग यहां पर बीच में होते। उत्तर भी पूरा था और जवाब भी सही था और सवाल भी सही था, दोनों बातें सही थीं। सवाल और जवाब सही तरीके से यहां पर लगे और उस नाते से यहां पर सब कुछ हुआ। मैंने कहा कि मेरे पास वह संख्या है कि कितने हमारे नौजवान साथी जीत कर आये हैं।

हम सब लोगों ने बहुत सारे जो नये सदस्य जीतकर आये हैं उनमें जो उत्साह देखा मैंने, और सीखने की जो ललक देखी मैं उसकी जितनी भी प्रशंसा करूं कम है। हमारे नौजवान मेम्बर्स जितने जीतकर आये हैं उनकी संख्या मेरे पास है। पांच मेम्बर्स जो जीतकर आये हैं, वह 25 और 30 साल के बीच में हैं। लगभग हमारे पांच सौ ऐसे सदस्य हैं जो 45 साल से कम

के हैं आपके पास समाज की सेवा करने के लिए एक लम्बा समय है। हमसे लोगों ने कहा कि आप तो सीनियर होंगे, मैंने कहा कि मैं भी पहली बार जब विधान सभा में जीतकर आया था, और यह जितने भी हमारे नौजवान सदस्य हैं यह भी कभी न कभी आठ बार जरूर जीतकर इस विधान सभा में आयेंगे। यहां पर बहुत सारे वरिष्ठ लोग आदरणीय अवधेश प्रसाद जी, आदरणीय दुर्गा शंकर जी, हमारे आदरणीय शाही जी और आदरणीय सबसे वरिष्ठ सदस्य हमारे आदरणीय सुरेश खन्ना जी जिनसे मैंने अपने जीवन में बहुत कुछ सीखा है। 1991 में मैं पहली बार जीतकर आया था तो यह मेरे से सीनियर मेम्बर थे सन् 1989 में। मैंने इनसे एक-एक कदम चलना सीखा और इनकी उंगली पकड़ कर मैं यहां तक पहुंचा हूँ, मेरे लिए यह गर्व की बात है। आदरणीय राजा भइया जी भी सात बार जीतकर आये हैं। आदरणीय लालजी वर्मा जी भी बहुत वरिष्ठ सदस्य हैं। विधान सभा के प्रमुख सचिव और प्रमुख सचिव के साथ इनका पूरा स्टाफ मैंने देखा है कि हमारे चतुर्थ श्रेणी के कर्मचारियों ने बहुत मेहनत के साथ काम किया है, मैं इन सब लोगों को बहुत-बहुत बधाई देता हूँ और धन्यवाद देता हूँ। इस सदन को चलाने में पूरे विधान सभा सचिवालय के स्टाफ का हमें सहयोग मिला। मेरे पास बहुत सारी बातें कहने को हैं। लोकतंत्र के अन्तर्गत हम सब मिलकर अपनी-अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करेंगे।

सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है कि जनता की अपेक्षाओं के प्रति खरा उतरे और विपक्ष की जिम्मेदारी है कि सरकार को सचेत करे कि आप किस प्रकार से काम कर रहे हैं उन दोनों बातों को बखूबी से निर्वहन करते हुए मैंने देखा है। आज इस अवसर पर बहुत सारी बातें हैं कहने को, लेकिन समय की सीमा है। आज विशेष रूप से मैंने देखा है कि मा0 मुख्य मंत्री जी को एक बजे यहां पर आना था, लेकिन कुछ मा0 की बैठक के कारण थोड़ा सा विलम्ब हुआ। डेढ़ बजे वह आये तो वह लंच का टाइम था और लंच में बहुत सारे सदस्य यहां थे और वह गये नहीं हैं, बिना लंच किये ही बैठे हुए हैं। यह बहुत बड़ी बात है। मैं आप सब लोगों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। आज मैं मा0 अध्यक्ष जी के उस वाक्य को दोहराना चाहता हूँ कि सत्ता का खेल तो चलता ही रहेगा, सरकारें आयेंगी, जायेंगी, पार्टियां बनेंगी, बिगड़ेंगी, मगर देश रहना चाहिए, इसका लोकतंत्र अमर रहना चाहिए और उस नाते से सारे सदस्यों ने इसमें सहयोग किया है। मैं फिर एक बार सभी सम्मानित सदस्यों के प्रति आभार व्यक्त करता हूँ कि आपने मुझे पहली बार मैं इस कुर्सी पर बैठा हूँ और इस कुर्सी पर बैठने के लिए संसदीय कार्य मंत्री ने एक तालमेल के साथ जो काम किया है, उनके प्रति आभार व्यक्त करता हूँ। दोनों हमारे मा0 उप मुख्य मंत्रियों के प्रति, सारे मा0 मंत्रियों को मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं आज इस अवसर पर आप सब लोगों को जैसे मा0 संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा है कि महामहिम राष्ट्रपति जी की सूचना उन्होंने दी है हम लोग मिलेंगे और मिलते रहेंगे और अलग-अलग ग्रुप्स के अन्तर्गत विधान सभा में बैठते रहेंगे।

अन्त में एक बात कहकर मैं अपनी बात को समाप्त करूंगा कि जब मैं पहली बार इस कुर्सी पर बैठा था आपकी कृपा से तो पहली बार मेरे परिवार के सदस्यों ने यहां पर

आकर बैठे हुए देखा था, पहली बार उनको लगा कि यह अच्छा काम भी करते हैं। नहीं तो उनको लगता था कि थाने-चौकी के अलावा कोई काम ही नहीं करते हैं। मेरे मन में यह बात आई कि जितने भी हमारे मा0 सदस्य यहां पर हैं, वे अपने परिवार में, अपने बच्चों को और अपने स्पाउस को यहां पर कैसे ला सकते हैं ? इसके लिए आप लोग हमको लिखकर देंगे, हम यहां से पत्र भेजेंगे और वे लोग भी यहां पर विधान सभा देखने आयेंगे। वे लोग विधान सभा के सत्र के दौरान ही नहीं बल्कि विधान सभा सत्र के अलावा भी यहां आ सकेंगे, क्योंकि अब मैं इस प्रकार की व्यवस्था कर रहा हूँ कि यहां पर रोज एक गाइड उपस्थित होगा जो लोगों को बुलायेगा, दिखायेगा और बतायेगा, क्योंकि यहां पर लोगों को देखना चाहिए कि विधान सभा में हमारा ई-विधान कैसे चलता है, लोगों को यह देखना चाहिए कि हमारी कमेटीज कैसे चलती हैं, लोगों को यह देखना चाहिए कि अध्यक्ष का कमरा कैसा होता है, लोगों को यह देखना चाहिए कि मुख्य मंत्री जी कहां पर बैठते हैं, लोगों को यह देखना चाहिए कि नेता प्रतिपक्ष कहां बैठते हैं, लोगों को यह देखना चाहिये कि कैसे समितियों का काम होता है ? हम इन सारी की सारी चीजों का एक पूरा प्लान बनायेंगे, उसमें जितने भी हमारे मा0 सदस्य हैं, पहले हम उनके परिवार के सदस्यों को लेंगे, फिर उसके बाद सभी सदस्यों के क्षेत्र से जो लोग उनको लेने आयेंगे, उनको भी ग्रुप्स के अन्तर्गत लेंगे ताकि सारे उत्तर प्रदेश के लोग आज उत्तर प्रदेश की बदली हुई इस नई तस्वीर को देख सकें कि कैसे उत्तर प्रदेश की इस नई तस्वीर के माध्यम से देश प्रगति के पथ पर बढ़ेगा। जैसे हमारे मा0 प्रधानमंत्री जी ने भी कहा है कि हमको एक समृद्ध राष्ट्र चाहिए तो यह राष्ट्र समृद्ध तब बनेगा, जब उत्तर प्रदेश समृद्ध बनेगा। उत्तर प्रदेश को समृद्ध राज्य बनाने के लिए इस अवसर पर मैं सभी मा0 सदस्यों का आह्वान करता हूँ। आप सभी मा0 सदस्यों का पुनः बहुत-बहुत धन्यवाद।

अब माननीय संसदीय कार्य मंत्री जी।

सदन की कार्यवाही अनिश्चित काल के लिए स्थगित किये जाने का प्रस्ताव

संसदीय कार्य मंत्री (श्री सुरेश कुमार खन्ना)-

मा0 अध्यक्ष जी, मैं आपकी अनुमति से यह प्रस्ताव करता हूँ कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये।

श्री अध्यक्ष-

प्रश्न यह है कि सदन की कार्यवाही अनिश्चितकाल के लिए स्थगित की जाये ?

(प्रश्न उपस्थित किया गया और सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ)

राष्ट्रगान

श्री अध्यक्ष-

अब मद संख्या-101 में राष्ट्रगान 'जन-गण-मन' होगा।

राष्ट्रगान

जन-गण-मन अधिनायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।
पंजाब-सिंधु-गुजरात-मराठा,
द्राविड़-उत्कल-बंग।
विन्ध्य-हिमाचल-यमुना-गंगा,
उच्छल-जलधि-तरंग।
तव शुभ नामे जागे,
तव शुभ आशिष माँगे,
गाहे तव जय गाथा।।
जन-गण मंगलदायक जय हे,
भारत-भाग्य-विधाता।।
जय हे, जय हे, जय हे
जय जय जय, जय हे।।

श्री अध्यक्ष-

अब हम अनिश्चितकाल के लिए उठते हैं।

(इसके बाद सदन का उपवेशन 05 बजकर 27 मिनट पर अनिश्चितकाल के लिये स्थगित हो गया)

लखनऊ :
दिनांक 31 मई, 2022

प्रदीप कुमार दुबे,
प्रमुख सचिव,
विधान सभा, उत्तर प्रदेश।

नत्थी 'क'

देखिये तारांकित प्रश्न सं0-04 का उत्तर पीछे पृष्ठ संख्या-18 पर।

विधान सभा के प्रथम सत्र, 2022 के द्वितीय मंगलवार के लिये निर्धारित श्री मनोज कुमार पारस, मा0 सदस्य विधान सभा द्वारा पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या-04 के उत्तर का संलग्नक

प्रधानमंत्री आवास योजना-ग्रामीण

जनपदवार आवास आवंटन का विवरण (17-05-2022)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
1	आगरा	8181	8087	94
2	अलीगढ़	4127	4083	44
3	अम्बेडकरनगर	42797	41815	982
4	अमेठी	59259	58442	817
5	औरैया	21680	21374	306
6	अयोध्या	37576	37028	548
7	आजमगढ़	63214	60037	3177
8	बागपत	62	49	13
9	बहराइच	136427	135235	1192
10	बलिया	49688	48006	1682
11	बलरामपुर	20898	19993	905
12	बांदा	64746	60684	4062
13	बाराबंकी	55116	53746	1370
14	बरेली	14166	14019	147
15	बस्ती	51283	49579	1704
16	बिजनौर	9650	9558	92
17	बदायूं	17558	17484	74
18	बुलन्दशहर	1700	1669	31
19	चन्दौली	24392	23791	601
20	चित्रकूट	27401	26764	637
21	देवरिया	18394	18076	318

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
22	एटा	15001	14732	269
23	इटावा	14935	14876	59
24	फर्रुखाबाद	16887	16700	187
25	फतेहपुर	71803	70181	1622
26	फिरोजाबाद	8824	8681	143
27	गौतमबुद्धनगर	3	3	0
28	गाजियाबाद	7	6	1
29	गाजीपुर	46849	45061	1788
30	गोण्डा	55630	55075	555
31	गोरखपुर	52187	51066	1121
32	हमीरपुर	18131	17596	535
33	हापुड़	51	50	1
34	हरदोई	60020	59017	1003
35	जालौन	22786	22358	428
36	जौनपुर	65400	63564	1836
37	झांसी	21961	21393	568
38	अमरोहा	2099	2092	7
39	कन्नौज	25638	25361	277
40	कानपुर देहात	23875	23526	349
41	कानपुर नगर	14108	13783	325
42	कासगंज	2791	2768	23
43	कौशाम्बी	37187	36658	529
44	खीरी	128884	124969	3915
45	कुशीनगर	29712	28835	877
46	ललितपुर	25046	24359	687
47	लखनऊ	19070	18647	423
48	हाथरस	1729	1705	24
49	महाराजगंज	34109	33615	494

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
50	महोबा	14277	13668	609
51	मैनपुरी	15508	15417	91
52	मथुरा	1451	1438	13
53	मऊ	30206	29499	707
54	मेरठ	952	925	27
55	मिर्जापुर	56935	55745	1190
56	मुरादाबाद	16552	16424	128
57	मुजफ्फरनगर	1234	1203	31
58	पीलीभीत	35432	34902	530
59	प्रतापगढ़	105148	103998	1150
60	प्रयागराज	114615	108946	5669
61	रायबरेली	67634	65894	1740
62	रामपुर	7574	7528	46
63	सहारनपुर	3795	3772	23
64	सम्भल	9648	9521	127
65	सन्तकबीरनगर	53510	51989	1521
66	सन्तरविदासनगर	26291	25153	1138
67	शाहजहांपुर	41427	40644	783
68	शामली	651	647	4
69	श्रावस्ती	17879	17478	401
70	सिद्धार्थनगर	23114	22197	917
71	सीतापुर	200925	197134	3791
72	सोनभद्र	61663	60583	1080
73	सुल्तानपुर	90362	88753	1609
74	उन्नाव	50350	50148	202
75	वाराणसी	25780	25189	591
	Total	**2615951**	**2554991**	**60960**

मुख्य मंत्री आवास योजना-ग्रामीण

जनपदवार आवास आवंटन का विवरण (17-05-2022)

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
1	आगरा	120	117	3
2	अलीगढ़	0	0	0
3	अम्बेडकरनगर	850	834	16
4	अमेठी	3030	2996	34
5	औरैया	239	186	53
6	अयोध्या	1060	1050	10
7	आजमगढ़	4788	4460	328
8	बागपत	0	0	0
9	बहराइच	2051	2044	7
10	बलिया	1274	1227	47
11	बलरामपुर	1015	927	88
12	बांदा	409	377	32
13	बाराबंकी	374	366	8
14	बरेली	165	165	0
15	बस्ती	640	626	14
16	बिजनौर	125	125	0
17	बदायूं	299	298	1
18	बुलन्दशहर	19	19	0
19	चन्दौली	2890	2753	137
20	चित्रकूट	2447	2403	44
21	देवरिया	640	627	13
22	एटा	47	46	1
23	इटावा	71	67	4
24	फर्रुखाबाद	178	178	0
25	फतेहपुर	379	373	6
26	फिरोजाबाद	31	31	0

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
27	गौतमबुद्धनगर	0	0	0
28	गाजियाबाद	0	0	0
29	गाजीपुर	4928	4804	124
30	गोण्डा	2434	2427	7
31	गोरखपुर	2610	2587	23
32	हमीरपुर	103	102	1
33	हापुड़	0	0	0
34	हरदोई	155	154	1
35	जालौन	393	174	219
36	जौनपुर	8940	8573	367
37	झांसी	1784	1626	158
38	अमरोहा	11	11	0
39	कन्नौज	585	579	6
40	कानपुर देहात	374	302	72
41	कानपुर नगर	174	174	0
42	कासगंज	157	156	1
43	कौशाम्बी	1194	1186	8
44	खीरी	3374	3309	65
45	कुशीनगर	5273	5177	96
46	ललितपुर	4051	3817	234
47	लखनऊ	240	237	3
48	हाथरस	19	19	0
49	महाराजगंज	4955	4917	38
50	महोबा	21	21	0
51	मैनपुरी	119	118	1
52	मथुरा	0	0	0
53	मऊ	939	923	16
54	मेरठ	1	1	0

क्र0सं0	जनपद का नाम	आवंटित लक्ष्य	पूर्ण आवास	अवशेष आवास
55	मिर्जापुर	7468	6977	491
56	मुरादाबाद	47	47	0
57	मुजफ्फरनगर	0	0	0
58	पीलीभीत	253	253	0
59	प्रतापगढ़	5170	4987	183
60	प्रयागराज	8566	6926	1640
61	रायबरेली	1905	1872	33
62	रामपुर	43	43	0
63	सहारनपुर	342	342	0
64	सम्भल	10	10	0
65	सन्तकबीरनगर	138	138	0
66	सन्तरविदासनगर	3353	3252	101
67	शाहजहांपुर	368	367	1
68	शामली	19	19	0
69	श्रावस्ती	653	652	1
70	सिद्धार्थनगर	740	725	15
71	सीतापुर	907	879	28
72	सोनभद्र	5635	5536	99
73	सुल्तानपुर	3307	3279	28
74	उन्नाव	666	662	4
75	वाराणसी	3085	2990	95
	Total	**108650**	**103645**	**5005**

पी0एस0यू0पी0-एल0-291 विधान सभा (554)-31-03-2023-76 प्रतियां (कम्प्यूटर/आफसेट)।